

१२५ हिन्दी निबन्ध

जनसुखराम गुप्त

सूर्य-प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली-११०००६

प्रकाशक : सूर्य-प्रकाशन
नई सड़क, दिल्ली-११०००६

दूरभाष : २६६४१२

मुद्रक : वाष्णय प्रिंटर्स
विश्वामनगर, शाहदरा, दिल्ली-११००३२

: कुमार आफसेट
विश्वामनगर, शाहदरा, दिल्ली-११००३२

सतरहवाँ संस्करण : तनमुखराम जी का ६२वाँ जन्म-दिवस २५-८-१९८९

मूल्य : ७०-००

विषय-सूची

ऋतुएं

१. वसन्त	१
२. ग्रीष्म ऋतु	४
३. ग्रीष्म ऋतु की दोपहर	७
४. वर्षा ऋतु	१८	...	१०
५. सर्दी का मौसम	१३

पर्व

६. त्यौहारों का महत्त्व	१६
७. भारत के त्यौहार	१६
८. होली	२२
९. वैशाखी	२५
१०. रक्षाबन्धन	२८
११. जन्माष्टमी	३१
१२. दशहरा (विजयादशमी)	३४
१३. दीपावली	३७
१४. १५ अगस्त (स्वतन्त्रता दिवस)	४०
१५. २६ जनवरी (गणतन्त्र दिवस)	४३
१६. बाल-दिवस	४६

आत्म-कथात्मक निबन्ध

१७. मेरा जीवन लक्ष्य	४६
१८. मेरा आदर्श इतिहास पुरुष (शिवाजी)	५२
१९. मेरी प्रिय पुस्तक (रामचरित मानस)	५५
२०. मेरा प्रिय कवि (सूरदास)	५८

२१. मेरा प्रिय लेखक (प्रेमचन्द)	६१
२२. मेरा प्रिय नेता (श्रीमती इन्दिरा गाँधी)	६४
२३. राशन की दुकान पर मेरा अनुभव	६७
२४. यदि मैं पक्षी होता	७०
२५. बस की आत्मकथा	७३
२६. रेलगाड़ी की आत्मकथा	७६
२७. घरेलू नौकर की आत्मकथा	७९
२८. नदी की आत्मकथा	८२
२९. मैंने प्रीटमावकाश कैसे विताया	८५

विज्ञान सम्बन्धी निबन्ध

३०. विज्ञान : वरदान और अभिशाप	८८
३१. विज्ञान और हमारा जीवन	९१
३२. विज्ञान और विश्वशान्ति	९४
३३. अंतरिक्ष में मानव के बढ़ते चरण	९७
३४. अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की प्रगति	१००
३५. प्रदूषण की समस्या	१०३

विज्ञान / आविष्कार सम्बन्धी निबन्ध

३६. समाचार-पत्र	१०६
३७. जन-जागरण और समाचार-पत्र	१०९
३८. समाचार-पत्र का महत्त्व	११२
३९. सिनेमा (चलचित्र)	११५
४०. समाज पर चलचित्रों का प्रभाव	—	...	११८
४१. रेडियो	१२१
४२. टेलीविजन	१२४
४३. टेलीविजन : लाभ और हानियाँ	१२७
४४. टेलीफोन : सुविधा के साथ असुविधा भी	१३०
४५. मनोरंजन के आधुनिक साधन	१३३

चुनाव सम्बन्धी निबन्ध

४६. लोकतन्त्र और चुनाव १३६

भौगोलिक निबन्ध

४७. दिल्ली के दर्शनीय स्थान १३६

४८. भारत प्यारा देश हमारा १४२

४९. भारत की राजधानी १४५

५०. सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा/भारत देश महान ३६८

५१. हमारी सांस्कृतिक एकता ३७१

शिक्षा सम्बन्धी निबन्ध

५२. विद्यालयों में अनुशासन की आवश्यकता १४८

५३. आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के गुण-दोष १५१

५४. नवीन शिक्षा-पद्धति १५४

५५. शिक्षा व्यवसाय १५७

५६. राष्ट्रीय साक्षरता का प्रश्न १६०

५७. हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव १६३

५८. विद्यार्थी और अनुशासन १६६

५९. अपने विद्यालय का पुस्तकालय १६९

६०. पुस्तकालय १७२

६१. परीक्षा के ये कठिन दिन १७५

६२. स्कूल में मेरा अन्तिम वर्ष कैसा बीता १७८

६३. नारी-शिक्षा का महत्त्व १८१

६४. सहशिक्षा १८४

खेल और स्वास्थ्य सम्बन्धी निबन्ध

६५. जीवन में खेलों का महत्त्व १८७

६६. स्वास्थ्य-रक्षा १९०

६७. व्यायाम	१६१
६८. व्यायाम के लाभ	१६६
६९. मेरा प्रिय खेल : कबड्डी	३२३
७०. आँखों देखे किसी मैच वर्णन	१६६
७१. खेलों में भारत के स्तर को उन्नत करने के उपाय	२०२

प्रकृति सम्बन्धी निबन्ध

७२. चाँदनी रात का वर्णन	२०५
७३. चाँदनी रात में नौका-विहार	२०८
७४. प्रकृति का कूट परिहास : वाद	२११
७५. किसी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन	२१४
७६. प्रातःकालीन भ्रमण	२१७
७७. नदी-तट का भ्रमण	२२०
७८. वृक्षारोपण : एक आवश्यकता	२२३
७९. पर्वतारोहण का शोक	२२६

ग्राम और किसान सम्बन्धी निबन्ध

८०. भारत का किसान	२२६
८१. भारतीय गाँव	२३२

यात्रा सम्बन्धी (वर्णनात्मक निबन्ध)

८२. किसी रेलयात्रा का वर्णन	२३५
८३. रोचक बस यात्रा	२३८
✓ ८४. पर्वत-स्थान की यात्रा	२४१
८५. दिल्ली की मुद्रिका बस से यात्रा	२४४

वर्णनात्मक निबन्ध

८६. प्लेटफार्म का दृश्य	२४७
८७. रेलवे-स्टेशन का दृश्य	२५०

८८. सड़क दुर्घटना की क्षांकी	२५३
८९. जलते हुए भवन का दृश्य	२५६
९०. वर्षा ऋतु में उमड़ते-उफनते नदी नाले	२५९
९१. (क) दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित प्रदर्शनी	२६२
(ख) आँखों देखे किसी मेले का वर्णन	२६२
(ग) वह मेला जो हमने देखा	२६५
९२. किसी समारोह का आँखों देखा हाल	२६६
९३. स्वतन्त्रता-स्वच्छंदता नहीं	३४१

हिन्दी सम्बन्धी निबन्ध

९४. स्वतन्त्र भारत अंग्रेजी का मोह	२६९
९५. हिन्दी की प्रगति में अवरोधक तत्त्व	२७२
९६. राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के उपाय	२७५

भावात्मक निबन्ध

९७. सच्चरित्रता का महत्त्व	२७८
९८. समय ही सबसे बड़ा धन है	२८१
९९. परिश्रम का महत्त्व	२८४
१००. स्वावलम्बन	२८७
१०१. मित्रता	२९०
१०२. परोपकार	२९३
१०३. देशाटन	३०५
१०४. संगठन : एकता में बल है	३२९
१०५. देश-प्रेम : देश-भक्ति	३३२
१०६. अष्टाचार का रोग	३३५
१०७. भाग्य और पुरुषार्थ	३४७
१०८. अहिंसा	३५०

समस्यात्मक निबन्ध

१०६. दहेज-प्रथा	२६६
११०. भेंहगाई	२६६
१११. बेकारी की समस्या	३०२
११२. बढ़ती हुई आबादी की समस्या	३०८
११३. महानगर की समस्या	३११
११४. सती-प्रथा	३१४
११५. समाज में नारी का स्थान : भारतीय नारी	३२७
११६. भारत में आतंकवाद	३५३
११७. राष्ट्रीय-एकता	३५६
११८. साम्प्रदायिकता	३५६
११९. विश्वशांति और भारत	३६२
१२०. २१वीं सदी का भारत	३६५
१२१. भारत की सामाजिक समस्याएँ	३७४

पारिवारिक निबन्ध

१२२. छोटे परिवार के सुख-दुःख	३१८
१२३. आदर्श पड़ोसी	३४४

महापुरुष

१२४. पं० जवाहरलाल नेहरू	३१७
१२५. हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी	३२०
पत्र-लेखन	३७७

वसन्त

‘वसन्त’ शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की ‘वस्’ धातु से हुई है। ‘वस्’ का अर्थ है चमकना। वसन्त का अर्थ हुआ ‘चमकता हुआ’ या ‘देदीप्यमान’। माघ शुक्ल पंचमी अर्थात् वसन्त पंचमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक चालीस दिवसीय इस ऋतु में प्रकृति-राज्य में सत्त्वगुण, जो प्रकाशशील और चेतना-सम्पन्न है, का प्रभुत्व होता है।

वसन्त को सब ऋतुओं का राजा कहा गया है। इस ऋतु में वकुल पुलकित हो उठता है; मानव-मन सहज उत्कंठित हो जाता है; अग-जग में चित्तगत स्फूर्ति दीखने लगती है; कंकणों का रणन, नूपुरों की रत्नशुन, फिकणियों का क्वणन सुनाई देने लगता है; कड़कड़ाती सर्दों कम हो जाती है; कानों को फाड़ देने वाली और हड्डियों को कँपा देने वाली सनसनाती हवा चलनी बन्द हो जाती है। इस समय शीतल मन्द सुगन्धित वायु चलती है। मौसम बड़ा सुहावना होता है। न अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दों।

मादक महकती वासन्ती बयार।

प्रकृति के रूप का नूतन निखार।

मोहक रस पगे फूलों की बहार ॥

अधिक सर्दों और अधिक गर्मी में मनुष्य का मन काम में नहीं लगता, परन्तु इस ऋतु में मनुष्य की रुचि अधिक काम करने में होती है; बच्चों और नव-युवकों में उल्लास भर आता है, वृद्धों में भी जवानी छा जाती है; प्राणिमात्र में उत्साह और बल बढ़ जाता है; शीतल और सुगन्धित समीर रंग-बिरंगी कुसुमावली, भौरों की गुंजार, बौराए आभ्र-वृक्षों पर कोकिलों की कूक मन को प्रफुल्लित कर देती है।

वसन्त के दिनों में लोग प्रातःकालीन सैर को निकलते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सैर बड़ी लाभप्रद है। यह कहना ठीक है कि बहुमूल्य औषधियाँ जो कार्य नहीं कर सकती, वह इस ऋतु की प्रातःकालीन हवा कर दिया करती हैं। अतः

आयुर्वेद-शास्त्र में इसको 'स्वास्थ्यप्रद ऋतु' के नाम से पुकारा गया है।

वसन्त के आगमन पर मनुष्य ही क्या, प्रकृति भी खुशी मनाती है। वह भी अपना पुराना चोला छोड़कर नए वस्त्र धारण करती है। महाकवि कालिदास का मत है, 'प्रथम पुष्प, फिर किसलय, फिर भौरों की गुजार और कोयलों की झूफ—इस प्रकार क्रमशः वसन्त का अवतार होता है।'

वसन्त सूखे को झाड़ देता है, हरे को सहला देता है। जो जीर्ण है, वह झड़ जाता है; जो नवीन है, वह पनपता है; जो सुकुमार है, वह फूट पड़ता है। भारत की प्रकृति मर्यादित है। वृक्ष कभी पत्तों रूपी वस्त्रों से विहीन नहीं होते। पुराने पत्तों झड़ने और नये पत्तों उगने का क्रम साथ-साथ चलता रहता है। खेत ऐसे लहरा उठते हैं, मानों किसी ने हरी और पीली मखमल बिछा दी हो। फूल खिल उठते हैं। सरसों वसन्ती रंग के फूलों से लदकर मानो वासन्ती परिधान धारण कर लेती है। घने रूप से उगने वाला कमल-मुष्प जब वसन्त ऋतु में अपने पूर्ण यौवन के साथ खिलता है, तब जलाशय का जल छिप जाता है। आमों पर बौर आने लगते हैं। इधर 'चोबदार चातक विरदि बड़ि बोले पर, दौलत पराग ऋतुराज महाराज को, और उधर कोयल पंचम स्वर में अपना राग अलापती है। पक्षी-गण अपने मधुर कलख से ऋतुराज वसन्त का स्वागत करते हैं।

महाकवि निराला वसन्त का चित्रण करते हुए लिखते हैं, 'नव पल्लवित वसन्त आता है। सरस्वती डाल-डाल पर न केवल किसलयों में, अपितु कोकिल के मधुर स्वरों में भी फूट पड़ती है। वह फल-फूलों का सुनहरा आँचल फैला देती है। नयी-नयी सम्भावनाएँ मन में उठती हैं। प्रति संध्या लोग समवेत फाग, धमार, होली, चैती की गति में थिरक उठते हैं। बौरों आमों की मंदिर मटक धरती के कण-कण को उन्मादित कर देती है।' चांदनी बिछ जाती है। फसल कटकर आती है।

वसन्त ऋतु का महत्त्वपूर्ण दिन 'वसन्त-पंचमी' है। यद्यपि यह दिन वसन्त ऋतु में न पड़कर माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है, फिर भी इसी दिन से वसन्त का प्रादुर्भाव माना जाता है। मदन देवता का जन्म-दिवस भी यही है।

वसन्त पंचमी के दिन विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। अतः इस दिन सरस्वती पूजन की प्रथा है। आज भी माँ भारती के उपासक इस दिन सरस्वती का पूजन करते हैं।

प्राचीनकाल में और वर्तमान युग में इस दिन आनन्द मनाने के ढंग में भी अन्तर आ गया है। वैदिककाल में वसन्त के दिन गुरुकुलो में विद्वानों का सम्मेलन होता था और उसी दिन दीक्षान्त-समारोह आयोजित किए जाते थे। महायज्ञ आदि भी इस दिन होते थे। नाचना-गाना, खेलना-कूदना एवं झूला झूलना आज-कल भी होता है, कई स्थानों पर आज के दिन कवि-सम्मेलनों का आयोजन भी होता है।

वसन्त-पंचमी के दिन प्रायः लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, घर-घर में तरह-तरह के भोजन बनते हैं। वसन्ती हलवा, पीले चावल और केसरिया खीर इस दिन के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ हैं।

सायकाल वसन्त-पंचमी का मेला होता है। विशेष रूप से पतंगें उड़ाई जाती हैं और आपस में पेंच लड़ाए जाते हैं। इस दिन केवल बच्चे और युवा ही नहीं, अपितु प्रौढ़ भी वसन्ती रंग वाली पतंग लेकर मैदान में उतरते हैं। 'ढुचका', 'ठुमका', 'खँच' और 'ढील' के विविध नियमों से पतंगों के पेंच लड़ाते हैं। इस दिलचस्प और मनोहारी पतंगबाजी के प्रति अकबर इलाहाबादी को भी कहना पड़ा—'करता है शाद दिल को उड़ाना पतंग का।'

वसन्त-पंचमी के दिन का एक ऐतिहासिक घटना के साथ भी सम्बन्ध है। इस दिन मुसलमान-धर्म स्वीकार न करने के कारण धीर बालक हकीकतराय का सिर काटकर घड़ से अलग कर दिया गया था। उस धीर बालक की याद में उसकी समाधि पर सायकाल बड़ा मेला लगता है। पहले यह मेला लाहौर में लगता था। अब यह नई दिल्ली में हिन्दू-महासभा-भवन में लगता है।

इस प्रकार वसन्त जहाँ नवजीवन, नवोत्साह, स्फूर्ति और प्रेरणा देने वाली ऋतु है, वहाँ यह प्राचीन और गौरवमय बलिदानों का स्मरण कराकर हमें देश और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक भी करती है। □

ग्रीष्म-ऋतु

भारत में छः ऋतुएँ क्रम से आती-जाती हैं। ऐसा सुन्दर ऋतु-चक्र संसार के किसी अन्य भू-भाग को प्राप्त नहीं। अन्य देश या तो ठंडे हैं या गर्म, किन्तु भारत में तो गर्मी भी प्रचण्ड पड़ती है और सर्दी भी अपना दौवन दिखाती है। वर्षा भी अपने आगमन से ताल-तल्लयो को भरकर नद-नदियों को जल प्रदान करती है। जिस प्रकार स्वाद की दृष्टि से मिष्ठान्न के पश्चात् नमकीन चाहिए, इसी प्रकार सर्दी के बाद गर्मी की आवश्यकता है।

वसन्त के पश्चात् ग्रीष्म का आगमन होता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु के महीने हैं। ग्रीष्म के प्रारम्भ होते ही वसन्त ऋतु में मन्द-मन्द चलने वाली पवन का स्थान साँय-साँय कर चलने वाली लू ले लेती है। हरियाली का गलीचा फटने लगता है। वसन्त के चैतन्य और स्फूर्ति का स्थान आलस्य और क्लान्ति ले लेती है।

ग्रीष्म तापमय लू की सपटों की दोपहरी :

झुलसाती किरणों की वर्षों की आ ठहरी ॥ (निराला)

गर्मी के दिन भी लम्बे होते हैं। भगवान् भास्कर रात्रि के अन्धकार को नष्ट करने के लिए जल्दी प्रकट हो जाते हैं और बहुत देर तक जाने का नाम भी नहीं लेते। उदय होते ही वे अपनी प्रचण्डता का आभास प्रथम रश्मि में दे देते हैं तथा दिन-भर परशुराम के समान क्रोधाग्नि बरसाकर, जन-जीवन को झुलसाकर साँय को अंधकार में लीन हो जाते हैं। ऊपर से साँय-साँय कर लू चलती है, नीचे सड़को का तारकोल पिघलकर चिप-चिप करता है। सीमेंट की सड़कें अंगारे बरसाती हैं। ग्राम के ऊबड़-खाबड़ भागों की मिट्टी नगे पैरों को तप्त करती है और रेत में चलने वालों को तो दादी-नानी याद आ जाती है। घर से निकलने को न नर-नारियो का मन करता है, न पशु-पक्षियों का और न जीव-जन्तुओं का।

गरमी से व्याकुल जन-जीवन,

त्राहि-त्राहि कर रहा पशु-धन ॥

मानव और पशु-पक्षी ही नहीं, ग्रीष्म की दुपहरी में तो छाया भी पनाह माँगती है। कविवर बिहारी इस तथ्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

बंठि रहो अति सघन बन, पैठि सदन तन माँह ।

देखु दुपहरी जेठ की, छाहीं चाहति छाँह ॥

ग्रीष्म का प्रकोप प्राणियों को इतना व्याकुल कर देता है कि उन्हें सुध-बुध भी नहीं रह जाती। प्राणी पारस्परिक राग-द्वेष भी भूल जाते हैं, परस्पर विरोधी स्वभाव वाले जन्तु एक-दूसरे के समीप पड़े रहते हैं, किन्तु उन्हें कोई खबर नहीं रहती। इस दृश्य को देखकर कविवर बिहारी ने कल्पना की कि ग्रीष्म ऋतु सारे ससार को एक तपोवन बना देती है। जिस प्रकार तपोवन में रहते हुए प्राणी ईर्ष्या-द्वेष से शून्य होते हैं, उसी प्रकार इस ऋतु में भी प्राणियों की स्थिति ऐसी ही हो जाती है। वे लिखते हैं—

कहलाने एकत बसत, अहि-मभूर मृग-बाघ ।

जगत तपोवन सों कियो, दीरघ दाघ-निदाघ ॥

प्यास और पसीना गर्मों के दो अभिशाप हैं। अभी-अभी पानी पिया है, किन्तु गला फिर भी सूखा का सूखा। सर-सरोवर सूख गए, नद-नदियों में जल की न्यूनता हो गई। परिणामतः पशु-पक्षी सूखे सरोवर को देखकर प्यास से व्याकुल हैं। नदियों में जलाभाव के कारण राजकीय नल भी तपती दुपहरी में अपना दिवाला निकाल देते हैं। प्रकृति भी प्यासी है और प्यास में उदास है। पसीने की कुछ न पूछिए। रूमाल से पोंछपे-पोंछते परेशान है। इधर रूमाल भी गीला होकर अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा है।

वैसे गर्मों के इस प्रकोप से अपने आपको बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाले हैं। साधारण आय वाले घरों में बिजली के पंखे चल रहे हैं, जो नर-नारियों की पसीने से रक्षा करते हैं। अमीरों के यहाँ खस की टट्टी और वातानुकूलन के यन्त्र लगे हैं। समर्थजन गर्मों से बचने के लिए पहाड़ी स्थानों पर चले जाते हैं और ज्येष्ठ की तपती दोपहरी पहाड़ की ठण्डी हवाओं में बिताते हैं। प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय हैं। बरफ तथा बरफ से बने पदार्थ ग्रीष्म के शत्रु और जनता के लिए वरदान हैं।

ग्रीष्म की धूप से बचने के लिए जन-साधारण अपना काम सुबह और शाम के समय करने का प्रयत्न करते हैं। अनेक सरकारी कार्यालय भी अपना समय

प्रातःकाल का कर लेते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश रहता है। यदि धूप में निकलना ही पड़े, तो फिर देखिए अद्भुत दृश्य। हैटधारी बाबू, रुमाल बांधे नव-युवक और मिर पर तोलिया या कपड़ा ओढ़े अघोड़ दिखाई देंगे। फंशनपरस्त नये-सिर नर-नारियों की विचित्र दशा अवर्णनीय है। सड़क पर चलते-चलते बेहोश होने वालों में इनकी सख्या ही अधिक हाती है।

फलों के बेताज बादशाह आम को जी भर कर खाइए और कच्चे दूध की लस्सी पीजिए। खरबूजा और तरबूज का आनन्द लूटिए और पीजिए शरबत, किन्तु भूल से भी पानी न पीजिए। ककड़ी और खीरे का रसास्वादन कीजिए, खीरे के विष का मर्दन करके। अनूचे, आलूबुखारे, भाड़ और फालसे को भी चखिए।

हाँ, गर्मी से बचिए किन्तु थोड़ा ध्यान रखकर। धूप में चलकर आए हैं, प्यास बहुत तेज है, सुरन्त पानी न पीजिए अन्यथा जुकाम हो जाएगा। बरफ व उससे मिश्रित वस्तुओं का उपयोग बहुत अधिक न कीजिए, वरना गला खराब हो जाएगा। तरबूज खाने के बाद पानी पीना हैजे को बुलावा देना है।

वस्तुतः गर्मी अनाज को पकाती है। आम और तरबूज में मिठास लाती है। यह ऋतु वर्षा की भूमिका है, जिसके अभाव में न जलवृष्टि होगी, न धरती फलेगी, न खेती होगी और जनता अकाल का प्रास बन जाएगी।

ग्रीष्म ऋतु उग्रता और भयकरता की प्रतीक है। यह हमें सन्देश देती है कि आवश्यकता पड़ने पर हमें भी उग्र रूप धारण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु प्राणियों को कष्ट महने की शक्ति भी प्रदान करती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा का आगमन इस तथ्य का संकेत है कि कष्ट के बाद ही सुख की प्राप्ति होती है, कठोर संघर्ष के पश्चात् ही शांति और उल्लास का आगमन होता है। अतः हमें धरती के समान ही ग्रीष्म की उग्रता को झेलना चाहिए। रहीम के शब्दों में—

जँसी परी सो सहि रहे, कह रहीम यह देह ।
धरती पर ही परत हैं, सीत छाँव अरु मेह ॥

ग्रीष्म ऋतु की दोपहर

ग्रीष्म ऋतु की दोपहर भगवान भास्कर के कोप का प्रचण्ड रूप है, प्राणिमात्र में उदासीनता और व्याकुलता की जनक है, आलस्य, थकावट और अकर्मण्यता के संचार का स्रोत है, कीटाणुओं की मृत्यु का सन्देशवाहक है और फलों के लिए प्राणपोषक पीयूष है।

ग्रीष्म वैसे ही जगती को संतप्त करती है, ऊपर से आ जाए उसकी दोपहर। एक करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। भगवान भास्कर पृथ्वी के सिर पर अवस्थित होकर तीक्ष्ण किरणों से वसुधा को तपा रहे है। असह्य तपन से वसुधा व्याकुल है, उसका हृदय फट रहा है, उसका सुदृढ तारकोलीय परिधान पिघल रहा है, नंगे चरण कोई उसे स्पर्श तो करके देखे। लगता है सूर्य की किरणें नहीं, प्रसाद जी के शब्दों में—

किरण नहीं, ये पावक के कण, जगती-तल पर गिरते हैं।

कष्ट एकाकी नहीं आता। सूर्य की प्रचंड गर्मी से पवन भी गर्म हो गई। उसने अग्नि में धूत का काम किया। वह चलने लगी, बहने लगी। उसका वेग बढ़ा। पवन का झोका लू में बदल गया। धूल उड़ने लगी। साय-साय कर वातावरण अपनी व्याकुलता व्यक्त करने लगा। विरहिणी वसुधा विरह-वेदना में उच्छ्वास ले रही है। प्रसाद का हृदय व्याकुल हो उठा—

स्त्रेद धूलि-कण धूप-लपट के साथ लिपटकर मिलते हैं।

जिनके तार व्योम से बंधकर ज्वाला ताप उगलते हैं ॥

'धूल उड़ाता प्रबल प्रभंजन' भी 'आतप-भीत विहंगम कुल का क्रन्दन' कर जब भास्कर से भयभीत हो सुरक्षा हेतु छाँह ढूँढने चला जाता है, शान्त हो जाता है, तो उमस उत्पन्न हो जाती है। प्राणियों की व्याकुलता बढ़ जाती है। विरह-वेदना से वसुधा संशाहीन हो जाती है और—

‘दिन के इस सुनसान प्रहर में दक-ती गई प्रगति जीवन की।’
(केदारनाथसिंह)

कविकर बिहारी का कहना है कि न केवल पवन ही छाँह बूँदने चला गया, अपितु छाँह भी छाँह की चाहत में निकल पड़ी—‘बेल, कुपहरी जेठ की छाँहीं चाहति छाँह।’ उसी स्थिति का चित्रण करते हुए सेनापति कहते हैं—

तपति धरनि, जग जरत, शरनि सी री,
छाँह को पकरि पंथि, पंछी बिरमत हैं।
सेनापति नंक कुपहरी के डरत, होत
धमका विषम, ज्यों न पात खरकत हैं।

ग्रीष्म की दोपहर में सचमुच जीवन की प्रगति अवरुद्ध हो गई, सड़कें सुनसान हो गई, नगरों का जन-कलरव मृत्यु की नीरवता में बदल गया, वाहन रुक गए, जो चल रहे थे, वे गन्तव्य पर पहुँचकर शान्त हो गए, पशु-पक्षी बाड़ों-घोंसलों में घुस गए। जो मार्ग में फँस गए, वे तरफ की छाया में बैठ गए। मानव का तो बाहर निकलते दम निकलता है। वह घर, कार्यालय, दुकान तथा सुरक्षित स्थान पर ठहर गया है। विवशतावश उसे निकलना ही पड़े, मूर्ख की चुनौती को स्वीकार करना ही पड़े, तो शरीर को अस्त्रों से सुसज्जित करके निकलेगा। तौलिया, रूमाल उसके अस्त्र होंगे। छाता उसका कवच होगा।

प्रकृति की हर चुनौती को मानव ने स्वीकारा और उसका मानमर्दन किया। ग्रीष्म की दोपहर को उसने पंखे से शान्त किया, कूलर से शीतल किया, उसखस से ठंडा बनाया। वातानुकूलित वाहनों से सफर को सुखद किया। वातानुकूलित पिकचर हॉल में बैठकर शीतलता का अनुभव करते हुए भरपूर मनोरंजन किया।

प्यास और पसीना ग्रीष्म की दोपहरी के दो अभिशाप हैं। मानव ने प्यास शान्त की शीतल जल, एरिपेटेड वाटर, शरबत, स्ववेश तथा जूस से; पसीने को सुखाया पंखे और कूलर से। विद्युत् के अभाव को हाथ के पंखे ने पूरा किया, शीतल-जल की पूर्ति की घड़े के पानी ने, बर्फ-युक्त जल ने। पधिक की प्यास मिटाई प्याऊ और पानी की रेहड़ियों ने। पधिक का पसीना उसका रूमाल पीने लगा।

ग्रीष्म ऋतु की दोपहर प्राणी-मात्र के लिए आलस्य-बर्दक है, उत्साहहीनता की जननी है, अकर्मण्यता की जनक है, उदासी की प्रेरक है, वैरभाव की नाशक

है, घृणा की विद्वयिका है। पेड़ की छाँह में, सड़क में किसी शेल्टर के नीचे (चाहे वह दिल्ली परिवहन का शैंड हो या किसी व्यापारिक संस्थान का बरामदा) मानव, गाय-बैल-भैंस, कुत्ते, गधे—सब एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। कविवर बिहारी तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए। वे साँप और मयूर एवं मृग और बाघ को इकट्ठा कर गए—

कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ ।

जगत तपोवन सो कियो, दीरघ बाघ निदाघ ॥

ग्रीष्म की दोपहरी प्राणियों को ही नहीं, प्रकृति को भी पीड़ादायिनी है। इस समय खेत-खलिहान मुरझा-जाते हैं। खड़ी फसल कुम्हला जाती है। घास सूख जाती है। पुष्पो का सौन्दर्य नष्ट होने लगता है। उनकी सुगन्ध तिरोहित होती जाती है। वृक्ष योगी सदृश दोपहर की तपिषा महते हैं। अपनी आत्मजा पत्तियों को पीले पड़ते देखते हैं। काल के कराल गाल में जाती जननी (पेड़ों) से विछुडती पत्तियाँ खड़-खड़ के शब्द से जननी को अन्तिम प्रणाम करती हैं।

ग्रीष्म की दोपहरी वसुधा, प्राणी और प्रकृति के लिए लाभप्रद भी है। घूप की तेजी अन्न और फसलों को पकाएगी। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, अलूचे, आड़ू, आलूबुखारे, फालसे पर रगत लाएगी। फलों के बेताज बादशाह आम को स्वास्थ्यलाभ के लिए प्रस्तुत करेगी। तेज घूप से मक्खी-मच्छर, कीड़े-मकोड़े भी नष्ट हो जाते हैं।

प्रभाकर की प्रचण्ड किरणों से व्याकुल हो हिम का हृदय पिघलेगा, पर्वत से अजस्र जलधारा वसुधा को तृप्त करने निकल पड़ेगी। नदियों की नग्नता ढकेगी, सर-सरोवरों को जीवन मिलेगा।

दिवाकर की दिव्य किरणें ऊर्जा का साधन बनेंगी। ऊर्जा के सकट को हल करने में सहायक होंगी।

ग्रीष्म की दोपहरी एक ओर प्राणी, वसुधा और प्रकृति को जीवन के सघर्ष-पूर्ण काल में, अपार कष्टों, विपत्तियों और दुःखों से आक्रान्त क्षणों में प्रसन्नबदन रहकर उनके निराकरण की सचेष्टता सिखाती है और दूसरी ओर यह भी बताती है कि जीवन का ययायं आनन्द इन कष्टों, विपत्तियों, ... फूट रहा है।

वर्षा ऋतु

भास्कर की प्रचण्ड किरणों से सतप्त होकर वसुंधरा के प्राणी प्राहि-प्राहि करने लगे। जल-हीन ताल-तालाब, नदी-नाले अपनी नग्नता का प्रदर्शन करने लगे। जीव-जन्तु, नर-नारी सभी ध्याबुल और विह्वल रहने लगे। किमान जब भावी अकाल के भय से चिन्तित रहने लगे, तब जगह-जगह इन्द्र देवता को प्रसन्न करने के लिए गीत गाए जाने लगे—

बरसो राम झड़ाके से, बुढ़िया भर गई फाके से।

× × ×

काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे।

इन्द्र देवता की नौद खुली। उन्हे ध्यान आ गया, वे चल पड़े पृथ्वी की प्यास बुझाने के लिए। भारतीय ऋतु-क्रम में श्रावण और भाद्रपद, ये दो मास वर्षा के होते हैं। इन दो मासों में वर्षा खूब होती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। वायुमंडल शीतल और सुखद हो उठता है। वातावरण की मधुरता और कोमलता के कारण वर्षा ऋतु को 'ऋतुओं की रानी' कहा जाता है।

वर्षा काल मेघ नभ छाये। गरजत लागत परम मुहाये ॥

दामिनी दमक रही घन माही। लल की प्रीति यया बिर नाहीं ॥

जन-जीवन में उल्लास छा गया। नव-यौवना नारियाँ कोकिल-कण्ठों से मल्लार गाने लगी। पेड़ों पर झूला डालकर युवतियाँ ओर किशोरियाँ पेगें भरने लगी। नग्न और अर्ध-नग्न बच्चे सड़कों पर वर्षा का आनन्द लेने लगे।

युवक-युवतियों की टोलियाँ पिकनिक पर निकल चली; बूढ़ों के चेहरों पर रौनक आ गई। नर-नारियाँ या बच्चे और आधुनिकाएँ काले-काले या रंग-बिरंगे छते लिए या रगबिरंगी बरसाती पहने अत्यन्त शोभायमान लगते हैं।

कृषक प्रसन्नता से झूम उठते हैं। वे खेत जोतने, उनमें खाद देने और पानी भरने में लग जाते हैं, क्योंकि—

पानी बरसे, बह ना पावे । तब खेती भी मजा दिखावे ।

प्यासा पपीहा 'पीऊ-पीऊ' पुकार उठा । उसकी प्यास शान्त हुई । मोर पख फैला-फैला कर नाचने लगे ; वगुलो की पवित्र आकाश में विचरने लगी ; मेंढक टरने लगे । मछलियाँ खुशी से जल में डुबकी लगाने लगी । केंचुए जल में चलते-फिरते दिखाई देने लगे ; रात्रि में जुगनू चमकने लगे ; साँप, विच्छू, मक्खी-मच्छर भी संर को निकल पड़े ।

भास्कर की क्रोधाग्नि से त्राण पाकर, पृथ्वी शान्त और शीतल हुई । मकान, सड़के, पेड़-झुले-मे नजर आने लगे । सर-सरोवर जल से भर गए । नदियाँ इतराती-इठलाती. किनारे की भूमि काटती, दूर-दूर तक आगे बढ़कर बिछड़ी हुई सहेलियों से गले मिल रही है । वसुधा हरी-भरी हो उठी । पीली पट्टी पत्तियों और मुरझाए पेड़ों पर हरियाली छा गई । उपवन में पुष्प विकसित होने लगे । कुजों में लताएँ एक-दूसरे से आलिंगन-बद्ध होने लगी । वर्षा के विशिष्ट फल आम में मिठास आई ।

यह है वर्षा, जो आँख-मिचौनी खेला करती है । इसके आगमन और गमन के पूर्वाभास में मौसम-विशेषज्ञ भी धोखा खा जाते हैं । बेचारी 'आकाशवाणी' अविश्वसनीय सिद्ध हो जाती है । अभी-अभी वादल उमड़-धुमड़ कर आए और 'जो गरजते हैं, वे बरसने नहीं' के अनुसार विन बरसे चले गए । कभी-कभी आकाश साफ होता है और अकस्मात् ही इन्द्र देवता बरस पड़ते हैं । थोड़ी देर बाद वर्षा रुकने की सम्भावना होती है, पर 'शनीचर की झंडी, न कोठी न कडी' बन जाती है ।

वर्षा होगी तो खेती फले-फूलेगी । अकाल नहीं पड़ेगा । अनाज महंगा नहीं होगा । सर-सरोवर और नद-नदियाँ जल से भरपूर हो जाएँगी, जो सम्पूर्ण वर्ष जीवधारियों की प्यास शान्त रखेंगी । कूप और जोहड़ में एकत्रित जल खेती के सिंचन में यथासम्भव काम आएगा । जलवायु पवित्र होगी, पृथ्वी का कूड़ा-कचरा धुल जाएगा, चातक की प्यास बुझ जाएगी ।

वर्षा से अनेक हानियाँ भी हैं । सड़कों पर और झोपडियों में जीवन व्यतीत करने वाले लोग भीगे वस्त्रों में अपना समय गुजारते हैं । उनका उठना-बैठना, सोना-आगना, खाना-पीना दुश्वार हो जाता है । वर्षा से मच्छरों का प्रकोप होता है, जो अपने दंश से मानव को बिना मर्गि मलेरिया दान कर जाते हैं । इन

दिनों पाचन-क्रिया शिथिल होती है, अतः बुखार, टाइफाइड का जोर होता है। फुंसियाँ-फोडे इस ऋतु की सौगात हैं, जिससे बहुत कम लोग बच पाते हैं।

अतिवृष्टि विनाश का कारण भी होती है। गाँव के गाँव जलमग्न हो जाते हैं। पशु बह जाते हैं। जीवन भर की कमाई नष्ट हो जाती है और मानव अपनी तथा अपने बच्चों की जान बचाकर सुरक्षित स्थान में आश्रय ढूँढ़ता है। सड़कें जलमग्न हो जाती हैं; रेल की पटरी और पुल टूट जाने हैं, यातायात स्थगित हो जाता है। मकान गिर जाते हैं और निरीह प्राणी घायल हो जाते हैं या मर कर परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं।

वर्षा-ऋतु में जनता को सावधान रहना चाहिए। भोजन कम करना चाहिए। अपच्य और दुष्पच्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मच्छरों के निवास-स्थल गड्ढों को नष्ट कर देना चाहिए। घरों में डी० डी० टी० छिड़कवा देनी चाहिए। नीम की कोपलें या किसी रक्त-शोधक औषधि का सेवन विशेष उपयोगी होता है।

निश्चित ही वर्षा अत्यन्त उपयोगी, सुहावनी एवं प्राणदायिनी ऋतु है। यह किसान की प्राण है, चातक की तृप्ति है और है प्राणिमात्र के जीवन का आधार।

सर्दी का मौसम

(दिल्ली १९५२ : 'बी')—

'वर्षा विगत शरद ऋतु आई।' 'फूले कास सकल महि छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई।' आकाश निर्मल और स्वच्छ हुआ। रात्रि में सुधाकर अमृत की वर्षा करने लगा। मन्द-मन्द शीतल पवन चलने लगी। वर्षा की बौछारों से, कीट-पतंगों की भरमार से तथा वर्षा-व्याधि की सौगात से प्राणी को छुटकारा मिला। उसका हृदय शरद्-स्वागत के लिए झूम उठा।

भारतीय ऋतु-मान्यता की दृष्टि से आश्विन और कार्तिक शरद् ऋतु के मास हैं। वस्तुतः शरद् काल के चार मास होते हैं—आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष अर्थात् नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी।

शरद् ऋतु के आगमन तक वर्षा की मेघ-मालाएँ लुप्त हो गईं। दुर्गन्ध और कीचड़ का अन्त हो गया। वातावरण की घुमस और घुटन समाप्त हो गईं। 'पंक न रेनु, सोहू अस धरती'। भवखी-मच्छर दिखाई नहीं देते। स्वच्छ और निर्मल आकाश मण्डल चमकने लगा। चाँदनी का रूप निखर गया। नदी-तट पर काँस विकसित हो गए। सर्वत्र स्वच्छता और शांति का साम्राज्य छा गया।

शरद् ऋतु का प्रभाव शनैः-शनैः प्रकट हुआ। शीत का मौसम आया। हड्डियों को स्पर्श करती ठिठुराने वाली शीतल पवन चलने लगी। घास पर फैली हुई मोतियों जैसी ओस की बूंदें चमकने लगी। रात लम्बी और दिन छोटे होने लगे।

महाकवि जायसी ने शरद् का मनोहारी वर्णन किया है—

आई शरद रितु अधिक प्यारी ।
नौ कुवार कार्तिक उजियारी ।
पद्मावति में पुनिवें कला ।

× × ×

सोरह करा सिंगार बनावा ॥

[अत्यन्त प्यारी शरद ऋतु आई, नवरात्र युक्त कार्तिक प्रकट हुआ। नायिका (पद्मावती) शरत्कालीन पूर्णिमा की कला की भाँति खिल उठी। उसने सोलह शृंगार किए।]

जनजीवन में जिन्दगी का संचार हुआ। हृदय प्रकृति-नटी के साथ प्रसन्न हो उठा। नर-नारी, युवा-युवती, बाल-वृद्ध सबके चेहरों पर रौनक आई। काम में मन लगा। उत्साह का संचार हुआ। प्रेरणा उदित हुई।

आयुर्वेद की दृष्टि से शरद् में पित्त का संचय और हेमन्त में प्रकोप होता है। अतः पित्त के उपद्रव से बचने के लिए शरत्काल में पित्तकारक पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। दूम्ने शरत्काल में ही गरिष्ठ और पीष्टिक भोजन का आनन्द है। जो खाया, सो पच गया—रक्त बन गया। स्वास्थ्यवर्धन की दृष्टि से यह सर्वोत्तम काल है। आयुर्वेद-विज्ञान में स्वास्थ्यवर्धक स्वर्णभस्म युक्त औषधियों के सेवन का विधान इन्हीं चार मास में है।

ड्राई-फ्रूट इस मौसम का मेवा है। सेब, केला, चीकू, बगूबोसा आदि इस काल के मौसमी फल हैं। काजू की बरपी, भूंग की दाल का हलवा, पिन्नी तथा सोहनहलवे की टिकिया इस मौसम के चहेते मिष्ठान्न है। चाय-काँफी शरद् की सर्दों को चुनौती देने वाले प्रकृति के वरदान पेय हैं। ब्राडी का सेवन शीत को भयभीत करने का चरणामृत है।

हिन्दू पर्वों की दृष्टि में शरत्काल विशेष महत्त्वपूर्ण है। शारदी-पूर्णिमा के पवित्र, आनन्दवर्धक त्यौहार में शरद्-पर्व प्रारम्भ हुए। शारदी पूर्णिमा पर चन्द्रमा की किरणें सुधारम बरमाती है। सम्पूर्ण धरा शुभ्र चाँदनी में स्नात हो जाती है। खीर बनाकर पूर्णिमा की ज्योत्स्ना में रखकर रात्रि के अन्तिम पहर में खाई जाती है। शरत्पूर्णिमा की चाँदनी में नौका-बिहार का आनन्द लूटने की उमंग उठती है। इस रात्रि को ताजमहल की शोभा विशेष दर्शनीय होती है। ताजमहल का एक-एक नग शुभ्र चाँदनी में चमत्कृत हो उठता है। नवरात्र आए। विधिविधान से दुर्गा-पूजा की गई। नवरात्र संयमित जीवन का संदेश दे गए। तत्पश्चात् दशहरा आया—शस्त्रपूजन का दिन, मर्यादापालन का सूचक पर्व, आसुरी वृत्ति पर देवत्व की विजय का प्रतीक। 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' का महापर्व दीपावली कार्तिक की अमावस्या को अवतरित हुई। लक्ष्मीपूजन का त्यौहार। भगवती लक्ष्मी चैतावनो दे गई, 'जिसकी स्वामिनी बनती हूँ उसको उलूक बनाती हूँ,

जिसकी सखी बनती हूँ, वह कुबेर बन जाता है, जिसकी दासी बनती हूँ, वह स्वयं श्री लक्ष्मी-निवास अर्थात् भगवान बन जाता है।'

ईसाई पर्वों में क्रिममम (बड़ा दिन : २५ दिसम्बर) तथा 'नववर्ष' (प्रथम जनवरी) भी इस मौसम को मुशोभित करते हैं। राष्ट्रीय पर्वों में 'गणतंत्र दिवस' (२६ जनवरी) जन-जीवन को उल्लसित करता है। गणतन्त्र-दिवस की विशाल और भव्य परेड राष्ट्रवासियों को लोकतन्त्र का स्मरण करा जाती है।

वैज्ञानिक दृष्टि से शरद् का बहुत महत्त्व है। वर्षा के बाद घर की सफाई लिपाई-मुताई की परम्परा है। वर्ष भर के कूड़े-करकट को निकाला जाता है। घर की प्राचीरों को रंग-रोगन से चमत्कृत किया जाता है। दूकानों और व्यापारिक संस्थानों की सफाई का विधान है। गदगी रोग का घर है। माफ-सुधरा घर स्वास्थ्यवर्धन का आधारभूत सिद्धान्त है।

सर्दी आई। मंद-मंद शीतल पवन चलने लगी। शरीर पर रग-बिरने स्वेटर चमकने लगे। चप्पलों का स्थान जुराब-जूतों ने ले लिया। खेस की जगह कम्बल आ गया।

सर्दी में जोश आया। वह उत्तरोत्तर अपना भीषण रूप प्रकट करने लगी। शीतल पवन तेज हुई। मनुष्य सूटेड-बूटेड हुआ। गर्म वस्त्र धारण करने लगा। ऊनी चद्दर और कम्बल शरीर को मुशोभित करने लगे। रुई के गद्दे और रजाई-सौड़ उसके शयन-सुख के साथी बने। कमरों में हीटर लग गए, अँगोठी सुलग गई। सर्दी की ठंड को वैज्ञानिक आविष्कारों ने दूर कर दिया।

मानव मन में अकुलाहट आई। वह अधिक ठंड में काम से जी चुराने लगा। आलस्य ने उसे घेर लिया। प्रमाद ने उसे धर दबाया। वह सौड़ में लेटे-लेटे भगवान् भास्कर को नमस्कार करके कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करने लगा किन्तु वह भूल गया कि 'श्रीष्मकाले दिन दीर्घ, शीतकाले तु शर्वरी।'

शीतकाल की ठंडी तेज हवाओ को शांत करती है वर्षा। 'प्रजा भाग जो बरस कुवार'। कारण शरद्-ऋतु में मेघ गरजता है, पर बरसता नहीं। शरत्कालीन वर्षा न केवल तीर जंसी चुभती हुई हवा से बचाएगी, अपितु पृथ्वी की हरियाली को द्विगुणित करके, खेती की उपज बढ़ाएगी; गेहूँ, गन्ने को बढ़ाएगी।

शरद् ऋतु-क्रम का स्वर्णिम काल है। इसमें वस्त्राधान का आनन्द है, विभिन्न पदार्थों के खाने-पीने और पचाने की मस्ती है, कार्य करने का उल्लास है, चेहरों पर उमंग है और है जीवन जीने के लिए प्रेरणा और स्फूर्ति। □

त्यौहारों का महत्त्व

(दिल्ली १९७७ : 'ए')

त्यौहार सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। जन-जीवन में जागृति के प्रेरक हैं। समष्टिगत जीवन में राष्ट्र की आशा, आकांक्षा, उत्साह एवं उमंगों के प्रदाता हैं, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के द्योतक हैं। त्यौहारों की ही वह प्रतापी प्रथा है, जिसने भारत को मानव भूमि से भी अधिक देवभूमि बना दिया है।

दक्षिण का ओणम, उत्तर का दशहरा, पूर्व की पूजा और पश्चिम का महारास, जिस समय एक-दूसरे से गले मिलते हैं, तब भारतीय तो अलग, पर-देशियों तक के हृदय-शतदल एक ही झोके में खिल-खिल जाते हैं। इसमें अगर कहीं से बैसाखी के भगडा का स्वर मिल जाए या राजस्थान की पानिहारी की रुक घुल जाए तो कहना ही क्या, भीलो का भगेरिया और गुजरात का गरबा अपने आप में लाख-लाख इन्द्र-धनुषों की अलहड़ता के साथ होड़ लेने की क्षमता रखते हैं।

कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक विस्तृत इस पुण्य भूमि भारत का जन-जन जब होली, दशहरा और दीपावली मनाता है—होली का हुडदंग मचाता है, दशहरा के रावण को जलाता है और दीपावली की पक्तियों से घर, आंगन, द्वार में जगमगाहट करता है,—तब वह राजनीति-निर्मित उत्तर और दक्षिण का अन्तर समाप्त कर भारत की एकता का उद्घोष ही कर रहा होता है।

मनुष्य के सृजन से प्रकृति सजोव हो गई। प्रकृति ने सगिनी बनकर सहारा दिया और सखि बनकर जीवन। प्रमग्न मानव ने धरती में बीज डाला। वर्षा ने उसे सींचा, सूर्य की गर्मी ने उसे पकाया। जल और सूर्य उसके आराध्य बन गए। श्रम के पुरस्कार में जब खेती लहराई तो मानव का हृदय खिल उठा, उसके चरण थिरक उठे, बाणी मुखर हो गई। सगीत-स्रोत फूट पड़े। बाणी ने उस आराध्य

की वन्दना की, जिसने उसे सहारा दिया था। सभ्यता के विकास में मन की उमंग और प्रभु के प्रति आभार प्रकट करने के लिए यह अभ्यर्थना और नृत्य-संगीत ही उसका माध्यम बने। यह वही परम्परा तो है, जो त्यौहारों के रूप में आज भी मुखरित है, जीवन्त है।

महाकवि इकबाल की जिज्ञासा, 'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी' का समाधान हमारे पर्व और त्यौहार ही हैं। सतयुग से चली आती त्यौहार-परम्परा, द्वापर और त्रेता युग को पार कर कलियुग में भी भारतीय सस्कृति और सभ्यता की ध्वजा फहरा रही है। 'प्रत्येक आने वाले युग ने धीरे-धीरे युग को अपनाया और त्यौहारों की माला में गूँथकर रख दिया। इस माला के फूल कभी सूखे नहीं, क्योंकि हर आने वाली पीढ़ी ने न सिर्फ़ उन फूलों को सहेज कर रखा, वरन् उनमें नए फूलों की वृद्धि भी की। और ये त्यौहार भारतीय संस्कृति और सभ्यता के दर्पण बन गए।

भारत पर्व और त्यौहारों का राष्ट्र है। वर्ष के ३६५ दिन भारत के किसी-न-किसी भू-भाग में कोई न कोई पर्व या त्यौहार मनाया ही जाता है। 'जयन्तियाँ, पुण्यतिथियाँ और स्मृतियाँ सब हमारे यहाँ पर्व हो गईं। दशावतार, चौबीस भगवान्, चौबीस तीर्थंकर, सात सरोवर, तीन महासागर तेतीस कोटि देवता, अष्ट गंगा, चारह ज्योतिर्लिंग, चौसठ जोगनियाँ, ५६ भ्रंश और दो नवरात्रियाँ' इन्द्रधनुषी त्यौहारों के माध्यम बने। सभ्यता और सस्कृति के प्रहरी बने।

भारत के राष्ट्रीय स्तर के जातीय त्यौहारों में होली, रक्षाबन्धन, दशहरा और दीपावली है। राष्ट्रीय राजनीतिक त्यौहारों में स्वतंत्रता-दिवस (१५ अगस्त) और गणतन्त्र-दिवस (२६ जनवरी) की प्रधानता है। धार्मिक दृष्टि से शिवरात्रि, कृष्ण-जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि, दुर्गापूजा आदि प्रमुख पर्व हैं। जैन समाज महावीर-जयन्ती, बौद्ध समाज बुद्ध-जयन्ती तथा सिख समाज गुरु नानकदेव-जयन्ती पर्व विशेष उत्साह से मनाता है। कुछ त्यौहार प्रांत-विशेष में भिन्न नामों से मनाए जाते हैं। जैसे—चैती, पंजाब की बैसाखी और तमिलनाडु का पोंगल, केरल का ओणम नव वर्षारम्भ के त्यौहार है। श्रावण मास की हृग्याली तीज और गणेश प्रतिष्ठा प्रांतीय पर्व है। पंजाब की लोड़ी, उत्तर भारत की मकर-

संक्रांति, महाराष्ट्र की गणेश-चतुर्थी एवं बंगाल की दुर्गापूजा भी प्रांतीय त्यौहार हैं।

यह ठीक है कि राष्ट्रीय पर्वों के स्वरूप और मनाने के ढंग में समय और परिस्थियों के अनुसार परिवर्तन आ गया है। जैसे श्रावणी की दुर्लभ और आदरणीय 'रक्षा-पोटलिका' का स्थान बाजारू राखी ने ले लिया। दीपावली के नेत्र-सुखद तेल-दीपों का स्थान बिजली के बल्बों ने ले लिया। 'नवान्नेष्टि यज्ञ' होली बना, जिसमें वेद-मन्त्रों का स्थान अश्लील और असभ्य वचनों ने ले लिया।

फिर भी, त्यौहार अनेक गुणों से गुम्फित हैं, जिनसे हमारे आयु, आरोग्य, आदर, सम्मान, धर्म, कर्म, सम्पत्ति, सुख, सौभाग्यादि स्वतः ही बढ़ते हैं। इस दृष्टि से भी त्यौहारों का अपना महत्त्व है।

भारत के त्यौहार

भारत के त्यौहार देश की सभ्यता और संस्कृति के दर्पण हैं, जीवन के शृंगार हैं, राष्ट्रीय उल्लास उमंग और उत्साह के प्राण हैं; विभिन्नता की इन्द्रधनुषी आभा में एकरूपता और अखंडता के प्रतीक हैं।

जब-जब प्रकृति-मुन्दरी ने सोलह शृंगार कर रूप निखारा, रंग-बिरंगे फूलों की चूनर ओढी, खेत-खलियानों की हरीतिमा से अपना आवरण रंगा या चाँद-तारो की बिदिया सजाई, माँग में बालअरुण की लालिमा भरी, इन्द्रधनुष की भीड़ें तान, काली घटा का अंजन आँजा और विराट् को लुभाने चली, तब-तब धरती मुग्ध हो झूम उठी, धरती-पुत्र कृतकृत्य, मद-मस्त हुआ। वह मस्ती में नाचने-गाने लगा। प्रकृति का बदलता सौन्दर्य मानव-मन में उमड़ती उमंग और उल्लास के रूप में प्रकट होकर पर्व और त्यौहार कहलाया।

भारत त्यौहारों का समुद्र है। पंचांग खोलकर देखिए हर दिन त्यौहार है, हर दिन मेला है। हर पर्व पर पूजा-याठ है, मौज-मस्ती है। वसन्त की मुस्कराहट 'होली', बहन-भाई के शाश्वत प्रेम का प्रतीक 'रक्षा-बंधन', विजय की प्रेरक 'विजयदशमी' तथा तमसो मा ज्योतिर्गमय का ज्वलन्त रूप 'दीपावली' राष्ट्रीय पर्व बने। 'रामनवमी', 'जन्माष्टमी' तथा 'नवरात्र' ने क्रमशः भर्षादा पुरुषोत्तम राम, चौंसठ कलाविद् कृष्ण एवं दुखमोचिनी माँ दुर्गा की पूजा का विधान किया, तो 'शिवरात्रि' पर भगवान 'शिव' की पूजा-अर्चना हुई। 'मकर-संक्रान्ति' 'बैसाखी' तथा 'गंगा-दशहरा' ऋतु-परिवर्तन के संदेशवाहक त्यौहार बने।

राष्ट्र के इतिहास ने करवट बदली। भारत में पराधीनता की रात्रि समाप्त हुई। १५ अगस्त 'स्वतन्त्रता-दिवस' बना, तो २६ जनवरी 'गणतन्त्र दिवस' कहलाई। इन राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्र उमंग से झूम उठा। इनमें आकर जुड़ा २ अक्टूबर, इस युग के महान् नेता विश्वबंध महात्मा गाँधी का जन्म-दिवस। 'गाँधी-जयन्ती'

राष्ट्रीय पर्व बन गई। संवैधानिक दिन १४ सितम्बर 'हिन्दी दिवस' बना। हिन्दी-प्रेमियों का त्यौहार 'हिन्दी मेले' में परिवर्तित हुआ। माँ भारती को और अधिक श्रृंगारित करने का पर्व।

तमिलनाडु का 'पोगल' जनवरी में सहलहाती फसल के घर आने पर प्रभु को भोग लगाने और गऊ-बैलों की पूजा करने का पर्व है। केरल की शस्यश्यामला पुष्पाच्छादित भूमि पर श्रावण मास में आनन्दोपभोग का त्यौहार है 'ओणम'। आश्विन सुदी सप्तमी से दशमी (विजयदशमी) तक बंगाल के नर-नारी 'दुर्गा-पूजा' में मस्त हो गए। उड़ीसा में जगन्नाथजी की 'रथयात्रा' भारत का सर्वसमृद्ध और विश्वप्रसिद्ध समारोह बना। प्रकृति का सदावहारी आँचल ओढ़े कर्नाटक की भूमि ने विश्वविख्यात दशहरे की घूम-घाम के अतिरिक्त दो प्रसिद्ध त्यौहारों का आयोजन किया—'गौरी-पूजा' और 'गणेश चतुर्थी'। बिहार में शिव-भक्तों द्वारा काँवर कंधे पर रख बैजनाथ धाम पहुँचकर शिवजी पर जल चढ़ाना वहाँ का महत्त्वपूर्ण त्यौहार है। असम में 'बिहू' पर्व की रंग-बिरंगी मस्ती लोक-संगीत और नृत्य में फूटी और नागाओं ने फसल पकने पर 'मो आत्सु' मनाया। उधर शतावरी फूलती है, इधर यौवन मजता है। इधर कोयल कूकती है, उधर कामना नाचती है। मेघालय की जैन्तिया पहाड़ियों का 'बेहदीन्खलम' त्यौहार प्लेग भगाने के पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है। पंजाब की 'बैसाखी' मस्ती भरे भँगड़े पर जब नाचती है, तो पंजाब जीवन्त हो उठता है। राजस्थान का 'गणगौर' और 'हरियाली तीज' का अपना ही उन्माद है। आंध्र का महान पर्व है 'उगादि' (युगादि अर्थात् युग का आरम्भ)। इस पर्व पर पचादि चटनी का भोग तथा पत्रागश्रवण मुख्य कर्म है। महाराष्ट्र में 'गणेश-उत्सव' श्रद्धा और उल्लास में मनाया जाता है।

'मिटी घुघ जग चानण होया' उक्ति के मूर्तरूप गुरु नानक तथा खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविन्दसिंह का जन्मदिवस सिक्खों के महान पर्व हैं। पाँचवे गुरु अर्जुनदेव तथा नवे गुरु तेगबहादुर के बलिदान-दिवस सिक्खों के पवित्र त्यौहार बने। गुम्बारों में भजन-कीर्तन, प्रसाद-वितरण तथा लंगर लगाने के अतिरिक्त इन त्यौहारों पर जलूम आदि का आयोजन पूजा तथा श्रद्धा-अर्पण की विधि है।

जैन धर्म के पवित्र पर्वों में 'महावीर जयन्ती' तथा 'पर्युपण' विशेष उल्लेखनीय हैं। 'महावीर जयन्ती' जैनो के अग्निम तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चैत्रशुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। 'पर्युपण' उपासना का पर्व

है। यह दस दिवसीय पर्व है। आत्मशोध द्वारा दस गुण जागृत करने का त्यौहार है।

मुसलमानों के दो प्रसिद्ध त्यौहार 'ईद-उल-फितर' अथवा 'सेवई ईद' और 'ईद-उल-जुहा' अथवा 'बकरीद' हैं, जो बेअन्त खुशियों और मसरतों के प्रदाता हैं। मुसलमानों के अन्य त्यौहार हैं—मुहर्रम, शबे-बरात तथा ईद मिला-दुअन्नवी (हजरत मोहम्मद का जन्म दिन)।

ईसाई-पर्वों में 'क्रिसमस' और 'ईस्टर' दो प्रमुख त्यौहार हैं। क्रिसमस २५ दिसम्बर को मनाया जाता है। यह दिन ईसाई धर्म के मसीहा तथा शांतिदूत यीशु मसीह का जन्मदिन है। ईस्टर प्रभु ईसा के जन्म से फाँसी चढ़ाए जाने तक का आठ दिवसीय पर्व है। 'गुड फ्राइडे' ईस्टर का एक अंग है। इस दिन ईसा को फाँसी पर चढ़ाया गया था।

कहाँ तक गिनाए जाएँ भारत के त्यौहार। भारत भगवान के रूपों, देवी-देवताओं तथा महापुरुषों का भंडार है तथा विविधता और रंगीनी से परिपूर्ण है। दशावतार, चौबीस तीर्थंकर, तेतीस करोड़ देवता, चौसठ जोगनियाँ, छप्पन भैरव, छप्पन करोड़ महापुरुष सबकी जयन्ती और पुण्यतिथियाँ स्थान-स्थान पर पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। ये सभी त्यौहार वर्ष के ३६५ दिनों में मनाए जाते हैं। इसलिए साल का हर दिन पर्व है, पूजा-अर्चना का त्यौहार है, उत्साह, उमंग और उल्लास का इन्द्र-धनुष है।

होली

होली हँसी-खुशी का पर्व है, नाचते-गाने का त्यौहार है, व्यंग्य और विनोद का उत्सव है और गले मिलने का दिन है। निश्चित ही यह जीवन के दुःख, कष्ट, निराशा, चिन्ता, रोग, पीड़ा—सबको भूलकर आनन्द के सागर में डुबा देने वाला त्यौहार है।

होली सर्दी के जाने और गर्मी के आने का सूचक पर्व है। प्रकृति में वसन्त के यौवन का चिह्न है। पृथ्वी पर हरियाली, फूलों की रंगीनी और सुगन्धि का परिचायक है।

रग-भरी होली जीवन की रंगीनी प्रकट करती है। मुँह पर अबीर-गुलाल, चन्दन या रग लगाते हुए गले मिलने में जो मजा आता है, मुँह को काला-पीला रंगने में जो उल्लास होता है, रंग की भरी बाल्टी-एक-दूसरे पर फेंकने में जो उमंग होती है, निशाना साधकर पानी-भरा गुब्बारा मारने में जो शरारत की जाती है, वे सब जीवन की सजीवता प्रकट करते हैं।

फाल्गुन पूर्णिमा मधु ऋतु का चरम उत्कर्ष-काल है। इसी दिन होली का त्यौहार आता है। आर्य-संस्कृति के अनुसार देवता को बिना भोग लगाए कोई वस्तु उपयोग में नहीं लाई जाती। यह समय हरी-भरी फसल काटने का है। इस नवान्न को देवता को समर्पित करने के लिए 'नवान्नेष्टि' का विधान है अर्थात् नए अन्न की आहुति अग्नि में डालते हैं। संस्कृत में भुने हुए अन्न को 'होलक' और हिन्दी में 'होला' कहते हैं। इसी आधार पर इस पर्व का नाम होली पडा।

भारत के चार प्रमुख त्यौहारों में होली का अपना एक विशेष स्थान है। ईसाई पर्वों में जो महत्त्व त्रिमस का है और यवन-पर्वों में जो स्थान ईद का है, हिन्दू पर्वों में वही स्थान होली का है। रंग-गुलाल-भरी होली कहती है—वर्ष-भर जो हो ली, सो हो ली, अब नवीन उत्साह और प्रेम से नये वर्ष का स्वागत करें। पिछली बातों को भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाएँ। यही इस पर्व का सदेश है।

मानवीय अनुराग और वैदिक प्रेम के सम्मिलन को होली कहते हैं। आत्मा के मधुरतम और प्रियतम भाव को अनुभव किए 'बर्गर' होली-पर्व में प्रकट होने

वाले अनुराग को, जो मानव-हृदय में सहस्रों धाराओं में फूट पड़ता है, अनुभव नहीं किया जा सकता।

होली ऋतु-सम्बन्धी पर्व है। यह शिशिर की समाप्ति और ग्रीष्म के आगमन का सूचक है। प्रकृति में चहुँ ओर हर्ष और उल्लास छाया हुआ है। वसन्त भी अपने यौवन पर है। वृक्षों पर नए पत्ते आ गए हैं। फूलों की मन्द सुगन्ध से युक्त पवन बह रही है।

भारत कृषि-प्रधान देश है। अतः इस पर्व का सांस्कृतिक महत्त्व भी है। इस समय पकी हुई फसल काटी जाती है। अपने हरे खेतों को देखकर किसान का मन फूला नहीं समाता। वह खूब नाचता और गाता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से इस पर्व का सम्बन्ध प्रह्लाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। प्रह्लाद के पिता हिरण्यकश्यप नास्तिक थे और वे नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में कोई ईश्वर की पूजा करे। स्वयं उनका पुत्र ईश्वर-भक्त था। अनेक कष्ट दिए जाने के बाद भी जब उसने ईश्वर-भक्ति नहीं छोड़ी, तब उसके पिता ने अपनी बहिन होलिका को प्रह्लाद के साथ आग में बैठने को कहा। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। अग्नि के एक ढेर में होलिका प्रह्लाद को लेकर बैठी। परिणाम उल्टा निकला। होलिका जल गई और प्रह्लाद सुरक्षित बाहर आ गया।

कुछ लोग इस उत्सव को भगवान् कृष्ण से सम्बद्ध करते हैं। उनका कहना है कि भगवान् कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध इसी दिन किया था। इस हर्ष के समय उन्होंने गोपी और गोपिकाओं के साथ रासलीला और रंग खेलने का उत्सव मनाया था।

यह पर्व फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन आता है। इस दिन लोग घरों से लकड़ियाँ इकट्ठी करने हैं। अपने-अपने मुहल्ले में अलग-अलग होली जलाते हैं। होली जलने से पूर्व स्त्रियाँ लकड़ी के ढेर को उरलों का हार पहनाती हैं, उसकी पूजा करती हैं और रात्रि को उसमें आग लगा दी जाती है। लोग होली के चारों ओर खूब नाचते और गाते हैं तथा होली की आग में नई फल के अनाज की बाल को भून कर खाते हैं।

होली से अगला दिन धुलेंडी का होता है। उस दिन प्रातःकाल से दोपहर तक फाग खेला जाता है। इस फाग में नर-नारी, बच्चे-बूढ़े सभी भाग लेते हैं। एक-दूसरे के मुँह पर अरीर-गुलाल मलना और रंगभरी पिचकारी छोड़ना इस दिन का विशेष मनोरंजन है। सड़कों पर टोलियाँ गानी, नाचती, गुलाल मलती और रंगभरी पिचकारी छोड़ती हुई नजर आती हैं। इस उत्सव में छोटे-बड़े का,

ऊँच-नीच का, राजा-रक का अन्तर समाप्त हो जाता है। प्रेम से सब एक-दूसरे के गले मिलते हैं और गुलाल लगाते हैं। कहीं ढफ, ढोल और मृदंग बज रहे हैं; कहीं कोई 'मेरा रंग दे बसन्ती चोला' का वीर-बैन उचार रहे हैं; कहीं मस्ती में राजस्थानी गीत गाए जा रहे हैं।

पारिवारिक होली के अपने ही रंग हैं। देवर-भाभी की होली, पति-पत्नी की होली, भाभी-ननदों की होली, सलहज-ननदों की होली में एक-दूसरे को अधिक रंगने की होड़, एक-दूसरे को अधिक भिगोने का चैलेन्ज देघते ही बनता है। छुपौल्लास का वातावरण देख पड़ोसी ठगे-से रह जाते हैं।

कवि पद्माकर ने पाग का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है—

पाग के भीर अभीरन में गहि गोविन्द लं गई भीतर गोरी।

भाइ करी मन की पद्माकर ऊपर नाइ अबोर की शोरी।

छोन पितम्बर फगमर तें सु विदा दई मोड़ि कपोलन रोरि।

नैन नचाइ कही मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी ॥

लगभग दो बजे दोपहर तक यह होली रोलना समाप्त हो जाता है। उसके बाद सब लोग शरीर को खूब रगड़कर नहाते हैं, ताकि शरीर पर फँका गया रंग उत्तर जाए। सायकाल को नए-नए वस्त्र पहनकर लोग मेला देखने जाते हैं। कई स्थानों पर सायकाल को नृत्य का आयोजन होता है। बड़े-बड़े नगरों में अब हास्य-रस के 'कवि-सम्मेलन' करने की प्रथा भी चल पड़ी है। इन कवि-सम्मेलनों में हास्य-रस की कविताओं के अतिरिक्त प्रसिद्ध व्यक्तियों को हास्यपूर्ण उपाधियों से विभूषित भी किया जाता है।

भगवान कृष्ण के साथ होली का सम्बन्ध होने के कारण वृन्दावन की होली बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ कृष्ण-रस का स्वांग रचा जाता है। प्रभात के समय मिट्टी, पानी और गोबर घोल कर एक-दूसरे पर फेंकते हैं। इसे 'दधि-काँदो' कहते हैं।

आजकल होली मनाने के ढंग में कुछ अपवित्रता आ गई है, जिसके कारण भेल के स्थान पर शत्रुता बढ़ जाती है। होली में कीचड़ उछालने और तारकोल या अन्य गन्दी चीजें मलने को कोई भी सभ्य आदमी सहन नहीं करता। इसी कारण झगड़े हो जाते हैं। कुछ लोग शराब पीकर गन्दी हरकतें करते हैं, जो इस पर्व की पवित्रता को नष्ट कर देता है।

होली उल्लास का त्यौहार है। इस पर्व को उल्लास के साथ ही मनाना चाहिए। किसी के रंग फेंकने और अबीर मलने को बुरा नहीं मानना चाहिए। पुरानी शत्रुता को भुलाकर सबसे गले मिलना चाहिए। इस दिन दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए, तभी हम इस पर्व की पवित्रता को स्थिर रख सकते हैं। □

बैसाखी

त्योहार सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं, जन-जीवन में जागृति के प्रेरक हैं, समष्टि-जीवन को उत्साह प्रदान करते हैं एवं राष्ट्रीय एकता और अखंडता के द्योतक हैं ।

बैसाखी पंजाब और पंजाबियों का महान् पर्व है, अन्य तीज-त्योहारों की भांति हर्षोल्लास का दिवस है । धार्मिक चेतना और राष्ट्रीय जागरण का स्मृति दिवस है ।

बैसाखी मुख्यतः कृषि-पर्व है । पंजाब की शस्यश्यामला भूमि में जब रबी की फसल पक कर तैयार हो जाती है और वहाँ का 'वाँका छैल जवान' उस अन्न-धन रूपी लक्ष्मी को सगृहीत करने के लिए लालायित हो उठता है, तो वह प्रसन्नता से मस्ती में नाच उठता है । 'बल्लिए कनक दीए, ओनू खानगे नसीबा वाले !' पंजाब की युवतियाँ गा उठती हैं, "हे प्रीतम ! मैं सोने की दाँती बनवाकर गेहूँ के पूरे पचास पूले काटूंगी । मार्ग में झोपड़ी बनवा लेगे । ईश्वर तेरी इच्छा पूरी करेगा ।"

दाँती बनावाँ सार दी पूले बड्डाँ पंजाह !
राह बिच पाले कुल्ली करवाँ दी ।
तेरी रब पचाऊ आस, गबरुवा ओए आस ॥

जिस दिन प्रथम बार मानव ने भूमि से अन्न प्राप्त किया, वह दिन पर्व बन गया और इस प्रकार बैसाखी का त्योहार मनाया जाने लगा ।

ऐतिहासिक दृष्टि से भी बैसाखी का दिन बहुत महत्त्वपूर्ण है । औरंगजेब के अत्याचारों से भारत-भू को मुक्त कराने एवं हिन्दू-धर्म की रक्षा के लिए सिक्खों के दसवें, किन्तु अन्तिम गुरु, गुरु गोविंदसिंह ने सन् १६६६ में 'खालसा-पथ' की स्थापना इसी शुभ दिन (बैसाखी) पर किया था ।

३ अप्रैल, १९१६ को बैसाखी के पावन पर्व पर भारत में 'रोजेट-एक्ट'

सथा अमृतसर में 'भाशंस लों' लागू करने के विरोध में अमृतसर के स्वर्ण-मंदिर के समीप जलियाँवाला बाग में एक महती सभा हुई थी। इस बाग के एकमात्र द्वार पर जनरल डायर ने अधिकार करके बिना कोई चेतावनी दिए सभा पर गोली बरसाना आरम्भ कर दिया। इस नृशंस हत्याकांड में १५०० व्यक्ति या तो मारे गए या भ्रंशनाशन्न हो गए। अनेक लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएँ में कूद पड़े। चार-पाँच सौ व्यक्ति ही जीवित बच पाए। शहीदों की स्मृति में 'जलियाँवाला बाग समिति' ने लाल पत्थरों का सुन्दर स्मारक बनवाया है।

भारतीय मास-गणना में बैसाख एक मास है। बैसाख मास के प्रथम दिन को 'बैसाखी' नाम दिया गया और पर्व के रूप में स्वीकार किया गया।

भारतीय ज्योतिष-गणना में चन्द्रमा के अनुसार चंद्र की प्रतिपदा वर्ष का प्रथम दिवस होता है, किन्तु सूर्य की गति के अनुसार वर्ष का प्रथम दिन बैसाखी ही है।

बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में प्रविष्ट होता है, अतः इसे 'मेष संक्रांति' भी कहते हैं। रात-दिन एक समान होने के कारण इस दिन को 'संवतहार' भी कहा जाता है। पद्म-पुराण में बैसाख मास को भगवत्प्रिय होने के कारण 'माघव-मास, कहा गया है। अतः इस मास तीर्थों पर कुम्भो का आयोजन करने की परम्परा है।

बैसाखी के दिन समस्त उत्तर भारत में पवित्र नदियों एवं सरोवरों में स्नान करने का माहात्म्य माना जाता है। अतः सभी नर-नारी, चाहे वह खालसा-पंथ के अनुयायी हों अथवा वैष्णव धर्म के, प्रातःकाल सरोवर अथवा नदी में स्नान करना धर्म समझते हैं। गुरुद्वारी में विशिष्ट उत्सव मनाया जाता है। पंथ की ओर से सभाओं एवं जलूसों का आयोजन किया जाता है।

बैसाखी का पर्व पंजाब में ही नहीं, उत्तर भारत के अन्य प्रान्तों में भी उल्लास के साथ मनाया जाता है। पर्वतीय अंचल में इस त्योहार का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश आदि सभी पर्वतीय प्रदेशों में इस दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं। ये मेले अधिकांशतः उन स्थानों पर लगते हैं, जहाँ दुर्गा देवी के मन्दिर हैं। लोग इस दिन श्रद्धापूर्वक देवी की पूजा करते हैं और नए-नए वस्त्र धारण कर उल्लास के साथ मेला देखने जाते हैं।

आमोद-प्रमोद की दृष्टि से पंजाब में ढोल की आवाज में भांगड़ा की धुन पर अनगिनत पाँव चिरक उठते हैं। नृत्य में ऊँचा उछलना, कूदना-फाँदना एवं एक-दूसरे को कन्धे पर उठाकर नृत्य करना भांगड़ा की विशिष्ट पद्धतियाँ हैं। तुर्रें-दार रंग-बिरंगी पगड़ी, रंगीन रेशमी कसीदा की हुई बास्कट नृत्य के विशिष्ट और अनिवार्य परिधान हैं।

बैसाख मास में बसन्त ऋतु अपने पूर्ण यौवन पर होती है। अतः बैसाखी का त्यौहार प्राकृतिक शोभा और वातावरण की मधुरता के कारण भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वातावरण में जन-जीवन में उल्लास एवं उत्साह का संचार होना स्वाभाविक ही है।

बैसाखी प्रतिवर्ष १३ अप्रैल को आती है और आकर हमें देश एवं धर्म की रक्षा का स्मरण कराती है। जातिवाद और सम्प्रदायवाद से ऊपर उठकर समस्त हिन्दू यदि प्रांतीयता की संकुचित भावना को तिलाजलि देकर समस्त हिन्दू धर्म की एकता तथा भारत-भू की रक्षा करने का व्रत लें, तो सच्चे अर्थों में बैसाखी मना सकेंगे।

रक्षा-बन्धन

रक्षा-बन्धन हमारा राष्ट्रव्यापी पारिवारिक पर्व है। यह भारतीय लोक-संस्कृति की एक सुन्दर परम्परा है। श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाने के कारण यह पर्व 'श्रावणी' नाम से भी प्रसिद्ध है। प्राचीन आश्रमों में स्वाध्याय के लिए यज्ञ और ऋषियों के लिए तपण कर्म करने के कारण इसका 'उपाकर्म' नाम पड़ा। यज्ञ के उपरान्त रक्षा-भूत्र बाँधने की प्रथा के कारण 'रक्षा-बन्धन' लोक में प्रसिद्ध हुआ। संस्कृत 'रक्षा' शब्द का हिन्दी रूप 'राखी' है।

रक्षा-बन्धन का प्रारम्भ कब और कैसे हुआ, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। एक किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध शुरू हुआ। सघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। देवता परेशान हो उठे। उनका पक्ष कमजोर होता जा रहा था। उस समय इन्द्र की पत्नी ने अपने पति की विजय एवं मंगलकामना से प्रेरित होकर एक दिन इन्द्र को राखी बाँधकर युद्ध में भेजा। राखी के प्रभाव से इन्द्र विजयी हुए। उसी दिन से राखी का महत्त्व स्वीकार किया गया और रक्षा-बन्धन की परम्परा प्रचलित हो गई।

मुसलमानों के शासनकाल में यवन लोग जिस सुन्दर कन्या को देखते थे, उसे बलपूर्वक उठा ले जाते थे। इस विपत्ति से बचने के लिए कन्याएँ रक्षा-बन्धन का एक पवित्र धागा भेजकर बलवान राजाओं को अपना भाई बना लेती थीं। इस प्रकार उनकी महायता से वे अपनी मान-मर्यादा की रक्षा करती थीं।

मेघाड देश की वीरागना कर्मवती ने अपनी सहायता के लिए बड़े विश्वास के साथ हुमायूँ को राखी भेजी। राखी पाते ही हुमायूँ ने पुरानी शत्रुता भुलाकर उनके राज्य की रक्षा की। इससे पूर्व विश्व-विजय का स्वप्न देखने वाले सिकन्दर की रक्षायें एक यूनानी युवती ने महाराज पुर के हाथ में राखी बाँधी थी। यही कारण था कि एमा अक्सर आने पर भी, जब कि पुर चाहते तो सिकन्दर की जीवन-श्रीला समाप्त कर सकते थे, उन्होंने उसे छोड़ दिया था।

बाद में रक्षा-बन्धन भाई-बहन के स्नेह का पर्व माना जाने लगा और आज इसी रूप में मनाया जाता है। बहन अथवा धर्म-बहन अपने भाई के माथे पर चावल और कुंकुम का टीका लगाकर उसके हाथ में राखी बाँधती है। राखी बँधवाकर भाई बहन की रक्षा का भार अपने ऊपर लेता है।

राखी का मंगलमय सूत्र वस्तुतः मनुष्य के सामाजिक कल्याण का सूत्र एवं बहन के निश्चल, सरल और पवित्र प्रेम का प्रतीक है।

फच्चे धागों में बहनों का प्यार है।

देखो, राखी का आया त्यौहार है ॥

बहन के अतिरिक्त ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बाँधते हैं। उसमें यजमान को आशीर्वाद देने एवं दक्षिणा प्राप्त करने की भावना ही निहित रहती है।

राखी बाँधते हुए निम्नलिखित श्लोक पढ़ा जाता है—

येन बद्धो बली राजा, दानवेन्द्रो महाबलः।

तेन त्वां प्रतिबध्नामि, रक्षे ! मा चल, मा चल ॥

अर्थात् रक्षा के जिस साधन (राखी) से महाबली राक्षसराज बली को बाँधा गया था, उसी से मैं तुम्हें बाँधता हूँ। हे रक्षासूत्र ! तू भी अपने धर्म से विचलित न होना अर्थात् इसकी भली-भाँति रक्षा करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि रक्षा-बन्धन रक्षा की भावना का प्रतीक है। राखी बाँधकर अथवा बँधवाकर रक्षा का आशवासन लिया और दिया जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राखी के स्नेहमय सूत्रों से बँधने पर विदेशियों और विधर्मियों ने भी राखी बाँधने वाली बहिन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। इस प्रकार की घटनाओं का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है।

इस दिन स्त्रियाँ प्रातःकाल से ही घर की सफाई आदि करती हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। उत्तर-भारत में सेवियाँ, जये और खीर आदि विशेष पदार्थ तैयार होते हैं। ननद या भाई के आने पर स्त्रियाँ उनसे राखी बँधवाती हैं या बाँधती हैं। ननद अपनी भाभी को देखकर तथा बहन अपने भाई को पाकर फूली नहीं समाती।

इस पर्व को मनाने के कई लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि भाई-बहन का अटूट प्रेम स्थिर रहता है। दूसरे, यजमान और पुरोहित को अपने कर्त्तव्य का स्मरण रहता है।

कई स्थानों पर तो रक्षा-बन्धन के पर्व के उपलक्ष्य में मेले लगते हैं। बच्चे-बूढ़े, बालक, बाविकाएँ सुन्दर-सुन्दर वस्त्र पहनकर मेला देखने जाते हैं। बच्चे तरह-तरह के खिलौने पाकर खुश होते हैं। कई स्त्रियाँ झूला-झूलकर अपना दिल बहलाती हैं।

आजकल रक्षा-बन्धन का पवित्र उद्देश्य समाप्त-सा हो रहा है। अतः हमें चाहिए कि रक्षा-बन्धन के पुरातन ध्येय को न भूलें। जिसने अपनी रक्षा के लिए हमारे हाथ में राखी बाँधी है, चाहे वह सगी बहन न भी हो, फिर भी विशुद्ध भावनाओं से तन, मन, धन देकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। जब यह पुनीत भावना हमारे अन्तःकरण में राखी बँधवाते समय रहेगी, तभी हम इस पर्व की पवित्रता को स्थिर रख सकेंगे, अन्यथा नहीं



जन्माष्टमी

त्यौहारों एवं उत्सवों की प्रचुरता किसी जाति की सजीवता तथा शक्तिमत्ता की परिचायक होती है। प्रत्येक त्यौहार और पर्व उसकी किसी विशेष घटना का स्मरण कराता है। त्यौहारों का आधार कभी प्राकृतिक तथ्य होते हैं, तो कभी सामाजिक सुधार की भावना लेकर पर्व मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहारों का सम्बन्ध महापुरुषों की जीवनी से होता है, जो उन महापुरुषों के आदर्शों का स्मरण कराते हैं तथा उनके जीवन का अनुसरण करने की प्रेरणा देते हैं। हिन्दू जाति में त्यौहारों की पर्याप्त प्रचुरता है। इसमें वर्ष भर में सभी प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। 'होली' समाज-सुधार के क्षेत्र में सम-भावना का सन्देश देने वाला त्यौहार है, तो 'दशहरा' रावणत्व पर रामत्व की विजय का सन्देश देता है। 'दीपावली' जहाँ अत्याचारी (रावण) पर विजय प्राप्त कर (राम के) स्वधाम लौटने पर प्रसन्नता व्यक्त करने की प्रेरणा देती है, वहाँ धन-धान्य और समृद्धि के विकास का सन्देश भी देती है। 'जन्माष्टमी' का सम्बन्ध भारतीय इतिहास के अन्यतम महापुरुष श्रीकृष्ण के जीवन से है। 'जन्माष्टमी' योगिराज श्रीकृष्ण का जन्म-दिन है। श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अपने प्रादुर्भाव का उद्देश्य इस प्रकार बताया है—

यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत !
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्म-संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे-युगे ॥

स्पष्ट है कि उनके जीवन के दो लक्ष्य थे—धर्म की संस्थापना और साधु-सज्जनों की रक्षा। इन्हीं महान गुणों के कारण श्रीकृष्ण को परमात्मा का अवतार—भगवान्—स्वीकार किया गया।

आत्म-विजेता, भक्त-वत्सल श्रीकृष्ण बहुमुखी व्यक्तित्व के महापुरुष थे। वे

महान् योद्धा थे, किन्तु उनकी वीरता सर्व-परित्राण में थी। वे महान् राजनीतिज्ञ थे, उनका ध्येय था 'मुनीति और श्रेय पर आधारित राजधर्म की प्रतिष्ठा।' वे महान् ज्ञानी थे। उन्होंने ज्ञान का उपयोग 'सनातन जन-जीवन' को सुगम और श्रेयोन्मुख स्वधर्म सिखाने में किया। वे महान् योगी थे। उनके योगबल और सिद्धि की सार्थकता 'लोकधर्म के परिमार्जन एवं स्वधर्म में ही थी।'

पाञ्चजन्य का वज्रघोष करने वाले, कर्तव्य-पथ से विचलित अर्जुन को 'त्यक्त्वोत्तिष्ठ परसप' का उपदेश देने वाले, गीता के बक्ता, बाहुबल से कुबलया-पीड, मुष्टिक, चाणूर, कस तथा शिशुपाल का वध करने वाले और बुद्धिबल से जरासंध, कालयवन एवं कौरवों का विनाश करने वाले, चुधिष्ठिर के राजभूय यज्ञ में राष्ट्रनिर्माण के महान् स्वप्न-द्रष्टा भगवान् श्रीकृष्ण का जन्मदिवस है—भाद्रपद में कृष्णपक्ष की अष्टमी—जन्माष्टमी।

इस दिन प्रायः प्रत्येक हिन्दू निजल व्रत रखता है और रात्रि के १२ बजे किसी मन्दिर में कृष्ण-जन्म के उपलक्ष्य में हुई आरती के बाद बंटने वाले प्रसाद को ग्रहण कर व्रत का समापन करता है।

दिन में तो प्रायः प्रत्येक घर में नाना प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। सायंकाल को भी हिन्दू नए-नए वस्त्र पहनकर मन्दिर में भगवान् के दर्शन करने निकल पड़ते हैं। रात्रि के १० बजे मन्दिरों में होने वाली आरती में भाग लेते हैं और प्रसाद प्राप्त कर लौटते हैं। चन्द्रमा के दर्शन कर सब लोग बड़ी प्रसन्नता से पकवान खाते हैं।

इम दिन मन्दिरों की शोभा अचर्यनीय होती है। चार-पाँच दिन पहले से उन्हें सजाया जाने लगता है। कहीं भगवान् कृष्ण की प्रतिमा दर्शनीय है, तो कहीं उन्हें चिह्नों पर झुलाया जाता है। कहीं-कहीं तो उनके सम्पूर्ण जीवन की झाँकी प्रस्तुत की जाती है। विष्णु की चाक चौध मन्दिर की शोभा को द्विगुणित कर रही है। उसमें होने वाले कृष्ण-चरित्र-गान द्वारा अमृत-वर्षा हो रही है और कहीं-कहीं मन्दिरों में होने वाली रास-लीला में जनता भगवान् कृष्ण के दर्शन कर अपने को धन्य समझती है।

यद्यपि यह उपवास नाग्न के प्रत्येक ग्राम और नगर में बड़े समारोहपूर्वक मनाया जाता है, किन्तु मथुरा और वृन्दावन में इसका विशेष महत्त्व है। भगवान् कृष्ण की जन्म-भूमि और श्रीडा-स्थली होने के कारण यहाँ के मन्दिरों

की सजावट, उनमें होने वाली रासलीला, कीर्तन एवं कृष्ण-चरित्र-गान बड़े ही सुन्दर होते हैं। भारत के कोने-कोने से हजारों लोग इस दिन मथुरा और वृन्दावन के मन्दिरों में भगवान् के दर्शनो के लिए आते हैं।

जन्माष्टमी प्रतिवर्ष आती है और चली जाती है। हर साल यही कार्यक्रम होते हैं, किन्तु जनता कृष्ण के जीवन से शिक्षा ग्रहण करने का यत्न नहीं करती। महापुरुषों के जन्म-दिन मनाने का उद्देश्य यही है कि हम उनके गुणों को ग्रहण करें। जब हम भगवान् कृष्ण के उपदेशानुसार फल की इच्छा किए बिना कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे, तभी इस त्यौहार को -मनाना सार्थक होगा।

□

देखकर दुःख होता है कि यह सारा आयोजन भाडम्बर-मात्र बन गया है। इसे मात्र मनोरंजन का साधन समझा जाता है। श्रीराम के जीवन से प्रेरणा लेने की प्रवृत्ति लोगों में दिखाई नहीं देती।

विजयदशमी के पावन दिन देवराज इन्द्र ने महादानव वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन वीर पांडवों ने अपनी अज्ञातवास की अवधि समाप्त कर द्रौपदी का वरण किया था। महाभारत का युद्ध भी विजयदशमी को आरम्भ हुआ था।

भारत में चार मास वर्षा ऋतु के होते हैं। प्राचीनकाल में इन दिनों राजा लोग अपने शस्त्रास्त्रों को सुरक्षित रख देते थे और विजयदशमी पर उन्हें निकालकर साफ किया करते थे और इस दिन उनकी पूजा होती थी।

प्राचीनकाल में राजा लोग शत्रुओं को पराजित करने के लिए सेना सहित इस दिन कूच करते थे। इस कार्य के लिए यह समय उपयुक्त भी था। वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती थी। मार्ग ठीक होकर यातायात के लिए खुल जाते थे। न अधिक जाड़ा, न अधिक गर्मी।

दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। हमारा देश कृषि-प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहली फसल उगाकर अनाज-रूपी सम्पत्ति घर लाता है, तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता। इन दिनों वह भगवान् का पूजन करता है।

यह पर्व देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न ढंग से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में दशहरे का 'सिलंगण' सामाजिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मायकाल गाँव के लोग नव वस्त्रों में मुमज्जित होकर गाँव की सीमा पार कर शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में 'सोना' लूटकर गाँव लौटते हैं और उम मुवर्ण का आदान-प्रदान करते हैं।

कुल्लू का दशहरा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ एक सप्ताह पूर्व ही दशहरे की तैयारी आरम्भ हो जाती है। स्त्रियाँ और पुरुष तुरहियाँ, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बामुरी और घण्टियों के तुमुल नाद के मध्य नृत्य करते, कन्धों पर देवगण को उठाकर नगर-परिक्रमा करते हुए कुल्लू नगर के देवता रघुनाथ जी की वन्दना से दशहरे का पर्व प्रारम्भ करते हैं और अन्तिम दिन अपराह्न में समस्त देवगण रघुनाथ जी के चारों ओर जोश से परिक्रमा करते हैं। तत्पश्चात् युद्ध

के बाजो के साथ लका पर चढ़ाई की जाती है और व्यास नदी के किनारे कांटों के ढेरो की लका जलाकर नष्ट कर दी जाती है। पंच-प्राणी—भैंस, कौआ, बकरा, मछली और केंकड़े की बलि के साथ उत्सव की समाप्ति होती है।

सभी दिव्य गुणों से सम्पन्न दुर्गादेवी ने इस दिन आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। अतः बंगाल में इसको दुर्गापूजा के रूप में मनाया जाता है। बंगालियों की यह धारणा है कि इस दिन दुर्गा कैलाश पर्वत को प्रस्थान करती है। अतः वे दशहरे के दिन दुर्गा की प्रतिमा को बड़ी धूमधाम-से गली-मुहल्लों में घुमाते हुए पवित्र नदी, सरोवर अथवा महानद में विसर्जित कर देते हैं। तत्पश्चात् वे अपने मित्रों को बधाई देते हैं और मिठाई वितरित करते हैं।

उत्तर-भारत में इस दिन प्रातःकाल ही नारियाँ घरों को पानी से साफ करती हैं। सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं और फिर दशहरे का पूजन करते हैं। पूजन के बाद बहनें भाइयों को 'नोरतें' टाँगती हैं। तत्पश्चात् सभी मिठाई खाते हैं। शाम को सब लोग रामलीला देखने जाते हैं और यह दिन हँसते-खेलते समाप्त हो जाता है।

अब हम स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं। हमें अपने देश से अज्ञान को दूर कर ज्ञान की ज्योति जलानी है। नारी-जाति पर होने वाले अत्याचारों और स्वतन्त्रता के नाम पर होने वाले अपमान को दूर करना है। साथ ही वानरो की भाँति राम की सेना के रूप में संगठित होकर देश में व्याप्त आर्थिक संकट, प्रांतीयता की सकीर्ण भावना और साम्प्रदायिक प्रवृत्ति रूपी राक्षसराज रावण को परास्त करना है।

दीपावली

दीपमालिका मना रही है,
रात हमारी तारों वाली ।

—'बच्चन'

दीवाली या दीपावली का अर्थ है 'दीपों की पक्ति।' यह त्यौहार कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या की रात बिल्कुल अँधेरी होती है, किन्तु भारतीय जनता घर-घर में दीपको की पक्ति जलाकर उसे पूर्णिमा से भी अधिक उजियाली बना देती है। इस प्रकार दीपावली हर्ष और उत्साह का प्रतीक ज्योति-पर्व है।

दीपावली वस्तुतः एक पर्व-समूह है, जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की दूज तक बड़ी धूम-धाम से सम्पन्न होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धन-तेरस कहते हैं। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है तथा यमराज की पूजा के लिए एक दीपक जलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर रखा जाता है।

इसी दिन भगवान् विष्णु ने नृसिंह रूप में अवतरित होकर हिरण्यकश्यप का वध दिया था। समुद्र-मंथन में इसी दिन भिषगाचार्य धन्वन्तरि का आविर्भाव हुआ था। फलतः वैद्य-गण इसे धन्वन्तरि-दिवस के रूप में मनाते हैं।

अगले दिन चतुर्दशी को 'नरक-चौदस' अथवा 'छोटी दीवाली' भी कहते हैं। पुराणों की कथा के अनुसार इस दिन योगेश्वर कृष्ण ने नरकासुर का वध कर उसके कारागार में बन्दी सोलह हजार कन्याओं का उद्धार किया था। नरक-चौदस उसी आनन्द और उत्साह का प्रतीक है।

अमावस्या के दिन 'ज्योति-पर्व' अर्थात् 'बड़ी दीवाली' मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी-गणेश का पूजन होता है। लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी है, गणेश जी जन-कल्याण के देवता हैं। लक्ष्मी जी के साथ गणेश-पूजन का अर्थ है—अर्जित धन को जन-कल्याण में व्यय करें, उसका दुरुपयोग न करें।

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का दिन मानते हैं। यह पूजा भगवान् कृष्ण के गोवर्धन-धारण की स्मृति में की जाती है। वस्तुतः यह गोधन के महत्त्व की सूचक भी है। इसी दिन अन्नकूट भी मनाया जाता है। इसी दिन से व्यापारी लोग आर्थिक वर्ष का आरम्भ करते हैं।

पाँचवें दिन को 'भैयादूज' या 'यम द्वितीया' कहते हैं। इस दिन वहन भाई की आरती उतारकर, तिलक लगाकर उसकी मंगल-कामना करती है। साथ ही ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि इस दिन भाई और वहन एक साथ यमुना-स्नान कर यमराज के चक्कर से बच जाते हैं।

भारतीय संस्कृति के आदर्श पुरुष राम, रावण पर विजय पाकर इसी दिन अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में घरों को सजाया गया और रात्रि को दीपमालिका की गई। आधुनिक युग के महान् समाज-सुधारक स्वामी दयानन्द सरस्वती, सांस्कृतिक नेता स्वामी रामतीर्थ एवं जैन-धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी तथा सर्वोद्देश्य नेता आचार्य विनोबा भावे का स्वर्गवास भी इसी दिन हुआ था। सिक्खों के छठे गुरु हरगोविन्दसिंह जी ने इसी दिन कारावास से मुक्ति पाई थी। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय-यज्ञ भी इसी दिन समाप्त हुआ था। पौराणिक गाथाओं के अनुसार समुद्र-मन्थन के समय लक्ष्मी जी का अवतार भी इसी दिन हुआ था।

दीपावली कृषि की गौरव-गरिमा बढ़ाने वाला राष्ट्रीय त्यौहार है। शरद् की सुहावनी ऋतु में मधुर-मधुर ठंड और सुनहली धूप के बीच फसल के पक कर घर आने के दिनों में जब यह त्यौहार आता है, तो स्वभावतः चारों ओर आनन्द और उल्लास छा जाता है। वर्ष भर के कड़े श्रम के बाद घर आई 'अन्न-धन' रूपी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए घर-आंगन लीप-पोत कर साफ-सुधरे किए जाते हैं और अभावों के कूड़े-करकट को झाड़-बुहार कर एक किनारे फेंक दिया जाता है। प्रत्येक घर में नए कपास की चाती और नए तिल के तेल से नया दीप मँजोया जाता है और नए वर्ष की अगवानी की जाती है।

धन, सम्पत्ति, सौभाग्य एवं सत्त्वगुण की अधिष्ठात्री लक्ष्मी के पूजन के रूप में आजकल दीपावली का विशिष्ट महत्त्व है। यद्यपि प्रमुख रूप से यह वेश्यों का त्यौहार है, किन्तु सभी भारतीय इस दिन लक्ष्मी का पूजन करते हैं उसकी कृपा की कामना करते हैं।

दीपावली से पूर्व वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, किन्तु घरों में मच्छरों, घटमलों, पिस्सुओं और अन्यान्य विषैले कीटाणुओं का अधिकार होता है। मलेरिया व टाइफाइड के फलने-फूलने के दिन होते हैं। दूसरे, वर्ष भर की गन्दगी से घर की अस्वच्छता पराकाष्ठा पर होती है। अतः दीवाली के महीने भर पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। गरीब और अमीर सभी अपनी-अपनी आमदनी के अनुसार घरों की सफाई, लिपाई-पुताई और सजावट करते हैं। इससे घर की गंदगी दूर हो जाती है। नीले थोथे के मिश्रण से की गई सफेदी से मच्छर मर जाते हैं। सरसों के तेल के दीपक जलाने से रोगादि के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सरसों के तेल का धुआँ (काजल) आँखों के लिए अत्यन्त लाभप्रद है।

पटाखे, मोमवत्ती, वागड-बिल्ले, अगरवत्ती, कंडील, मिट्टी के खिलौने और तसवीरों की दुकानों की शोभा निराली होती है। खरीदने वालों की भीड़ के मारे सड़क पर चलना कठिन होता है।

रात्रि आई। घरों में दिए जलाए गए। घरों की मुंडेरों और आलों पर दीपों की पवित्रियाँ लगने लगीं। झिलमिल करती दीप-पवित्रियाँ सर्वत्र अनुपम छटा उपस्थित करने लगीं। अमा की इस रात्रि में धरती के दीपक आकाश के नक्षत्रों से होड़ लगाने लगे। इसके बाद पटाखे, चुटपुटी, अनार आदि छूटने लगे। बच्चे खुश होने लगे। विजली के रंग-विरंगे बल्बों ने भी जगमग-जगमग प्रकाश करना शुरू किया। विजली की शोभा देखिए—कहीं 'स्वागतम्' आदि लिखा है, कहीं कृष्ण वामुरी बजा रहे हैं, तो कहीं भारतमाता के दर्शन हो रहे हैं। इधर जगमग हो रही है, उधर लक्ष्मीजी की पूजा शुरू हो गई है। पूजा के पश्चात् सब खुशी-खुशी खाते-पीते और रोशनी देखते हैं।

जहाँ फूल होते हैं, वहाँ काटे भी होते हैं। आज के दिन कुछ लोग जगह-जगह जुआ खेलते हैं और नाना प्रकार के कुकृत्य करते हैं। जुआ खेलने वालों का विश्वास है कि आज यदि जीत गए तो सारे साल लक्ष्मी की हम पर कृपा रहेगी। कहीं-कहीं आतिशवाजी भी आज के दिन लड़ाई-झगड़े का कारण बन जाती है। बच्चों के हाथ-पैर जल जाना तो मामूली-सी बात है। कभी-कभी इससे आग भी लग जाती है। अतः इन चीजों से सावधान रहकर हमें दीवाली को पवित्र ढंग से मनाना चाहिए।

'तमसो मा ज्योतिर्गमय' जागरूक मानव का प्रबुद्ध नारा है। आज राष्ट्र पर अंधियारा छाया हुआ है। लक्ष्मी की रजत-प्रतिमा अँधी पड़ी है। हम इस ज्योति-पर्व पर व्यष्टि से ऊपर उठकर समग्र राष्ट्र के अन्तस्तल में व्याप्त तिमिर को दूर करें—दीपमालिका का सत्य रूप यही है। □

पन्द्रह अगस्त (स्वतन्त्रता-दिवस)

भारत शताब्दियों से परतन्त्र था। पहले मुगलों ने और बाद में अंग्रेजों ने आकर इस पर राज्य किया। अनेक प्रकार के दमन और अत्याचार भारतीयों पर किए गए। भारत ने भी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न किए। हज़ारों ने जानें गँवाई, अनेक तबाह हुए, लाखों ने जेल-यातनाएँ सह-सहकर अपना यौवन खोया। इतना सब कुछ होने पर आखिर वह दिन भी आ ही गया, जब जेल की यातना सहने वालों की आशा, भारतीय जनता की आकांक्षा और शहीदों की साधना पूरी हुई। १५ अगस्त, १९४७ को देश स्वतन्त्र हो गया।

१५ अगस्त, १९४७ को रात्रि को १२ बजे स्वतन्त्रता-समारोह का शुभारम्भ करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय प० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, “बहुत साल बीते, हमने तकदीर के साथ एक बाजी बदी थी और आज वह दिन आ गया है, जब हम उस प्रण को पूरा करेंगे। पूर्णता के साथ तो नहीं, लेकिन काफी हद तक। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही है, हमारा भारत जीत और स्वाधीनता के नव-जागरण में प्रवेश कर रहा है।”

दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि १५ अगस्त वर्तमान स्वतन्त्र भारत का जन्म-दिन है। जिस प्रकार व्यक्तियों के जीवन में ‘जन्म-दिन’ का महत्त्व होता है, उसी प्रकार राष्ट्रों के जन्म-दिन का भी महत्त्व होता है। जन्म-दिन मनाते हुए हम अतीत की सफलताओं एवं असफलताओं का विश्लेषण करते हैं तथा भविष्य में निरंतर सफलता के पथ पर अग्रसर होने का सकल्प करते हैं। इस अवसर पर हितैषियों की ओर से दीर्घायुष्य की कामना प्रकट की जाती है। हमारे राष्ट्र का जन्म-दिन (१५ अगस्त का पर्व) भी हमें इसी भावना से मनाना चाहिए।

१५ अगस्त को देश को आजादी तो मिली, किन्तु भारत-मां के दो टुकड़े हो गए। भारत का एक अंग ‘पाकिस्तान’ के रूप में मुसलमानों को सौंप दिया गया। देश में साम्प्रदायिकता का नग्न नृत्य हुआ। जन-जीवन के साथ

खून की होली खेली गई। लाखों लोग वेधर हुए, हजारों मारे गए और न जाने कितनी माताओं और बहनों का सतीत्व नष्ट हुआ। हमने यह सब कुछ सहन किया, स्वतन्त्रता के नाम पर।

अब हम हर वर्ष १५ अगस्त मनाते हैं एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में। इस दिन लाल-किले पर प्रधानमन्त्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपनी स्वतन्त्रता को स्थिर रखने के लिए सर्वम्ब न्यौछावर कर देंगे।

स्वतन्त्रता-दिवस की पूर्व संध्या को आकाशवाणी तथा दूर-दर्शन के माध्यम से राष्ट्र के नाम महामहिम राष्ट्रपति का भाषण प्रसारित किया जाता है।

इस दिन दिल्ली के बाजार जगह-जगह राष्ट्रीय ध्वजों से मजे होते हैं। प्रातःकाल से ही लोग 'लाल किले' पर पहुँचना प्रारम्भ कर देते हैं। लाल-किले के सामने का मैदान और सड़कें खचाखच भरी होती हैं। जन-समूह उमड़ पड़ता है।

लालकिले की प्राचीर पर ध्वज-स्थल के पार्श्व में विशिष्ट व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होती है। संसद-सदस्य, मन्त्रीगण, उच्चाधिकारी, विभिन्न दलों के राजनीतिक नेता, विदेशों के राजदूतों एवं कृत्नीतिज्ञों के लिए यह स्थान सुरक्षित होता है।

प्रधानमन्त्री के आने से पूर्व राष्ट्रीय गीत सुनाए जाते हैं, ताकि जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हो। 'विजयी विश्व तिरगा प्यारा' गीत तो बड़ा ही श्रुति मधुर होता है।

हमारे देश के प्रधानमन्त्री प्रातः सात बजे के लगभग लाल किले पर पहुँच जाते हैं। उनके दर्शन करते ही जनता करतल-ध्वनि से उनका स्वागत करती है। वे हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। जल, थल, वायु—तीनों सेनाओं के सैनिक एवं दिल्ली एन०सी०सी० के छात्र-छात्राएँ उन्हें सलामी देते हैं। प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं। ध्वज चढ़ते ही ३१ तोपों से उसे सलामी दी जाती है। उसके बाद प्रधान-मन्त्री अपना भाषण आरम्भ करते हैं।

भाषण में वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी मुख्य घटनाओं की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करते हुए 'संसार की विकट परिस्थितियों में हम कैसे खड़े

हो सकते हैं, इसका संकेत देते हैं। भाषण के अंत में वे तीन बार 'जय-हिन्द' का उच्चारण करते हैं और लाखों कण्ठ उस घोष को दोहराते हैं। इसके तुरन्त बाद 'जन गण मन अधिनायक जय हे' राष्ट्रगान होता है। यह है 'स्वतन्त्रता दिवस-समारोह' का प्रातःकालीन कार्यक्रम।

सार्थकात् सरकारी भवनो (विशेषकर लालकिले) पर रोशनी की जाती है। अतिशवाजी चलाई जाती है। प्रधानमंत्री दिल्ली के प्रमुख नागरिकों, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रत्येक धर्म के आचार्यों और विदेशी राजदूतों एवं कूटनीतिज्ञों को सरकारी भोज पर निमन्त्रित करते हैं।

इस प्रकार यह दिन हँसी-खुशी से बीत जाता है। भारत के सभी प्रान्तों में इसी प्रकार सरकारी स्तर पर यह पर्व मनाया जाता है। प्रभात-फेरियाँ निकलती हैं। मुख्यमंत्री पुलिस की सलाामी लेते हैं। राज्य-सचिवालयों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है, अतिशवाजी छोटी जाती है और ५.५५ मध्य नागरिकों को भोज दिया जाता है।

१५ अगस्त जहाँ हमारा राष्ट्रीय पर्व है, वहाँ यह विश्व-प्रसिद्ध योगी, अंग्रेजी के विख्यात लेखक और इस शताब्दी के प्रथम दशक के क्रान्तिकारी नेता अरविन्द घोष का जन्म-दिन भी है। पाण्डिचेरी के इस सन्त ने अनेक भारतीयों और विदेशियों में आत्मज्ञान की ज्योति जलाई। आज वे हमारे मध्य नहीं हैं, किन्तु उनके द्वारा प्रज्वलित आध्यात्मिक ज्योति दिन-प्रतिदिन निःसन्देह तेज होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत विश्व-गुरु के पद पर पुनः आसीन होकर समार के कल्याण के लिए विदेशियों को ज्ञान की शिक्षा देगा।

छत्वीस जनवरी (गणतन्त्र दिवस)

(दिल्ली १९८१, ८४ : ए)

भारत के राष्ट्रीय पर्वों में २६ जनवरी का विशेष महत्त्व है। यह प्रतिवर्ष आती है और हमें हमारी स्वतन्त्र गणता का भान कराकर खती जाती है। यह हमारा अत्यन्त सौकरप्रिय राष्ट्रीय त्योहार बन गया है।

स्वतन्त्रता मिलने से पूर्व हम दस दिन स्वतन्त्र होने की प्रतिज्ञा दोहराते थे और अब स्वाधीनता मिलने के पश्चात् उम प्रगति पर दृष्टि डालते हैं, जो हमने पिछले वर्षों में की है।

भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम का इतिहास बहुत सम्पन्न है। २६ जनवरी का दिन हम संग्राम में नया मोड़ देने वाला बिन्दु है। सन् १९२९ तक स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानी औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग कर रहे थे, किन्तु जब अंग्रेज किमी भी तरह इसके लिए तैयार नहीं हुए, तब अधिल भारतीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दृढ़ता एवं ओजस्विता का परिचय देते हुए २६ जनवरी, १९२९ को लाहौर के समीप रावी नदी के तट पर घोषणा की कि यदि ब्रिटिश सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य देना चाहे, तो ३१ दिसम्बर, १९२९ से लागू होने की स्पष्ट घोषणा करे, अन्यथा १ जनवरी, १९३० से हमारी मांग पूर्ण स्वाधीनता होगी। दस घोषणा के बाद आन्दोलन को नया जीवन मिला। संग्राम और अधिक तेज हो गया।

इसी पूर्ण स्वतन्त्रता के संग्राम में २६ जनवरी, १९३० को सारे देश में राष्ट्रीय ध्वज के नीचे जलूस निकाले गए, सभाएँ की गईं, प्रस्ताव पास करके प्रतिज्ञाएँ की गईं कि जब तक हम पूर्ण स्वतन्त्र न हो जाएँगे, तब तक हमारा स्वतन्त्रता-युद्ध चलता रहेगा। साठियों, डण्डों, तोपों, बन्दूकों और विस्तीली से सजी हुई फौज और पुलिस से घिरे हुए भी हमने प्रतिवर्ष दस स्वतन्त्रता-दिवसों को अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता-प्राप्ति की प्रतिज्ञा दोहराते हुए मनाया।

के लिए अनेक माई के लालों ने स्वतन्त्रता की वेदी पर रक्त चढ़ाया, कितनों ने लाठिया खाईं और लाखों जेल गए। यह सब होता रहा और प्रतिवर्ष प्रतिज्ञा दुहराते-दुहराते अन्त में १५ अगस्त, १९४७ को देश स्वतन्त्र हो गया। स्वप्न, स्वप्न न रहा, अपितु साकार सत्य बन गया।

अब स्वतन्त्रता-दिवस का महत्त्व १५ अगस्त को प्राप्त हो गया, किन्तु २६ जनवरी फिर भी अपना महत्त्व रखती है। भारतीयों ने इसके गौरव को स्थिर रखने के लिए देश के गण्यमान्य नेताओं द्वारा निर्मित विधान को २६ जनवरी, १९५० को लागू किया। इस दिन भारत में प्रजातांत्रिक शासन की घोषणा की गई। भारतीय संविधान में देश के समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। भारत को 'धर्म निरपेक्ष गणराज्य' घोषित किया गया। इसीलिए २६ जनवरी को 'गणतन्त्र-दिवस' कहा जाता है।

लोगों में उत्साह और प्रेरणा जागृत करने के लिए गणतन्त्र-दिवस के अवसर पर सभी राज्यों में सरकार की ओर से अनेक कार्यक्रम रचे जाते हैं। सभी प्रांतों की राजधानियों में सरकारी स्तर पर प्रातः झंडाभिवादन होता है; पुलिस-परेड की सलाभी ली जाती है। स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्र-छात्राओं का पय-सचलन होता है। राज्य-विकास की क्षाकियां प्रदर्शित की जाती हैं। सायंकाल राज्यपाल राज्य के गण्यमान्य नागरिकों को पार्टी देते हैं।

राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में यह समारोह विशेष उत्साह से मनाया जाता है। गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या को राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम सन्देश प्रसारित करते हैं। यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर देखा तथा आकाशवाणी से सुना जा सकता है।

गणतन्त्र-दिवस का प्रातःकालीन कार्यक्रम आरम्भ होता है 'शहीद-ज्योति' के अभिवादन से। प्रधानमन्त्री प्रातः ही 'इंडिया गेट' पर प्रज्वलित 'शहीद-ज्योति' के समीप जाकर उसका अभिनन्दन करके राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धाजलि अर्पित करती हैं।

कुछ ही क्षण पश्चात् राष्ट्रपति-भवन से राष्ट्रपति की सवारी चलती है। छ. घोंडों की बग्घी पर यह सवारी दर्शनीय होती है। इस शाही बग्घी पर राष्ट्र-पति अपने अग-रक्षकों सहित जलूस के रूप में विजय चौक तक आते हैं। तीनों सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। तत्पश्चात् राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री

बाल-दिवस

बच्चे राष्ट्र की आत्मा हैं, देश की मुस्कराहट हैं, राष्ट्र के दर्पण हैं और हैं मानवीय जगत् के जनक । बालक प्रकृति की अनमोल देन हैं, सुन्दरतम कृति हैं, निदाय वस्तु हैं । बालक मनोविज्ञान का मूल है, शिक्षक की प्रयोगशाला है ।

बालक के विकास पर राष्ट्र का विकास निर्भर है । बालक की सेवा ही राष्ट्र की सच्ची सेवा है, बालकों की कर्तव्यशीलता ही सब गुणों की नींव है, इसी विचार से प्रेरित हो 'बाल-दिवस' का प्रारम्भ हुआ ।

बाल-दिवस की मूल भावना है बाल-कल्याण । बालकों के मानसिक और शारीरिक विकास की योजनाएँ बनाकर उनको कार्यान्वित करना इसका उद्देश्य है । कल्याण-सम्थाओं, सामाजिक संगठनों, केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों का बाल-कल्याण की ओर ध्यान दिलाने, स्मरण कराने का पुनीत दिन है । बालकों को अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेष्ट करना इसका ध्येय है ।

बाल-दिवस जाता है १४ नवम्बर को । १४ नवम्बर वर्तमान भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म-दिन है । पंडित नेहरू अपने जन्म-दिन पर कुछ मिनट के लिए राजनीति की उलझनों, पड़्यथों तथा विवादों से दूर रहकर बच्चों की मुस्कराहट में खो जाना चाहते थे । वे भाव-विभोर हो आत्मविस्मरण करके बच्चे बन जाते थे । बच्चे उन्हें 'चाचा नेहरू' कहने लगे । चाचा-भतीजे का यह प्यारा रिश्ता जनक बना बाल-दिवस का । चाचा-नेहरू का जन्म-दिन बालकों को समर्पित हो गया और 'बाल-दिवस' कहलाने लगा ।

मानव-शरीर अनश्वर नहीं । चाचा नेहरू चले गए, पर बाल-दिवस के रूप में अपनी स्मृति छोड़ गए । भारत का प्रधानमंत्री १४ नवम्बर को बच्चों के बीच उपस्थित होकर बच्चों से प्रेरणा लेने की चेष्टा करने लगा । सर्वश्री लालबहादुर शास्त्री तथा मोरारजी देसाई ने इस परम्परा का पालन किया और श्रीमती इन्दिरा गांधी भी इसका पालन कर रही हैं ।

भारत में बाल-दिवस तीन रूपों में प्रचलित हुआ—एक मनोरंजन के रूप में, दूसरा पुरस्कारों की घोषणा के रूप में, तीसरा भाषणवाजी के रूप में। मनोरंजन के लिए स्कूलों में, स्टेडियमों में, विभिन्न स्थलों पर बालकों की सामूहिक ड्रिल, लोक-नृत्य, संगीत, पथ-संचलन, एकाकी प्ले, वेश-भूषा की विविधता प्रदर्शित करते हुए फंशन-शो आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने लगे। दिल्ली का नेशनल स्टेडियम इसका प्रमाण है। यहाँ दिल्ली के स्कूलों के चुने हुए बच्चे आते हैं और अपना रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। रंगारंग कार्यक्रम की सुन्दरता देखकर प्रधानमंत्री मुस्कराकर, बच्चों को उपदेश देकर चले जाते हैं। व्यवस्थापक अपनी सफलता की दाद देते हैं।

बाल-दिवस का दूसरा रूप है पुरस्कारों की घोषणा का। वीरतापूर्ण साहसिक कार्य करने वाले बच्चों के नामों की घोषणा की जाती है। यह चयन भारत के सम्पूर्ण २२ प्रान्तों और केन्द्रशासित प्रदेशों से किया जाता है। प्रायः १०-१२-१४ वर्ष के बच्चे इस श्रेणी में आते हैं। उनके चित्र अखबारों में छपते हैं। इनके शौर्य की गाथाएँ छपी जाती हैं, ताकि शेष भारतीय बच्चे इनसे प्रेरणा लें, साहस का वरण करें वीर जीवन को अगीकार करें।

बाल-दिवस का तीसरा रूप है भाषणवाजी का। बिना दिए भाषण और बिना-मांगे उपदेश दिए बिना भारत के राजनीतिक चेंहरे पर मुस्कराहट आ ही नहीं सकती। राजनेता बच्चों को उपदेश देने हैं। इसी का रूपान्तर स्कूलों में होता है। वहाँ प्रधानाध्यापक तथा वरिष्ठ शिक्षक बाल-दिवस की घुट्टी पिलाते हैं। समाचार-पत्र-पत्रिकाएँ नेताओं के लेख छापते हैं। एक ओर बच्चों को शुद्ध और पवित्र आत्मा का रूप समझा जाता है और दूसरी ओर उनके सामने राजनीति-प्रेरित ज्ञान का आख्यान किया जाता है।

राजनीति के संरक्षण में बाल-दिवस दिग्भ्रान्त हो गया। चापलूस अधिकारियों की कर्त्तव्य-परायणता में बाल-दिवस बाल-कल्याण की भावना से शून्य 'परम्परागत शो' मात्र बन गया। शिक्षाविदों की अदूरदर्शिता से बालविकास के प्रण और कार्यान्विति का दिन उनके जीवन को कुण्ठित करने में परिणत हो गया।

दिल्ली के दस लाख विद्यार्थियों में से चुन-चुनकर एक सहस्र बच्चों का नेशनल स्टेडियम में प्रदर्शन क्या शेष बच्चों में हीन भावना उत्पन्न नहीं करता? क्या कभी गरीब, मूले-कुर्चले, हीन भावना से ग्रस्त बालकों को प्रधानमंत्री के सामने आने दिया जाता है? सामने आना तो दूर, क्या उन्हें कभी नेशनल स्टेडियम में प्रवेश मिला है? कदापि नहीं। तो फिर बाल-दिवस कैसा? हाँ,

प्रधानमंत्री का दिल-बहलाव तो हो गया, किन्तु प्रदर्शनकारी बच्चों से पूछिए, उनका क्या हाल हुआ ? जो सुकोमल कलियाँ प्रातः काल से निकली हैं. विभिन्न वाहनों के माध्यम से नेशनल स्टेडियम पहुँची है, अनुशासन के नाम पर कठोर वैन सुनती हैं और भय से ग्रस्त अभ्यास द्वारा प्रदर्शन करके ठण्डी सांस लेती हैं, उनकी भूख-प्यास, थकान और कुंठा की किसे चिन्ता है ?

नेशनल स्टेडियम का कार्यक्रम १५ अगस्त के लालकिले के कार्यक्रम और २६ जनवरी के जलूस में बच्चों की परेड और प्रदर्शन का ही रूपान्तर तो है । फिर बाल-दिवस में क्या आकर्षण है, क्या विशिष्टता है ?

पुरस्कार-घोषणा बाल-दिवस का श्रेष्ठ और उत्साहवर्धक कार्यक्रम है । इसमें सुधार और विकास की आवश्यकता है । प्रत्येक प्रातः से कम-से-कम दो बच्चों को और केन्द्रप्रशासित प्रदेशों से एक-एक बच्चे को लेना चाहिए । दूसरे, १४ नवम्बर को ही उनका सामूहिक अभिनन्दन करना चाहिए । इस अभिनन्दन कार्यक्रम में व्यवस्थापकों के अतिरिक्त स्कूली बच्चों को भी प्रवेश मिलना चाहिए । पडाल में घोर बच्चों के बड़े-बड़े चित्र होने चाहिए, जिनके नीचे उनके शौर्यपूर्ण कार्य का विवरण अंकित हो ।

बाल-दिवस बच्चों को प्रोत्साहन देने का दिन है । अतः नगर-स्तर पर खेल-कूद प्रतियोगिताएँ होनी चाहिए । बाद-विवाद गोष्ठियाँ, अग्न्याक्षरी, नृत्य-संगीत, निबन्ध-चित्रकला आदि में प्रतियोगिताएँ करनी चाहिए ।

बाल-दिवस पर गरीब बालकों को स्कूली गणवेश, पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री भेंट करनी चाहिए । शुद्ध तथा स्वास्थ्यप्रद सामूहिक भोजन का आयोजन होना चाहिए । प्रत्येक मिनेमाघर में एक-एक बाल-पिक्चर दिखाई जानी चाहिए, जिसमें केवल बच्चों के लिए प्रवेश हो । दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

बाल-दिवस के कार्यक्रमों से राजनीतिज्ञों को दूर रखना चाहिए । उनकी छाया और साये से भी बच्चों को बचाना चाहिए । शिक्षाविदों, साहित्यकारों तथा पत्रकारों की उपस्थिति, अध्यक्षता, पुरस्कार-वितरण तथा प्रवचन बाल-दिवस को उद्देश्यात्मक बनाने में अधिक सहायक होंगे ।

इन कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन नगर-स्तर पर हो तथा सभी नगरों में विजेता बालकों तथा टीमों को पुरस्कृत किया जाए ।

बाल-दिवस राष्ट्र के भविष्य के कर्णधारों में सद्गुणों के बीज बोने का दिन है । मुश्किल, प्रेम निश्चल व्यवहार के जल-सिंचन से यह बीज अंकुरित होंगे, पुष्पित होंगे और उनकी सुगन्धित सुवास से राष्ट्र उत्लसित हो सकेगा । □

मेरा जीवन-लक्ष्य

(ऑल इण्डिया १९८५, ८३ : बी; दिल्ली १९७९, ८१, ८३, बी; १९८० : ए) में क्या बनना चाहता हूँ : दिल्ली १९८५ : ए)

लक्ष्य लेकर चलना जीवन की सफलता का लक्षण है। एक बार जब मनुष्य अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेगा, तब वह उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न भी अवश्य करेगा और तब तक प्रयत्न करता रहेगा, जब तक वह पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में उस लक्ष्य तक पहुँच नहीं जाता। लक्ष्य-निर्धारण मनुष्य को योजनाबद्ध रूप से कार्य करना सिखाता है। इसमें मनुष्य परिश्रमी और दृढ़-निश्चयी बनता है। इसके अभाव में व्यक्ति थाली के बँगन के समान लुढ़कता रहता है। जिस यात्री का कोई गन्तव्य स्थान निश्चित नहीं होगा, वह रेलगाड़ी में बैठकर व्यय ही इधर से उधर और उधर से इधर भटकता रहेगा। खेल के मैदान में यदि खिलाड़ियों के सामने 'गोल' नहीं होगा, तो वे दौड़ते-भागते थककर चूर हो जाएँगे, किन्तु खेल का कोई परिणाम न निकल सकेगा। लक्ष्यहीन जीवन जंगल में भटकने के समान है। मानटेन का कहना है कि 'ध्येय रहित व्यक्ति की सहायता पवन भी नहीं करता।' इसलिए जीवन में लक्ष्य का होना अनिवार्य है।

कुछ आलसी लोग लक्ष्य-निर्धारण को व्यय समझते हैं। उनका विचार है कि शेखचिल्ली की भाँति खयाली पुलाव पकाने से क्या लाभ? जीवन में जो कुछ होना है, वह तो होगा ही। वास्तव में यह विचार कायरता का परिचायक है, निकम्मेपन की निशानी है। लक्ष्य मनुष्य को निश्चित ध्येय की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है और उसके मन में उत्साह का संचार करता है।

लक्ष्य का निर्धारण करने में व्यक्ति की रुचि एवं प्रतिभा कार्य करती है। विज्ञान के क्षेत्र में यशोपार्जन की महत्त्वाकांक्षा सभी की जा सकती है, जब प्रतिभा तीव्र हो और वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन करने में समर्थ हो। यदि जीवन-लक्ष्य निर्धारित करने में इस सत्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो सफलता

नहीं मिल सकेगी। अनेक महापुरुषों के जीवन से एक और सत्य प्रकट होता है कि कभी-कभी कोई विशेष घटना व्यक्ति के जीवन-लक्ष्य को बदल देती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जन-नायक पण्डित नेहरू उत्कृष्ट वकील बनकर धन और यश प्राप्त करने की महत्त्वाकांक्षा लेकर जीवन-क्षेत्र में उतरे थे, किन्तु स्वतन्त्रता-संग्राम की घटनाओं ने उन्हें देश-प्रेम का मतवाला बना दिया और उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने का व्रत ले लिया।

अथर्ववेद में कहा है, 'उन्नत होना और आगे बढ़ना, प्रत्येक जीवन का लक्ष्य है।' घर के वातावरण से भी जीवन-लक्ष्य निर्धारित करने में प्रेरणा मिलती है। मुझ पर यही बात लागू होती है। हमारा परिवार शिक्षित-जनो का कुटुम्ब है। मेरे पिताजी सस्मरणकार हैं, साहित्यकार हैं। मेरी बड़ी बहन की भी दो-तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरा मन अंग्रेजी या हिन्दी में एम० ए० करने की ओर प्रवृत्त है। हमारे घर में अनेक साप्ताहिक, पारिवारिक, मासिक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। इसके अतिरिक्त बाल-पत्रिकाएँ, हास्य-पत्रिकाएँ समाचार-दर्शन-पत्रिकाएँ सभी प्रकार की श्रेष्ठ पत्रिकाएँ, हमारे परिवार के सदस्य देखते हैं, पढ़ते हैं। धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, हिन्दी-नवनीत की तो अनेक वर्षों की फाइले हमारे घर में हैं। इस प्रकार के वातावरण में मेरा जीवन-लक्ष्य क्या हो सकता है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

कार्लाइल उपदेश देते हैं, 'अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उसके बाद सारा शारीरिक और मानसिक बल, जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसमें लगा दो।' प्रसिद्ध दार्शनिक मुकरात का कथन है, 'हमारा ध्येय सत्य होना चाहिए, न कि सुख।' मेरा लक्ष्य है साहित्यकार बनना। मेरी हार्दिक कामना है कि मैं मुंशी प्रेमचन्द वर्न, कामाक्षी के रचयिता की आत्मा मुझमें समाविष्ट हो जाए; 'निराला' का निरालापन, महादेवी की वेदना और सुभद्राकुमारी चौहान का राष्ट्रीयत्व मुझमें उद्भावित होने लगे; मैं मैथिलीशरण गुप्त की भावना 'इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया' को अधिकाधिक मुखरित कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लेखिनी से राष्ट्र की सेवा कर सकूँ। दरिद्रनारायण की उपासिका बन सकूँ। शोषण के विरुद्ध प्रचण्ड आवाज बुलन्द कर सकूँ। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रचारिका बन सकूँ, मरत्य का उद्घाटन कर सकूँ।

अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए मैं प्राध्यापिका बनना चाहूँगी। जहाँ वेतन अच्छा है, अध्यापन का समय बहुत कम है, पढ़ने-लिखने की रुचि बनी रहती है। विशाल पुस्तकालय सदा उपलब्ध होता है। निश्चिन्तता है। जीवन के भौतिक अभावों की पूर्ति यहाँ सहज-साध्य है। अभावों की पूर्ति पर ही मानव अपने समय को अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में सुन्दर रीति से लगा सकता है।

यों तो मानव कभी सन्तुष्ट नहीं हुआ। एक लक्ष्य की प्राप्ति दूसरे लक्ष्य को जन्म देती है; दूसरे लक्ष्य की पूर्ति तीसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, किन्तु फिलहाल मैंने अपने जीवन का लक्ष्य रखा है, साहित्यकार बनने का। उसके लिए मैं अभी से प्रयत्नशील हूँ, संलग्न हूँ। परीक्षाएँ, डिग्रियाँ और प्रमाण-पत्र इस लक्ष्यपूर्ति के सोपान हैं।

भगवन् ! आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस लक्ष्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान कीजिए।

□

मेरा आदर्श इतिहास-पुरुष

इतिहास महापुरुषों का कोश है। सैकड़ों महापुरुष राष्ट्र की सेवा कर इतिहास-पुरुष बन गए। परकीयो से राष्ट्र की रक्षा, जनता के हितार्थ चिन्तन तथा उसकी प्रगति का कार्यान्वयन ऐतिहासिक महापुरुषों का जीवन-लक्ष्य रहा है। ऐसे महापुरुषों के सम्मुख मस्तक स्वतः झुक जाता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन राष्ट्र-हित समर्पित करने की इच्छा बलवती होती है।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर श्रीमती गांधी तक भारत-भू पर इतिहास पुरुषों की यशस्वी श्रृंखला है, किन्तु मेरे आदर्श इतिहास पुरुष है, छत्रपति शिवाजी।

राखी हिन्दुआनी, हिन्दुअन को तिलक राख्यो,

स्मृति औ, पुरान राख्यो वेद विधि मुनी में।

राखी रजपूती, राजधानी राखी राजन की,

घरा में घरम राख्यो, गुन राख्यो गुनी में ॥ —भूपण

मुगलों के अत्याचारों से जब हिन्दू जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी, स्त्रियों का अपमान सरे-आम हो रहा था, गौ तथा ब्राह्मण की मान्यता समाप्त हो चुकी थी, हिन्दू-घर में जन्म होने पर कर देना पड़ता था, अपनी आन के पक्के राजपूत तलवार को छोड़ विलासिता का जीवन च्यतीत कर रहे थे, ऐसे समय में हिन्दू-धर्म-रक्षक छत्रपति वीर शिवाजी का जन्म हुआ।

शिवाजी का जन्म १० अप्रैल, सन् १६२७ को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ। उनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी था। शाहजी बीजापुर के शासक के अधीन थे। शिवाजी के जन्म के बाद शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया। जीजाबाई अब शिवनेरी से पूना आ गईं।

शिवाजी के जीवन-निर्माण का श्रेय माता जीजाबाई को ही है। वे शिवाजी को रामायण और महाभारत की कथाएँ सुनाती। बाल्यकाल में ही उन्होंने शिवाजी के हृदय में हिन्दुत्व का भाव कूट-कूटकर पर दिया। साधु-सन्तों की

संगति में उन्हें धर्म, राजनीति और रण-कौशल का शिक्षण मिला। कालान्तर में दादाजी कोंडदेव पूना की जागीर के प्रबन्धक नियुक्त हुए। शिवाजी ने उन्हीं से युद्ध-विद्या और शासन-प्रबन्ध करना सीखा।

दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के उपरांत जागीर का प्रबन्ध शिवाजी ने अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने मराठा जाति को संगठित कर एक सुसंगठित सेना भी तैयार कर ली।

शिवाजी ने सर्वप्रथम आक्रमण बीजापुर के एक दुर्ग 'तोरण' पर किया। तोरण को जीत लेने के बाद उन्होंने रायगढ़, पुरन्दर और राजगढ़ के किलों को भी जीता। इस विजय में बहुत-सा धन प्राप्त होने के साथ-साथ एक अरब-शाहजादे की अनुपम सुन्दर स्त्री भी मिली। जब लूट के सामान के साथ सुन्दरी को भी शिवाजी के सम्मुख पेश किया गया, तो उन्होंने उसे 'माँ' कहकर सम्बोधित किया और बहुत से आभूषण देकर वापस लौटा दिया।

शिवाजी की निरन्तर विजय से बीजापुर के शासक ने क्रोध में आकर शिवाजी के पिता शाहजी को जेल में डाल दिया। शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता और नीति से उन्हें छोड़ा लिया। इसके पश्चात् शिवाजी कुछ काल तक शान्त रहकर अपनी शक्ति बढ़ाते रहे।

बीजापुर के शासक ने सेनापति अफजलखाँ के नेतृत्व में एक बड़ी सेना शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। उसने दीवान कृष्णजी भास्कर द्वारा शिवाजी को मिलने का सन्देश भेजा। शिवाजी ने भेंट करना स्वीकार कर लिया। भेंट के समय अफजलखाँ ने शिवाजी की पीठ पर वार करना चाहा। शिवाजी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने कवच पहन रखा था। अतः वार व्यर्थ गया, किन्तु तत्क्षण शिवाजी ने बघनख से अफजलखाँ का पेट चीर दिया। इधर तोपों के दगते ही मराठा सेना अफजलखाँ की फौज पर टूट पड़ी। अफजलखाँ की हार हुई।

अपने भाइयों से निपटने के पश्चात् औरंगजेब का ध्यान शिवाजी की ओर गया। उसने अपने मामा शाइस्ता खाँ को उधर भेजा। शाइस्ता खाँ ने चाकन आदि कई किले जीतकर पूना पर अधिकार कर लिया। एक रात शिवाजी ने एक बारात के रूप में पूना में प्रवेश किया। उनके साथ चार सौ मराठा सैनिक थे। महल में पहुँचते ही उन्होंने मुगलों पर धावा बोल दिया। शाइस्ता खाँ स्वयं तो बड़ी कठिनाई से बच गया, किन्तु उसका पुत्र मारा गया।

औरंगजेब ने इस पराजय के पश्चात् राजा जयसिंह को शिवाजी-विजय के लिए भेजा। जयसिंह ने अपनी वीरता और चातुरी से अनेक किले जीते। इधर, शिवाजी ने दोनो ओर हिंदू-खत की हानि देख राजा जयसिंह से संधि कर ली। राजा जयसिंह के विशेष आग्रह पर शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होना स्वीकार कर लिया। दरबार में शिवाजी का अपमान किया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। यहाँ भी उन्होंने कूटनीति का आश्रय लिया और फलों अथवा मिठाई के टोकरे में छिपकर भाग निकले।

अब शिवाजी यवनों के कट्टर दुश्मन बन गए। उन्होंने पुनः यवन-किलों पर आक्रमण कर उन्हें हस्तगत करना प्रारम्भ कर दिया। सिंहगढ़ का दुर्ग, मूरत की बन्दरगाह, बुसढाना और बरार आदि तक जीतकर खूब धन लूटा और वहाँ के लोगों से चौय लेना शुरू कर दिया। ६ जून, १६७४ को शिवाजी का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार सैकड़ों वर्षों के पश्चात् पुनः हिन्दूपद-पादशाही की स्थापना हुई।

हिन्दूपद-पादशाही की स्थापना के अनन्तर साम्राज्य-प्रसार और धन-प्राप्ति की इच्छा से शिवाजी ने बहूत से किले जीते। हैदराबाद और विल्लौर ने आत्म-समर्पण ही कर दिया। अन्त में शिवाजी ने कर्नाटक तक अपना राज्य बढ़ाया।

युद्ध में अत्यन्त व्यस्त रहने के कारण शिवाजी अपने उत्तराधिकारी को उचित शिक्षा न दे सके। उनका पुत्र शम्भाजी विलासी, व्यभिचारी और कायर बन गया था। शिवाजी अपने अन्तिम समय में बड़े निराश थे। उनके शरीर को रोगों ने आ दबाया और ५ अप्रैल, १६८० को इस वीर पुरुष की मृत्यु हो गई।

शिवाजी एक कुशल सगठनकर्त्ता और एक श्रेष्ठ शासक थे। उनकी शासन-व्यवस्था अत्युत्तम थी। वे एक आदर्श पुरुष थे, दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उन्होंने अन्य धर्मों के पूजा-स्थलों का कभी अनादर नहीं किया, कभी उन्हें तुड़वाया नहीं।

समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। गुरु के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। यही कारण है कि भिक्षा में गुरुजी को इन्होंने अपना सम्पूर्ण राज्य तक दे डाला था। वे उनके प्रवचक के नाते राज्य-प्रबन्ध करते थे।

कुशल राजनीतिज्ञ, असाधारण सगठनकर्त्ता, गो-ब्राह्मण के प्रतिपालक, हिन्दू-धर्म परित्राता, धर्म और साहस के स्वामी, आदर्श-चरित, न्याय-मूर्ति शिवाजी को प्रत्येक हिन्दू आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखता है तथा उनके जीवन से स्वराष्ट्र-स्वधर्म की सुरक्षा की प्रेरणा लेता है।

मेरी प्रिय पुस्तक : रामचरितमानस

(दिल्ली १९८५ : बी; ऑल इण्डिया १९८० : ए)

हमारी पाठ्य-पुस्तक में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ हैं। उनमें अच्छे मित्र के गुणों का वर्णन किया गया है। वे चौपाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगीं। हमारे अध्यापक महोदय ने बताया कि रामचरितमानस बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है। उसमें इससे भी अच्छी-अच्छी सैकड़ों चौपाइयाँ और दोहे हैं। मैंने मन में निश्चय किया कि रामचरितमानस को अच्छी तरह अवश्य पढ़ूँगा।

अवसर मिलने पर मैंने रामचरितमानस का अध्ययन किया और आज वह मेरी प्रिय पुस्तक है। स्वान्तःसुधाय लिखी गई तुलसी की यह रचना न केवल बहुजन-हितकारी है, अपितु सर्वजनहित के आदर्श को प्रतिपादित करती है। हिन्दुओं का यह धर्म-ग्रंथ है। साहित्यिक दृष्टि से हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ महा-काव्य है।

चार सौ वर्ष पूर्व लिखी गई यह पुस्तक जन-जन का कठहार, जीवन की प्रेरक, धर्म-ज्ञान की प्रदाता और कर्तव्य-बोध कराने वाली है। विद्यार्थी से लेकर राष्ट्रपति तक, साधारण-जन से लेकर प्रधानमंत्री तक सोल्लास मानस-उत्सवों में भाग लेते हैं। इतना ही नहीं, यह ग्रन्थ विदेशों में हिन्दी के प्रचार और प्रसार का माध्यम है। जहाँ-जहाँ हिन्दू गया, वहाँ-वहाँ मानस उसके साथ गया। मॉरिशस में रामचरितमानस के कारण हिन्दी जन्मी, विकसित हुई। रामकथा को मचित करने में अनेक विदेशी नृत्य-मंडलियों में होड़ रहती है।

मानस अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें अयोध्या-नगेश दशरथ के पुत्र, पतित-पावन भगवान श्री रामचन्द्र का जीवन-चरित दोहा-चौपाइयों में वर्णित है। राम के जन्म से लेकर सिंहासनारूढ होने तक की सम्पूर्ण कथा मानस में सात काण्डों (अध्यायों) में विभक्त है। इनके नाम हैं : बालकाण्ड,

२६ / मेरी प्रिय पुस्तक (रामचरितमानस)

अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड और उत्तरकाण्ड ।

मानस में जीवनोपयोगी अनेक सूक्तियाँ हैं, जिन्हें मानव यदि अपने जीवन में उतार ले, तो उसका जीवन सफल और सुन्दर हो सकता है। जैसे—

करम प्रधान विश्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥
बड़े सनेह लघुन्ह पर करही । गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहीं ॥

× × ×

पर उपदेश कुशल बहुतेरे । जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥

जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥

× × ×

धीरज धर्म मित्र अह नारी । आपत काल परखेहि चारी, ॥

× × ×

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥

× × ×

परहित सरिस धरम नहीं भाई । पर पीड़ा सम नहि अधमाई ॥

जे न मित्र दुःख होहि दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥

मानस आचार और धर्म की शिक्षा एक साथ देने वाला सामाजिक और पारिवारिक प्रवृत्तियों का ग्रंथ है। जैसे—राजा दशरथ ने तीन विवाह किए, रानियो मे सौतिया डाह उत्पन्न हुई। राम का वन-गमन, भरत का नन्दी ग्राम मे तपस्या करना आदि सौतिया डाह का ही परिणाम था। इतना ही नहीं पिता-पुत्र में, भाई-भाई में, सास-बहू में, गुरु-शिष्य में, स्वामी-सेवक में, राजा और प्रजा में कंसा व्यवहार होना चाहिए, यह हमें मानस से ही ज्ञात होता है, शिक्षा मिलती है। मानस के विभिन्न प्रवृत्तियों वाले पात्रों-राजा दशरथ; पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न; माताएँ कौशल्या, सुमित्रा, कंकेशी; पत्नी सीता; गुरु वशिष्ठ; सेवक सुमन्त; मित्र हनुमान और विभीषण आदि-ने हमें गृहस्थ-धर्म की मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है।

मानस मानव मात्र में एकरूपता, समानता और कल्याण की भावना का है। समाज में ऊँच-नीच का भाव हिन्दू-समाज के लिए विघटनकारी है,

इसकी शिक्षा राम अपने आचरण से देते हुए निषाद को अपना सखा बनाते हैं, भीलनी के जूठे बेरों का स्वाद लेते हैं तथा जटायु का अन्तिम संस्कार अपने हाथों से करते हैं।

भगवान् राम शील, शक्ति और सौन्दर्य के प्रतीक हैं। उन्हें जो देखता है, उन्हीं का हो जाता है। शीलवान वे इतने हैं कि वे सब पर अकारण ही कृपा करते हैं। वे दुष्टों और आततायियों का संहार एवं राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। राक्षसराज रावण जैसे महाबली शत्रु से लड़ने के लिए वे जनता को संगठित होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वन में केवल दो भाई होते हुए भी वानरो का संगठन कर, उनके नेताओं का सहयोग प्राप्त कर, समुद्र पर पुल बाँध कर लंका में प्रवेश करना और भाई-भाई की फूट से लाभ उठाकर लका-विजय करना, राम के जीवन की महानता का द्योतक है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने का अद्वितीय उदाहरण है।

इन्हीं विशेषताओं के कारण तुलसी का मान्य आज घर-घर में पूज्य है। वह धर्म-ग्रंथ है। गरीब की झोंपड़ी से लेकर दरबारों के महलों तक में उसका समान आदर है। अब तो विदेशी भी मानस का महत्त्व स्वीकार करते हैं। अनेक विदेशी भाषाओं में मानस का अनुवाद हो चुका है। भारत की ही भाँति विदेशों में भी राम के रावन चरित्र की गाथा रामलीला की भाँति प्रदर्शित की जाती है।

ऐसा पवित्र ग्रन्थ, जो सकल ब्रह्माण्ड में पूज्य है, वन्दनीय है, मेरी भी प्रिय पुस्तक है। मैं इसका दैनिक पाठ करता हूँ। जीवन की कठिनाइयों को मानस के माध्यम से हल करता हूँ। मानस के पात्रों से सद्गुणों की शिक्षा ग्रहण कर इस मानव-जीवन को मफय करने की चेष्टा करता हूँ।

मेरा प्रिय कवि : सूरदास

(ऑल इण्डिया १९८४ : बी; ७६, ८२ : ए)

हिन्दी-साहित्य में सैकड़ों कवि हुए हैं, जिन्होंने माँ-भारती की सेवा में कविता रूपी श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। सुमन सभी सुवासित होते हैं। अतः हिन्दी के सभी कवियों के सम्मुख मैं श्रद्धा से सिर झुकाता हूँ। फिर भी जिस प्रकार गुलाब को फूलों का राजा माना जाता है, उसी प्रकार कवियों में भक्त-शिरोमणि सूरदास को मैं कवियों का सिरमौर मानता हूँ। पाँच सौ वर्ष बीत जाने पर भी उनकी कविता आज भी काव्य-रसिकों को रसोन्मत्त करती है, भक्तों को भाव-विभोर करती है। यही भक्त-शिरोमणि सूरदास मेरे प्रिय कवि हैं।

भक्त-प्रवर सूरदास का जन्म सम्वत् १२२५ में दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था। आप सारस्वत ब्राह्मण थे। यह कहना तो असम्भव है कि इनकी शिक्षा किस प्रकार हुई, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि साधु-संगति और ईश्वर-प्रदत्त अपूर्व प्रतिभा के बल पर ही उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। युवावस्था में वे आगरा और मथुरा के बीच गाँघाट पर साधु-जीवन व्यतीत करते थे। सगीत के प्रति उनकी स्वाभाविक रुचि थी। मस्ती के क्षणों में वैरागी सूर अपना तानपूरा छेड़कर गुनगुनाया करते थे। यहीं उनकी महा-प्रभु स्वामी वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई। आपने एक पद उन्हें गाकर सुनाया। स्वामी जी को यह पद बहुत पसन्द आया और उन्होंने सूरदास जी को अपने मत में दीक्षित कर लिया तथा श्रीमद्भागवत की कथाओं को सुललित गेय पदों में रूपान्तरित करने का आदेश दिया एवं श्रीनाथ जी के मन्दिर की कीर्तन-सेवा का भार भी उन्हीं को दे दिया गया।

इसके बाद काव्य-मनीषी सूरदास कीर्तन-सेवा में संलग्न रहकर श्रीकृष्ण की पावन लीलाओं का गान करते रहे। इनके जन्मान्ध होने अथवा बाद में अन्धे होने के बारे में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश प्रामाणिक मत

जन्मान्धता की ही पुष्टि करते हैं।

सूरदास जी का जीवन श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा में ही बीता। प्रतिदिन नया पद रचना और कीर्तन गाना ही इनके जीवन का एकमात्र कार्य था। सूरदास जी की मृत्यु सम्बत् १६४० में पारसोली ग्राम में हुई। आप अन्तिम समय तक कृष्णलीला पद गाते रहे।

सूरदास जी कृत तीन ग्रंथ प्राप्त हैं—सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य-लहरी। 'सूरसागर' सूरदास जी की सर्वश्रेष्ठ एवं महान् रचना है। इसमें प्रसंगानुसार कृष्ण-लीला सम्बन्धी भिन्न-भिन्न पद संगृहीत हैं। सूरदास के कृष्ण तो सौन्दर्य, प्रेम और लीला के कृष्ण हैं। इनके पदों की कुल संख्या सवा लाख कही जाती है, किन्तु अभी तक प्राप्त पदों की संख्या २० हजार से अधिक नहीं है।

सूरसागर में भगवान् कृष्ण की बाल-लीलाओं एवं बाल-प्रवृत्ति का सूक्ष्म निरीक्षण और विवेचन है। बाल-लीलाओं का जितना स्वाभाविक एवं सरस चित्रण सूरदास कर सके हैं, उतना हिन्दी का कोई अन्य कवि नहीं कर सका। एक-दो चित्रों से हम इसकी परख कर सकते हैं।

बालकों की स्पर्शाशील प्रकृति का रूप देखिए—

मैया कवहि बड़ेगी चोटी ?

किती बार मोहि दूध पियत भइ, यह अजहूँ है छोटी ।

तू जो कहति बल की बेनी ज्यों हूँ है लांबी मोटी ।

काचो दूध पियावति पचि-पचि, देत न माखन रोटी ॥

कृष्ण की वाक्-चातुरी का उत्कृष्ट उदाहरण—

मैया मैं नहि माखन खायो ।

ख्याल परे ये सखा सबै मिलि, मेरे मुख लपटायो ।

देख, तु ही छीके पर भाजन, ऊँचि करि लटकायो ।

तू ही निरख नान्हे कर अपने, मैं कैसे करि पायो ॥

अतः वियोगी हरि जी का यह कथन, "सूर जैसा वात्सल्य-स्नेह का भावुक चित्रकार न हुआ है, न होगा" युक्तिस्मग ही है।

सूर का शृंगार-वर्णन भी केवल कवि-परम्परा का पालन-भाष न होकर जीवन की सजीवता व पूर्णता की अभिव्यक्ति करता है। गोपियों का विरह-

वर्णन तो एक विशेष महत्त्व रखता है। उनके पद व्यर्थ-विषय का मनोहारी चित्र प्रस्तुत कर देते हैं और साथ ही सरस भाव की स्पष्ट व्यंजना करते हैं।

राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन पर नोक-शाँक का सौन्दर्य देखिए—

सूझत स्याम कौन तू गोरी ।

कहाँ रहति, काकी है बेटी, देखी नाहि कबहुँ ब्रज-खोरी ॥

काहे की हम ब्रज-सन आवति, सेलति रहति आपनी पौरी।

सुनत रहति स्रवननि नद-ढोटा, करत फिरत माधन-दधि चोरी ॥

तुम्हरो कहा चोरि हम लँहैं, मेलन चलो संग मिलि जोरी।

सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि, वातनि भुरइ राधिका भोरी ॥

विरह-वर्णन में सूर ने कमाल कर दिया है; कृष्ण-विरह में गोपियों की दशा देखिए—

निशि दिन बरसत नैन हमारे ।

सदा रहत बरपा रितु हम पर, जब तँ स्याम सिधारे ॥

सूर के काव्य की एक और विशेषता है—वह है सूर के पदों की गेयता। इस विशिष्ट गुण के कारण ही हजारों नर-नारी सूर के पदों में कृष्ण-लीला गाकर मस्ती में झूम जाते हैं। दूसरे, उक्ति-वैचित्र्य अर्थात् एक ही भाव, विषय एवं चित्र को अनेक प्रकार से तथा अनूठे ढंग से प्रस्तुत करने के गुण ने उनके काव्य में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। सूर के दृष्टकूट पद हिन्दी-साहित्य में नई छटा दिखाते हैं।

सूरदास जी की भाषा ब्रजभाषा है। चलती हुई ब्रजभाषा में सर्वप्रथम और सर्वोत्तम रचना करने वाले सूर ही हैं। उनकी भाषा पूर्ववर्ती कवियों की भाषा की अपेक्षा अधिक सघन, मुख्यवस्थित और मँजी हुई है। कोमल पदों के साथ उनकी भाषा स्वाभाविक, प्रवाहपूर्ण, सजीव और भावों के अनुसार बन पड़ी है। माधुर्य और प्रसाद उनके काव्य के विशेष गुण हैं।

मेरा प्रिय लेखक : प्रेमचन्द

(दिल्ली १९७६ : 'बो')

हिन्दी-कथा-साहित्य में युगान्तरकारी मुंशी प्रेमचन्द मेरे प्रिय लेखक हैं। उनका कथा-साहित्य मानव-जीवन से सम्बन्धित है, हमारे राष्ट्रीय-जीवन का भाग्य है। जो कार्य महात्मा गाँधी ने राजनीतिक क्षेत्र में और महर्षि दयानन्द ने सामाजिक क्षेत्र में किया, वही कार्य मुंशी प्रेमचन्द ने अपने कथा-साहित्य के माध्यम से किया। उनके कथा-साहित्य की रोचकता पाठक को पढ़ने के लिए विवश करती है। वे सच्चे देशभक्त थे, ईमानदार समाज-सुधारक थे और थे साहित्यिक कर्मयोगी।

मुंशी प्रेमचन्द का जन्म बनारस से चार मील की दूरी पर स्थित लमही नामक ग्राम में ३१ जुलाई, १८८० को हुआ था। इनके पिता का नाम अजायबराय और माता का नाम आनन्दीदेवी था। कायस्थ परिवार की प्रथानुसार आपको पाँच वर्ष की आयु में एक मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। यद्यपि आप शारीरिक दृष्टि से दुर्बल थे, तथापि पढ़ने-लिखने में चतुर और स्वभाव से विनोदप्रिय थे।

प्रेमचन्द जी का बाल्यकाल अत्यन्त निर्धनता में व्यतीत हुआ। उन्हें पैसों की कठिनाई तो प्रारम्भ से ही थी। यद्यपि स्कूल में केवल बारह आने शुल्क लगता था, किन्तु उसे देने में भी प्रेमचन्द जी की कठिनाई का सामना करना पड़ता था। प्रेमचन्द जी के साहित्य में गरीबों के प्रति जो सहानुभूति सर्वत्र दिखाई पड़ती है, उसका एकमात्र कारण उनकी अपनी गरीबी है।

पन्द्रह वर्ष की आयु में वे पढ़ने लिए बनारस गए। यहाँ इन्हें मासिक खर्च के लिए पिताजी से केवल पाँच रुपए मिलते थे। इसी गरीबी की दशा में मुंशी जी का विवाह हो गया और कुछ काल पश्चात् उनके पिताजी का देहावसान हो गया। अब गृहस्थी चलाने का सम्पूर्ण भार इनके ऊपर आ पड़ा।

इसलिए इन्हें पढ़ने के साथ-साथ दूरदर्शन करनी पड़ती थी और इस धर्मिता इन्हें गुरुद्वारा पत्राचार के लिए काफी परिश्रम करना पड़ा था। इधर अग्रज के लिए सम्बन्धों के कारण वे इधर से कई घंटे अनुपस्थित हुए। बहुत बाद में पत्रकार इन्होंने इधर और बी० ए० कर ही लिया।

अपने वैवाहिक जीवन में निरन्तर अग्रज के कारण उन्होंने निवृत्तता देनी में, जो एक सामर्थ्यवादी थी, दूरीय विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात् इनकी नौकरी एक नई और वे निरन्तर-विवाह के दिवस-इसकेपश्चात् पद की सुगोचर करने लगे। किन्तु सन् १९०० में लॉरी प्री के भाषण में प्रेरित होकर अग्रजों के आन्दोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने इस पद में त्याग-पत्र दे दिया। अद्य वे केवल निरन्तर-निवृत्तता में ही सम्बन्ध-पत्र करने लगे, किन्तु इस अर्थ में परिवार का धर्म न पसन्दा। निरन्तर होकर इन्हें पुनः नौकरी करनी पड़ी। इस घरेलू आन्तरिक विघ्न-पत्र में सुदृष्टात्पत्र करने। हेड वर्क के सम्बन्ध आपने 'मर्दाना' पत्र में भी कायें किया।

सन् १९३० में गणपति आन्दोलन आरम्भ हुआ। इस समय वे 'मायुरी' में कायें कर रहे थे। आन्दोलन में गरिब भाग लेने के लिए जेल जाने का प्रश्न उपस्थित हुआ। दम्पती ने परस्पर इस प्रश्न को हल किया और निर्णयानुसार निवृत्तता जी मरवापह करके जेल चली गई। इधर पर का मारा काम-काज प्रेमचन्द जी को सम्भालना पड़ा।

इस बीच आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी, किन्तु प्रकाशकों के व्यवहार से वे गन्तुष्ट नहीं थे। अतः इन्होंने एक प्रेम घरीय लिया और अपनी पुस्तकों को स्वयं प्रकाशित करना आरम्भ किया। इसके अतिरिक्त आपने 'हंस' और 'जागरण' नामक दो पत्र भी इस प्रेम से अपने सम्पादन-कर्म में निकाले। अनुभवहीनता के कारण प्रेम और पत्रों में घाटा होने लगा। इस आर्थिक दृष्टि-पूर्ति के लिए आपने फिल्म-कम्पनी में नौकरी कर ली। यहाँ आपने 'मजदूर' नामक एक फिल्म भी तैयार की, जो अग्रज रही। हतोत्साह हो आपने इस नौकरी को भी छोड़ दिया। इधर आपका स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन गिर रहा था। स्वास्थ्य सुधारने की दृष्टि से आप बम्बई छोड़कर गाँव वापस आ गए। यहाँ लिखने-पढ़ने पर अधिक परिश्रम करने के कारण आपका स्वास्थ्य सुधारने के स्थान पर बिगड़ता गया और ८ अक्टूबर, १९३६ को आपने इस सत्तार से सदा के लिए मुक्ति पाई।

प्रेमचन्द पहले उर्दू में लिखा करते थे। हिन्दी में उन्होंने सन् १९१६ में पदार्पण किया। तब से मृत्यु-पर्यन्त (२० वर्ष की अल्पावधि में) आपने ११-१२ उपन्यास और ३०० के लगभग कहानियाँ तथा कई नाटक लिखकर हिन्दी-साहित्य को उन्नत किया। इसलिए आप हिन्दी-जगत् में 'उपन्यास-सम्राट्' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

मुंशी प्रेमचन्द प्रगतिशील लेखक थे। सुधारवादी दृष्टिकोण सदा उनके सम्मुख रहता था। उन्होंने विधवा-विवाह पर रोक, वृद्ध-विवाह, बाल-विवाह, देहज, अनमेल-विवाह, आभूषण-प्रियता, वेश्या-जीवन आदि दोषों को दूर करने के लिए सेवा-सदन, गवन, निर्मला जैसे उपन्यास और अनेक कहानियाँ लिखीं।

दूसरे ओर, राजनीति में वे गाँधीवाद से प्रभावित थे। अतः सन् २१ से ३० तक के आन्दोलनों और उनके परिणामों की सामाजिक प्रतिक्रिया ही उनके उपन्यास तथा कहानियों का विषय बनी।

तीसरे, मुंशी प्रेमचन्द जी गाँव के रहने वाले थे। अतः वे कृषकों के जीवन, उनकी सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति एवं ग्रामीण जीवन की शोचनीय अवस्था से भलीभाँति परिचित थे। इसलिए गरीबी के पक्षपाती मुंशी प्रेमचन्द ने उपन्यासों में गाँव के सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्र को भी सजीव रूप में उपस्थित किया है।

मुंशी प्रेमचन्द भाषा की दृष्टि से भी सदा स्मरणीय रहेंगे। इनकी भाषा ठेठ हिन्दुस्तानी, सीधी-भादी, मंजी, प्रौढ, परिष्कृत, संस्कृत-पदावली से प्रौढ और उर्दू से चंचल है। ये अपनी भाषा में प्रचलित ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करने में भी नहीं झिझकते थे। भाषा में सजीवता लाने के लिए उन्होंने मुहावरों और कहावतों का खूब प्रयोग किया है। यही कारण है कि उनकी जैसी चलती और मुहावरेदार भाषा बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलती है।

वस्तुतः मुंशी प्रेमचन्द ने हिन्दी-साहित्य की आजीवन सेवा की और उसका यशोवर्द्धन करते हुए मर मिटे। हिन्दी-नाट्य का रूप स्थिर करने, उपन्यास-साहित्य को मानव-जीवन से सम्बन्धित करने तथा कहानी को साहित्य-जगत् में अग्रसर करने का श्रेय महामानव मुंशी प्रेमचन्द जी को ही है। आपकी अमूल्य कृतियों के लिए हिन्दी-जगत् सदा आपका ऋणी रहेगा।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी

[ऑल इंडिया १९८५ : ए तथा बी; दिल्ली १९८४ 'ए']

हिन्दू धर्म में ३३ कोटि देवताओं की मान्यता है। आज के भारत में ३३ लाख नेताओं की गणना अवश्य की जा सकती है। इन नेताओं में कुछ सामाजिक हैं, तो कुछ धार्मिक और कुछ राजनीतिक। ये नेता-गण समाज का सुधार कर और धर्म का सच्चा ज्ञान बताकर तथा राजनीतिक दृष्टि से मार्ग-दर्शन कर चले जाते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके अनुयायी कुछ दशान्दियों तक उन्हें स्मरण रखने का प्रयास करते हैं, परन्तु उँगलियों पर गिने जाने योग्य कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं, जो सामाजिक पथ पर अपने पद-चिह्न छोड़ जाते हैं और इतिहास के पृष्ठों में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। ऐसे महान् नेताओं में श्रीमती इन्दिरा गाँधी भी एक थी। वे ही मेरी प्रिय नेता हैं।

नेता वह, जिसमें नेतृत्व करने की शक्ति हो, सामर्थ्य हो। श्रीमती गाँधी में यह गुण कूट-कूट कर भरा था। १९७१ में भारत-पाक युद्ध में विजयश्री धरण करने का श्रेय उनकी रणनीति को ही था। इसी विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्र ने उन्हें सर्वोच्च अलंकरण 'भारत-रत्न' से सम्मानित किया। सन् १९७४ में अणु-विस्फोट कर विश्व के अणु-प्रांगण में भारत को छठा स्थान प्राप्त कराने का श्रेय श्रीमती गाँधी को है। रूस की सहायता से १९७६ में बाल-उपग्रह वायुमंडल में भेजने तथा १९८० में एस० एल० बी०-३ राकेट द्वारा रोहिणी उपग्रह की उड़ान एवं १९८२ में 'इनसेट-१ए' की सक्षिप्त यात्रा तथा १९८३ में 'इनसेट-१बी' की स्थापना का श्रेय भी इन्दिरा जी को ही है। इतना ही नहीं, अप्रैल, १९८४ में भारत पुत्र को अंतरिक्ष में भेजने का श्रेय भी इन्दिरा जी को है।

नेतृत्व-क्षमता का सजीव चित्र उनकी पार्टी है। वे जिस ओर बढ़ी, जनता उनके पीछे चली। वे जहाँ खड़ी हो गईं, वहाँ पार्टी बन गई। १९६९ में अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। १९७७ की पराजय के पश्चात् दल का पुनः विभाजन हुआ। वे घबराई नहीं। उच्च मनोबल से आन्तरिक विद्रोह और विरो-

धियों के प्रहारों को काटती हुई वे १९८० में अपने दल को पुन. सत्ताह्वृ करवाने में सफल हो गईं।

श्रीमती गांधी जन-प्रिय थीं। वे जनता के मर्म को पहचानती थी, जनता के दिल की धड़कन को सुनती थी। उन्होंने सन् १९७१ में गरीब जनता की भलाई के लिए 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया। १९७९-८० के महानिर्वाचन में वे गरीब, पददलित, अल्पसंख्यक और हरिजन-जनता की समीहा बनकर अवतरित हुईं। यह उनकी जनप्रियता का प्रबल प्रमाण था कि जिस जनता ने सन् १९७७ में उनको और उनके दल को ठुकरा दिया था, उसी भारत ने केवल तीन वर्ष की अल्पकाल अवधि में भारी बहुमत से उन्हें जिताया, उन्हें स्नेह और सम्मान दिया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी कुशल राजनेता हैं। जे० एफ० क्लार्क का कथन है, 'कुशल राजनेता अगली पीढ़ी के बारे में सोचता है।' देश की राजनीति पर वृद्धों के आधिपत्य को कम करके युवकों को राजनीति में लाने के पीछे श्रीमती इन्दिरा गांधी की यही भावना है। युवा विधायक एवं सांसद राष्ट्र के नेतृत्व की द्वितीय पंक्ति हैं, जो अनुभव प्राप्त कर सहज ही बुजुर्गों से स्थान ग्रहण कर राष्ट्र को कुशल नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी महान् कूटनीतिज्ञ और कुशल राजनीतिज्ञ नेता थीं। वे विश्व के महान् राष्ट्रों में अपनी कूटनीति के बल पर भारत का भाल उन्नत किए हुए थीं। अमरीका, रूस, जापान और जर्मनी से सभी प्रकार की महायत्ता बटोरते हुए भी, उनकी हाँ में हाँ न मिलाना उनकी कूटनीति का परिचायक है। इतना ही नहीं, सन् १९७१ के भारत-पाक-युद्ध में अमरीका को अंगठा दिखाकर पाकिस्तान को विभाजित करने में उनकी कूटनीति की सफलता थी। मुद्द तया जनप्रिय जनता पार्टी को ढाई वर्ष के अल्पकालीन समय में छण्ड-ग्रण्ड कर इति-हास के रूढ़िदान में फेंक देने का श्रेय मात्र इन्दिरा जी की कूटनीति को ही था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी विश्व की राजनीति में बहुत तेजी से उभरी और उन्होंने भारत के भाल को उन्नत किया। १९८२ में सफल 'एनिसाड' का आयोजन किया। मार्च १९८३ में निर्गुंट आन्दोलन के देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सामनाध्यक्षों की सफल मेजबानी की। परिणामतः इन्दिरा जी निर्गुंट आन्दोलन को क्षयित बनीं। नवम्बर १९८३ में राष्ट्रकुल के ४७ राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रधानमन्त्री श्रीमती

मारग्रेट थवर ने भ.ग लिया। ये तीन आयोजन प्रत्येक दृष्टि से इतने सफल रहे कि विश्व के महान् कूटनीतिज्ञों ने भारत की इस क्षमता पर दाँतों में उँगली दबा ली।

इन्दिरा जी साहस और शक्ति की पुंज थी। पराजय ने उनको पराजित नहीं किया। आपत्तियों और विपत्तियों से उनका मनोबल नहीं टूटा। वे जेल-जीवन से घबराई नहीं, जनता सरकार के मुकदमों से हतोत्साहित नहीं हुईं। दो बार पार्टी टूटने पर सायियो के अलगाव से विचलित नहीं हुईं, बल्कि दृढ़ चट्टान की तरह अडिग खड़ी रही। जनप्रिय जनता-सरकार के नेता पराजित इन्दिरा गांधी के भय से भयभीत रहते थे। श्रीमती गांधी के चेहरे की कल्पनामात्र से हतोत्साहित हो जाते थे, उन्हें कंपकंपी छूटने लगती थी। ऐसा था वीरता की देवी श्रीमती इन्दिरा गांधी का तेजस्वी रूप।

लोकप्रिय नेता इन्दिरा जी का जन्म १६ नवम्बर, १९१७ को हुआ था। उनके जनक थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और जननी थी श्रीमती कमला नेहरू। इनका बचपन का नाम था 'इन्दिरा प्रियदर्शिनी'।

नियमित रूप से पढाई के अभाव में वे कोई विश्वविद्यालयी डिग्री प्राप्त न कर सकी। विदेश-भ्रमण के प्रभाव ने इनमें उन्मुक्त विचारों को जन्म दिया। इन्होंने विवाह भी एक पारसी युवक श्री फीरोज गांधी से किया था। इन्होंने दो पुत्र-रत्नों को जन्म दिया—राजीव गांधी और संजय गांधी। दुर्भाग्य से २३ जून, १९८० को संजय गांधी भी स्वर्ग सिंघार गए। राजीव गांधी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं।

इन्दिरा जी ने पिता के साथ रहकर राजनीति की शिक्षा ग्रहण की थी। कूटनीतिज्ञों के सम्पर्क में आकर वे कूटनीति में दीक्षित हुईं। अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा रही। पिता की मृत्यु के पश्चात् सूचना तथा प्रसारण मंत्री बनी। श्री लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरान्त आपने सन् १९६७ ई० में प्रधानमंत्री का पद सुशोभित किया था।

३१ अक्तूबर, १९८४ को उनके ही दो अंगरक्षकों, जो वस्तुतः सिख उग्रवाद के समर्थक थे, ने गोलीयाँ चलाकर उनकी हत्या कर दी। उनका पापिव शरीर दम लोह की छोड़कर चना गया, किन्तु उनकी आत्मा का स्वर विकसित भारत में ध्वनि से सुना जा सकता है। अतः वे मर कर भी अमर हो गईं।

राशन की दुकान पर मेरा अनुभव

(दिल्ली १९८० : 'ए')

नियंत्रित मूल्य तथा निश्चित मात्रा में वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था को 'राशनिंग' कहते हैं। जिस दुकान से वितरण की व्यवस्था की जाती है, उसे 'राशन की दुकान' कहते हैं। लगभग ७-८ वर्षों से राशन की दुकान का नाम 'उचित दर की दुकान' रख दिया गया है, जो असंगत है। कारण, उचित की व्याख्या राजकीय दृष्टि से सही हो सकती है, किन्तु मात्रा का नियंत्रण इस नाम से प्रकट नहीं होता। लकड़ी-कोयले के राशन-डिपो से निर्धारित मात्रा से अधिक सौ ग्राम कोयला तो ले लीजिए ! दुकानदार राशन की ब्लैक करने के अपराध में जेल की यातनाएँ भोगेगा और ग्राहक को गवाहियों के भुगतान में धन और समय बरबाद करना पड़ेगा।

'शश्व श्यामला' भारत-भूमि में राशन ! घी-दूध की नदियाँ जिस राष्ट्र में बहती थीं, वहाँ उचित दर की दुकान की व्यवस्था ! यह देश का अपमान है और अधिकारियों की कार्य-विधि की अक्षमता का परिचायक। आज देश में गेहूँ, चना, चावल खूब मिलता है, किन्तु फिर भी राशन है ! सरकार को इसमें दो लाभ हैं—प्रथम है जनता का ध्यान राष्ट्र-हित की समस्याओं से विचलित करना और दूसरा है अधिकारियों की चाँदी और देश के व्यापारी-वर्ग का नैतिक बल कमजोर करना। द्वितीय विश्व-युद्ध के समय चली राशन-व्यवस्था तत्कालीन स्वतन्त्रता-यान्दोलन की अग्नि को बुझाने का प्रयास था और आज हमारे शासनाधिकारी इसे अपनी असफलताओं को छिपाने का ग्राह्यम समझते हैं। वे चाहते हैं कि जनता गेहूँ, चीनी, कोयला-लकड़ी और मिट्टी के तेल के राशन से जूझती रहे, और उसे अवकाश ही न मिले—देश और देश की समस्याओं के विषय में सोचने का।

देश में गेहूँ, चावल, मँदा, सूजी खूब हैं, अतः राशन की दुकानों पर इनकी

कोई समस्या नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि देश के अधिकारियों का नैतिक पतन होने के कारण सरकारी एजेंसीज द्वारा खरीदे गेहूँ में कूड़ा-करकट अधिक होगा। गेहूँ बढ़िया किस्म का मोटा दाना नहीं होगा। दूसरे, सरकार के भोदाम में से निकला गेहूँ, कितना पुराना है, क्या कहा जा सकता है?

घर के लिए राशन लाने की ड्यूटी मेरी है। मैं ही इसे प्रेम से निभाता हूँ। साइकिल ली, एक बोरी या कट्टा तथा दो थैले लिए और चल पड़ा राशन की दुकान पर। हमारा दुकानदार प्रसन्न-वदन ध्यापारी है। मेरी शक्ल देखते ही 'आओ राजकुमार' कहकर मेरा अभिवादन करता है। भीड़ क्या, लाइन नाम की कोई समस्या नहीं। एक बार मैंने कह दिया, 'मेरा नाम स्वदेशकुमार है, राजकुमार नहीं।' हँसकर बोला 'स्वदेश के कुमार हो सकते हो, किन्तु अपने माता-पिता के तुम्ही राजकुमार हो।' मैं चुप। मैं भी मजाक में उसे 'अन्न-प्रदाता' का अपभ्रंश 'अन्नदाता' कहने लगा। वैसे उसकी बात का बुरा कोई नहीं मानता। एक दिन राशन लेने वाला एक युवक कीमती वस्त्र पहने अपने नौकर के साथ आया था। उसे उसने 'शहजादा सलीम' की सजा दे डाली।

राशनकांड दिखाकर पर्ची कटवाई। पैसे दिए, पर्ची ली। पर्ची राशन तोलने वाले को दी। उसने सब पदार्थ ठीक-ठीक तोलकर बोरी और थैलों में डाल दिए। बोरी का मुँह सुतली से बाँध दिया। मैंने कहा—'लाला, जरा गेहूँ की बोरी को साइकिल पर रखवा दो।' हँसकर कहता है—'कैसे हो देश के कुमार, जो एक मन गेहूँ नहीं उठा सकते। बदल दो अपना नाम।'

मेरी बातचीत चल ही रही थी कि एक बूढ़ा आई। लाला ने कहा—'माता जी को पहले राशन दे दूँ, फिर उठ्याऊँगा। मैं खड़ा रहा। तोलने वाले ने गेहूँ तोल कर माताजी की बोरी में डाले ही थे कि बूढ़ा ने ४-५ 'श्लोक मुना दिए। 'कम तोलता है, तुझे कीड़े पड़ेंगे। तू आँखों में धूल झोंकता है, तेरी औलाद बन्ध्या होगी।' लाला हक्का-चक्का। काटो तो खून नहीं। उसने हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहा, तो बूढ़ा और गालियाँ देने लगी। देखते-देखते ८-१० आदमी इकट्ठे हो गए। पास ही खड़ा नागरिक-सुरक्षा का प्रहरी (सिपाही) भी आ गया।

बात बढ गई। लाला की दलील थी कि इस गेहूँ को पुनः तोल देता हूँ। पर्ची के हिसाब से ठीक निकले, तो मैं सच्चा, किन्तु पुलिस वाला दोनों को पुसिध स्टेशन ले जाने के लिए बजिद। वह लाला से रुपए एँठने से चक्कर में था। इसी

बोच कहीं से राशन-इन्सपेक्टर आ टपका। उसने जनता को शान्त किया, बोरी का गेहूँ तुलवाया। पर्ची के हिसाब से गेहूँ बिलकुल ठीक।

‘जनता बालक एक समान’। हवा का रुख पलट चुका था। लाला सच्चा निकला। लोग बुढ़िया का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता—‘बहू से लड़कर आई है’, तो कोई और कुछ। बहरहाल बुढ़िया के विदा होने के मने बाद लाला से पुनः प्रार्थना की—‘सत्यवादी हरिश्चन्द्र जी मेरी बोरी तो उठवा दो।’ इस उपाधि से लाला हँसा और बोला, ‘बोरी उठाई की मजदूरी थोड़े ही मिलती है। गेहूँ का पैसा लिया है—उठवाने का नहीं।’ और चलचित्र की भाँति पल झपकते बोरी मेरी साइकिल पर थी।

घर जाकर सामान उतारा तो देखा राशन कार्ड थैले में ही नहीं है। सारे थैले देखे, बोरी-कट्टा देखा। कहीं न मिला। दीड़ा गया लाला की दुकान पर। पर्ची काटने वाले बलक की मेज पर शान्त भाव से कार्ड पड़ा था, व्याकुलता से अपने संरक्षक की प्रतीक्षा कर रहा था। कारण, उसे भय था कि उसका संरक्षक न आया, तो यह लाला उसे संदूकची में कँद कर देगा। मैंने बिना लिपिक को सम्बोधित किए कार्ड उठा लिया। लिपिक भी समझ गया। अतः उसने कुछ न कहा। कार्ड हाथ में लेने पर जान में जान आई। दो क्षण पछे के नीचे खड़ा हुआ। कार्ड भी हवा में फर-फर करके अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगा।

राशन लेने जाना मेरा धर्म बन गया और उस दिन से लाला को ‘सत्यवादी जी’ कहकर पुकारना मेरा स्वभाव बन गया। परिणामतः आज वह राशन की दुकान का मालिक ‘सत्यवादी जी’ के नाम से जाना जाता है।

□

यदि मैं पक्षी होता

(दिल्ली १९८१ : 'बो' १९८३ 'ए')

यदि मैं पक्षी होता तो स्वतन्त्रतापूर्वक मुक्त गगन में विचरण करता, भ्रूमंडल के दर्शन करता, इच्छानुसार भोजन करता और हरी-भरी तरु-टहनियाँ मेरी शय्या होतीं। मेरा जीवन स्वतन्त्र और स्वच्छन्दतापूर्ण होता।

स्वतन्त्रता और स्वच्छन्दता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। राजनीतिक रूप में स्वतन्त्र होने के बाद भी मानव अन्य अनेक दृष्टियों से पराधीन है। समाज में रहकर स्वच्छन्दता उसे प्राप्त नहीं। पग-पग पर मान-मर्यादा, सामाजिक बंधन, कानूनी व्यवस्था उसकी स्वच्छन्दता का दमन करती हैं। यदि मैं पक्षी होता, तो सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त होता। स्वच्छन्दता मेरी सहचरी होती। इच्छानुसार उठना-बैठना-सोना होता। मन-पसन्द खाना-पीना होता। मैं मनमानी शरारत और फ्रीडा करता। कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई आदेश देने वाला नहीं होता।

मानव भ्रमण के लिए तरसता है, सवारी का अवलम्ब लेता है, परमिट, पास-पोर्ट और बीसा की प्राप्ति में रात-दिन एक करता है, फिर भी वह न भ्रमण का पूरा आनन्द ले पाता है और न जगती की विविधता को पूरी तरह देख पाता है। यदि मैं पक्षी होता तो—

होती सीमा क्षितिज से, इन पंखों की होड़ा-होड़ी।

या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनकी साँसों की डोरी॥

(शिवमंगलसिंह 'सुमन')

मानव पर मुसीबत आ जाए, उसके दुःख-दरद में दूसरा शामिल नहीं होता। परदुःखकातरता की भावना लुप्त होती जा रही है। यदि मैं पक्षी होता तो मेरी एक आवाज पर सैकड़ों पक्षी इकट्ठे होकर मेरे सुर में सुर मिलाकर इतना शोर मचा देते कि दुःख, दरद और मुसीबत काफूर हो जाती।

यदि मैं पक्षी होता तो मनुष्य मेरे रंग-बिरंगे शरीर की आकृतियाँ अपने वस्त्रों पर उतारते; काष्ठ, मिट्टी या प्लास्टिक की मूर्तियाँ बनाकर अपने ड्राइग्रूम की शोभा बढ़ाते; तूलिका से मेरे रंग-बिरंगे चित्र बनाकर दीवारों को शोभायमान करते और मैं इस पर हर्ष अनुभव करता ।

यदि मैं पक्षी होता तो मानव मेरे अंग, मेरी चाल, मेरे स्वभाव पर गर्व करता । मुझमें उपमाएँ और मुहावरे ढूँढ़कर अपने कथन में प्रभावोत्पादकता लाता । सुन्दरियों की मनोहर नासिका की उपमा शुक की चोंच से, गर्दन की उपमा हंस और मोर की ग्रीवा से दी जाती । नव-युवतियों की चाल को हसिनी और मोरनी की चाल बताया जाता ! अनिन्द्य सुन्दरियों के नेत्रों की उपमा चकोरी के नेत्रों से की जाती । छिद्रान्वेपी, धूर्त, ढीठ रूप में मेरे कौवे रूप से उपमा की जाती । लोभी होने पर 'गिद्ध' कहा जाता । चील-सदृश क्षपट्टा, तोते-सी रटन्त, भ्रमर-सी वृत्ति मोर के से पंख, कोयल की-सी सुरीली वाणी, हारिल की लकड़ी, नीर-क्षीर विवेकी हंस, बगुला भगत, शान्ति का प्रतीक कबूतर, शक्ति और वीरता का प्रतीक बाज बताया जाता । इस प्रकार की उक्तियाँ मेरे लिए निश्चित ही गर्व का कारण बनतीं ।

यदि मैं पक्षी होता तो मानव से मित्रता गाँठकर उसका हित करता । छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़ों को खाकर फसल की रक्षा करता । मरे हुए पशुओं को खाकर वायु को दूषित होने से बचाता । दूर-दूर संदेश पहुँचाने के काम आता । जो लोग मुझे पालते, मैं उनका मनोरंजन करता । परस्पर युद्ध (तीतर-बटेर) करके मानव का मनोविनोद करता । अपनी और अपने अंडों की आहुति देकर उनकी क्षुधा शान्त करता ।

यदि मैं पक्षी होता तो आलसी और प्रमादी मानव-मात्र को सूर्योदय से पूर्व 'कुकड़ू कू' (मुर्गा) का उद्घोष करके जगाता । आँगन में चहक-चहककर (चिड़ियाँ) कलरव करता । मुँडेर पर बैठकर काँव-काँव (कौवा) कर शोर मचाता और छत पर चढ़कर 'गुटर-गूँ-गुटर-गूँ' (कबूतर) गुंजरित करता ।

यदि मैं पक्षी होता तो महाकवि रसखान की इच्छा पूरी करता, 'कार्लिदी कूल कदम्ब की डारन' पर बसेरा करता । आदि कवि वाल्मीकि और धर्म व्याख्याता कवि-शरोमणि तुलसीदास के शब्दों को कार्यान्वित करता । काक

भुशुण्ड बनकर प्रभु राम के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लेता। जटायु बन सीता के अपहरणदर्ता महाप्रतापी रावण से युद्ध करता। बादशाह अकबर के सुपुत्र सलीम के प्रेम-पत्र अनारकली तक पहुँचाकर उसकी प्रेम-अग्नि को प्रज्वलित करता। युद्ध में जामूसी कर तथा सन्देश पहुँचाकर राष्ट्र के ऋण से उद्धार होता।

यदि मैं पक्षी होता तो देवगण का वाहन बनता। कितनी प्रसन्नता होती मुझे। इतनी प्रसन्नता तो कृष्ण को रथी बनने में नहीं हुई होगी, कँकेयी को रथ की घुरी में उँगली डालने से नहीं हुई होगी। गच्छ बन भगवान् विष्णु का, उल्लू बन भगवती लक्ष्मी का तथा हंस बन ज्ञान की देवी सरस्वती का वाहन बनने का गौरव प्राप्त करता।

यदि मैं पक्षी होता तो मानव के भविष्य का लेखा पढ़कर उसे घटनाक्रम से पूर्व ही सचेत कर देता। प्रातःकाल द्वार पर काँव-काँव करके अतिथि-आगमन की सम्भावना प्रकट करता। चील रूप में मेरे सामूहिक मंडराने से मृत्यु का बोध होता। मयूर रूप में मेरे नृत्य की तैयारी से वर्षा के आगमन का पूर्वाभास होता।

यदि मैं पक्षी होता तो मानव को स्वावलम्बिता का पाठ पढ़ता। रोटी के लिए श्राथ पसारने की बजाए श्रम के महत्त्व को समझाता। उन्हें बताता कि मैं शुष्क-शांति के लिए दूर-दूर तक चक्कर काट लेता हूँ। मानव को सीना (पत्तों के किनारे), बुनना (मकड़ी का जाला) और नीड़-निर्माण की कला बताता। व्योम-विहार के नए-नए आविष्कार का प्रेरक बनता। संगठन-सूत्र का मंत्र बताता (कोए समूह में रहते और विहार करते हैं)।

प्रभु की असीम कृपा होती यदि मैं पक्षी होता। तब प्रभु इस मायावी सत्ता से मुझे शीघ्र अपने सान्निध्य में बुला लेते। मैं अस्पताल या घर की चारदीवारी के घुटे वातावरण में दम नहीं तोड़ता, बल्कि प्रकृति की स्वच्छन्दता में अन्तिम साँस लेता। ईश्वर प्रकृति का ही रूप है। प्रकृति-प्रेमी होने के कारण मुझे ईश्वर भक्त माना जाता। ईश्वर-भक्ति मोक्ष की अधिकारिणी। अतः यदि मैं पक्षी होता तो स्वर्ग-नरक के संश्लट, इहलोक और परलोक की विडम्बना से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त होता।

बस की आत्मकथा

(ऑल इण्डिया : १९७३)

मैं बस हूँ—आपकी यात्रा का सर्वश्रेष्ठ सरल, सुलभ और आरामदेह माध्यम; आपके अभीष्ट स्थान पर रुकने वाली, शहरों के कोने-कोने, सुदूर ग्राम-अंचल या उत्तुंग शैल-शिखरों तक आपको पहुँचाकर दम लेने वाली—बस। 'कम खर्च ज्यादा सुखद सफर', मेरे जीवन का उद्देश्य है। डीजल मेरा भोजन है, पानी मेरी प्यास मनाव-शरीर पाँच तत्त्वों द्वारा निर्मित है, किन्तु मेरे शरीर में छ. तत्त्वों का मिश्रण है—लोहा, लकड़ी, शीशा और रबड़ मेरे बाहरी अवयव हैं। मेरी आत्मा मेरा इंजन है, जो सारे ढाँचे को जीवन प्रदान करता है। वायु मेरे चरण हैं। मनुष्य का वायु तत्त्व समाप्त हो जाए, तो शरीर शव बन जाता है, उसी प्रकार मेरे छः पगों में से किसी एक की भी हवा निकली, तो मेरा शरीर जड़, गतिहीन।

जमाने की चाल का असर मेरे ऊपर भी पड़ा है। भगवान् विष्णु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए दस बार थवतार लिया है, मैंने भी अपने बदलते रूप-विधानमें यात्री को अधिकतम सुविधाएँ देने का प्रयास किया है। साधारण, डीलक्स, एअर-कंडीशंड, सुपर डीलक्स रूप मेरी प्रगति के द्योतक हैं। डीलक्स बस में बैठने और थोड़ा लेटने की सुविधा है, तो एअर-कंडीशंड में वातावरण को वातानुकूलित करने की क्षमता है। सुपर डीलक्स में शंका-निवारण का भी प्रबन्ध है।

रेलों से मैंने चाल सीखी। चाल के अनुरूप मैंने नाम धारण किए—पैसेन्जर, फास्ट, सुपर फास्ट, नॉन स्टॉप नाम मेरी गति के परिचायक हैं। स्थान-स्थान पर सवारी लेती-उतारती चलती हूँ, तो पैसेन्जर बस कहलाती हूँ। छोटे-मोटे स्टॉपों की परवाह न कर बड़े स्टॉपों पर क्षण-दो-क्षण रुकती हूँ, तो फास्ट कहलाती हूँ। लॉग रूट पर जब चलती हूँ, तो अनेक बड़े स्टॉपों को उसी प्रकार नमस्कार करती हूँ, जैसे किमी अन्य कार्य में व्यस्त श्रद्धालु मनुष्य मन्दिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में

अन्दर न घुसकर बाहर से ही हाथ जोड़ कर, सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता है। 'नॉन स्टॉप' तो न रुकने का वाचक है ही, गन्तव्य से पूर्व न ठहरने की शपथ है।

आइए, अब मेरा आकार देखिए। साधारण बस में ४०-४२ सीटें होती हैं, तो कुछ बड़े आकार की बसों में ताश के बावन पत्तों के समान ५२ सीटें। 'आवश्यकता आविष्कार की जननी है' के अनुसार पहाड़ों पर, सड़कों के भयंकार मोड़ों के कारण बड़े आकार वाली बसें नहीं चल सकती थीं, किन्तु अब वैज्ञानिक प्रगति ने पहाड़ों के मोड़ों की भयंकरता का मर्दन कर दिया है और वहाँ भी साधारण और लम्बी बसें चलने लगी हैं, किन्तु ये लम्बी बसें महानगरों में बढ़ती जनसंख्या की भयंकरता का सामना करने में असफल हो गईं। अतः मैंने हनुमान जी की भाँति 'मिनी बस' के रूप में लघु आकार ग्रहण किया। शहरों की बड़ी-बड़ी सड़कों पर चलने वाली 'डबल डेकर' तथा 'टेलर बस' मेरे नए आकार थे। दुर्मजिली बस (डबल डेकर) या जुड़वाँ बस (टेलर बस) जनसेवा के लिए वरदान ही हैं।

मैं आपके उपयोग के लिए हूँ। उपयोगी पदार्थ का प्रयोग ही उसका मूल्य है, अन्यथा कूड़ेदान की रद्दी से अधिक उसकी कोई कीमत नहीं। पर उपयोगी वस्तु का प्रयोग भी प्रेम से कीजिए, उसके प्रयोग में नियमों का ध्यान रखिए। नियमोल्लंघन करेंगे, तो दण्ड मिलेगा। मेरे द्वारा यात्रा करते हुए अपने शरीर का कोई अंग खिड़की से बाहर न निकालिए, वरना दुर्घटना हो सकती है। ड्राइवर के समीप वाली कम-से-कम तीन सीटों पर सोइए नहीं, वरना चालक को झपकी आ सकती है और सबकी जीवन-लीला समाप्त हो सकती है। धूम्रपान न कीजिए। इससे दुर्गन्ध फैलती है और बस में आग भी लग सकती है। बस में झूकिए नहीं, इससे रोग के कीटाणु दूसरों को लग सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप मेरे सौन्दर्य का मजा तो लूँ, पर उसे विकृत न करें, मुझे गन्दा न करें। बीड़ी-सिगरेट के टुकड़े, माचिस की तिल्ली, मूँगफली, ड्राई फ्रूट, फलों के छिलके, रद्दी कागज मेरे अन्दर न डालें। मेरी सीटों को पाँव से गन्दा न करें। मेरी सीटों को फाड़ें नहीं, शीशों को तोड़ें नहीं, मेरे सवाहक से झगड़ा करके उसका मूँड खराब न करें। चालक को परेशान न करें।

अर्हानिश सेवा मेरा धर्म है। जनता-जनार्दन को गन्तव्य तक पहुँचाना मेरा कर्तव्य है। क्षण-दो-क्षण विश्राम करता हूँ, वह भी शरीर को पुनः स्वस्थ करने

के लिए। कारण, कभी-कभी निरन्तर यात्रा से मेरा इंजन गरम हो जाता है। गरम इंजन चलने से इन्कार कर देता है, आपकी यात्रा में व्यवधान डालता है। चालक और सवाहक अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं, किन्तु मेरे कदम कभी नहीं रुकते। दूसरे चालक और सवाहक आकर मुझे चलाते हैं, कार्यरत करते हैं।

मेरी सेवा मेरी लोकप्रियता की निशानी है। चाहे स्थानीय सेवा हो या लम्बा सफर, लोग रेलों से कतराते हैं और मुझे प्राथमिकता देते हैं। मुझे देख कर प्रसन्न होते हैं और किसी कारणवश आप मुझ पर चढ़ न सके, तो उदासी आपके चेहरे को गमगीन बना देती है। दिल्ली से जम्मू तक का महा-विस्तृत सफर मैं एक सांस में पूरा करती हूँ। रेल को आप मनचाही जगह रोक नहीं सकते, स्टेशन पर समय से अधिक ठहरा नहीं सकते। पर साहब, मुझे जहाँ चाहे, रोक लीजिए। बस-अड्डे पर आप कुछ खा-पी रहे हैं, तो आपकी प्रतीक्षा करूँगी, आपको छोड़कर जाऊँगी नहीं।

मेरा एक भयंकर रूप भी है... वह है मृत्यु से साक्षात्कार। यमराज का निमन्त्रण। मेरे अग का एक अवयव 'ब्रेक' फेल हो जाए, मेरा चालक असावधान हो जाए या अन्य कोई वाहन अनचाहे प्रेम दिखाने लगे, तो टकराव के परिणाम के लिए जगत्-नियन्ता प्रभु ही रक्षक है। उस स्थिति में मैं बस नहीं, 'वेबस' हो जाती हूँ, असहाय और असमर्थ हूँ।

आइए, सानन्द, सोत्साह तथा सरलता से अपनी भगलमयी यात्रा के लिए मुझे अपनाइए, मेरा निमन्त्रण स्वीकार कीजिए।

रेलगाड़ी की आत्म-कथा

(विस्ती १९८२ : 'ए')

मेरा नाम रेलगाड़ी है। जाजं स्टीफेन्सन मेरे जनक हैं। यूरोप मेरी जन्म-भूमि है। मैं लोह-पथ-गामिनी हूँ। अनेक दशकों तक कोयला मेरा भोजन था, पानी मेरे प्राण तथा भाप मेरी शक्ति। वैज्ञानिक अनुसंधानों की प्रगति ने मेरे खाद्य-पदार्थ बदले और मैं डीजल और बिजली द्वारा जीवन-शक्ति ग्रहण करने लगी।

भारत में मेरा जन्म-दिवस १६ अप्रैल, १८५३ है। इस शुभ दिन मैं ४०० यात्रियों को लेकर बम्बई से घाना के लिए चली थी। आज १३० वर्ष पश्चात् मेरा जीवन विकसित हुआ है। भाप, डीजल तथा बिजली—तीनों की सहायता लेकर मैं यात्रियों की सेवा कर रही हूँ। भारत में न केवल मेरी व्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ है, अपितु मेरी प्रौद्योगिकी में भी उल्लेखनीय विकास हुआ है। आज लगभग मेरे १०,८०० प्रतिरूप ७० लाख से अधिक यात्रियों और ५.५ लाख टन सामान को लगभग ७००० रेल-स्टेशनों तक पहुँचाने की सेवा में रत हैं।

मूलतः मैं लोह-निर्मित हूँ और लोह-चरणों से लोह-पथ पर चलती हूँ। मेरी दुम—डिब्बे—कम्पार्टमेंटस् लकड़ी की कारीगरी के कौशल हैं। मैं विद्युत्-शक्ति से विभूषित हूँ, आरामदेह, गद्देदार सीटों से अलंकृत हूँ।

मेरा एक-एक अंग (डिब्बा) वैज्ञानिक तथ्यों का सदुपयोग है। स्थान का सदुपयोग करना कोई मुझसे सीखे। पूरे परिवार के लिए जो कुछ अनिवार्य है, एक डिब्बे में सभी कुछ प्राप्त है—बैठने के लिए बर्च, सामान रखने अथवा विधाम के लिए 'टॉड', क्रस वेंटीलेटेड विन्डोज, प्रकाश के लिए बल्ब, हवा के लिए पंखे, शौचालय तथा हाथ-मुँह धोने के लिए वाश-बेसिन। इन सबके अतिरिक्त आपात-काल में मेरी गति अवरुद्ध करने के लिए हर डिब्बे में 'खतरे की जंजीर' भी है।

गति के अनुसार मेरे तीन रूप हैं—पैसेन्जर, मेल, सुपरफास्ट । इसी के अनुसार मेरे डिब्बों के भी तीन विभाग हैं—द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित । बर्च-व्यवस्था भी तीन प्रकार की है—नकड़ी के बँच, गद्देदार सोफा तथा आरामदेह कुर्सियाँ । इसी प्रकार बैठने की तीन व्यवस्थाएँ हैं—सार्वजनिक व्यवस्था ४ या ६ यात्रियों की साप्ताहिक व्यवस्था तथा एक-एक कमरा (कॉरीडोर) व्यवस्था । इसी प्रकार मेरी फीस भी त्रिरूपा है—पैसेन्जर फीस कम, मेल की लगभग डेढ़ गुनी तथा सुपरफास्ट की लगभग ढाई गुनी ।

भारत में मेरा रूप एशिया में सर्वाधिक विराट् है, तो विश्व में विराटता की दृष्टि से मेरा चौथा स्थान है । मेरे लोह-पथ की लम्बाई मात्र भारत में ६०१४६ किलोमीटर है । इसमें ३०२२६ किलोमीटर बड़ी लाइन है, तो २९९१७ किलोमीटर मीटर लाइन तथा ४४७६ किलोमीटर छोटी लाइन है ।

मेरे प्रस्थान करने तथा रुहरने के निश्चित स्थान हैं । इन्हें स्टेशन कहते हैं । स्टेशन भी तीन प्रकार के हैं—छोटे ग्रामीण स्टेशन, बड़े नगरीय स्टेशन (जंक्शन) तथा महान महानगरीय स्टेशन । ये स्टेशन मेरी व्यवस्था, सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं । प्रायः स्टेशनों के चार भाग होते हैं—बाहरी प्रागण, प्रवेशप्रागण, प्लेट फॉर्म तथा पटरी । हर जंक्शन पर मेरे पहियों की देखभाल होती है, मुझे पानी प्रदान किया जाता है, हर विशिष्ट अवयव की जाँच होती है ।

मैं समय की णबन्द हूँ । समय की पक्चुअलिटी को कोई मुझसे सीखे । मेरी गति 'घड़ी की सुइयों' को खुले नेत्रों से देखती रहती है । आप एक सोकेण्ड विलम्ब से स्टेशन पहुँचे, मैं प्लेटफॉर्म छोड़ रही होती हूँ । यात्रा करते हुए आप किसी स्टेशन पर पानी पीने या जलपान करने उतरे और आपने मेरी चेतावनी की उपेक्षा करके एक क्षण का विलम्ब कर दिया, तो मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं करूँगी, आपको चाहे कितनी भी हानि उठानी पड़े । किसी भी स्टेशन पर धक्का-मुक्की में चढ़ न सके या गतव्य पर उतर न सके, तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आपको चार बार चेतावनी देती हूँ—दो बार सीटी बजाकर और हरी झंडी दिखाकर मेरा अग्रक्षक 'गार्ड' आपको सावधान करता है तथा दो बार मैं सीटी मारती हूँ । मेरे लिए टाइम की कीमत है । मैं जानती हूँ कि मुंह से निकले शब्द 'समय और कभी वापस नहीं बुलाए जा सकते ।' तथा 'जो बक्त की जरूरतों को पूरा नहीं करते, वक्त उन्हें बरबाद कर देता है !'

सवारी और सामान ढोना मेरा कर्तव्य है। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक, एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक, एक नगर से दूसरे नगर तक, महानगर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक यात्रियों की सेवा करके राष्ट्र का आशीर्वाद एवं स्नेह प्राप्त करती हूँ। इसी प्रकार हलका अथवा भारी से भारी बोझ उठाकर गंतव्य तक पहुँचाना मेरा दायित्व है। डाक-व्यवस्था के सुचारु संचालन की मैं रीढ़ हूँ। आपकी चिट्ठी, पार्सल, मनीआर्डर मैं ही आपके नगर तक पहुँचाती हूँ।

मैं मच्चे अर्थों में धर्म-निरपेक्ष हूँ। सभी जाति, धर्म, सम्प्रदाय तथा प्रांतों के लोग मेरी सवारी करते हैं। एक साथ बैठते हैं, हँसी-ठट्टा करते हैं। कोई किसी से नफरत नहीं करता; मेरे स्टेशन 'असाम्प्रदायिकता' के जीवन्त प्रतीक हैं; यहाँ के नल, बेंच, शौचालय, प्लेटफॉर्म सभी लोग समान रूप में प्रयोग कर सकते हैं। धर्म-विशेष के कारण किसी को कोई रियायत नहीं, किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं।

जीवन-व्यवस्था में जहाँ मेरा महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ मैं अत्यन्त शक्तिशाली भी हूँ। 'जो मुझ से टकराता है, चूर-चूर हो जाता है।' मुझे कोई हानि नहीं पहुँचती। बस, फार, टुक तो मेरे सामने चीटी हैं। यही सोचकर जीवन-जगत् से निराश मानव आत्महत्या करने पेरे लोह-पथ की शरण लेता है। हाँ, कभी-कभी दो बहनों (रेलों) की टक्कर मनुष्यों को नानी-दादी याद करवा देती है, हमारे रूप विकृत कर देती है, हमारी सजारियों को यमलोक पहुँचा देती है ठीक ही कहा है—गृह-कलह नाश की जड़ है।

भ्रष्टाचार और चरित्र-हीनता आज के भौतिकवादी दृष्टिकोण की सबसे बड़ी देन हैं। उसकी काली छाया ने मेरे स्वरूप को विकृत करने में भी कोई कसर न छोड़ी। चोरो, डाके, हत्या, बलात्कार मेरे सौन्दर्य को बिगाड़ रहे हैं, तो मेरे टिब्बों से शीशे, पत्थर, गद्दों की चोरी, मेरे छाद्य-पदार्थों को यमला-डीजल की चोरी मेरी काया को क्षीण कर रहे हैं। कार्य में प्रमाद करने या कार्य के प्रति उपेक्षा भाव के कारण दो बहनों (रेलों) की टक्कर कराने वाले अधिकारी विश्व में हमारा मुँह काला करने पर चुने हैं।

घरेलू-नौकर की आत्मकथा

(दिल्ली १९८२ : 'बी')

मैंले वस्त्र पहने, नीची निगाह [किए, डाट-फटकार सहता, अर्ध-बुभुक्षित यह कौन प्राणी है ? कौन है यह जो ब्राह्ममुहूर्त में उठकर देर रात्रि तक कर्मनिष्ठ रहता है ? कौन है यह जीवधारी, जिसकी भूख की किसी को चिन्ता नहीं, प्यास की परवाह नहीं ?

'मैं हूँ', चौंकीए नहीं, मैं हूँ आपका घरेलू नौकर । आपके घर पर एक दशक वर्ष से सेवारत हूँ । आपने तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ ? मेरे ऊपर क्या बीत रही है ? दो दशक पूर्व हिन्दी की कवयित्री महादेवी जी ने 'रामा' से पूछा था । २० वर्ष पश्चात् दिल्ली के माध्यमिक स्कूल के परीक्षक को मेरी याद आई है । कहता है अपनी आत्मकथा लिख ।

शोपेनहार के शब्दों में 'प्रत्येक आत्मकथा पीड़ा का इतिहास है, क्योंकि प्रत्येक जीवन महान् और छोटे दुर्भाग्य का क्रमिक विकसित रूप है । 'महादेवी जी ने 'रामा' से कहा है—'अपने विषय में कुछ कहना प्रायः बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि अपने दोष देखना अपने आपको अप्रिय लगता है और उनको अनदेखा करना औरों को ।'

गृह-स्वामी के पुत्रों का कर्णविध संस्कार हुआ । घर भर में खुशी का आलम । घर की सजावट, दिलों की रंगीनी, सम्बन्धियों की हँसी-ठट्टा, मित्रों की चुहुल, बहुत बड़ा मेला और इसमें मैं अकेला । जितना जमघट, उतनी बोझ की बढ़ो-त्तरी । दम मारने की फुरसत नहीं । शरीर दूटकर देहाल । रात को अनचाहे नींद आ गई ।

प्रगाढ़ निद्रा । ब्रह्म मुहूर्त का समय । १५ वर्ष पूर्व का दृश्य सामने आ गया । मेरे पिता का दूसरा विवाह । घर में खुशियाँ । विमाता आई । एक तो गरीबी,

ऊपर से विमाता। अत्याचार, अनाचार का अतिक्रमण हुआ। एक दिन मेरे मामा से न सहा गया। वह मुझे दिल्ली ले आया। वह बेचारा भी गरीब था। मामी झल्लाई—‘अपने पेट को तो पूरा पड़ता नहीं, ऊपर से एक और’। ५ वर्ष का बालक डाँट से डर गया। भय से सिहर उठा।

मामा ने एक चाय वाले की दूकान पर नौकर रखवा दिया। दो वक्त की रोटी, दो वक्त की चाय। प्रातः ५ बजे से रात दस बजे तक काम। गाँव का नासमझ, खेल-कूदी बच्चा और १६ घंटे की ड्यूटी। दिन में तारे नजर आने लगे, मरता क्या न करता। साथियों ने बेईमानी सिखा दी, चाय-बिस्कुट चोरी करना सिखा दिया। मैं सब कुछ सीखता रहा। साथी कहते—‘जब साला मालिक नहीं सोचता, दिल्ली-श्रम कानून हमें नहीं बचाता, तो हम ही वफादार, ईमानदार क्यों रहें?’ दो साल गुजर गए। मैं सात साल का हो गया।

नौकरी बदली। घर का मुडू बन गया। मालिक दयालु, किन्तु मालकिन जालिम। सुबह अँगोठी सुलगाने से लेकर रात को सबको निद्रा-देवी की गोद में सुलाने तक की जिम्मेवारी। यहाँ चाय दो-तीन बार मिलती तो थी, पर अब मालिक की कृपा हो जाए अथवा बच जाए। बची-खुची चीज मालकिन ऐसे प्यार से पिलाती-खिलाती, मानो मैं उनकी कोख से जन्मा हूँ। यहाँ एक सुख था। मालिक के दो बच्चे थे—एक मेरा हम उमर, दूसरा मुससे छोटा। घड़ी-दो-घड़ी उनके साथ खेलने को मिल जाता था।

जीवन के संघर्षों ने अनुभूति उत्पन्न कर दी थी, दुनियादारी समझने लगा था, भला-बुरा पहचानने लगा था। अल्पायु में मन का विकास हो रहा था। बच्चों को पढ़ते देखकर मेरे मन में भी लालसा जगी। मालिक के दोनों बच्चे मेरे भाई बन गए। मालकिन के स्वभाव में भी अन्तर आ गया था। दोपहर एक घंटा पढ़ने-लिखने को मिलने लगा। मेरे गुरु थे मेरे मालिक-पुत्र। हिन्दी में पढ़ना और लिखना मुझे आ गया। अब मैं घर का नौकर नहीं, तीसरा पुत्र बन गया।

एक दिन जब दोनों भाइयों के लिए नए कपड़े लाए गए, तो मैं मचल गया। ज़िद कर बैठा—‘मुझे भी ऐसे ही कपड़े सिलवाओ। मालकिन डाँटती रही, मालिक समझाते रहे, मैं रोता रहा, ज़िद पर अड़ा रहा। बड़े भाई की सिफारिश काम आई। अब मैं साफ, सुन्दर वस्त्रों में रहता था। अब मैं घर का नौकर बहुत कम लगता था।’

माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। विमाता की याद मुझ कभी आती नहीं थी। साल में पिताजी के दो-चार पत्र घर की याद ताजा कर देते थे। उन पत्रों में सदा पैसों की फरमाइश रहती थी। मेरे चार सौतेलेभाई-बहिन हैं, यह पिताजी की चिट्ठियाँ बताती है। वे मुझे नहीं जानते, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। विमाता की बीमारी, घर का दारिद्र्य, पिताजी की बेवसी अब मुझ पर कम असर डालते थे।

मैं सुखी हूँ। सुख की नीद में करवट बदलता हूँ। मालकिन झकझोर रही हैं—‘उठ पगले, दिन निकल आया। मेहमानों को चाय पिलानी है।’ मैं उठा। अलसाईं आँखों में कर्त्तव्य का बोध हुआ।

परिवार चाय पी रहा था। अचानक मालकिन ने बताया कि कल भात में जो ११००-रुपए आए थे, वे थाली में नहीं हैं। शोर मच गया। खोजबीन शुरू हुई। शक-आशंकाएँ होनी शुरू हुईं। प्रश्न था कौन किसकी तलाशी ले? घर का वातावरण बदल गया। जो रिश्तेदार दो-चार दिन ठहरने वाले थे, शाम तक चले गए। चलते वक़्त सब एक ही सलाह दे गए—‘घर के नौकर से सावधान रहना। आज तो ११०० रुपये गए है, कल को जेवरो से हाथ न धो बैठो।’

मालिक-मालकिन और दोनों पुत्रों का विश्वास हिल गया। शका ने मेरे प्रति उनका दृष्टिकोण बदल दिया। मुझे लगा, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुरन्त छोड़ता हूँ, तो चोर कहलाऊँगा। अतः तीन मास पश्चात् गाँव चले जाने का निश्चय करके उससे एक मास पूर्व मालिक को सूचना दे दी। मेरा चिन्तन प्रखर हुआ। टेलीविजन पर ‘तीसरी कसम’ पिक्चर देखी थी। मैंने भी एक कसम खाई, ‘घरेलू नौकरी नहीं करूँगा।’

मालिक-मालकिन तथा बंधुओं का परिवार छोड़ने से पूर्व अपने शरीर, वस्त्र, अटँची, पोटली की स्वयमेव चँकिंग करवाई। एक-एक जेब उल्टी करके दिखाई। मालकिन मेरे इस व्यवहार से रूआँसी हो गईं। उनकी आँखों में आँसू छल-छला आए।

उन्होंने मुझे घरेलू नौकर से हटाकर मेरी पदोन्नति कर दी। अब मैं उनके व्यवसाय का कर्मचारी हूँ। आठ घंटे काम करता हूँ। मालिक का अत्यन्त विश्वासनीय कर्मचारी—घरेलू नौकर नहीं।

नदी की आत्म-कथा

हिमगिरि के हिम से निकल-निकल, यह बिमल बूध-सा हिम का जल,
कर-कर निनाद कलकल छलछल, बहता आता नीचे पल-पल,
तन का घंचल, मन का बिह्वल ।

—गोपालसिंह नेपाली

हिमगिरि से निकल, कलकल छलछल करती, निरन्तर प्रवहमान निर्मल जल-धारा नदी—जी हाँ, मैं 'नदी' हूँ। पर्वतशृंखला मेरी माता है, समुद्र मेरा पिता है। माता की गोद से निकलकर कहीं धारा के रूप में और कहीं झरने के रूप में इठलाती-गाती आगे-आगे बढ़ती हुई वसुधा के वक्षस्थल का प्रक्षालन करती हूँ, सिंचन करती हूँ और अन्त में पितृ-अंक—विशाल जल—निधि में शरण लेती हूँ।

हृदय की विशालता देखकर मुझे 'दरिया' कहा गया। सदा-सतत बहाव के कारण मेरा 'प्रवहिणी' नाम पड़ा। मेरे सर्वाधिक पवित्र पुष्प-मलिल रूप को 'गंगा' कहा गया। गंगा के समानान्तर बहने वाले रूप को 'यमुना' नाम से पहचाना गया। दक्षिण भारत के गंगा रूप को 'गोदावरी' कहा गया। पवित्रता की इस शृंखला में मुझे 'कावेरी', 'नर्मदा' तथा 'निधु' नाम भी दिए गए।

मैं लोक-मंगल की देवी हूँ। प्राणि-मात्र की मेधा मेरा व्रत है, सतत जनहित मेरी तपस्या है, जन्-कल्याण मेरी वर कामना है। भूमि-सिंचन मेरा धर्म है। मुझसे नहरें निकालकर सेतो तक पहुँचाई जाती हैं, मिचाई से भूमि उर्वरा होती है, अनाज अधिक पैदा होता है। अनाज ही जीवों का प्राण है ('अन्नं च प्राणा'—वेद)। अतः मैं जीवों की प्राणदात्री हूँ। मैं पेड़-पौधों का सिंचन करती हूँ।

मेरे जल से प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं, बहते नीर में स्नान करके न केवल आनन्दित होते हैं, अपितु स्वास्थ्यवर्धन भी करते हैं। आज का अभिमानी नागरिक कह सकता है कि हम तो नगर-निगम द्वारा वितरित जल पीते हैं, जो नलों से आता है। ओ अभिमानी मानव ! यह न भूल कि मेरा ही जल है, जिसे संगृहीत

करके रासायनिक विधि द्वारा पेय बनाकर नलों के माध्यम से तुम्हारे पास पहुँचाया जाता है। इसलिए कहती हूँ—मेरा जल अमृत है और पहाड़ों से जड़ी-बूटियों के सम्पर्क के कारण औषधियुक्त है।

मेरे तट तीर्थ बन गए। शायद इसीलिए घाट को 'तीर्थ' कहा गया, क्योंकि तीर्थ भवसागर पार करने के घाट ही तो हैं। सात पुरियाँ—अयोध्या, मथुरा, गया, काशी, कांची, अवन्तिका तथा द्वारिका एवं असंख्य धार्मिक पवित्र स्थान मेरे ही तट पर बसे हैं। इतना ही नहीं वर्तमान भारत के पिता महात्मा गाँधी और प्रथम महामात्य पं० नेहरू और लालबहादुर शास्त्री की समाधियाँ भी मेरे ही तट को अलंकृत कर रही हैं। मुझे 'मोक्षदायिनी' का पद प्रदान कर मेरी स्तुति गाई जाती है, आरती उतारी जाती है।

स्नान की दृष्टि से मेरे अन्दर स्नान पुण्यदायक कृत्य माना गया है। अमावस्या, पूर्णमासी, कार्तिक-स्नान, गंगा-दशहरा तथा अन्यान्य पर्वों पर मेरे दर्शन, स्नान तथा मेरे जल से सूर्य-अर्चन तो हिन्दू-धर्म में पवित्र धर्म-कर्म की कोटि में सम्मिलित है।

मेरी धारा को ऊँचे प्रपात के रूप में परिवर्तित करके विद्युत् का उत्पादन किया जाता है। विद्युत् आधुनिक नभ्यता का जीवनाधार है, उन्नति का मूल मंत्र है, आविष्कार और उद्योग का प्राण है। यह दैनिक चर्चा में मानव की चेरी है और बुद्धि-प्रयोग में वह मानवीय-चेतना का 'कम्प्यूटर' है। यदि मेरे शरीर रूपी जल से विद्युत् तय्यार न हो, तो उन्नति के शिखर पर पहुँची विश्व-सभ्यता वसुधा पर औघो पड़ी कराह रही होगी।

मेरे परिवहन के लिए भी उपयोगी माध्यम सिद्ध हुई हूँ। परिवहन व्यापार-वृद्धि का अनिवार्य अंग है। प्राचीन काल में तो सम्पूर्ण व्यापार ही मेरे द्वारा होता था, किन्तु आज जबकि परिवहन के अन्यान्य सुगम साधन विकसित हो चुके हैं, तब भी भारत-भर में नौका-परिवहन-योग्य जलमार्गों द्वारा ५६ लाख टन सामान की ढुलाई की जाती है। यही कारण है कि मेरे तट पर बसे नगर व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।

मैं एक जीवन्त इतिहास हूँ। जगती के आदिकाल में अब तक की घटनाओं को हृदय में सजोए हुए हूँ; मर्यादापुरुषोत्तम राम ने मुझ में समाधि ली; ६४ कला-

पूर्ण भगवान् कृष्ण ने मेरे तट पर अविस्मरणीय क्रीड़ाएँ की ; भारत के प्रथम महामात्य श्री जवाहरलाल नेहरू ने मेरे तट पर पूर्ण स्वराज्य-प्राप्ति की शपथ ली थी ।

मैं मानव के आमोद-प्रमोद के काम आई; मनोरजन का साधन बनी । एक ओर मानव मेरी धारा में तैराकी का मजा लेने लगा, ताँ दूसरी ओर जल-क्रीड़ा में घटों आनन्दित होने लगा । नौका-विहार का आनन्द लेने के लिए वह मचल उठा । चाँदनी रात हो, समवयस्क हमजोलियों की टोली हो, गीत-सगीत का मूड हो, तालियों की लयबद्ध ताल हो, तो नौका-विहार के समय किसका हृदय वल्लियों नहीं उछलेगा ?

मैं अबाध हूँ । विघ्न-बाधाओं से धबराती नहीं हूँ । निरन्तर आगे बढ़ना मेरा धर्म है । मार्ग में रोड़े-पत्थर, शिलाएँ मेरी गति को अवरुद्ध करने की चेष्टा करती हैं । उनकी चेष्टा निष्फल होती है । मैं पत्थरों को अपने साथ बहा लाती हूँ, शिलाओं को अपने प्रवाह से टुकड़े-टुकड़े करके अस्तित्वहीन कर देती हूँ । उस समय का स्थिति का वर्णन गोपालसिंह नेपाली के शब्दों में आप भी सुनिए—

आकुल, आतुर, दुःख से कातर, सिर पटक-पटक रो-रोकर ।

करता है कितना फोलाहल, यह लघु सरिता का बहता जल ॥

मनोमुग्धकारी फूल के साथ कष्टदायक काँटे भी होते हैं । अति शीतल चन्दन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है । अतिवृष्टि के कारण बरसाती नाने जब मेरे पवित्र जल को गंदा करने लग जाते हैं, तो मेरा वक्ष फट जाता है । मैं अमर्यादित हो जल-प्लावन का दृश्य उपस्थित कर देती हूँ । तब धन, जन, सम्पत्ति—येड-पौधे, हरियाली खेती और पशुधन का विनाश होता है । कुछ काल पश्चात् मेरी दुःखित आत्मा अपना रोप शान्त कर पुनः अपने मंगलकारी रूप में परिवर्तित हो जाती है ।

मानव मरणोपरान्त भी मेरी ही शरण में आता है । उसकी अस्थिर्याँ मुझे ही समर्पित की जाती हैं । आदिकाल से अब तक कितने ही ऋषियों, मुनियों, महा-पुरुषों, समाज-सुधारकों, राजनीतिज्ञों और अमर शहीदों के फूलों से मेरा जल उत्तरोत्तर पवित्र हुआ है । अतः मेरे पवित्र जल में डुबकी लगाने का अर्थ मात्र स्नान नहीं, उन पवित्र आत्माओं के सान्निध्य से अपने को कृतार्थ करना भी है ।

मैंने ग्रीष्मावकाश कैसे वित्तया

दिल्ली-प्रदेश के स्कूलों में पन्द्रह मई से चौदह जुलाई तक दो मास का ग्रीष्मावकाश होता है। सूर्य की प्रचण्ड किरणों, गर्म-गर्म और तेज लुओं तथा तपती हुई धरती से वच्चों की सुरक्षा और सुविधा के लिए यह अवकाश किया जाता है।

आठ-दस मई से स्कूल में छुट्टियों की चर्चा होने लगी थी। एक-दो मित्र चार-चार कश्मीर और ममूरी जाने की बात कहकर कक्षा के श्रेय विद्यार्थियों को चिढ़ाते थे। आठ-दस मित्र अपने गाँव के खेतों को ही नन्दन-बन की उपमा देकर वही छुट्टियाँ विताने की कहानी सुनाते थे। चार-पाँच सहपाठी शिक्षण-प्रवास की काल्पनिक गाथा गाते थे। मेरे जैसे गरीब विद्यार्थी अपनी विवशता को छिपाकर उल्टा रोव झाड़ते हुए कहते थे—‘तुम्ही धक्के खाओ जगह-जगह के, हम तो दिल्ली में ही मजे लूँगे।’

आखिर छुट्टियों का पहला शुभ दिन आ ही गया। मैं मन में सोचने लगा कि इस बार छुट्टियाँ इस शानदार ढंग से वित्तऊँ कि अध्यापक और सहपाठी सुनकर दंग रह जाएँ।

मेरा नियमित क्रम यह था कि प्रातः उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर घूमने जाता। तीन मील पैदल जाना और आना बड़ा सुहावना लगता। ‘वाऊँटे’ की चढाई और उतराई में जो मजा आता, उसे शिमला वाले भी क्या उठाते होंगे। प्रातःकाल की शीतल एव सुगन्धित पवन के मध्य थोड़ा-सा व्यायाम शरीर में स्फूर्ति ला देता।

वहाँ से वापस आने पर खूब रगड़-रगड़कर स्नान करता। थोड़ा अल्पाहार करता और स्कूल के कार्य में लग जाता। घटा-डेढ-घटा पढता। इधर, भोजन तैयार हो जाता। माता जी के हाथ का ताजा भोजन करता। भोजन के बाद दो-ढाई घंटे सोता। फिर, छोटे भाई-बहनों के साथ ताश, कैरम-बोर्ड आदि

खेलता। चार बजे अल्पाहार करके फिर पढ़ने बैठ जाता और सायंकाल छः बजे भोजन करने के उपरान्त घूमने चला जाता। घूमकर आता तो चारपाई बिछी होती, सो जाता।

आप यह न समझें कि मैं रोजाना एक ही कार्यक्रम में कोल्हू के बँल की तरह घूमता रहता। मैंने यह विचार किया कि जिस दिल्ली में मैं रहता हूँ, क्या उसको मैंने अच्छी तरह देखा है? मन कहता था नहीं। इसलिए मैंने पिताजी से आग्रह किया कि वे मुझे दिल्ली के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान दिखाने की कृपा करें। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे हर रविवार को मुझे एक दर्शनीय स्थान दिखाने ले जाते रहे।

नई दिल्ली का वह भव्य विड़ला मन्दिर, जिसे देखने न केवल भारत के, अपितु विदेशों के लोग भी आते हैं, मैंने अच्छी तरह देखा। उसकी दीवारें भारत के महापुरुषों के दर्शन करा रही हैं, उनका जीवन-परिचय दे रही हैं और उनकी वाणी गुनाकर उपदेश दे रही हैं। उनकी भव्य प्रतिमाएँ बरबस हमें नतमस्तक कर देती हैं। मन्दिर का पहाड़ी उद्यान और झरना वारम्बार खेलने को बुलाते हैं।

कैसे भूलूँ कुतुबमीनार की उन मीठियों को, जिन पर चढ़ते-चढ़ते पैर धक गए, पर मन नहीं धका था। आखिर पिताजी की उँगलियाँ पकड़कर चढ़ ही गया था। सब बताऊँ, ऊपर चढ़कर मुझे बड़ा डर लगा था। फिर भी मैंने एक बार नीचे का दृश्य देखा था। त्रिविध अनुभूति थी वह। दूर-दूर तक फैला हुआ दिल्ली नगर एक फँसे हुए नवशे जैसा दिग्याई दे रहा था, बड़े-बड़े भवन छोटी झोपड़ियों जैसे नजर आ रहे थे और दौड़ती हुई मोटरें या चलने हुए आदमी चींटियों के समान रेंगते हुए प्रतीत हो रहे थे। कुतुबमीनार के आग-गाम का वातावरण क्या कुछ कम लुभावना है। चारों ओर दूर-दूर तक फैले घास से ढके हरे-भरे मैदान मन को आनन्द और शान्ति प्रदान कर रहे थे। कुतुबमीनार से कुछ दूर महरोली में देवी का अति प्राचीन मन्दिर और भूल-भुनैयाँ भी हमने देखी।

मुगल बादशाहों का राज-भवन सालबिना तो गचमुच किला है और वह भी साल पत्थर का। अब अन्दाजा लगाया, मुगल बादशाहों की शान-शौकत

जिस दिन मैं राष्ट्रपति-भवन देखने गया, पैरों पर तेल की मालिश करके गया था। राष्ट्रपति-भवन क्या है, किसी राजा की पूरी रियासत है। उसके शानदार कमरे देखे, तो होश-हवास गुम हो गए। बड़े आलीशान और कीमती सामान से सुसज्जित है।

वास्तुकला का चमत्कार आधुनिक तकनीक का करिष्मा, एशियाई खेलों का श्रीडांगण जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम देखे। इसके अलावा जन्तर-मन्तर, गाँधी-समाधि, विजयघाट और ससद-भवन के दर्शन भी किए।

और एक ऐसा अवसर आया जबकि एक दिन के लिए मित्र कमलेश के बड़े भाई की शादी में मैं दिल्ली से बाहर भी गया। शादी के ठाठ देखे। खूब खाया-पीया, किन्तु पेट खराब भी किया। बरातियों की हँसी-मजाक भी देखी और अपनी भाभी को भी देखा।

छुट्टियाँ समाप्त हुईं। सहपाठी मिले। कोई पूछता है, मित्र कश्मीर गए थे, जो इतने मोटे हो आए हो। दूमरा कहता है, नहीं ये नैनीताल गए थे। उन्हें यह पता न था कि नियमित जीवन से स्वास्थ्य कितना घनता है।

मास्टर जी ने पूछा, 'किम-किसने काम पूरा नहीं किया?' डलहोजी और ममूरी जाने वाले बेंच पर खड़े हो गए। मैंने मध्यावकाश में उनसे पूछा, 'गुनाओं, इस बार तो प्रथम आओगे न?' 'मित्र कुछ न पूछो, सारी छुट्टियाँ खेल-कूद और सैर-सपाटे में बिताईं। बड़ी भूल हुई।' कहकर वे चुप हो गए।

यह है छुट्टियों की कहानी, बड़ी सीधी-सादी और कम खर्चीली। स्वास्थ्य भी बनाया, जिस नगर में रहता हूँ उसके दर्शनीय स्थान भी देमे, पढ़ाई की कमी पूरी की और आनन्द भी लूटा।

विज्ञान : वरदान और अभिशाप

विज्ञान : वरदान के साथ अभिशाप भी : दिल्ली १९८५, ८० : ए

विज्ञान को देन : ऑल इंडिया · ६८० : 'ए'

विज्ञान : एक वरदान : दिल्ली १९७६ : 'बी'

विज्ञान और मनुष्य : दिल्ली १९७६ : 'ए'

विज्ञान मानव के लिए 'कामधेनु' है, कल्पतरु है। यह प्राणी-मात्र के लिए अमृत-कुंड है, जीवनदायिनी शक्ति का पुंज है, प्रकृति की गुप्त निधियों के पट खोलने की कुंजी है, विश्व को पारिवारिक रूप प्रदान करने का माध्यम है। वस्तुतः विज्ञान मानव-कल्याण के नेत्र हैं, जो अहर्निश मानव-कल्याण की चिन्ता में ध्यानस्थ हैं।

विज्ञान ने मनुष्य को अपरिमित शक्ति प्रदान की, प्रकृति को उसकी चेरी बनाया; ऐश्वर्य और वैभव उसके चरणों में उंडेल दिए; काल तथा स्थान की बाधाएं मिटा दी; अन्धों को आंखें दी; बहरों को सुनने की शक्ति दी; पंगु को पैर दिए; जीवन को दीर्घायु बनाया; भय को कम किया; पागलपन को वश में किया; रोग को रौंद डाला।

आज का विश्व विज्ञान के दृढ़ स्तम्भ पर टिका है। अतः आज का युग 'विज्ञान का युग' कहलाता है। प्रतिदिन होने वाले वैज्ञानिक आविष्कार संसार में नूतन क्रांति कर रहे हैं। आज मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान-देवता अपना आधिपत्य जमा चुके हैं। उसकी आशातीत उन्नति से आज सभी चमत्कृत हैं। विज्ञान की इस महत्ता का एकमात्र कारण है—विज्ञान द्वारा प्रदत्त विभिन्न आविष्कार।

विज्ञान की इस आशातीत उन्नति और सर्वव्यापकता का श्रेय पिछली चार दशाब्दियों को है, जिनमें क्रमशः जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका आदि देशों ने एक से एक बड़कर आश्चर्यजनक आविष्कार करके विज्ञान को चरम-

सीमा तक पहुँचा दिया है। विज्ञान के इन आविष्कारों को दैनिक-जीवन सम्बन्धी, शैक्षिक, चिकित्सा सम्बन्धी आदि अनेक वर्गों में बाँटा जा सकता है।

यातायात-साधनों के विकास ने जहाँ मानव को सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम समय में पहुँचाया, वहाँ सम्पूर्ण विश्व एक राष्ट्र-सा लगने लगा। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेल, वायुयान, जलयान आदि चाहने बने। यातायात सरल हुआ, सुगम हुआ और हुआ द्रुतगामी। मीलों का सफर क्षणों में तय हुआ। पृथ्वी-पुत्र मानव चन्द्रमा, शुक्रग्रह एवं मंगल-ग्रह तक पहुँचने का दम भरने लगा।

अन्धकार में प्रकाश हुआ। अमावस पूनम में बदली। विद्युत् ईंधन बनी। पंखे, कूलर, हीटर वातानुकूलन के यन्त्र बने। रेडियो, टेलीविजन, रेडियोग्राम, लाउडस्पीकर, सिनेमा आदि मंचार और मनोरंजन के माध्यम बने। इन आविष्कारों से मानव-जीवन सरल, सुविधा-सम्पन्न, ज्ञानवर्धक और मनोरंजन-पूर्ण बना। विश्व में घटित घटनाओं के सजीव चित्र घर की चहारदीवारी में बैठे टेलीविजन पर देखने को मिले। चलचित्रों द्वारा मनोरंजन हुआ।

मुद्रण-विज्ञान से ज्ञान-विज्ञान का क्षेत्र व्यापक हुआ। पुस्तकों के द्वारा मानव शिक्षित हुआ, जानी हुआ, आगामी पीढ़ी के लिए ज्ञान का भंडार सुरक्षित रख सका। मुद्रण-कला ने समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं को जन्म दिया। विश्व के ताजा समाचार और ज्ञानवर्धक सामग्री मानव के ज्ञान-कोष के विकास में सफल हुए।

चिकित्सा-क्षेत्र में विज्ञान की सफलता अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। इंजेक्शन, ऐक्स-रे, रेडियम एवं विद्युत्-चिकित्सा ने मरे हुए मानव को प्राणदान दिया। छोटी-मोटी शल्य-क्रिया की बात छोड़िए, आज तो हृदयारोपण तक में सफलता प्राप्त हो रही है। मशीन जिगर का काम करने लगी है। कृत्रिम गर्भाधान से 'ट्यूब बेबी' जन्म लेता है।

समाचार भेजने के क्षेत्र में विज्ञान ने अद्भुत योगदान दिया। टेलीफोन, तार, बेतार का तार और रेडियो से तुरन्त समाचार पहुँचने लगे। बड़े नगरों में पत्र भी हवाई जहाज से भेजे जाने लगे।

विज्ञान ने हमारे घरेलू जीवन को भी प्रभावित किया। बिजली तथा गैस भोजन बनाने लगी। सिलाई की मशीन कपड़े मीने लगी। पिसाई की मशीनें नेहूँ, जौ, बाजरा पीसने लगी। गन्ने से गुड़ और चीनी बनाने की मशीनें बनीं। जूराब, बनिपान और स्विटर बुनने की मशीनें मिनटों में काम तैयार करने लगीं।

संसार में विशाल भीमकाय मशीनो का जाल बिछा पड़ा है। वे दिन-रात मानव-मुवि-ग्राओ को जुटाने में लगी हैं। नद-नदियों का जल भूमि-सिंचन और पीने के काम आता है। ट्रैक्टर भूमि को जोतते हैं। तन डैकने के लिए बढ़िया से बढ़िया ऊनी, सूती, रेशमी वस्त्र तैयार होते हैं और तां और मानव-मस्तिष्क का काम भी लोहे की मशीन 'कम्प्यूटर' करने लगा है।

वैज्ञानिक आविष्कारो ने आकाश की विशाल छाती को फाड़ा, समुद्र की अतल गहराई को नापा, अलघ्य पर्वतों को वश में किया, प्रकृति को मानव की दासी बनाया।

कुछ लोग विज्ञान को मानव के लिए अकल्याणकारी भी मानते हैं। उनका कहना है कि एक ओर विज्ञान द्वारा निर्मित अस्त्र-शस्त्र और बम नागासाकी और हिरोशिमा जैसे सुन्दर नगरो को खडहरो में बदल देते हैं। दूसरी ओर, यान्त्रिक उन्नति ने मानव को आलसी, सुस्त और निकम्मा बना दिया है। तीसरी ओर, यान्त्रिक खराबी और मानव की जरा-सी भूल जीवन को नष्ट कर देती है, पदार्थ का अस्तित्व समाप्त कर देती है। नभ में उड़ता विमान जरा-सी यान्त्रिक खराबी से यात्रियों को परलोक में पहुँचा कर धूल चाटने लगता है। विजली के नये तार पर भूल से हाथ लगा और मृत्यु का साक्षात्कार हुआ। खाने की गैस रिसी नहीं कि आग लगते देर नहीं लगती। नगरो में प्रदूषण की समस्या विज्ञान की ही देन है, जिसके कारण न स्वच्छ वायु मिल पाती है और न शुद्ध जल और न शुद्ध भोजन प्राप्त होता है।

किन्तु एक बात यह भी सच है कि महान् वैज्ञानिक उन्नति के कारण ही एक राष्ट्र दूसरे में भयभीत है, जिसका सुखद परिणाम यह है कि विश्व तृतीय महायुद्ध के कगार पर पहुँचकर भी वापस लौट आता है। तृतीय विश्व-युद्ध की बलना से ही सबको बुखार चढ़ने लगता है।

मचाई यह है कि आज सभी राष्ट्रों का अधिकांश वज्रत वैज्ञानिक उन्नति द्वारा मानव को स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और जीवन को सर्वाधिक आनन्दप्रद बनाने में खर्च हो रहा है। भूमि, जल तथा नभ के विस्फोटो द्वारा हो या नभ में उपग्रह की स्थापना द्वारा, विज्ञान मानवीय कल्याण में अग्रसर है। उपग्रह की क्षमता से गाँवों में टेलीविजन कार्यक्रम मानव-कल्याण का ही एक भाग है।

ईश्वर की तीनों शक्तियों ब्रह्मा (उत्पत्ति), विष्णु (पालन) तथा महेश (विनाश) को विज्ञान आज अपने हाथों में ले रहा है—मानव के सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए। □

विज्ञान और हमारा जीवन

(ऑल इण्डिया १९७६ : 'ए')

विज्ञान के बिना हमारा जीवन कष्टमय है, सुख-शान्ति से वंचित है, जीवन के प्रति विद्रोह है, मृत्यु का शीघ्र आह्वान है और है एक निरर्थक स्वप्न। जीवन विज्ञान के बिना नीरस है। विज्ञानहीन जीवन जिन्दगी की विकृति है, प्रकृति नहीं।

स्वेड मार्टेन ने कहा है—'हमारा मदा यही लक्ष्य रहा है कि हमारा जीवन सुख और आनन्द से परिपूर्ण हो।' महाकवि जयशंकर प्रसाद प्रसन्नता को ही जीवन का सत्य मानते हैं। सत्य का अर्थ है विज्ञान। कारण, विज्ञान सत्य का खोजी है। अतः जीवन में सुख, आनन्द और प्रसन्नता के लिए विज्ञान परमावश्यक है।

स्वामी विवेकानन्द जीवन का रहस्य भोग में नहीं मानते। उनके मतानुसार धर्म के प्रति आस्था रखते हुए, धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष-प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। जीवन के धार्मिक क्षेत्र में भी विज्ञान हस्तक्षेप करता है। अलवर्ट आइन्स्टाइन की धारणा है—'धर्म के बिना विज्ञान लंगडा है और विज्ञान के बिना धर्म अन्धा है।' सर आलीवर लॉज का कथन है, 'धर्म का क्षेत्र और विज्ञान का क्षेत्र एक ही है।' सर वेकन विज्ञान और धर्म को एक-दूसरे का पूरक मानते हैं। एक भारतीय सन्त की मान्यता है कि 'भौतिक-विज्ञान बल है और धर्म-विज्ञान विवेक है।'

भौतिक क्षेत्र में विज्ञान ने हमारे जीवन को कष्टों, यातनाओं और असुविधाओं से मुक्त करके सुखमय बनाया। गैस, तेल तथा विद्युत् जहाँ ईंधन बन कर खाना बनाने लगे, वहाँ वस्त्र धोने तथा कमरों को वातानुकूलित बनाने के लिए मशीनें, कूलर, हीटर आदि हमारी सेवा करने लगे। तन ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनने लगे। सिलाई की मशीनें कपड़े सीने लगी।

यातायात के साधनों ने हमारे जीवन को सुख-सम्पन्न बना दिया। संसार एक शहर की भाँति लगता है। वायुयान दिनों की दूरी मिनटों में तय करते हैं। कार, बस, जलयान, रेल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जलयान, हमें गन्तव्य स्थानों पर शीघ्र पहुँचाते हैं।

विद्युत् ने तो कमाल ही कर दिया। अमावस को पूनम में बदल दिया। रेडियो, टेलीविजन, धीडियो, मिनेमा आदि जीवन में मनोरंजन के साधन बने। बेतार के तार ने दूर संचार व्यवस्था स्थापित की। हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति से दूरभाष पर बात कीजिए। कुछ ही क्षणों में विश्व में मन्देश प्रसारण विज्ञान की जीवन के लिए महान् उपलब्धि है।

चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने चान्तिकारी चमत्कार किया। अकाल-मृत्यु का निमन्त्रण विज्ञान के भय से भयभीत हुआ, कैंसर और तपेदिक जैसे रोगविज्ञान से पराजित हुए। हृदय और किडनी का प्रत्यारोपण हुआ। मशीन जिगर का काम करने लगी। कृत्रिम गर्भाधान से ट्यूब वेबी ने जन्म लिया। प्लास्टिक सर्जरी ने कुरूप को सुन्दर बनाया। इस प्रकार विज्ञान ने हमारे जीवन में एक महान् आति कर दी—पगु को पैर देकर, नेत्रहीनों को आँखें देकर, बहरों को सुनने का यन्त्र देकर।

ज्ञान-प्रसारण द्वारा विज्ञान ने हमारे जीवन को उन्नत बनाया। मुद्रणकला तथा कागज-निर्माण ने ज्ञान को लिपिवद्ध करके सर्वमुलभ बनाया। पुस्तकें छपी, पत्र-पत्रिकाएँ निकली। पुस्तकें जाग्रत देवता है उनकी सेवा करके तत्कात वरदान प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तकें जादूई दर्पण है, जो महापुरुषों के मस्तिष्क का परावर्तन हमारे मस्तिष्क में करती हैं। पुस्तकें प्रकाश-गृह हैं, जो समय के विशाल समुद्र में स्थित होकर मानव का पथ-प्रदर्शन करती हैं। समाचार-पत्र ज्ञान-विज्ञान अर्जन करने के प्रमुख साधन है और लोकतन्त्र के प्रहरी हैं। सबाई तो यह है कि विचारों के युद्ध में पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ ही जीवन के अस्त्र हैं।

जीवन को गर्मी, सर्दी, बरसात से बचाने के लिए भवन निर्मित किए गए, उन्हें वातानुकूलित किया गया, संवय की प्रवृत्ति बढी। सुख के साधन इकट्ठे होने लगे।

विज्ञान ने हमारे जीवन को सुखमय तो बनाया, किन्तु साथ ही भय का निर्माण भी किया। भूल से बिजली के नग्न तार पर हाथ लगा कि पहुँचे

यमपुरी। रेलों की भिड़न्त, बसों के ऐक्सीडेंट और हवाई-जहाजों के 'क्रैश' दो क्षण में मानव को परलोक पहुँचा देते हैं। प्रदूषण ने तो महानगरो के जीवन को बुरी तरह विपाक्त कर दिया है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल तथा शुद्ध भोजन न मिलने का कारण प्रदूषण ही है।

प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने हमारे जीवन को सुखमय बनाया, मानव की तीन प्रमुख आवश्यकताओं—कपड़ा, रोटी, और मकान—को विज्ञान ने पूरा कर दिया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परिधान, पब्लिस भोजन और सुदृढ़ एवं सुरक्षित भवन मानव को प्रदान किए। इतना ही नहीं, लोहे का कम्प्यूटर तैयार किया, जो मानव-मस्तिष्क का काम करता है, गणित के प्रश्नों एवं जीवन की उलझनो-समस्याओं का उत्तर देता है।

इस प्रकार हमारे जीवन के लिए विज्ञान बरदान सिद्ध हुआ। उसने जीवन को सुखमय बनाया, शान से जीना सिखाया तथा मंगल-पथ का दर्शन कराया।

विज्ञान और विश्व-शान्ति

विज्ञान और विश्व-शान्ति का सम्बन्ध विरोधाभास रूप में दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान 'चोर को कहता है तू चोरी कर, शाह को कहता है तू जागता रह।' एक ओर विज्ञान के उत्कर्ष से विश्व-शान्ति के लिए प्रयत्नों के साथ विश्व की नष्ट करने के लिए महान् घातक शस्त्रों का निर्माण हुआ, तो दूसरी ओर उन शस्त्रों के प्रयोग से सभी राष्ट्र भयभीत भी है। वे डरे हुए हैं कि कहीं इन घातक शस्त्रों के प्रयोग से विज्ञान रूपी भस्मासुर अपने प्रभाव से स्वयं ही नष्ट न हो जाए तथा पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त न हो जाए।

विश्व-शान्ति भंग होने के दो प्रमुख कारण हैं—प्रकृति का क्रूर अट्टहास अर्थात् प्रलयकारी रूप तथा विश्व के महान् राष्ट्रों का युद्ध-भूमि में उतर आना।

प्रकृति का प्रलयकारी रूप विज्ञान के अधीन है। विज्ञान ने मनुष्य को ऐसा गुरुमन्त्र प्रदान किया है, जिससे प्रकृति की गुप्त निधियों के द्वार सहज में खुल जाते हैं। दूसरे, प्रकृति विज्ञान की चेरी है। प्रकृति पर विजय पाकर विज्ञान ने ऐश्वर्य और वैभव विश्व के चरणों में उंडेल दिया है। फिर भी चेरी के नखरे सम्भावित हैं। जैसे भूकम्प, बाढ़ और ज्वालामुखी-विस्फोट। इनसे क्षेत्र-विशेष की जनसंख्या पीड़ित हो सकती है। ये नखरे इतने भयंकर नहीं हो सकते कि विश्व-शांति को ही खतरा उत्पन्न हो जाए। कामाक्षी में वणिज महाप्रलय कभी नहीं होगी कि केवल 'मनु' ही जेष रह जाए।

प्रकृति से एक अन्य रूप में विश्व-शान्ति भंग हो सकती है। वह रूप है प्राकृतिक पदार्थ-कोष की समाप्ति। विश्व में वृक्षों की कमी आ जाए, कोयले का कोष समाप्त हो जाए, पेट्रोल का अभाव हो जाए, भूमि अपनी उपजाऊ शक्ति में विहीन हो जाए, तो जग में प्रलय हो जाएगी। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए भी विज्ञान दृढ़-प्रतिज्ञ है। वह इन अभावों के विकल्प ढूँढ लेगा और प्रकृति को विश्व-शान्ति भंग करने की छूट नहीं देगा।

विश्व के दो महान् राष्ट्र हैं—रूस और अमेरिका। 'वर्ल्ड किंग' बनने की इन दोनों राष्ट्रों में होड़-सी लगी है। इसके लिए वे व्यापारिक प्रलोभन देकर, ऋण देकर, विकास की सुविधाएँ देकर, अस्त्र-शस्त्र तथा दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएँ देकर विश्व के अन्य राष्ट्रों को उपकृत करते हैं। विश्व में अपने अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को बदलवा देते हैं, सैनिक क्रान्ति करवा देते हैं, प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में चुनाव के समय और चुनाव के पश्चात् पानी की भाँति रुपया बहाकर अपने समर्थक उम्मीदवारों को विजय-श्री दिलवाने और विपक्षी उम्मीदवारों को खरीदने का प्रयत्न करते हैं।

अमेरिका सभ्यता से क्रान्ति का पक्षधर है। यह कूटनीति से अपने प्रभाव का विस्फोट करता है। रूस राक्षसी विधान पर विश्वास करता है। पिछली दशाब्दी में क्यूबा में सशस्त्र घुसपैठ और इस दशाब्दी के अन्त में अफगानिस्तान में सशस्त्र प्रवेश इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है और विश्व के किमी राष्ट्र में अफगानिस्तान के लुटते सम्मान को बचाने का साहस नहीं। द्रौपदी का चीर-हरण हो रहा है, वीर पांडव मुँह लटकाए बैठे हैं। कुछ नपुंसक कौरवी राष्ट्र रूस की इस कार्यवाही का समर्थन कर रहे हैं। इससे बढ़कर विडम्बना क्या हो सकती है ?

दूसरी ओर विश्व-शान्ति को खतरा उत्पन्न कर रखा है इस्लाम के मदान्ध राष्ट्र ईरान और ईराक ने। दो वर्ष से भी अधिक समय से ये दोनों युद्धरत हैं। किसी बड़ी शक्ति ने बीच में हस्तक्षेप कर दिया, तो विश्व-शान्ति खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी ओर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धरलू लडाई विश्व-संकट में बदल सकती है।

तीसरी ओर, इजराइल ने यवन-राष्ट्रों की नींद हराम कर रखी है। वह साहस और शक्ति का प्रदर्शन गत अनेक वर्षों से कर रहा है। फिलिस्तीनियों को तो उसने दर-दर की ठोकरें खाने को विवश कर दिया है।

विश्व-शान्ति के शत्रु ये दोनों महान् राष्ट्र जहाँ एक-दूसरे पर वाग्वाण चलाते रहते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष मैदान में उतरकर हाथ दिखाने से डरते हैं। आज दोनों राष्ट्रों ने प्रक्षेपास्त्रों, अणु बमों तथा न्यूक्लीयों का कल्पनातीत सग्रह कर रखा

को चन्द्र मिनटो में श्मशान बनाकर रख देगा। द्वितीय विश्व-युद्ध में अमेरिका द्वारा हाईड्रोजन बमों की मार में ध्वस्त हिरोशिमा और नागासाकी के श्मशान की युद्धी राख आज भी युद्ध का नाम सुनकर दहशत खाती है। अतः यह सत्य है कि विश्व तृतीय विश्व-युद्ध के कगार पर पहुँच कर भी विज्ञान के कारण वापिस मुड़ जाता जाता है। अतः विश्व-शान्ति का आधार स्तम्भ विज्ञान है।

सचार्थ यह है कि आज विज्ञान की कृपा से विश्व में शान्ति है, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना साकार है। विश्व के राष्ट्र एक-दूसरे के सुख-दुःख के साथी हैं, एक-दूसरे से लाभान्वित होते हैं। जिनके पास पेट्रोलियम-पदार्थ हैं, वे विश्व को पेट्रोलियम पदार्थ देकर और जिनके पास कच्चा माल है, वे कच्चा माल देकर सन्तुलन बनाए हुए हैं, मानव की अभाव की पीड़ा से बचाए हुए हैं।

विज्ञान ने विश्व-मानव को सुख और सम्पन्नता प्रदान करने के लिए मनुष्य की दिनचर्या में धर कर लिया है। उसको सुख देने का प्रत्येक साधन विज्ञान ने उपलब्ध करा रखा है विज्ञान की सहायता से मनुष्य शान्तिपूर्वक इहलोक को भोग सकता है।

विज्ञान के कारण विश्व को शान्ति के लिए खतरा अनुभव करते हुए विश्व की तृतीय शक्ति 'तटस्थ राष्ट्रों' ने नारा लगाया है—'विज्ञान को शान्ति-कार्यों में उन्मुख किया जाए। विनाशक शस्त्रों की होड-समाप्ति के लिए सहारक शस्त्रों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया जाए।' मद में मतवाले राष्ट्र इस आवाज के महत्त्व का मूल्यांकन तो करते हैं, किन्तु झुकने को तैयार नहीं होते।

वर्तमान विश्व विज्ञान के विघ्न से विश्व-शान्ति को बारूद के छिद्र पर घसीट लाया है। जरा-सी चिंगारी इस बारूद से छूने पर ज्वाला बनकर विश्व को श्मशान की शान्ति में परिणत कर देगी। अतः भयभीत राष्ट्र अपमान का घूंट पीकर भी पहल करने में हिचक रहे हैं।

नेपोलियन के शब्दों में, 'युद्ध असभ्य लोगों का व्यापार है।' वह व्यापार छोटे-मोटे राष्ट्र करते रहें, तो विश्व-शान्ति को खतरा नहीं होता। इजराइल-अरब-फिलिस्तीनी-युद्ध तथा ईरान-ईराक युद्ध इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। इन युद्धों रूपी सुनार की खट्-खट से विश्व-शान्ति की निद्रा तो उचटी, किन्तु निद्रा भंग नहीं हुई। विश्व-शान्ति भग तभी होगी, जब विश्व के महान् राष्ट्र युद्ध-भूमि में उतर आएँगे।

अन्तरिक्ष में मानव के बढ़ते चरण

महाभारत तथा पुराण ग्रंथों में चाँद व दूसरे ग्रहों की यात्रा का वर्णन है। लगभग चार सौ साल पहले गैलीलियो ने अपनी बनाई दूरबीन के माध्यम से देखकर चाँद के बारे में वर्णन किया था। उसी कल्पना को साकार करते हुए आज के वैज्ञानिक अन्तरिक्ष-यान में उड़ान भरते हैं।

अन्तरिक्ष-यात्रा का वास्तविक आरम्भ ४ अक्टूबर, १९५७ से समझना चाहिए, जब रूस ने 'स्पुतनिक-१' छोड़ा। यह कृत्रिम भू-उपग्रह अन्तरिक्ष में तीन महीने तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा। इसने पृथ्वी की १४०० परिक्रमाएँ की। रूस ने इसके एक महीने बाद 'स्पुतनिक-२' छोड़ा, जिसमें लाइका नामक कुतिया थी। अमेरिका भी इस क्षेत्र में २१ जनवरी, १९५८ को आ गया, जब उसने 'एक्सप्लोरर-१' नामक अपना पहला भू-उपग्रह छोड़ा और फिर १७ मार्च, १९५८ को 'बेनगार्ड-१' उपग्रह छोड़ा, जो एक हजार साल तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहेगा।

अनेक परीक्षण और प्रयोगों के पश्चात् रूस ने १२ अप्रैल, १९६१ को प्रथम मानव यात्री यूरी गागारिन को अन्तरिक्ष में भेजा। इस सफल परीक्षण के पश्चात् अमेरिका ने 'जैमिनी-११' और 'जैमिनी-१२' में एक-एक मानव भेजे। रूस और अमेरिका, दोनों राष्ट्र अन्तरिक्ष में जाकर अनेक प्रकार के परीक्षण करते रहे।

इन सफल परीक्षणों के पश्चात् अन्तरिक्ष में स्टेशन-निर्माण की टोह आरम्भ हुई। चाँद को ही स्टेशन बनाने की योजना अमरीकी वैज्ञानिकों ने बनाई। अन्ततः अमेरिका का 'अपोलो-११' तीन यात्रियों सहित २१ जुलाई, १९६९ को प्रातः १-८८ पर चन्द्रतल पर उतर गया। उसके दो यात्री सर्वश्री नील ए० आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिज ने चन्द्रतल पर पग रखकर करोड़ों पृथ्वीपुत्रों की आकांक्षाओं को पूर्ण कर दिया।

'अपोलो ११' के चार महीने बाद अमेरिका ने 'अपोलो-१२' छोड़ा, जिसमें

तीन यात्री थे। ये २६ नवम्बर, १९६६ को रात्रि में चाँद के तूफानी महासागर में उतरे। ये पहले यात्रियों से अधिक समय तक चाँद पर विचरण करते रहे।

इन दोनों यात्रियों के यात्री अपने साथ चन्द्रतल से मिट्टी व चट्टानों के अनेक नमूने लाए थे, जिनका अध्ययन विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों ने किया है। अध्ययन करने वालों में चार वैज्ञानिक भारतीय भी थे। इन वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन किया। फिर भी चाँद के बारे में अनेक गुत्थियाँ अभी तक सुलझी नहीं हैं।

इस प्रकार रूसी और अमेरिकी वैज्ञानिक पूयक्-पूयक् अन्तरिक्ष-अन्वेषण में जुटे हुए थे। सोभाग्य से राजनैतिक एवं विभिन्न जीवन-मूढतियों के इन दो प्रखर प्रतिद्वन्दी राष्ट्रों ने २४ मई, १९७३ को अन्तरिक्ष-विज्ञान के अध्ययन में परस्पर सहयोग की सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिए।

१७ जुलाई, १९७५ को सोवियत 'सोयुज-१६' तथा 'अपोलो-२१' यान का भारतीय समय के अनुसार रात्रि ६-३६ पर पुर्तगाल व स्पेन के समुद्रतटों के २२५ किलोमीटर ऊपर अन्तरिक्ष में संगमन हो गया। संगमन निर्धारित समय से ६ मिनट पूर्व होने के कारण पश्चिमी जर्मनी के ऊपर नहीं हो सका।

संगमन के लगभग तीन घंटे के बाद सोयुज और अपोलो के अन्तरिक्ष यात्री दोनों यानों को जोड़ने वाली सुरंग के अन्दर मिले और उन्होंने एक-दूसरे से हाथ मिलाए। तत्पश्चात् उन्होंने अपने-अपने राष्ट्रों के ध्वज एक-दूसरे को भेंट किए। 'सोयुज' तथा 'अपोलो' का यह संगमन अन्तरिक्ष-वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

अब अन्तरिक्ष-अनुसंधान का नया लक्ष्य बना मंगल ग्रह। इस बार भी अमेरिका ने पहल की, और सफल रहा। २० अगस्त, १९७५ को 'वार्किंग-१' ने मंगलग्रह की यात्रा आरम्भ की। ११ मास में ८० करोड़ किलोमीटर की यात्रा तय कर २० जुलाई, १९७६ को ५ बजकर ४३ मिनट पर उसने मंगलग्रह के घरातल पर पदार्पण किया। अमेरिका का यह विमान मानव-रहित था। अमेरिकी जनता हर्षातिरेक से नाच उठी।

वैज्ञानिकों ने मंगल-ग्रह की उपलब्धि के पश्चात् शुक्रग्रह को अपना लक्ष्य बनाया। २० मई, १९७८ को छोड़ा गया 'पायनीयर वीनस-१' ४ दिसम्बर, १९७८ को शुक्र ग्रह में पहुँच गया। इसके पश्चात् 'पायनीयर-२' ने शुक्र ग्रह में पहुँच कर वहाँ के वायुमण्डल की रचना और मौसम का अध्ययन करने के उद्देश्य से उसके वायुमण्डल में पाँच प्रायोगिक पीकेज छोड़े।

१६ अगस्त, १९७६ का दिन अन्तरिक्ष-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मरणीय रहेगा। इस दिन दो सोवियत अन्तरिक्ष यात्री—बी० ए० ल्याखोव और वी० वी० रिथुमिन १७५ दिन तक अन्तरिक्ष-प्रयोगशाला सेल्युज में अनुसंधान करके सकुशल धरती पर लौटे थे। अन्तरिक्ष प्रयोगशाला में छः महीने तक रहने और काम करने का यह एक नया और सबसे लम्बा कीर्तिमान है।

इन अन्तरिक्ष यात्रियों को समय-समय पर सात 'प्रोग्रेस' यानों (मानव-रहित मालवाहक अन्तरिक्ष यान) द्वारा रसद तथा अन्य सामग्री पहुँचाई गई। इन यानों का संचालन पृथ्वी से रिमोट-कंट्रोल प्रणाली द्वारा किया गया था। प्रोग्रेस द्वारा एक टेलिविजन रिसीवर 'सेल्युज-६' तक पहुँचाया गया। अन्तरिक्ष यात्री इसे दूरभाष की भाँति प्रयोग करके पृथ्वी-स्थित अपने प्रियजनों से बात-चीत कर सकते थे। साथ ही उन्हें देख भी सकते थे।

१२ अप्रैल, १९८१ को अमेरिका द्वारा अन्तरिक्ष शटल 'कोलम्बिया' को अन्तरिक्ष में भेजकर तथा १५ अप्रैल, १९८१ को सकुशल वापिस लौटाकर अन्तरिक्ष-यात्रा में नए युग का आरम्भ कर दिया गया है। इस शटल में दो वैज्ञानिक भी गए थे।

४ अक्तूबर, १९८२ को अन्तरिक्ष-यात्रा के २५ वर्ष पूर्ण हुए। इन २५ वर्षों के अनुभव ने अन्तरिक्ष-यात्रा के उद्देश्य को ही बदल दिया है। चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों पर बस्तियाँ बसाने का कार्यक्रम खटाई में पड़ गया है। अब बारी आ गई है अन्तरिक्ष में रहकर उमका शोपण करने की।

अन्तरिक्ष में ऐसी औपधियों का निर्माण-कार्य चल रहा है, जो पृथ्वी पर गुह्यवाक्यपण के कारण असम्भव था। दूसरे, अन्तरिक्ष स्टेशनों में उपग्रह की मरम्मत की जा सकती है, जिससे उनकी अकाल मृत्यु न हो और लाखों की क्षति से बचा जा सके। यदि भारतीय उपग्रह 'इन्सेट-१ए' शटल से छोड़ा जाता, तो उसे बचाया जा सकता था। तीसरे, वायुयान और समुद्री-यान की अज्ञात दुर्घटनाओं को उपग्रह द्वारा बचाया जा सकता है। १० सितम्बर, १९८३ को कनाडा में विमान-दुर्घटना में फँसे तीन व्यक्तियों को बचाकर पहली सफलता उपग्रह-बचाव-कार्य को मिली। चौथे, अन्तरिक्ष-नियन्त्रण-केन्द्रों द्वारा दूसरे राष्ट्रीयों की खोज-खबर रखी जा सकती है।

अन्तरिक्ष-अनुसंधान दिन-प्रतिदिन प्रगति पर है। वैज्ञानिक अहर्निश अन्तरिक्ष में अनुसंधान कर मानव के लिए कल्याणकारी और मंगलकारी तत्व ढूँढ़ने में लगे हैं। वह दिन दूर नहीं, जब इन अन्तरिक्ष-यानों से भूमिपुत्र अत्यधिक लाभान्वित होंगे।

अन्तरिक्ष-विज्ञान में भारत की प्रगति

भारत विकासशील राष्ट्र है। निर्धनता, निरक्षरता, अन्धविश्वास, अज्ञानता, रूढ़िवादिता, बीमारी, गन्दगी और भूख यहाँ व्याप्त हैं। विदेशों का बढ़ता अर्थों रूपए का श्रृण राष्ट्र को घुन की तरह खा रहा है। यहाँ का राजनीतिज्ञ राष्ट्र को राजनीतिक छल-छन्द की धूल से धूलि-धूसरित करने को कटिबद्ध है, फिर भी भारत का वैज्ञानिक दिन-प्रतिदिन विशाल राष्ट्र की अनन्त समस्याओं को विज्ञान द्वारा हल करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है।

वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक सूझ-बूझ, कार्य-कौशल, दृढ़ निश्चय और कार्य के प्रति समर्पण ने आज भारत को अन्तरिक्ष-सञ्चार-युग में पहुँचा दिया है, जहाँ अब तक सोवियत संघ, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और विकासशील राष्ट्र इन्डोनेशिया ही पहुँच पाए थे।

१८ मई, १९७४ को पहला सफल परमाणु-विस्फोट पोखरण (राजस्थान) से लेकर २० अगस्त, १९८३ को 'इन्सेट-१बी' की सफल अन्तरिक्ष-स्थापना तक का ९ वर्षीय इतिहास भारत की अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी प्रगति का क्रमबद्ध लेखा-जोखा है, कोई जादूई चमत्कार नहीं।

भारत द्वारा अन्तरिक्षयात्रा का प्रारम्भ लगभग दो दशब्दी पूर्व किया गया था। जब भारत ने एक छोटा-सा पग उठाया था और घुम्बा से एक अमेरिकी राकेट छोड़ा था, किन्तु १९ अप्रैल १९७५ का दिन वह ऐतिहासिक दिन है, जब भारत में निर्मित प्रथम उपग्रह 'आर्यभट्ट' कक्षा में स्थापित किया गया। उस दिन से विश्व में भारत की गणना 'उपग्रह-निर्माण' की क्षमता रखने वाले राष्ट्रों में होने लगी।

भारत ने अन्तरिक्ष में अगला पग रखते हुए ७ जून, १९७९ को सोवियत संघ के एक केन्द्र से उपग्रह 'भास्कर' छोड़ा। यह उपग्रह भारतीय अन्तरिक्ष-अनुसंधान-संगठन द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य भू-गर्भवेक्षण और पृथ्वी के प्राकृतिक ससाधनों का पता लगाना था।

भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशाला में निर्मित राकेट 'एस० एल० बी-३' के द्वारा रोहिणी उपग्रह को १८ जुलाई, १९८० को पृथ्वी की कक्षा में

स्थापित करके अन्तरिक्ष-विज्ञान के इतिहास में नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ने में अद्भुत सफलता प्राप्त की। 'एस. एल. वी-३' भारत का पहला उपग्रह-प्रक्षेपण वाहन है, जिसे भारतीय-अनुसंधान-संगठन ने स्वदेशी साधनों से ही बनाया है। यह ठोस प्रणोदक (प्रोपलैंट) वाला चार खंड का राकेट है, जिसका कुल वजन १७ टन है। इसके निर्माण के साथ ही भारत की गणना अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जापान और फ्रांस के साथ होने लगी, जिन्होंने अपने उपग्रह प्रक्षेपण-वाहनो से उपग्रहो को अन्तरिक्ष कक्षा में स्थापित किया है।

१६ जून, १९८१ को भारत के महान् वैज्ञानिकों ने अन्तरिक्ष विज्ञान में एक पग और मढ़ाया। पहला संचार उपग्रह 'एपस' (एरियन पैरोजर पेलोड एक्स-पेरिमेन्ट) यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेंसी के सहयोग से अन्तरिक्ष में पहुँचाया गया। यह उपग्रह पूर्णतः भारतीय अन्तरिक्ष-अनुसंधान-संगठन के बंगलूर केन्द्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया। इसके प्रक्षेपण से भारत में एक नए संचार-युग का आरम्भ हो गया और देश को उपग्रह-संचार के लाभ मिल रहे हैं। १५ अगस्त, १९८१ को लाल किले पर सम्पन्न हुआ स्वतन्त्रता-दिवस कार्यक्रम 'एपस' द्वारा राष्ट्र के अनेक दूर दशान-केन्द्रों से प्रसारित किया गया था।

सूचना-प्रसार और संचार-व्यवस्था भौतिक और राजनीतिक विकास की आधारशिला है। विश्व की संचार आवश्यकताएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और साथ ही जटिल भी होती जा रही है। विश्व के विकसित राष्ट्रों ने दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के लिए परम्परागत माध्यमों को अपर्याप्त मानकर उपग्रह-संचार-व्यवस्था का आश्रय ढूँढा। मौसम का पूर्वाभास, सूदूर स्थानों में दूरदर्शन प्रसारणों को पहुँचाना, तारों के जटिल जाल में विमुक्त दूरभाष-व्यवस्था, समुद्र, वन, वीहड रेगिस्तान आदि का सही-सही अनुमान लगाना, संचार व्यवस्था के विस्तृत कार्यक्रम है।

नवम्बर, १९८१ में भारत ने दूसरा भू-पर्यवेक्षण उपग्रह 'भास्कर-२' सोवियत संघ की महायत्ना से अन्तरिक्ष में भेजा।

संचार-व्यवस्था में प्रगति की दृष्टि में जुलाई, १९७८ में अमेरिका की फोर्ड एरोस्पेस एण्ड कम्प्यूनिकेशन कारपोरेशन के माध्यम से भारत ने 'इन्सैट' निर्माण का समझौता किया। परिणामतः १० अप्रैल, १९८२ को अमेरिका के अन्तरिक्ष केन्द्र से 'इन्सैट-१ए' (इंडियन नेशनल सैटेलाइट) अन्तरिक्ष में स्थापित किया गया। इसके निर्माण की बुनियादी परिभाषा और आवश्यकताओं का निरूपण भारतीय अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा ही किया गया था, किन्तु दुर्भाग्यवश वह १५० दिन ही अन्तरिक्ष में टिक पाया और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। उसकी अकाल मृत्यु से हमारे अन्तरिक्ष कार्यक्रम को बहुत धक्का लगा।

फिर भी, भारतीय वैज्ञानिक हतोत्साहित नहीं हुए और अन्तरिक्ष-विज्ञान के क्षेत्र में सफलता-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। अन्ततः ३० अगस्त, १९८३ को उनका सपना साकार हुआ, जिस दिन उन्हें अमरीकी अन्तरिक्ष-यान चैलेंजर से बहुदेशीय तथा बहुआयामी उपग्रह 'इन्सेट-१बी' को अन्तरिक्ष में प्रेषित करने में सफलता प्राप्त हुई। अन्तरिक्ष में भारत की इस महान छलांग ने राष्ट्र को विकास के नए धरातल पर खड़ा कर दिया।

इसी उपग्रह के कारण आज देश के विभिन्न भागों में टी० वी० के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण सम्भव हुआ है। इसके अतिरिक्त मौसम सूचना-प्रणाली द्वारा दिल्ली संचार भू-केन्द्र की सहायता में हर आधे घंटे पर तस्वीर प्राप्त की जाती है। अन्तरिक्ष से मौसम पर इस तरह नजर गड़ाने से बाढ़-नियंत्रण, तूफान की पूर्व चेतावनी, सिंचाई-नियोजन, वैमानिक आदि सेवाएँ ली जा रही हैं।

३ अप्रैल, १९८४ को भारतीय सैनिक राकेश शर्मा ने रूस के अन्तरिक्ष-यान में अन्तरिक्ष में जाकर अनेक प्रयोग किए। उसके साथ ही रवीश मल्होत्रा ने भी अन्तरिक्ष-उड़ान का प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

२६ अप्रैल, १९८५ को अमरीका स्पेसलैब-३ पर स्थित भारतीय अन्तरिक्ष प्रयोगशाला, 'अनुराधा' ने अपनी एक सप्ताह की यात्रा में सूर्य तथा 'ब्रह्माण्ड में अन्य स्रोतों से निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाली ऊर्जा-किरणों के गठन तथा तीव्रता का अनुसंधान किया।

इसके पश्चात् अन्तरिक्ष विज्ञान में भारत ने तेजी से कदम बढ़ाए। दुर्भाग्यवश २४ मई १९८८ को छोड़ा गया पहला 'ए०एस०एल०वी०' (ASLV) विफल रहा। 'ए०एस०एस०वी० : डी २' १३ जुलाई १९८८ को श्री हरिकोटा से उड़ा और ५४ सेकण्ड बाद ही बंगाल की खाड़ी में गिरकर डूब गया। भारत को करोड़ों रुपए नष्ट करता हुआ वैज्ञानिकों की अनुसंधान प्रतिभा की असमता का परिचय दे गया।

२२ जुलाई १९८८ को 'फ्लेंच गियाना' की भूमि से विदेशी कम्पनी 'फोर्ड एअरोस्पेस एण्ड कम्प्युनिकेशन कार्पोरेशन' द्वारा निर्मित भारतीय अन्तरिक्ष यान 'इन्सीट-१-सी' छोड़ा गया। दुर्भाग्यवश अन्तरिक्ष के कक्ष में पहुँचने पर इसमें भी खराबी आ गई। यदि यह खराबी दूर न हुई तो विवशतावश इसके आंगिक उपयोग पर ही धैर्य धारण करना पड़ेगा। विकासशील, दरिद्र, महान भारत धुनिक प्रगतिशील वैज्ञानिक टेक्नोलोजी के साथों से वंचित रह जाएगा।

प्रदूषण की समस्या

प्रदूषण की समस्या विज्ञान को देन है, महा-उद्योगों की समृद्धि का बोनस है, मानव को मृत्यु के मुँह में धकेलने की अनचाही चेंप्टा है, बीमारियों को बिन माँगि शरीर में प्रवेश की सुविधा है, प्राणिमात्र के अमंगल की अप्रत्यक्ष कामना है।

सृष्टि के आरम्भ में प्रदूषण का नाम-निशान भी न था। प्रकृति में एक सन्तुलन बना हुआ था। हमारे शब्दों में प्रत्येक वस्तु स्वच्छ थी। वायु शुद्ध थी, जल शुद्ध था, धरती उपजाऊ थी। वृद्धि और क्षय का प्राकृतिक क्रम था। ऋतुओं का भी नियमबद्ध चक्र था।

जनसंख्या-वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन पर बल दिया जाने लगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से उत्पादन बढ़ाने में लगा दिया गया। उत्पादन के साथ अवशेष अथवा व्यर्थ पदार्थ संगृहीत होने लगे। कचरा मशीनयुग की भयंकर समस्या बन गई। इस कचरे को जला दिया जाता है अथवा भराव में काम लिया जाता है, जिससे वायु-प्रदूषण अथवा जीवाणु-प्रदूषण उत्पन्न होता है। यदि यो ही उसका ढेर इकट्ठा कर दिया जाए, तो दुर्गन्ध उत्पन्न होती है और साथ ही प्राकृतिक सौन्दर्य की क्षति भी होती है।

कारखानों की चिमनियों से, मोटर वाहनों के एग्जासिट पाइपों से, रेल के इंजनों से, घरों में काम आने वाले स्टोवों से तथा किसी भी जलने वाली वस्तु से जो गैस निकलती है, वे वायु को प्रदूषित करती हैं। मोटर-वाहनो के एग्जासिटों से जो कार्बनडाइ ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और शीशे के तत्त्व (पेट्रोल में शीशा डाला जाता है, उसके धोल में से होकर निकलने वाले तत्त्व) हवा में घुलते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। टीकियो में मोटरों के धुएँ से इतना प्रदूषण पैदा होता है कि वहाँ का यातायात नियन्त्रण करने वाला ट्रैफिक-सिपाही थोड़ी-थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन सूँघता रहता है।

वायु-प्रदूषण से श्वास सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे—श्वासनी-शोथ,

फेफड़ा-कैंसर, खाँसी, दमा, जुकाम। महानगरीय जीवन की यह सीगात है। भारत के महानगरों में बम्बई और कलकत्ता का जलवायु प्रदूषण में अधिक प्रभावित है। एक बार कलकत्ता में रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री खुश्चेव भाषण देने गए। साथ में रूसी पत्रकार भी थे। एक पत्रकार ने दिल्ली पहुँचने पर शिकायत की कि कलकत्ता की हवा में तो हमें साँस लेते समय ऐमा लगा जैसे दम घुट रहा हो।

घरेलू गन्दा पानी, नालियों में प्रवाहित मल तथा कारखानों से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ नदियों और समुद्रों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। भारत की महानगरीय व्यवस्था में भूमिगत सीवर अन्ततः समीपस्थ नदी में गिरते हैं। इससे पानी विपाकृत हो जाता है। पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जल-जीवों का विनाश होने लगता है।

प्रदूषित जल के उपयोग से आमाशयिक विकार, खाद्य विपाकृतता तथा चर्म-रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रदूषित जल खाद्य फसलों और फलों को मारहीन बना देता है। साथ ही उसमें अवशिष्ट जीवनाशी रसायन मानव-शरीर में पहुँच कर खून को विपाकृत कर देता है, जिससे अनेक बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

न्युकलीयर-विस्फोट से प्रशांत महासागर का जल दूषित हो गया, परिणामतः लाखों टन मछलियाँ सदूषित हो गईं, खाने के अयोग्य हो गईं। समुद्र में तेल बिखर जाने के कारण शुकितियों को बम्बई पोताश्रम में जाना पड़ा। ऐमा प्रदूषित जल जिसमें बहुत अधिक लवण, कार्बनिक द्रव तथा अन्य रसायन हो, किसी भी उपयोग में प्रयुक्त नहीं हो सकता। उसे शुद्ध करना यदि असम्भव नहीं, तो दुस्साध्य अवश्य है।

ताप, शोर और दुर्गन्ध भी प्रदूषण के बहुत बड़े कारण हैं। ताप-विजलीघरों से अपवा परमाणु भट्टियों द्वारा बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, उसमें जलवायु का सन्तुलन बिगड़ जाता है। क्षेत्रीय पेड़-पौधों को हानि पहुँचती है। अधिक शोर तथा अधिक दुर्गन्ध मनुष्य को रोग-शय्या पकड़ने को बाध्य कर देते हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में विजली गर्वाधिक शुद्ध ऊर्जा का साधन है। विजली के प्रयोग से कोई प्रदूषण नहीं होता, परन्तु विजली का उत्पादन स्वयं प्रदूषण का साधन बन सकता है। विजलीघरों में जो कोयला जलता है, वह धिमनियों से राख के रूप

में फैल जाता है। यह रात्र भी स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त हानिकर है।

प्रदूषण से मौसम में भी काफी परिवर्तन आता है। रूध्न जलने से वायु-मंडल में कार्बनडाई ऑक्साइड की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इस रूध्न के बढ़ने से वायुमंडल का तापमान इतना बढ़ सकता है कि हिमखण्ड पिघलने लगे और जल-प्लावन का ताइव-नृत्य होने लगे। विख्यात मौसम-विज्ञान-विशेषज्ञों का मत है कि यदि प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा, तो लगभग १० वर्ष पश्चात् वायु-मंडल इतना विषाक्त हो जाएगा कि मनुष्य का जीना दूभर हो जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में अनेक बार चेतावनी दे चुके हैं कि हमें स्वनिर्मित नाश की चेतावनियों के निर्देशक चिह्नों को पहचानना होगा और हमें इस युग की चुनौतियों का सामना कर अपने इस लक्षण को मुरझित और स्वच्छ वातावरण में बदलना होगा।

प्रदूषण-नियन्त्रण के लिए उन्नत वैज्ञानिक साधनों और उत्पादन-उद्योगों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि विकल्प ढूँढने की आवश्यकता है। इसके लिए मष्टानगरीय व्यवस्था में बड़े-बड़े वन-उपवना के जाल विज्ञान की अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए। कारखाने, मिल तथा अन्य छोटी औद्योगिक टकाइयाँ शहरों से दूर होनी चाहिए। मिल के अवशेष (कचरा) तथा मल-मूत्र को नदियों में न डालकर इसके लिए कोई वैज्ञानिक विकल्प प्रस्तुत करना होगा। जल और वायु के प्रदूषण को रोकना होगा।

शुद्ध जल, शुद्ध वायु तथा शुद्ध भोजन मानव-मृष्टि के लिए अनिवार्य तत्व हैं। इनकी प्राप्ति की समस्या राष्ट्रों के ममत्त जीवन-गरण का प्रश्न लिए बड़ी है। प्रदूषण गम्भीर समस्या है, गूढ़ गहेली है। इसके हल होने पर ही मनुष्य गम्य जीवन व्यतीत कर सकेगा, दीर्घायु प्राप्त कर सकेगा। □

समाचार-पत्र

(ऑल इण्डिया १९८५, ८३ : बी)

समाचार-पत्र संसार का दर्पण है, विश्व में घटित घटनाओं का विश्वसनीय दस्तावेज है, घटनाओं के गुण-दोष-विवेचन का राज-हम है, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ है। ज्ञान-वर्धन का सबसे सस्ता, सरल और प्रमुख साधन है। मानवीय जिज्ञासा, कोतूहल और उत्सुकता की शान्ति के लिए अमर कोष है।

विज्ञान के वरदान से विस्तृत वसुधा एक कुटुम्ब बन गई है। प्रातः उठते ही व्यक्ति वसुधा की जानकारी के लिए व्यग्र होता है। वह समाचार-पत्र का प्रातः-कालीन शीतल, सुगन्धित पवन के सदृश स्वागत करता है। देश-विदेश की घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर आत्म-तुष्टि अनुभव करता है।

समाचार-पत्र मात्र ५०-६० पैसे में विश्व-दर्शन करवाता है। कितना सस्ता साधन है ज्ञानवर्धन का। हाँकर समाचार-पत्र को घर पर डाल जाता है। बिना कष्ट किए ही हमें उसकी उपलब्धि हो जाती है। कितनी सुगम है इसकी प्राप्ति। जीवन और जगत् की अद्यतन जानकारी देने वाला विश्वसनीय दूत है यह। इसकी प्रामाणिकता में सन्देह के लिए कोई स्थान नहीं।

समाचार-पत्र में देश-विदेश के ताजे समाचार पढ़िए। शासकीय, व्यापारिक एवं खेलकूद की खबरें पढ़िए। सरकारी आज्ञा, निर्देश, सूचनाएँ पढ़िए। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, साहित्यिक तथा सिने-संसार की गतिविधियों की जानकारी लीजिए।

व्यापार मंडियों के भाव, शेयरों के उतार-चढ़ाव, नौकरी के लिए कहीं-कहीं स्थान खाली है? वांछित पिकचर किस सिनेमाघर में लगी है? इसकी जानकारी के लिए समाचार-पत्र पढ़िए। बेटी-बेटे के लिए वर-वधू की तलाश समाचार-पत्र के माध्यम से कीजिए।

समाचार-पत्र के विज्ञापन व्यापार-वृद्धि के प्रमुख साधन है। ये लेख छापकर आय के स्रोत बनते हैं। सवाददाताओं, फोटोग्राफरों की आमदनी बढ़ाते हैं। लाखों कर्मचारियों को जीविका प्रदान करते हैं। लाखों होंकरों को रोजी-रोटी देते हैं।

समाचार-पत्र लोकतंत्र के चतुर्थे स्तम्भ हैं, उसके जागरूक प्रहरी हैं। राज-नैतिक बेईमानी, प्रशासनिक शिथिलता-भ्रष्टता तथा झूठे वायदों, आश्वासनों और जन-अहित के षड्यंत्रों का पर्दा फाश करते हैं। १९७४ से १९७५ तक के भारतीय तिमिरावृत काल के चीर-हरण का श्रेय समाचार-पत्रों को ही है। अमेरिका के वाटरगेट काण्ड का भडाफोड समाचार-पत्रों ने ही किया था। असम के चुनावों के खोखलेपन की शल्यक्रिया करने वाले ये समाचार-पत्र ही हैं। भारत में प्रजातंत्र के छद्म वेश में राजतन्त्र की स्थापना के प्रति सचेत करने का दायित्व समाचार-पत्र ही वहन किए हुए हैं। वनस्पति घी में चर्बों मिलाने के कुत्सित, घृणात्मक षड्यंत्रों को समाचार-पत्रों ने ही उछाला। सचाई तो यह है कि महान् राजनीतिज्ञ और महान् शूरवीर भी समाचार-पत्रों से घदराते हैं। विश्वविख्यात वीर नेपोलियन ने एक बार कहा था—'मैं लाखों विरोधियों की अपेक्षा तीन विरोधी समाचार-पत्रों से अधिक भयभीत रहता हूँ।'

समाचार-पत्र सामाजिक कुरीतियों तथा धार्मिक अधविश्वासों को दूर करने का भी सुन्दर साधन हैं। अखबार के सम्पादकीय बड़े-बड़ों के मिजाज ठीक कर देते हैं। ये सरकारी नीति के प्रकाशन तथा सरकार की आलोचना का भी सुन्दर साधन हैं। वास्तव में विचारों को स्पष्ट और सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए समाचार-पत्र से अधिक अच्छा साधन और कोई नहीं है। वर्तमान युग में विचारों की—बुद्धि की—प्रधानता है। सर्वत्र बुद्धिवाद का ही बोलबाला है। तर्कसम्मत और प्रभावोत्पादक ढंग से विचारों को प्रस्तुत करना ही सफलता की कुजी है। इसके लिए समाचार-पत्र सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण साधन हैं। प्रसिद्ध विचारक श्री हेन ने ठीक ही कहा है—'आजकल हम विचारों के लिए सघर्ष करते हैं और समाचार-पत्र हमारी किलेबन्दियाँ हैं।'

समाचार-पत्रों से जहाँ लाभ है, वहाँ हानियाँ भी हैं। प्रायः समाचार-पत्र फिलान-न-किसी सस्या अथवा राजनीतिक-दल से सम्बन्धित होते हैं। वे कई बार अपनी विचारधारा को जनता में फैलाने के लिए समाचारों को अपने रंग में रंग

कर प्रस्तुत करते हैं, इससे जनता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता।

समाचार-पत्र का जन्म गोलहथी शताब्दी में चीन में हुआ था। 'पीकिंग गजट' विश्व का प्रथम समाचार-पत्र था। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् मुद्रण-कला के विकास के साथ-साथ भारत में भी समाचार-पत्र का प्रारम्भ हुआ। भारत का प्रथम समाचार-पत्र 'इंडिया गजट' था। इसके बाद ईसाई पादरियों ने समाचार-पत्र निकाले। हिन्दी का पहला-पत्र 'उदन्त-मार्तण्ड' ३० मई, १८२६ को प्रकाशित हुआ। यह साप्ताहिक था। तत्पश्चात् राजा राममोहन राय ने 'कौमुदी' और ईश्वरचन्द्र ने 'प्रभाकर' पत्र निकाला। आजकल तो समाचार-पत्रों की बढ़ाई हुई है।

समाचार-संग्रह का प्रमुख साधन है—टेलीप्रिंटर। समाचार-पत्र-कार्यालयों में लगी ये मशीनें अर्धनिज टप टप की ध्वनि में समाचारों को टंकित करती रहती हैं। टेलीप्रिंटर को संचालित करती हैं—समाचार-एजेंसीज। ये समाचार-संग्रह की विश्वव्यापी मस्जिह हैं। ये अपने सवादादाताओं द्वारा समाचार-संग्रह करके टेलीप्रिंटर द्वारा समाचार-पत्रों को भेजती हैं। भारत में चार प्रमुख समाचार-एजेंसीज हैं—(१) पी टी आई. (२) यू एन. आई. (३) हिन्दुस्तान समाचार तथा (४) समाचार भारती। हमें अतिरिक्त समाचार-पत्र अपने सवादादाता भी रखते हैं, जो उन्हें टेलीफोन, तार, ममुदी केबिल तथा डाक द्वारा समाचार भेजते रहते हैं।

दैनिक समाचार-पत्र नवीनतम दैनिक समाचारों का दस्तावेज है, तो साप्ताहिक-पत्र साप्ताहिक गतिविधियों के समीक्षक दर्पण। पत्रिक, मासिक, त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाएँ विपर-विशेष के रूप को उजागर करती हैं। ये विविध रूप हैं—जैसे साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि। शिक्षित जनवर्धक सामग्री प्रस्तुत करना इनका ध्येय है।

जैसे-जैसे मानव में ज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, जीवन और जगत की जानकारी के प्रति जिज्ञान जागृत होगी, समाचार की अद्यतन गतिविधियों के प्रति जब बिना भीन की तरह छटाटाहट होगी, वह 'समाचार-पत्र' धरणम् गच्छामि' के आन्तरिक उद्योप को मुखरित करेगा, कार्यान्वित करेगा। □

जन-जागरण और समाचार-पत्र

समाचार-पत्र जन-जागरण का सर्वश्रेष्ठ, सर्वमुलभ, सस्तातः सुगम साधन है। समाचार-पत्र के लेखों में जनता पर जादू का-ना प्रभाव पड़ता है। वह बुरे कर्म से सचेत होती है, अच्छी और लाभप्रद बातों का लाभ उठाती है।

जनता को जागरित रखना समाचार पत्रों का कर्तव्य है। जन-जीवन के जागरण की विविध दिशाएँ हैं—सामाजिक, धार्मिक राजनीतिक, पारिवारिक, आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक आदि। जनता को विकास-पथ पर अप्रसर होने के लिए सचेत करने को जन-जागरण कह सकते हैं। वस्तुतः समाचार-पत्र जन-जागरण के प्रहरी ही नहीं, मन्वदाता और मार्गदर्शक भी है।

महाकवि जयशंकर प्रसाद ने जागरण का अर्थ कर्म-क्षेत्र में अयत्नीय होना माना है। वे लिखते हैं—'कर्म क्षेत्र क्या है? जीवन-संग्राम।' जनता को जीवन-संग्राम में अवतरित करने में समाचार-पत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कुछ महापुरुषों ने तो समाचार-पत्रों को 'जनता के शिक्षक' माना है और जे० पाटन ने उन्हें 'जनता के विश्वविद्यालय' स्वीकार किया है।

भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में समाचार-पत्रों ने जनता को राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक रखा। परतन्त्रता के युग में अंग्रेजों के दमन-पत्रों के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए वातावरण तैयार करने एवं अंग्रेजों के विरुद्ध जनान्द्रोश उत्पन्न करने में समाचार-पत्रों की भूमिका अविस्मरणीय थी। आपातकाल में इंडियन एक्सप्रेस, वीर अर्जुन, प्रताप आदि पत्रों ने अपने अप्रलेखों से जनता को जागृत रखा।

किसी भी सरकार की नीतियों के विवेचक समाचार-पत्र ही होते हैं। उनके सम्पादकीय लेख तानाशाही भ्रष्टाचारियों के गिजाज ठीक कर देते हैं। भारतीय शासन में बढ़ते और फैलते भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा स्वार्थपूर्ति के लिए किए गए कुरकुरों का पर्दाफाश भारत के समाचार-पत्र ही करते रहे। ब्रिटेन ने

प्रसिद्ध प्रधानमंत्री डिजरायली का विचार था कि अत्याचारी शासक-वर्ग का सबसे बड़ा शत्रु समाचार-पत्र है। प्रसिद्ध अमेरिकी संवाददाता जैक ऐंडर्सन ने लिखा है, 'समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता एक पहरेदार कुत्ते की तरह है, जो कभी भयंकर रूप धारण कर सकती है और इसकी घ्राणशक्ति हमें उन अलमारियों तक ले जाती है, जिनमें मरकारो, बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थानों तथा नेताओं की भयावनी योजनाएँ छिपी रहती हैं।'

अमेरिका के सुप्रसिद्ध 'वाटरगेट कांड', जिसके कारण राष्ट्रपति निक्सन का पतन हुआ, जापान के शक्तिशाली प्रधानमंत्री काकुई तनाका के पतन, इंग्लैंड के मंत्री प्रोफ्यूमा के सेक्स कांड के उद्घाटन का श्रेय समाचार-पत्रों को ही है। इसीलिए विश्वविख्यात वीर नेपोलियन ने एक बार कहा था—'मैं लाखों विरोधियों की अपेक्षा तीन विरोधी समाचार-पत्रों से अधिक भयभीत रहता हूँ।'

समाचार-पत्र सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफाश कर जनता को उनके विपाकत परिणाम से अवगत कराते हैं। दहेज की बलिबेदी पर चढ़ने वाली नारियों के समाचारों को प्राथमिकता देने की यही पृष्ठभूमि है। 'कल्याण' ने धार्मिक क्षेत्र में जन-जागरण का जो कार्य किया है और कर रहा है, उसे भारतीय जनता विस्मृत नहीं कर सकेगी। उसमें पारिवारिक जीवन की सुचारुता, शान्ति और प्रगति के लिए लेखों की भरभार रहती है। राष्ट्र की आर्थिक समीक्षा का विश्लेषण करके जनता को सचेत करने में समाचार-पत्र कभी पीछे नहीं रहे। आर्थिक-विकास के साधनों के प्रयोग को समाचार-पत्र प्रकाश में लाते रहने हैं। आर्थिक सचेतन के लिए तो भारत में अब अनेक आर्थिक पत्र छपते हैं। जनता को वैज्ञानिक उन्नति की जानकारी देने एवं उनके हानि-लाभ से परिचित कराने का श्रेय समाचार-पत्रों को ही है। वैज्ञानिक-पत्रिकाओं का उद्देश्य तो मात्र यही है कि जनता वैज्ञानिक प्रयोगों और उनकी आश्चर्यजनक उपलब्धियों से परिचित रहे। जनता जानती है कि अब बड़ी-से-बड़ी बीमारी पर भी विज्ञान ने विजय प्राप्त कर ली है। तपेदिक, कैसर, हृदय तथा मस्तिष्क रोगों से अब मानव मरता नहीं। इसी प्रकार स्वास्थ्य-रक्षा के माधनों, उसके कार्यक्रमों तथा उपायों की विस्तृत जानकारी देकर ये समाचार-पत्र जनता को जागरित करते रहते हैं।

यद्यपि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक,

वैज्ञानिक, स्वास्थ्य-सम्बन्धी अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं, तथापि मात्र समाचार प्रदान करने वाले दैनिक पत्र भी सप्ताह में एक बार इन विषयों पर विशिष्ट लेख देकर जनता को जागरूक रखने का प्रयास करते हैं।

लोकतंत्री राष्ट्रों में समाचार-पत्र जन-शक्ति का चतुर्थ-स्तम्भ माना जाता है। राजकीय नीतियों ने जहाँ भी जन-विरुद्ध रुख अपनाया, वहीं समाचार-पत्रों ने सम्पादकीयों तथा विशिष्ट लेखों के द्वारा और विपक्षी नेताओं के भाषणों को महत्त्व देकर जनमत को जागृत किया। भारत में समाचार-पत्रों ने ही असम चुनाव का मजाक उड़ाया, पंजाब की साम्प्रदायिकता को उजागर किया, देश में गिरती कानून और अनुशासन की स्थिति पर प्रहार किया, देश में आपात स्थिति लगाने वाली सत्ता कांग्रेस (इ) के विरुद्ध १९७७ के महानिर्वाचन में जनमत तैयार किया।

समाचार-पत्र वह जन-शक्ति है, जो जनता के अधिकारों के लिए लड़ती है और उसे कर्तव्यपूर्ति के लिए प्रेरित करती है। सरकार-निर्माण के लिए मतदान के अवसर पर वह प्रत्येक उम्मीदवार, पार्टी या दल की गति-विधियों की शल्य-क्रिया करके उसकी अच्छाई-बुराई को स्पष्ट करती है, ताकि जनता वोट डालते समय जागरूक रहे। राजनीतिज्ञों की धूर्तता के मोह-जाल में न फँस जाए।

इस प्रकार जनता को जागरूक रखने का बहुत बड़ा श्रेय समाचार-पत्रों को है। जनता के अधिकारों के लिए लड़ना और जनता को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करना समाचार-पत्र अपना धर्म समझते हैं। अत्याचार और अनाचार के विरुद्ध जनता में पांचजन्य का घोष करके उसे क्रांति के लिए प्रस्तुत करने एवं उसे आर्थिक, धार्मिक तथा सामाजिक विद्रोही तत्त्वों से सजग रखने में ही समाचार-पत्रों की इतिकर्तव्यता है।

समाचार-पत्र और वर्तमान युग

(दिल्ली १९७६ : 'ए')

समाचार-पत्र का महत्त्व

(ऑल इण्डिया १९८५, ८२ : ए)

समाचार-पत्र वर्तमान युग का दर्पण है, माधारण जनता का शिक्षक है; जनता का विश्वविद्यालय है, जन-जागरण का सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रिय, सस्ता तथा सुलभ साधन है। लोकतन्त्री राष्ट्रों में समाचार-पत्र जन-शक्ति का चतुर्थ स्तम्भ स्वीकार किया जाता है। यह जन-भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है।

समाचार-पत्र वर्तमान-युग की 'बैड टी' है। जिस प्रकार बिना 'बैड टी' के आज का सभ्य नागरिक बिस्तर से नीचे पग नहीं रखता, उसी प्रकार मानसिक अल्पाहार के लिए 'समाचार-पत्र' पढ़े बिना उसे चैन नहीं पड़ता। कुछ लोग प्रातः उठकर दर्पण में अपना मुँह देखते हैं, कुछ हथेलियों के माध्यम से आत्म-दर्शन करते हैं, उसी प्रकार आज का शिक्षित नागरिक समाचार-पत्र रूपी दर्पण में दिव्य-दर्शन किए बिना मन्तुष्ट नहीं हो पाता। वर्तमान-युग में समाचार-पत्र का इमसे बढ़कर महत्त्व क्या होगा कि प्रातः काल उसके दर्शनो के अभाव में मनुष्य ऐसे तड़पता है, जैसे जल के बिना मछली।

'भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, 'वसुधैव कुटुम्बकम्।' इसके कार्यान्वयन का सत्य रूप प्रकट किया समाचार-पत्रों ने। समाचार-पत्र विश्व के समाचारों का सग्रह है, ससार की गति-विधि का आईना है। वह वसुधा के समाचारों को जन-जन तक पहुँचाना अपना लक्ष्य मानता है। इस प्रकार समाचार-पत्र वर्तमान युग के ज्ञान-वर्धन का माध्यम है; जनता का विश्वविद्यालय है। इसीलिए आज-कल लड़ाई का मैदान कुक्षेत्र, मित्र या ईरान कभी-कभी ही होता है। समाचार-पत्रों ने इनका स्थान ले लिया है। वे दैनन्दिन अपने नेताओं, राष्ट्र और राज्य की कटु आलोचना करते-हुए अग्निवर्षा करने में नहीं चूकते।

समाचार-पत्र वर्तमान युग के लोक-तांत्रिक राष्ट्रों में जन-शक्ति का महान् प्रवक्ता है, जन-भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है, राष्ट्र के कर्णधारों के बहने कानों में जनता की आवाज फूँकने वाला पाचजन्य है। भारत के सूखा-पीड़ितों की बेहाली, जन-असुरक्षा की घटनाओं, चोरी, डाके, बलात्कार, हरिजनों पर हुए अत्याचारों तथा पीड़ित जनता की चीत्कार को आन्दोलित कर भारत के समाचार-पत्रों ने सरकार को झकझोर डाला है।

समाचार-पत्र वर्तमान युग में जन-जागरण का प्रहरी है। एक सजग प्रहरी की भाँति समाचार-पत्र समाज पर कड़ी दृष्टि रखते हैं। वे हमे अपनी दिव्य दृष्टि एवं तीव्र सूझ-बूझ के माध्यम से उन आलमारियों तक ले जाते हैं, जिनमें सरकारों, बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थानों तथा स्वार्थी नेताओं की भयावनी योजनाएँ छिपी रहती है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध 'वाटरगेट कांड', जापान के शक्तिशाली प्रधानमंत्री काकुई तनाका के पतन, इंग्लैण्ड के मन्त्री प्रोपयूमा के सेक्स कांड, इजराइली मन्त्री का मोरारजी-वाजपेयी से मिलन आदि के समाचारों का प्रकाशन समाचार-पत्रों द्वारा जन-जागरण के ज्वलन्त प्रमाण है। इसलिए विश्वविख्यात वीर नैपोलियन ने कहा था, 'मैं लाखों विरोधियों को अपेक्षा तीन विरोधी समाचार-पत्रों से अधिक भतभीत रहता हूँ।'

वर्तमान युग में समाचार-पत्र ही जनमत तैयार करने का सबसे मुलभ साधन है। प्रकाशित समाचारों, अग्रलेखों और सम्पादकीय-टिप्पणियों में जनता की विचार-धारा को मोड़ने और दृष्टिकोण को बदलने की महान् शक्ति होती है। घतरे की घंटी को बजा-बजाकर समाचार-पत्रों ने आपातकाल की ज्यादतियों एवं सजय-राजनारायण-चरणसिंह की विभेदक नीतियों के प्रति क्षोभ उत्पन्न किया। रूस के अधिनायकवादी रवैये पर समाचार-पत्र ही टिप्पणियाँ लिख-लिखकर जनता को सही बात समझाने की चेष्टा कर रहे हैं।

सामाजिक बुराइयों, धार्मिक प्रवृत्तियों, राजनीति के छल-छन्द, राजकीय चक्रव्यूह, आर्थिक दुरवस्था तथा समाज-द्रोही तत्त्वों के दुष्कृत्यों की पोल खोलने, उनसे बचने, सचेत रहने तथा क्षिपति पड़ने पर किसी ढंग में निकलने की शिक्षा देने का दायित्व भी आज का समाचार-पत्र ही वहन करता है। कुरीतियों, कुप्रथाओं, कुसंस्कारों के बचाव में समाचार-पत्र वर्तमान युग की किलेबन्दियाँ हैं।

वर्तमान युग विज्ञापन का युग है। किसी वस्तु, भाव या विचार को विज्ञापन द्वारा प्रसिद्ध किया जा सकता है, उसे प्रधानता दिलाई जा सकती है। समाचार-पत्र विज्ञापन का एक बड़ा साधन है। इसमें प्रकाशित विज्ञापन पढ़े जाते हैं। ये विज्ञापन पाठक पर अपना प्रभाव भी छोड़ते हैं। इसीलिए व्यापारी वर्ग विज्ञापन के लिए समाचार-पत्रों का सहारा लेकर व्यापार की वृद्धि करते हैं। दूसरी ओर, अपने विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाएँ अपने-अपने अखबार निकालती हैं। समाचार-पत्र योग्य वर या बधु, काम के लिए उपयुक्त कर्मचारी, कार्यालय या निवास के लिए उचित स्थान की खोज का श्रेष्ठ एवं सरल साधन बन गए हैं।

वर्तमान युग में नवोदित लेखकों, कवि-कवयित्रियों को प्रकाश में लाने का ध्येय भी समाचार-पत्रों को ही है। उनके लेखों का मानदण्ड जनता का हृदय है। अपरिचितों को जनता उनके लेखों के माध्यम से आँखों पर बैठाती है, थढ़ा-सुमन चढ़ाती है। यश के साय-साय समाचार-पत्र आय का साधन भी है। लेखक को लेख का पारिश्रमिक मिलता है, कवि-कवयित्री को अपनी प्रकाशित कविता के लिए 'दक्षिणा' प्राप्त होती है।

इन सबसे बढ़कर समाचार-पत्र वर्तमान युग में करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। समाचार-पत्रों के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी, सम्पादक वर्ग, सम्वाददाता, समाचार-एजन्सियों के कर्मचारी आदि लाखों लोग समाचार-पत्रों से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं, धन उपाजन करते हैं।

वर्तमान युग में समाचार-पत्र के बिना जीवन अन्धकारपूर्ण है, मानव को बेलगाड़ी के युग में धकेलने का प्रयास है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

इस अंधियारे विश्व में, दीपक है अखबार।

सुपथ दिखावे आपको, आँस करत है चार ॥

सिनेमा (चलचित्र)

(ऑल इण्डिया १९८१ : 'ए')

चलचित्र वर्तमान युग का 'एक जन-प्रिय आविष्कार है। ध्वनि और चित्र का अद्भुत संगम है। मनोरंजन का शक्तिशाली, किन्तु सस्ता साधन है। वर्तमान सभ्यता का महत्त्वपूर्ण अंग है। जन-जन की इच्छा का मूर्त रूप है।

सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर है। ऐडवांस बुकिंग, टिकट-घर पर लम्बी लाइनें, 'हाउस फुल' के बोर्ड, टिकटों की ब्लैक, सिनेमा-प्रियता के प्रमाण हैं इसके कर्णमधुर गीत सुनने के लिए लोग ट्रॉजिस्टर और रेडियो को 'ऑन' रखते हैं। 'चित्रहार' और 'चित्रमाला' में गीत सुनने और दृश्य देखने के लिए टेलीविजन पर घटना देकर बैठते हैं। आज के शिशु को भी सिनेमा-गीत गाते सुना जा सकता है। युवक-युवतियों का सिनेमा स्टाइल में बाल रखना, वेशभूषा अपनाना तथा बात-चीत करना तो आम बात हो गई है।

चित्रपट पर चलचित्र दिखाने का वैज्ञानिक ढंग है। प्रोजेक्टर के ऊपर और नीचे दो चरखियाँ लगी होती हैं और एक आर्कलैम्प लगा होता है, जो रोशनी फैकता है। ऊपर की चरखी पर उल्टी फिल्म लगाई जाती है। मशीन चलाने पर ऊपर की चरखी से फिल्म नीचे की चरखी में लिपटती जाती है। जब फिल्म प्रोजेक्टर के उस भाग के सामने आती है, जहाँ प्रकाश बाहर निकलता है, तब वहाँ कुछ क्षण रुकती है। फिल्म के पीछे एक कटा हुआ पहिया घूमता रहता है। जैसे ही फिल्म वहाँ रुकती है, वैसे ही पहिये का कटा हुआ भाग उसके पीछे आ जात है। इसमें से होकर तेज रोशनी फिल्म पर पड़ती है। यह प्रकाश फिल्म में से होकर प्रोजेक्टर के लेंस में से गुजरता है और चित्र सामने दिखाई देता है। पर्दे के पीछे लगे लाउडस्पीकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार चित्रपट पर चित्र और ध्वनि का संगम बनता है।

चलचित्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ। सर्वप्रथम वाशिंगटन-निवासी टामस आर्नाट ने सन् १८५६ ई० में सिनेमा-यन्त्र तैयार किया था। परिष्कृत यन्त्रों से युक्त आधुनिक सिनेमा दिखाने की मशीन सन् १९०५ में तैयार हुई। तत्पश्चात् इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि में इसका प्रचार हुआ। भारत में १८९७ में प्रथम लघु फिल्म बनी। सन् १९३१ में 'आलमआरा' बनी। यह प्रथम सवाक चित्र था। अब तो सिनेमा ने भी अकथनीय तरक्की कर ली है। हर प्रकार के दृश्य उनमें देखिए। जिस दृश्य को साक्षात् देखकर मानव-मन दहल उठता है, उसको आप वहाँ पाएँगे। रंग-विरंगे चित्र देखिए और साथ ही सुनिए श्रुतिमधुर गीत।

सिनेमा जहाँ मनोरजन का साधन है, वहाँ शिक्षा व प्रचार का भी सर्वश्रेष्ठ साधन है। भूगोल, इतिहास और विज्ञान जैसे शुष्क विषयों को अमेरिका और यूरोपीय देशों में चलचित्रों द्वारा समझाया जाता है।

समाज को सुधारने में चित्रपट का पर्याप्त हाथ है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सहस्रो प्रचारक जो काम न कर सके, वह चलचित्रों ने कर दिखाया। 'बॉबी', 'प्रेमरोग', 'आँधी', 'जागृति', 'चक्र', 'आक्रोश', 'फिर भी' आदि फिल्मों ने समाज पर अपना प्रभाव स्थापित किया है।

इसी भाँति पौराणिक और धार्मिक चलचित्र हमारे पुरातन इतिहास को सम्मुख लाकर धर्म के प्रति जनता की श्रद्धा बढ़ाने का यत्न करते हैं, तो राष्ट्रीय चलचित्र देश के प्रति मर-मिटने की भावना जाग्रत करते हैं। 'झाँसी की रानी', 'शहीद', 'भगतसिंह', 'गांधी' आदि चित्रों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है।

भारत सरकार के सूचना-विभाग की ओर से प्रत्येक छविगृह में १०-१५ मिनट तक संसार में घटित गत सप्ताह की गतिविधियों के चल-चित्र दिखाए जाते हैं। कई बार इनके स्थान पर सरकार विभिन्न योजनाओं की प्रगति के दृश्य, भारत के ऐतिहासिक स्थानों की झाँकी, देश में शिक्षा की प्रगति, बाढ़ रोकने के उपाय आदि अनेक शिक्षाप्रद फिल्में भी दिखाती है। इन फिल्मों के द्वारा जहाँ मनोरजन होता है, वहाँ ज्ञानवर्धन भी होता है। साथ ही हम अनेक ऐसे दृश्यों को भी देख पाते हैं, जिनको जीवन में देख पाना कठिन ही नहीं असम्भव भी है।

सिनेमा व्यापार के प्रचार का भी साधन है। बड़ी कम्पनियों का विज्ञापन

एक रील में दिखाया जाता है, तो छोटी व्यापारिक संस्थाओं की स्लाइडे दिखाई जाती हैं। इससे व्यापार की उन्नति होती है।

सिनेमा से जहाँ इतने लाभ हैं, वहाँ हानियाँ भी बहुत हैं। ठीक भी है, जहाँ फूल होंगे, वहाँ काँटे भी अवश्य होंगे। आज भारत में अधिकांश चित्र नग्न-प्रेम और अश्लील वासना-वृत्ति पर आधारित होते हैं। इससे जहाँ नवयुवकों के चरित्र का अधःपतन हुआ है, वहाँ समाज में व्यभिचार और अश्लीलता भी बढ़ गई है।

दूसरे, आजकल सिनेमाओं में जो गाने चलते हैं, वे प्रायः अश्लील और वासनात्मक प्रवृत्तियों को उभारने वाले होते हैं, किन्तु उनकी लय और स्वर इतने मधुर होते हैं कि आज तीन-तीन और चार-चार वर्ष के बच्चों में भी आप वे गाने सुन सकते हैं।

तीसरे, समाज में आए-दिन नए-नए फैशन का रोग फैलाने की जड़ भी सिनेमा ही है। सिनेमा के अभिनेता जिम रूप में दिखाई देने हैं, नवयुवक वर्ग उसका अनुकरण करने के लिए उतावला हो उठता है। परिणामतः नए फैशन छूत की बीमारी की तरह फैलते चले जाते हैं।

चौथे, अधिक सिनेमा देखने से तीन हानियाँ होती हैं—(१) सिनेमा की तेज रोशनी से आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। (२) धन और ममय का अपव्यय होता है। (३) पैसा न मिलने पर उसकी प्राप्ति के लिए चोरी आदि बुरे काम करने की आदत पड़ती है।

इन सब बुराइयों के होते हुए भी सिनेमा एक लाभप्रद आविष्कार है। इतना अवश्य ध्यान रखना होगा कि हमें सामाजिक दृष्टि से मार्थक, मास्कृतिक दृष्टि से प्रामाणिक, कला की दृष्टि से सन्तोषप्रद और शिल्प की दृष्टि में चमत्कारी फिल्में बनानी चाहिए; तभी सिनेमा शिक्षा और मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ साधन सिद्ध हो सकेगा।

समाज पर चलचित्रों का प्रभाव

(दिल्ली १९३६ : 'ए')

सिनेमा मनोरंजन का सस्ता, किन्तु प्रभावशाली साधन है। बड़े गाँवों तथा कस्बों तक में सिनेमाघर का होना इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। नगरों तथा महानगरों में तो अनेक सिनेमाघर होते हैं, तब भी हाल यह होता है कि टिकट आसानी से नहीं मिल पाती। टिकटें ब्लॉक में बिकती हैं। नई फिल्मों की टिकटों के लिए तो अगाऊ बुकिंग बरदानी पड़ती है। जब टेलीविजन पर पिवचर आती है, तब क्या बच्चे, क्या बूढ़े कमरे में बन्द होकर पिवचर का आनन्द ले रहे होते हैं।

समाचार-पत्र और साप्ताहिक-पत्रों में सिनेमा की चर्चा न हो तो अखबार की बिक्री कम हो जाए। अनेक मासिक-पत्र तो केवल सिनेमा पर ही जीवित हैं। अभिनेता या अभिनेत्री का रंगीन चित्र मुख-पृष्ठ पर छापते हैं। आजकल सिनेमा की अभिनेत्रियाँ और अभिनेता हमारे लिए पूजा के पात्र बन गए हैं। लोग उनके चित्र अपने कमरे में लगाते हैं, परस में रखते हैं। उनकी ऐक्टिंग एवं डायलॉग्स का अनुकरण करते हैं।

जहाँ दो युवा या युवतियाँ मिली, वही पिवचर, अभिनेता तथा अभिनेत्री, उनके प्रेम-सम्बन्ध किस-किस से हैं और रेखा का किस-किस से रोमांस चल रहा है, दिलीप कुमार किस ढंग से बाल बनाता है, राजकपूर ने कितनी नायिकाओं को शिखर पर चढ़ा दिया—आदि बातें ही चर्चा के विषय होते हैं।

अब आइए सिनेमा के गानों पर, कितने कर्णप्रिय हैं कि बार-बार सुनने पर भी मन नहीं भरता। रेडियो भिन्न-भिन्न स्टेशनों से सिनेमा-गीत सुनाता है, पर जनता की फरमाइश कम नहीं होती। इसके अतिरिक्त धार्मिक सम्मेलन हो या चुनाव की सभा अथवा शादी का मंगल-कार्य, सभी में सिनेमा-गीतों के रिकार्डे बजते हुए सुनाई देते हैं।

आज जीवन में सिनेमा ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। संक्रामक रोग के कीटाणुओं की तरह यह हमारे समाज में बुरी तरह धर कर गया है।

वर्तमान काल में सिनेमा ने युवक-युवतियों के चरित्र भ्रष्ट कर दिए हैं। उनमें गन्दी आदतें डाल दी है। सिनेमा में प्रदर्शित अर्धनग्न शरीरों का प्रदर्शन, कामुक हाव-भाव, प्रेम-सम्बन्धों के अश्लील और भोड़े दृश्य, वक्षस्थल का कृत्रिम उभार, नृत्यों में कामुक दृश्य समाज में फैंगर रोग उत्पन्न कर रहे हैं। सिनेमा देख-देखकर समाज वामना से ग्रस्त होता जा रहा है। सरेआम लड़कियों को छोड़ा जाना, गन्दे कर्णमधुर गीतों के माध्यम से उन पर आवाजें कसना, वासनापूर्ति के लिए अनाप-भनाप पैसे खर्च करना, सिनेमा की ही देन है। आज के युवक-युवतियाँ सिनेमा-स्टाइल पर बाल बनवाने, कलमें रखने, कपड़े पहनने और साड़ी बाँधने में गौरव अनुभव करते हैं। लड़कियाँ टेलर को कहती हैं कि अमुक पिक्चर में अमुक सीन में नायिका ने जो सूट पहना है, वैसे ही सूट चाहिए।

शराब, चोरी, डाका, धोखा और दु साहसिक कुकृत्यों के दृश्यों को देखकर समाज में ये भावनाएँ पहले की अपेक्षा बहुत बढ गई हैं। नशे की आदत आज के समाज को चौपट कर रही है। सम्पन्न परिवार के युवक सिनेमा-स्टाइल पर चोरी करते हैं, डाके डालते हैं; सिनेमा-स्टाइल पर अपराधपूर्ण कृत्य करने हैं। बात-बात में चाकू निकाल लेना तो फैशन बन गया है।

देश के विभिन्न भागों से युवक-युवतियाँ घर से भाग कर बम्बई पहुँचती हैं—धर्मेंद्रकुमार और हेमामालिनी बनने। कितने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं? उत्तर है अँगुली पर गिने जाने योग्य। शेष तो अपना जीवन बरबाद कर लेते हैं। वेश्या से बुरी हालत युवतियों की होती है और वेटरों से अच्छी हालत युवकों की नहीं रहती।

सिने जगत के प्रभाव से भारत में 'प्रेम-संस्कृति' का जन्म हुआ है। नारी के प्रति 'मातृवत् पर दारेपु' की भारतीय संस्कृति की मान्यता विलुप्त हो रही है। आज का पुरुष हर नारी में, चाहे वह आयु में छोटी हो या बहुत बड़ी, प्रेम-रोग के दर्शन करना चाहता है। इसी 'प्रेम-संस्कृति' की उपज है 'गल फ्रेंड' तथा 'बॉय फ्रेंड' का प्रचलन। यही कारण है कि पति-पत्नी के सम्बन्धों में

शिपिसता आ रही है। तलाक के केसों से न्यायालय व्यस्त हैं, प्रस्त हैं। भाई-बहनों, देवर-भाभियों के सम्बन्धों में निकृति आ रही है। सातियों की तो बात ही छोड़िए। कहां तक है पतन की सीमा। सिनेमा जो न प्रभाव दिखाए, थोड़ा है।

मानव-मन अच्छी चीजें ग्रहण नहीं करता। बुरी बातों पर झपट्टा मारता है। उसको जीवन में आत्मसात् करने की चेष्टा करता है। सिनेमा की विकृतियों को जीवन में ओढ़ने के पीछे मानव का यही मनोविज्ञान काम कर रहा है। अन्यथा सोचिए; गरीबी के अभिशाप को जब परदे पर दिखाया जाता है, तो कितने मनुष्यों ने गरीबों की सेवा कर उन्हें इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया? पेट की ज्वाला को शान्त करने के लिए नारी किस प्रकार बदमाशों के चंगुल में फँसती है, यह दृश्य देखकर कितने लोगों ने नारी को निस्वार्थ भाव से नौकरी दिलवाने में सहायता की, ताकि वह बदमाशों के चंगुल में न फँसे। राष्ट्रीय चित्र देखकर कितने लोगो में वीरता, धीरता या देशभक्ति के गुण जागृत हुए? समाज जनसंख्या-वृद्धि और दहेज एवं बलात्कार जैसी बुराइयों के कारण परेशान है, विक्षुब्ध है। कितने चलचित्र-प्रेमियों ने परिवार-नियोजन किया? कितने युवक-युवतियों ने बिना दहेज शादी की?

इस प्रकार चलचित्रों का प्रभाव वातावरण को दूषित करने, विपत्ति बनाने तथा उसका कुत्सित रूप उभारने में ही अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है।

□

रेडियो (आकाशवाणी)

रेडियो इस युग की लोकप्रिय देन है। विद्युत् चुम्बकीय तरंगों का क्रांतिकारी चमत्कार है। मनोरंजन और ज्ञानवर्धन का श्रेष्ठ साधन है। वर्तमान समाज की आवश्यकता-पूर्ति का माध्यम है।

आधुनिक काल में रेडियो के आविष्कार का श्रेय इटली निवासी श्री मारकोनी को है। इन्हीं दिनों इस दिशा में भारत के महान् वैज्ञानिक श्री जगदीशचन्द्र बसु ने भी काफी प्रयत्न किए थे।

रेडियो ध्वनि-प्रसार का यंत्र है। यह बिना तार एक स्थान की आवाज को दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम करता है। बिजली द्वारा आकाशवाणी केन्द्र से ध्वनि को बिजली की लहरों में परिणत कर दिया जाता है। ये विद्युत् चुम्बकीय तरंगे सारे आकाश में फैल जाती हैं। आकाश में फैली हुई उन लहरों को रेडियो एरियल द्वारा तुरन्त पकड़ लेता है।

ध्वनि-तरंगे तीन रूप में प्रसारित होती हैं—छोटी तरंगे, मध्य तरंगे तथा लम्बी तरंगे। इसी के अनुसार रेडियो भी तीन प्रकार के होते हैं—स्थानीय (Local), अखिल भारतीय (All India) और समस्त विश्व में सम्बन्धित (All World) स्थानीय रेडियो पर केवल स्थान-विशेष के आकाशवाणी-केन्द्र द्वारा प्रसारित ध्वनि ही सुन सकते हैं, अखिल भारतीय रेडियो द्वारा सम्पूर्ण भारत के आकाशवाणी-केन्द्रों की ध्वनि सुन सकते हैं और ससार-रेडियो द्वारा ससार भर के प्रमुख आकाशवाणी-केन्द्रों की ध्वनि सुनी जा सकती है। रेडियो की मशीन में ऐसी व्यवस्था होती है कि श्रोता अपनी इच्छानुसार किसी भी आकाशवाणी-केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को सुन सकते हैं।

अब रेडियो ने अपनी उन्नति का एक पग और बढ़ाया है। रेडियो से हम देश-विदेश की बातें तो सुनते थे, किन्तु बोलने वाले का चित्र गद्दी देख पाते थे। यह कमी टेलीविजन के आविष्कार ने दूर कर दी।

रेडियो समाचार-प्रसारण का प्रमुख साधन है। इससे प्रतिदिन देश-विदेश-प्रसारण सेवा में २२४ समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं। इनमें ६८ बुलेटिन, जो १६ भाषाओं में होते हैं, दिल्ली से गृह-सेवा में प्रसारित किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त राज्यों, विकास-आत्मक कार्यों और खेल-जगत् से सम्बन्धित अनेक समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं। 'धीमी गति के बुलेटिन, आधा घंटे तक दिल्ली से हिन्दी और अंग्रेजी में तथा श्रीगगर से उर्दू में प्रसारित होते हैं। दिल्ली तथा प्रादेशिक केन्द्रों से 'लोकसचि समाचार बुलेटिन' हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित होते हैं।

रेडियो समाचार-प्रसारण का सरलतम एवं द्रुतगामी साधन है। वायुयान जलयान, पुलिस तथा गुप्तचर एजेंसीज अपने समाचारों को अभीष्ट स्थान तक रेडियो द्वारा ही तुरन्त भेज पाते हैं। आकाश में उड़ता जहाज, समुद्र में दौड़ता यान विपत्ति पड़ने पर बाढ़ से घिरे लोग, युद्धभूमि में बिछुड़े सैनिक, जंगल पहाड़ों में भटक गए यात्री रेडियो द्वारा भेष-सत्कार को अपनी मुसीबत बता पाते हैं।

रेडियो मनोरंजन का भी सशक्त और प्रमुख साधन है। शास्त्रीय और सुगम संगीत के बहुत अधिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। जनता मंत्रमुग्ध हो इन गानों के संगीत, स्वरलहरी तथा बोल में खो जाती है। इतना ही नहीं सैनिकों के लिए यह कार्यक्रम 'जयमाला' के अन्तर्गत प्रतिदिन उनके अनुरोध गीत सुनाता है।

रेडियो से प्रसारित नाटक, एकांकी, प्रहसन, नृत्य, लोकनृत्य, प्रायोजित कार्यक्रम, हास्य वार्ताओं द्वारा जनता का सशक्त मनोरंजन होता है। विविध भारती तो रात्रि ६.१५ पर प्रतिदिन प्रहसन-एकांकी प्रसारित करता है, तो ६.३० से १० बजे तक प्रायोजित कार्यक्रम। इनके अतिरिक्त वि-सम्मेलन, हॉकी, क्रिकेट की कॉमेंट्री इतना आनन्द प्रदान करती है कि लोग काम करते-करते भी ट्राजिस्टर को कान से लगाए रहते हैं।

रेडियो शिक्षा-प्रसार का भी महत्वपूर्ण साधन है। रविवार और अवकाशीय दिवसों को छोड़कर प्रतिदिन दिल्ली से पाठ्य-पुस्तकों के पाठों को समझाया जाता है। जो पाठ बच्चा कक्षा में ठीक से हृदययंगम नहीं कर पाता, उसे रेडियो के माध्यम से समझ लेता है।

टेलीविजन (दूरदर्शन)

(ऑक्टोबर १९७८, ८१ : 'ए')

'टेलीविजन' (Television) अंग्रेजी के दो शब्दों 'Tele' और 'vision' से मिलकर बना है। Tele का अर्थ है 'दूर' और vision का अर्थ है 'देखना' अर्थात् 'दूरदर्शन'। विज्ञान के जिन चमत्कारों ने मनुष्य को आश्चर्यचकित कर दिया है, उनमें टेलीविजन भी मुख्य है। इस मन्त्र के द्वारा दूर के स्थान से प्रसारित ध्वनि चित्र सहित दर्शक के पास पहुँच जाती है।

'टेलीविजन' की कला रेडियो की कला का विकास है। रेडियो में हम दूर देशों तक ध्वनि-प्रसार कर सकते हैं, किन्तु टेलीविजन में यह विशेषता है कि बोलने वाले का चित्र भी दूर स्थान पर दिखाई देता है। इससे प्रत्यक्ष दर्शन में सहायता मिलती है तथा सारी बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है।

महाभारत में एक प्रसंग आता है कि धृतराष्ट्र ने संजय से घर बैठे युद्ध-क्षेत्र का आँखोंदेखा हास सुना था। रेडियो के आविष्कार से पूर्व लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे, किन्तु अब प्रतीत होता है कि सम्भवतः दूरदर्शन जैसा यंत्र महाभारत काल में रहा होगा, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता के हास होने के साथ-साथ ही समाप्त हो गया हो।

भारत में 'टेलीविजन' का आगमन कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में आयोजित एक प्रदर्शनी में हुआ था, किन्तु इसका विधिवत् प्रबन्ध तब न हो सका। वस्तुतः हमारे देश में टेलीविजन का आगमन १५ मितम्बर १९५६ से ही सम्भविता चाहिए, जबकि हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने आकाशवाणी के टेलीविजन विभाग का उद्घाटन किया था। तब से अब तक भारत के अनेक प्रांतों की राजधानियों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित हो चुके हैं तथा अन्य अनेक बड़े नगरों में दूर-दर्शन टावर स्थापित हो चुके हैं।

प्रगति का एक पग और बढ़ा। १ अगस्त, १९७५ से अमेरिकी उपग्रह-द्वारा

भारत में ६ राज्यों के २४०० दर्शकों की २५ लाख जनता दूरदर्शन से लाभान्वित हुई ।

१५ अगस्त, १९८२ को भारतीय उपग्रह 'इंसेट-१ ए' के माध्यम से विभिन्न दूर-दर्शन केंद्रों में एक ही कार्यक्रम दिखाना सम्भव हुआ । दूसरी ओर 'इंसेट-१ बी' उपग्रह के लन्च स्पार्च के बाद सितम्बर, १९८३ से न केवल भारत के विभिन्न दूरदर्शन-केंद्रों में नामरूप स्थापित हो सका, अपितु देश के कोने-कोने में बसे हुए गाँव भी दूर-दर्शन कार्यक्रम से लाभान्वित होने लगे ।

दूरदर्शन विश्व में घटित होने वाली घटनाएँ, कार्यक्रम एवं विविध प्रसंग सब कुछ घर बैठे दिखाता है । जहाँ न पहुँच सकें, वहाँ पहुँचें दूरदर्शन ।' हिमालय-अभिमान देखने आप जा नहीं सकते, राष्ट्रमंडलीय देशों अथवा गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन आपके प्रवेश के लिए बजित है, फिल्मी मित्तारों, कवि-सम्मेलनों, फंडेशन-शो के रंगारंग कार्यक्रम में आप शामिल नहीं हो सकते, कारण उनके टिकट बहुत महंगे हैं, तो स्विच ऑन कीजिए । और घर बैठे देखिए इन गय कार्यक्रमों को दूरदर्शन के माध्यम से ।

दूरदर्शन से अनेक झंझट मिटे । जाने-आने का समय बचा और कस्ट भी दूर हुआ । वाहन की खोज घटम हुई, टिकटों की चिंता मिटी, अडोम-पडोस में बैठे दर्शक की हील-हुज्जत घटम हुई और सबसे अधिक बचत हुई धन की ।

दूरदर्शन मन को साधने का व्यायाम है, एकाग्रचितता का अभ्यास है । कार्यक्रम देखते हुए हृदय, नेत्र और कर्ण की एकता दर्शनीय है । जरा-सा भी व्यवधान साधक को बुरा लगता है । दूरदर्शन के दर्शक को ये चैन कर देता है, फोड़ित कर देता है ।

दूरदर्शन मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, शिक्षा तथा विज्ञापन का सुतल और सशक्त माध्यम है । फीचर फिल्म, चित्रहार, चित्रमाल, नाटक-एकांकी-प्रहसन, लोक-नृत्य-संगीत, शास्त्रीय-नृत्य-संगीत, सरकस, अपेजी धारावाहिक हास्य फिल्म, ये सभी दूरदर्शन के मनोरंजक कार्यक्रम ही तो हैं । ये दिनभर के थके-हारे मानव के मन को गुदगुदा कर स्वस्थ और प्रसन्न करते हैं, स्फूर्ति और शक्ति प्रदान करते हैं ।

जीवन और जगत के विविध पहलुओं के कार्यक्रम दर्शक का निःसंदेह ज्ञान-वर्धन करते हैं । 'बातें फिल्मों की' कार्यक्रम जहाँ फिल्म-जगत की पूरी जागकारी

देता है, वहाँ 'विज्ञान-जगत' के अन्तर्गत वैज्ञानिक प्रगति का सूक्ष्म-परिचय भी देता है। टेलीविजन द्वारा शरीर के कण्टों से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टरी सलाह दी जाती है, तो कानून की पेचीदगियों को समझाने के लिए कानून की शल्य-क्रिया की जाती है। प्रकृति के रहस्य, समुद्र की अतल गहराई, नभ की अनन्तता, विदेश का सर्वांगीण परिचय, भारत की कला एवं सस्कृति की विविधता की जानकारी, सभी ज्ञानवर्धन के कार्यक्रम हैं।

विश्व में घटने वाली घटनाओं को जब हम अपनी आँखों से देखते हैं, तो विश्वसनीयता बढ़ती है, आत्म-विश्वास जागृत होता है। नेताओं की स्वदेश-विदेश-यात्रा, विश्वनेताओं का भारत-आगमन, रेल-बस-एक्सीडेंट, एयर-क्लेश, धार्मिक-सामाजिक समारोह, जलसे जलूस-भापण, खेल-मैच, २६ जनवरी की परेड, १५ अगस्त को लातकिले का कार्यक्रम जब हम देखते हैं, तो लगता है, ये सब हमने खुले नेत्रों से देखे हैं, फिर संशय क्यों ?

शब्द ज्ञान से दृश्य ज्ञान अधिक प्रभावशाली होता है, यह नैसर्गिक सिद्धान्त है। सुनी हुई, पढ़ी हुई, रटी हुई बात हम कालान्तर में भूल सकते हैं, किन्तु देखी हुई बात को भूल पाना आसान नहीं। मन के चित्रपट से उतारना सरल नहीं। दूरदर्शन क्योंकि दृश्य और ध्वनि का संगम है, इसलिए इसके माध्यम से दी गई शिक्षा अधिक प्रभावकर सिद्ध होगी। दिल्ली-दूरदर्शन से आघा-आघा घण्टे का नियमित शिक्षा कार्यक्रम इसका प्रमाण है।

व्यापार की समृद्धि प्रचार पर निर्भर है। वस्तु विशेष का जितना अधिक प्रचार होगा, उतनी ही अधिक उसकी माँग बढ़ेगी। दूरदर्शन प्रचार का श्रेष्ठ माध्यम है, वस्तु-विशेष की माँग पैदा करने का उत्तम उपाय है। दूरदर्शन के विज्ञापन दर्शक के दृश्य पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जो जहूरतमन्द को वस्तु-विशेष खरीदते समय प्रचारित वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं।

जैसे-जैसे मानव की वरस्तता बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, जीवन में मनो-रजन की अपेक्षाएँ बढ़ेंगी, वैसे-वैसे दूरदर्शन अपने में गुणात्मक सुधार उत्पन्न कर मनोरंजन का सोशक साधन सिद्ध होता जाएगा।

टेलीविजन : लाभ और हानियाँ

(दिल्ली १९८१ : 'बी')

टेलीविजन मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है। दिन-प्रतिदिन विश्व में घटने वाली घटनाओं का दर्पण है। ज्ञानवर्धन का सार्थक माध्यम है। बच्चों को सचित्र शिक्षा देने वाला श्रेष्ठ शिक्षक है। विज्ञापन द्वारा वस्तुओं के प्रचार एवं विक्री-वृद्धि का प्रभावकारी ढंग है।

किन्तु दूरदर्शन नयनों को शीघ्र रोगग्रस्त करने वाला हानिकर उपकरण भी है, कर्तव्य-विमुखता का प्रेरक है। समय-दुरुपयोग का चिन्तनीय आविष्कार है, तकनीकी खराबी होने पर बहुत खर्चीला सौदा है।

दिनभर के परिश्रम के पश्चात् थका-हारा मानव घर पहुँच कर टेलीविजन का स्विच ऑन करता है, तो स्फूर्ति और उल्लास उसके मन-मस्तिष्क पर उतर आता है। मानो टेलीविजन के नाम को ही वह मनोरंजन की संज्ञा देने लगा हो। पिक्चर, नाटक, हास्य-व्यंग्य एकांकी देखने के लिए सिनेमाघर, नाटक-भवन या सांस्कृतिक केन्द्रों में जाने की जरूरत नहीं। वाहनों के धक्के खाने, टिकटघर की खिड़की की भीड़-भाड़ में पिसने और जेब खाली करने की आवश्यकता नहीं। समय पर पहुँच पाने का झंझट नहीं, 'टिकट मिल भी सकेगा या नहीं' का मानसिक द्वन्द्व नहीं।

टेलीविजन सप्ताह के सातों दिन कोई न कोई मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जिसे देखकर चेहरे की उदासी काफूर हो जाती है, मन प्रसन्न होता है, खूब मनोरंजन होता है। मनोरंजन में आयु-वृद्धि होती है।

सप्ताह के मनोरंजक कार्यक्रमों पर निगाह डालिए। प्रतिदिन के नैटवर्क कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया है। रात्रि ९ बजे का यह कार्यक्रम जीवन के हर पहलू को विभिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। रविवार को तो नैटवर्क के पाँच कार्यक्रम सच्चे अर्थों में अवकाश दिवस, मौज-मस्ती का दिन बना

देते हैं। रविवार की 'रामायण' ने तो जनप्रियता के सारे रिकार्ड तोड़ दिए। इतना ही नहीं, बुधवार और शुक्रवार के 'चित्रहार' तथा सोमवार की 'चित्रमाला', शनिवार की साप्ताहिकी और रविवार की फीचर फिल्म भी दूर-दर्शन दर्शकों के चहते कार्यक्रम हैं। इनके अतिरिक्त सप्ताह में एक नाटक, सुगम तथा शास्त्रीय नृत्य-संगीत के कार्यक्रम, प्रांतीय तथा विदेशी फिल्मों और हास्य नाटिकाएँ सुरुचिपूर्ण मनोरंजन प्रदान करते हैं।

अब तो प्रातःकालीन कार्यक्रम में हास्य-व्यंग्य की झलकियाँ दिन भर प्रसन्न रहने का मूड बनाती हैं। चैनल २ तथा ७ के कार्यक्रम भी ज्ञानवर्धन और मनोरंजन में वृद्धि करते हैं।

विश्व में कहीं भी कुछ हुआ, उसकी खबर तो आप अखबारों में पढ़ लेते हैं, किन्तु टेलीविजन में वहाँ घटित घटना को हू-ब-हू देखकर आपका मन भाव-विभोर हो जाता है। राजीव जी विदेश-यात्रा पर गए। वहाँ उनके शानदार स्वागत का आनन्द हम लेते हैं अपने टेलीविजन पर। विश्व के ओलम्पिक खेल हो या 'एशियन गेम्स' हों अथवा विश्व टूरनामेन्ट और मैचिस हों, ये सभी प्रतियोगिताएँ विश्व के किसी भी नगर में हो रही हों, किन्तु इन सबका आनन्द ले रहे हैं घर के बन्द कमरे में। इसी प्रकार २६ जनवरी की परेड, १५ अगस्त को लालकिले की प्राचीर से प्रधानमन्त्री का सन्देश, नेताओं की कान्फेंस—सब कुछ आँखों में भर रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से।

टेलीविजन ज्ञानवर्धन का अतुलनीय साधन है। पढ़ने-सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह विस्मरण भी हो सकता है, किन्तु जो दृश्य देखा जाता है, वह शीघ्र भूल पाना सहज नहीं होता। टेलीविजन जीवन के हर क्षेत्र की प्रगति, सुधार और संवर्द्धन का अभिलाषी है। वह खेती-क्यारी से लेकर चूल्हा-चौंके तक, पृथ्वी से लेकर नभमंडल तक का पूर्ण सचित्र ज्ञान मानव को प्रदान करने की चेष्टा करता है।

दिक्रलागो की साहसिकता, बेग्याओ की विवशता, त्यौहारों की बहुरूपता,

वैज्ञानिक आविष्कारों की उपयोगिता, पशु-पक्षियों का परिचय, विश्व के दर्शनीय स्थलों के सटीक विवरण आदि अनेक कार्य टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं। दूसरे विश्व में घटित घटनाएँ भी तो ज्ञानवर्धन करती हैं।

टेलीविजन शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। जो पाठ अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, उसे दूरदर्शन में विविध चित्रावलियों द्वारा समझाया जाता है। परिणामतः वह शीघ्र हृदयंगम हो जाता है। इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है दिल्ली के विद्यालय। दिल्ली-दूरदर्शन-केन्द्र प्रतिदिन भिन्न-भिन्न कक्षाओं के पाठ प्रसारित करता है। विकसित राष्ट्रों में तो यह शिक्षण-प्रणाली बहुत सफल सिद्ध हुई है।

टेलीविजन व्यापार-वृद्धि का माध्यम है। व्यावसायिक संस्थान अपनी चीजों का सचित्र विज्ञापन देकर नया व्यापारिक क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ग्राहक बढ़ाते हैं।

जहाँ फूल हैं, वहाँ काँटे भी होते हैं। यही स्थिति दूर-दर्शन की भी है। इससे लाभ के साथ कुछ हानियाँ भी होती हैं।

दूर-दर्शन पर चार-पाँच घण्टों का पूरा कार्यक्रम देखने से आँखें प्रभावित होती हैं, रोगग्रस्त हो जाती हैं। आँखें शरीर का दीपक हैं। दीपक मन्द हुआ या बुझ गया, तो स्वर्णिम सप्ताह अन्धकारपूर्ण हो जाएगा।

दूर-दर्शन कर्तव्य-विमुखता का प्रेरक है। टेलीविजन देखने की मस्ती में घर के काम-काज से जी चुराने का स्वभाव बन जाता है। उत्तरदायित्व और कर्तव्य की अवहेलना होने लगती है। परीक्षा के दिनों में 'चित्रहार' तथा 'नाटक' देखने वाले विद्यार्थी अध्ययन की उपेक्षा करते हैं। कर्तव्यपालन और उत्तरदायित्व निभाने में विमुखता की यह प्रवृत्ति जीवन की प्रगति की अवरोधक है।

दूर-दर्शन समय की बरबादी का, लक्षण भी है। सारे कार्यक्रम न प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आते हैं, न सबके लिए उपयोगी होते हैं, किन्तु कुछ लोग टेलीविजन कार्यक्रम शुरू होते ही धरना देकर बँठ जाते हैं और उद्घोषक जब हाथ जोड़कर विदाई माँगता है, तभी उठते हैं। कई घण्टों का मनोरंजन समय नष्ट करने का लक्षण है। याद रखिए, 'जो समय को नष्ट करते हैं, समय उन्हें नष्ट कर देता है।'

टेलीविजन जरा-सा खराब हो जाए, तो चालीस-पचास रुपये से कम का खर्च नहीं। बड़ी खराबी होने पर तो सैकड़ों का बिल बन जाता है। यह खर्चा मध्यम वर्ग की शक्ति के बाहर है। अतः दुःखदायक सिद्ध होता है। □

टेलीफोन : सुविधा के साथ असुविधा भी

(दिल्ली १९८१ : 'ए')

टेलीफोन विज्ञान का अद्भुत आविष्कार है; ग्राहम बेल की विश्व को कल्याणकारी भेंट है। मानवीय जीवन के लिए उपयोगी वरदान है; संकट-मोचन का साधन है। मनचाहे दूरस्थ व्यक्ति से बातचीत का सरलतम सुविधाजनक माध्यम है। तुरन्त सन्देश देने तथा समाचार भेजने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। व्यापार और कार्यालय-संचालन का विश्वसनीय साथी है।

आज मानव मनचाही बात पर तुरन्त कार्यवाही चाहता है। उसके पास समयाभाव है। वह चाहता है कि उसका सन्देश कुछ ही क्षणों में सम्बन्धित व्यक्ति को मिल जाए। तुरन्त टेलीफोन का डायल घुमाएगा और दूर से दूर बैठे व्यक्ति से बातचीत कर लेगा। यह है विज्ञान का ईश्वरीय रूप, मानव के लिए कल्याणकारी वरदान।

टेलीफोन से समय की बचत हुई। सन्देश या समाचार वायु-वेग से पहुँच गया। कुछ ही क्षणों में मनचाहे व्यक्ति से मुँह-दर-मुँह बातचीत हो गई। आत्मीयजन बीमार पड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं। डाक्टर को फोन कीजिए। किसी अधिकारी से मिलना है, जाने पर मिलेगा या नहीं—यह मशय है। दूरभाष पर 'टाइम अप्वाइन्ट' कर लीजिए। पेटोम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को तत्काल फोन कीजिए। किनी की मृत्यु हो गई है। फोन करके कुछ ही क्षणों में सम्बन्धी इकट्ठे कर लीजिए। घर में चोर घुम आए हैं। पलाइग स्त्राड को दूरभाष पर सूचना दीजिए। आप मार्ग में गुण्डों या अनामाजिक तत्त्वों से घिर गए हैं, निस्सहाय है—अचानक पुलिस दल को देगकर आप दंग रह जाते हैं, प्रभु की कृपा समझते हैं। नहीं नाहब, दूर बैठे एक दुकानदार ने आपकी इस हालत को देखकर पुलिस को फोन कर दिया था। संकट-मोचन टेलीफोन का प्रभु-रूप। भारत भर की मडियों के भाव पता करने हैं—दूरभाष पर बात करके न

केवल भाव, अपितु गिरावट और चढ़ाव के रुख पर डिस्कस भी कर लीजिए। सट्टा बाजार तो चलता ही टेलीफोन के सहारे है। एक-एक व्यापारी दोनों कानों में फोन लगाए है। इन्हें तो शौचालय में भी चैन नहीं। वहाँ भी एक्जेंशन लगा है। टेलीफोन व्यापार की जीवनमूल प्राणवायु है, जिसके अभाव में व्यापारी जल बिन मछली की भाँति तड़पता है।

कार्यालयों, सस्थाओं, प्रतिष्ठानों का जीवन फोन बिना दूभर है। अधिकारी को क्षण-क्षण में प्राइवेट सेक्रेटरी में बातचीत करनी पड़ती है। बार-बार उठने में, बुलवाने में दोनों का समय बरबाद होता है। फोन पर बातचीत हो गई। समय की बचत, शारीरिक कष्ट से मुक्ति, तत्परता से कार्य की पूर्ति के अतिरिक्त कार्यालय की कार्य-शक्ति सुचारु रूप से संचरित हो रही है।

मायावी संसार में रोटी, कपडा और मकान की भाँति फोन भी आजके जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। यह आवश्यक भाग कही-कही अनिवार्य भी बन गया है। इसके अभाव में संचार-व्यवस्था ठप्प हो जाएगी और जीवन दूभर हो जाएगा।

किन्तु टेलीफोन का देवत्व रूप जब राक्षसत्व में प्रकट होता है, तो फोन का स्वामी थरथर कांपने लगता है।

टेलीफोन मिलाया—२६६४१२। ट्रिल-ट्रिल घंटी बजी। दूसरी ओर से रिसेवर उठाया। हाँ जी।

—सूर्यकांत जी को दीजिए।

—यहाँ कोई सूर्यकांत नहीं है। राँग नम्बर।

भाग्यचक्र देखिए—तीन बार मिलाया, तीनों बार राँग नम्बर। पैसे के पैसे गए, बातचीत भी न मो मकी।

जल्द्री काम में टेलीफोन का रिसेवर उठाया। वहाँ किसी की बातचीत चल रही है। आपकी लाइन पर किनी और का नम्बर मिल गया है। जब तक वह लाइन कटे नहीं—बातचीत समाप्त न हो, आप फोन कर ही नहीं सकते।

नम्बर घुमाया। ट्रिल-ट्रिल। किसी ने दूसरी ओर रिसेवर उठाया। बातचीत शुरू की—यह क्या? उसकी आवाज आप सुन रहे हैं। आपकी आवाज उधर नहीं सुनाई दे रही।

नम्बर घुमाया । टेलीफोन का डायल चुप—न एगेज, न घटी । नम्बर घुमा-घुमाकर परेशान । तयोरियां नड गईं ।

कई बार अनचाहे अपरिचित से अपमानजनक, अश्लील, अप्रासंगिक मवाद सुनने को मिल जाते हैं । जो चाहता है इन बदतमीज और अश्लील हरकतों पर खीचकर चप्पल मार दें । पर किसे ?

ट्रिल-ट्रिल की घटी उन समय ज्यादा परेशान करती है, जब आप विश्राम कर रहे हो, स्वप्नावस्था में विचर रहे हों, मूड ऑफ हो । अनचाहे परिचित की कॉल हो । स्नानागार में स्नान कर रहे हों, शौचालय में निवृत्त हो रहे हों, भजन-पूजन में ध्यानस्थ होने का प्रयास कर रहे हो, भोजन का आनन्द ले रहे हों, मिश्रों से गपगप कर रहे हों, किसी गम्भीर मंत्रणा में लगे हों, उस समय ट्रिल-ट्रिल की घंटी अनचाहा अतिथि-सी लगने लगेगी । आपने गुस्से में फोन का रिस्वीवर उठा कर अलग रख दिया । इस बीच सम्भव है आप किसी महत्त्वपूर्ण सदेश से वंचित रह गए हों, जो गाड़ी छूटने के बाद स्टेशन पहुँचने के समान पश्चात्तापकारी हो ।

हमारे पड़ोसी हैं वर्मा जी । जब-तब फोन करने चले आते हैं । वे हमारे फोन को अपना ही समझते हैं । इसलिए न समय-असमय को देखते हैं, न हमारी प्राइवैसी का ध्यान रखते हैं । दूसरे, यह कि वे अन्य शहरों में रह रहे सम्बन्धियों से बातचीत का भी मजा लेते रहते हैं । उन्हें क्या पता कि अपनी बातचीत में वे सुविधा-प्रदाता की जेब को काट रहे हैं ।

पड़ोसियों के लिए जब फोन आने लगे तो दूरभाष संकट-भोचन की बजाय पीड़ा-दायक बन जाता है । अपनी सब व्यस्तताएँ छोड़ उन्हें बुलवाइए, जब तक वे आकर फोन न सुन लें, आप अपना समय उनको समर्पित कर दीजिए । व्यक्तिगत जीवन के उन क्षणों को परहित पर न्योछावर समझ लीजिए । उन्हें बुलाते-बुलाते तग आ जाएँ, तो झूठ बोलने का अभ्यास बना लीजिए ।

टेलीफोन एकमचेंज के १८०, १८१, १९७, १९९ नम्बर सदा इतने व्यस्त रहते हैं कि बार-बार डायल घुमाना पड़ता है । कभी-कभी तो घटी बजती रहती है, उठाता ही कोई नहीं ।

इस प्रकार टेलीफोन वर्तमान सम्य समाज के लिए संचार-सुविधा का अत्यन्त उपयोगी माध्यम है । साथ ही यह समय और धन को बरबाद करने वाला भ्रमुविघ्नाप्रद यंत्र भी है ।

मनोरजन के आधुनिक साधन

(दिल्ली १९८५ : ए)

(मनोरजन से मन प्रसन्न होता है, मनोरजन हास्य का कारण है, जिससे आमु बढ़ती है। मनोरजन के क्षणों में शरीर के तन्तु ढीले पड़ जाते हैं। और अतिरिक्त षाविन का मवय होने लगता है, जिससे नवस्फूर्ति आती है।

(मनोरजन के बिना मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कार्य-क्षमता मन्द पड़ जाती है)। इच्छा-शक्ति क्षीण हो जाती है। मानसिक चेतना की जागृति के अभाव में जीवन का मन्तुलन बिगड़ जाता है। स्वभाव में खराब एव चिड़चिड़ापन आ आता है। हास्यभाव समाप्त हो जाता है और जीवन नीरसता से भर जाता है। अतः मनोरजन के लिए कुछ समय निकालना और उन आनन्दमय क्षणों में जीवन की वास्तविक अनुभूति प्राप्त करना आवश्यक है।

स्लैडस्टन व्यस्त जीवन में भी लकड़ी की वस्तुएँ बनाने के मनोरंजन से कभी उदासीन नहीं हुए, चंचल जीवन की व्यस्तता का रूपापन 'चित्र-रचना' रूपी मनोरजन द्वारा दूर करते थे। द्वितीय महायुद्ध जैसे भयकर और फारमांधियय वाले समय में भी रूजवेल्ट काम की 'पकान को जागृती कहानियाँ पठकर मिटाया करते थे। कवि वड्सवर्थ और कॉलरिज भ्रमण में ही मनोरजन पाते थे।

(प्राचीन/रॉम में खान-पान, नरकम एवं नर-पशु युद्ध मनोरजन के साधन थे। 'बुल फाइटिंग' स्पेन-वासियों के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। भारत में नाटक और पुस्तलिका-नृत्य, काव्य-ग्रन्थों का अध्ययन, शतरंज और ताश, तीतर और बटेर की लड़ाई, शिकार आदि मनोरंजन के श्रेष्ठ साधन थे।

(वैज्ञानिक उन्नति के साथ-साथ मनोरंजन के साधनों का भी विकास होता गया। आज मनोरंजन के लिए सर्वशुभ और अत्यन्त मर्म साधन हैं—टेलीविजन और रेडियो। आज घर-घर में टेलीविजन और रेडियो हैं। टेलीविजन में फीचर फिल्म देखिए, विप्रहार और चित्रमाला देखिए, नाटक देखिए, प्रहसन देखिए,

अंग्रेजी हास्य फिल्मों देखिए और देखिए नृत्य एवं संगीत के विविध मनोरंजक कार्यक्रम। २६ जनवरी का आनन्द लीजिए अथवा क्रिकेट मैच से मनोरंजन लीजिए। टेलीविजन प्रतिदिन स्वस्थ मनोरंजन करने वाला मुफ्त का सेवक।

(ध्वनि कार्यक्रमों पर आधारित रेडियो मानव-मात्र को स्वस्थ मनोरंजन-प्रदाता है।) विविधभारती के कार्यक्रम, मनोरंजक प्रायोजित कार्यक्रम, कर्णमधुर गाने, नाटक, प्रहसन, लोकस्विक के प्रोग्राम, कहानियाँ तथा कविताएँ, क्रिकेट कॉमेंट्री आदि कार्यक्रम मानव को स्वस्थ और चुस्त बना देते हैं। 10-15

(मनोरंजन का तीसरा आधुनिक साधन है चित्रपट—सिनेमा। ३-४ रुपए में एयर कन्डीशड हॉल से बैठकर नाटक देखिए और तीन घण्टे तक स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त कीजिए। कम पैसे में अधिक समय तक मनोरंजन प्रदान करने का श्रेय है वर्तमान चित्रपट को। इसमें पिक्चर देखने के साथ ही सुनिए चित्ताकर्षक गाने, जिन्हे सुनकर और गायक-गायिका के हाव-भाव पदे पर देखकर आप झूम उठते हैं। मनोरंजनका इससे अच्छा साधन क्या होगा ?

मनोरंजन का चौथा आधुनिक साधन है—पाँकेट उपन्यास। हिन्दी में पाँकेट उपन्यासों ने भारतीय जनता में जहाँ पढ़ने की रुचि जागृत की, वहाँ स्वस्थ मनोरंजन भी प्रदान किया। आज सम्भ्य और पढ़ी-लिखी जनता पाँकेट उपन्यासों की शौकीन हो गई है।

मनोरंजन के अन्य आधुनिक साधन हैं—सरकस, रंगमंचीय नाटक, ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रम तथा नृत्य संगीत नाटक। ये हर समय या हर रोज तो उपलब्ध नहीं हैं। हाँ, बड़े-बड़े शहरो में ये कार्यक्रम आते रहते हैं। सरकस का जोकर हँसा-हँसाकर, एव जानवर और युवक-युवतियाँ साहसिक कृत्य दिखाकर जनता का स्वस्थ मनोरंजन करते हैं। इसी प्रकार नृत्य-संगीत नाटक में संगीत की धुन पर नृत्य और अभिनय का संगम वृद्ध चित्ताकर्षक कार्यक्रम होता है। रंगमंचीय नाटक और ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रम मानव-मन को हर्षोल्लसित करते हैं। (विजयदशमी के पर्व पर रामलीला का मंचन जन-जन को आह्लादित करता है।)

(ताश, कैरम, शतरंज, बैडमिंटन फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, मल्लयुद्ध, नोकाविहार आदि खेल भी आधुनिक युग में मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल जन-मानस इनसे मनोरंजन प्राप्त करता है।)

(मनोरंजन के कुछ अन्य साधन हैं—पिकनिक और प्रातःकालीन सैर। अवकाश के दिन मित्रों की टोली जब पिकनिक पर जाती है, तो अनेक दिनों तक उसका आनन्द विस्मृत नहीं होता। सैर शोक पर निर्भर है। शोक से सैर करेंगे, तो आनन्द आएगा, मनोरंजन होगा।

कवि-सम्मेलन, काव्य-गोष्ठियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम जीवन को आनन्द प्रदान करते हैं। काव्य-रुचि विद्वानों को रस-भग्न करती है। 'काव्य-शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, के अनुसार काव्य-शास्त्र के अध्ययन में विद्वान् आनन्द लेते हैं।

(विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ आज का मानवीय जीवन अत्यन्त व्यस्त होता जा रहा है। जीवन की आवश्यक वस्तुओं को जुटाने और दमतोड़ महँगाई के कारण आज का मानव घुटन का जीवन व्यतीत कर रहा है। चेहरे पर मुस्कान रहते भी वह अन्दर से घुटा-घुटा है। जीवन से जूझने में समयाभाव दीवार बनकर खड़ा है (समयाभाव के कारण मानवीय मनोरंजन के साधनों में भी उसी मात्रा में विकास हो रहा है) दिन-भर फाइलो से जूझता लिपिक, दिनभर की व्यापारिक ऊँच-नीच की झेलता दूकानदार और पसीने में तर-बतर कठोर श्रम करने वाला श्रमिक जब घर लौटता है, तो रेडियो या दूरदर्शन उसका हल्का-फुल्का मनोरंजन करते हैं, उसका मन स्वस्थ करते हैं। जैसे-जैसे मानव समयाभाव का दर्द महसूस करेगा, वैसे ही 'आवश्यकता आविष्कार की जननी है' के सिद्धान्त के अनुसार और सरल तथा स्वस्थ मनोरंजन के उपाय उत्पन्न हो जाएँगे।

लोकतन्त्र और चुनाव

(ऑल इण्डिया १९७६ : 'ए')

लोकतन्त्र और चुनाव अन्योन्याश्रित हैं। बिना चुनाव के लोकतन्त्र राजतन्त्र बन जाता है। चुनाव लोकतन्त्र रूपी रथ की धुरी है; चुनाव लोक-निष्ठा का प्रतीक है; जनता का अपने द्वारा शासन का वचन है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने इससे आगे एक कदम बढ़ाते हुए कहा था, 'लोकतन्त्र में चुनाव राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है !'

अमेरिका के विख्यात राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन ने लोकतन्त्र का अर्थ बताया है—'जनता के ही हेतु, जनता द्वारा जनता का शासन।' जनता का शासन तभी होगा, जब जनता शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजेगी। प्रतिनिधि भेजने की क्रिया चुनाव पर अवलम्बित है। अतः लोकतन्त्र में चुनाव का महत्त्व सर्वोपरि है। लोकतन्त्र-शासन-प्रणाली की जितनी भी कमजोरियाँ हों, किन्तु वह लोकेच्छा और लोक-कल्याण का प्रतीक तो है ही।

लार्ड विवरेज ने लोकतन्त्र और तानाशाही का अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है—'लोकतन्त्रीय और तानाशाही शासन में अन्तर नेताओं के अभाव में नहीं है, वरन् नेताओं को बिना हत्या किए हुए बदल देने में है। शान्तिपूर्वक सरकार बदल देने की शक्ति लोकतन्त्र की आवश्यक शर्त है।' यह शर्त पूरी होती है—चुनाव द्वारा। १९७७ में भारत में शान्तिपूर्वक शासन-बदल चुनाव की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है।

अमेरिका के विख्यात शहीद राष्ट्रपति कैंनेडी ने लोकतन्त्र को ईश्वर की समानान्तर सृष्टि माना है। जेफर्सन ने भी इसी प्रकार की मिलती-जुलती बात कही है—'ईश्वर की जैसी शक्ति सृष्टि चलाने के प्रसंग में है, वैसी ही शक्ति जनता की है—लोकतन्त्र चलाने के सिलसिले में।'

लोकतन्त्र शासन की जहाँ विशेषताएँ हैं, वहाँ कमियाँ भी हैं। लोकतन्त्र

की सबसे बड़ी कमी है—प्रज्ञाचक्षुत्व। लोकतन्त्र की आँखें नहीं होती। लोकतन्त्र में मन्त्री उपमन्त्री की आँख से देखता है, उपमन्त्री सेक्रेटरी की आँख से, सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी की आँख से, डिप्टी-सेक्रेटरी अण्डर-सेक्रेटरी की तथा अण्डर-सेक्रेटरी फाइल की आँख से देखता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रायः तथ्य और कथ्य में अन्तर पड जाता है। आपातकाल में सन् १९७६ में दिल्ली-जेल में बड़ा सख्त लाठी-चार्ज हुआ। अनेक राजनीतिक बन्दी घायल हुए। समय ने लपटा ख़ाया, १९७७ में जनतापार्टी शासन में आई। लोक-मभा में उक्त 'लाठी-चार्ज' पर प्रश्न पूछा गया। तत्कालीन गृहमन्त्री चौधरी चरणसिंह ने लाठी-चार्ज की बात अस्वीकार कर दी। जब एक सदस्य ने उनका ध्यान आकृष्ट किया कि आप भी उस समय जेल में थे, तब उन्हें ध्यान आया। वस्तुतः वे फाइल की आँख से लाठी-चार्ज सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

लोकतन्त्र की दूसरी कमी है चुनाव में विजयी प्रतिनिधियों के चरित्र की। बर्नाडिं शॉ और प्रोफेसर लास्की की दिलचस्प बातचीत इस तथ्य को स्पष्ट कर देगी।

बर्नाडिं शॉ—'जिसें आप लोकतन्त्र कहते हैं, वह असल में धूर्ततन्त्र है।'

प्रोफेसर लास्की—'लोकतन्त्र को धूर्ततन्त्र मानना मत्य का अपमान है।'

इस पर शॉ ने शैतान की-सी मुस्कान से लास्की की ओर देखा और सफाई पेश की—'प्रोफेसर, क्या आपको प्लेटो का यह कथन याद है कि जहाँ मतदाता मूर्ख हैं, वहाँ प्रतिनिधि धूर्त होंगे।'

प्रसिद्ध विद्वान् बर्क को कहना पडा, 'लोकतन्त्र की मूल बीमारी यह है कि धूर्तता और मूर्खता रूपी दो पाटों की चक्की में न्याय और ईमानदारी आटे की तरह पिस गए हैं।'

लोकतान्त्रिक सरकारों पर चोट की है लोकतन्त्र के प्रबल समर्थक राष्ट्र ब्रिटेन के विख्यात प्रधानमन्त्री डिजराइली ने। उनका कहना है, 'सरकार हृदयहीन होती है। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या यह नहीं है कि मतदाताओं की आशा-अपेक्षाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए निष्पुत्र कृत्य को मन्त्रियों का राजनीतिक कौशल माना जाता है।' भारत में १९७७ को जनशान्ति के कर्णधारों द्वारा १९७६ में जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, वह मतदाताओं की पीठ पर छुरा घोपने से कम नहीं।

राजनेता चुनाव को शरबत समझकर पीता , मगर वह होती है शराब । उस शराब में उसके मन, वचन एवं कर्म में ग़ुशबू की जगह बदबू ही भरती जाती है । चुनाव के समय नेता मतदाताओं पर प्रभुत्व के इतने जाल फँकते हैं कि जिन्दगी से वे तोत्रा करने लगते हैं और इस प्रकार अपने को भी इतना छलते हैं कि एक दिन अपनी परछाईं से भी डरने लगते हैं ।

देश में शहद और दूध की नदियाँ बहाने की कसमें छा-घाकर चुनाव का घर्मक्षेत्र या कुरुक्षेत्र जीतने वाले ये नेता स्वयं देश के लिए सबसे बड़ा वीर बन जाते हैं । ऐसे लोकतन्त्र पर वज्र नहीं गिरेगा, तो कहीं गिरेगा ?

चुनाव धन के बल पर लड़ा जाता है; जाति, धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर जीता जाता है । भारत का ८५ प्रतिशत मतदाता अशिक्षित है । अशिक्षित मतदाता से सोच-समझकर मतदान की आशा की भी कैसे जा सकती है ? यही कारण है कि सच्चा देश-भक्त और त्यागी नेता चुनाव के रेगिस्तान में निरयंकता की फसल बोने-बोते दम तोड़ देता है तथा धूर्त एवं छली व्यक्ति मैदान भार जाते हैं ।

आज की भारतीय राजनीति में, विशेषकर चुनाव के समय, प्रेम के तौर-तरीके खरगोश के सींग बन जाते हैं । क्यों न हों ? आखिर कितने वायदों को चेतना के ऊँट पर लादना पड़ता है ? कितनी मिथ्याओं पर धर्म का मुलम्मा चढाना पड़ता है । सच्चाई से कितनी बार ईमान निचोड़ देना पड़ता है ? अकबर इलाहाबादी का व्यग्य साकार हो उठता है—

नयी तहजीब में दिक्कत, ज्यादा तो नहीं होती ।

मजहब रहते हैं कायम, फकत ईमान जाता है ॥

लोकतन्त्र तभी सफल रह सकता है जब चुनाव निष्पक्ष हों; धन, धमकी, जाति, कुल, सम्प्रदाय और धर्म के नाम पर वोट न डाले जाएँ । जन-प्रतिनिधि सच्चाई और ईमानदारी से अपने राष्ट्र की सेवा करने वाले हों । तब चुनाव युद्ध नहीं, तीर्थ-यात्रा बन जाएगा, पर्व बन जाएगा; पानीपत या कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं, प्रयाग का पृनीत समम बन जाएगा ।

दिल्ली के दर्शनीय स्थान

(दिल्ली १९८२ : 'ए')

दिल्ली के दर्शनीय स्थान कला, सस्कृति, इतिहास तथा सभ्यताओं की जीवन्त कहानी हैं। पाण्डवों के इन्द्रप्रस्थीय स्मारक, शाहजहाँ के छ्वावो का स्वर्ग शाह-जहानाबाद, अग्रेजो द्वारा बसाई गई नई दिल्ली तथा स्वतन्त्र भारत के कर्णधारों की स्वर्णिम योजनाएँ—सबने मिलकर सारी दिल्ली को ही दर्शन के योग्य धोपित कर दिया। उर्दू के शायर मीर का हृदय गा उठा—

दिल्ली के न थे फूचे, आरा के मुसग्विर थे।

जो शबल नजर आयी, तस्वीर नजर आयी ॥

अरे क्या थी दिल्ली की गलियाँ ! चित्रकार के तख्ते थे। वहाँ जो भी सूरत-शबल नजर आती थी, तस्वीर ही नजर आती थी।

और शायद इसलिए शेख इब्राहीम जौक अनेक उपाधियाँ हासिल करने पर भी दिल्ली छोड़ने को तैयार न हुए। वे चीत्कार कर उठे, 'कौन जाये ऐ जौक, दिल्ली की गलियाँ छोड़कर।'

दिल्ली घिरी थी ६६६४ गज लम्बी, ४ गज चौड़ी और ९ गज ऊँची चार-दीवारी (फसिल) से। इस चारदीवारी में जगह-जगह पर ३० फुट ऊँची २७ बुर्जियाँ थी। शहर में घुसने के लिए १४ फाटक और १४ खिड़कियाँ थी। काल के थपेड़ों ने इस फसिल को ध्वस्त कर दिया, तो अच्छा ही हुआ। दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या फसिल की सीमा में अब समा भी तो नहीं सकती थी।

चलिए, अब दिल्ली के कतिपय दर्शनीय स्थानों को देख लें।

गहले दिल्ली के ऐतिहासिक स्थान लीजिए। यमुना-तट पर चाँदनी चौक बाजार के अन्त में चारों ओर खाइयों से घिरा आधा मील के घेरे में फैला हुआ लाल-पत्थरों से निर्मित एक किला खड़ा है। यह 'लाल किला' है। शाहजहाँ द्वारा

निर्मित कहे जाने वाले इस किले का नीवत-घागा, रंगमहल, दीवाने-खास और दीवाने-आम देखिए।

नई दिल्ली में कनाट प्लेस के समीप राजपूत राजा सवाई मानसिंह द्वारा निर्मित जन्तर-मन्तर बड़े गजब की चीज है। प्राचीन काल में इससे दिन में समय का बोध और रात्रि में नक्षत्रों की गणना होती थी।

मुगल बादशाह कुतुबुद्दीन के बनवाए पुराना-किला, फिरोजशाह कोटला, तुगलकाबाद का किला और लोदी गार्डंस देखिए। साथ ही हुमायूँ का मकबरा भी देखते जाइए।

पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित यमुना-स्तम्भ अर्थात् कुतुबमीनार पर (जिसे यवनों ने अपना बनाने के लिए उस पर कुरान की आयतें खुदा दी हैं) चढ़ने की कोशिश कीजिए और उतर कर 'लौह-स्तम्भ' पर आजानुवाहु होने का प्रमाण दीजिए।

ऐतिहासिक बाजार चाँदनी चौक का फव्वारा और जामा मस्जिद, दोनों ऐतिहासिक स्थान हैं। फव्वारे के स्थान पर गुरु तेगबहादुर तथा भाई मतिदास का वध हुआ था और जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे शाह-जहाँ ने बनवाया था।

फव्वारे के सम्मुख स्थित सिक्खों का गुम्बारा शीशगंज देखिए और नई दिल्ली का शानदार विड़ला मन्दिर देखिए। मूर्तियों की भव्यता के साथ इनकी दीवारों की चित्रकला देखते-देखते तथा प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय साहित्य के उद्धरण एवं महापुरुषों के आप्तवाक्य पढ़ते-पढ़ते आपका मन नहीं भरेगा।

अग्नेजों द्वारा निर्मित शाही शान-शीकत के 'रायसीना' अर्थात् नई दिल्ली की एक-एक चीज देखने योग्य है। कनाट-प्लेस की सजधज और चहल-पहल अवर्णनीय है। राष्ट्रपति-भवन, आकाशवाणी-भवन, कृषि-भवन, चक्राकार संसद्-भवन, उद्योग-भवन, राष्ट्रीय-संग्रहालय, इण्डिया गेट तथा केन्द्रीय सचिवालय के भवन, उनके समीपस्थ हरी-हरी मखमली घास के मध्य बने कृत्रिम सरोवर और झील आपके मन को मोह लेंगे।

फरवरी मास में देखिए मुगल उद्यान। ज्योमैट्री की रेखाओं की तरह खिंची हुई मेड़ों-रास्तों के आसपास हरी-हरी मखमली घास के मध्य और सजी हुई चौकोर

क्यारियों में न जाने कितने रंगों के फूलो खिले हुए हैं।

बच्चों के साथी अर्थात् पशुओं की विभिन्न जातियों को देखने के लिए पुराने किले के नीचे बहुत बड़े क्षेत्र में बसाए गए 'चिडियाघर' में जाइए, भारतीय तथा विदेशी जानवरों को देखकर ज्ञानवर्धन कीजिए।

पिकनिक स्थानों की सैर के बिना दिल्ली की सैर अधूरी रह जाएगी। ओखला में नहर के प्रवाह और बंध के दृश्य का आनन्द भी लूटिए। तैरना आता है, तो डुबकी भी लगाइए। होजखास और बुद्धपार्क की भी सैर करते चलिए।

देखिए, स्वतन्त्रता के पश्चात् दिल्ली एक औद्योगिक नगर भी बन गया है। वस्त्र-निर्माण से लेकर विशालकाय मशीनों तक का उत्पादन दिल्ली में हो रहा है। बिडला मिल, दिल्ली कलॉथ मिल, स्वतन्त्र भारत मिल, गणेश पलोर मिल आदि सैकड़ों औद्योगिक संस्थानों के दर्शन कीजिए।

दिल्ली भारत का हृदय है। भारत की आन-बान-शान को बनाए रखने का श्रेय इस हृदय को है। इसकी धमनियों में सशक्त और स्वस्थ रक्त का संचार हो रहा है। किस-किस की तारीफ करें, किस-किस को छोड़ें। दिल्ली का कण-कण दर्शन के योग्य है, सुन्दरता की प्रतिमा है और है, उसमें मनोहर आकर्षण।

अन्त में आइए, देश के महापुरुषों की समाधियों पर पुष्पाजलि समर्पित कर चलें; श्रद्धा के सुमन चढ़ा चलें। ये हैं राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी की समाधि 'राजघाट'; स्वतन्त्रता-संग्राम के यशस्वी संचालक और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि 'शान्तिवन' तथा समरागण में पाकिस्तान को पराजय का मुख दिखलाने वाले प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री की समाधि 'विजयघाट'।

दिल्ली का नवशा बदल दिया 'एशियाड ८२' ने। इसके लिए नव-निर्मित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम भी दिल्ली के दर्शनीय स्थान बन गए हैं, उच्चकोटि की कला के प्रतीक।

दिल्ली प्रतिदिन सज रही है, सँवर रही है। कला की श्रेष्ठतम कारीगरी की मानो यहाँ होट लगी है, जो पत्थर में जान फूँक रही है, सीमेंट और लोहे में आत्मा का संचार कर रही है। नवनिर्मित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम इसके प्रमाण हैं।

भारत प्यारा देश हमारा

भारत हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्यभूमि है। हम इसकी कोख से उत्पन्न हुए। इसने हमारा पालन-पोषण किया। इसके तीर्थ हमारी आस्था और श्रद्धा के केन्द्र हैं। वैदिक संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। हिन्दू-सभ्यता ही भारतीय सभ्यता है। 'मानस' में प्रतिपादित धर्म भारतीय धर्म है।

प्राचीन काल में यह देश 'जम्बू द्वीप' कहलाता था। पर्वतों से भरपूर होने के कारण यह 'पार्वती' कहलाया, सात महान् नदियों के कारण 'सप्तसिन्धु' कहा गया, श्रेष्ठ जन का वास होने के कारण इसका 'आर्यावर्त' नाम पड़ा, भरत के सम्बन्ध से 'भरतखंड' और बाद में 'भारत' बना।

प्रिय भारत की गाथा देवता भी गाते थे। विष्णु पुराण के अनुसार स्वर्ग में देवत्व भोगने के बाद देवता मोक्ष-प्राप्ति के लिए भारत में ही मनुष्य रूप में जन्म लेते थे।

'गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु भारतभूमि-भागे।

स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥

भारत को 'विश्वगुरु' कहलाने का गौरव प्राप्त है। न केवल यूरोप, अपितु फारस, अरब आदि राष्ट्रों में भारत को 'सोने की चिड़िया' 'या स्वर्णभूमि' कहकर इसकी स्तुति की जाती रही है। मनु ने भारत को मानवीय गुणों की प्रेरणा और शिक्षा का एकमात्र केन्द्र बताया है। कवीन्द्र रवीन्द्र ने इसे 'महा-मानव-समुद्र' कहा। जो आया, वह इगका हो गया।

हिमालय हमारा भाव-प्रतीक है। गंगा हमारी माँ है। इन जैसा ससार में ओर कहीं? हमारा देश सरिता-मय है। यहाँ प्रकृति का लावण्य और सौन्दर्य अलना कर बिखर गया है। कालिदास ने हिमालय को पृथ्वी का मेरुदण्ड माना था। महाकवि रवीन्द्रनाथ उने देवाःमा मानते हैं। निकोलस रोरेख का कथन है कि—

हे हिमगिरि, हे भारत के भूषण, हे ऋषियों की पावन तपोभूमि, हे वसुधा के यशोस्नात सौन्दर्य, हे रहस्यमय, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे दर्शनमात्र से चित्त प्रफुल्ल और भव्य भावनाओं से परिपूर्ण हो जाता है। तुम अनन्य हो।'

जर्मन दार्शनिक भारत में जन्म लेने की कामना करता था। जर्मन कवि गेटे कालिदास की शकुन्तला पर मुग्ध था। मैक्समूलर तो ब्राह्मण ही बन गया था। अमेरिका का सन्त थोरो भारत पर लट्टू था। शापेनहायर की तो बात ही मत पूछिए।

वैदिककालीन धर्मप्राण भारत पर सन् ७१२ ई० में मुस्लिम आक्रमण हुआ। मुहम्मद बिन कासिम पहला आक्रामक था। देश उस समय दुर्बल हो चुका था; खंड-खंड में बँट चुका था। परिणामतः मुसलमानों के अधीन हो गया। गुलाम-वंश, तुगलक-वंश, लोदी वंश और अन्त में मुगल वंश ने यहाँ राज्य किया। मुसलमानों ने हिन्दुओं पर असीम अत्याचार किए। 'जजिया कर' तक लगाया। हिन्दुओं का बलात् धर्म-परिवर्तन किया। बहू-व्रैटियों की इज्जत लूटी। आस्था और श्रद्धा के मान-चिह्नो को नष्ट किया।

मुगल बादशाहो ने मुरा-सुन्दरी के चक्कर में देश की वीरता को चौपट कर दिया। व्यापारी बनकर आए अंग्रेज देश के स्वामी बनने लगे। सन् १७७७ में प्लासी के युद्ध में मिराजुद्दौला की पराजय का श्रेय लॉर्ड क्लाइव को था। वही भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक बना। १८५७ के प्रथम स्वातन्त्र्य-यमर में दिल्ली-वति मन्नाट् बहादुरशाह जङ्ग की पराजय के पश्चात् देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया।

देश की स्वाधीनता के लिए जहाँ कांग्रेस के तत्त्वावधान में अहिंसात्मक आन्दोलन चल रहा था, वहाँ क्रांतिकारियों ने अंग्रेज शासकों के दिलों में दहशत पैदा करने में कसर न छोड़ी। सुभाषचन्द्र बोस ने जापान और जर्मनी के सहयोग से भारत पर सशस्त्र आक्रमण ही कर दिया। इधर, द्वितीय महायुद्ध में अंग्रेज कौम राजनीति के मोर्चे पर विजयी होते हुए भी आर्थिक मोर्चे पर हार गई। अर्थ-भ्रष्ट ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी। अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए विवश हो गए। १५ अगस्त, १९४७ को देश का विभाजन करके अंग्रेजी साम्राज्य की पताका भारत में उतर गई। भारत-विभाजन का आधार था—द्विराष्ट्रवाद। मुस्लिम-बहुल प्रान्तों का स्वतन्त्र राष्ट्र 'पाकिस्तान' बना। हिन्दुओं के लिए शेष 'हिन्दुस्तान' रह गया।

भारतमाता का अग-भग करवाकर हम स्वतन्त्र हुए। इस खण्डित भारत को ही भारत माता की वास्तविक मूर्ति मानकर हमने इसकी पूजा-अर्चना आरम्भ की। देश के नेता भारत की समृद्धि में जुट गए। अपना सविधान-निर्माण कर २६ जनवरी, १९५० को भारत गणतन्त्र घोषित हुआ।

स्वतन्त्र भारत में जनता का जीवन-स्तर ऊँचा हुआ। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के द्वितीय महान् राष्ट्र भारत में जनतन्त्र सफल हुआ। यहाँ लोकतन्त्र की आधारभूत मूल्यताओं का विकास हुआ।

किन्तु देश के कर्णधारों की भूल, अदूरदर्शिता और स्वार्थपरता ने सोने की चिड़िया को भस्म कर दिया। गत ३६ वर्षों में देश तबाही के कगार पर पहुँच गया है। १५ अगस्त, १९४७ को भारत साहूकार था। उसे २० लाख रुपया विदेशों से लेना था। आज वह लगभग २४ सहस्र करोड़ रुपए का ऋणी है। भारत की ५० प्रतिशत जनता जीवन-रेखा के नीचे जीवन बसर करती है, जिसके पास न खाने की रोटी है, न रहने का मकान और न पहनने की कपड़े।

आसाम, गुजरात, नागालैंड, और उड़ीसा असन्तोष की आग में झुलस रहे हैं, बंगाल, पंजाब और काश्मीर की स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। कांग्रेसी नेता गद्दी के युद्ध में सलग्न हैं। मुसलमान देश के सन्तुलन को बिगाड़ कर नए 'होमलैंड' की तलाश में हैं। राष्ट्र की समृद्धि जनसंख्या-वृद्धि रूपी सुरसा के मुँह में पहुँचकर क्षीण हो रही है। 'लॉ एण्ड आर्डर' चौराहे पर औंधेमुँह पड़ा सिसका रहा है।

लोकतन्त्र के दावेदार राजतन्त्र के कृत्य करते हैं। अल्पमत की इच्छा को बहुमत पर धोपा जा रहा है। मौ-भारती राष्ट्रभाषा के आसन से बलित कर दी गई है। जातिहित, वंशहित, धर्महित और पार्टीहित को सर्वोपरि रखा जाता है। संसद् में धूसरे चलते हैं; सम्पादकों के विरुद्ध पद्यन्त्र हो रहे हैं; न्यायपालिका को पंगु बनाने का प्रयास चल रहा है।

वस्तुतः आज हमारा प्यारा भारत न विश्व-मुद्द है और न सोने की चिड़िया। न यहाँ सुख है, न शान्ति। हम भारत माता का झूठा जयघोष कर उसका अग-भग कर रहे हैं। सभ्यता की पराधीनता ओढ़ लेना चाहते हैं और भारतीय सस्कृति को विरूप करना चाहते हैं। सस्कृति और सभ्यता से विचलित होने पर सांस्कृतिक इतिहास के लेखक किसी दिन डॉ० इरबाल की पंक्ति को शुद्ध (?) कर देंगे—

'टुछ बात धी ओ हस्ती, मिट गई हमारी।'

भारत की राजधानी

(ऑल इण्डिया १९८३ : 'ए')

जिम नगर में राष्ट्र के मुख्य कार्यालय अवस्थित होते हैं, वह 'राजधानी' कहलाता है। मुख्य शासक या राजा का स्थायी निवास-नगर 'राजधानी' के नाम से पहचाना जाता है। भारत के शासन को चलाने का केन्द्रीय नगर 'भारत की राजधानी' कहलाएगा।

राजधानी बनाने के लिए प्रशासनिक सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता है, राजा की सुरक्षा का विचारणीय प्रश्न रहता है, राज्य-कार्य की विशालता की दृष्टि से नगर की क्षमता को परखा जाता है।

रामायण-काल में अयोध्या भारत की राजधानी रही, तो महाभारत काल में दिल्ली; बौद्धकाल में कपिलवस्तु, तो जैनकाल में कुण्डग्राम। सम्राट् अशोक ने पाटलीपुत्र को राजधानी का गौरव प्रदान किया, तो मुगल बादशाहों ने दिल्ली को बादशाहत बखशी, किन्तु कुछ मुगल सम्राटों ने आगरे को भी सल्तनत का केन्द्र बनाया। अंग्रेजों ने शुरू में कलकत्ता को भारत की राजधानी माना, किन्तु सन् १९११ से यह गौरव दिल्ली को प्रदान किया गया। आज स्वतन्त्र भारत की राजधानी दिल्ली ही है।

दिल्ली को 'राजधानी' बनने का गौरव सर्वप्रथम महाभारतकाल में प्राप्त हुआ। राजा युधिष्ठिर ने इस इन्द्रप्रस्थ को शासनकेन्द्र का प्रमुख नगर बनाया। उसके बाद चौहान राजाओं में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। चौहानों के हाथ से हकूमत निकलकर अफगानों के हाथ चली गई। पहले अफगान बादशाह शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने दिल्ली को ही राजधानी माना।

गुलामवंश का राज्य भारत में आया। कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, रजिया सुल्ताना, बलबन आदि इस वंश के बादशाह रहे। सबको दिल्ली ही रास आई। सबने दिल्ली को ही राजधानी का गौरव प्रदान किया।

गुलामवंश के बाद खिलजीवंश आया। अल्लाउद्दीन खिलजी, फिरोजशाह खिलजी, कुतुबुद्दीन खिलजी ने राज्य किया, और शासन केन्द्र दिल्ली ही रहा।

खिलजीवंश का उत्तराधिकार छीना तुगलकवंश ने, जिसमें गयामुद्दीन तुगलक, मोहम्मदबिन तुगलक, फीरोजशाह तुगलक ने भारत पर राज्य किया। इन्होंने भी अपनी राजधानी बनाने का गौरव दिल्ली को प्रदान किया।

तुगलकवंश के बाद लोदीवंश और गल्पचान् आया मुप्रसिद्ध मुगलवंश। बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, मोहम्मदशाह रंगीन और नादिरशाह, अब्दुलक़दुर से चलती हुई हुकूमत अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर तक पहुँची। इन सब बादशाहों ने दिल्ली को ही अपनी राजधानी माना।

मुगलों से भारत के शासन की बागडोर अंग्रेजों ने हथियाई। अंग्रेज व्यापारी के रूप में यहाँ आए थे। उन्होंने व्यापार के लिए कलकत्ता में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की थी। अतः जब धीरे-धीरे इस कम्पनी ने शासन की बागडोर हथिया ली, तब कलकत्ता को ही राजधानी बना दिया। उसके बाद अंग्रेजों शासन में सन् १७७८ से १९१० तक जितने भी गवर्नर जनरल तथा वायसराय आए, सभी ने ही कलकत्ता को भारत की राजधानी के रूप में अलङ्कृत किया। लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली को नवंप्रथम राजधानी का पद प्रदान किया। सन् १९१४ में विधिवत दिल्ली में ही उसका राज्याभिषेक हुआ।

पांडवों के इन्द्रप्रस्थ से लेकर शाहजहाँ के शाहेख्वाब का स्वर्ग शाहजहाँना-बाद के रंगारंग रूप से गुजरती दिल्ली अंग्रेजों के रायसीना पर आकर टिक गई। 'रायसीना' बदलकर 'नई दिल्ली' कहलाया। १५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ। स्वतन्त्र भारत की राजधानी बनी दिल्ली।

पांडवों की राजधानी से लेकर १९४७ तक इस दिल्ली ने हजारों साल का सफर तय किया। कितने अत्याचार, अनाचार, रोमहर्षण जुलम बरदाश्त किए, कितनी खुशियाँ लूठीं। इसके मन्दी-मुहल्ले, दरगे-दीवार, इमारत, गुम्बद और मीनार के सीनों पर आप पढ़ सकते हैं गुजरे जमाने के अफसाने, यादों के झरोखों में झाँकती ये यादगारें दिल्ली के उजड़ने और बसाने की पहचान करा देती है।

आज स्वतन्त्र भारत की राजधानी दिल्ली है। शासन के तीनों प्रमुख अंग विधि-निर्माण, न्यायपालिका तथा कार्य-पालिका दिल्ली में ही है। विधि-निर्माण संसद का कार्य है। न्याय-पालिका सुप्रीमकोर्ट है। कार्य-पालिका के २४ प्रमुख मंत्रालय हैं।

'राजधानी' नाम की सार्थकता पूरी करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मुख्यन्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के निवास स्थान। अपने कार्यकाल में इन सबका स्थायी निवास दिल्ली ही होता है।

२४ प्रमुख मंत्रालयों का उत्तरदायित्व जिन जनप्रतिनिधियों पर है वे हैं— केन्द्रीय मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री। शासन-व्यवस्था की दृष्टि से उत्तरदायी हैं निजी सचिव, सहायक सचिव, अपर सचिव, उप सचिव तथा तत् सम्बन्धी अधिकारी गण। ये सभी मंत्री तथा सचिव दिल्ली में ही स्थायी रूप से रहते हैं। अतः दिल्ली के भारत की राजधानी होने की सार्थकता सिद्ध करते हैं।

देश के शासन में सत्तापक्ष का ही हाथ होता है, किन्तु राजनीति में विपक्ष की आवश्यकता होती है। उसके बिना लोकतन्त्र लगडा है। भारत में सभी अखिल भारतीय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के, चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में, केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में ही हैं, जो दिल्ली के राजधानीपन का परिचायक हैं।

वर्तमान युग में किसी भी राष्ट्र की राजधानी विश्व की कूटनीति में सम्बद्ध होती है। दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण विश्व कूटनीति का एक केन्द्र है। १५ राष्ट्रों के राजदूत तथा १८ राष्ट्रों के उच्चायुक्त दिल्ली में रहकर अपने राष्ट्रों का राजनीतिक कार्य करके अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

शासन-व्यवस्था के विस्तार के साथ दिल्ली का विस्तार अवश्यम्भावी था। दिल्ली ने अपनी सीमा में बहुत तेजी से विविध रूपेण विस्तार किया; एक-एक इंच भूमि का उपयोग किया। गली, कूचे, मोहल्लो से निकलकर दिल्ली नगरो, 'बिहारों' में फैली; माधारण मकानों से हटकर आलीशान कोठियों और गगन-चुम्बी 'टावरो' एवं भूमिगत बाजारों में प्रतिष्ठित हुई; ऊबड़-खाबड़ रास्तों को छोड़कर यातानुकूल सड़कों, पुलों और प्लाइ ओवरों में बदली। कभी मिट्टी के तेल के दीपक दिल्ली की अंधेरी रात को रोशन करने का काम करते थे, अब वहाँ विद्युत् के तेज बल्व और ट्यूब सूर्य के प्रकाश को भी नीचा दिखाते हैं। दिल्ली में खेल के मैदान और स्टेडियम अपनी सम्पन्नता पर गर्व करते हैं।

भारत की राजधानी है दिल्ली। राजधानी के कारण है यह एक महानगर। महानगर का 'महा-पन' बढ़ रहा है। दिल्ली अपनी सीमाओं में समा नहीं पा रही। दिल्ली, उसका निखरता सौंदर्य, अंगड़ाई लेता यौवन तथा मस्तीभरी जवानी गर्व से राजधानी होने की उद्घोषणा करते हैं।

विद्यालयों में अनुशासन की आवश्यकता

(मॉल इण्डिया १९८०, पृष्ठ ८४ : 'ए')

विद्यालयों में अनुशासन की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी खेल और सेना में उसकी आवश्यकता है। सेना की थोड़ी-सी अनुशासनहीनता से राष्ट्र परतन्त्र हो सकता है और खिलाड़ी की अनुशासनहीनता से खेल में पराजय अवश्यम्भावी है, उसी प्रकार विद्यालयों की अनुशासनहीनता से छात्र अपने मानसिक असन्तोष को उच्छृंखल व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। फलतः विद्यालय-भवन की तोड़-फोड़, सहपाठियों से अपशब्द, लड़ाई-झगड़ा एवं अध्यापकों में दुर्ध्वंवार करेगे। 'विद्यालय औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख साधन है' की भावना समाप्त हो जाएगी।

विद्यालयों का सुचारु रूप से संचालन अनुशासन पर ही निर्भर करता है। 'सुचारु रूप से संचालन' का तात्पर्य विद्यालयों में ऐसी स्थिति बनाए रखना है, जिससे अनेकानेक कार्य-कलाप सुचारु रूप से चलते-रहें। इसके लिए व्यवस्थापकों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों—सभी के सहयोग की आवश्यकता है। जेम्स रॉस ने लिखा है कि 'बहुत अच्छी व्यवस्था बुरा अनुशासन भी हो सकती है, परन्तु सच्चा अनुशासन सर्वदा अपने साथ व्यवस्था बनाए रखना है।'

प्रधानाध्यापक, जो कि प्रशासनिक दृष्टि से विद्यालय की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है, की प्रशासनिक क्षमता, योग्यता, कार्य-क्षमता तथा व्यवहार कुशलता पर ही विद्यालय के अनुशासन की प्राचीर खड़ी रह सकती है। वह आन्तरिक और बाह्य संघर्ष से विरत रहकर ही प्रशासनिक क्षमता और कुशलता उत्पन्न कर सकता है।

प्रशासनिक व्यवस्था, सुन्दर होगी तो विद्यालय ठीक समय पर लगेगा, प्राथमिक में सभी विद्यार्थी और अध्यापक उपस्थित रहेगे, पीरियड ठीक बजे अध्यापक पीरियड में कक्षाओं में अध्यापन करेंगे, इधर-उधर धूमता न विद्यार्थी मिलेगा, न कक्षाओं से बाहर अध्यापक। विद्यालय में 'पिन ड्राप साइलेस' होगी।

पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों को आनन्द आएगा। यह आनन्द तभी प्राप्त होगा जब विद्यालय में अनुशासन होगा :

विद्यालय की व्यवस्था का दूसरा दायित्व है अध्यापकों पर। अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति रूपी उद्यान का चतुर माली है। वह संस्कार की जड़ों में छ्दा देता है। अपने श्रम से सीच-सीचकर उन्हें महाप्राण बनाता है। इसके विपरीत यदि अध्यापक स्वयं संस्कार-रहित रहे, आचरण हीनता प्रदर्शित करे, लोभ-लालचवश विद्यार्थियों से व्यवहार करे, तो व्यवस्था के प्रति विद्रोह उत्पन्न होगा, विद्यालय अशान्त होगा, पढ़ाई-लिखाई-दिखावा मात्र होगी, ट्यूशन की हुंडी भुनाई जाएगी, परीक्षा में पक्षपातपूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे।

विद्यालय में अनुशासन की तीसरी और मुख्य कड़ी है—विद्यार्थी। विद्यार्थी सहनाटियों की चुगली करके, उनकी वस्तुएं चुराकर, उनसे अपशब्द कहकर, मारपीट करके, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करके बिना कारण पीरियड मिस करके, गृहकार्य न करके, गुरुजनों के पीछे उनकी हँसी उड़ाकर, उनसे कुतर्क करके तथा परीक्षा में नकल करके विद्यालय के अनुशासन को भंग कर सकता है। अनुशासन आचरण के आंतरिक स्रोत को स्पर्श करता है, विद्यार्थी के आवेगों व शक्तियों को विधानों के आधीन रखकर उच्छृंखलता को व्यवस्थित करता है। आंतरिक दृढ़ता आ जाने पर विद्यार्थी का बाह्य आचरण भी स्वतः सुसंस्कृत हो जाएगा। विद्यार्थी अनुशासन-प्रेमी बन जाएगा।

दुर्भाग्य से, विद्यालयों की सुव्यवस्था को आज का राजनीतिज्ञ पसन्द ही नहीं करता। विपक्षी दल राजकीय पक्ष को नीचा दिखाने के लिए विद्यार्थी-वर्ग का उपयोग करता है। परिणामस्वरूप नारेबाजी, भवन-विध्वंस, गुरुजनों के प्रति अनास्था का जन्म होता है। विद्यालय पढ़ाई के केन्द्र न रहकर राजनीति के अड्डे बन जाते हैं, जहाँ हड़ताल और विध्वंस को प्रोत्साहन मिलता है।

विद्यालय की सुचारु व्यवस्था में माता-पिता का दायित्व भी कम नहीं। विद्यार्थी को नियमित और समय पर स्वच्छ गणवेश और स्वस्थ मन से विद्यालय भेजना माता-पिता का कर्तव्य है। विद्यार्थी के आचरण पर तीखी नजर रखना, विद्यार्थी में अनुशासन की भावना जाग्रत करेगा।

विद्यालयों में विद्यार्थी ठीक ढंग से अध्ययन कर पाएँ, एकाग्रचित्त हो शिक्षार्जन कर सकें, उनमें संस्कार और गुरुत्व के अंकुर प्रस्फुटित हो

१५० / विद्यालयों में अनुशासन की आवश्यकता

और पल्लवित हो सकें तथा शरार और आत्मा का सौन्दर्य विकसित हो सकें; इसके लिए विद्यालयों में अनुशासन की नितांत आवश्यकता है।

प्रकृति स्वयंमर्पि अनुशासन-बद्ध है। सूर्य-चन्द्र का उदय और अस्त, पङ्क्तु-परिवर्तन नियमबद्ध है। प्रकृति का अनुशासन संसार को जीवन दे रहा है। यदि प्रकृति अनुशासनहीनता प्रदर्शित करे, तो प्रलय हो जाए। उसी प्रकार ज्ञान के ज्योति-पुञ्ज, संस्कृति और सभ्यता के स्त्रोत ये विद्यालय अनुशासनहीन हो जाएँ, तो राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा और देश निराशा के गर्त में गिर पड़ेगा।

आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के गुण-दोष

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का इतिहास एक सदी ही पुराना है। भारत परतन्त्र था। विदेशी शासकों ने अपने राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति को भारत में प्रचलित कर दिया। इसके सम्पापक विदेशी शिक्षाविद् श्री मैकाले थे। यह शिक्षा-नीति भारतीय संस्कृति, परम्परा एवं राष्ट्रीय जीवन के विपरीत थी। फलतः इससे उत्पन्न शिक्षित भारतीय नकलचौ, दास-मनोवृत्ति के पोषक और स्वसंस्कृति के विरोधी थे, वे देशभक्ति की भावना से शून्य थे। परिणामतः भारत का शिक्षित वर्ग विदेशी शासन का जड़ो को और भी सुदृढ़ करने का साधन बना।

पराधीनता के युग में इस शिक्षा-प्रणाली के विरुद्ध बुनियादी तालाम, शाति-निकेतन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय शिक्षा-प्रणाली तथा पाण्डिचेरी-आश्रम व्यवस्था ने राष्ट्र में देशभक्त उत्पन्न कर स्वातन्त्र्य की ज्योति प्रचण्ड करने का प्रयास किया, किन्तु आज स्वतन्त्रता-प्राप्ति के ३७ वर्ष पश्चात् भी वही शिक्षा-पद्धति व्यापक रूप से भारत में प्रचलित है।

वर्तमान शिक्षा-पद्धति की देन है—कार्य से जी चुराना और परिश्रम से कतराना। एक ओर राष्ट्र उत्पादन के अभाव, दुर्भिक्ष और अर्थ-संकट में फँसा है और दूसरी ओर कारखानों, खेतों, पलिहानों, कार्यालयों एवं विद्यालयों में पूरा लगन से कार्य करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिना परिश्रम के कुछ ही दिनों में धनवान बनने की बलवती इच्छा की दौड़ में शिक्षित अशिक्षितों से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं।

वर्तमान शिक्षा ने भारतवासियों को कही का न छोड़ा। 'आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास।' पिता अपने पुत्र को विद्यालय इसलिए भेजता है कि वह शिक्षित होकर सभ्य बने, किन्तु वह बनता है पढा-लिखा बेकार। इतना ही नहीं, वह ध्रष्ट होकर चरित्र को दूषित करता है। किसान का पुत्र विद्यालय में किसानानी में नाता तोड़ने जाता है। बहई का पुत्र विश्वविद्यालय में बहईगीरी

और पल्लवित हो सकें तथा शरार और आत्मा का सौन्दर्य विकसित हो सकें; इसके लिए विद्यालयों में अनुशासन की नितांत आवश्यकता है।

प्रकृति स्वयमर्षि अनुशासन-बद्ध है। सूर्य-चन्द्र का उदय और अस्त, षड्ऋतु-परिवर्तन नियमबद्ध है। प्रकृति का अनुशासन संसार-को जीवन् दे रहा है। यदि प्रकृति अनुशासनहीनता प्रदर्शित करे, तो प्रलय हो जाए। उसी प्रकार ज्ञान के ज्योति-पुज, संस्कृति और सभ्यता के स्त्रोत ये विद्यालय अनुशासनहीन हो जाएँ, तो राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा और देश निराशा के गर्त में गिर पड़ेगा।

आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के गुण-दोष

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का इतिहास एक सदी ही पुराना है। भारत परतन्त्र था। विदेशी शासकों ने अपने राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति को भारत में प्रचलित कर दिया। इसके सम्स्थापक विदेशी शिक्षाविद् भी मकाले थे। यह शिक्षा-नीति भारतीय संस्कृति, परम्परा एवं राष्ट्रीय जीवन के विपरीत थी। फलतः इससे उत्पन्न शिक्षित भारतीय नकलची, दास-मनोवृत्ति के पोषक और स्वसंस्कृति के विरोधी थे, वे देशभक्ति की भावना से शून्य थे। परिणामतः भारत का शिक्षित वर्ग विदेशी शासन का जडो को और भी सुदृढ़ करने का साधन बना।

परगधीनता के युग में इस शिक्षा-प्रणाली के विरुद्ध बुनियादी तालाम, शांति-निकेतन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय शिक्षा-प्रणाली तथा पाण्डिचेरी-आश्रम व्यवस्था ने राष्ट्र में देशभक्त उत्पन्न कर स्वातन्त्र्य की ज्योति प्रचण्ड करने का प्रयास किया, किन्तु आज स्वतन्त्रता-प्राप्ति के ३७ वर्ष पश्चात् भी वही शिक्षा-पद्धति व्यापक रूप से भारत में प्रचलित है।

वर्तमान शिक्षा-पद्धति की देन है—कार्य से जी चुराना और परिश्रम से कतराना। एक ओर राष्ट्र उत्पादन के अभाव, दुर्भिक्ष और अर्थ-संकट में फँसा है और दूसरी ओर कारखानों, खेतों, खलिहानों, कार्यालयों एवं विद्यालयों में पूरा लगन से कार्य करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिना परिश्रम के कुछ ही दिनों में धनवान बनने की बलवती इच्छा की दौड़ में शिक्षित अशिक्षितों से एक कदम अगे बढ़ रहे हैं।

वर्तमान शिक्षा ने भारतवासियों को कही का न छोड़ा। 'आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास।' पिता अपने पुत्र को विद्यालय इसलिए भेजता है कि वह शिक्षित होकर सभ्य बने, किन्तु वह बनता है पढा-लिखा वेकार। इतना ही नहीं, वह भ्रष्ट होकर चरित्र को दूषित करता है। किसान का पुत्र विद्यालय में किसानों में नाता तोड़ने जाता है। बढई का पुत्र विश्वविद्यालय में बढईगरी

से रिश्ता तोड़ने जाता है। कर्मकांडी पण्डित अपने ही आत्मज से 'पाषण्डी' की उपाधि प्राप्त करने के लिए उसे विश्वविद्यालय में भेजता है। आज का शिक्षित युवक अपने वंश-परम्परागत कार्य को करने के लिए तैयार नहीं। परिणामतः शिक्षित बेरोजगारों की संख्या देश में गुरसा के मुख का भाँति फैल रही है। मानो नौकरी ही शिक्षण की एकमात्र परिणति है।

नैतिकता जीवन का मूल है। नैतिकता का सम्बन्ध व्यक्ति को आस्था व निष्ठा से है। सम्प्रति, भारत में नैतिक शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है। अतः नैतिक भावना विहीन शिक्षा विद्यार्थियों में आस्था एवं श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पाती। वर्तमान युग में छात्रों की उच्छृंखलता और अराजकता की स्थिति नैतिकता के अभाव रूपी बीज से उत्पन्न वृक्ष के कट्टे और शुष्क फल हैं।

पता नहीं क्यों? भारत के महान राष्ट्र-भक्त प्रधानमंत्रियों ने शिक्षा को सदा प्राथमिकता और अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थिति से वंचित ही रखा। परिणाम-स्वरूप शिक्षा के बजट को अनावश्यक और उसकी समस्याओं को बेकार समझा गया। परिणामतः ३७ वर्षों में तीन शिक्षा आयोगों की नियुक्ति हुई। पहला विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग, दूसरा माध्यमिक शिक्षा-आयोग और तीसरा सम्पूर्ण शिक्षा-आयोग। इन आयोगों की नियुक्ति ही अव्यावहारिक थी। कारण कि सुधार का कार्य प्राथमिक शिक्षा से होना चाहिए था, जबकि पहला आयोग विश्वविद्यालय-शिक्षा पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया। भला जब तक जड़ को नहीं सींचा जाएगा, तब तक पत्तों को सींचने से क्या लाभ होगा? फिर, इन आयोगों ने जो सुझाव दिए थे, उन्हें भी तो अर्थाभाव के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली जीवन के लिए घोर अभिशाप सिद्ध हो रही है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत एवं स्वावलम्बी बनाने का साधन होना चाहिए, किन्तु वर्तमान शिक्षा में यह गुण नहीं है। क्षात्र का सुशिक्षित युवक-वर्ग न केवल दूसरों के लिए, बल्कि स्वयं अपने लिए भी दुखदार्मी बन रहा है। देश में बेरोजगार इंजीनियरों, वकीलों, वैज्ञानिकों तथा डाक्टरों की विशाल संख्या देश के लिए अभिशाप बन गई है। शिक्षा ने उनमें 'सादा जीवन, उच्च विचार' और सेवावृत्ति उत्पन्न की ही नहीं, अन्यथा वे गाँवों को स्वर्ण बनाकर राष्ट्र-हित कर पाते। देश की सच्ची सेवा कर पाते।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में नगरोचित तत्त्वों की प्रधानता है, जबकि भारत माता ग्रामवासिनी है। ग्राम-विकास की योजनाओं को शहरी शिक्षण तत्त्व कैसे पूरा कर सकते हैं? उलटा इससे तो गाँव की ओर से विमुखता ही जागृत हुई है। आत्मघाती प्रवृत्ति ने धन-धान्यपूर्ण देश में अन्न-संकट उत्पन्न कर दिया है।

भारत जनतन्त्र का उपासक है। यह जीवन-शैली भारत ने अपनाई है। जनता की शिक्षा का माध्यम जनता की भाषा होनी चाहिए। विदेशी भाषा के माध्यम से भारत का नागरिक विदेशी आचार-विचार, रहन-सहन, जावन-पद्धति, सभ्यता और मंस्कृति ही ग्रहण करेगा। हम अपने दर्शन ग्रंथों को संस्कृत में नहीं, अंग्रेजी के माध्यम में पढ़कर गौरवान्वित होते हैं। परिणामतः अर्जुन को 'अर्जुना', कृष्ण को 'कृष्णा' और राम को 'रामा' कहकर अपने प्रकांड (?) ज्ञान का परिचय देते हैं।

३७ वर्ष के स्वतन्त्र-जीवन में भारतीय शिक्षा-पद्धति में तरह-तरह के प्रयोग किए गए हैं। वे सभी अनुपयोगी और अनुपादेय सिद्ध हुए। अब कोठारी-आयोग के अनुसार नया प्रयोग प्रारम्भ किया गया है। इसकी दुर्दशा यह है कि दिल्ली केन्द्र शासित राज्यों और भारत-भर के केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़कर किसी भी प्रान्त ने इस शिक्षा-पद्धति को स्वीकार नहीं किया। जहाँ दिल्ली का विद्यार्थी १५ वर्ष में बा० ए० की उपाधि लेगा, वहाँ निकटतम पड़ोसी राज्य हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी १४ वर्ष में बी० ए० हो जाएगा। दूसरे, न इसे व्यावसायिक कार्यक्रम में सफलता मिली और न सक्षिप्त-प्रश्नावली-सकलन में ही। अब यह शिक्षा-पद्धति गतिहीन और असहाय पड़ी है। दुर्गन्ध-भरी इस नवीन शिक्षा-पद्धति रूपी शव को मूँछ का बाल बनाकर झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद् प्रयोग करने पर तुले हैं।

नवीन शिक्षा-पद्धति

शिक्षित बेरोजगारों की सख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए देखकर भारत का प्रत्येक राजनीतिज्ञ, सत्ताधारी एवं बुद्धिजीवी ध्यरित शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन की माँग गत ६-७ दशाब्दी से कर रहा है। नवीन शिक्षा-पद्धति शिक्षा-शास्त्रियों के इसी चिन्तन का परिणाम है।

६ दशाब्दी पूर्व सेडत्तर आयोग ने १० - २ + ३ की शिक्षा-योजना प्रस्तुत की थी। रघाकृष्णन् आयोग ने भी १० + २ + ३ प्रणाली प्रचलित करने का समयन किया। तत्पश्चात् मुदालियर आयोग ने ११ + ३ का प्रस्ताव रखा। यही प्रणाली भारत के अनेक राज्यों ने स्वीकार कर ली और प्रचलित की, किन्तु कोठारी आयोग ने पुनः १० + २ + ३ के समयन में अपना मत व्यक्त किया। वर्तमान शिक्षा-पद्धति कोठारी-आयोग द्वारा प्रस्तावित शिक्षा-नीति है।

नवीन शिक्षा-पद्धति के प्रस्तावको ने इस शिक्षा-नीति के अनेक लाभ गिनवाए हैं। पहला है, दसवी तक छात्रों को विशिष्टीकरण के चक्कर से बचाकर इतना ज्ञान प्रदान करना कि वे अजित ज्ञान की पृष्ठभूमि में व्यावसायिक अथवा सामान्य शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम हो जाएँ। दूसरे, प्रकृति के मूलभूत नियमों की जानकारी देने के लिए विज्ञान और गणित को अनिवार्य करना। तीसरे, मानव की भौतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की सामान्य जानकारी के लिए सामाजिक विषयों का अध्ययन अनिवार्य करना। चौथे, श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने के लिए कार्यानुभव का प्रशिक्षण देना। पाँचवे, स्वस्थ नागरिक-निर्माण की दृष्टि से स्वास्थ्य-शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। छठे, व्यावसायिक शिक्षा की अनिवार्यता।

इस प्रकार १० → २ का पाठ्यक्रम विषयों की भीड़ वन गई। कोमलमति किशोर-किशोरियों का वस्ता 'गधे का बोझ' वन गया। १६ विषयों के चक्रव्यूह में आज का छात्र-अभिमन्यु फँस गया है और बे-मौत मारा जा रहा है। नवीन

शिक्षा-पद्धति पर आधारित हाईस्कूल (दसवी) का परीक्षा-परिणाम इसकी पुष्टि करता है।

दूसरे, पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें निर्धारित की गई हैं, उनको देखने से लगता है कि हमारे शिक्षाविद् बच्चों के मस्तिष्क में अनेक विषयों का अधकचरा ज्ञान भरना चाहते हैं, किसी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं।

तीसरे, गणित और विज्ञान की पढाई अनिवार्य तो कर दी गई, किन्तु पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए सक्षम प्रयोगशालाओं का निर्माण नहीं हुआ। परिणामतः प्रायोगिक विषय भी 'तोता-रटन्त' बनकर रह गए। झख मारकर १९८१ से इसकी अनिवार्यता विकल्प में बदल दी गई है।

चौथे, नवीन शिक्षा-पद्धति में प्रश्न-शैली की नवीनता के नाम पर मनमाने ढंग से प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थियों में लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग एक ही वाक्य में पूछना और वह भी एक अंक के लिए, परीक्षक के मस्तिष्क का दिवालियापन प्रकट करता है। फलतः १९७६ से पुनः पुरानी प्रश्न-पद्धति अपना ली गई। लौट के 'अकलमन्द' घर को आए।

पाँचवें, शिक्षा का व्यवसायीकरण पुरानी और नयी पद्धति की विभाजक रेखा है। प्रश्न यह है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किसलिए? क्या राष्ट्र में स्थापित व्यवसायों में शिक्षित व्यक्तियों का अभाव है या व्यवसायों में जिस कुशलता की आवश्यकता है, वह छात्रों को दे दी जाएगी, ताकि भविष्य में उनके काम आए। राष्ट्र की वर्तमान-स्थिति में न तो कोई व्यवसाय खाली ही पड़े हैं और न दी जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा इतनी पूर्ण ही है कि वह छात्रों के भविष्य में काम आ सके। अर्थात् भाव के कारण स्कूलों में व्यावसायिक उपकरणों का अभाव कोठ में खज सिद्ध हो रहा है। भय है, व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर शिक्षा का स्तर ही न गिर जाए; माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर किशोर-किशोरियाँ जीवन के चौराहे पर किकर्त्तव्यविमूढ़ खड़े पछता न रहे हो। न उनको शिक्षा-रूपी माया ही मिली और व्यावसायिक ज्ञान-रूपी राम भी उनकी पहुँच से बहुत दूर चले गए।

यहाँ एक प्रश्न व्यवसाय के चुनाव का भी उठता है। क्या शहरी और क्या ग्रामीण—कोई भी छात्र कृषि, बागवानी, बढईगीरी, मधुमक्खी-पालन आदि सीखना पसन्द करेगा? गाँव का विद्यार्थी शहरी बाबू बनने के लिए टाइपराइ-

टिंग, फोटोग्राफी, रेडियो-टेलीविजन-अभियांत्रिकी सीखना ही पसन्द करेगा। और शहरी छात्र तो जन्मतः ही कृषि आदि कार्यों से नफरत करता है। दूसरे, बढई का बेटा बढईगोरी, किसान का लड़का कृषि और कुम्हार का बेटा मिट्टी का कार्य ही सीखेगा। फिर, विषयो का विविधीकरण कहाँ हुआ ?

व्यावसायिक शिक्षा का सर्वाधिक निष्कृष्ट पहलू है कि प्रत्येक स्कूल को कुछ व्यवसाय दे दिए गए हैं। छात्रों को अपनी रुचि के विरुद्ध उन्हीं में से एक को चुनना पड़ता है। 'रुचि के विरुद्ध' विषय और व्यवसाय का विवशतावश चयन नवीन शिक्षा-पद्धति का दाह-मस्कार है।

इस शिक्षा-पद्धति का सर्वाधिक कमजोर पहलू है प्रशिक्षित अध्यापको का अभाव। 'व्यावसायिक कार्य' के अधिकृत शिक्षको के अभाव में भय है कि अनाड़ी वैद्य कही मरीज को यमलोक न पहुँचा दे और अर्धशिक्षित मल्लाह कही नाब को भँवर में न फँसा दे। इसलिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने इस पद्धति को 'अव्यावहारिक' कहकर 'राष्ट्र के लिए अहितकर' बताया था। फिर भी शिक्षाविदों की बहुमंख्या आँख मीचकर इस पद्धति का समर्थन कर रही है। दूरगामी परिणाम क्या होंगे, यह तो भविष्य ही बताएगा।

कोठारी-आयोग का विचार था कि नवीन शिक्षा-पद्धति में ३० प्रतिशत छात्र ही उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होंगे। शेष छात्र व्यवसाय या व्यावसायिक शिक्षा की ओर मुड़ जाएंगे, किन्तु १९७८ से १९८४ तक +२ के अन्तर्गत ११वीं कक्षा में प्रविष्ट छात्रों की संख्या ने आयोग के अनुमान की घज्जियाँ उड़ा दी है।

११वीं और १२वीं कक्षाओं का तो बाबा आदम ही निराला है। दूरदर्शिता के अभाव में छात्र-जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। ठोक-पीटकर वैद्यराज बनाने के नुस्खे प्रयुक्त हो रहे हैं। भ्रष्ट और अशुद्ध पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है, क्योंकि राजनीति और भाई-भतीजावाद ने पावन लेखकीय कर्म को प्रस लिया है।

टाँप-टाँप फिम करके वर्तमान शिक्षा-पद्धति गतिहीन और असहाय पड़ी है। दुर्गन्ध भरे इस नवीन शिक्षा-पद्धति रूपी शव को मूँछ का बाल बनाकर झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद् पुनः-पुनः प्रयोग कर रहे हैं। भय है कि अधिक प्रयोग से सारा राष्ट्रीय वातावरण विषाक्त न हो जाए।

शिक्षा और व्यवसाय

शिक्षा और व्यवसाय जीवन-रूपी रथ के दो पहिए हैं। शिक्षा के बिना जीविकोपार्जन सम्भव नहीं, व्यवसाय बिना शिक्षा व्यर्थ है। अतः शिक्षा और व्यवसाय एक-दूसरे के पूरक हैं; सहयोगी है; मानवीय प्रगति के सम्बल हैं; राष्ट्रीय विकास के उपकरण हैं, आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं।

प्राचीन युग में शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य ज्ञानार्जन करना था; 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' उसका उद्घोष था। इसलिए सिद्धान्त वाक्य बना—'ज्ञान तृतीयं मनुष्यस्य नेत्रम्' (ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है)। उस समय शिक्षा धनोपार्जन का माध्यम नहीं थी।

समय ने करवट बदली। जनता को विधिवत् शिक्षित करने का अभियान चला। लार्ड मैकाले-योजना की कार्यान्विति हुई। भारत में शिक्षण-संस्थाओं का जाल फैला। भारतीय जनता शिक्षित होने लगी, किन्तु जीवनयापन की दृष्टि से अयोग्य। मैट्रिकुलेट और ग्रेजुएट नौकरी की तलाश में आकाश-पाताल एक करने लगे। पढ़-लिखकर बाबू बनना मात्र शिक्षा का ध्येय बन गया। किसान का पुत्र बाबू बनकर किसानी से नाता तोड़ने लगा। कर्मकांडी पंडित का पुत्र बाबू बनकर अपने ही पिता को 'पाखंडी' की उपाधि से विभूषित करने लगा। हाथ से काम करने में आत्महीनता का अनुभव होने लगा। परिणामतः वश-परम्परागत कार्य ठुकरा दिए गए। गाँव के भोले-भाले मैट्रिकुलेट युवक को बाबूगिरी में स्वर्ग दिखाई देने लगा; उसकी प्राप्ति के लिए वह तडपने लगा।

शिक्षित युवक स्वयं प्रगति-पथ पर अग्रसर होना नहीं चाहता और न देश के उत्पादन में अपना योगदान देना चाहता है। उसमें न परिस्थितियों से सघर्ष करने की क्षमता है और न अपने पैरों पर खड़े रहने की योग्यता ही। अत्युत्तम प्राकृतिक साधनों के होते हुए भी कमजोर आर्थिक व्यवस्था का मूल कारण भी शिक्षित युवक वर्ग की उदासीनता ही है।

नौकरियाँ कम हैं, प्रमाण-पत्र और उपाधि-पत्र धारण करने वालों की संख्या सहस्रो गुणा अधिक है। अनार एक है, बीमार सौ। कैसे काम चले ? दुष्परिणाम सामने आया। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सुरसा के मुँह की भाँति फैलने लगी।

पिछले कुछ वर्षों से समाज की मान्यताओं, भूल्यों, विविध आवश्यकताओं, समस्याओं और विचारधाराओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के साथ समाज का सामंजस्य नितान्त आवश्यक है। यह काम है शिक्षा का। इन परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षा के स्वरूप, प्रणाली और व्यवस्था में परिवर्तन अनिवार्य है। यह परिवर्तन है शिक्षा-व्यवस्था को अधिक उपयोगी, व्यावहारिक तथा जीवन से सम्बन्धित बनाने का प्रयत्न।

सन् १९१९ में सेडर-आयोग ने, १९४८-४९ में राधाकृष्णन्-अयोग ने, १९५२ में मुदालियर-मीशन ने तथा १९६४-६६ में कोठारी-आयोग ने शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का सुझाव दिया।

‘व्यावसायिक शिक्षा’ अथवा ‘शिक्षा का व्यवसायीकरण’ का अर्थ क्या है? सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक जीवन के लिए उपयोगी शिल्पी एवं व्यवसायों का ज्ञान प्राप्त करना ‘शिक्षा का व्यवसायीकरण’ है। इस शिक्षा का लक्ष्य कुशल शिल्पी तैयार करना नहीं, बल्कि विद्यार्थी में उद्योग-धन्यों के प्रति प्रेम और उनकी ओर झुकाव उत्पन्न करके शारीरिक श्रम के महत्त्व की अनुभूति कराना है। यह शिक्षा जनतान्त्रिक भावना विकसित करने के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास करेगी; व्यक्ति निहित शक्तियों का विकास करके उसे समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में सफल होगी।

व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को समाज की वास्तविकता से परिचित कराएगी। समाज के विकास में व्यक्ति की भूमिका का ज्ञान कराएगी। व्यावसायिक शिक्षा रोजगार पैदा नहीं करेगी, वह तो व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने अथवा स्वतन्त्र रूप से अपनी जीविका अर्जित करने में सहायक होगी। व्यावसायिक शिक्षा से व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक होगा। फलस्वरूप वह स्वाध्याय एवं स्वानुभव द्वारा उच्चतम उपलब्धियाँ प्राप्त करने में समर्थ होगा।

यदि हम राष्ट्र की विकासशीलता में अमीष्ट परिणति चाहते हैं, तो सामान्य शिक्षा के साथ श्रम के महत्त्व को प्रमुख स्थान देना होगा। शारीरिक श्रम को

श्रीगणेशाय नमः । सुयोग्य, सुशिक्षित नागरिक तैयार करने
 लिए हमें अपनी शिक्षा को व्यवसायपन्क एव
 षोद्धिक धर्म के समकक्ष रखना
 चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति के
 लिए हमें अपनी शिक्षा को व्यवसायपन्क एव
 वास्तविकता के अनुरूप बनाना होगा । 'अव
 जीवनोपयोगी, ध्यावहारिक त
 ह युग बीत गया, जबकि शिक्षा मनोरजन का
 बुद्धि-विलास की शिक्षा का व
 शिक्षा जानार्जन के साथ-साथ मानव को मानवीय
 साधन मानी जाती थी । अब
 ही चाहिए । जिससे वह सभी प्राणियों का सुखता
 गुणों में युक्त बनाने वाली हो
 प्रयत्न करें ।'
 की दृष्टि से विकास करने का
 है कि हम भावी राष्ट्र-निर्माताओं को उनकी
 अनुरोध शिक्षा दें । स्थानीय उद्योग-धन्धों में
 अनः यह आवश्यक हो गया
 के अनुसार शिक्षा दें । स्थानीय उद्योग-धन्धों में
 रुचि, अभिरुचि तथा योग्यता
 न्यय स्थापित कर एक नये वातावरण की रचना
 शैक्षणिक क्रिया-कलापों का सम
 को और आर्थिक अवरोध तथा
 करें, ताकि हमारे समस्त अभा
 न के अनुसार भारत के लगभग १६०० उच्चतर
 वेकारी की समस्या हल हो जाए
 नयों में शिक्षा और व्यवसाय के अनुरूप पाठ्य-
 कोठारी-आयोग के प्रतिवेद
 शिक्षित प्रशिक्षकों के अभाव, प्रयोगशालाओं
 तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्या
 धा के कारण गत पांच वर्षों में जो प्रगति होनी
 धर्म स्वीकार कर लिया गया
 दूसरी ओर है श्रेष्ठ पाठ्यक्रम के निर्धारण की
 की समी और आर्थिक असुवि
 य लगता है कि शिक्षा को व्यावसायिक रूप देने
 चाहिए थी, वह नगण्य सम है ।
 य लगता है कि शिक्षा को व्यावसायिक रूप देने
 उपेक्षा या असामर्थ्य । इसमें भ
 गपना करते-करते बन्दर की मूर्ति न बना दे ।
 के प्रयत्न में हम गणेशजी की स्
 बड़ रहा है, विकसित हो रहा है । हम और
 आज ससार द्रुतगति में
 इकर मंगल और बृहस्पति ग्रह तक पहुँचने का
 अमेरिका पृथ्वी नक्षत्र को छो
 दौड़ में हम पीछे न रह जाएँ, इसके लिए यह
 प्रयास कर रहे हैं । ससार की
 का व्यवसाय के साथ सामंजस्य हो, सम्मिलन हो,
 अनिवार्य है कि हमारी शिक्षा
 सन्तुलन हो ।

राष्ट्रीय साक्षरता का प्रश्न

भारत में अंग्रेजी-शासन की स्थापना से पूर्व भारत का प्रायः प्रत्येक नागरिक शिक्षित होता था। राष्ट्र में इसके लिए कुछ प्रयाएँ प्रचलित थीं। गाँव-गाँव में स्थापित पाठशालाएँ, मदरसे आदि शिक्षा-संस्थाएँ बच्चों की उचित शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध करती थीं। एक अंग्रेज विद्वान् के मतानुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत विश्व में सबसे अधिक था।

अंग्रेजी-राज्य में पाठशालाओं का प्रारम्भिक स्वरूप नष्ट हुआ। अंग्रेजी-शिक्षा पद्धति प्रारम्भ हुई। भारत का निम्न मध्यवर्ग तथा ग्रामीण-जनता इससे वंचित रह गई या वंचित कर दी गई। फलतः निरक्षरता बढ़ी। यह इस सीमा तक बढ़ी कि आज विश्व के निरक्षर व्यक्तियों की सम्पूर्ण संख्या का आधे से अधिक भाग भारत में निवास करता है।

भारत की बहुजन सध्या अनपढ़ या अशिक्षित रहे, इसमें अंग्रेजों का भला था। अशिक्षित वर्ग में अन्धविश्वास और कुप्रथाएँ मजबूती से जड़ जमाती हैं। इसलिए सबसे अधिक शोषण इसी वर्ग का हुआ। कायदे-कानून से यह अनभिज्ञ रहा। यह भोला-भाला वर्ग हर प्रकार से दलित, पीड़ित तथा शोषित रहा।

परतन्त्रता-काल में भारतीय नेताओं ने अनपढ़ जनता को साक्षरता प्रदान करने का अभिमान चलाया। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बम्बई एवं बंगाल में प्रौढ-शिक्षा का तीव्रता से प्रसार हुआ। प्रौढों के लिए रात्रि-पाठशालाएँ खोली गईं। १९४८ ई० में देश स्वतन्त्र हुआ। सविधान-निर्माताओं ने घोषणा की कि ६ वर्ष से १४ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध सरकार का कर्तव्य है। यह राष्ट्र को शिक्षित करने का श्रेष्ठ संकल्प था। यदि सरकार अपने इस संवैधानिक कर्तव्य की पूर्ति करती, तो सविधान-निर्माण के ३७ वर्ष पश्चात् देश में निरक्षर नागरिकों की संख्या शून्य होती, किन्तु सरकार अपने इस कर्तव्य की पूर्ति में असफल रही।

और यह समस्या विकराल रूप धारण कर गई।

अंग्रेजी में एक शब्द है 'एडल्ट एजुकेशन'। भारतान नेताओं ने इसका अनुवाद किया 'प्रौढ़ शिक्षा'। एडल्ट में १५ से लेकर ३५ वर्ष तक की आयु के नागरिक आते हैं। अतः प्रौढ़-शिक्षा में १५ वर्ष से कम तथा ३५ वर्ष से अधिक आयु के नागरिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। विदेशी भाषा और पद्धति के अनुकरण का यही परिणाम होता है।

भारत में लोकतन्त्र है। लोकतन्त्र का प्रमुख साधन चुनाव है। चुनाव में २१ वर्ष या अधिक आयु का भारतीय मतदान कर सकता है। २१ वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश मतदाता निरक्षर हैं, अशिक्षित हैं। सन् १९८१ की जनगणना के अनुसार यह संख्या ७१ प्रतिशत है; अर्थात् भारत के बीस करोड़ प्रौढ़ नागरिक निरक्षर हैं। चालाक उम्मीदवार अपने प्रचार-साधनों के बल पर इस वर्ग को फुमना कर गुमराह कर लेता है। अतः मतदाता को शिक्षित करने के महान् उद्देश्य को लेकर 'प्रौढ़-शिक्षा-योजना' आरम्भ की गई।

प्रौढ़-शिक्षा का तात्पर्य है निरक्षर, अर्द्ध-आक्षर या विस्मृताक्षर प्रौढ़ों को पुनः साक्षरता का संस्कार देना। साथ ही जीवन-क्षेत्र में आवश्यक जानकारी को विशेष बल देना। इसलिए प्रौढ़-शिक्षा का वास्तविक अर्थ हुआ 'समाज-शिक्षा'; ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को एक सुयोग्य नागरिक बनाने में समर्थ हो, जो उसे सच्चे अर्थ में मानव बना दे। वह अपने अधिकार और कर्तव्य को पहचानने लगे।

किन्हीं अन्य अर्थपूर्ण और जरूरी योजनाओं के लिए आवंटित कर दिया जाए; पश्चिम बंगाल भी इस ओर उदासीन रहा। उसने केन्द्र की कथित लाल फीता-शाही तथा नौकरशाही के कारण इस योजना को लागू करने में आना-कानी की। कुछ राज्यों में धन का दुरुपयोग दलीय हितों में होने की आशंका से केन्द्र ने सहायता न दी। मार्क्सवादी सरकारें उनमें से हैं।

सरकार ने कुछ स्वयंसेवी-संस्थाओं का सहयोग इस योजना के प्रचार और प्रसार में लिया। १७ राज्यों में ऐसे २=६६ केन्द्र प्रारम्भ हुए। इन संस्थाओं को लगभग पौने पाँच करोड़ रुपये अनुदान में दिए गए।

प्रश्न है प्रौढों में शिक्षा के प्रति उत्साह कैसे जाग्रत हो? सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो-तोड़ काम करने वाला किसान; मजदूर या हरिजन जब शाम को थका-हारा घर लौटता है, तो उसमें इतनी शक्ति और मानसिक शान्ति कहाँ रह जाता है, जो वह शिक्षा के लिए लालायित हो सके। दूसरे, साक्षरता-अभियान को रोजगारोन्मुख नहीं बनाया गया। अधिक प्रचार तो 'काम के बदले अनाज' का रहा। परिणामतः पढ़ने के इच्छुक प्रौढों ने पढ़ने-लिखने की अपेक्षा दूमरी और ध्यान लगाया।

इस वर्ग को पढ़ाने वाले की मनःस्थिति स्वस्थ, उत्साहप्रद एवं स्वयंस्फूर्त होनी चाहिए। उनके वातावरण में घुल-मिलकर एकात्मक होने की चेष्टा होनी चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब वेतन अच्छा हो। यहाँ वेतन मात्र ५० रुपये मासिक रखा गया, जो अत्यल्प है। दूसरी ओर, ५० प्रतिशत स्थान स्त्रियों के लिए सुरक्षित रखे गए। यह भी एक रुकावट बनी। कारण, शिक्षित महिलाएँ इतने थोड़े वेतन पर नहीं आईं।

तीसरे, नौकरशाहा और लालफीताशाही के अभेद्य जाल में जकड़ी सरकार द्वारा छः सौ करोड़ की राशि इस कल्याणकारी योजना की कार्यान्विति में कितनी प्रयुक्त होगी, इसी पर योजना की सफलता निर्भर है।

यदि सरकारी-तन्त्र इस विशाल राशि का सदुपयोग प्रौढों को शिक्षित करने में नहीं कर सका, उनमें सामाजिक चेतना जागृत नहीं कर सका, तो देश की भावी सन्तति उसे कभी क्षमा नहीं करेगी।

जा रहा है, कहीं नाटक के लिए मंच बनाया जा रहा है, वही दृश्या दिष्टायी जा रही है।

तीन बजे से ही निमन्वित व्यक्तियों का आगमन आरम्भ हो गया है। हर एक मेहमान के पास प्रवेश-पत्र है। वह अपने प्रवेश-पत्र के अनुसार अपने स्थान पर बैठ जाता है। पडाल में अध्यक्ष महोदय के कुर्सी तक पहुँचने के लिए बोंचों-बीच एक मार्ग छोड़ा हुआ है। एक ओर मान्य अतिथि बैठे हैं, दूसरी ओर उत्सव में भाग लेने वाले विद्यार्थी पन्तिवद्ध स्कूल-गणवेश में खड़े हैं। मार्ग पर लाल बजरी बिछी हुई बड़ी सुन्दर लगती है। मार्ग के दोनों ओर माननीय अध्यक्ष के स्वागतार्थ एन० सी० सी० के छात्र खड़े हैं, जिनके हाथों में बन्दूकें हैं।

ठीक चार बजे वार्षिकोत्सव के मनोनीत अध्यक्ष दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद महोदय पधारे। एन० सी० सी० बैठ की टीम ने उनका स्वागत किया। स्कूल के व्यवस्थापक और प्रधानाध्यापक महोदय ने अध्यक्ष की अगवानी की। अध्यक्ष की कुर्सी के साथ तीन और कुर्सियाँ बिछी हुई थी— एक पर स्कूल के मैनेजर साहब बैठे तथा दूसरी पर प्रिंसिपल तथा तीसरी पर पी०टी०ए० अध्यक्ष। सर्वप्रथम मैनेजर साहब ने अध्यक्ष महोदय का परिचय कराते हुए स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों की ओर से पुष्पमाला से उनका स्वागत किया।

इसके बाद विद्यार्थियों ने शारीरिक ध्यायाम का प्रदर्शन किया। कभी स्कूल के सौ विद्यार्थी बैठ के साथ शारीरिक ध्यायाम करते हैं, तो कभी डम्बल, लेजियम और लाठी का प्रदर्शन होता है। कभी बैठ अपने मधुर स्वर से दशकों को मोहित करता है। लीजिए, ये स्थल-सेना के सैनिक (एन० सी० सी० के छात्र) आ गए हैं। इनका पथ-संचलन देखने ही बनता है। सबकी एक-सी चाल है। सबके हाथ एक साथ आगे-पीछे जाते हैं। जनता बड़ी तन्मयता से पथ-संचलन को देख रही है।

प्रदर्शन का अन्तिम कार्यक्रम है— नाटक और कवि-दरबार। यह लीजिए श्री उपेन्द्रनाथ 'अशक' द्वारा लिखित 'स्वर्ग की झलक' नाटक का अभिनय आरम्भ हो गया है। पात्रों की वेष-भूषा और मंच की सजावट देखते ही बनती है। एक दृश्य की समाप्ति और दूसरे दृश्य के आरम्भ के मध्य कवि-दरबार का आयोजन किया गया है। कविता पढ़ने वाले छात्रों की वेष-भूषा बिलकुल उन्ही कवियों जैसी है, जिनकी कविता वे पढ़ रहे हैं। सन्त कबीर मधुर वाणी में 'माया महा टगनी

हम जानी' सुनाते हैं, तो कवि-शिरोमणि सूरदाम आँखें बन्द किए तम्बूरा हाथ में लेकर बैठे हैं। उनके सामने एक बालक भगवान् कृष्ण बना बैठा है। यह क्या? शेर की तरह दहाड़ने वाला यह कौन कवि आ गया? उसके मुख से 'इन्द्र जिमि जम्भ पर' सुनते ही सब ममज्ञ गए कि ये वीररस के प्रतिनिधि कवि 'भूपण' हैं। इस प्रकार नाटक और कवि-दरबार का सम्मिलित कार्यक्रम तालियों की गड़गड़ाहट और हंसी के फव्वारों के साथ समाप्त हुआ।

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शारीरिक प्रदर्शनो में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी अतिथियों के सामने वाले मैदान में आकर शांतिपूर्वक बैठ गए। उसके बाद प्रधान-ध्यापक स्कूल का पूर्ण इतिहास सुनाते हुए गत वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हे। तत्पश्चात् पारितोषिक-वितरण आरम्भ होता है। प्रधानाध्यापक एक-एक विद्यार्थी का नाम लेते हैं। साथ ही बताते हैं कि उक्त विद्यार्थी को कौन-सा पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है। व्यवस्थापक महोदय पुरस्कार उठाकर अध्यक्ष महोदय को देते हैं और अध्यक्ष विद्यार्थी को। मुझे भी गत वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आने के उपलक्ष्य में पुरस्कार मिला। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस भाँति तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पारितोषिक-वितरण समाप्त हो जाता है।

उसके बाद अध्यक्ष महोदय संक्षिप्त भाषण देते हैं, जिसमें वे विद्यार्थियों को खूब पढ़ने-लिखने और शारीरिक-शिक्षण वाले कार्यक्रमों में भाग लेने की मलाह देते हुए अनुशासन का महत्त्व समझाते हैं।

सबसे अन्त में प्रिन्सिपल महोदय उपस्थित सज्जनवृन्द और अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा करते हैं। ●

विद्यार्थी और अनुशासन

(आंत इंडिया १९७६, ८० : 'ए'; ८१ : 'बो')

विद्यार्थी का अर्थ है 'विद्यायाः अर्थी' अर्थात् विद्या को माँगने वाला या चाहने वाला। अनुशासन का अर्थ है शासन को मानने वाला। प्रश्न यह है कि क्या विद्यार्थी को अनुशासन में रहना चाहिए ?

पाँच वर्ष से पच्चीस वर्ष तक की आयु विद्या-अध्ययन का काल मानी जाती है। इसमें विद्यार्थी पर न घर-बार का बोझ होता है, न सामाजिक और आर्थिक चिन्ता। वह मानसिक रूप से स्वतन्त्र रहकर अपना शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक विकास करता है। यह कार्य तभी सम्भव है, जब वह अनुशासन में रहे; यह शासन चाहे गुरुजनो का हो, चाहे माता-पिता का। इससे उसमें शीत, संयम, ज्ञान-पिपासा तथा नम्रता की वृत्ति जागृत होती है।

आज स्थिति बदल गई है। दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक नेताओं ने इस निश्चिन्त विद्यार्थी-वर्ग को अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए राजनीति में घसीटकर अनुशासनहीनता का मार्ग दिखा दिया है। स्वतन्त्रता संग्राम में महात्मा गाँधी ने, १९७४ की समग्रक्रान्ति के प्रणेता श्री जयप्रकाश ने तथा आपातकाल के विरोधी आन्दोलन के डिक्टेटरो ने शासन के विरुद्ध विद्यार्थी-वर्ग का दुसकर प्रयोग किया। 'रोपे पेड बबूल का, आम वहाँ से होय।' स्वतन्त्रता के पश्चात् १९७५ के मध्य तक विद्यार्थी-वर्ग की अनुशासनहीनता बेकाबू हो गई। विरोधी आन्दोलनों के परिणामस्वरूप मई १९७७ के पश्चात् आज तक यह समस्या सुरसा के मुँह की भाँति फैलती जा रही है। लगता है यह अनुशासनहीनता न केवल अध्ययन-संस्थाओं की ही, अपितु सम्पूर्ण भारत को निगल जाएगी।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् आपातकाल के केवल १६ मास का समय ऐसा है जब न तो स्कूल-कॉलेजों में उच्छृंखलता का वातावरण बना, न परीक्षाएँ सेट हुईं, न कोई बस फूँकी गई। इस अवधि में भयभीत छात्र अनुशासन में रह कर स्कूल-कॉलेज को विद्या का मन्दिर समझता रहा। गुरु को श्रद्धा की दृष्टि से

देखता रहा। नियमित रूप से कार्य करता रहा। उसकी चित्तवृत्ति एकाग्र थी। इस कालखण्ड के अतिरिक्त छात्रों द्वारा किसी-न-किसी प्रकार का उपद्रव खड़ा किया ही जा रहा है।

आज के विद्यार्थी और अनुशासन में ३ और ६ का सम्बन्ध है। वह कर्तव्यों को तिनांजलि देकर केवल अधिकारों की मांग करता है और येन-केन प्रकारेण अपनी आकांक्षाओं की तृप्ति तथा अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष पर उतर आया है। जलसे करना, जुलूस निकालना, धुआंधार भाषण देना, बुत तोड़ना, पिटाई करना, हत्या करना, मकान व दूकान लूटना, सरकारी संस्थानों को क्षति पहुँचाना, बमों को जलाना ऐसे अशोभनीय कार्य हैं, जो विद्यार्थी-वर्ग के संघर्ष के मुख्य अंग हैं।

वस्तुतः आज का विद्यार्थी विद्या के अर्थ (के लिए) प्रयत्नशील नहीं, अपितु विद्या की अर्थों निकालने पर तुला है। उसमें रोष, उच्छृंखलता, स्वार्थ और अनास्था घर कर गई है। पढ़ने में एकाग्रचित्तता के स्थान पर विध्वंसात्मकता उसके मन-मस्तिष्क को खोखला कर रही है। रही-सही कसर फॅशन-परस्ती और नशाबाजी ने पूरी कर दी है।

अनुशासनहीनता के कारण विवेकहीन विद्यार्थी भस्मामुर की भाँति अपना ही सर्वस्व स्वाहा कर रहा है। मन की रोषपूर्ण और विनाशकारी प्रवृत्ति उसके अध्ययन में बाधक है। परिणामतः पेपर अच्छे नहीं होंगे, नम्बर अच्छे नहीं आएँगे। अगली कक्षाओं में प्रवेश और जीवन की प्रगति में बाधाएँ आएँगी। दूसरी ओर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के कारण परीक्षाएँ लेट होंगी। परिणाम लेट होंगे। दूसरे स्थानों पर ठीक समय पर परीक्षाएँ होने के कारण नव वर्ष की पढाई आरम्भ हो गई होगी, लेट परिणाम वाले को प्रवेश नहीं मिल पाएगा। जीवन के पाँच छः मास त्रिशकु बनने में बीत जाएँगे और बहुमूल्य वर्ष दवे-भाँव खिसक जाएँगे।

बुद्धिवादी युग में आज का विद्यार्थी अहवादी बन गया है। अह पूर्णतः बुरी चीज नहीं कहा जा सकती। वह व्यक्तित्व का एक अंग है और एक सीमा तक आवश्यक भी है, किन्तु आज का विद्यार्थी अपना महत्त्व जतलाकर सम्मान प्राप्त करना चाहता है। जब महत्त्वाकांक्षी छात्र अपने गुरुजनों से स्नेह, प्रशंसा व सम्मान नहीं पाते, तब उनका हृदय विद्रोह कर उठता है। यही विद्रोह हड़ताल

विद्यार्थी और अनुशासन

(ऑल इंडिया १९७६, ८० : 'ए'; ८१ : 'बी')

विद्यार्थी का अर्थ है 'विद्यायाः अर्थी' अर्थात् विद्या को माँगने वाला या चाहने वाला। अनुशासन का अर्थ है शासन को मानने वाला। प्रश्न यह है कि क्या विद्यार्थी को अनुशासन में रहना चाहिए ?

पाँच वर्ष से पच्चीस वर्ष तक की आयु विद्या-अध्ययन का काल मानी जाती है। इसमें विद्यार्थी पर न घर-बार का बोझ होता है, न सामाजिक और आर्थिक चिन्ता। वह मानसिक रूप से स्वतन्त्र रहकर अपना शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक विकास करता है। यह कार्य तभी सम्भव है, जब वह अनुशासन में रहे; यह शासन चाहे गुरुजनो का हो, चाहे माता-पिता का। इससे उसमें शील, संयम, ज्ञान-पिपासा तथा नम्रता की वृत्ति जागृत होती है।

आज स्थिति बदल गई है। दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक नेताओं ने इस निश्चिन्त विद्यार्थी-वर्ग को अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए राजनीति में घसीटकर अनुशासनहीनता का मार्ग दिखा दिया है। स्वतन्त्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने, १९७४ की समयक्रान्ति के प्रणेता श्री जयप्रकाश ने तथा आपातकाल के विरोधी आन्दोलन के डिक्टेटरो ने शासन के विरुद्ध विद्यार्थी-वर्ग का खुलकर प्रयोग किया। 'रोपे पेड बरूल का, आम कहां से होय।' स्वतन्त्रता के पश्चात् १९७५ के मध्य तक विद्यार्थी-वर्ग की अनुशासनहीनता बेकाबू हो गई। विरोधी आन्दोलनों के परिणामस्वरूप मई १९७७ के पश्चात् आज तक यह समस्या सुरसा के मुँह की भाँति फैलती जा रही है। लगता है यह अनुशासनहीनता न केवल अध्ययन-संस्थाओं को ही, अपितु सम्पूर्ण भारत को निगल जाएगी।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् आपातकाल के केवल १६ मास का समय ऐसा है जब न तो स्कूल-कॉलेजों में उच्छृंखलता का वातावरण बना, न परीक्षाएँ लेट हुईं, न कोई बस फूँकी गई। इस अवधि में भयभीत छात्र अनुशासन में रह कर स्कूल-कॉलेज को विद्या का मन्दिर समझता रहा। गुरु की श्रद्धा की दृष्टि से

देखता रहा। नियमित रूप से कार्य करता रहा। उसकी चित्तवृत्ति एकाग्र थी। इस कालखण्ड के अतिरिक्त छात्रों द्वारा किसी-न-किसी प्रकार का उपद्रव खड़ा किया ही जा रहा है।

आज के विद्यार्थी और अनुशासन में ३ और ६ का सम्बन्ध है। वह कर्तव्यों को तिलांजलि देकर केवल अधिकारों की माँग करता है और येन-केन प्रकारेण अपनी आकाक्षाओं की तृप्ति तथा अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष पर उतर आया है। जलमे करना, जुलूस निकालना, धुआँधार भाषण देना, बुत तोड़ना, पिटाई करना, हत्या करना, मकान व दूकान लूटना, सरकारी संस्थानों को क्षति पहुँचाना, बमों को जलाना ऐसे अशोभनीय कार्य हैं, जो विद्यार्थी-वर्ग के संघर्ष के मुख्य अंग हैं।

वस्तुतः आज का विद्यार्थी विद्या के अर्थ (के लिए) प्रयत्नशील नहीं, अपितु विद्या की अर्थी निकालने पर तुला है। उसमें रोप, उच्छृंखलता, स्वार्थ और अनास्था घर कर गई है। पढ़ने में एकाग्रचित्तता के स्थान पर विध्वसात्मकता उसके मन-मस्तिष्क को खोखला कर रही है। रही-सही कमर फेंशन-परस्ती और नशावाजी ने पूरी कर दी है।

अनुशासनहीनता के कारण विवेकहीन विद्यार्थी भस्माभुर की भाँति अपना ही सर्वस्व स्वाहा कर रहा है। मन की रोगपूर्ण और विनाशकारी प्रवृत्ति उसके अध्ययन में बाधक है। परिणामतः पेपर अच्छे नहीं होंगे, नम्बर अच्छे नहीं आएँगे। अगली कक्षाओं में प्रवेश और जीवन की प्रगति में बाधाएँ आएँगी। दूसरी ओर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के कारण परीक्षाएँ सेट होंगी। परिणाम सेट होंगे। दूसरे स्थानों पर ठीक समय पर परीक्षाएँ होने के कारण नव वर्ष की पढाई आरम्भ हो गई होगी, सेट परिणाम वाले को प्रवेश नहीं मिल पाएगा। जीवन के पाँच छः मास त्रिशकु बनने में बीत जाएँगे और बहुमूल्य वर्ष दवे-पाँव घिसक जाएगा।

बुद्धिवादी युग में आज का विद्यार्थी अहंवादी बन गया है। वह पूर्णतः बुरी चीज नहीं कहा जा सकती। वह व्यक्तित्व का एक अंग है और एक सीमा तक आवश्यक भी है, किन्तु आज का विद्यार्थी अपना महत्त्व जतलाकर सम्मान प्राप्त करना चाहता है। जब महत्त्वाकांक्षी छात्र अपने गुरुजनों से स्नेह, प्रशंसा व सम्मान नहीं पाते, तब उनका हृदय विद्रोह कर उठता है। यही विद्रोह हठनाय

और संघर्ष के रूप में प्रकट होता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने मोनह वयं की आयु हो जाने पर मन्तान के माथ मित्रवत् व्यवहार का आदेश दिया है।

दूसरी ओर, माता-पिता के उचित सरक्षण व मार्ग-दर्शन के अभाव में बच्चे उत्तम सस्कार ग्रहण नहीं कर पाते। विद्यालय या महाविद्यालयों में प्रवेश करके ये बर्थादाहीन और उच्छृंखल बन जाते हैं। उनकी प्रतिभा का विकास अवरूद्ध हो जाता है। विक्षोभ मन-मस्तिष्क पर छा जाता है।

तीसरे, राजनीतिज्ञों की रट 'वर्तमान शिक्षा दोषपूर्ण है' तथा नए-नए प्रयोगों ने विद्यार्थियों में वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के प्रति अरुचि उत्पन्न कर दी है। अगूठाटेक राजनीतिज्ञ जब विश्वविद्यालयों में भाषण करता है या श्रुतपत्र और अर्द्धशिक्षित नेता शिक्षा के बारे में परामर्श देता है, तो माँ सरस्वती का सिर लज्जा से झुक जाता है।

चौथे, आज शिक्षक आस्थाहीन हैं और शिक्षा-अधिकारी अहंकारी तथा स्वार्थी। परिणामस्वरूप शिक्षक और शिक्षा अधिकारी विद्यार्थी से व्यावगायिक रूप में व्यवहार करते हैं। विद्यार्थी के हृदय से इसकी जो प्रतिध्वनि निकलती है, वह 'आचार्यदेवो भव' कदापि न होगी।

नि सन्देह यह बात माननी पड़ेगी कि आज के स्वायंपूर्ण अस्वस्थ वातावरण में विद्यार्थी शान्त नहीं रह सकता। अस्वस्थ प्रवृत्ति के विरुद्ध विक्षोभ उसकी जागरूकता का परिचायक है। उनका गर्म रक्त उनको अन्याय के विरुद्ध ललकारता है। जिस प्रकार अग्नि, जल और अणुशक्ति का रचनात्मक तथा विध्वसात्मक, दोनों रूपों में प्रयोग सम्भव है, उसी प्रकार विद्यार्थी के गर्म रक्त को रचनात्मक दिशा देने की आवश्यकता है, किन्तु यह तभी सम्भव है जब प्राचीन काल के गुरुकुलों का-सा शान्त वातावरण हो, चाणक्य जैसे स्वाभिमानी, स्वामी राम-कृष्ण परमहंस तथा स्वामी विरजानन्द सदृश तपस्वी गुरु हो। राजनीतिज्ञों और राजनीति को शिक्षा से दूर रखा जाए। माता-पिता बच्चे के विकास पर पूर्णतः ध्यान दें।

अपने विद्यालय का पुस्तकालय

(अंल इंडिया १९८१ : 'ए'; दिल्ली १९८० : 'बी')

पुस्तकालय मानव-जीवन के विकास तथा प्रगति के महत्त्वपूर्ण साधन है। ये ज्ञान की किरणें प्रसारित करते हैं; मानसिक क्षुधा को शांत करते हैं, विश्व-साहित्य की धरोहर के संरक्षक हैं। अतः प्रत्येक वरिष्ठ तथा उच्चरम माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय की अनिवार्यता है।

हमारे विद्यालय का पुस्तकालय विद्यालय की पहली मजिल पर एक बड़े हाल में स्थित है। पुस्तकालय का अर्थ ही 'पुस्तकों का घर' है। अतः यहाँ साठ-सत्तर आलमारियों में पुस्तकें रखी हुई हैं। पुस्तकालय के बीचों-बीच एक विशाल मेज है, जिस पर दैनिक समाचार-पत्र, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र-पत्रिकाएँ रखी हुई हैं। मेज के तीन ओर बेंच तथा कुर्सियाँ रखी हैं, जिन पर बैठकर विद्यार्थी तथा अध्यापक मरलता से पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ सकते हैं।

पुस्तकालय की बड़ी मेज के समीप एक साधारण मेज रखी है। यह पुस्तकालयाध्यक्ष की मेज है। मेज के एक ओर एक कुर्सी रखी है। यह पुस्तकालयाध्यक्ष के बैठने का स्थान है। कुर्सी के समीप एक रैक रखा है, जिसमें कुछ रजिस्टर रखे हैं। मेज के तीनों ओर कुर्सियाँ रखी हैं, जहाँ अध्यापक बैठ सकते हैं।

विद्यालय की दीवारों पर आप्तवाक्य और सूक्तियाँ लिखी हुई हैं, जो अनजाने पाठक के हृदय को गुदगुदाती हैं, श्रेष्ठ आचरण की प्रेरणा देता हैं। आलमारियों में पुस्तकें विषय और विधा के अनुसार रखी हैं। प्रायः प्रत्येक विषय की पृथक् आलमारी है। आलमारियों के कपाट शीशे के हैं। उन पर विषय या विधा का नाम अंकित है। जैसे—हिन्दी और अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें उपन्यास, कहानी, नाटक-एकांकी, कविता, निबंध आदि विधाओं में विभक्त हैं। इनके अतिरिक्त अन्य पुस्तकें भौतिकी, रसायन, जीव-विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र, वाणिज्य-सिद्धांत, बुक-कीपिंग, ऐडवास एका-

उन्टेमी, नागरिक-शास्त्र, भारतीय नागरिक-शास्त्र, गणित, ज्योमैट्री टिमनोमैट्री आदि विषयो मे विभक्त हैं।

प्रत्येक पुस्तक पर विषय, क्रम-संख्या तथा पुस्तकालय की पुस्तक-संख्या अंकित हैं। प्रत्येक पुस्तक में एक कार्ड रखा है, जिसमे पुस्तक वापस लौटाने की तिथि लिखी जाती है। विलम्ब से लौटाने वाले को आर्थिक दण्ड देना पड़ता है।

एक विशिष्ट आलमारी मे हिन्दी-हिन्दी, संस्कृत-हिन्दी, अंग्रेजी-हिन्दी के शब्द-कोश रखे है। साथ ही रखे है अंग्रेजी तथा हिन्दी मे प्रकाशित विश्व-ज्ञान-कोश।

तीन-चार आलमारियो के ऊपर रखी है दैनिक अखबारों की रद्दी तथा साप्ताहिक-मासिक पत्र-पत्रिकाओं के पिछले अंक। इन पर प्रायः धूल पड़ी रहती है।

पुस्तकालय का वातावरण बड़ा शान्त है। पुस्तकालय मे प्रवेश करने पर विद्यार्थी का हाथ तुरन्त किसी पत्र-पत्रिका अथवा पुस्तक पर उमी प्रकार जाता है, जैसे किसी मन्दिर मे प्रवेश करने पर श्रद्धा से त्रिभोर मानव देव-प्रतिमा के सम्मुख नत-मस्तक हो जाता है।

सप्ताह मे एक बार हमारी बक्षा का पीरियड पुस्तकालय के लिए आता है। इस पीरियड मे हम पिछले सप्ताह ली हुई पुस्तक लौटाते है और कोई नई पुस्तक पुस्तकालयाध्यक्ष हमे देते है। हम इन पुस्तको को घर लाकर पढते है और अपना ज्ञान बढाते है। पुस्तकाराय से हमे विभिन्न विषयो की पुस्तके पढने का अवसर मिलता है।

मध्यावकाश के समय भी विद्यार्थीगण पुस्तकालय मे जाते है और दैनिक समाचार-पत्र तथा पत्र-पत्रिकाओं को पढकर ज्ञानवर्धन करते है। साप्ताहिक पत्रिकाएँ, जैसे—धर्मयुग; बच्चो की मासिक पत्रिकाएँ, जैसे—नन्दन, पराग, बाल-भारती, चदा-मामा आदि की काफी मांग रहती है। बच्चे इन्हे शौक से पढते है।

हिन्दी के दैनिक समाचार-पत्रो मे नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, जन-सत्ता तथा दैनिक ट्रिब्यून आते है। अंग्रेजी के डेलीज मे हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इडिया, इंडियन एक्सप्रेस तथा पेट्रियोट आते है। हिन्दी साप्ताहिकों में धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, पाचजन्य, दिनमान, रविवार और ब्लिट्ज आते है, तो अंग्रेजी साप्ताहिकों में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया,

ब्लिट्ज, आर्गनाइजर का प्रमुख स्थान है। हिन्दी मासिकों में कादम्बिनी, नवनीत, सूर्या प्रमुख हैं। बच्चों की तो प्रायः सभी मासिक पत्रिकाएँ आती हैं।

हमारे विद्यालय का पुस्तकालय स्वच्छ और सुन्दर है, पुस्तकों से समृद्ध है, पत्र-पत्रिकाओं से भरपूर है, अध्ययनशील वातावरण से सुगन्धित है। यह ज्ञान-विज्ञान का प्रसारक है और है मानसिक क्षुधा-शान्ति का साधन।



पुस्तकालय

(दिल्ली १९७८ : 'ए'; ऑल इंडिया १९७८ : 'ए')

'पुस्तकालय' शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है—पुस्तक + बालय, अर्थात् पुस्तकों का घर। अध्ययन के लिए जहाँ अनेक पुस्तकों का संग्रह हो, उसे पुस्तकालय कहते हैं।

जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ज्ञान-प्राप्ति के लिए पुस्तकों का अध्ययन अनिवार्य है। जीवन में पुस्तकों के महत्त्व को सभी विचारकों ने स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में कुछ उद्धरण प्रस्तुत करना अनुचित न होगा—

“पुस्तकें जीते-जागते देवता हैं, उनकी सेवा करके तुरन्त धरदान प्राप्त किया जा सकता है।”

“पुस्तकें मन के लिए साधु का काम करती हैं।” —महात्मा गांधी

“जहाँ पुस्तकें हैं, वहाँ से लोभ, मोह, भ्रम और भय भगाना कठिन नहीं।”

“पुस्तकें वे विश्वस्त दर्पण हैं, जो सन्तों एवं शूरों के मस्तिष्क का परावर्तन हमारे मस्तिष्क पर करती हैं।” —गिबबन

“अच्छी पुस्तकों के पास होने से हमें अपने भले मित्रों के साथ न रहने की कमी नहीं खटकती। जितना ही मैं पुस्तकों का अध्ययन करता गया, उतना ही अधिक मुझे उनकी विशेषताएँ (उपयोगिताएँ) मालूम होती गईं।”

—महात्मा गांधी

पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह मिलता है। इस प्रकार पुस्तकालय मनुष्य का ज्ञान-वर्धन की पिपासा को शान्त करने का स्थान है। आज किसी भी व्यक्ति के लिए असम्भव है कि वह प्रत्येक पुस्तक को खरीदकर पढ़ सके। भारत एक गरीब देश है। यहाँ लोगों को दो वक्त खाना भी ठीक प्रकार नहीं मिलता, पुस्तक खरीदने की बात तो अलग रही। इसलिए भारत में पुस्तकालयों की बढ़ी आवश्यकता है।

प्राचीनकाल में भारत में नालदा और तक्षशिला के पुस्तकालय जगत्-विख्यात थे, किन्तु मुसलमान बादशाहों ने उन्हें जलवा दिया। जो कुछ ग्रन्थ बचे भी, वे अंग्रेजों के समय विदेशों में पहुँच गए। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद राष्ट्रीय सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। अब भारत के नगर-नगर और ग्राम-ग्राम में पुस्तकालय खोले जा रहे हैं।

पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारा पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती है। वह चाहे तो एक ही विषय पर अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है। दूसरे, उसे किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तक वहाँ से प्राप्त हो सकती है। तीसरे, उसे किसी भी विषय पर तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। यही कारण है कि उच्च कक्षा तथा किसी विषय में विशेष योग्यता (Ph. D आदि की उपाधि) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में ही व्यतीत करते हैं।

पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। यदि आप एक बार किसी पुस्तकालय में चले जाएँ, तो वहाँ की पुस्तकों को देखकर आप उन्हें पढ़ने के लिए लालायित हो जाएँगे। इस प्रकार पुस्तकालय आपकी रुचि को ज्ञान-वर्द्धन की ओर बदलता है। दूसरे, अवकाश के समय वह हमारा सच्चा साथी है, जो हमें सदुपदेश भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। मनोरंजन के अन्य साधनों में धन अधिक खर्च होता है, जबकि यह सबसे सुलभ और सस्ता मनोरंजन है।

पुस्तकालय तीन प्रकार के होते हैं—१. निजी, २. विद्यालयीय और ३. सार्वजनिक। उच्च कक्षाओं के समर्थ विद्यार्थी या पुस्तक-संग्रह-प्रेमी कुछ विषयों पर पुस्तकें खरीदकर अपना निजी पुस्तकालय बना लेते हैं, किन्तु उनका उपयोग अत्यन्त सीमित होता है। प्रायः सभी स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय होते हैं, पर इनसे भी केवल संग्रहा से सम्बन्धित विद्यार्थी ही लाभ उठा सकते हैं, परन्तु जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, उनमें साधारण जनता लाभ उठा सकती है। ग्रामों के लिए भारत-सरकार ने कुछ चलते-फिरते सार्वजनिक पुस्तकालय भी खोले हुए हैं, ताकि छोटे-छोटे ग्रामों तक भी ज्ञान का प्रकाश पहुँच सके।

पुस्तकालयों में जाकर या वहाँ से पुस्तकें घर ले जाकर पढ़ते हुए यह बात

विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि पुस्तकों को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे। पुस्तकालय की पुस्तकों पर निगान लगाना, पेज मोड़ना आदि उचित नहीं। ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकालय की पुस्तकें किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं हैं। हमारे सामान ही मँकड़ों व्यक्ति उनसे लाभ उठाएंगे। अतः उन पुस्तकों की स्वच्छता एवं सुरक्षा का ध्यान रखना प्रत्येक पाठक का कर्तव्य है। कभी-कभी देखा जाता है कि कुछ पाठक पुस्तकालय की पुस्तकों के पृष्ठ फाड़कर रख लेते हैं। यह एक भयंकर गामाजिक अपराध है। ऐसा करके वे केवल उस पुस्तक के मूल्य (दस-गानि रुपए) की ही हानि नहीं करते, बल्कि सैकड़ों पाठकों को उस पुस्तक के अध्ययन से वंचित रखते हैं और घोर पाप के भागी बनते हैं। कोई परीक्षार्थी यही उम्मुदना से उस पुस्तक को पुस्तकालय से लेता है और उमी अंग को पढ़ना चाहता है, जो फाड़ दिया गया है। अब कल्पना कीजिए कि उसके हृदय में कितनी पीडा होगी, जब वह उस अंग को पुस्तक से गायब पाएगा। पुस्तकालय की पुस्तकों की सुरक्षा प्रत्येक पाठक का पुनीत कर्तव्य है।

पुस्तकालयों के मदस्य बनने के लिए कहीं कहीं अथवा मासिक शुल्क देने की पद्धति है, तो कहीं कुछ रुपया जमानत के रूप में जमा करना पड़ता है।

पुस्तकालय हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अतः हमें पुस्तकालय में जाने की आदत डालनी चाहिए।



जब परीक्षार्थी को अपनी भूल पता लगती है, तब तक वह वाजी हार चुका होता है।

परीक्षार्थी की कठिनाई उस समय पूर्णतः अलंघ्य हो जाती है, जब वह गैस पेपर या टेस्ट पेपर में कोई ऐसा प्रश्न देखता है, जिसे अध्यापक ने प्रमादवश या 'ऑउट ऑफ कोर्स' कहकर छुड़वा दिया था, अब उसे वही प्रश्न सर्वाधिक सम्भाव्य लगने लगता है। तब वह किकर्तव्यविमूढ हो अध्यापक को गाली देता है।

'डूबते' को तिनके का सहारा। परीक्षा के कठिन दिनों में कतिपय छात्र नकल का आश्रय लेना चाहते हैं, किन्तु नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। नकल के लिए निरीक्षक की आँखों में धूल झोकने की चतुराई चाहिए। निरीक्षक को लोभ-लालच देकर या धमकी में मुविधा प्राप्त करने की शक्ति चाहिए। फिर नकल के लिए 'किन-किन प्रश्नों के हिट लिखने हैं,' 'किन-किन प्रश्नों का पूरा उत्तर ही फाड़कर ले जाना है,' के निर्णय की योग्यता चाहिए। नकल की घबराहट में पढ़ा कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है। कंठस्थ उत्तर भी विस्मृत हो जाता है। आत्मविश्वास हिल जाता है। परीक्षा पिशाचिनी बन जाती है।

परीक्षा के इन कठिन दिनों में परीक्षार्थी अहर्निश भयग्रस्त रहता है। परीक्षा में क्या आएगा? इस बात का भय उसे सताना है। भय दूर-दशिता की जननी है। वह अपनी और अध्यापक की दूर-दशिता से सम्भावित प्रश्नों को छाँट लेता है, किन्तु वह जानता है परीक्षा मात्र संयोग है, औसान है, चांस है। प्रश्न-पत्र लाटरी है—अनिश्चित और अविश्वनीय। परीक्षक प्रश्न-पत्र के माध्यम से उसके भाग्य के साथ क्रूर परिहास कर सकता है। भय का एक कारण प्रश्नों का प्रचलित परम्परागत शैली से हटना भी है। यदि परीक्षक 'समाचार-पत्र' पर निबन्ध न पूछकर 'जन-जागरण और समाचार-पत्र', मद्य-निषेध न पूछकर 'मद्य-निषेध की अनिवार्यता', परीक्षा न पूछकर 'परीक्षा के ये कठिन दिन' पूछ बैठे, तो कुशल और योग्य परीक्षार्थी का मस्तिष्क भी भूक हो जाता है, अकल का दिवाला पिट जाता है, मूर्छा आने लगती है। यदि पढ़ा हुआ, कंठस्थ किया हुआ आ गया, तो पौ-बारह हैं।

परीक्षा का समय ढाई या तीन घंटे निश्चित होता है। इस अल्पावधि का एक-एक क्षण अमूल्य होता है। प्रश्न-पत्र समझकर हल करना परीक्षा के इन कठिन दिनों की परेशानियों की चरम सीमा है। किसी प्रश्न या प्रश्नों का उत्तर

लम्बा लिख दिया तो अन्य प्रश्न छूटने का भय है। उत्तर प्रश्नोचित न दिए तो अंकों की न्यूनता का भय है। विचारों की अभिव्यक्ति में सुन्दरता न आई, तो पिछड़ने का भय है। विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा अनुरूप न बनी, तो गड़बड़ होने की आशंका है। सबसे बड़ी कठिनाई तो तब आती है, जब रटा हुआ उत्तर लिखते-लिखते दिमाग में द्वन्द्व भव जाए। उस समय सूक्ष्म-वृक्ष का दिवाला निकल जाता है। अतः रटे हुए उत्तर के स्मरणार्थ लिखे को दोहराने लगते हैं और समय दबे-पाँव धिसकता जाता है।

परीक्षा के इन कठिन भयप्रद दिनों को साहसपूर्वक पार करने का अर्थ है 'सफलता का वरण करना।' सफलता-प्राप्ति के लिए अनिवार्य है—घर-पर एकाग्रचित्त होकर नियमित अध्ययन। प्रमादवश या शिक्षा के प्रति उपेक्षा भाव के कारण वह समय निकल न पाए, अतः परीक्षा-तैयारी के अवकाश में धैर्यपूर्वक और नियमित परिश्रम करो। बार-बार पढ़ने से, सहायक पुस्तकों तथा अध्यापकों के सहयोग से माउट एवरेस्ट की चोटी भी हरा-भरा बुद्धा-मार्क लगने लगेगा। वृन्द ने ठीक ही कहा है, 'करत-करत अभ्यास के जडमति होत भुजान।' इस प्रकार परीक्षा में बैठने के लिए आत्मविश्वास जागृत होगा।

परीक्षा के दिनों में आत्म-विश्वास को बनाए रखो। जो कुछ पढ़ा है, समझा है, कंठस्थ किया है, उस पर भरोसा करो। परीक्षा-भवन के लिए चलने से पूर्व मन को शांत रखो। कोई अध्ययन सामग्री साथ न लो, न कहीं से पढ़ने-देखने की चेष्टा करो। परीक्षा-भवन में प्रश्न-पत्र को दो बार पढ़ो। उन प्रश्नों पर चिह्न लगा लो, जिन्हें कर सकते हो। जो प्रश्न सबसे बढ़िया लिख सकते हो, उसे पहले लिखो। लिखने से पूर्व 'तथ्य' सोच लो। तथ्यों का विस्तार करते चलो। उत्तर लिखने के बाद उस उत्तर का पुनः पाठ करो। उत्तर अंकों के अनुसार छोटा या बड़ा करना न भूलो। यदि कोई प्रश्न अत्यन्त कठिन है, तो उसे अन्त में कीजिए। उस पर कुछ क्षण विचार कीजिए। विचारोपरान्त जो समझ में आता है, उसे लिख दीजिए। परीक्षा के कठिन दिनों के इन मर्मन्तिक क्षणों पर विजय पाइए।

कठिन को सरल करना या समझना मानवीय स्वभाव की दृढ़ता और विवेक पर अलम्बित है। परीक्षा के ये कठिन दिन भय और आतंकपूर्ण होते हुए भी एकाग्रचित्त अध्ययन और सतत चेष्टा से आनन्दपूर्ण दिनों में परिणत किए जा सकते हैं।

स्कूल में मेरा अन्तिम वर्ष कैसा बीता

(दिल्ली १९८२ : 'ए')

स्कूल का अन्तिम वर्ष अर्थात् प्रमाण-पत्र प्राप्ति के लिए अध्ययन का आखिरी साल। वर्ष का अर्थ १२ मास या ३६५ दिन होते हैं, किन्तु स्कूल का अन्तिम वर्ष १५ जुलाई से १५ फरवरी तक की सप्त-मासिका अवधि में सीमित होता है। सप्त-मासिका भी रक्षाबन्धन, दशहरा, दीपावली, ईद, बापू-जन्म-दिवस, बाल-दिवस, अध्यापक-दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र-दिवस, मासान्त-दिवस, सुरक्षित अवकाश, रिस्ट्रिक्टेड अवकाश, रबीवासरीय अवकाश, शरत्कालीन अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश दिवसों को कम कर दें, तो इस अन्तिम वर्ष की अवधि पचमासिका ही रह जाती है।

दसवी का पढ़ाई, पाँच विषयों के विस्तृत पाठ्य-क्रम, गद्य के बोझ के समान पुस्तकों के भार और परीक्षा रूपी भूत के अज्ञात भय से युक्त यह अन्तिम वर्ष कैसे कटा ? सच बताऊँ तो हँस पड़ेंगे—

दो लड़कपन में बीत गए,
दो अध्ययन के उन्माद में,
बचा एक मास बुढ़ापा
दिन को लगाते छोटे
रातों को जागते थे हम।

मैं पढ़ाई की दृष्टि से न फिसड्डी हूँ और न प्रथम श्रेणी का छात्र। दैनिक स्कूल-कार्य करना, पाठ कठस्थ करना, प्रश्नों को हल करना, मेरा स्वभाव है। 'लागी लगन छूटत नहीं, जीभ चोच जरि जाए'—मेरा यह स्वभाव इस अन्तिम वर्ष में भी यथावत् बना रहा।

किन्तु स्कूल-व्यवस्था ने मेरे इस क्रम में विघ्न डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। १५ अगस्त की तैयारी में लालकिले की दौड़, २६ जनवरी की तैयारी में नेशनल स्टेडियम की परेड, स्कूल वार्षिकोत्सव में पय-संचलन-पूर्वाभ्यास,

मेरी पढ़ाई को ऐसे बरबाद करते थे, मानों राक्षसगण ऋषियों के यज्ञ को विध्वंस कर रहे हो। मेरे लाख अनुनय-विनय, मिन्नत-समाजत पर भी मेरे अध्यापकों ने मुझ पर रहम नहीं किया।

न खाएँ रहम? प्लाट्स का कथन है, 'सकट के समय घीरख धारण करना ही मानो आधी लड़ाई जीत लेना है।' धैर्य और पारश्रम का संयोग सफलता को चेरी बना देता है। ब्रह्म-मुहूर्त में उठकर कंठस्थ करना शुरू कर दिया और होम-टास्क के लिए सायकालीन खेलों-में विदाई ले ली। दिन का विश्राम कम नहीं किया, मन की शान्ति को भंग नहीं होने दिया।

प्रथम-सत्र बीता अक्टूबर में पढ़ाई का यौवन आया। हल्की-हल्की मुहावनी ठंड में पढ़ने का आनन्द द्विगुणित हुआ। अध्यापकों का उत्साह ठंडा पड़ता चला गया। विद्यार्थी का हृदय पढ़ने को उत्सुक और अध्यापक अध्यापन से उदासीन। एक-एक पाठ को चीटी की चाल से पढ़ाते तो पाठ की प्रश्नावली को तूफान मेल की चाल से करवाते। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। दिसम्बर आ गया, किन्तु पाठ्य-क्रम समाप्त ही नहीं हुआ। जो पढ़ाया, घास काट डाली। कई अध्यापक तो कहते, 'इस सवाल का जवाब कुजी में पढ़ लेना', 'इस प्रयोग की विधि गाइड में देख लेना।'

मैं हताश और निराश। जो पढ़ाया, वह समझ में आया नहीं, जहाँ समझने की चेष्टा की, वहाँ अपवाद स्वरूप दो-चार बार को छोड़कर मिली झिड़कियाँ। स्कूल विद्या का मन्दिर लगने की बजाएँ, विद्या की मदिरा लगने लगा। कहावत सही सिद्ध हुई, 'जहाँ शैतान, स्वयं नहीं पहुँच सकता, वहाँ मदिरा को भेज देता है।'

परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र भरने से पूर्व टेस्ट हुए। आधी क्लास फेल। अंग्रेजी में मैं भी लुडक गया था। प्रिंसिपल साहब ने आकर चेतावनी दे दी, 'जो बच्चे टेस्ट में फेल हो गए हैं, उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा।' मुझे दिन में तारे नजर आने लगे। एक वर्ष की बरबादी। मन सहम उठा, आँखों से अश्रु प्रकट हो गए। साथियों ने प्रिंसिपल साहब को मेरे रोने की बात बता दी। प्रिंसिपल साहब गजेटेड ऑफिसर के रौब में थे। बोले, 'फेल होने पर रोओगे नहीं, तो हँसोगे? सारे साल आचारामर्दी और अब रोना। तुम्हारी तो किस्मत में रोना ही लिखा है।'

१८० / स्कूल में मेरा अन्तिम वर्ष कैसा बीता

दो-चार दिन बाद अंग्रेजी और हिंसा के अध्यापकों ने आश्वासन दिया कि फॉर्म सबके भरे जाएंगे। एक्सट्रा क्लास लगाकर तुम्हारी कमजोरी पूरी की जाएगी। एक जनवरी से १५ फरवरी तक तुम्हें टोक-पाट कर वैद्यराज बनाया जाएगा। मैं खुश हुआ। एक वर्ष की बरबादी रही। ऊपर से गुरुजनों द्वारा वैद्यराज बनाने का आश्वासन।

दो-चार दिन बीते। कक्षा में घोषणा हुई कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंसा के एक्सट्रा क्लास अटेण्ड करना चाहते हैं, वे दो सौ रुपये शीघ्र जमा करवा दें। अध्यापकों की दया, कृपा, करुणा, सहानुभूति का प्रसाद आर्थिक दण्ड। विवशता अभिशाप है; असहाय, दुबल, निर्बल का उपहास है। मरता क्या न करता। अतिरिक्त कक्षाओं का लाभ उठाया। यहाँ अध्यापक-गण जरा प्रेम से पढाते-समझाते थे। कठिनाई का स्नेहपूर्वक निवारण करते थे।

१५ फरवरी आई। अध्ययन-अवकाश मिला। स्कूल से विदाई ली। विदाई-समारोह हुआ। अध्यापकों ने चरित्र, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और न जाने क्या-क्या उपदेश दिए। आश्वासन दिया कि कोई बच्चा जब चाहे स्कूल आकर अपने अध्यापक से समझ में न आने वाला पाठ समझ सकता है। मुझे आश्वासन में प्रवचना लक्षित हुई।

स्कूल का अन्तिम वर्ष बीत गया। वह पाठ्य-क्रम अधूरा छोड़कर चला गया। पाठ्यक्रमों का रिवीजन करवाए बिना निकल गया, कापी-वर्क करने की छूट की बीमारी से बचकर भाग गया।

नारी-शिक्षा का महत्त्व

(ऑल इण्डिया १९८२ : 'बी')

माननीय साधनों के पूर्ण विकास, परिवार तथा समाज के सुधार, बच्चों के चरित्र-निर्माण एवं देश के उत्थान के लिए नारी-शिक्षा का महत्त्व शायद ही, अनिहाय है, अनिवाय है। दूसरे, एक पुरुष की शिक्षा का अर्थ एक व्यक्ति की शिक्षा है, जब कि एक नारी की शिक्षा का अर्थ सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है। अतः पारिवारिक सुख-शान्ति के लिए नारी की शिक्षा महत्त्वपूर्ण है।

नारी स्नेह और सौम्य की देवी है। वह नर-पशु को मनुष्य बनाती है। मधुर वाणी से जीवन को अमृतमय बनाती है। उसके नेत्र में आनन्द का दर्शन होता है। वह सन्त हृदय के लिए शीतल छाया है। उसके हास्य में निराशा हरने की अपूर्व शक्ति है।

नारी-जीवन दो रूपों में विभक्त है—पत्नी और माता। शिक्षित पत्नी परिवार के लिए वरदान है। सुख शान्ति और श्री की वरद्वित्री है। कलह की विरोधिनी है। समन्वय, सामंजस्य और मनमौजी की माझान् प्रतिमा है। शास्त्रों में श्रेष्ठ पत्नी के छः लक्षण बताए गए हैं—

कार्येषु मन्त्री, करणेषु दासी, भोग्येषु माता, रमणेषु रम्भा।

धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, भार्या च पाद्गुणवतीह दुर्लभा ॥

'कार्येषु मन्त्री' अर्थात् काम काज में मंत्री के समान सलाह देने वाली। मंत्री रूप में मलाइ बड़ी दे सकती है, जिसमें विवेक हो, बुद्धि का विकास हो। बुद्धि विकसित होनी है शिक्षा-जन से। अगोक्षित नारी जीवन जगत् या व्यवसाय की समस्याओं में क्या सलाह देगी? वह तो विपत्ति आने पर और भी संकट को निमंत्रण देगी।

'करणेषु दासी' अर्थात् सेवादि में दासी के समान कार्य करने वाली। 'सेवा' करने के लिए सेवा के महत्त्व का ज्ञान तथा उसकी सीमा और विधि की जान कारी चाहिए। इसके अनन्तर चाहिए सेवा में निष्ठापूर्वक मंगल होने की आकांक्षा।

शिक्षा के अभाव में नारी में सेवा का अर्थ जानने की क्षमता कहाँ से आएगी ?

‘भोज्येषु भाता’ अर्थात् माता के समान स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन कराने वाली । शिक्षित नारी ही पति के स्वास्थ्यानुकूल भोजन की महत्ता को समझ सकती है । प्रसाद के नाम पर मधुमेह के रोगी पति से लड्डू खाने का आग्रह नहीं करेगी, रक्तचाप के रोगी पति को नमकीन खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए विवश नहीं करेगी । समय पर, रुचि और मौसम के अनुकूल गरम-गरम भोजन देगी ।

‘रमणेषु रम्भा’ का अर्थ है शयन के समय अप्सरा के समान सुख देने वाला । रमण-क्रीड़ा शिक्षा का अंग है । अपढ, अशिक्षित, अज्ञानी नारी शिक्षा के अभाव में सुख न पहुँचाकर दुःख, क्लेश, दर्द का कारण बन जाती है ।

धर्म के अनुकूल काम करने वाली अर्थात् ‘धर्मानुकूला’ । धर्म और अधर्म को समझने के लिए ज्ञान चाहिए । ज्ञान का आधार है शिक्षा । अतः पत्नी रूप में नारी-शिक्षा का अत्यन्त महत्त्व है । पत्नी-धर्म के पालन से रत्ना के तुलसी मानस के तुलसी बने और विद्योत्तमा के कालिदास संस्कृत वाङ्मय की विभूति बने ।

‘क्षमया धरित्री’ अर्थात् क्षमादि गुण धारण करने में पृथ्वी के समान स्थिर रहने वाली । कारण, गलती करना मानव का स्वाभाविक धर्म है । उस गलती पर क्रोध प्रकट करना कलह उत्पन्न करता है । कलह परिवार का नाशक है । ‘क्षमा’ आती है ‘बुद्धि’ से । बुद्धि की जननी है शिक्षा ।

इस प्रकार पत्नी रूप में नारी-शिक्षा का महत्त्व आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, ताकि वह सुन्दर, श्रेष्ठ, विकासशील परिवार की संरचना में योग दे सके ।

नारी-जीवन का दूसरा रूप है—माता का । मातृ-रूप में नारी का दायित्व गुरुतर है, महान् है । कारण, माता का हृदय बच्चे की पाठशाला है । मनुष्य वही बनता है, जो उसकी माता उसे बनाना चाहती है । अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा ली थी । शिवाजी को ‘शिवा’ बनाने में माता जीजाबाई का हाथ था । यदि माता शिक्षित न होगी, तो देश की सतानों का कल्याण नहीं हो सकता । कोई भी राष्ट्र अपने नौनिहालों को सुशिक्षित माँ की शिक्षा से वंचित रखकर उन्नति के स्वप्न नहीं देख सकता ।

‘शिशु-शुभ्र्या’ मातृत्व की दीर्घ तपस्या है । तप कार्य के प्रति समर्पित ध्यानस्थ समाधि है । शिशु के तन-मन को स्वरथ रखकर विकास-पथ पर

अप्रसर करना माँ की तपस्या है। तप का ज्ञान प्रकाश का प्रदाता है। शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास के ज्ञान की शिक्षा के अभाव में मातृत्व का तप निष्फल है, दिग्भ्रम है। स्वस्थ, सुन्दर और जानवान शिशु शिक्षित नारी ही प्रदान कर सकती है।

नारी स्वभावतः दुर्बल है, परम्पराओं से प्रस्त है, जादू, टोना-टोटके की विश्वासिनी है, भूत-प्रेत की उपासिका है। प्रगतिशील पग उठाने में असमर्थ है। कुरीति और कुसंस्कारों की लक्ष्मण-रेखा पार करते हुए हिचकती है, शिक्षकती है। इसलिए नारी का जीवन अंधकार की कारा है। पुत्री रूप में माता-पिता के लिए बोझ समझी जाती है। पत्नी रूप में दासी से अधिक उसका कोई मूल्य नहीं। पुत्र बड़े होने पर वृद्धा माता को अपने सिर पर बोझ समझते हैं। नारी शिक्षित होगी, तो उसमें आत्मविश्वास जागृत होगा। वह परम्पराओं, कुरीतियों और कुसंस्कारों की लक्ष्मण-रेखा पार करेगी। जादू, टोना, टोटके की बजाए वैज्ञानिक सत्य को ग्रहण करेगी।

शिक्षा नारी में जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करेगी। उसे श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देगी। अपने बच्चों, परिवार, कुल, समाज तथा राष्ट्र में संस्कार और सुवृत्ति जागृत करेगी। श्रेष्ठतर चरित्र का निर्माण करेगी। शिक्षिता नारी नौकरी कर गृहस्थी की आय बढ़ाएगी, अध्यापिका बनकर राष्ट्र को शिक्षित करेगी, नर्स बनकर अर्हत और पीड़ितों की वेदना हरेगी, लिपिक बनकर कार्यालय-कार्य-संचालन में सहयोग देगी, विधिवेत्ता बनकर समाज को न्याय प्रदान करेगी, नेता बनकर देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करेगी।

सहशिक्षा

(दिल्ली १९८४ : 'ए')

विद्यालय के एक ही कक्ष में बालक-बालिकाओं, युवक-युवतियों का साथ-साथ शिक्षा ग्रहण करना 'सहशिक्षा' है। पाठ्य-क्रम, अध्यापक तथा कक्ष की त्रिवेणी में छात्र-छात्राओं का शिक्षार्थ-संगमन 'सहशिक्षा' है।

प्राचीन काल में नारी विदुषी थी—प्रमाण तो मिलते हैं, पर उनका अध्ययन सहशिक्षा के रूप में हुआ हो, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। उपनिषदों में गार्गी का वर्णन आता है, जिसने विद्वत्ता में महर्षि याज्ञवल्क्य को पराजित कर दिया था। मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने आद्य शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। कण्व के आश्रम में शकुन्तला और उसकी सहेलियाँ थीं तो ऋषिकुमार भी अध्ययन करते थे, किन्तु ये सहशिक्षा रूप में विद्या ग्रहण करते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता।

हाँ, बौद्धकाल में भिक्षु-भिक्षुणियाँ धार्मिक उपदेश साथ-साथ ग्रहण करते थे, जो भारत में सहशिक्षा का सर्वप्रथम उदाहरण है। इसके पश्चात् अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक इसके प्रमाण नहीं मिलते। सह-शिक्षा भारत में हेय दृष्टि से देखी गई तथा जीवन के लिए घातक समझी गई।

आर्य समाज के प्रचार ने स्त्री-शिक्षा पर बल दिया, तो अंग्रेजी-प्रचार ने सह-शिक्षा को प्रथम दिया। ज्यों-ज्यों भारत में पाश्चात्य संस्कारों का विकास होता गया, सह-शिक्षा अग्रसर होती गई। परिणामतः आज का सभ्य-नागरिक प्राचीन रुढ़िगत विचारों से ग्रस्त होते हुए भी अपने बच्चों को सहशिक्षा दिलाने में कोई आपत्ति नहीं करता, उसे जीवन के विकास में बाधक नहीं मानता।

सहशिक्षा से लड़कियों में नारी-स्वभाव सुलभ लज्जा, झिझक, पर-गुरूप से भय, कोमलता, अवलापन, हीनभावना किसी सीमा तक दूर हो जाती हैं। दूसरी ओर, युवक नारीत्व के गुणों को अपना लेता है। उसकी निर्लज्जता, अञ्छड़पन, अनर्गलता पर अंकुश लग जाता है। मृदु भाषिता, संयमित संभाषण, शिष्ट आच-

रण तथा नारी स्वभाव की समझ के गुण विकसित होते हैं। युवक-युवतियों में विकसित ये गुण भावी जीवन में सफलता के कारण बनेंगे।

सहशिक्षा सौन्दर्य को बढ़ाने में सहायक है। इसमें अपने आपको सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने की भावना स्थायी रूप में प्रवेश करती है। सुन्दर, शिष्ट तथा स्वच्छ वस्त्र पहनकर, उचित ढंग से केश-विन्यास करके, जूतों पर पालिश करके कक्षा में आना युवक-युवतियों का स्वभाव बन जाना है, जो भावी जीवन के लिए श्रेष्ठ गुण है।

सहशिक्षा से शिक्षा-व्यवस्था में रुचि की बहुत वृद्धि होती है। अलग-अलग कक्षा, अध्यापक तथा प्रबन्ध-व्यवस्था में जो दुगुना खर्च होता है, वह नहीं होना। दूसरे, इतिहास, भूगोल, गणित कॉमर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी, कास्ट एकाउन्टेन्सी, बिजनेस मैनेजमेन्ट, एल-एल. बी आदि कक्षाओं में युवतियों की मध्याह्निकों पर गिनने योग्य होती है। उनके लिए अलग व्यवस्था करना शिक्षा को इतना महंगा बनाना है कि व्यवस्थापक पृथक् व्यवस्था कर ही नहीं पायेंगे। दूसरे, इन विषयों की अध्यापिकाएँ भारत में ही नगण्य संख्या में हैं।

प्राइमरी-शिक्षा में अध्यापिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। परिवार से निकलकर विद्यालय के नए वातावरण में प्रवेश करने वाले शिशु के लिए अध्यापिका माता और शिक्षक का कर्तव्य निभाती है। यदि शिशु का विभाजन लड़का-लड़की में करके पृथक्-पृथक् शिक्षा का आयोजन किया गया, तो पुरुष के अध्यापन में न वह सहृदयता होगी, न उसमें बालक की प्रवृत्ति-परिवर्तन के लिए सिद्धता होगी।

सहशिक्षा प्रतिस्पर्धा-मन्थनी है। युवक युवतियों में तथा युवतियाँ युवकों से आगे बढ़ने की चेष्टा करती हैं। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उनके अध्ययन, चिंतन, मनन को बलवती बनाती है।

गुणमयी सृष्टि में अवगुणों की कमी नहीं। फूल के साथ काँटे भी होते हैं। कल्याणकारी शिवत्व में सहार की नैसर्गिक शक्ति भी है। सहशिक्षा में गुण हैं, तो वह दुर्गुणों की जननी भी है।

आज के विपाक्त वातावरण में सहशिक्षा का सहपाठी भाई-बहिन की भावना से कम, प्रेमी-प्रेमिका की भावना से अधिक प्रस्तुत होता है। सहपाठी का लावण्य उसे आकर्षित करता है। आकर्षण स्पर्श के लिए प्रेरित करता है। स्पर्श आलिंगन

चुम्बन में अग्रसर होता है और अन्ततः वासना का शिकार होता है। प्रेम और वामना की क्षुधा कभी शांत नहीं हुई। उलटा यह टॉनिक भूखबद्धक है। ऐसी स्थिति में योगी ही अध्ययन कर पाते हैं, वरना तो 'मैं तुझसे मिलने आई, कॉलिज जाने के बहाने' की स्थिति रहती है। न अध्ययन, न जीवन-विकास, उलटा चरित्र पतन, विनाश की ओर अग्रसर।

सहशिक्षा में अध्ययन में चित्त अशांत रहता है। युवतियाँ युवकों से दबी-दबी रहती हैं। घुटन के वातावरण में जीती है। अध्ययनशील और शर्मालु युवक युवतियों की छाया से भी कतराते हैं। ऐसी स्थिति में मन की एकाग्रचित्तता कहाँ? पढाई की मनःस्थिति कहाँ? प्राध्यापक भाषण की ग्राह्यता कहाँ?

प्रकृति ने नर और नारी की रचना में भिन्नता रखी है। जीवन में उनको भिन्न-भिन्न दायित्व सौंपे हैं। जीवन में उनकी प्रकृति, प्रवृत्ति, परिस्थितियाँ भी पृथक्-पृथक् प्रदान की है। ऐसी स्थिति में उनकी शिक्षा, पाठ्य-क्रम तथा पाठ्य-विषय में अन्तर होना चाहिए। सहशिक्षा में यह अन्तर है ही नहीं। एक ही पाठ्य-क्रम दोनों के लिए अनिवार्य है। इससे दोनों का विकास प्रकृति-विरुद्ध होता है। प्रकृति-विरुद्ध विकास जीवन और जगत् के मान्य सिद्धांतों की अवहेलना है।

पाठ्य-क्रम तथा पाठ्य-पुस्तकों में कभी-कभी कुछ प्रमंग अश्लील आ जाते हैं जो नैतिकता के मापदंडों के विपरीत होते हैं। सहशिक्षा में उन प्रसंगों को स्पष्ट कर पाना बहुत कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रायः शिक्षक 'ओवरलुक' कर जाता है या अस्पष्ट रहने देता है। इस प्रकार सहशिक्षा ज्ञानवर्धन में भी बाधक है।

रही बात भारतीय समाज की रूढ़िग्रस्तता की। आज का भारतीय, चाहे वह किमी भी आर्थिक स्तर पर जीवन-यापन कर रहा हो, पाश्चात्य संस्कृति को लपकने के लिए लालायित है। भारतीय संस्कृति में उसी पिछड़ेपन की बू जाने लगी है। पाश्चात्य-संस्कृति जहाँ जीवन में चमक-दमक लाएगी, वहाँ विलास और वामना के मानदण्ड स्वतः बदल जाएँगे। तब सहशिक्षा किसी भी स्तर पर भारतीयता के विरुद्ध नहीं मानी जाएगी।

मानसिक कार्य करने-करने थक गए हैं, थोड़ा खेल-कूद लीजिए। फिर देखिए, आपकी घबराहट, सुस्ती दूर होती है या नहीं। खेल-कूद से पसीना आता है, जिनसे शरीर के रोग-दोष दूर होने हैं; रक्त का संचार ठीक होता है। पाचन शक्ति बढ़ती है; शरीर बनवान, फुर्तीया और सुन्दर बनता है; अंग-अंग हृष्ट-पुष्ट होते हैं।

खेल दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो घर बैठकर खेले जाते हैं। जैसे—शतरंज, साण, चौपड, कैरमबोर्ड आदि। इनमें व्यायाम कम, किन्तु मनोरंजन अधिक होता है, जिनमें मानसिक शकावट दूर होकर नववृत्ति आती है। दूसरे प्रकार के खेल मैदान में ही खेले जा सकते हैं। जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबाल, बॉली-बॉल, बॉस्केट-बॉल कबड्डी, वंडमिन्टन आदि। इन खेलों से मनोरंजन के साथ-साथ व्यायाम भी होता है, जिससे जैविक और मानसिक, दोनों शक्तियों का विकास होता है।

खेल में भाग लेने में व्यक्ति जीवन के संघर्ष और उनमें सफलता की शिक्षा भी प्राप्त करता है। खेल खेलते समय वह बौद्धिक युक्तियों और शारीरिक बल के द्वारा अपनी टीम की सफलता का मार्ग ढूँढ़ता है। संघर्ष करना उसका स्वभाव बन जाता है और विजय-प्राप्ति मनुज सम्भाव्य हो जाती है। फिर जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न आएं, वह हंसते-हंसते उन पर विजय प्राप्त करता है। नेपोलियन को हराने वाले अंग्रेज सेनाधिकारी नेल्सन ने कहा था— 'The war of Waterloo was won in the fields of Eton' (मैंने वाटरलू के युद्ध में जो सफलता पाई है, उसका पशिक्षण खेल के मैदान में लिया था।) यह है खेलों के महत्त्व का श्रेष्ठ उदाहरण।

खेल-कूद से अपने दिल के अनुशासन में रहकर साथियों के साथ पूर्ण सहयोग करते हुए खेलने की भावना का उदय होता है। अतः सहयोग और अनुशासन के बिना खेल चल नहीं सकता। हॉकी में हाफबैक खेलने वाला खिलाड़ी अनुशासन तोड़कर, साथियों से सहयोग न करते हुए क्या कभी फारवर्ड खेलने का प्रयास करेगा? कदापि नहीं। अतः खेलकूद से अनुशासन में रहने और सहयोग से कार्य करने की भावना जागृत होती है।

खेल-कूद से मनुष्य में पूरी तन्मयता से कार्य करने की लगन जागृत होती है। यह जब कोई भी खेल खेलता है, तो विजय पाने के लिए अपने अन्दर की

समस्त शक्तियों को केन्द्रीभूत कर लेता है। इसे 'Sportsman spirit' भी कहते हैं। इससे जीवन के हर कार्य में खिलाड़ी-प्रवृत्ति से कार्य करने का स्वभाव बनता है।

खेलने में चोट लगने पर खिलाड़ी प्रतिशोध लेने की बजाय उसके कष्ट को सहन करता है। इससे मानव में सहनशीलता की भावना बढ़ती है।

वर्तमान काल में क्रिकेट, हॉकी, टेनिस आदि विभिन्न खेलों के अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्देशीय मैचों का आयोजन किया जाता है। ये मैच इस तथ्य के साक्षी हैं कि सम्पूर्ण विश्व खेलों के महत्त्व को स्वीकार करता है। मैचों से विजय प्राप्त करने वाले तथा श्रेष्ठ खिलाड़ियों को हुजानो १८९ के पुरस्कार तथा भाँति-भाँति के उपहार दिए जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में सफलता को राष्ट्र की प्रगति का चिह्न स्वीकार किया जाता है। इन व्यापक खेल-कूद प्रतियोगिताओं से एक बहूत बढ़ा साध यह हो रहा है कि संसार में तनाव कम होता जा रहा है और परस्पर विरोधी विचारधारा के देश भी एक-दूसरे के समीप आते जा रहे हैं। इस प्रकार खेल-कूद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एकता और प्रेम-भावना का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

खेलों से मानव में उत्साह, साहस, धैर्य, स्फूर्ति, अनुशासन की भावना एवं जीवन-संपर्प में हँसते-हँसते जूझने की शक्ति की वृद्धि होती है। अतः जीवन को सुखी, हृष्ट-पुष्ट और शक्तिशाली बनाने के लिए खेल अनिवार्य है।

स्वास्थ्य-रक्षा

(दिल्ली १९८४ : बी, ऑल इण्डिया १९८२ : ए)

जीवन की सायंकता स्वस्थ रहने में है। स्वस्थ रहना स्वास्थ्य-रक्षा पर निर्भर है। स्वास्थ्य-रक्षा का आधार महर्षि चरक ने 'त्रय उपस्तम्भा आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति' बताया है, अर्थात् स्वास्थ्य रूपी घर को स्थिर रखने के लिए उसके तीनों पाएँ—आहार, स्वप्न (निद्रा) तथा ब्रह्मचर्य ठीक-ठीक रखने चाहिए। वेन्डेल फिलिप्स का कथन है कि 'स्वास्थ्य-रक्षा की पृष्ठभूमि है परिश्रम। इसके लिए परिश्रम के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं।'

ईशोपनिषद् कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीने की इच्छा प्रकट करता है—'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवितेपुः शत समा।' दूसरी ओर महर्षि चरक ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल आधार स्वास्थ्य-रक्षा अर्थात् नीरोग शरार बताया है—'धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम्।'

महाकवि कालिदास की एक सूक्ति है—'शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्।' अर्थात् शरीर-रक्षा ही धर्म का पहला साधन है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं, तो मन स्वस्थ नहीं रह सकता। मन स्वस्थ नहीं, तो विचार स्वस्थ नहीं होते। विचारों की अस्वस्थता में धर्म की कल्पना कहाँ? साधना कहाँ? स्वास्थ्य के अभाव में साप्ताहिक सुखों का भोग कहाँ? पड़-रस व्यंजनों का मजा कहाँ? शरीर-रक्षा एव सजावट के साधन वस्त्राभूषणों की चाह कहाँ? रोगी व्यक्तित्व हाथ मलमल कर पछताता है। अतः किसी ने ठीक ही कहा है—'पहला सुख निरोगी काया' अर्थात् सबसे बड़ा सुख स्वस्थ शरीर है। उर्दू में एक सूक्ति है—'तन्दुरुस्ती हजार न्यामत' अर्थात् स्वास्थ्य हजारों अन्ध अक्षे भोगों से बढ़कर है। अंग्रेजी में भी कहावत है—'Health is Wealth' (स्वास्थ्य ही धन है)।

स्वास्थ्यहीन व्यक्ति अविवेकी, विचारशून्य, आलसा, अकर्मण्य, हठी, क्रोधी झगड़ालू अर्थात् दुर्गुणों का भण्डार होता है। इसके विपरीत शरीर को स्वस्थता से मुख-मंडल दमकता है; शरीर का गठन और अंगों की चाखता चमकती है,

चाल में चुस्ती और चंचलता प्रकट होती है।

शरीर में आत्मा निवास करती है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। एक प्रकार से शरीर परमात्मा का पुण्य मंदिर है, जिसे स्वच्छ और शुद्ध रखना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म-पालन के माधन है—व्यायाम, सतुलित एवं नियमित भोजन, शुद्ध जलवायु का सेवन, समय-नियमपूर्ण जीवन तथा ब्रह्मचर्य पालन।

व्यायाम स्वास्थ्य-रक्षा का मूल मंत्र है। विद्वानों का कथन भी है—'व्यायामात्पुष्टगात्राणि।' व्यायाम से पाचन शक्ति ठीक होती है, शरीर में गन्त-संचार होता है, पुट्टे मजबूत होते हैं, सीना चौड़ा होता है, भुजाओं में बल आता है और इन्द्रियाँ शक्तिसम्पन्न होती हैं। इससे मन में साहस उत्पन्न, आत्म-विश्वास, निर्भीकता और स्वावलम्बन के भाव जाग्रत होते हैं। चेतन की शक्ति, शरीर की शिथिलता, मन की उदासी, हृदय की निराशा तथा मस्तिष्क की निष्क्रियता दूर होती है। इस प्रकार व्यायाम से शरीर शुद्ध बनता है, हृदय विकसित होती है और मन पर संयम रहता है।

स्वास्थ्य-रक्षा के लिए व्यायाम नित्य और नियमित रूप से करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए, जिससे थकावट न जान पड़े। भीरु के पशुओं का व्यवहार नहीं करना चाहिए और न व्यायाम के तुरन्त पश्चात् भीरु का व्यवहार। ब्रह्ममुहूर्त या प्रातः शुद्ध और खुली हवा में व्यायाम करना श्रेष्ठ है। व्यायाम के पश्चात् रगड़-रगड़ कर स्नान अनिवार्य है।

स्वास्थ्य-रक्षा का दूसरा मूलमंत्र है—शुद्ध भोजन। भोजन नियत समय पर और भूय लगने पर करना चाहिए। मांस, मूत्र और पौष्टिक भोजन अधिक लाभप्रद है। घी, तेल, दूध, मक्खन के प्रयोग से भीरु में पौष्टिकता आती है। सड़े-गले दही, अल्प मात्रा में दही का प्रयोग। मांस-सर्व से दूर रहना चाहिए। अपना शारीरिक प्रकृति के शरीर के शक्ति-संयम नहीं करना चाहिए। जैसे—गर्म भीरु के पशु को ठंडा पानी, मांस पकाने के जल पीना, दही के साथे मूत्र और दूध के साथे मक्खन प्रयोग है। शरीर को ठंडे से परहेज करना चाहिए, ये स्वास्थ्य-मंत्र हैं।

पानी स्वच्छ पीना चाहिए। शरीर को ठंडे से बचना चाहिए। उसे उबालकर तथा फिल्टरिंग द्वारा शुद्ध कर लेना चाहिए। शरीर में जल की विशेषता प्रकट करने के लिए शरीर को ठंडे से परहेज करना चाहिए।

पच जाने पर जल बल देता है। भोजन के समय जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में विष का फल देता है।'

स्वास्थ्य-रक्षा का तीसरा मूलतंत्र है— निद्रा। गहरी और शांत निद्रा स्वास्थ्य की सहचरी है। जो सदाचारी है, निस्पृह है और सतोष से तृप्त है, उसको समय पर निद्रा आए बिना नहीं रहती। नोद से शरीर की थकावट दूर होती है, मस्तिष्क स्वस्थ होता है, चेतना आती है। इमीलिए आचार्य रजनीश ने नोद को परमात्मा का अद्भुत आशीर्वाद माना है और महाकवि प्रसाद निद्रा को अत्यन्त प्यारी वस्तु मानते हुए लिखते हैं, 'घोर दुःख के समय भी मनुष्य को यही सुख देती है।' रहस्य की बात यह भी है कि स्वास्थ्य ठीक हो, तो मनुष्य को काँटों पर भी नोद आ जाती है, वर्ना फूलों की पंखुडियों पर रात करवटें बदलते गुजरती है।

स्वास्थ्य-रक्षा का चौथा मूल मंत्र है— ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है— मन, बचन और काया से समस्त इन्द्रियों का सयम। इन्द्रियों का संयम स्वास्थ्य-रक्षा की कुजी है। ब्रह्मचर्य की महिमा का गान करते हुए अथर्ववेद में कहा गया है— 'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नन्त।' अर्थात् ब्रह्मचर्य रूपी तपोबल से ही विद्वान् लोगो ने मृत्यु को जीता है।

स्वास्थ्य-रक्षा का पाँचवाँ नियम है— स्वच्छता। स्वच्छता स्वास्थ्य-रक्षा की कुजी है। शुद्ध और स्वच्छ वायु का संवन आयु-वृद्धि की औषधि है। शारीरिक स्वच्छता, वस्त्रादि परिधानों की स्वच्छता, घरेलू उपकरणों की स्वच्छता, वातावरण की श्रेष्ठता स्वच्छता के अंग हैं।

दैनिक जीवन में स्वास्थ्य-रक्षा के मूल-मंत्रों को अपनाकर हम मायावी संसार का उपभोग कर सकते हैं, जीवन में आनन्द की गंगा बहा सकते हैं; 'जीवम शरदः शतम्' की कल्पना को साकार कर सकते हैं।

व्यायाम

कालिदास की एक सूक्ति है—'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' अर्थात् मभी धर्म-शरीर ही सबसे पहला साधन है। वस्तुतः जीवन में स्वास्थ्य ही सब कर्मों के लिए कुछ है। अस्वस्थ व्यक्ति सांसारिक सुखों का भोग नहीं कर सकता। चाहे घर में पद्ममयुक्त व्यंजन बने हों अथवा वस्त्राभूषण पहनने का प्रयत्न हो और चाहे उत्सवों और सम्मेलनों में भाग लेना हो, अस्वस्थ व्यक्ति के लिए सब चीजें व्यर्थ हैं। उसे इन सबको देख कर ईर्ष्या होती है। वह जीवन भर इनके लिए हाथ मल-मलकर पछताना है। इसलिए किसी ने ठीक कहा है 'पहला सुख निरोगी काया' अर्थात् सबसे बड़ा सुख स्वस्थ शरीर है।

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की नितान्त आवश्यकता है। जो लोग कसरत नहीं करते, वे आलसी और निरुद्यमी बन जाते हैं। व्यायाम करने से हाथ-पैर और शरीर के पुट्टे बलिष्ठ रहते हैं, चुस्ती और चालाकी आता है, पाचन-शक्ति ठीक रहती है, समय पर भूख लगती है, चित्त प्रसन्न रहता है और काम करने की इच्छा होती है। शरीर में रुधिर अधिक बनता है और काया मुडीन हो जाती है। वादी से फूला हुआ शरीर एक मास के नियमित व्यायाम में मुन्दर बन जाता है। जिस आदमी को व्यायाम का शौक है, वह कभी रोग का शिकार नहीं हो सकता। उसका शरीर वज्र के समान हो जाता है। उसके हृदय में उत्साह, आत्मविश्वास तथा निश्चिन्ता रहती है।

व्यायाम वह जड़ है जो जीवन-रूपी वृक्ष को हरा-भरा रखने के लिए रस प्रदान करती है। जिस वृक्ष की जड़ मिट्टी में जितनी ही गहरी होगी, वह उतना ही दृढ़, दीर्घजीवी और हरा-भरा होगा। इसी प्रकार जो मनुष्य नियमित रूप से व्यायाम करने वाला होगा, उसका जीवन, उतना ही सुखी और उल्लासपूर्ण होगा। व्यायाम से केवल शरीर ही पुष्ट नहीं होता, बल्कि मन और मस्तिष्क भी मजबूत होते हैं।

व्यायाम करने के अनेक ढंग हैं। दण्ड और बैठक लगाना, कुस्ती लड़ना, दौड़ लगाना, घोड़े की सवारी करना, पानी में तैरना, मुद्गर घुमाना, गेंद खेलना, कबड्डी खेलना आदि व्यायाम भारत में प्राचीनकाल से प्रचलित है। आमन और प्राणायाम भी शरीर के लिए श्रेष्ठ व्यायाम हैं। प्रातः एव सायं भ्रमण से भी शरीर का व्यायाम होता है। अवस्था के अनुरूप व्यायाम करना चाहिए। सभी व्यायाम सभी लोगों के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। बच्चों के लिए दौड़-भाग वाले खेलकूद उपयोगी हैं, तो नवयुवक कुश्ती, घुड़सवारी, मुद्गर घुमाना आदि के द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर सकते हैं। वृद्ध लोगों तथा दिमागी कार्य अधिक करने वालों के लिए प्रातः तथा सायं भ्रमण करना लाभदायक होता है।

अंग्रेजी खेलों में अच्छे और प्रसिद्ध खेल हैं—क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पोलो और टेनिस। ये भी व्यायाम के सुन्दर साधन हैं।

स्त्रियों का शरीर नाचने, रस्ती कूदने, चक्की चलाने या सरल आसन करने से स्वस्थ रहता है।

अंग्रेजी में कहावत है कि 'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है।' स्वस्थ शरीर व्यायाम पर निर्भर करता है। अतः व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए।

भारत में कुछ लोग आजीविका के लिए प्रातः से लेकर सायं तक बड़ी सख्त मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य स्वयमेव ठीक रहता है, किन्तु दफतरो में कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबुओं और सारा दिन तकिए के सहारे बैठने वाले व्यापारियों का स्वास्थ्य प्रायः बिगड़ जाता है। ऐसे लोगों के लिए व्यायाम की नितान्त आवश्यकता है।

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति-अनुसार व्यायाम करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक व्यायाम करना भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। व्यायाम कभी भरे पेट नहीं करना चाहिए। व्यायाम खुले मैदान और स्वच्छ वायु में करना चाहिए। व्यायाम करते समय मुँह बन्द रखना चाहिए और नाक से लम्बे साँस लेने चाहिएँ। शरीर पर तेल लगाकर भातिश करके स्नान करने से स्फूर्ति आती है। सादा और सात्विक भोजन तथा पवित्र विचार स्वास्थ्य-वृद्धि की कुर्जी हैं।

व्यायाम करने की प्रवृत्ति बाल्यकाल से ही डालनी चाहिए। बहुत से लोगों

का विचार है कि बचपन में व्यायाम करने वाले बालक बीमार हो जाते हैं और उनका दिमाग मोटा हो जाता है। यह कपोलकल्पित और ना-समझी की बात है। जो बच्चे बचपन से ही व्यायाम करते रहते हैं, उनका शरीर सुडौल और दिमाग तेज होता है। बच्चों के लिए व्यायाम की अनिवार्यता को अनुभव करते हुए विद्यालयों में भी व्यायाम की व्यवस्था होती है। प्रायः सभी विद्यालयों में व्यायाम-शिक्षक होते हैं, जो बारी-बारी से सभी कक्षाओं को व्यायाम करवाते हैं। छात्रों का कर्तव्य है कि विद्यालय में मिखाए गए व्यायाम का प्राण अथवा सायंकाय अभ्यास अवश्य किया करें।

प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है कि वह सुख एवं सम्मान के साथ सौ वर्ष तक जी सके, किन्तु यह तभी सम्भव है, जबकि उसका शरीर स्वस्थ हो। शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है, जब वह नियमित व्यायाम करे। अतः हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए।

व्यायाम के लाभ

(ऑल इण्डिया १९८२ : 'ए'; दिल्ली १९८१ : 'बी')

महापि चरक ने 'या चेष्टा, र्थैर्यार्था बलवर्धनी देहव्यायामः' बहकर देह का स्थिर करने एवं उसका बल बढ़ाने वाली शारीरिक चेष्टा को व्यायाम की मंज्ञा दी है। डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, 'व्यायाम का अर्थ पहलवानी नहीं है। व्यायाम किसी भी ऐसे कार्य को कह सकते हैं, जिसके द्वारा शरीर की स्थायी शक्ति सतेज, मन्त्रिय तथा सुदृढ हो।' डॉ० जॉनसन 'बिना यकावट के परिश्रम' को व्यायाम मानते हैं।

मानव-जीवन की तीन महत्वाकांक्षाएँ हैं—प्राणैषणा, वित्तैषणा तथा परलोकैषणा। इन तीनों में प्राणैषणा उत्कृष्टतम है। कारण, शरीर के नष्ट होने पर धनैषणा और मोक्ष-कामना सम्भव ही नहीं हैं। प्राणैषणा निर्भर करती है व्यायाम पर।

व्यायाम से शरीर की पुष्टि, गात्रों की काति, मांस-पेशियों के उभार का ठीक विभाजन, जठराग्नि की तीव्रता, आलम्ब्यहीनता, स्थिरता, हलकापन और मन आदि की शुद्धि होती है।

व्यायाम से पाचन-शक्ति ठीक कार्य करती है। शरीर के विकार—मल, मूत्र, पसाना आदि नियमित रूप से बाहर आ जाते हैं। पावक रस अधिक निकलते हैं, भूख बढ़ती है। भोजन पचने के बाद ही वह रक्त, मज्जा, मांस आदि में परिवर्तित होता है। रक्त-संचार सुचारु रहता है और हृदय में तीव्रता आती है। शरार सुडौल, सुगठित एवं सुदृढ बन जाता है। पुट्टे मजबूत हो जाते हैं। सीना चौड़ा हो जाता है। गर्दन मोटी तथा गोल हो जाती है। सभी इंद्रियाँ ठीक तरह से कार्यरत रहती हैं। शरीर में स्फूर्ति आती है, उत्साहवर्द्धन होता है।

व्यायाम से शरीर सुन्दर बनता और दीखता है। चेहरे पर रौनक आती है। मस्तक चमकता है। मस्तिष्क की शक्ति उर्वरा होती है। मन में स्फूर्ति रहती है। कार्य करने के लिए उत्साह होता है। गति में तीव्रता आती है।

बुढ़ावस्था में भी यौवन प्रकट होता है।

बुढ़ापा जुल्मी है, जो मृत्यु का भय दिखाकर यौवन के समस्त उल्लासों का निषेध कर देता है, किन्तु व्यायाम करने वाले शरीर पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण नहीं कर पाता। फलतः वह मनुष्य 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवितेषुः शतं समाः' अर्थात् काम करते हुए सौ वर्ष जीने की इच्छा पूरी कर पाता है।

व्यायाम से मनुष्य संयमी बनता है। समयहीन जीवन विपत्तियों का आगार होता है, अतः विपत्तियाँ व्यायाम करने वाले से दूर रहती हैं। फिर, जो संयमी है, वही सर्वशक्तिमान् है।

धैर्य उसकी चारित्रिक विशेषता बन जाती है। धैर्य वीरता का अति उत्तम, मूल्यवान और दुष्प्राप्य अंग है। धैर्य मंजोप की कुजी है और शान्ति का रहस्य है।

क्षमा उसके स्वभाव का अंग बन जाती है, जो 'वीरस्य भूषणम्' है। क्षमा से बढ़कर किसी तत्त्व में पाप को पुण्य बनाने की शक्ति नहीं है।

सन्तोष रूपी अमृत से वह आकंठ पूर्ण रहता है, जो सुख-शान्ति का वाहन है। चाणक्य-नीति के अनुसार सन्तोष देवराज इन्द्र का नन्दन बन है।

व्यायाम से उदरन्न आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता जीवन की सफलता का रहस्य है, विपत्तियों पर विजय का प्रतीक है। सर्वांगीण उन्नति की आधार-शिला है। अतः ये दोनों व्यायाम की आत्मजा हैं।

व्यायाम-शील व्यक्ति माहस और शक्ति का संचय करता है। साहम और शक्ति से संकट का प्रतिरोध करने में ही उसका साफल्य छिपा है। साहसी व्यक्ति विश्वासी भी होता है।

जगती का ध्रुव मत्स्य ह 'वीर भोग्या वमुग्धरा'। अर्थात् वीर पुरुष ही धरती का भोग करते हैं। भय पर आत्मा की शानदार विजय वीरता है, जो व्यायाम से ही सम्भव है। कारण, व्यायाम वीरता का लक्षण है।

मनुष्य-शरीर में १५६ पेशियाँ हैं। ये पेशियाँ ही मानव को कार्य-करने, इधर-उधर मुड़ने, उठने-बैठने, फँसने-मिक्नुड़ने आदि में ही महायता देती हैं। मांस-पेशियाँ जितनी लचीली और स्वस्थ होंगी, उतनी ही अंग-संचालन में सुगमता आएगी। व्यायाम इन मांस-पेशियों को सुदृढ़ करता है, रक्त के दौरे को बढ़ाता है, शुद्ध करता है, जिससे रोग-नाशक शक्ति का विकास होता है। रोग भय-

भीत होकर उससे दूर भागता है। अथर्ववेद ने इसका समर्थन किया है—‘सर्व-रक्षांसि व्यायामे सहामहे’ सब रोग रूपी राक्षसों को हम व्यायाम करने से ही सहन अर्थात् नष्ट कर सकते हैं।

आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ भावप्रकाश में व्यायाम के लाभ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है—

लाघव कर्म-सामर्थ्य विभक्त-धन-गात्रता ।
 दोष-क्षयोऽग्नि-दीप्तिश्च, व्यायामाद्दुपजायते ॥
 व्यायाम-दृढ-गात्रस्य, व्याधिर्नास्ति कदाचन ।
 विरुद्ध वा विदग्ध वा भुक्तं शीघ्रं विपच्यते ॥

प्रतिदिन नियमपूर्वक व्यायाम करने से शरीर हल्का और फुर्तीला बन जाता है। शरीर में कठिन से कठिन कार्य करने की शक्ति और सामर्थ्य पैदा होती है। शरीर के सब अंगोपांग भरे हुए, सुन्दर, सुडौल तथा अलग-अलग दीखने लगते हैं। वात, पित्त, कफ दोषों का नाश होकर जटराग्नि प्रदीप्त होती है। व्यायामशील व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं सताती। वह जो कुछ खाता है, चाहे वह विदग्ध ही क्यों न हो, उसे शीघ्र पचा लेता है।

व्यायाम के अनगिनत लाभों को देखकर स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने ठीक ही कहा—

नेम से व्यायाम को नित कीजिए ।
 हीरं जीवन का सुधा रस पीजिए ॥

आँखों देखे किरुी मैच का वर्णन (आंत इंडिया १९८१ : 'बी')

अथवा

हाँकी मैच का आँखों देखा हाल

खेल मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। विशेषकर विद्यार्थी-जीवन में खेलों का बहुत महत्त्व है। खेलकूद से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, चर्म्म-निर्माण भी होता है। खेल के मैदान में हमें अनेक अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। परस्पर सहयोग एवं सहनशीलता खेलों की सबसे बड़ी देन है। इसी को 'खेल भावना' (Sportsman Spirit) कहा जाता है। खेल-भावना के विकास के लिए निम्न-भिन्न स्तरों पर मैच आयोजित किए जाते हैं। प्रायः सभी खेलों में अन्तर्विद्यालयीय मैचों से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय मैच तक प्रचलित है। मैच (प्रतियोगिता) का दृश्य बड़ा ही आकर्षक और प्रसन्नताप्रद होता है। मैं यहाँ एक अन्तर्विद्यालयीय हाँकी-मैच का वर्णन कर रहा हूँ।

एक वर्ष 'नीनियर-सेकेन्डरी स्कूल हाँकी टूर्नामेंट' का फाइनल मैच गवर्नमेंट चर्म्मिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और टी० ए० बी० चर्म्मिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बीच वसन्त पंचमी के दिन हुआ। ग्यान मोरीगेट का मैदान निर्दिष्ट था। मैच सायंकाल ५ बजे से आरम्भ होना था। मैदान के एक ओर कुर्मियाँ लगी हुई थीं और दूसरी ओर दरियाँ बिछी थीं कुर्मियों पर गण्यमान्य अतिथियों के लिए तथा दरियों पर विभिन्न स्कूलों के छात्रों के बैठने के लिए ग्यान था।

बार बजते ही लोगों का आना शुरू हो गया था। दोनों पाँच बजे दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पापंद महोदय पधारे। आज के मैच के विशेष अतिथि बही थे। एक समय तक मैदान भर चुका था। ठीक पाँच बजे ने पाँच मिनट पूर्व दोनों स्कूलों के विनासी मैदान में उतरे। गवर्नमेंट स्कूल के विनासी मर्न्दर्माजी और गाकी निक्कर पहुँचे थे तथा टी० ए० बी० स्कूल के विनासीयाँ का

गणवेश था लाल जर्सी और नीला निष्कर। पहले दोनों ओर के खिलाड़ियों ने पक्तिबद्ध खड़े होकर माननीय मुख्य अतिथि को स्काउट-प्रणाम किया और उसके बाद वे खेल के मैदान में बिखर गए।

ठीक पाँच बजे निर्णायक (रेफरी) की सीटी की आवाज पर, दोनों ओर के कप्तान उपस्थित हो गए। निर्णायक ने दिशाओं का निर्णय करने के लिए टॉस किया, जिसमें डी० ए० वी० स्कूल जीता। दिशा-निर्णय होने पर दोनों ओर के खिलाड़ी यथास्थान खड़े हो गए। निर्णायक की दूसरी सीटी बजते ही दोनों स्कूलों के अप्रसरों ने परस्पर तीन बार हॉकी छुआकर खेल प्रारम्भ कर दिया।

खेल आरम्भ हुए पाँच मिनट भी व्यतीत नहीं हुए थे कि डी० ए० वी० स्कूल के खिलाड़ियों ने अकस्मात् गवर्नमेंट स्कूल पर एक गोल कर दिया। वस, विद्यार्थियों के क्षेत्र में हलचल मच गई। डी० ए० वी० स्कूल के विद्यार्थी लगे ताली बजाने। कुछ उछल-उछलकर अपने स्कूल की जय-जयकार कर रहे थे। गवर्नमेंट स्कूल वालों के चेहरे उदास हो गए, फिर भी वे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे थे।

गोल होने के बाद पुनः खेल शुरू हुआ तो गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी अधिक सतर्क और सक्रिय थे। उन्होंने गोल करने की बार-बार कोशिश की, किन्तु सफलता न मिली। इस भाग-दौड़ में निर्णायक की साटी बज गई और मध्यावकाश हो गया।

मध्यावकाश का दृश्य दर्शनीय था। डी० ए० वी० स्कूल के विद्यार्थी अपने खिलाड़ियों को शावाशी दे रहे थे और गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी अपने खिलाड़ियों को डाँट रहे थे, किन्तु उनके शिक्षक महोदय कह रहे थे—'घबराने की कोई बात नहीं। इस बार हिम्मत करोगे तो एक की क्या बात है, दो गोल कर दोगे।'

निर्णायक की सीटी के पश्चात् खेल पुनः आरम्भ हुआ। इस बार टीमों ने गोल की दिशा बदल ली थी। इस बार खेल में गवर्नमेंट स्कूल के खिलाड़ी गोल करने की जो तोड़ कोशिश कर रहे थे। सौभाग्य से एक बार गेंद डी० ए० वी० स्कूल के गोल की सीमा तक पहुँच भी गई। एक खिलाड़ी ने बड़ी शान से हिट जमा दी, किन्तु गोलकीपर की चतुराई से गेंद गोल के अन्दर न

खेलों में भारत के स्तर को उन्नत करने के उपाय

(दिल्ली १९७६ : 'ए')

खेलों की दृष्टि में विश्व में अपनी स्थिति आंकने का मापदण्ड है 'ओलम्पिक खेल' एवं एशिया-वासियों के लिए एशिया में अपनी स्थिति जांचने का अवसर प्रदान करते हैं 'एशियाड'। चार-चार वर्षों के अन्तराल में खेले जाने वाली ये विश्व एवं एशिया प्रतियोगिताएँ किसी राष्ट्र के खेलों में प्रगति और प्रतिगति के दर्पण हैं।

सन् १९६० के 'मास्को ओलम्पिक' में भारत की स्थिति दयनीय रही। ४५० पदकों में से भारत केवल एक स्वर्ण पदक (हॉकी) जीत सका था। हॉकी की विजय को विश्व के पत्रकारों ने एक स्वर्ण से तकदीर की विजय माना था, तबनीक की नहीं। क्योंकि विश्व प्रसिद्ध हॉकी टीमों ने तो इस ओलम्पिक में भाग ही नहीं लिया था।

सन् १९६२ के 'एशियाड खेल' भारत में ही हुए थे। इसमें भारत ने १३ स्वर्ण, १६ रजत तथा २५ कांस्य पदक बटोरे। तुलनात्मक दृष्टि से प्रथम एशियाड में भारत ने १५ स्वर्ण पदक जीते थे। नवम एशियाड तक पहुँचते-पहुँचते वे १३ रह गए। १९७६ के अष्टम एशियाड में भारत ने एथलेटिक्स में ८ स्वर्ण पदक जीते थे, जो चार वर्ष पश्चात् घटकर चार रह गए। १९६० के विश्व हॉकी चैम्पियन भारत को १९६२ के एशियाड में 'रजत-मुकुट' धारण कर अपमानजनक तथा लज्जास्पद स्थिति का सामना करना पड़ा था।

सन् १९६३ में भारत ने क्रिकेट में 'विश्वकप' जीता। भारत हर्ष से फूला न समाया। वस्तुतः गर्व की बात थी भी। इमी वर्ष वेस्टइंडीज की टीम भारत में टेस्ट मैच खेलने आई। उसने हर मैच में भारत की वह पिटाई की कि विश्वकप-विजेता भारत का सिर अपमान और लज्जा में बुरी तरह झुक गया।

खेलों में भारत के गिरते स्तर और अपमानजनक स्थिति का कारण भारत

की राजनीति है। भारत की राजनीति खेल और खिलाड़ी, दोनों पर हावी है। इसलिए न तो खेलों की टेकनीक में सुधार हो पाता है और न ही प्रतियोगिताओं के लिए उत्तम खिलाड़ियों का चयन हो पाता है। अतः सर्वप्रथम, खेल-कूद को राजनीति से दूर रखना होगा। राजनीतिज्ञों की छाया से भी बचाना होगा।

खेलों का स्तर सुधारने के लिए धन की आवश्यकता है। भारत सरकार जितना कम धन खेल-कूद पर व्यय करती है, उतना कम सप्ताह का कोई राष्ट्र नहीं करता। इस धन का प्रबन्ध चाहे सरकारी कोष से किया जाए या विदेशों की भाँति इसके लिए उद्योगपतियों की सहायता ली जाए। धन की कमी के कारण भारतीय खिलाड़ी अशिक्षा तथा कुपोषण का शिकार होता है। इससे खेल-कूद योग्यता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः विशिष्ट खिलाड़ियों पर विशेष धन खर्च कर उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाना चाहिए।

खेलों में विकसित और अधिकाधिक पदक बटोरने वाले राष्ट्रों से खेल के कलात्मक पहलू सीखकर नयी टेकनीक का विकास करना चाहिए। १९८० के ओलम्पिक में स्पेन के जुआन अमात ने पैन्थेटी बॉक्सर को गोल में बदलने का जो करिना दिखाया, उसके सामने भारतीय खिलाड़ी बहुत पीछे रहे। एशियाड-८२ में तो पाकिस्तान के मुकाबले पूरी भारतीय हॉकी टीम 'नर्वस' थी।

प्रशिक्षण, अभ्यास और तालमेल खेलों की जान है। अतः देश में आधुनिक फ्रीडा-शालाओं की बहुत आवश्यकता है। नागरिक-शिक्षा-मन्वन्धी महाविद्यालयों का जाल बिछाने की जरूरत है। खेल के मैदान, टनडोर व आउटडोर स्टेडियम, जिम्नेजिया व तरणतालों के अतिरिक्त हॉकी जैसे खेलों के कृत्रिम मैदान की बहुत आवश्यकता है। खेल की आधुनिकतम टेकनीक के लिए खेलों के मही उपकरण जुटाने होंगे। यद्यपि दिल्ली के स्टेडियम आधुनिक उपकरणों से सम्पन्न हैं, किन्तु ये अपर्याप्त हैं। बार-बार खिलाड़ियों को दिल्ली बुलाना खर्चीला तो है ही, अव्यावहारिक भी है। तिसरे, खेल निरन्तर अभ्यास चाहते हैं। कभी-कभी अभ्यास में यह कुशलता नहीं आ सकती।

खेलों का आधार प्रेरणा है। उत्साह और उमंग खेलों के प्राण हैं। प्रेरणा, उत्साह और उमंग का वातावरण बनाए रखने के लिए बहुसंख्या में पुरस्कार-योजनाएँ रखनी चाहिए। विश्व के अनेक राष्ट्र उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार, पदक और अलंकरण प्रदान करते रहते हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को

२०४ , खेलों में भारत के स्तर को उन्नत करने के उपाय

अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, पर कितने खिलाड़ियों को ? प्रतिवर्ष १५-२० खिलाड़ियों को। यह संख्या बहुत कम है, इसे बढ़ाकर शतक तक पहुँचा देना चाहिए। पुरस्कार की कल्पना मात्र से खिलाड़ी कड़े परिश्रम में जुट जाएँगे। -

विकसित राष्ट्र कुछ विशेष खेलों पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं, जबकि भारत में प्रत्येक खेल को अपनाने की चेष्टा रहती है, भले ही भारतीय खिलाड़ियों में उस खेल में शामिल हो नकने की क्षमता-योग्यता हो; या न हो। 'Knowledge of all games but master of none' की स्थिति समाप्त करके हमें कुछ चुने हुए खेलों में कलात्मक प्रदर्शन की तैयारी करनी चाहिए। एथलेटिक्स और हॉकी पर अधिक ध्यान दे, तो इन दोनों खेलों में भारत विश्व-चैम्पियन बन सकता है।

खेलों की शिक्षा का अनिवार्य विषय बनाया जाए। प्रारम्भिक स्तर पर खेल-कूद की दिलचस्पी आगे चलकर प्रतिभावान खिलाड़ी तैयार करने में सहायक होगी।

इन सबके अतिरिक्त दुर्घटनाग्रस्त और वृद्ध खिलाड़ियों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान होना चाहिए, ताकि प्रतिभावान खिलाड़ी साहस से जूझते और अपूर्व कौशल दिखाते समय जीवन की बाजी लगाने में हिचकिचाएँ नहीं। भविष्य की दुश्चिन्ता से मुक्त खिलाड़ी पूरी लगन से खेलों में तल्लीन रह सकेगा।

अमरीका सहित यूरोप के लगभग सभी राष्ट्रों में बड़ी-बड़ी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन सरकार नहीं करती। ये सभी आयोजन निजी औद्योगिक कम्पनियाँ करती हैं और तो और, टैस्ट मैचों की आयोजन-व्यवस्था तक निजी कम्पनियाँ संभालती हैं। यदि भारत सरकार भी इस परिपाटी का प्रारम्भ कर दे, तो इससे तीन लाभ होंगे—(१) सरकारी अनुदान की राशि बच जाएगी, (२) खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप वन्द हो जाएगा, (३) खेल-संस्थाओं और संघों की कलह और गुटबाजी समाप्त हो जाएगी। कारण, हर खेल-संघ का भविष्य उसके परिश्रम और सफलता पर निर्भर होगा—नेतागिरी के प्रभाव पर नहीं।

खेल-कूद शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को समृद्ध बनाने वाले माध्यम ही नहीं, अपितु अनुशासित जीवन एवं राष्ट्रीय उत्थान के महत्त्वपूर्ण अंग भी हैं। इन्में नागरिकों में समय, आत्मबल तथा टीम-स्प्रिट का विकास होता है। अतः खेल-कूद के लिए सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, प्रगतिशील कलात्मक टेकनीक तथा अद्यतन विकसित उपकरणों को जुटाने से ही विश्व के खेलों में भारत का स्तर ऊँचा उठ सकेगा।

चाँदनी रात का वर्णन

वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चहुँ ओर चक्कर लगाती है। संसार का जो भाग सूर्य के सम्मुख होगा, वहाँ दिन होगा, जिसकी पीठ सूर्य की ओर होगी, वहाँ रात होगी। यह निरन्तर चलने वाला चक्र पृथ्वी पर दिन और रात की सृष्टि करता है।

चन्द्रमा का उदय और अस्त भी नियमबद्ध है। वह पृथ्वी का एक मास में चक्कर पूर्ण करता है। उदय और अस्त भी शनैः शनैः होता है। न एकदम अमावस होती है, न एकदम पूर्णिमा।

चाँदनी रात—पूर्णिमा की रात्रि—कितनी सुहावनी होती है। चारों ओर चन्द्र-किरणों की उज्ज्वल और शीतल ज्योत्स्ना का साम्राज्य। जल-स्थल, अग्नि-अम्बर सर्वत्र चन्द्र-किरणों की श्रीढ़ा।

चार चन्द्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल-थल में।

स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है, अग्नि और अम्बर-तल में ॥

सम्पूर्ण जगत रजत-कांत से आलोकित हो रहा है। गगन-मण्डल में भी शुभ्रता छाई हुई है। तारों की जगमगाहट उस शुभ्र ज्योत्स्ना में लुप्त-सी हो गई है। चाँदनी का यह विस्तार क्षीरसागर जैसा प्रतीत हो रहा है और उसके मध्य विराजमान चन्द्र एक खिले हुए श्वेत कमल के समान दिखाई दे रहा है। श्री जानकीवल्लभ शास्त्री के शब्दों में—

नयन-मन-उन्मादिनी

आज निकली चाँदनी

आज केवल शून्य नीचे शून्य ऊपर,
स्वर्ग की सम्पूर्ण मुपमा आज भू पर,
सब कहाँ है आज दो-चार तारे,
हेर बसुधा के हृदय का हार, हारे।

उमडता ज्यो धीर-नागर फेन-निर्मल ।

चाँद उसमे हूँ खिना ज्यो शुभ्र शतदल ॥

संस्कृत के महाकवि कालिदास चाँदनी-रात का वर्णन करते हुए लिखते हैं, चन्द्रमा ने अपनी किरणों से तिमिर का अन्त कर दिया है। रजनी जैसे तिमिर रूपी दैत्य के पजो ने छूट आई है। त्रय चन्द्रमा चुपचाप भली प्रकार अपनी अंगुलियों से रजनी के केश-नलाय को हटाकर उसे सहलाता-सँभालता हुआ घूम रहा है। केशों के नयनों पर ने हट जाने पर दिशा का स्वच्छ मुँह उद्भासित हो गया है।

नद-नदियों, सर-सरोवरों, झरनों और समुद्र के जल में चाँदनी-रात का दृश्य अत्यन्त विलक्षण और आकर्षक होता है। जल की स्वच्छ नीलिमा से चन्द्रमा की परछाईं हिलोरे ले रही है। तट पर खड़े वृक्षों पर चन्द्रमा की चाँदनी की छटा अत्यन्त शोभायमान है। उपवन में विकसित फूल अपनी सुगन्धि से वातावरण को अत्यधिक मादक बना देते हैं।

जरा चाँदनी-रात का आनन्द ताजमहल के परिसर में भी लीजिए। शुभ्र सगमरमर से निर्मित यह भव्य-भवन उज्ज्वल चाँदनी में जगमग-जगमग करता हुआ बहुत ही सुन्दर लगता है। शरत्-पूणिमा की रात्रि में इस भवन की भव्यता को देखने के लिए देश-विदेश से सहस्रों व्यक्ति प्रतिवर्ष आगरा आते हैं।

चाँदनी-रात में नौका-विहार करना अत्यन्त आनन्दप्रद होता है। नदी-तट का शान्त और शीतल वातावरण मन में आह्लाद उत्पन्न करता है। रेतीले तटों के मध्य बहती हुई नदी की धारा तन्वगी सुन्दरी जैसी प्रतीत होती है। जब नौका धारा के मध्य धिरकने लगती है, तब पानी में प्रतिबिम्बित तट दुगुने ऊँचे दिखाई देते हैं। जल में प्रतिबिम्बित होते हुए तारों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे (तारे) पानी के अन्दर कुछ डूँढ़ रहे हैं। हिन्दी के लोकप्रिय कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने अपनी 'नौका-विहार' कविता में इस दृश्य का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करते हुए लिखा है—

शान्त, स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल !

अपलक अनन्त, नीरव भूतल !

×

×

सँकत-शय्या पर दुग्ध-धवल, तन्वगी गंगा, प्रीप्सु-विरल

नेटी है श्रान्त क्लान्त, निश्चल ।

X

^

निश्चल जल के शुचि दर्पण पर त्रिम्बित हों रजत-पुलित निर्भर,
दृहरे ऊँचे नगते क्षण भर ।

शरत्-पूर्णिमा की रात्रि को चन्द्र-किरणों में अमृत प्रवाह-मानकर ही खीर पकाकर चन्द्र-किरणों के लिए रखी जाती है तथा रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के विचार से वह खीर खाई जाती है । टनना ही नहीं। इस दिन चन्द्र-किरणों के दर्शन-मात्र से संजीवनी शक्ति मानव को प्राप्त होती है, ऐसा विश्वास किया जाता है ।

चाँदनी-रात सर्वत्र मुखद हो, सर्वप्रिय हो और प्राणी-मात्र के लिए मनभावन हो, ऐसी बात नहीं । चौर्य-कर्मों चाँदनी-रात को अपना शत्रु मानने हैं, जिसके अस्तित्व में वे अपने कर्म की सफलता में सन्देह अनुभव करते हैं । इसी प्रकार विग्ध-वेदना से पीड़ित नायिका को चाँदनी-रात और भी विह्वल और सन्तप्त करती है । अतः वह उपालम्भ भरे स्वर में चन्द्रमा से कहती है—

तू तो निसाकर सब ही कि निसा करे,

मेरी जो न निसा करे, तो तू निसाकर काहे को ?

तप का हरण करने वाली, सहृदयों के हृदय को प्रफुल्लित करने वाली, शुभ्र ज्योत्स्ना से जगमगाती हुई रात्रि का वर्णन जितना भी किया जाए, कम है । चाँदनी को लक्ष्य करके कविवर पन्त ने ठीक ही कहा है—

वह है, वह नहीं अनिर्वच, जग उसमें, वह जग में लय ।

साकार चेतना-सी वह, जिसमें अचेत जीवाशय ॥

✽

चाँदनी-रात में नौका-विहार

(दिल्ली १९७६ : 'ए')

जो आनन्द प्रेमी-प्रेयमी की क्रीडा में आता है, जो मजा नवदम्पती की चुहुल-बाजियों में प्राप्त होता है, जो प्रसन्नता रुचि-अनुकूल पिक्चर देखने में होती है, जो गुदगुदाहट विवाह के सीटनों (उपालम्भपूर्ण गालियों) को सुनकर होती है, न्यूनाधिक रूप में वही आनन्द, मजा या प्रसन्नता चाँदनी-रात में नौका-विहार में आता है।

चाँदनी-रात हो, नदी का जल मधुर गति में बह रहा हो; समवयस्क हम-जोलियों की टोली हो, गीत-संगीत का मूड हो, तालियों की लयबद्ध ताल हो, तो किसका हृदय बल्लियों नहीं उछलेगा ? कौन-हृदय-हीन उन मस्ती के क्षणों में आनन्दित नहीं होना चाहेगा ?

शरत् पूर्णिमा का पर्व । चन्द्र-किरणों में अमृत का प्रवाह मानकर खीर पकाकर चन्द्र-किरणों के स्पर्श हेतु रखने का दिन । रात्रि में नदी-तट पर आनन्दोत्सव का त्यौहार ।

मित्रों की टोली निकल चली यमुना-तट के लिए । ८-१०' मित्र हम-उमर, हमखयाल, किन्तु कोई ताड़ की तरह आकाश को छूता हुआ, तो कोई भगवान् वामन का अवतार, कोई अंग्रेजों की गोरी चमड़ी को चुनौती दे रहा है, तो कोई भगवान राम-कृष्ण का रूप प्रदर्शित कर रहा है । मोटर-साइकिल और स्कूटरों का काफिला समगति, सम भाव से दिल्ली की चाँड़ी सड़कों पर रात की नीरवता को चीन्ता हुआ चला जा रहा है ।

यमुना के तट पर चाँदनी रात्रि में कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल और टैम्पो का जमघट । लोग यमुना तट पर खड़े यमुना में पड़ती क्षपाकर-किरणों को देख रहे हैं । मुद्गर पुल पर जलते हुए विद्युत् बल्बों के प्रतिबिम्ब से सुशोभित जल की छटा को निहार रहे हैं । हिलोरे लेती जल-राशि में चन्द्र किरणों और बल्बों का बिम्ब अत्यन्त शोभायमान लग रहा है । थिरक-थिरक कर नृत्य करने वाली तरंग-

मालाओं से पवन अठखेलियाँ कर रहा है।

नाविक सीधे मुँह बात नहीं करते। 'डिमांड ऐन्ड सप्लाई' का युग है। नौकाएँ कम और सैलानी अधिक। पाँच के पचास माँग लें, तो कोई अनर्थ नहीं। बीस में सौदा हो जाए, तो सस्ते छूटे। मित्रों की टोली चढ़ गई नाव पर। जब आनन्द लेना है तो ब्लैक के टिकट खरीदने में दोष, दुःख या क्रोध क्यों? फिर आनन्द ऐसा इत्र है, जिसे जितना अधिक दूसरो पर छिड़केंगे, उतना ही सुगन्ध अपने अन्दर समाएगी।

हमारी नौका का लंगर खुला। पक्षी पिंजरे से छूटा। नाविक ने जल पर चप्पू का प्रहार किया। नौका नृत्य की प्रथम भंगिमा में आकर डगमगाने लगी, जल-राशि पर थिरकने लगी। यात्रियों ने जयकारा लगाया 'यमुना मैया की जय !'

तरणी बीच धारा में पहुँची, तो चारो ओर असीम अनन्त चन्द्रिका का विस्तार दिखाई देता था। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, शुभ्र चन्द्रिका का ही प्रसार दिखाई देता था। नील गगन निष्पलक नेत्रों से घरती को निहार रहा था। नौका चप्पू के रूप में अपने हाथ फँला-फँला कर, चमकीली फेन रूपी मौतियों के गुच्छे भर-भर कर लुटा रही थी।

दम मादक दृश्य ने सबके हृदय को आह्लादित कर दिया। एक गायक मित्र मचल उठा और उसके कोमल कंठ से मधुर गीत-ध्वनि वह निकली— 'सत्यं शिवम् सुन्दरम्'। गीत की लय के चढाव-उतार के साथ-साथ मित्र ताली बजाकर रस उत्पन्न कर रहे थे। इसी बीच दूसरे मित्र ने खड़े होकर नशे का अभिनय करते हुए झूम कर चुनौती दी 'प्यार किया तो डरना क्या?' गाने के बीच में गायक मित्र की हिचकियाँ अनारकली को भी मात दे रही थी। तभी मोनाकुमारो की याद ताजा करते हुए कब्बाली मुखरित हो उठी, 'इन्ही लोगो ने छौना दुपट्टा मेरा।'

यमुना का दूसरा तट आ पहुँचा, नाव एक क्षण रुकी। नाविक ने पूछा उतरोगे? मित्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, 'बल मेरे भाई! तेरे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ।' सभी ठहाका मार कर हँस पड़े।

नौका को वापिस छोड़ने के लिए नाविक ने पतवारों को घुमाया। गरिता का प्रवाह कम था। जल-राशि का क्रोध थोड़ा था। चप्पू जल-मत्त को स्पंग

कर रहे थे। नाविक जोर लगा रहा था।

तभी आवाज आई, 'खीर' ! खीर की बाल्टी सामने आई। विश्वास था कि सुघाकर अमृतवर्षा कर चुके होंगे। काल्पनिक आनन्द में खीर स्वादिष्ट लगी। थोड़ी छीना-क्षपटी, थोड़ी चोरा-चोरी और अपना चमचा दूसरे के मुख में देना आदि से घातावरण अत्यन्त मधुर बन गया।

अकस्मात् जल-धारा का वेग थोड़ा तीव्र हो गया। लहरें थोड़ी उछलने लगीं। यमुना का कल-कल निनाद कुछ भयकर होने लगा।

नौका मध्य-धारा में थिरकने लगी, तो पानी में प्रतिबिम्बित तट दुगुने ऊँचे लगने लगे। जल में तारों का प्रतिबिम्ब देपकर लगा कि तारे अनन्त जल-राशि में मुक्तामणि ढूँढ़ रहे हैं। यमुना के वक्ष पर हिलोरें लेती लहरें तथा उन पर पड़ता चन्द्र-प्रकाश ऐसा प्रतीत होता था, मानों यमुना को चन्द्रमा ने हीरों का हार पहना दिया हो। चप्पू से उठने वाले पानी के बबूले बनते और फूटते देख कर लगता था मानों होली के छोटे-छोटे गुब्बारे फूल और फट रहे हों।

मस्ती भरा, उल्लासमय, रंगीन नौका-विहार क्षण-क्षण में समाप्ति की ओर दौड़ रहा था। थका माँदा किसान, दिन भर फाइलों से मल्लयुद्ध करता लिपिक और सवारी ढोता पशु अपने घर की ओर जब चलता है, तो गति में स्वाभाविक तेजी आ जाती है। निर्जीव तरणी भी तट की ओर वेग से चल रही थी। चप्पू की आवाज कर्कशता में बदल रही थी। नौका-विहार की उमंगें यात्रा-समाप्ति पर हृदय को दबोच रही थी।

तरणी से उतर कर यमुना माता को प्रमाण किया। माता के मधुर स्नेह को पाकर कौन पुत्र विछोह पसन्द करेगा? पैर मोटर-साइकिल और स्कूटरों को किक मार रहे थे, किन्तु हृदय में माता के स्नेह की उमंगें किक मार रही थी। मित्र-कंठ गा उठा—

जिन्दगी भर नहीं भूलेगी यह नौका-विहार की चाँदनी-रात !

प्रकृति का कूट परिहास वाढ़ (जल-प्रलय)

वाढ़ अर्थात् जल-प्रलय, जल का विनाशकारा रूप। अतिवृष्टि के कारण पृथ्वी के जल सोखने की शक्ति जब समाप्त ही जाती है, तो उसकी परिणति वाढ़ में होती है। नदी-नाले, जलाशय, सरोवरों का जल अपने तट-बन्धनों को तोड़ बरतों की गलियों, कूबों, सड़कों, खेत-बलिदानों में पहुँचने लगता है। पानी की निकासी के अभाव में जल इकट्ठा होने लगता है।

वाढ़ भयकरता का सूचक है, वाढ़ का दृश्य बीभत्स होता है, कारुणिक होता है, भयप्रद होता है। विनाशकारी जल-प्रलय मनुष्य की चिरसंचित और अर्जित जीवोपयोगी सामग्री को नष्ट कर देता है। खेती और खेत को बरबाद कर देता है। आवागमन को अवरुद्ध कर देता है। सड़कों को तोड़ देता है। विद्युत्, पेय जल और दूर-संचार व्यवस्था (टेलीफोन आदि) को नष्ट-घ्रष्ट कर देता है। अंधेरा तथा पीने के जल का अभाव मन-भस्तिष्क को झकझोर देता है। पशु-धन को बहा ले जाता है। मकान टूटकर गिर जाते हैं। वेसहारा प्राणी प्रभु का स्मरण करते हुए 'त्राहि-माम्' चिल्लाते हैं।

८-१० फुट तक घरों में घुसा पानी निकलने का नाम ही नहीं लेता। खाद्य-पदार्थों, बिछाने, ओढ़ने और पहनने के कपड़ों, अध्ययन की पुस्तकों, अलंकारों, आभूषणों को नष्ट कर देता है। निरीह मानव पेय-जल, भोजन, वस्त्र आदि के अभाव और अग्नि की असुविधा से पीड़ित सहायता की प्रार्थना करता है।

बच्चों के लिए दूध नहीं; आग के लिए ईंधन-दियासलाई नहीं। पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं। ऊपर से भूख और प्यास और नीचे ८-८, १०-१० फुट पानी, हृदय-विदारक दृश्य कल्पनातीत है।

मुखी और शान्त जीवन प्रकृति के प्रकोप से शरणार्थी बन जाता है।

वे सब डूबे डूबा, उनका विभव,
 बन गया पारावार ।
 उमड़ रहा है देव-सुखो पर दुःख-
 जलधि का नाद अपार ॥ (कामायनी)

दूर-दूर तक जल-ही-जल दिखाई देता है। मक्खी-मच्छरो का साम्राज्य जल पर फ़ीडा कर रहा होता है। बिजली के स्तम्भ और सड़क के विनारे खड़े वृक्ष नत-मस्तक होकर जल-प्रलय के सम्मुख आत्म-समर्पण करते दिखाई देते हैं। यातायात के माध्यम कार, बस, ट्रक बाढ़ के सम्मुख आने में भी कतराते हैं, टक्कर लेना तो दूर की बात है।

महाभारत के शान्ति पर्व में वेदव्यास जी ने लिखा है—‘विपत्ति आ पडने पर जीवन-रक्षा के लिए बलवान् व्यक्त को अपने समीपवर्ती शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए।’ बाढ़ की विपत्ति में विचित्र मेल और सद्भावना दिखाई देती है। एक ही पेड़ पर जल से भयभीत साँप और मानव दोनों स्थित हैं। परस्पर शत्रु पड़ोसी बाढ़ की चपेट में एक-दूसरे के सहयोग को आतुर हैं।

विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। जल-प्रलय की हानि समष्टिगत विनाश ही नहीं, व्याधि की जड़ भी है। जल से मच्छर उत्पन्न होते हैं। मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। दूषित जल पीने से हैजा आदि बीमारियाँ फैलती हैं।

ऐसे दयनीय समय में भी समाज-विरोधी तत्त्व अपने कुकृत्य से धाज नहीं आने। ट्रकों की ट्यूब की नौका बनाकर ये लोगों को दूध और दियासलाई, रोटी और सब्जी तो पहुँचाते हैं, किन्तु अनाप-शनाप पैसे वसूल करते हैं। दूसरी ओर, बाढ़-प्रभावित क्षेत्र आस-पास तथा जहाँ निराश्रित बाढ़-पीड़ित लोग शिविर डाले होते हैं, वहाँ दैनन्दिन जीवनोपयोगी सामग्री महँगी कर देते हैं। तीसरी ओर, पानी में डूबे भकानों में घुसकर वे चोरी करते हैं। प्रकृति की भार पर उनका यह दुष्कृत्य कोढ़ में खाज का काम करता है।

भारतीय दर्शन के मतानुसार पृथ्वी पर पाप के भार को कम करने के लिए प्रकृति दण्ड देती है। जल-प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण, मानव की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। ऐश्वर्य और विलास में मदान्ध देवों को शापित करने के लिए जल-प्रलय हुआ था।

कहते हैं दिल्ली में १९७८ की बाढ़ ने १०० वर्ष पुराना रिकार्ड तोड़ दिया था। क्या १९४७ के भारत-विभाजन में भारतवर्ष की घन-जन हानि और अपार राष्ट्रीय क्षति से भारत-भू के पापों का प्रक्षालन नहीं हुआ था, जो १९७८ में भारत को इतने भयंकर प्रकृति-प्रकोप से ग्रस्त होना पड़ा ?

किसी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन

(ऑल इंडिया १९५० : 'बे')

प्रकृति परमात्मा का अनुपम कृति है। प्रकृति का पल-पल परिवर्तित रूप उल्लासमय है, हृदयाकर्षक है। वह मुस्कराती रहती है, तो सर्वस्व लुटाकर भी हँसती है। सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय की छटा कितनी अनुपम होती है। इन मनोमुग्धकारी दृश्यों को देखकर कौन आत्मविभोर नहीं होगा ?

ऋतु-परिवर्तन प्रकृति की विभिन्न दृश्यावलियाँ हैं, एक-एक ऋतु का एक-एक दृश्य आनन्दमय होता है। एक-एक दृश्य का सजीव वर्णन कवियों और साहित्यकारों की आत्म-विस्मृति का परिचायक है।

प्रकृति का एक रूप नद-महानद है। जल की विपुल राशि समुद्र है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी का वर्णन करते हुए कवि महाकवि बन गए, लेखक महालेखक बन गए। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, कलम की शक्ति क्षीण हो गई, पर प्रकृति पुनः मुस्कराकर आह्वान कर उठी। पराजित महाकवि प्रसाद कह उठे, 'प्रकृति-सौन्दर्य ईश्वरीय रचना का एक समूह है अथवा उस बड़े शिल्पकार का एक छोटा-सा नमूना या उसको अद्भुत रस की जन्मदातृ कहना चाहिए। इसका सम्पूर्ण रूप से वर्णन करना तो मानो ईश्वर के गुण की समा-लोचना करना है।'

आइए, आपको दिखाएँ प्रकृति का एक करिष्मा, पल-पल रंग बदलती प्रवृत्ति-नटी का रूप। ऐसा प्राकृतिक दृश्य जिसे देखने विश्व के सुदूर देशों से लोग आकर अपने को धन्य समझते हैं। वह है कन्याकुमारी के सूर्यास्त का दृश्य।

भारत-भू के सुदूर दक्षिण छोर पर है कन्याकुमारी। अरब सागर, हिन्द महासागर और बंगाल की खाड़ी—इन तीनों के सगम-स्थल की उस घट्टान पर, जिस पर स्वामी विवेकानन्द ने समाधि सगाई थी, आज पवित्र मन्दिर अवस्थित

है और दूर-दूर तक फैली है काली चट्टानें। इन चट्टानों पर खड़ा होकर देखने पर सूर्यास्त के दृश्य का आनन्द बहुत ही अद्भुत और रोमांचकारी होता है। सामने अपार सागर लहराता दिखाई देता है और पीछे कन्याकुमारी के मन्दिर का दृश्य। चट्टानों की पंक्ति काफी दूर तक फैली हुई है। आखिरी चट्टान से सूर्यास्त का दृश्य खुले रूप में दिखाई देता है।

पश्चिमी क्षितिज पर धीरे-धीरे नीचे की ओर उतरता हुआ सूर्य स्पष्ट दिखाई देता है। दूर-दूर से आए हुए यात्रियों के झुंड-के-झुंड इस दृश्य को देखने के लिए चट्टानों पर चढ़ते हैं। आखिरी चट्टान तक कम ही लोग पहुँच पाते हैं। यात्रियों में तरह-तरह के लोग होते हैं। इनकी विविधता भी अपने-आप में कम रोचक नहीं होती।

आखिरी चट्टान तक पहुँचने पर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार दिखाई देता है। वहाँ से दूर तक रेत की एक लम्बी ढलान दिखाई देती है, जिसे देख कर ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र तक उतरने के लिए मार्ग तैयार किया गया हो। पीछे दाँई ओर नारियलो के झुरमुट दिखाई देते हैं। उधर पश्चिमी तट के साथ मूखी पहाड़ियों की एक लम्बी शृंखला दिखाई देती है।

सूर्य के गोले ने पानी के स्तर को स्पर्श किया। स्पर्श मात्र से पानी का रंग पीला हो गया। दृश्य देखकर लगा कि जल पर स्वर्ण गिरकर बिखर गया है। गोले के डूबने की क्रिया प्रारम्भ होने और डूबने के क्षणों में जल का रंग प्रतिपल प्रतिक्षण इस प्रकार परिवर्तित होता है कि आँखें अपलक देख तो पाती हैं, परन्तु मस्तिष्क उतना तेजी से उन रंगों को पकड़ नहीं पाता। सूर्य के गोले की समुद्र में पूर्ण जल-समाधि के समय जल रक्तवर्ण हो जाता है, मानो रक्त की धारा बह रही हो। रक्त की धारा भी चिरस्थायी न रही। कुछ क्षण बीते होंगे कि वह बैजनी रंग में बदल गई और अन्त में जल काला हो गया।

समुद्र-जल में डूबते समय सूर्य की रंग बदलती रंगीनी दशकों को मन्त्रमुग्ध कर लेनी है।

प्रकृति का एक रूप देखा। साथ ही समुद्र-तट की रेत को भी देख लीजिए। प्रसिद्ध कथाकार मोहन राकेश इस दृश्यावली का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

“यूँ पहले भी समुद्र तट पर कई रंगों की रेत देखी थी। सुरमई, छाकी, पीली और लाल। मगर जैसे रंग उस रेत में थे, वैसे मैंने पहले कभी कभी रेत

में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे वे, एक-एक इंच पर एक दूसरे से अलग—और एक-एक रंग कई-कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंघी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग-अलग सम्मिश्रण पाये जा सकते थे, वे सब वहाँ थे—और उनके अतिरिक्त भी बहुत-से रंग थे। मैंने कई अलग-अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसलकर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका, उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी-थोड़ी रेत अपने पास रख लूँ। पर उसका कोई उपाय नहीं था।

कितनी विवशता है मानव की। 'प्राकृतिक सौन्दर्य को देख तो रहा है, किन्तु स्पर्श नहीं कर पा रहा।'

प्राकृतिक दृश्यों का सौन्दर्य अनन्त है, असीम है। फूलों की कोमलता और उनका सौरभ एक ही प्रकार का रहने से भी तो काम चल जाता है, फिर इतनी शिल्पकला, पंखुड़ियों की विभिन्नता, रंगों की सजावट क्यों? यह प्रकृति-नटी की विविधता और रंगीनी ही तो है।



प्रातःकालीन भ्रमण

‘भ्रमण’ शब्द का वाच्यार्थ है घूमना, दधर-उधर विचरण करना। देश-विदेश में विचरण करना—भ्रमण करना— ज्ञान-वृद्धि का प्रमुख साधन है। इसके बिना जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। प्रसिद्ध विचारक आगस्टाइन के शब्दों में “विश्व एक बड़ी पुस्तक है, जिसमें वे लोग, जो घर से बाहर नहीं जाते, सिर्फ एक पृष्ठ ही पढ़ पाते हैं।”

देश-विदेश के भ्रमण का सुअवसर यदा-कदा ही एक कतिपय लोगों को ही मिल पाता है। भ्रमण का एक और बहुत उपयोगी रूप है—और वह है प्रातः अथवा मायंकाल सैर करना। भ्रमण का यह रूप व्यायाम का एक रूप है। प्रातः कालीन भ्रमण सबसे सरल किन्तु सबसे अधिक उपयोगी व्यायाम है।

गर्मियों में लगभग साढ़े चार-पाँच बजे और सर्दियों में पाँच-छः बजे का समय प्रातःकालीन सैर के लिए उपयुक्त है। विस्तर छोड़ने में थोड़ा कष्ट अनुभव होगा। गर्मियों की प्रातःकालीन हवा और उसके कारण आ रही प्यारी-प्यारी नोद का त्याग कीजिए। सर्दियों में रजाई का मोह छोड़िए और चलिए प्रातःकालीन सैर को।

सैर आप कहीं भी कीजिए, मनाही नहीं है। फिर भी अच्छा है कि किसी पहाड़ी को ओर जाइए, जहाँ रमणीक प्रकृति आपके चित्त को प्रसन्न कर देगी। किसी बाग-बगीचे या खेत में जाइए, जहाँ के सुन्दर विकसित फूल आपकी आँखों को प्रिय लगेंगे और उन्हें तोड़ने के लिए आपका मन ललचाएगा।

किसी नदी-तट पर जाइए, जहाँ आपके शरीर को नई स्फूर्ति मिलेगी। यदि इन स्थानों तक जा सकने का साँभग्य आपको प्राप्त न हो, तो ऐसी चौड़ी सड़क पर सैर कीजिए, जिसके दोनों ओर नीम, जामुन या कोई दूसरे वृक्ष हों।

सैर को जाने से पूर्व ध्यान रखिए कि आप शौच से निवृत्त हो चुके हैं न। बिना निवृत्त हुए मत जाइए। मुँह पर ठण्डे पानी के छपके मारिए। बालों में थोड़ा कंघी कर लाजिए। ऋतु अनुसार चुस्त वस्त्र पहनिए, किन्तु कम-से-कम।

चलिए सैर कीजिए। मौस, दो मौस, चार मौस, जितनी सामर्थ्य हो। हाँ, वाग-वगीने में कभी जूते पहनकर मत घूमिए।

प्रातःकालीन सैर पर निकलते समय या यात्रावरण बहुत सुन्दर होता है। पक्षी अपने-अपने घोंगलों में फडाफडा रहे होने हैं। मंद-मंद गुग्गिधन पवन चल रही होती है। रात्रि के चन्द्रमा और तारागण की ज्योति तन्मात्त-प्राय होती है। भगवान् भागकर उदय होने की तैयारी शुरू कर रहे होने हैं। आकाश बड़ा स्वच्छ होता है। गली में पाँच-भात ही व्यंजन फिरते नजर आते हैं। इस शान्त यात्रावरण को श्वान अपने घेमुरे स्वर में कभी-कभी भंग कर देता है।

सैर कीजिए, किन्तु घोटों की घास से नहीं, तेंजों से चलिए। सम्बे-लम्बे कदम हों और उनके साथ धारी-धारी में आगे पीछे पूरे वेग में हिल रहे हों आपके हाथ। मुँह को धोलने का कष्ट न कीजिए। नाक से साँस लीजिए। सम्बे-लम्बे साँस अधिक लाभप्रद रहते हैं। एक बात भूल गया; बूढ़ों की तरह बमर को झुकाकर नहीं, सीना तानकर चलिए।

रजाई के मोह और प्यारी-प्यारी नींद का त्याग और वह भी प्रातःकालीन सैर के लिए, बड़ा लाभप्रद होता है। आलस्य आपसे पराजित हो जाता है। सारे दिन शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। तेज चलने से शरीर के प्रत्येक अंग को बसरत होती है। खतनालियाँ धुलती हैं। स्वास्थ्य सुन्दर बनता है। चेहरे पर रौनक आती है। हरी-भरी घास पर पडी ओम-विन्दुओं पर नगे पाँव घूमने से आँखों की ज्योति बढती है।

आप सैर को चल रहे हैं, कोई मित्र मिला, हँसकर एक-दो मिनट गपशप हुई। हँसने से फेफड़ों को बल मिला। पटोमी मिला; नमस्ने हुई। बड़े बुजुर्ग मिले, चरण-स्पर्श किया; झोडा करते बच्चों की टोलियाँ मिनो, हृदय गुदगुदा गया। एक साथ इतने लोगो के दर्शन प्रातःकाल में ! चित्त प्रसन्न हो गया।

सैर से आप वापस आ रहे हैं। सूर्य ने अपनी प्रथम किरण पृथ्वी पर डाल दी है। ओह ! कितना सुन्दर दृश्य है। नीले आकाश में उदित होते लाल सूर्य को नमस्कार करने को मन चाहता है। मनुष्यों के साथ प्रकृति भी जग गई है। चहल-महल नजर आती है। पक्षीगण चहचहा रहे हैं और हमारी सैर का आनन्द खराब करने को मार्ग में भँगे झट्टू देने के लिए आ गया है और दिल्ली-परिवहन निगम की बसे भी धुआँ छोडती हुई दाँडने लगी है।

जहाँ फूल होते हैं, वहाँ कांटे भी होते हैं। आपकी सैर के मजे को जो किर-किरा करे, उससे बचने का प्रयत्न कीजिए। झाडू देते भंगी को अपना कर्त्तव्य-पालन करने दीजिए, बसों को अपनी जलन निकालने दीजिए। आप नाक पर रुमाल रखकर इनसे बच जाइए, मन खराब न कीजिए। मन खराब हुआ और सारी सैर का आनन्द लुप्त हुआ।

प्रातःकालीन सैर स्वास्थ्य-निर्माण करने का सर्वोत्तम उपाय है। यह सस्ता भी है, मोठा भी। जिसके लिए न डाक्टर को पैसे देने पड़ते हैं और न उसकी कड़वी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए प्रातःकालीन भ्रमण की उपयोगिता पर सुप्रसिद्ध कवि श्री आरसीप्रसादसिंह 'आरसी' का निम्नलिखित पद्य उल्लेखनीय है—

घूम रहा था मैदान में एक दिवस मैं प्रातःकाल।
तब तक फैला था न तरणि की अरुण-करुण किरणों का जाल।
प्रकृति-परी बोली मुस्काकर मुझसे अरे पथिक नादान।
जाते हो इस ओर कहाँ तुम नगे पैर और मुख-भ्लान।
मैंने कहा यही पर मेरा स्वास्थ्य खो गया है अनजान।
करता हूँ मैं उसी का इस पथ मे सखि ! अनुसन्धान ॥

कवि ने कितने सुन्दर ढंग से इस तथ्य को प्रकट किया है कि प्रातः-कालीन भ्रमण से मनुष्य किसी भी कारण खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर सकता है। आइए ! आज से प्रण करे कि हम प्रातःकालीन सैर अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे।

✱

नदी-तट का भ्रमण

(दिल्ली १९६४ : 'बो')

नदी-तट के भ्रमण में मन रम्य होता है, शरीर चुस्ती अनुभव करता है, नेत्र हरियाली का आनन्द उठाते हैं, और जल-श्रीड़ा की देखते हुए अतृप्त ही रहते हैं। थकने पर पानी में पैर लटका कर वंछने से थकान दूर हो जाती है और फिर मन कहता है नदी-तट के भ्रमण का और आनन्द लूटें।

नदी-तट के वृक्षों, पांघो, क्यारियों की हरियाली के मध्य भ्रमण मानव और प्रकृति का सुन्दर समागम है। नगे पैर घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। इससे मस्तिष्क सम्बन्धी विकार दूर हो जाते हैं, मस्तिष्क सबल बनता है। चाल जरा तेज रखिए, फिर लूटिए आश्चर्यजनक का आनन्द। उधर हरियाली सूर्य का स्वागत करने के लिए पाणि-पल्लव पसार रही हो, उन पर बैठे विहगवृन्द किल्लोल कर रहे हों, तो लगता है भ्रमणके साथ-साथ माँ सरस्वती की वीणा की झंकार सुनाई पड़ रही है।

एक ओर नदी, दूसरी ओर हरियाली, तीसरी ओर धीमे-धीमे बहती शीतल पवन। शीतल, सुगन्धित पवन कभी वृक्षों से अठखेलियाँ करती और कभी लाज भरी कलिकाओं का धूँध उठाकर हठात् उनका मुख झाँक जाती है। कभी-कभी शिथिल पत्रांक में सुप्त कलिकाओं को झकझोरती है। यह पवन जब भ्रमण करते शरीर से टकराती है, तो हृदय वल्लियो उछलता है, मन आत्मानन्द की अनुभूति अनुभव करता है। जो चाहता है चाल धीमी करके धीमे बहती वायु का धीमे-धीमे आलिंगन किया जाए, ताकि इससे श्वासोच्छ्वास क्रिया से रक्त शुद्ध हो, फेफड़ों को बल मिले, शरीर नीरोग हो, अजीर्णता का शिकार न बने।

सूर्य उदय हो रहा है। बाल-रवि के प्रतिबिम्ब को पानी में लोट-पोट कर नहाता देखकर भ्रमण करने वाले रुक जाते हैं। जल पर बिखरी लाल-पीली किरणें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो पानी में सोना बह रहा हो। दृश्य देखते मन नहीं भरता, निरन्तर आगे बढ़ने की लालसा बनी रहती है।

नदी-तट पर भ्रमण हो रहा है। घोती-कुर्ता पहने दिल्ली के व्यापारी जोर-जोर से बहस करते घूम रहे हैं। बुड्डों की टोली हंसी-मजाक करती शनैः-शनैः बढ़ रही है। नवयुवक-नवयुवतियों के झुंड तेजी में नदी-तट को पार कर जाना चाहते हैं। कुछ दौड़ लगाकर व्यायाम में भ्रमण का आनन्द ले रहे हैं, तो कुछ लोग इतनी तेजी से चल रहे हैं, मानो किसी प्रिय को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हों।

यह लीजिए, बालकों की बन्दर-टोली चली आ रही है भ्रमणार्थ। बालक और सीधे चलें तो बन्दर इन्हे कौन कहे? मछरना, शरारत करना, शोर मचाना, मार्ग को पूर्ण रूपेण घेर कर चलना इतकी आदत में शुमार है। नदी में पत्थर फेंक दें, बड़े बुजुर्गों की टोली को चीर दें, किसी की नकल उतार दें, यह सब इनके लिए क्षम्य है। ये भ्रमण में व्यायाम का सही आनन्द लेते हैं।

जरा सैर का शौक देखिए। ये बूढ़े-बुढ़िया ८०-८२ के लगभग होंगे, पर छोड़ी टेक-टेक कर मस्तानी चाल का मजा लूट रहे हैं। दूसरी ओर अघरग का मारा अघेड चींटी की चाल चल रहा है, पर मन में उत्साह है, तन में स्फूर्ति है। लीजिए, गृहणियाँ भी परदे से बाहर निकल आईं ठंडी हवा का झोका लेने। पल्लू सिर से उतर गया है, तो कोई बात नहीं, केश-विन्यास शिथिल पड़ गया है, तो कोई चिन्ता नहीं। चिन्ता तो ये घर पर छोड़कर मौज-मस्ती लेने तो आई हैं नदी-तट पर।

नदी-तट के भ्रमण में भ्रमण का ही आनन्द लीजिए। भ्रमण में सँपेरे, कंजड़, भगवां वस्त्रधारी साधु हाथ पसारे मिलेंगे। जटा-जूटधारी विभूति-अलंकृत 'शंकर बम भोला' के उद्धोषी आशीर्वाचन की झडी लगाते हुए मिलेंगे। भारत की दरिद्रता के प्रतीक भिखमगे शोली पसारे दिखाई देंगे। आप मुँह न बनाइए, नाक न सिकोडिए। चुपचाप अतदेखी करके निकल जाइए। जहाँ इनके चक्कर में पड़े, वही भ्रमण का आनन्द समाप्त हुआ।

नदी-तट का एक लाभ स्वतः आपको मिल जाएगा। नदी-तट के मंदिरो में जगत्-नियन्ता को मत्था टेककर पुण्य कमा लीजिए। कही 'ओम् जय जगदीश हरे' की आरती हो रही है, चाहे तो एक कर मन की शांति ले लीजिए, अन्यथा भ्रमण करते-करते श्रवणेन्द्रिय को खुला रखिए। बाणी से खुद व खुद आरती के बोल निकलने लगेंगे। भ्रमण में मन की शांति और प्रसन्नचित आनन्द का साथ।

नदी-तट का भ्रमण न केवल तन में स्फूर्ति भरता है, स्वस्थ रखता है, अपितु मन-मस्तिष्क को शान्त रखकर मनोबल बढ़ाता है। नदी-जल का नतन और तट के पेड़-पौधे अपनी मस्ती से सुगन्धित पवन द्वारा हृदय को शुद्ध रक्त प्रदान कर बलवान बनाते हैं। नदी-तट के पूजा-स्थल भ्रमणार्थी को परमपिता परमेश्वर का स्मरण करवा कर पावन कर्मों को करने का संदेश सुना जाते हैं। भ्रमणान्तर शीतल जल से स्नान मानव को तन, मन से स्वच्छ करके दैनन्दिन जीवन में जुटने का साहस प्रदान करता है।



वृक्षारोपण : एक आवश्यकता

(अंल इंडिया १९८१ : 'बी', दिल्ली १९८४ : 'बी')

पृथ्वी को शोभायमान रखने के लिए, स्वास्थ्य-वृद्धि के लिए, वर्षा के निमंत्रण के लिए, विविध प्रकार के पर्यावरण के नाश के लिए, प्राणिमात्र के पोषण के लिए, महस्यल का विस्तार गेकने के लिए, उद्योगों की वृद्धि के लिए, राष्ट्र को अकाल से बचाने के लिए फल, लकड़ी, जड़ी-बूटी आदि की प्राप्ति के लिए वृक्षारोपण एक आवश्यकता है।

वृक्ष पृथ्वी की शोभा है, हरियाली का उद्गम है, स्वास्थ्य वृद्धि की बूटी है, वर्षा का निमंत्रण है, प्रकृति का रक्षक है, पर्यावरण का नाशक है, प्राणिमात्र का पोषक है। वृक्ष अपने पत्तों, फूल, फल, छाया, मूल, बल्कल, काष्ठ, गन्ध, दूध, भस्म, गुठली और कोमल अंकुर से प्राणि-मात्र को सुख पहुँचाता है।

अधिक वृक्षों से अधिक वर्षा होगी। वर्षा से पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। खेती फले-फूलेगी। पृथ्वी पर हरियाली छाएगी। महस्यल फैलने से रुकेंगे। सर-सरोवर जल से लहलहा उठेंगे। प्राणि-मात्र का पोषण होगा।

नील गगन के नीचे पत्तियों में छिपी हुई लाल-लाल नारंगियाँ, पके हुए रसमय आम, सुस्वादु केले, गुलाबी सेब, अनूठे अखरोट, लाल-लाल लीचियाँ, अमरूद, बेर, अनार, सन्तरे-मोसमी, खट्टे-मीठे नींबू, लुकाट, ककड़ी, खरबूजा, पपीता, खीरा, तरबूज न जाने कितने फल इन वृक्षों से प्राप्त होते हैं। फल स्वास्थ्य की प्राकृतिक औषधि है। मानव-मात्र के लिए कल्याण-प्रद फल वृक्ष ही तो देते हैं। अतः वृक्षारोपण अत्यन्त आवश्यक है।

बाँस की लकड़ी और घास से कागज बनता है। खैर के पेड़ की लकड़ी से कत्या और तेन्दू वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनती है। लाख और चमड़ा भी वृक्षों से मिलता है, जो खिलौने बनाने और रंग में मिलाने के काम आता है। वृक्षों की छाल और पत्तियों से अनेक जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं, जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। नीलगिरि के वृक्षों से रबड़ मिलता है। इनकी उत्पादन-वृद्धि के लिए अधिक

वृक्ष उगाने की होड़ चाहिए ।

इंधन के लिए लकड़ी चाहिए । दरवाजे, खिड़कियाँ, अलमारी, मेज-कुर्सी, सोफा-सैट आदि सामान बनाने के लिए लकड़ी चाहिए । गुल्ली-डंडा, बैट, हॉकी आदि खेल-साधनों के लिए लकड़ी चाहिए । लकड़ी की प्राप्ति का माध्यम है वृक्ष । वृक्ष होंगे, तो लकड़ी होगी ।

सड़क के किनारे छायादार वृक्ष तो यात्रियों के प्राण हैं । इनकी छाया में चलने में कष्ट नहीं होता । लू, धूप, शीत और वर्षा से रक्षा तो होती ही है, थकावट भी कम लगती है । पक्षियों का तो प्राणधार ही पेड़ है । पक्षी पेड़ों पर नीड़-निर्माण करते हैं । उनके फल-पत्तियों से उदर-पूर्ति करते हैं । उन पर बैठ कर कनरव करते हुए मनोविनोद करते हैं ।

वृक्ष जलवायु की विषमता को दूर करते हैं । जहाँ वृक्षाधिक्य होता है, वहाँ गर्मियों में गर्मी कम लगती है और शीत ऋतु का ठंड भी कम असर करती है ।

वृक्ष पर्यावरण का नाशक है । पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग से, इंधन के जलने से, मिल-फैक्टरियों के कचरे और चिमनी के धुएँ से जो प्राणनाशक गंदी वायु उत्पन्न होती है, उसे वृक्ष भक्षण करते हैं । बदले में प्राणप्रद वायु छोड़ते हैं । औद्योगिक उन्नति ने महानगरों में पर्यावरण-सकट उत्पन्न कर दिया है, जिससे शुद्ध वायु तथा शुद्ध भोजन का अभाव उत्पन्न हो गया है । महानगरों में साँस लेना भी कठिन होता जा रहा है । इस सकट के निवारण का एकमात्र उपाय है वृक्षारोपण ।

पेड़-पौधों के प्रति प्रेम की भावना हमारे देश के लोगों में बहुत प्राचीन-काल से है । भारतवासी इन पेड़-पौधों को लकड़ी का साधारण रूठ ही नहीं, बल्कि उन्हें देवता मानते आए हैं । आज भी हम शनिवार को पीपल की पूजा करते हैं । बरगद के पेड़ के नीचे भगवान् बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए अक्षय वट की पूजा आज भी होती है । आमलकी एकादशी को अंबला पूजा जाता है । तुलसी की पूजा तो घर-घर में होती है ।

मत्स्य पुराण के अनुसार एक वृक्ष का आरोपण दस पुत्रों के जन्म बराबर है । बराह पुराण के अनुसार, 'पंचाम्रवापी नरकं न याति'—आम के पाँच पौधे लगाने वाला कभी नरक जाता ही नहीं । विष्णु-धर्म-सूत्र के अनुसार, 'एक व्यक्ति द्वारा पालित-पोषित वृक्ष एक पुत्र के समान या उससे भी कहीं अधिक महत्त्व

रखता है। देवगण इसके पुष्पों से, यात्री इसकी छाया में बैठकर, मनुष्य इसके फल-फूल खाकर इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं।' पद्म पुराण का कहना है, 'जो मनुष्य सड़क के किनारे वृक्ष लगाता है, वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक सुख भोगना है, जितने वर्ष वह वृक्ष फलता-फूलता है। पुण्यों के ये कथन पुण्य-प्राप्ति के लिए वृक्षों से प्रेम करना सिखाते हैं। हमें सद्-उपदेश देते हैं कि राष्ट्र को सुखी और सुन्दर बनाने के लिए अधिक-से-अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए।

हिन्दुओं ने वृक्ष लगाने का एक बड़ा सुन्दर उपाय खोज निकाला था। जिस स्थान पर शव को जलाया जाता है, वहाँ पर चाँधे दिन फूल चुनने के बाद चिता के चारों कोंनों पर चार वृक्ष लगाने का विधान है, जो अब केवल चार टहनियाँ गाड़कर पूरा कर दिया जाता है। ३६० दिन तक इन वृक्षों को दूध और पानी से सौचने का भी विधान था, जो आज पीपल की जड़ में इकट्ठे ३६० लोटे पानी लुढ़का कर पूरा कर दिया जाता है। क्या ही अच्छा हो कि यह प्रथा फिर से ज्यों-की-त्यों लागू हो जाए, जिससे प्रतिमास लाखों की संख्या में वृक्षों की वृद्धि होने लगे।

केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण से परिदृश्य के लिए 'प्रकृति की रक्षार्थ' राष्ट्रीय समिति गठित की है। छठी योजना में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया है। प्रकृति की रक्षा और प्राकृतिक संतुलन के लिए प्रत्येक विकास-खण्ड में प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, जो ग्रामीणों को न केवल वृक्षारोपण का महत्त्व समझाएंगे, बल्कि उन्हें उपयोगी वृक्षों की पौध भी उपलब्ध कराएंगे।

वर्तमान भारत में जबकि पर्यावरण का संकट बढ़ता जा रहा है, ओलावृष्टि और अममय वर्षों से फसल नष्ट हो रही है; अकाल की वेदी पर प्राणी अपने जीवन की आहुति दे रहे हैं, जनसंख्या की अंध-वृद्धि के कारण ईंधन, इमारती लकड़ी और खेल-कूद के सामान की माँग सुरसा के मुँह की तरह बढ़ रही है; बीमारियों पर विज्ञान की विजय के लिए जड़ी-बूटी, वृक्ष-चर्म और पत्र-पुष्प-फल की अत्यधिक आवश्यकता है; ज्ञान-प्रसार की दृष्टि से कागज की अत्यधिक माँग है, तब तेजी से वृक्षारोपण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं।

पर्वतारोहण का शोक

(दिल्ली १९७६ : 'ए')

पर्वतारोहण का शोक अत्यन्त साहसपूर्ण अभिरुचि है, जान-बूझकर मृत्यु-देवता से टक्कर लेने की प्रबल इच्छा है, प्रकृति की चुनौती को स्वीकार करने का अदम्य उत्साह है, जीवन और जगत् की छाई को पार करने की अनोखी धुन है, भयकर तूफान से जूझने का व्यसन है।

हमारा शोक हमारे जीवन की परख है, हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। डॉ० मर्वपल्ली राधाकृष्णन् को अध्ययन का शोक था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अचकन में गुलाब का फूल लगाने में रुचि थी, मोरारजी भाई देसाई को योग-आसन करने का शोक है और राजनीतियों को हवाई किले बनाने तथा शूट आश्वासन देने का शोक होता है।

शोक की विचित्रता देखिए। जर्मनी के महान् कवि गेटे प्रातः भ्रमण करते थे। प्रातः भ्रमण के लिए प्रायः सड़क पर घूमते थे। घूमते हुए सड़क के दोनों ओर के मकान गिना करते थे। उनका यह क्रम प्रतिदिन चलता था।

अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक चेस्टाटन को यात्रा करने का बड़ा शोक था। यात्रा के बड़े-बड़े प्लान बनाने पर वह हफ्तों मित्रों से बहस करता था और जब यात्रा पर निकलता, तो कुछ घंटे स्टेशन पर गुजार कर वोरिया-विस्तरे के साथ वापिस आ जाता था।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेजामिन डिजरायली को विरोधियों पर नोडन डटाध करने का शोक था। उस शोक के कारण उसने मुप्रसिद्ध बुजुर्ग पार्लियामेंटैरियन सर डेनियल जोकोपेल को भी नहीं बर्खास्त किया। ब्रिटेन की संसद् में भूचाल आ गया, किन्तु डिजरायली अर्ध मुस्कान के साथ चोट करता रहा।

शोक अभी छूटना नहीं, जब तक कोई विशेष हृदसा न हो जाए। 'सागी लगन छूटना नहीं जीम घोंच जरि जाए'। पर्वतारोहण का शोक अत्यन्त दुग्गाहम-पूर्ण, दहत मेंहगा और सामूहिक एकता पर निर्भर है। इसमें व्यक्तिगत इच्छा-पूर्ति बिना माधियों के एक पग भी नहीं बढ़ा सकती। आधुनिक यन्त्र, मात्र-मामान,

साव-लश्कर के बिना शौक पूरा करना क्षितिज के पार पहुँचने की कल्पना है।

पर्वतारोहण का अर्थ शिमला, मंसूरी, दार्जिलिंग या काश्मीर की पक्की सड़कों की चढ़ाई नहीं। पर्वतारोहण का अर्थ ऐसे पर्वतों पर चढ़ाई है, जहाँ विधिवत् मार्ग न हो, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ मार्ग रोके खड़े हों, बर्फीली चोटियाँ पर्वतारोहण के शौक को चुनौती देती हो। जैसे एवरेस्ट का आरोहण अथवा नीलकंठ की चढ़ाई।

पर्वतारोहण का शौक पूरा करने के लिए वैज्ञानिक चाहिए, जो मौसम का अनुमान लगा सकें। भूगोलवेत्ता चाहिए, जो पहाड़ पर चढ़ने का मार्ग-दर्शन कर सकें। पर्वत पर हवा का दबाव कम हो जाता है। इसके लिए ऑक्सिजन गैम के सिलेंडर चाहिए। हवा, पानी और बर्फ में सुरक्षा के लिए विशिष्ट वस्त्र और जूते चाहिए। मदेश-प्रेषण का यत्र चाहिए। भोजन रखने के डिब्बे चाहिए। भोजन पकाने के लिए चूल्हा और अकस्मात् अहित होने पर दवाई चाहिए। बर्फ काटने की कुल्हाड़ी, फावड़े और ऊपर चढ़ने के लिए रस्नी तथा खूटियाँ चाहिए। निवाम और विश्राम के लिए तम्बू तथा पहाड़ के नक्शे चाहिए। इन सारे सामान को ढोने के लिए प्रशिक्षित कुली चाहिए। कम महत्व की वस्तुओं में कैमरा या फोटो-ग्राफर चाहिए।

इस शौक की पूर्ति के लिए कितना मानव-श्रम, कितना सामान-मामग्री और कितने प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसका अनुमान तो उक्त विवरण से लग गया, किन्तु उस पर कितना खर्च आएगा, यह कल्पनातीत है। हिसाब जोड़ें तो लाखों में पड़ता है। है न भारी खर्चीला शौक।

१८ मई, १९२१ से अब तक पर्वतारोहण का शौक पूरा करने में कितनो ने हिम-समाधि ली, कितने हिम में मार्ग-भ्रष्ट होकर सदा-सदा के लिए वहाँ के हो गए, कितनो को तूफानी-बर्फीली हवाएँ उड़ाकर पर्वतारोहण का मजा चखा गई। देवात्मा हिमालय पूछ बैठे, 'क्या तुम भी पाण्डवों की भाँति आत्ममर्पण करने आए हो ?'

पर्वतों में मार्ग ढूँढ़ना, बर्फ काट-काटकर मार्ग बनाना, बर्फ में क्रील गाड़ना, रस्से के सहारे ऊपर चढ़ना, बर्फीली हवाओं का सामना करना, स्थान-स्थान पर पड़ाव डालना, तम्बू गाड़ना, भोजन तैयार करना, विश्राम करना, रात्रि के भयंकर अंधकार की चुनौती स्वीकार करना, अकस्मात् हिम खंड गिरने पर सर्वनाश की कल्पना से भी विचलित न होना, तेज बर्फ और बर्फीली आँधी आने पर अपना, अपने साथियों तथा सामान का बचाव कर पाना बहुत जीवट का

काम है, आत्म-विश्वाम सजोये रखने का धर्म है और मृत्यु की चुनौती का वीरता से प्रतिकार। कारण, बर्फ पर चढ़ाई अत्यन्त जोखिम की चढ़ाई होती है। उसमें कीलें गाढ़ना और रस्सी बाँधना मौत को निमंत्रण देना है।

पर्वतारोहण का शौक १८५७ में अल्पाइन क्लब की स्थापना से आरम्भ हुआ। सन् १९०७ में इस क्लब की ओर से मिस्टर मऊ पहले पर्वतारोही चुने गए, किन्तु भारत-सरकार की अनुमति के अभाव में यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। २८ मई, १९२१ को जनरल सर चार्ल्स ब्रूस के नेतृत्व में पर्वतारोहियों की पहली टोली हिमालय पर एवरेस्ट आरोहण के लिए गई। इस टोली ने चार मास में हिमालय के कुछ रहस्यों का पता लगाया। इसके बाद तो विभिन्न राष्ट्र अपने-अपने ढंग से हिमालय को पराजित करने के लिए आरोहण करने लगे। दस बार आरोहण-योजनाएँ असफल हुईं। अन्ततः २६ मई, १९५३ के दिन बर्नल हंट के नेतृत्व में बर्नल हंट और शेरपा तेनसिंह ने मध्याह्न साढ़े ग्यारह बजे एवरेस्ट पर मानव-पग रख दिए। बीस मिनट तक एवरेस्ट-शिखर पर रहने वाले ये प्रथम पर्वतारोही थे।

इसी प्रकार नीलकण्ठ शिखर के आरोहण का प्रारम्भ सन् १९१३ में ब्रिटिश पर्वतारोही श्री मीड ने किया। उसके पश्चात् १९३७, ४७, ५१ में पर्वतारोही योद्धाओं ने भगवान् शंकर के भस्तक को स्पर्श करने का दुस्साहम किया, किन्तु वे असफल रहे। सन् १९५६ में पहला भारतीय पर्वतारोहण दल एअर वायस मार्शल एस० एन० गोयल के नेतृत्व में गया। दूसरा दल सन् १९६१ में गया। इसे हिमालय-पर्वतारोहण प्रशिक्षण-विद्यालय दार्जिलिंग ने सत्तार्षस वर्षीय कप्तान नरेन्द्रकुमार के नेतृत्व में भेजा था। अकरमात् हिम-वर्षा हो गई। दल का साहस टूट गया, किन्तु श्री ओ० पी० शर्मा विचलित नहीं हुए और दो शेरपाओं के साथ मौत से खेलते हुए शेष ४४० फुट की चढ़ाई चढ़ गए। पाँच वज चुने थे, अंधकार छा गया था, फिर भी उन्होंने नीलकण्ठ भगवान् की पूजा की। तीनों वीरों ने नीलकण्ठ की चोटी पर गूडे-गूडे रात बिताई।

पर्वतारोहण का शौक अत्यन्त साहस, शौर्य तथा सहनशीलता का परिचायक है। बिना प्रशिक्षण यह शौक पूरा नहीं हो सकता। प्रशिक्षण के बाद भी बिना टीम-टोली के, बिना टीम-स्प्रिट के तथा बिना उपकरण और साधनों के यह शौक म्युज बनकर रह जाता है।

भारत का किसान

(दिल्ली १९८२ : 'ए')

'किसान' कठोर परिश्रम, त्याग और तपस्वी-जीवन का दूसरा नाम है। किसान का जीवन कर्मयोगी की भाँति निद्री से रत्न उत्पन्न करने की साधना में लीन-रहता है। वीज्याग सन्ध्याली की भाँति उत्कृष्ट जीवन परम संतोषी है। तनवी धूप, रुड़कती नदी और घनघोर बरसों में तपस्वी की भाँति वह अपनी साधना में अडिग रहता है। नमी श्चुर्ण उसके नामने हँसती-खेलती निकल आती है और वह उनका आनन्द नूटता है। यह उसके जीवन की विशेषता है।

मृष्टि का पालन विष्णु भगवान का कर्तव्य है। मानव समाज का पालन किसान का धर्म है। अब किसान में हम भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। प्राणिमात्र के जीवन को पालने वाले किसान का तपस्या-पूर्ण त्याग, अभिमान-रहित उदारता, इनामि रहित परिश्रम उसके जीवन के अंग हैं। उसमें गुण की लालसा नहीं होती। कारण, दुःख उसका साथी है। संसार के प्रति अनभिग्रता और अज्ञानता से उसमें आत्म-म्लानि नहीं होती, न परिद्वेष में पीनता का भावचोष होता है। ये उसके जीवन के गुण हैं।

अहनिश वह कर्म-रत है। ब्रह्म-मुहूर्त में उठता है। पुत्रसम बँलों को भोजन परोसता है, स्वयं हाथ-मुँह धो, कलेवा कर कर्मभूमि 'सो' में पहुँच जाता है। उपा की किरणें उसका स्वागत करती हैं। दिन भर कठोर परिश्रम करेगा। स्नान-ध्यान, भजन-भोजन, विश्राम—सब कुछ कर्मभूमि पर ही करेगा। गोधूमि के समय अपने बैचों के साथ हल सहित घर लौटेगा। धन्य है, ऐसा कर्मयोगी जीवन!

चित्रचित्रलाती धूप, पसीने से तर शरीर, पैरों में छाये आँसू के माली तपन। सामान्य जन छाया में विश्राम कर रहा है, किन्तु उस मत्तामायन की यह विचार ही नहीं आता कि धूप के अतिरिक्त कहीं छाया भी है।

, मूननाधार बपों ही रही है, विगनी कइर रही है, भयभीत जन

डूँड रहा है, किन्तु यह देवता-गुरूप कर्मभूमि में अपनी फसल की रक्षा में संलग्न है। वरुण देवता की ललकार का सामना कर रहा है। बाहरे साहसिक जीवन!

जाड़े की सनसनाती पवन शरीर को चीर रही है और जीर्ण-शीर्ण गाड़े (मोटा खहर) के वस्त्रों में यह दीन पृथ्वी-मुत्र निस्संकोच कर्म-मोर्चे पर अटल है। बर्फलि पानी में नंगे पैरों से खेतों में विचरण करता किसान 'योगिराज' प्रतीत होता है।

प्रकृति के पवित्र वातावरण और शुद्ध वायुमंडल में रहते हुए भी वह दुर्बल है, किन्तु उसकी हड्डी वज्र के समान कठोर है। शरीर स्वस्थ है, व्याधि से कोसों दूर।

रात-दिन के कठोर जीवन में मनोरंजन के लिए स्थान कहाँ? रेडियो पर सरस गाने सुनकर, यदा-कदा गाँव में आई भजन-अंडली के गीत सुनकर या कचहरी की तारीख भुगतने अथवा आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए शहर आने पर पक्कर देखने में ही उसका मनोरंजन सम्भाव्य है।

भारतीय कृषक-जीवन के भाष्यकार मुशी प्रेमचन्द का विचार है—'किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें सन्देह नहीं। उसकी गाँठ से रिश्तत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, भाव-ताव में भी वह चौकस होता है। वह किसी के फुसलाने में नहीं आता।' दूसरी ओर उसका सम्पूर्ण जीवन प्रकृति का प्रतिरूप है। वृक्षों में फल लगते हैं—उन्हे जनता खाती है। खेती में अनाज होता है—वह ससार के काम आता है। गाय के दूध में दूध होता है—वह खुद ही नहीं पीता, दूसरे ही उसे पीते हैं। इसा प्रकार किसान के परिश्रम की कमाई में दूसरों का साक्षा है, अधिकार है। उसके स्वार्थ में परमार्थ है और उसकी सेवा निष्पाम है।

एक ओर भारतीय कृषक कर्मयोगी है, दूसरी ओर धर्मभीरु भी है। गाँव का पंडित उसके लिए भगवान का प्रतिनिधि है। उसकी नाराजगी उसके लिए अभिशाप है। इस शाप-भय ने इहलोक में उसे नरक भोगने को विवश कर रखा है। तीसरी ओर वह कायदे-कानून से अनभिज्ञ भी है, तो साहूकार अथवा बैंक का कर्जदार भी है। निम्न वर्ग का किसान कर्ज में जन्म लेता है, साहूकारी प्रथा में जीवन भर पिसता है और कर्ज में ही मर जाता है। उसकी कठिन कमाई पर ये नर-गिद्ध ऐसे टूटते हैं कि उसका सारा मांस नोच-नोचकर उसे ठठरी बना देते हैं। व्याज का एक-एक पैसा छुड़ाने के लिए वह घटो चिरोरी करता है।

इस तपस्वी के जीवन की कुछ कमजोरियाँ भी हैं। अशिक्षा के कारण बातों-बातों में लड़ पडना, लट्ठ चलाना, सिर फोड़ना या फुडवा लेना, वशानुवश शत्रुता पालना, किसी के खेत जलवा देना, फसल कटवा देना, जनता के प्रहरी पुलिस में मिलकर पड्यन्त्र रचना, मुकदमेवाजी को कुल का गौरव मानकर उस पर बेतहाशा खर्च करना, ब्याह-शादी में चादर से बाहर पैर पसारकर झूठी गान दिखाना—इसके जीवन के अन्धकार-पक्ष को प्रकट करने वाले तत्त्व हैं।

आज भारतीय किसान का जीवन संक्रमणकाल से गुजर रहा है। एक ओर वह शिक्षित हो गया है, खेती के लिए नए उपकरणों और सघन खेती करने के साधनों का प्रयोग करता है, आर्थिक सम्पन्नता की ओर अग्रसर है, रहन-सहन में नागरिकता की स्पष्ट छाप उसके जीवन पर प्रकट हो रही है, तो दूसरी ओर उसमें उच्छृंखलता व उद्दण्डता और बेईमानी, चालाकी और आधुनिक जीवन की विषमनाएँ, कुसंस्कार और कुरीतियाँ घर कर रही हैं। अब उसके घेरे-पोते किसानों में नाता तोड़कर बाबू बनने लगे हैं। खेतों की सुगन्ध-सम्पन्न हवा में उन्हें धूल अधिक दिखाई देने लगी है, जिससे वस्त्र खराब होने का भय है।

इस कठोर परिश्रमी, धर्मभीरु और स्वाभिमानी भारतीय कृषक का जीवन भविष्य में किन विचित्र धाराओं में प्रवाहित होगा, यह कहना कठिन है।



भारतीय गाँव

(ऑल इण्डिया १९८५, ७८ : ए; ८४ बी; दिल्ली ७७ : ए)

भारत माता ग्रामवासिनी है। भारत की ८५ प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है, अतः भारत के गाँव भारत की आत्मा हैं, भारतीय जीवन के दर्पण हैं, भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं।

भारतीय गाँव प्रकृति का वरदान हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य-सुपमा के घर हैं, भारत के निवासियों के लिए अन्न, फल-फूल, साग-सब्जा, दूध-घी के प्रदाता हैं। सेना को सैनिक, पुलिस को सिपाही और श्रमिक-प्रतिष्ठानों को मजदूर गाँवों से ही मिलते हैं।

दूसरी ओर, भारतीय गाँव भारत की सबसे पिछड़ी बस्ती हैं, दरिद्रता की साकार प्रतिमा हैं, अज्ञान और अशिक्षा की धरती हैं, रोग और अभावों के अड्डे हैं, ईर्ष्या और द्वेष के अग्नि-कुंड हैं, शिखालयों और औपघालयों की पहुँच के परे हैं, मुकदमेबाजी के अखाड़े हैं।

भारतीय गाँव सदियों से शोषित हैं, पीड़ित हैं। महाजन, सेठ-साहूकार, राजनेता, राज्य-कर्मचारी, पुलिस, धर्म के ठेकेदार, संस्कृति के रक्षक तथा गाँवों के लठैल उसको लूट रहे हैं। गाँव का किसान शहर में मजदूरी करने को विवश है। प्रकृति के चितेरे पंत ने ठीक ही कहा है—

विश्व-प्रगति से निपट अपरिचित, अर्ध सभ्य, जीवन रुचि संस्कृत।

रूढ़ि रीतियों से गति कुठित, राहु-असित शरदेन्दु हासिनी ॥

भारत माता ग्रामवासिनी ॥

गाँवों की दुर्दशा का मुख्य कारण है अशिक्षा। स्वतन्त्रता के पश्चात् गाँव में प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध हो गया है, किन्तु हाई स्कूल और कॉलेज तो शहर भी कस्बों और नगरों में हैं। ग्रामीण नारी तो अब तक 'काला अक्षर भैस बराबर' की कहावत को चरितार्थ करती आ रही है।

अशिक्षा अज्ञान की जननी है। अज्ञान अन्धकार का पथ-प्रदर्शक है, ईर्ष्या

द्वेष का सहयोगी है। दूसरे के खेत का पानी अपने खेत में कर लेना, दूसरे की कटी फसल अपने खेत में डाल लेना, दूसरे के हरे-भरे खेतों में अपने पशु छोड़ देना किन्तान की अज्ञानता के प्रतीक हैं। दूसरी ओर जिससे अदावत हो उनके पशु हँका देना, खेत कटवा देना, खनिहान फूंक देना, घर में सेंध लगवा देना आम प्रवृत्ति है। घात-घात में झगटना, लट्ठ बरसाना, भाते-फरसे निकाल लेना ग्रामीण का स्वभाव बन गया है। पुस्तैनी तथा पानदाती लडाइयों का रक्त देकर जननी जनती है और घुट्टी में वैरभाव का रस पिलाती है। अज्ञान जब अन्धकार की ओर पग बढ़ाता है, तो मेदन्त की कमाई को मुकदमेबाजी में बरवाद करता है।

अज्ञानता का दुष्परिणाम है कि सेठ-साहूकार ग्रामवासियों को लूटते हैं। पाँच देकर दम पर अंगूठा टिकवाते हैं। मूद में उनके कपड़े उतारते हैं और मूल में लगेको बंधुवा मजदूर बना लेते हैं। जन्मोत्सव, शादी तथा अन्य धार्मिक और पारिवारिक उत्सवों में ग्रामीणजन झूठी शान में चादर से बाहर पैर पना-रते हैं और अपने भविष्य का अंधागार का निमन्त्रण देते हैं। अपना भला-बुरा सोचने का ताकत उममें नहीं है।

भारतीय गाँव मध्यता और आधुनिक मुख-मुविधा से कोसो दूर है। अरवाद रूप में कुछ पक्के मकानों को छोड़कर कच्चे मकान और झोंपड़ियाँ वहाँ के निवास-स्थान हैं। पेय जल का वहाँ अभाव है। मल-मूत्र-विसर्जन की विधिवत् निष्कासी नहीं। गाँवों में गड़बड़े मडते हैं, दुर्गंध पैदा करते हैं। विजली के लाभ से वे बचिन् हैं।

गाँव में चिकित्सालय नहीं। प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं, क्वालिफाइड नर्स नहीं। नीम हकीम का राज्य है, जो खतरा-ए-जान है। जादू-टोना आज भी ग्रामवासियों में स्वस्थ रहने का औपध है। गंडा-ताबीज उनके स्वास्थ्य-प्रहरी है, भाग्याविधाता है। इसीलिए गाँव में बच्चे जन्म से रोगी होते हैं।

गाँव का पंडित गाँव का देवता है। धर्मभीरु गाँववासियों के लिए वह पर-मात्मा का प्रतिनिधि है। कर्मकाण्ड के नाम पर वह जून शोषण करता है। धर्मभीरु ग्रामवासी परम्पराओं और रूढ़ियों में उसी प्रकार बँधे हुए हैं, जिरा प्रकार बन्दरिया मरे हुए बच्चे को छाती से चिपकाए रहनी है।

गाँव गरीबी का अड्डा है। गरीबों जीवन का अभिशाप है। न तन हरने के लिए मांसमानुकूल वस्त्र है, न खाने के लिए पौष्टिक भोजन और न रहने के लिए सुविधापूर्ण मकान। फटे चीखड़े कपड़े पहनकर ग्रामीण सर्दी-गर्मी झेलता है। रूखी-मूखी रोटी को अचार या नमक से खाकर उदर की ज्वाला शान्त करता है। कच्चे मकान या झोंपड़ी में रहकर मौसम के आक्रोश को बरदाशत करता

है। उसके वच्चे उच्च शिक्षा के लिए शहर में जा नहीं सकते। बीमारी को पराजित करने के लिए वह रोग-विशेषज्ञ का लाभ उठा नहीं पाता। उसका पशु-धन पौष्टिक आहार के अभाव में कृशकाय होता जाता है।

भारतीय गाँव जहाँ शारीरिक तथा मानसिक दोर्बल्य के आगार हैं, वहाँ उनमें नई चेतना, नई ज्योति, नया जीवन भी आया है। आर्थिक शोषण से मुक्ति के लिए सहकारी बैंक स्थापित हुए। जमींदारों की जमीन छीनकर किसानों में बाँट दी गई। भूदान-यज्ञ ने किसान को भूमि का मालिक बनाया। भूमि-कानून लागू कर भूमि-मीमा निश्चित कर दी। छोटे क्षेत्रों की समस्या का समाधान चक्रबंदी तथा सहकारी खेती द्वारा किया गया। फसल को शहर तक पहुँचाने के लिए गाँव को पक्की सड़कों ने जोड़ा गया। ऋण देकर ट्रैक्टर दिए, कर्ज देकर सुन्दर योज दिया, उर्वरक खर्च दी। गाँव को शिक्षित करने के लिए रेडियो और दूरदर्शन से फसल उगाने की नसीहतें और ग्राम्य-जीवन-मुधार कार्यक्रम चल रहे हैं। ग्राम-सेवक-मेविकाएँ ग्रामवासियों के लिए देव-दूत हैं, जो हर सम्भव सहायता को तत्पर रहते हैं। कृषि-उन्नति के लिए कृषि विश्व-विद्यालय स्थापित हो गए हैं।

स्वतन्त्रता के पश्चात् ग्राम-पंचायतों का पुनर्गठन हुआ। पंचायती राज्य के तीन आधार बने ग्राम पंचायत, क्षेत्र-समिति तथा जिला-परिषद्। ये तीन सम्भाएँ ग्राम-विकास की उत्तरदायी बनी, गाँवों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का माध्यम और प्रहरी बनी।

अशिक्षा का अन्धकार दूर होता जा रहा है। गाँव-गाँव में प्राथमिक शिक्षा का जाल बिछा है। कस्बों में हाई स्कूल खुल गए हैं; नगरों में कॉलेज खुल गए हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा ग्रामवासी की पहुँच में आ गई है। विजली ने गाँवों में प्रकाश फैलाया, रेडियो ने ज्ञानधर्म किया, जगती से गाँव का सम्बन्ध स्थापित किया। बुद्धिमान, चतुर और समझदार ग्रामवासी इन योजनाओं से लाभान्वित हो सभ्यता की दौड़ के घावक बन गए हैं। पढ-लिखकर उच्च पदों पर पहुँच गए हैं! बढई, लुहार, चमार के बेटे क्लर्क और अधिकारी बन गए हैं। किसान का बेटा प्रान्त और राष्ट्र का भाग्यविधाता बनने लगा है।

सभ्यता की नई किरण से ग्राम की पलकें तो फड़फड़ाईं, किंतु वह खुली नहीं। आज भी गाँवों में पुरातनी लड़ाइयाँ, ईर्ष्या, द्वेष अशिक्षा, महाजनी वृत्ति, धार्मिक भीखना विद्यमान है। इन बुराइयों के रहते ग्राम खुशहाल नहीं हो सकता, प्रकृति का आनन्द नहीं ले सकता तथा जीवनोपयोगी तत्त्वों का उपभोग नहीं कर सकता।



किसी रेल-यात्रा का वर्णन

(दिल्ली १९८० : 'ए')

मेरी चौदह वर्ष की अवस्था हो गई, किन्तु अब तक मुझे कभी दिल्ली से बाहर किसी और शहर में जाने का अवसर नहीं मिला। इसलिए मैं अब तक रेलयात्रा नहीं कर सका। कुछ दिन पहले मैं अपने साथियों के साथ बालभवन देखने गया था। वहाँ छोटी-सी रेलगाड़ी को देखकर और उममें बैठकर सँर करके मुझे बहुत आनन्द आया। मैं सोचने लगा कि असली रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए और भी आनन्द आएगा। मेरे मन में रेल-यात्रा की इच्छा बढ़ती ही रही।

कुछ ही दिन बाद एक ऐसा अवसर आ गया, जिससे मुझे रेल-यात्रा का अवसर मिल गया। मेरे पिताजी के धनिष्ठ मित्र श्री केशवानन्द ने अम्बाला छावनी से सूचना दी कि उनका विवाह है। इस अवसर पर मेरे पिताजी का वहाँ जाना अनिवार्य था। जब वे अम्बाला जाने का कार्यक्रम बनाने लगे, तो मेरी रेल-यात्रा की इच्छा जागृत हो उठी। मैंने कहा, "मैं भी जाऊँगा, चाचाजी की शादी में।" पहले तो उन्होंने मुझे डाँटा, किन्तु मैं जाने की रट लगाता रहा। बाल-हठ के आगे भगवान् भी झुक जाते हैं। आखिर पिताजी भा मुझे साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए।

नई दिल्ली रेलवे-स्टेशन से बारह बजकर पचास मिनट पर 'पलाइग मेल' चलती है। हम साढ़े बारह बजे ही स्टेशन पहुँच गए थे। पिताजी ने टिकट-घर से टिकट लिए और गाड़ी की ओर चल दिए। गाड़ी में भीड़ बहुत थी। हम किसी डिब्बे में चढ़ने की कोशिश करते, तो अन्दर बैठे यात्री हमारे माथ सहानु-भूति दिखाते हुए कहते, 'आगे डिब्बे वाली पड़े है।' आगे गए तो वही हास। तब मुझे पता लगा कि यह सहानुभूति नहीं, प्रवंचना थी।

आखिर हम एक डिब्बे में घुस गए। अन्दर अजीब दृश्य था। पाँच-सात लोग खड़े थे और इधर-उधर झाँककर बँटने की जगह ढूँढ़ रहे थे, उधर दो-तीन लोग पैर पसार खड़े थे। एक सज्जन ने सीट पर अपना विस्तर रखा हुआ था।

जो भी उनसे पूछता, कहते—सवारी आने वाली है। इधर इंजन ने साटी बजाई और उधर गाड़ ने भी सीटी बजाकर तथा हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को चलने की स्वीकृति दे दी।

गाड़ी चलने पर एक-दो लोगों ने सच्ची सहानुभूति दिखाई और मुझे अपने पास बैठने की जगह दे दी। मैं तच्चा जो था। पिताजी अभी खड़े ही थे, उन्हें लेटे हुए आदमी पर क्रोध आया। उन्होंने जाकर उसे उठने के लिए कहा। थोड़ी देर आपस में तू-तू मैं-मैं हुई। अन्त में उठकर बैठना पड़ा।

गाड़ी मन्द गति से चली जा रही थी। पांच-सात मिनट पश्चात् सर्जामण्डी का स्टेशन आया। गाड़ी थोड़ी देर रुकी और बीस-तीस यात्री चढ़-उतरे। पुनः सीटी बजी और गाड़ी चला दी।

मन्जीमण्डी स्टेशन छोड़ने के पश्चात् गाड़ी ने जो रफ्तार पकड़ी, उसका अनुमान लगाना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर पता है कि वह छोटे-बड़े स्टेशन छोड़ती फकाफक चली जा रही थी। छोटे स्टेशन पर ठहरती नहीं, नरेला, समालखा जैसी मण्डियों की मुनती नहीं। अपनी धुन में मस्त चली जा रही थी।

अरे! यह क्या हुआ! जो खड़े थे, बैठ चुके हैं। जो झगड़ रहे थे, वे परस्पर मित्र बन गए हैं। कोई अखवार पढ़ रहा है और कुछ राजनीति की चर्चा कर रहे हैं।

यात्रियों की चर्चा में बाधा डालने वाले भी रेल में आते रहते हैं। कोई आँखें अंधी होने का दुहाई देता है। तो कोई शरीर के अगहीन होने की दर्दनाक कहानी सुनाकर पैसा माँगता है। बैठे हुए यात्री भूख न महसूस करे, अतः विभिन्न प्रकार की खाने की चीजें बेचने वाले भी आते हैं। कोई दात-सेवियाँ बेच रहा है, तो कोई मूँगफली। कई लोग अपने गुरमे तथा दंत-मज्जन को 'विश्वविख्यात' की उपाधि में विभूषित कर जनता की आँखों में धूल झाँकने की चेष्टा करते हैं।

पानीपत और करनाल के रास्ते में इन सब माँगने और बेचने वालों से अलग सफेद कपड़े पहने और टोप ओढ़े एक आदमी को हमने अपने डिब्बे में आते देखा। यह भी अजीब बात है। वह हर व्यक्ति से टिकट माँगता है। टिकट देख कर उसे अपनी मशीन से 'पंच' कर देता है। यह टिकट-चँकर है। बिना टिकट सफर करने वालों को पकड़ना और उनसे जुर्माना वसूल करना इसका काम है।

प्लाइग मेल पानीपत, करनाल और कुश्नेत्र पर रुकी। भोप स्टेशन छोड़

चली। करनाल जाकर पिताजी और मैं प्लेटफार्म पर उतरे। बड़ा शोरगुल था। कोई 'गर्म चाय' की आवाज लगा रहा था, तो कोई रोटी-छोले की। गाड़ी को पाँच मिनट रुकना है, अतः यात्री भी चाय पीने, पूरी खाने और गिगरेट पीने में लगे हुए हैं। हमने भी जल्दी-जल्दी चाय पी और टोस्ट खाए। उधर गाड़ी ने सीटी दी और हम भागकर गाड़ी में चढ़ गए।

भगवान् कृष्ण की उपदेश-भूमि कुम्भोज के बाहर से दर्शन कर अपने को कृतार्थ समझा। घण्टे भर की यात्रा के बाद अम्बाला छावनी का स्टेशन आ गया। गाड़ी की गति मन्द हुई। लोगो ने अपने विस्तार संभाले। हमने भी अपनी अटेंची संभाली। गाड़ी रुकी।

कुली गाड़ी की ओर झपट रहे थे। चाय, दूध, रोटी-छोले की वही आवाजे कानों में गूँज रही थी और हम गाड़ी से उतरकर धीरे-धीरे प्लेटफार्म पर चल रहे थे। मार्ग में ही एक व्यक्ति पिताजी से गले मिला। दोनों बड़े प्रसन्न हो रहे थे। पिताजी उसे बधाइयाँ दे रहे थे। मैं समझ गया कि यही मेरे पिताजी के मित्र केशवानन्द जी हैं। मैंने उनका चरण-स्पर्श किया। उन्होंने मुझे प्यार से थपथपाया।

यही है मेरी रोचक रेल-यात्रा।



रोचक वस-यात्रा

(वस-यात्रा का अनुभव)

(अंल इंधिया १६८२, ८४ 'बो')

(एक रोचक यात्रा)

(दिल्ली १६७६ : 'बो')

केन्द्र-शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन था। दिल्ली में पांच विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुने गए। मेरा सांभाग्य था कि निर्वाचित विद्यार्थियों में एक मैं भी था। विद्यार्थियों को चण्डीगढ़ ले जाने और लाने का दायित्व था शिक्षा-निदेशालय के एक अधिकारी पर। ये अधिकारी थे श्री सूर्यनारायण शर्मा।

२२ जनवरी को अपराह्न ४ बजे प्रतियोगिता थी। अतः निश्चय हुआ कि प्रातः ७ बजे की बस में चला जाए, ताकि हम दारह या मवा दारह बजे तक चण्डीगढ़ पहुँच जाएँ। भोजन तथा विश्राम का समय मिल जाएगा। तत्पश्चात् नव-उत्तराखण्ड और नव-उत्तराखण्ड से प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।

निश्चयानुसार पाँचों छात्र और श्री शर्मा जी प्रातः ६-३० बजे अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर पहुँच गए। श्री शर्मा जी ने दिल्ली-नगल बस में ६ टिकटें चण्डीगढ़ की ली। बस बिलकुल खाली थी। हम पर फैलाकर बैठ गए। दस मिनट बाद बस चली। यात्री कुल १० थे। बस समय की ताबन्द है। वे समय पर चलती है, चाहे यात्री न भी हों।

पजाब रोडवेज की बसें चाल, ढाल और व्यवस्था में अपना सामान नहीं रखती। आजादपुर से निकलकर बस ने रफ्तार पकड़ी। बस चल रही है, क्षिप्र गति से भागी जा रहा है, किन्तु कोई हिचकोले नहीं, धक्के नहीं, सुन्दर दृश्यावली और शीतल पवन द्वारा शरीर-स्पर्श से हृदय गुदगुदा जाता था। विद्यार्थी परस्पर बातचीत में मस्त, किन्तु शर्मा जी के भय से कानों में बात करते थे।

बीच-बीच में हँसी के फव्वारे भी छोड़ते जाते थे। फव्वारे छूटने पर वे कनखियों से शर्मा जी के हाव-भाव देख लेते।

विद्यार्थियों ने देखा, शर्मा जी इन बातों का बुरा नहीं मानते,, तो मद-स्वर की बातचीत-हँसी-मजाक और तीव्र स्वर में अग्रसर हुई। अचानक एक विद्यार्थी ने मिनेमा-स्टाइल से सिर को झुकाया और सत्य शिवं सुन्दरं का 'टाइटल मांग' (शीर्षक गान) शुरू कर दिया। उसकी लय, उच्चारण का ढग, ऐसा सुन्दर था, मानो लता मंगेशकर छात्र के कंठ में अवतरित हो गई हो। शेष-यात्री गान को सुनकर उसके इर्द-गिर्द इकट्ठे हो गए। गाना ममग्न हुआ। लोगो ने तानियों की गड़गाहट से उसको प्रोत्साहित किया।

वस-चालक अपनी गति से वस चला रहा था। उसकी दृष्टि आगे फँगी हुई सड़क पर थी, हाथ हैंडिल पर, पैर ब्रेक और स्पीडर पर तथा कान गाने पर थे। कण्डक्टर उठकर छात्र की पिछली सीट पर जा गया था।

यात्रा का वातावरण बदल चुका था। वस मुरथल और सम्भालका पार कर चुका थी और बेरोक-टोक चली जा रही थी। कण्डक्टर ने छात्र को मुगल-राजम का गाना गाने को कहा। शर्मा जी के डर से छात्र ने भना कर दिया। मन्दार कण्डक्टर जिद पकड़ गया। उसने पानीपत चलकर सारी पार्टी को चाय पिगाने का वायदा किया। लडका जोश में आ गया। मधुवाला की-सी हिचकी लेकर उसने जो गाने का स्वर साधा, साहब! कमाल हो गया। यात्रियों ने एक-एक दो-दो रुपये के नोट धारने शुरू कर दिए। गाने की एक-एक कड़ा पूरी होनी यात्रा वाह-चाह का स्वर तेज हो जाता। कण्डक्टर ने दस का नोट निकाला तीन बार छात्र पर बार कर उसको थमा दिया। मुड़कर छात्र ने देखा, शर्मा जी मचमे पीछे वाली सीट पर जा बैठे थे।

पानीपत गाड़ी रुकी। कण्डक्टर पाँचो छात्रो को अपने साथ ले गया। जय पिलाई, मुह मीठा करवाया। वापिस आकर देखते क्या हैं, वस खचाखच भरी है। १५-२० लोग खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि पाँचो छात्रो और शर्मा जी की सीटो पर भी कब्जा हो चुका था। पहले तो छात्रो ने सीट खाली करने की प्रार्थना की, पर कौन मुनता है? बात बढ़ते-बढ़ते हाथा-पाई पर आ गई। कण्डक्टर और ड्राइवर को पता लगा तो वे भी पहुँच गए। उन्होने कह-सुन करके ६ सीटें खाली करवा ही दी।

गाड़ी का वातावरण बदल चुका था। अब तो साँस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। अन्दर का दृश्य और कोलाहल ही इतना था कि बाहर के प्राकृतिक

दृश्य में मन लगाने का अवकाश ही कहीं था, लीग रुट की बस थी। तेज रफ्तार पर चल पड़ी। करनाल बार्ड पाम से निकल गई और डेढ़ घंटे के दमघोटू वातावरण का अन्त हुआ अम्बाला जाकर।

अम्बाला छावनी का बस-अड्डा आया। बस को यहाँ १५-२० मिनट विश्राम करना था। फिर भी यात्री जल्दी-जल्दी उतर रहे थे। विद्यार्थी उतरे। शर्मा जी ने विद्यार्थी-गण के मुखड़ाएँ चेहरे देखे। उन्होंने हाथ-भँटा छोड़ जाने को कहा। फिर गरमागरम चाय के साथ पकोड़े खिलाए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। विद्यार्थी शर्मा जी की प्रशंसा करने लगे।

कण्डक्टर ने बस चलाने की सीटी बजाई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। कण्डक्टर ने जोर से आवाज लगाई, 'शर्मा जी, बच्चे आ गए हैं न?' बस अम्बाला छावनी छोड़ चली। बस अब भी प्रायः भरी हुई थी। यात्रियों का स्तर बदल गया था। ग्रामीण उतर चले थे। शहरी-समाज के यात्री चण्डीगढ़-नंगल जा रहे थे। गाड़ी की स्पीड अपेक्षाकृत कम थी।

ड्राइवर को जवानी आई। उसने अम्बाला शहर पार करके एक निर्जन स्थान पर गाड़ी रोक दी। मोट से उठकर बच्चों के पास आ गया। उसने कहा, 'जरा एक तान और छिड़ जाए—'जिन्दगी भर न भूलेगी यह सफर का बाल'। बच्चों के साथ मना करने पर भा, वह जिद पकड़े रहा और गाड़ी न चवाने की सांगठ्य खा बैठा। यात्रियों ने ड्राइवर तथा बच्चों को मनाया, पर दोनों बजिद। आधिर शर्मा जी ने बच्चों को ड्राइवर साहब को खुश करने को कहा।

तालियों की सुमधुर ध्वनि ने बच्चों ने 'दी धनिग ट्रेन' का गाना 'पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने' गाया। गीत समयानुकूल था, मस्ती के क्षणों में बच्चों ने इतना सुन्दर समाँ बाँधा कि यात्री भी ताली बजाकर साथ देने लगे। डेरावसी से गुजरती बस में तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर स्टैण्ड पर खड़े यात्री भीचपके से देखते रह गए और बस आँखों से ओझल हो गई।

ट्रिब्यून का दफतर आ गया। गाड़ी दो पल रुकी। गाना भी रुका। ८-१० यात्री उतरे। उतरने वाले यात्री बच्चों को शावाशी देना न भूले। बस चण्डीगढ़ शहर की ओर मुड़ी और दस मिनट में १७ सेक्टर पहुँच गई। सत्रह सेक्टर में ही चण्डीगढ़ का बस-अड्डा है।

बच्चे उतरे। शर्मा जी उतरे। ड्राइवर और कण्डक्टर उतरे। स्कूल-बोर्ड, चण्डीगढ़ की स्टेशन-वँगन बच्चों को लेने आई हुई थी। हम सभी उस पर चढ़ गए, किन्तु ड्राइवर और कण्डक्टर निनिमेष नेत्रों से बच्चों को देखते रहे, जब तक कि स्टेशन-वँगन ने अड्डा-क्षेत्र नहीं छोड़ दिया।

पर्वत-प्रदेश की यात्रा

(दिल्ली १९८० : बी; १९८४ : ए)

पर्वत प्रकृति की श्रीढ़ास्यली है । प्रकृति परमेश्वर की सृष्टि है । प्रकृति की उन्नति और विकास मे ईश्वरअहर्निश लगा रहता है । अतः प्रकृतिअपरिमितज्ञानका भंडार है । इसके पत्ते-पत्ते में शिक्षाप्रद पाठ है । उससे लाभ उठाने के लिए अनुभव चाहिए, प्रकृति का बार-बार दर्शन चाहिए और चाहिए पर्वतीय-स्यलों की यात्रा ।

गर्म प्रदेशों की गर्मी, साँय-साँय करती लू, ऊपर से भगवान भास्कर का प्रचंड प्रकोप, नीचे से भट्टी के समान आग उगलती पृथ्वी माता, प्यास और पसीने से सराबोर शरीर, अपनी ही दुर्गन्ध से नाक-मुह सिकोड़ता अपना मन जब तंग आ जाता है, तो इच्छा होती है पर्वतीय-प्रदेश चलकर ग्रीष्म को नीचा दिखाने की । दूसरी ओर, २-३ मास के दीर्घावकाश में वातावरण के परिवर्तन की इच्छा से व्यक्ति कुछ समय प्रकृति की गोद में अवश्य बिताना चाहता है । तीसरी ओर, बुद्धिजीवी वर्ग—न्यायाधीश, वकील, प्राध्यापकगण, पत्रकार, लेखक, कविगण निरन्तर चिन्तनप्रधान कार्य करते हुए जब थक जाते हैं, तो वे प्रकृति की गोद में विश्राम कर अपने को तरोताजा महसूस करते हैं । पर्वतीय प्रदेश की यात्रा उनके लिए ऐय्याशी (Luxury) नहीं, अनिवार्य (Necessity) है ।

पर्वतीय स्थान पर पहुँचना भी कोई बच्चों का खेल नहीं । बस या रेल में चक्कर आएँगे । चक्कर उल्टी लाएँगे । छाया-पीया बाहर आ जाएगा । शरीर निढाल होकर विश्राम चाहेगा, पर लेटने की जगह न बस में है, न रेल में । शरीर की अकर्मण्यता पर मन क्षोभ से भर जाएगा, प्रकृति का आनन्द सूटने से मना करेगा । आप नीबू में नमक-कालीमिर्च डालकर चूस रहे हैं । कोई काबुली घना खाकर उलटी को सीधा करना चाहता है । कोई घूर्ण घाट रहा है । अकस-मन्द प्राणी जानता है कि यदि चक्कर आते हैं, तो पहले ही दवा की एक डोज ले लो । रास्ता मस्ती में फटेगा ।

अशिक्षित नर-नारी उलटी के सम्बन्ध में सोचकर नहीं चलते । परिणामतः

बस खराब हो जाती है, रेल में गदगी फैलती है। ठंडा-ठंडी पवन के झोके उलटी के कणों से सहयात्रियों के वस्त्रों पर छिड़काव कर देते हैं, तो किसान के मुँह का चुम्बन ले लेते हैं। अकस्मात् अनचाहे चुम्बन से मनुष्य क्रोधातुर हो उठता है। क्रोध यमराज है, जो मन के दीपक को बुझा देता है। पल-दो पल का सहयात्री, भयंकर शत्रु बन जाता है।

कालका से शिमला तक यात्रा कीजिए; मुरादाबाद से नैनीताल का सफर कीजिए; जम्मू से श्रीनगर पर चढाई कीजिए और लीजिए पर्वत-यात्रा का आनन्द। योजनाबद्ध पर्यटन-विकास ने सड़कों को चौड़ा कर दिया है, किन्तु साँप की गति के समान बसखाली सड़कों तो पर्वत-यात्रा की विशेषता है। आपकी बस आधा मील चली नहीं कि मोड़ आ गया। मोड़ भी इतना छोटा कि दो क्षण बाद पुनः बस मोड़ काटती नजर आती है। कई-कई घुमाव तो बड़े आलिप्त होते हैं। बस वाले ने जरा असावधानी बरती नहीं कि बस खड्ड में और यात्री प्रकृति का गोद में चिरनिद्रा में विलीन। कभी-कभी इन घुमावों पर विपरीत दिशा से आती हुई बसों का मिलन बड़ा भयावह होता है। दोनों ने ब्रेक न लगाए, तो बस-बॉडियाँ टकरा जाएंगी। 'एक्सिडेंट' बड़ा भयंकर नाम है क्रूर काल का।

पूरे मार्ग में सड़क के एक ओर प्रायः खड्ड है। खड्ड में अनियमित पर्वत-शृंखलाओं का कटाव देखिए। मार्ग में पर्वतीय ग्राम देखिए, कच्चे मकानों का छोटा समूह। उनके सीढ़ीनुमा कम लम्बे, कम चौड़े खेत देखिए। सीढ़ीनुमा इसलिए कि पर्वतीय भू समतल नहीं होती। ग्रामीणों की गरीबी देखिए। कब्रिबर पंत ने बहुत सुन्दर शब्दों में इस गरीबी का चित्र खींचा है—

दैन्य दुःख अपमान ग्लानि, चिर क्षुधित पिपासा, मृत अभिलाषा।

बिना आय की क्लान्ति बन रही, उसके जीवन की परिभाषा ॥

मार्ग में बस-पड़ाव पर थोड़ा सुस्ता लीजिए। यकान मिटा लीजिए। पहाड़ का बस-स्टैंड समतल स्थान के अभाव में अत्यन्त सीमित स्थान पर होता है। अतः ५-६ बसों से अधिक बसें खड़ी हो गईं तो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। गाँव की अधिकज्ची दूकानें देखिए। साथ ही देखिए शानदार ढग से बनाए वातानुकूलित होटल और रेस्टोरेंट भी। पक्की दूकानों पर साफ सुथरी खाने-पीने की चीजें प्राप्त हैं। एक ओर ग्रामीण बालाओं का सौन्दर्य और निष्कपट जीवन है, जिसे देख कर कवि हृदय चीत्कार उठा—

छोड़ द्रुमों की मूढ छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया ।

वाले ! तेरे बाल-जाल मे, कैसे उलझा दूँ लोचन ॥

बस या रेल में बैठे प्रकृति की हरियाली का आनन्द न लूटा, तो यात्रा बेकार है। स्थान-स्थान पर प्रकृति-नटी का कलात्मक नृत्य देखिए। क्या कारीगरी है ? कही हरी-भरी झाड़ियाँ हैं, लताएँ हैं, चीड़ और देवदार के गगन-चुम्बी पेड़ हैं, कही पर्वत के बीच से शीतल जलधारा निकल रही है, तो कही चाँदी-से झरझर बहते झरने हैं। पहाड़ों से गिरते जल का दृश्य चित्ताकर्षक है। नीले-सफेद जल में से उठते-फूटते बबूले मानो कोई मोतियों को स्वतः तोड़कर आनन्दित हो रहा हो। आकाश में उमड़ते-धुमड़ते बादल कभी पर्वत की चोटी को छूते और कभी उससे बचकर हवा में तैरते फिरते हैं। सफेद, नीले, काले, पीले, लाल बादलों से आकाश में अनेक चित्र बनते हैं। कभी हवा की तेज चाल से पेड़ों से भाँति-भाँति की ध्वनि-प्रतिध्वनि निकलती है।

यदि आप रेल से यात्रा कर रहे हैं तो छोटी-छोटी गाड़ी, छोटे-छोटे कम्पाटमेंट। चोटी की चाल चलती गाड़ी यात्रियों को जोर करती हैं। दूसरी ओर लम्बी-लम्बी सुरंगों से गुजरती गाड़ी भय उत्पन्न करती है। घोर अन्धकार में क्षीण विद्युत्-प्रकाश। तासरी ओर, चक्करदार पटरियों पर चलती हुई रेलगाड़ी में ऐसा भ्रम होता है कि इस स्थान से तो अभी-अभी गुजरे थे।

पहाड़ पर गरीबी और परिश्रम का विचित्र सगम देखिए। बस-स्टैंड समीप आता है। बस मंद-मंद गति से चल रही है। पहाड़ी कुली अपना नम्बर आपको देने के लिए बस के साथ-साथ दौड़ रहा है। नम्बर आपने पकड़ लिया, समझो आप बुक हो गए। वह सामान उतारेगा। उतार कर अपने ऊपर लादेगा। लादकर उस खड़े पहाड़ी मार्ग या सीढ़ियों पर चढ़ेगा जिस पर आप बिना सामान के नहीं चढ़ पा रहे। गंतव्य पर पहुँचने पर आपको साँस चढ़ रही है। आप हाँफ रहे हैं और वह कुली समभाव से खड़ा आपके बटुए से निकलने वाली राशि की प्रतीक्षा कर रहा है।

पर्वतीय यात्रा मानव को प्रकृति के दर्शनों का, प्रकृति के रूप पर मोहित होने का, प्रकृति-नटी की नव-नव नृत्य मुद्राएँ देखने का, बदलते हास-परिहास और उल्लास का निर्माण देती है। धन खर्च कर तन और मन को प्राकृतिक रूप में स्वस्थ रखने का आमंत्रण भेजती है। प्रकृति के शस्य-श्यामल अंचल में आहार-विहार का आनन्द लेने का बुलावा भेजती है।



दिल्ली की मुद्रिका बस से यात्रा

(दिल्ली १९८० : ५)

दिल्ली की मुद्रिका-बस की यात्रा दिल्ली-नई दिल्ली की परिक्रमा का सुअवसर है। भौगोलिक ज्ञान-वृद्धि का साधन है; भीड़भरी सड़को से दूर खुली सड़कों पर क्षिप्र गति में बस की सवारी का आनन्द है; परिवहन समस्याओं और झंझटों से छुटकारा है।

मुद्रिका-बस का साधारणतः अर्थ होगा 'मुद्रिका जैसे वृत्ताकार मार्ग पर चलने वाला बस'। यह बस-सेवा जिस स्थान से प्रारम्भ होती है, वृत्ताकार मार्ग पर दिल्ली की परिक्रमा करती हुई उसी स्थान पर समाप्त होती है। इसका मार्ग मुद्रिका अर्थात् अंगूठी के समान गोल होता है। इसलिए इसे 'मुद्रिका-बस' कहा जाता है।

साधारणतया बसों के रूट के दो पड़ाव हैं। जैसे रूट नम्बर ११ की बस का एक पड़ाव जामा मस्जिद है, तो दूसरा राणा प्रताप बाग। वैसे ही रूट नंबर १० की बस का एक पड़ाव राणा प्रताप बाग है, तो दूसरा केन्द्रीय सचिवालय, किन्तु मुद्रिका-सेवा जहाँ से चलती है, ४८.५ किलोमीटर का दूरी तय करके पुनः उसी स्टॉप पर आकर रेस्ट करेगी, पड़ाव ढालेगी।

दूसरे, दिल्ली-परिवहन की शेष बसों के रूट एक रेखा के समान सीधी या टेढ़ी-मेढ़ी लम्बाई लिए हुए हैं। जैसे स्टेशन से बाँकनेर, सालकिले से महरोली विवेकविहार से आदर्शनगर, किन्तु मुद्रिका-बस का रूट अंगूठी के समान गोल है। जैसे देवालय की परिक्रमा, वैसे ही मुद्रिका-बस द्वारा दिल्ली-नई दिल्ली की परिक्रमा।

तीसरे, मुद्रिका-सेवा द्वारा दिल्ली-नई दिल्ली की प्रायः सभी बस्तियों एवं उपनगरी को एक मार्ग से जोड़ा गया है। यह है रिंग रोड। रिंग रोड दिल्ली-नई दिल्ली की अन्य सड़को से अपेक्षाकृत चौड़ी है। प्रायः सम्पूर्ण रिंग रोड दो भागों में विभक्त है। आने का मार्ग अलग और जाने का मार्ग पृथक्। विभाजक पट्टी को आकर्षक बनाने के लिए कहीं-कहीं उस पर ब्यारियाँ उगाई हुई हैं, जो बस के

धुँए के प्रदूषण को कम तो करती ही हैं, साथ ही यात्रियों को हरियाली का आनन्द भी प्रदान करती हैं।

मुद्रिका-बस-सेवा अनेक बस-जंक्शनों से आरम्भ होती है। प्रत्येक मुद्रिका बस निश्चित जंक्शन से चलकर अपने जंक्शन पर डी आकर दम लेती है। मार्ग में जो और जंक्शन आएंगे, उन पर क्षण-दो-क्षण ठहरेगी तो सही, किन्तु पड़ाव नहीं डालेगी। आइए, आपको मुद्रिका-बस की सैर कराएँ।

चलिए आजादपुर के जंक्शन से मुद्रिका में बैठते हैं। आजादपुर से बस चली और आजादपुर, नई सञ्जामण्डी के पुल पर चढ़ती-उतरती अशोक विहार और शालीमार बाग के बीच रिंग रोड से गुजरकर परिवहन डिपो वजीरपुर को पार करती पंजाबी बाग के जंक्शन पर पहुँचती है। यहाँ से चलकर राजधानी कॉलिज, ई० एस० आई० अस्पताल के दर्शन करती, राजा गार्डन जंक्शन पर पहुँचती है। इधर राजा गार्डन और राजौरी गार्डन हैं, तो उधर रमेश नगर तथा बसई दारापुर अवस्थित हैं।

राजौरी गार्डन से होती हुए मुद्रिका नारायणा की विशाल औद्योगिक बस्ती की सवारियाँ लेती-उतारती मस्त चाल से चली जा रही है—दिल्ली छावनी में प्रवेश करने के लिए। दिल्ली छावनी से गुजरती घोला कुंआ के विशाल जंक्शन पर पहुँचती है। यहाँ आत्माराम सनातन धर्म कॉलिज तथा वेंकटेश्वर कॉलिज हैं, तो दूसरी ओर राजकीय कॉलोनियाँ हैं।

घोला कुंआ से सफदरजंग तक का सारा मार्ग सरकारी कॉलोनिआँ तथा कार्यालयों से घिरा है। सड़क के एक ओर मोतीबाग, नेताजी नगर, सरोजिनी नगर तथा लक्ष्मीबाई नगर हैं, तो दूसरी ओर विस्तृत रामाकृष्णापुरम्, नौरोजी नगर तथा सफदरजंग अस्पताल हैं। सफदरजंग अस्पताल के सम्मुख अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of medical sciences) है।

सफदरजंग जंक्शन से मुद्रिका बस किदवई नगर, साउथ एक्सटेंशन, डिफेंस कॉलोनी एंड्रयूजगंज लाजपतनगर, अमर कॉलोनी के विभिन्न सेक्टरों को स्पर्श करती लाजपतनगर जंक्शन पर पहुँचती है।

लाजपतनगर से निकलकर बस नेहरू नगर में पी० जी० डी० ए० वी० कॉलिज तथा श्रीनिवासपुरी को स्पर्श करती हुए जंगपुरा पुल पर चढ़ती और उतरती हुई निजामुद्दीन स्टेशन को स्पर्श करके सुन्दर नगर की ओर मुड़ जाती है।

सुन्दर नगर से हाईकोर्ट, चिड़ियाघर, पुराना किला दिखाती हुई प्रगति मैदान के साथ-साथ पुनः रिग रोड़ पकड़ती है।

रिग रोड़ पर केन्द्रीय इन्द्रप्रस्थ परिवहन डिपो को सलामी देती हुई, राष्ट्र पिता महात्मा गांधी, शांति दूत जवाहरलालनेहरू तथा श्री लालबहादुर शास्त्री की समाधियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती यमुना तट के साथ-साथ लालकिले के पार्श्व भाग को छूती हुई अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से मुड़कर अलीपुर रोड़ पर आ जाती है और आइ० पी० कॉलिज से गुजरती हुई माल रोड़ पर पहुँचती है। माल रोड़ पर सरकारी बग्गी तिमारपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय की सीमा के साथ-साथ चलकर किंग्सवे कैम्प के चौराहे पर आ घमकती है।

किंग्सवे कैम्प से सीधा मार्ग है गंतव्य स्थान आज्ञापुर तक। मार्ग में हैं—विशाल आधुनिक बस्ती मॉडल टाउन के तीन स्टॉप।

जहाँ से चले थे, वहाँ पहुँच गए। देखा न आपने दिल्ली-दृश्य ? बड़ा न आपका भौगोलिक ज्ञान ? हुई न आपको दिल्ली व नई दिल्ली की आधुनिक बस्तियों की जानकारी ? नए-नए पुलों को देखने तथा औद्योगिक संस्थानों के बोर्ड पढ़ने से हुआ न ज्ञानवर्धन ? दिल्ली के कॉलिजों, सरकारी कार्यालयों तथा अस्पतालों को देखकर भी तो ज्ञान-वृद्धि हुई।

शहरों की बसें २० से ४० किलोमीटर की गति से चलती हैं। लगता है किसी तांगे की सवारी कर रहे हो। मिनट-मिनट में गेयर बदलने से गाड़ी की गति तेज-मध्यम होती रहती है। क्षटके ऐसे लगते हैं, जैसे बनारसी एक्के का थोड़ा नखरे करता है या बिजली की करेन्ट के क्षटके लगते हैं। बस में बैठी सवारियाँ क्षटके खाकर अगली सीट से टकराने को लालायित होती हैं, तो खड़ी सवारियाँ एक दूसरे पर गिरती-पड़ती हैं। परिवहन अधिकारियों का सूझ-बूझ कहिए, मुद्रिका बस में न क्षटके है, न टकराहट। बस चली और गति पकड़ी। समगति, समभाव से दौड़ी चली जा रहा है। आप भी आराम से सवारी का आनन्द ले रहे हैं और देख रहे हैं हरियाली तथा नए ढंग के भवनो, मकानो की एकरूपता को।

दिल्ली की मुद्रिका-बस दिल्ली-वासियों के लिए बरदान है। गरीब तथा मध्य-वर्गीय जनता के लिए सुदूर गन्तव्य पर पहुँचने के लिए सस्ती और शीघ्र पहुँचाने वाली आनन्दप्रद सवारी है।



प्लेटफार्म का दृश्य

(दिल्ली १९६०, ८२ : 'बी')

यातायात के साधनों में रेल का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सस्ती, सुलभ और सुरक्षित सवारी है। इसलिए इसे जनता की सवारी कहा जाता है। देश में रेलों का एक जाल-सा बिछा हुआ है। स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्र के कर्ण-धारों ने इसे गाँव-गाँव तक पहुँचाने का प्रयास किया है और कर रहे हैं।

इस विशालकाय लोहपथ-गामिनियों के ठहरने, विश्राम करने, दाना-पानी लेने तथा अपने भार को हलका करने और नया भार लेने के लिए निश्चित स्थान है स्टेशन। स्टेशन के अन्दर गाड़ी पर यात्रियों के चढ़ने और उतरने के लिए एक चबूतरा या मंच होता है। इसे रेलवे की भाषा में 'प्लेटफार्म' कहते हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफार्म पर सार्वजनिक नल होता है, सुधा-शान्ति के लिए जलपान की रेहड़ियाँ होती हैं, ज्ञानवर्धन और मानसिक भूख मिटाने के लिए बुकस्टाल होते हैं। इनके अतिरिक्त एक-दो रेहड़ियाँ बच्चों के खेल-खिलौनों या स्थान-विशेष को प्रसिद्ध वस्तुओं की भी होती है।

प्लेटफार्म पर गाड़ी में चढ़ने वालों तथा अपने सम्बन्धियों अथवा मित्रों के स्वागत-मत्कार के लिए आए प्रतीक्षार्थियों की भीड़ रहती है। अंग्रेजी भाषा में 'मी ऑफ' तथा 'रिसीव' करने वालों का जमघट होता है। इनके अतिरिक्त सामान उठाने, गाड़ी में रखने तथा उतारने के लिए कुली होते हैं। इनकी पहचान है : लाल कुर्ता, पगड़ी, सफेद पाजामा, बांह पर बंधा हुआ रेलवे का अधिकृत बिल्ला। दीन भारत की दरिद्र जनता का एक अंश हाथ में भिक्षा-पात्र लिए उदर-भूख के लिए याचना करने वाले नर-नारी, बाल-वृद्ध भी प्लेटफार्म पर भाग्य का आर्थिक चित्र प्रस्तुत कर रहे होते हैं।

गाड़ी आने वाली है। स्टेशन-कर्मचारी ने गाड़ी आने की सूचना घण्टी बजाकर दे दी है। सबको सावधान कर दिया है। हलचल तेज हो गई है। भूमि पर चौकड़ी लगाए और बँचों पर पैर लटकाए बैठे प्रतीक्षार्थी खड़े हो गए हैं।

लोगों ने अपना सामान सँभालना शुरू कर दिया है। बच्चों को आवाजें लग रही हैं—‘अजू-संजू, जल्दी आओ, गाड़ी आ रही है।’ ‘ओ अलका, घाट के पत्ते को फेंक, जल्दी कर, बरना यही रह जाएगी।’

कुलियों में हलचल मच गई। जिन लोगों ने पहले ही अपने कुली निश्चित कर रखे हैं, वे उन्हे आवाज लगा रहे हैं। कुछ कुली स्वतः ही अपने सामान की ओर दौड़ रहे हैं। पानी पिलाने वाले कर्मचारी ने बाल्टी भर ली है। द्वार पर, नियुक्त टिकट-चेकर, जो मटरगश्ती में मस्त था, द्वार पर पहुँच चुका है। पोर्टर और कुली डाक के घँले और आने वाली गाड़ी में चढ़ाने का सामान हाथ-रेहड़ी में लेकर प्लेटफार्म पर आ रहे हैं।

धुआँ उड़ाती, सीटी बजाती, छक्-छक् करती अपेक्षाकृत मन्द गति से चलती हुई रेलगाड़ी प्लेटफार्म में प्रवेश कर रही है। गाड़ी के प्लेटफार्म में प्रवेश करते ही जनता में तेजी से हलचल मच गई। गाड़ी एक क्षण के साय रुकी। हलचल तीव्रतम हो उठी।

गाड़ी में चढ़ने वाले और सामान लादे कुली गाड़ी में चढ़ने के लिए उतावला-पन दिखाकर धक्का-मुक्की कर रहे हैं। उतरने वाले उनसे अधिक जल्दी में हैं। इस सारी आपा-धापी में नर-नारियों के तीव्र, कर्कश और घबराहट भरे स्वर सुनाई पड़ते हैं, ‘पूनाम तू चढ़ती क्यों नहीं?’ ‘अरे भाई साहब, जरा लटकी को तो चढ़ने दो।’ आदि-आदि।

रेल से आए डाक के घँले और सामान उतारा जा रहा है तथा दूसरे घँले चढ़ाए जा रहे हैं। उधर मित्रों-सम्बन्धियों को ‘रिसीव’ करने आई जनता आगन्तुको की तलाश में आँख गड़ाए तेजी से प्लेटफार्म को नाप रही है। रेलवे विभाग सतर्क है। पानी पिलाने वाले बाल्टियाँ लिए यात्रियों की प्यास बुझा रहे हैं। द्वार पर घड़ा टिकट-चेकर अब पूर्णतः सतर्क है। कुली उतरने वाले यात्रियों के सामान को उतारने के लिए तीव्रता से भाग-दौड़ कर रहे हैं; पैंग तय कर रहे हैं।

उधर इस हल्ले, मधुर, कर्णप्रिय शोर में वातावरण को अशान्त कर रही हैं ‘बैंडरों’ की कर्कश आवाजें—‘चाय गरम’, ‘गरम छोले-कुत्ते’, ‘गरम दास-रोटी सीजिए’, ‘गरम दूध’, ‘बीड़ी-मिगरेट’। उधर चाय के गिलास लिए हुए चाय-स्टॉल के सड़के डिब्बे की गिड़गिड़ियों के अन्दर की ओर मुँह करके आवाज मगा

रहे हैं, 'चाय गरम ।'

पाँच-चार मिनट में ही प्लेटफार्म का दृश्य बदल गया। उतरने वाले यात्री प्लेटफार्म छोड़ रहे हैं। प्लेटफार्म की भूमि और बेंचों पर के यात्री अब गाड़ी में बैठे हैं। बेंच प्रायः खाली हैं। कुछ लोग चाय आदि अल्पाहार में संलग्न हैं। कुछ बीड़ी-सिगरेट का धुआँ उड़ाते मुस्ता रहे हैं। पानी-पिलाने वाले और चाय बेचने वालों की फुर्ती में थोड़ा अन्तर आ गया है। बेन्डरो के कर्कश स्वर में धीमापन आ गया है। कुलियों की धका-मेल कम हो गई है। पुस्तकों का स्टॉल प्रायः सुनसान-सा पड़ा है।

इधर, गाड़ी ने चलने के लिए सावधान होने की पहली सीटी दी। उधर, एक दम्पति और दो बच्चे कुली से सामान उठवाए क्षीप्र गति से प्लेटफार्म पार कर गाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कुली सिर का सामान उतार और मजूरी की प्रतीक्षा में 'बाबू पैसे दो, बाबू पैसे दो' के शोर में रत है। उधर बाबू जो हाँफते हुए जेब में हाथ डाल रहे हैं।

गाड़ी आई और चली गई। यात्री आए और चले गए। कर्मयोगी प्लेटफार्म निष्काम भाव से अवस्थित है। अर्ध-विश्राम कर रहा है। आने वाली लीहपय-गामिनी की प्रतीक्षा में, जिसके आने से एक बार उसके हृदय में भी ज्वार-भाटा आता है, चेहरे पर रौनक आती है, कर्तव्य-मूर्ति की प्रसन्नता उत्पन्न होती है।



स्टेशन के प्रवेश-प्रांगण का दृश्य अपेक्षाकृत शान्त है, इस प्रांगण में या तो रिकेट की-सी तेजी है या शमशान की-सी शांति। चांदनी चौक की-सी सामान्य हलचल वहाँ नहीं मिलेगी। सैकड़ों आदमी पंक्तिबद्ध टिकट की खिडकियों पर खड़े हैं। उतावले इतने हैं कि हर टिकट खरीदने वाले पर जल्दी करने की आवाज कसते हैं, पूछताछ-छिड़की पर हर यात्री अपनी बात का उत्तर पहले प्राप्त कर लेना चाहता है। गाड़ी पकड़ने की चिन्ता में प्रवेश-प्रांगण को यात्री तेजी से पार कर रहे हैं। दूसरी ओर वे यात्री जिनकी गाड़ी आने में विलम्ब है, विस्तर बिछा कर लेटे हैं। कोई बच्चों के साथ भोजन कर रहा है, कोई गपशप में मस्त है, कहीं घूमपान का घुआ उड़ रहा है, तो कहीं भंगी गीले टाट से प्रांगण के फर्श की सफाई कर रहा है। भीख माँगने वाले भी यदा-कदा यात्रियों को तंग करते रहते हैं। प्रवेश-प्रांगण में कहीं सामान की बुकिंग हो रही है, तो कहीं डाक के थैलों को गाड़ी में चढाने की तैयारी हो रही है। प्रवेश द्वार का दृश्य और भी आकर्षक है। अन्दर जाने वाले यात्रियों की गति इस द्वार पर जहाँ मध्यम हो जाती है, वहाँ गाड़ी से उतरने वालों का इस द्वार पर जमघट जमा हो जाता है। टिकट-क्लेक्टर फुर्ती से टिकट लेता रहता है। भीड़-भाड़ में कुछ यात्री बिना टिकट दिए निकल जाते हैं, तो कोई 'पीछे वाले के पास टिकट है' की वचिका देकर निकल जाता है। आग लगने पर अग्नि-स्थल छोड़ने के लिए अथवा भीड़ पर अश्रुगैस या लाठी चार्ज होने पर भागने का जो दृश्य होता है, वही दृश्य गेट छोड़ने का है।

आइए, प्लेटफार्म के अन्दर चलें। है न कनाट-प्लेस का दृश्य। यात्रियों के विश्राम के लिए बेंच रखे हैं, चाय-लस्सी विस्कुट की चबुतरेनुमा दुकानें हैं और हैं बुक-मेगजीन-स्टाल। इन दुकानों पर गाड़ी आने में पन्द्रह मिनट पूर्व और पन्द्रह मिनट पश्चात् तक बड़ी भीड़ होती है। इन दुकानों के अतिरिक्त चाय, फल, रोटी, छोले कुलचे-मिठाई-नमकीन तथा खिलौनों की रेहडियाँ प्लेटफार्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ग्राहक की तलाश में धूमती रहती हैं। हाथों में दैनिक पत्र-पत्रिकाएँ तथा पाँकिट-बुक्स लिए हॉकर चक्कर काटते हैं। व्यास बुझाने के लिए नल लगे हैं। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए सीढियाँ और पुल बने हुए हैं।

कुछ यात्री अपने सामान के साथ गाड़ी आने की प्रतीक्षा में हैं, कोई टहल कर अपना समय बिता रहा है, कोई बच्चों के लिए चीजें खरीदने में व्यस्त है,

तो कोई कुली की सहायता लेने में सलग्न है। चाय वाला चाय बनाने में फुर्ती दिखाता है, तो मैगजीन या पॉकिट बुक्स खरीदने वाला उतनी ही मुस्ती प्रकट करता है।

दृश्य बदला। गाड़ी धीरे-धीरे प्लेटफार्म में प्रवेश कर रही है। गाड़ी की आवाज के साथ बिजली के स्विच खोलने के समान सारा प्लेटफार्म जीवन्त हो गया, सचेत हो उठा। यात्री सचेत हो गए हैं। 'बुकड' कुलियों ने सामान उठा लिया है। पानी पिलाने वाले कर्मचारी ने बाल्टी भर ली है। द्वार पर खड़ा टिकट-चेकर 'एलर्ट' हो गया है।

गाड़ी रुकी। प्लेटफार्म का दृश्य बदला। सरकस की तरह नया खेल शुरू हुआ। गाड़ी में चढ़ने और उतरने वालों की उतावली का दृश्य धक्का-मुक्की का आनन्द दे रहा है। कुली पहलवानी दिखा रहे हैं। वे जबरदस्ती सामान को चढ़ाने में दक्षता प्रकट कर रहे हैं। सामान उतारने और चढ़ाने की तीव्र गति की प्रक्रिया में जो कोलाहल मच रहा है, उसी के बीच बेंडरों की कर्कश आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं— 'चाय गरम', 'गरम छोले-कुलचे', 'दाल रोटी गरम', 'पान-बीड़ी सिगरेट'। उतरे हुए यात्री प्लेटफार्म छोड़ने की जल्दी में हैं। कोई कुली से सौदा कर रहा है, तो कोई बिना सौदा किए ही सामान उठवा रहा है। कोई अपना सामान और बच्चे सम्भाल रहा है—उन्हे इकट्ठा कर रहा है।

गाड़ी आई और चली गई। प्लेटफार्म का दृश्य पूर्ववत् हो गया। नृत्यांगना नृत्य प्रस्तुत कर पुनः अपने नारी रूप में आ गई।

रेलवे-स्टेशन का अन्तिम दृश्य है—रेल पटरी का। गाड़ी यदि प्लेटफार्म पर न खड़ी हो तो लोग इनका प्रयोग दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए करते हैं—कट शॉर्ट का युग जो हुआ। गाड़ी आने पर पटरी भी सक्रिय हो जाती है। रेल-कर्मचारी जल-नल के स्तम्भों से कॅन्वस की नलिकाओं से पानी भरना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर, रेल के पहियों का निरीक्षण शुरू हो जाता है। ज्वाइंट्स को लोहे के हथौड़े से बजाकर परखा जाता है। वस्तुतः लोहपथ की अपनी कहानी है, अपना दृश्य है।

इस प्रकार रेलवे-स्टेशन का दृश्य चांदनी चौक जैसा, वातावरण पिक्चर हाउस जैसा और व्यस्तता समाचार-पत्र के कार्यालय जैसी होती है।



सड़क दुर्घटना की झांकी

(ऑल इंडिया १९७६ : 'ए')

जनसंख्या की बढ़ोत्तरी और यातायात के साधनों का प्रचार दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं। दस वर्ष पूर्व जितनी दुर्घटनाएँ होती थी, आज उससे दुगुनी होती हैं। दुर्घटनाएँ कम हों, सरकार ने इसके लिए अनेक उपाय किए हैं, किन्तु जैसे-जैसे सरकार सुरक्षात्मक उपाय बरतती जाती है, वैसे-वैसे दुर्घटनाएँ भी बढ़ती जाती हैं। समाचार-पत्रों में प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले 'दुर्घटनाओं से मृत्यु' के समाचार इस बात के प्रमाण हैं।

सड़क पर चलता हुआ बच्चा कार की चपेट में आया और भगवान् ने उस अविकसित कली को अपने दरबार में पेश करने की आज्ञा दे दी, तबि मे बैठे यात्री बातचीत में मस्त चले जा रहे हैं, अकस्मात् दिल्ली-परिवहन की बस टकराई और बातचीत बदल गई 'हाय ! हाय !' में।

ये दुर्घटनाएँ न मनुष्य की उपयोगिता और महत्ता को देखती हैं और न समय और कुसमय को। कोई व्यक्ति किसी आवश्यक कार्य से जा रहा है, कितने उत्साह के साथ किसी स्वागत-समारोह या विवाहोत्सव की तैयारियाँ हो रही हैं, इन बातों से दुर्घटना को कोई वास्ता नहीं। जरा झटका लगने की देर है और मानव की जीवन-लीला समाप्त ! दुर्घटना को तो बलिदान चाहिए— चाहे वह कोई भी हो, किसी का लिहाज नहीं, मोहब्वत नहीं। हिन्दी की प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्राकुमारी चौहान और तत्कालीन अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉ० रघुवीर कार-दुर्घटनाओं में जीवन-लीला समाप्त कर बैठे।

आइए, आपको एक हृदय-विदारक सड़क-दुर्घटना का वर्णन सुनाएँ। दिल्ली में एक स्थान है तीस हजारी। उसके आगे सीधे चलें तो मोरीगेट का पुल आता है। इस मार्ग के बीच में बाएँ हाथ को एक सड़क मुड़ती है, जो 'टेलिफोन एक्सचेंज' और 'न्यू कोर्ट्स' के मध्य से होती हुई निकल्सन पार्क की ओर चली जाती है। तीस हजारी से न्यू कोर्ट्स को मुड़ने वाली सड़क पर बीच में

यायायात प्रहरी 'सिपाही' के खड़े होने का गोल चबूतरा है। इसके आगे मोरीगेट पुल तक 'एक तरफ मार्ग' है।

रात्रि के आठ बजे थे। मैं जामा मस्जिद से दिल्ली-परिवहन की रूट नम्बर ग्यारह की बस में बैठा कमलानगर की ओर आ रहा था। मेरे लिए बस के हिच-कोले माता की गोदी की हिलोरो को बदल जाते हैं और मैं प्रायः सो जाता हूँ। उस दिन भी मुझे निद्रा देवी ने धर दवाया।

चलती हुई बस में यात्रियों के चढ़ने-उतरने या झटके के साथ बस रुकने से निद्रा में विघ्न पड़ता था और मैं एक बार आँख खोलकर देख लेता था कि बस कहीं तक पहुँच गई है। फतेहपुरी बस-स्टॉप से चलकर बस मोरीगेट पर रुकी। यहाँ भीड़ अधिक थी। सब-यात्री चढ़ जाना चाहते थे। इधर, बस ठसाठस भरी हुई थी। अतः कन्डक्टर सबको लेना नहीं चाहता था। उसने दो-चार सवारियाँ ली और दो बार घंटी की 'टन-टन' की आवाज से बस को चलाने का आदेश दे दिया। ड्राइवर ने गाड़ी पहले गेयर में डाली और तेजी से चला दी। अब वह तेजी के मूड में आ गया था।

बीस के स्थान पर लगभग चालीस आदमी खड़े थे। अतः घक्कापेल स्वाभाविक थी। परिणामतः मेरी नींद भी रफूचक्कर हो गई। इधर 'न्यू कोर्ट्स' बस स्टॉप पर एक नवदम्पती ने बस को रोकने का इशारा किया, किन्तु ड्राइवर ने दस और तेज कर ली। बस यहाँ से मुडती हुई 'टेलीफोन-एक्सचेंज के पास सिपाही के चबूतरे के पीछे बनी इंटों की लगभग सात-आठ फुट लम्बी और एक फुट ऊँची चबूतरी के छोर पर एक सेकिण्ड रुकी। तेज बस के अकस्मात् रुकने पर थोड़ा झटका लगा। पलक झपकते ही बस पुनः तेज हो गई और चल पड़ी सड़क को दो भागों में बाँटने वाली पटरी के दाहिनी ओर मोड़ काटने के लिए। गलत दिशा में बढ़ती हुई बस को देखकर मेरा दिल दहल-सा गया।

आत्मा की आवाज हृदय से सुना जा सकती है। इधर मेरा दिल अज्ञात दुर्घटना की आशंका से घड़का ही था कि एकदम बस के टकराने और लोगों के चीखने-चिल्लाने की आवाज कानों में पड़ी। बस सड़खड़ाती हुई-सी एकदम रुक गई। बस के एकदम रुकने से यात्री एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े।

यात्री शनैः-शनैः बस से बाहर निकले। मैं भी बाहर आया। देखा, बस और तगि का टक्कर हुई थी। तगि का घोड़ा मर गया था और उसके नीचे पड़ा था

उसका चालक। वह भी अपने प्रिय घोड़े के मोह में प्राण त्याग चुका था। तांगे में बैठी सवारियों में दो व्यक्ति उछलकर दूर जा पड़े थे, किन्तु अगली सीट पर बैठे दो व्यक्ति टूटे तांगे के नीचे पड़े कराह रहे थे।

इधर, बस में भीड़ अधिक होने के कारण जो लोग पायदान पर लटक रहे थे, उनमें से दो बस के झटके से नीचे गिर पड़े और एक के ऊपर से बस निकल गई। उसका शरीर खून से लथपथ पड़ा था।

यह सब-कुछ पलक झपकते ही गया। तांगा कैसे और किस ढंग से टकराया, बस वाले ने घाईं ओर से न जाकर दाईं ओर से बस को क्यों निकाला? वीस के स्थान पर चालीस 'स्टैंडिंग' क्यों ली? पायदान पर यात्रियों को क्यों खड़ा रहने दिया गया? आदि तथ्यों को अब झूठी-सच्ची गवाहियों से तोड़-मरोड़कर बदला जाएगा। ये सब बातें मेरे दिमाग में घूम गईं।

पांच मिनट में पुलिस का 'फ्लाइंग स्क्वाड' पहुंच गया। उसने बस, बस ड्राइवर और कण्डक्टर को अपने 'कब्जे' में ले लिया। जनता को घटनास्थल से २०-२० गज की दूरी तक पीछे हटा दिया। फिर तांगे में बैठे चारों व्यक्तियों और कुछ बस-यात्रियों को रोक लिया।

मार्ग-विभेदक निर्जीव पटरी ड्राइवर की मूर्खता पर हँस रही थी। प्रायः सड़कों पर लेखी आदर्श पंक्ति 'दो क्षण की बचत के लिए जीवन को खतरे में न डालिए' बस-चालक का उपहास कर रही थी।

मरने वालों की सख्या तीन थी। मामूली चोटों वाले अब कराह रहे थे। मैं दुःखी हृदय से तीस हजारी की ओर चल पड़ा। आँखों में अश्रु-विंदु अनजाने ही आ गए थे। ●

जलते हुए भवन का दृश्य

अग्नि मानव के लिए परम उपयोगी तत्त्व है। इसी की सहायता से हम भोजन पकाते हैं। इसी के द्वारा शरीर को ताप प्रदान किया जाता है। सर्दियों में तो अग्नि बहुत ही प्रिय लगती है। उक्ति प्रसिद्ध है—‘अमृतं शिशिरे वह्निः’ अर्थात् शिशिर ऋतु (सर्दी के मौसम) में अग्नि अमृत के समान होती है। इसके अतिरिक्त अग्नि की सहायता से अनेक और कार्य भी होते हैं। भाप से चलने वाली गाड़ियों और मशीनों का जीवन अग्नि पर ही निर्भर रहता है। कूड़े-करकट को जलाकर अग्नि वातावरण को स्वच्छ रखने में बड़ी सहायता करती है। बड़वानल के रूप में समुद्र के अन्दर विद्यमान अग्नि उसे सदा मर्यादा में रखती है और जठरानल के रूप में प्राणियों के उदर में विद्यमान अग्नि भोजन को पचाने में सहायक होती है। इस प्रकार अग्नि हमारे लिए अत्यन्त उपकारी तत्त्व है।

प्रकृति का अटल नियम है कि जहाँ फूल होते हैं, वहाँ काँटे भी होते हैं। यह नियम अग्नि पर भी लागू होता है। अर्थात् जो अग्नि हमारे लिए अनेक उपकार करती है, उसी के द्वारा कभी-कभी भारी अहित भी हो जाता है। अग्नि द्वारा यह अहित तब होता है, जब वह मानव के लिए उपयोगी वस्तुओं को अपना ग्रास बना लेती है। प्रायः देखा जाता है कि अग्नि कभी-कभी किसी विशाल भवन को या किसी बाजार की कई दुकानों को भस्म कर देती है। जब अग्नि इस प्रकार अत्राच्छित स्थानों पर भड़कती है, तब बड़ा ही वीभत्स दृश्य उपस्थित होता है। एक बार मुझे ऐसा ही वीभत्स दृश्य देखने को मिला। उसका वर्णन मैं यहाँ कर रहा हूँ।

मैं एक दिन स्कूल से घर आ रहा था कि रास्ते में घंटी बजने की आवाज आई। उस घंटी की आवाज को सुनकर लोग कह रहे थे—‘हट जाओ, हट जाओ, सड़क खाली कर दो।’ एक मिनट बाद सामने से लाल रंग की तीन-चार मोटरें गुजरी। लोग मोटरों के साथ-साथ उसी दिशा में भाग रहे थे। मैं

समझ गया कि अवश्य ही कहीं आग लगी है। मेरी इच्छा आग को देखने की हुई। मैं भी जिधर मोटरे गई थी, उस ओर चल पड़ा।

आधा फलांग भी नहीं चला हुआ कि दाहिनी ओर की गली से भयंकर शोर सुनाई दिया और आग की लपटें नजर आईं। आग देखकर तो मेरी आंखें फटी ही रह गईं। ऐसी आग मैंने पहले कभी न देखी थी। आग एक तीनमंजिले मकान में लगी हुई थी।

आग तीसरी मंजिल पर लगी थी, किन्तु पहली मंजिल के लोग जल्दी-जल्दी अपना सामान निकाल रहे थे। दूसरी मंजिल पर कुछ सामान बाकी था, किन्तु उसे निकालना खतरे से खाली न था। तीसरी मंजिल में धुआँधार आग लगी हुई थी। मकान के चारों ओर २५-३० गज तक पुलिस ने घेरा डाला हुआ था।

उधर आग बुझाने वाले लोगों का बुरा हाल था। उन्होंने आग को तीन तरफ से घेर रखा था, किन्तु आग काबू में न आ रही थी। वे एक स्थान से आग बुझाते, उधर दूसरी खिड़की जल उठती। इस प्रकार वे निरन्तर आग से जूझ रहे थे। इसी बीच एक दर्दनाक घटना घटा। दूसरी मंजिल पर रहने वाली एक स्त्री को ध्यान आया कि उसका चार वर्षीय पुत्र अन्दर सोता हुआ रह गया है। फिर क्या था? उसने चिल्ला-चिल्लाकर आसमान सिर पर उठा लिया। उसके चीत्कार से पिघलकर आग बुझाने वाले इन्स्पेक्टर ने उस स्त्री से वह कमरा, जिसमें उसका बालक सो रहा था, पूछा और ढाढस बँधाया, परन्तु स्त्री को तसरती करव होने वाली थी।

इन्स्पेक्टर ने अपने लोगों को समझाया कि वे कमरे के ऊपर की आग को बुझाएँ और यह ध्यान रखें कि इस कमरे तक आग न पहुँचने पाए। आग बुझाने वाले आदमियों ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी से उस सारी आग पर काबू पा लिया। काबू पाते ही उन्होंने अपनी सीढ़ी लगाई और ऊपर चढ़ गए। बच्चा चारपाई पर पड़ा हुआ था, किन्तु कमरे में धुआँ भरा होने के कारण कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी इन्स्पेक्टर ने उसे ढूँढकर उठाया और कंधे से लगा कर बाहर निकाल लाया। किस्मत का घनी इन्स्पेक्टर बाल-बाल बच गया, जैसे ही वह बच्चे को लेकर नीचे उतरा, वैसे ही उस कमरे की छत नीचे गिर पड़ी। बच्चा बेहोश था, उसे तुरन्त अस्पताल भेज दिया गया।

२५८ / जलते हुए भवन का दृश्य

जब आग बुझ गई-तो, आग बुझाने वाली मोटरें घंटा-टनटनाती हुई वापस लौट चली। इधर आग का तमाशा-देखने वाली भीड़ के ठट्-के-ठट् लगे हुए थे। अब पुलिस उस भीड़ को तितर-बितर करने में लगी थी। यह देखकर मैंने भी भारी मन से अपने घर की राह ली।



वर्षा ऋतु में उमड़ते-उफलते नदी-नाले

(ऑल इंडिया १९७६ : 'बी')

वर्षा ऋतु में उमड़ते-उफलते नदी-नाले मर्यादाहीनता के प्रतीक हैं, प्राणियों के विनाशक हैं, मनुष्य के लिए विपत्ति डाने वाले हैं, खेतों-खलिहानों को बरबाद करने वाले हैं, यातायात को अवरोध करने वाले हैं, जीवन और जम्हू को संकट के प्रलय में धकेलने वाले हैं।

नदी-नाले वर्षा के अभाव में जल-धन से विहीन होने से कंगाल हो गए थे। उनका जल सिकुड़ता-सिमटता जा रहा था, मानो नवबधू ससुराल-अग्रकर संकोच-वश अपने वस्त्रों को समेट रही हो। अपनी प्यास बुझाने के लिए आने वाले पशु-पक्षियों और स्नान तथा जल-क्रीड़ा निमित्त आए मानवों का नदी अब स्वागत नहीं कर पाती थी। वे इसी प्रकार दुःखी थी, जैसे धनवान निर्धन होने पर याचक को कुछ न दे पाने पर दुःखी होता है।

वर्षा हुई। 'सिमिट-सिमिट जल भरहि तलाब'। नदी नालों में जल बहने लगा। सूखे नदी-तल जल-मग्न हो गया। उसकी नक्तता जल रूपी धड़नों ने ढंक दी। नाले, जो जल के अभाव के कारण शान्त पड़े थे, वर्षा के अममन पर बहने लगे। वर्षा का जीवन प्रकट होता गया। वर्षा बढ़ती गई। नदी-नालों का जल उफनने लगा। तट को स्पर्श करने लगा। नदी-नाले जल से उसी प्रकार भर गए, जैसे सज्जन के पास सद्गुण आते हैं अथवा वर्तमान देकारों के युग में किसी विज्ञापन के उत्तर में देकारों की अजियों से कर्मान्त्य भर जाते हैं।

पूर्णयोजना वर्षा पर जवाानी की चमक आई; मुख-मडल में उल्लास आया। नदी-नालों का जल उमड़ने-लगा, उफनने-लगा; इतराने-इठलाने लगा। उनका जल तट की मर्यादा को तोड़ चला। मर्यादा-भंग विपत्ति और विनाश का सूचक होता है। 'साकेत-सत' महाकाव्य के रचयिता श्री बलदेवप्रसाद ने चेतावनी दी है—

मर्यादा में ही सब अच्छे, पानी हो वह या कि हवा हो ।

इधर मृत्यु है, उधर मृत्यु है, मध्य मार्ग का यदि न पता हो ॥

उमड़ते-उफनते नदी-नाले तट के ऊपर से बहते हैं, तो पहले अपने समीपस्थ स्थान को तृप्त करते हैं । फिर साँप की भाँति बल खाते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं । यहाव ज्यो-ज्यो बढ़ता जाता है, पानी फैलता जाता है, खेत-खलिहानो, गली-कूँचो में पहुँचने लगता है । निकासी के अभाव में जल इकट्ठा होने लगता है । खेती और खेत बरबाद हो जाते हैं । कच्चे मकान टूटकर गिर पड़ते हैं । झुग्गी-झोपड़ी वालो का तो और भी बुरा हाल होता है । सबके जल-मग्न हो जाती हैं । मार्ग लुप्त हो जाता है । आवागमन में बाधा पड़ती है । घरों से बाहर निकलना कठिन हो जाता है । बिजली फेल हो जाती है । अंधकार कोढ़ में खाज का काम करता है । पीने के पानी की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है । स्वच्छ जल का अभाव हो जाता है ।

नदी और नाले वर्षा ऋतु के जल से शायद इतना न ठडलाएँ, इन्हें तो इधर-उधर के जल से जो 'ओवर फ्लूडिंग' होती है, उसके कारण परेशानी अनुभव होती है । घरों, बाजारों का जल नालों में गिरता है । नालों का जल अन्ततः नदी में पहुँचता है । अनेक बार सञ्चन-स्थान में विस्फोटक रिश्ति होने पर जल छोड़ा जाता है । वह जल नदी-नालों को उपनाता है, जल-लावन का दृश्य उपस्थित करता है । ताजेवाला हँडवक्स से छोटा गटा जल यमुना नदी में बाढ़ का कारण बनता है ।

दिल्ली-वासियों को स्मरण होगा — नजफगढ़ नाले में उपनने से अनेक गाँवों में जो तबाही मची थी, बादसी के समीप नाला नं० २ ने दिल्ली की मॉडर्न कॉलोनी 'मॉडल टाउन' में जो बरबादी की थी, यमुना के यौवन ने उत्तर-प्रदेश तक जो हानि पहुँचाई थी वह सब नदी-नालों के उमड़ने-उफनने का ही परिणाम था ।

वर्षा में मक्खी, मच्छर, विषैले जीव-जन्तु वैसे ही पैदा हो जाते हैं, किन्तु नदी-नालों के उफनने से इनकी संख्या में कई गुणा वृद्धि हो जाती है । परिणामतः मानव का जीना दूभर हो जाता है । मच्छरों के काटने से शरीर सूज जाता है, बिना बुलाए बुखार, टाइफाइड का आगमन हो जाता है । दिन का काम और रात की नीद हराम हो जाती है । मच्छियों की भिनभिनाहट खाने-

पीने की चीजों में रोग के कीटाणु फैला देती है। मक्खिया प्राणिमात्र को न चैन से बैठने देती हैं, न सोने देती है और न काम करने देती है।

उमड़ते-उफनते नदी नाले प्रकृति-प्रकोप के चिह्न हैं; जगती को दण्डित करने का साधन हैं; नियमित जीवन में परिवर्तन का माध्यम हैं; प्रकृति-प्रकोप में प्रभु को स्मरण कराने का निमित्त बनते हैं।



दिल्ली के प्रगति-मैदान में आयोजित प्रदर्शनी

(दिल्ली १९८१ : 'ए')

किसी प्रदर्शनी का आँखों देखा वर्णन

(ऑल इंडिया १९८२ 'ए')

भारत के उच्चतम न्यायालय की बाईं ओर लालबहादुर शास्त्री मार्ग पर एक विशाल मैदान है, जिसे 'प्रगति-मैदान' के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः यह मैदान प्रदर्शनी-स्थान है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ प्रदर्शनियाँ लगती रहती हैं। प्रदर्शनी प्रगति की सूचक होती है। अतः इस मैदान का नाम 'प्रगति मैदान' रखा गया है।

फरवरी १९८४ का रविवार। पिताजी ने प्रातः ही घोषणा कर दी कि आज पुस्तक मेला देखने जाएँगे। अतः रविवार होते हुए भी भोजन अपेक्षा-वृत्त जल्दी बना। छा-पीकर, विध्राम करने के उपरान्त ग्यारह बजे के लगभग हम चल पड़े प्रदर्शनी देखने। पिताजी ने बड़ी बहन, माताजी और मुझे साथ लिया। टैक्सी की, और चल दिए प्रगति-मैदान के लिए। कुछ ही देर में हम प्रगति मैदान पहुँच गए।

प्रवेश टिकट द्वारा था। टिकट-पर की छिड़की में चार टिकट घरोदे। टिकट घरोदने में पन्द्रह मिनट लग गए। कारण, टिकट घरोदने वालों की 'ब्यू' बहुत लम्बी थी। कमाल हो गया, भारत में पुस्तक-प्रदर्शनी देखने का इतना शौक! अनेक स्थलों पर मेले लगते हैं। वहाँ कोई प्रवेश-शुल्क भी नहीं, उल्टे से सन्तमान और छाने-पीने की चटपटी चीजें भी होती हैं। इस आकर्षण का विसर्जन और पुस्तक-मेले के प्रति आकर्षण!

पुस्तक-प्रदर्शनी के चार भाग थे। सर्वप्रथम हमने प्रदर्शनी का वह भाग देखा, जहाँ भारत में १९८२-८३ में प्रकाशित पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया था। सभी भाषाओं तथा सभी विषयों की श्रेष्ठ पुस्तकों का विज्ञान प्रदर्शन। विषय-बन्धित तथा बन्धन-मोन्दर्य देखकर लगा कि भारत ज्ञान-वर्धन के माध्यम में

बड़े राष्ट्रो के समकक्ष खड़ा है। विज्ञान और तकनीकी की पुस्तकें प्रायः आंग्ल भाषा में थीं।

दूसरा भाग था भारतीय भाषाओं का। इस मंडप में सभी भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों ने अपने प्रकाशनों को हैसियत के अनुसार स्टैंड अथवा स्टॉल पर प्रदर्शित किया हुआ था। पुस्तकों के रंगीन तथा आकर्षक नाम देखकर हम लोग पुस्तक उठाते, उसे उलटते-पलटते और अच्छी लगती तो खरीद लेते। एक चीज बिना मांगे मिल रही थी—प्रकाशकों के सूची-पत्र। इस मंडप से हमने २-३ हास्य रस की, २-३ निबन्धों की तथा २-३ सामाजिक विषयों की पुस्तकें खरीदीं।

इस मंडप को देखने में समय लगा। पिताजी के मिलने वाले, माताजी की शिष्याएँ, बहिन के सहपाठी और मेरे मित्र मिले। मिलने पर चेहरे मुस्करा उठते। किसी से हाथ मिलाकर, कभी हाथ जोड़कर, कभी चरण-स्पर्श कर अभिनन्दन करते। एक-दो मिनट गपशप करते।

यह मंडप भारतीय संस्कृति और सभ्यता का नमूना था। वेश-भूषा आचार-व्यवहार, बोल-चाल के सभी रूप और रंग इस मंडप में देखने को मिलते थे। बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब तथा उत्तरी भारत की नारियों की धोती बाँधने और ओढ़ने में विविधता देखकर लगा सचमुच हम भारतीय हैं। विविधता में भी एकरूपता के दर्शन हुए।

एक बात बताना मैं भूल गया। जिस-जिम स्टैंड या स्टॉल पर बच्चों की पुस्तकें प्रदर्शित थीं, वहाँ भीड़ भी अधिक थी और विक्री भी। सर्वाधिक भीड़ 'इण्डियन बुक हाउस' या 'चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट' के स्टॉल पर थी। बच्चों के लिए बहुरंगी पुस्तकें, किन्तु बहुत सस्ते मूल्यों में ये दो ही प्रकाशक बेच रहे थे।

सर्वाधिक निराश थे वे लोग, जो भारत की राष्ट्र-भाषा हिन्दी का मंडप द्वितीय विश्व-पुस्तक-मेले में देख चुके थे। इस चतुर्थ विश्व-पुस्तक-मेले में हिन्दी-प्रेमी परम्पर मिलते, तो हिन्दी-मंडप के अभाव को महमूस करते। विश्व-पुस्तक मेले में 'हिन्दी-मंडप' का नामोनिशाँ मिटाने के लिए भारत-सरकार के आयोजकों को दोष देते। मेरे पिताजी ने एक प्रकाशक से इस विषय में बानचीन की। उसने बताया कि 'अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-मण्डल', जो इन आयोजन का भागीदार है, अब प्रगतिशील हो गया है। 'हिन्दी-मंडप' निर्माण में उन्हें साम्प्रदायिकता

की बू आती है। इसलिए यहाँ का मभी कार्य 'भारतीय-भाषामंडप' के नाम पर होता है। पिताजी के मुँह से एक आह निकली, 'माँ-भारती के पैर में कुल्हाड़ा मारने वाले ये हिन्दी के प्रकाशक।'।

पिताजी उदाम हो गए। अतः भारतीय भाषा-मंडप को छोड़ चले। पहुँचे खाने-पीने के कम्पाउण्ड में। गरम-गरम चाय ने उदामी समाप्त की। समीप और गुलाबजामुन ने उत्साह प्रदान किया।

अब आए अंग्रेजी-मंडप में। अंग्रेजी-मंडप में सर्वत्र भीड़भाड़ थी। कलात्मक दृष्टि से भारतीय प्रकाशनों से सहस्रों गुणा अधिक सौन्दर्य। वचनों के लिए बहुरंगी और बढ़िया पुस्तकें देखकर तो मन ही नहीं भरता था। माताजी बार-बार कहती थी, 'बेटा जल्दी करो।' पर बेटा जल्दी तो शरीर से कर सकता है, मन तो पुस्तकों में अटका है। यहाँ हमने १५-२० पुस्तकें खरीदीं। पिताजी ने करेन्ट टॉपिक्स पर तथा माताजी ने शिक्षा-मनोविज्ञान पर दो चार पुस्तकें लीं।

अंग्रेजी-मंडप में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त अन्य विषयों की बहुत पुस्तकें देखीं। इस मंडप की विशालता, साज-सज्जा, प्रकाशकों के परिधान, यातचीत करने का ढंग, खरीदी गई पुस्तकें बढ़िया लिफाफों में डालकर देने की प्रणाली, सूचीपत्रों की अपेक्षाकृत विशालता देखकर लगा कि वहाँ राजा भोज और वहाँ गंगू तेली। एक ओर भारतीय भाषा-मंडप की दरिद्रता और खरीददारों का अभाव तथा दूसरी ओर अंग्रेजी मंडप की शान-शौकत, चहल-पहल और खरीदारी।

आगे बढ़े तो देखा विदेशी-मंडप। संसार के विभिन्न भाषा-भाषियों का संगम-स्थल। रूस, अमरीका, ग्रेट-ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान के रंगीन स्टॉल। यहाँ भीड़-भाड़ बहुत कम थी, किन्तु विक्री बहुत अधिक। लगता था ज्ञान के पिपासु और कॉलेज-पुस्तकालय विदेशी ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों के श्रय में होड़-बढ़ हैं।

सायं ७.३० बज चुके थे। चल-चलकर पैर जवाब दे चुके थे, परन्तु मन देख-देखकर नहीं भर रहा था, उसकी तमन्ना थी, और देखा जाए। 'समरप को नहीं दोष गुसाईं।' मन को झुकना पड़ा। हम बाहर निकल आए। भाई-बहन पुस्तकों के पैकिट उठाए हुए थे, तो माताजी-पिताजी सूचीपत्रों का ढेर।



(क) आँखों देखे किसी मेले का वर्णन

(ऑल इंडिया १९८१ : 'बी')

(ख) वह मेला जो मैंने देखा

(ऑल इंडिया १९७८ : 'बी')

मेला मनोरंजन का साधन है। जीवन में उल्लास और उत्साह का प्रदाता है। परिचितों, मित्रों तथा सम्बन्धियों का मिलन-स्थल है। ज्ञानवर्धन का माध्यम है। संस्कृति और सम्यता का रांगम है। व्यापारिक वस्तुओं के प्रचार-प्रसार और विक्री-वृद्धि द्वारा आय का स्रोत है।

(इससे आगे 'दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित प्रदर्शनी' लेख की प्रथम ५ पंक्तियाँ छोड़कर 'फरवरी १९८४ का रविवार 1' से पूरा निबन्ध लिख दीजिए। जहाँ 'प्रदर्शनी' शब्द आए, वहाँ 'मेला' कर दीजिए।)



किसी समारोह का आँखों देखा हाल

(ऑल इंडिया १९८० : 'ए')

१० जनवरी, १९८२ का रविवासीय अवकाश-दिवस। दिल्ली के हिन्दी शिक्षा-जगत् में एक महत्त्वपूर्ण दिन। माँ-भारती के अनन्य उपासक शिक्षकों को उनकी श्रेष्ठ सेवाओं के उपलक्ष्य में सम्मान का दिन। सूर्य-प्रकाशन के संचालकों का हिन्दी-शिक्षकों के ऋण से उऋण होने का दिन।

सूर्य-प्रकाशन ने प्रति वर्ष दिल्ली के इक्कीस श्रेष्ठ हिन्दी-अध्यापक-अध्यापिकाओं को सम्मानित करने का १९७६ में व्रत लिया था। फलतः २५ जनवरी, १९८० को इसका प्रथम समारोह आयोजित किया गया। अध्यापक-अध्यापिकाओं ने इस आयोजन की हृदय से सराहना की।

१० जनवरी, १९८२ का कार्यक्रम सायं ३ बजे दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी-के हॉल में आयोजित किया गया था। हॉल के मंच पर माइक, कुर्सियाँ, पर्दों की व्यवस्था एक श्रेष्ठ मंच का परिचय दे रहे थे। ढाई बजे से ही अध्यापक-अध्यापिकाओं का आगमन शुरू हो गया था। सूर्य-प्रकाशन की ओर से द्वार पर स्वागत कर रहे थे सर्वश्री तनमुखराम गुप्त, सूर्यकान्त गुप्त तथा अनिलकुमार गुप्त। अध्यापक-चयन समिति के अध्यक्ष श्री गणेश शर्मा शास्त्री सम्मान के लिए मनोनीत अध्यापक-अध्यापिकाओं को बधाई दे रहे थे। मंगल-मिलन, उत्साहपूर्ण स्वागत, स्निग्ध मुस्कान का आदान-प्रदान, कर-बद्ध नमस्कार, हाथ मिलाकर अभिनन्दन चल ही रहा था कि पीने तीन बजे समारोह के मुख्य स्वागतकर्ता भूधन्य साहित्यकार, हरिजन-उद्धारक श्री वियोगी हरि पहुँच गए। उनके साथ थे समारोह के अध्यक्ष आलोचक-प्रवर डॉ० नगेन्द्र। श्री तनमुखराम गुप्त ने आगे बढ़कर दोनों साहित्यकारों के चरण-स्पर्श कर उनका अभिनन्दन किया। बाद में द्वार से हाल तक की सम्पूर्ण गैलरी में अध्यापक-वर्ग ने हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर या चरण-स्पर्श कर उनको प्रणाम किया।

हॉल लगभग भर चुका था। घड़ी भी निश्चित समय की सूचना दे रही

थी। परिणामतः गुप्त जी और गणेश जी ने साहित्यकार-द्वय से मंच पर पधारने की प्रार्थना का। उनके मंच पर पहुँचते ही उपस्थित शिक्षको द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। सर्वश्री सूर्यकान्त गुप्त तथा अनिलकुमार गुप्त ने श्री वियोगी हरि, डॉ० नगेन्द्र तथा श्री गणेश शर्मा शास्त्री को फूल-मालाएँ पहनाकर स्वागत किया।

मंच-संचालन का भार वहन किया श्री गुप्त जी ने। सर्वप्रथम उन्होंने अपना छपा हुआ वक्तव्य पढ़कर इस आयोजन के उद्देश्य और महत्त्व पर प्रकाश डाला।

तदनन्तर स्वागत-कार्यक्रम शुरू हुआ। पहला नाम था श्रीमती लज्जावती गुप्ता का। वे मंच पर आईं। कुमकुम, अक्षत तथा पुष्पहार के पश्चात् जब शॉल-नारियल भेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो, 'विद्या ददाति विनयम्' का आदर्श स्वयमेव उपस्थित हो गया। डॉ० नगेन्द्र ने माइक पर आकर घोषणा की 'यद्यपि यह कार्यं मुझे सम्पन्न करना था, किन्तु वियोगी जी के होते मैं इस कार्य को नहीं करना चाहूँगा। वे वरिष्ठ हैं, महान् हैं, उनके द्वारा ही यह कार्य सम्पन्न होना चाहिए।' शिक्षको ने डॉ० नगेन्द्र की इस महानता की करतल ध्वनि से प्रशंसा की। वियोगीजी ने सहर्ष इस घोषणा का स्वागत किया और अपने पवित्र कर-कमलों से श्रीमती गुप्ता को शॉल तथा नारियल देकर सम्मानित किया।

गुप्त जी एक-एक करके शिक्षको का नाम ले रहे थे और मनोरजक ढंग से उनका परिचय दे रहे थे।

श्रीमती लज्जावती गुप्ता और श्रीमती दमयन्ती बाला का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि दोनों गत वर्ष रिटायर हुईं। दोनों की पारिवारिक परिस्थिति प्रायः समान है। श्रीमती गुप्ता का एक मात्र पुत्र हवाई दुर्घटना में काल-कवलित हुआ, तो श्रीमती बाला के पुत्र है ही नहीं। दोनों की एक-एक पुत्रियाँ हैं, जो विवाहित होकर अपने-अपने घर चली गईं।

आइए ! आइए ! कौशल्या जी धूपर। गत वर्ष समारोह के लिए घर से चलने लगी तो पैर फिमल गया, मास फट गया और ये तीन मास तक विस्तर पर पड़ी रही।

जब श्री भीष्मप्रताप शास्त्री मंच पर आ रहे थे, तो गुप्त जी ने परिचय कराया 'देखिए निराला जी आ रहे हैं। फोटो स्टेट कॉपी ऑफ निराला।'

ये है श्रीमती चन्दा। धन्य है इनकी पारिवारिक परम्परा। इनकी मास

भी पी० जी० टी० हिन्दी थी, अब ये हैं —हिन्दी की वरिष्ठ अध्यापिका ।

आइए मरदार जी —जैसे ही श्रीमती अवतारकौर मंच पर आईं, तो दर्शकों को आश्चर्य हुआ । जिज्ञासा शान करते हुए श्री गुप्त ने बताया कि जब ये 'प्रभाकर' परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तब इनके गुरु प्रेम से इन्हें 'सरदार जी' कहते थे । और उधर 'मरदार जी' के गुरु श्री गणेश शर्मा शास्त्री उन्हें हार पहना रहे थे ।

हास्य-विनोद मय परिचय के माय-माय हर अध्यापक-अध्यापिका का कुमकुम, अक्षत तथा हार से स्वागत होता रहा, शॉल और नारियल से उन्हें सम्मानित किया जाता रहा ।

हर अध्यापक-अध्यापिका के सम्मान में दर्शक-शिक्षणण तालियों की गडगड़ाहट से उनका स्वागत करते । उधर फोटोग्राफर इस दृष्यावली को अपने कैमरे में बंद कर रहा था । तीसरी ओर, उपस्थित शिक्षकों में मिठाई बाँटी जा रही थी ।

इस बार के सम्माननीय अध्यापक थे —श्रीमती लज्जावती गुप्ता, श्रीमती दमयन्ती वाला, श्री जोमप्रकाश कौशिक, श्री गणपति शर्मा, मुश्री कौशल्या धूपर, डॉ० नेत्रपाल गौतम, श्री सालिगराम शर्मा, श्री सुन्दरलाल शर्मा डोभाल श्रीमती अवतारकौर गम्भीर, श्री ओप्रकाश शर्मा 'कवि' श्रीमती निर्मल अरोड़ा, श्री भीष्मप्रताप शास्त्री, श्रीमती दमयन्ती चन्द्रा, श्री राजेश भास्कर, श्रीमती प्रेमलता गोयल, श्री रामकिशन गुप्त, श्रीमती निर्मल सेठ, श्रीमती कौशल्या गुप्ता, श्रीमती मूरज बाला बत्तरा, श्री रतनलाल और श्री प्रकाश रीक्षित ।

स्वागत-समारोह कार्य-क्रम के उपरान्त गुप्त जी ने श्री वियोगी हरि जी से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की । वियोगी जी ने सूर्य-प्रकाशन के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए हिन्दी-अध्यापकों को अपना गुरुतर कर्तव्य सफलतापूर्वक निभाने और हिन्दी-हित के प्रति सदा सचेत रहने की चेतावनी दी ।

अतः में डॉ० नगेन्द्र ने अध्यक्षीय भाषण दिया । उन्होंने इस आयोजन, इसके प्रबन्ध, इसकी वैशालता, महानता पर सूर्य-प्रकाशन को आशीर्वाद दिया ।

गुप्त जी ने श्री वियोगी हरि जी तथा डॉ० नगेन्द्र जी का आभार स्वीकार करते हुए कृतज्ञता प्रकट की और उपस्थित अध्यापक-अध्यापिकाओं को धन्यवाद दिया ।

स्वतन्त्र भारत में अंग्रेजी का मोह

(दिल्ली १९८३ : 'ए')

स्वतन्त्र भारत में अंग्रेजी का मोह आंग्ल सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति आकर्षण का परिचायक है, जीवन और जगत में सफलता की कुजी है, व्यक्तित्व की महानता का द्योतक है, अहं का वर्धक है, गर्व का कारण है, गौरव का प्रतीक है। ज्ञान-विज्ञान के द्वार पर दस्तक है और है विश्व से सम्पर्क का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम।

अंग्रेजी भाषा का ज्ञान विशाल क्षेत्र का वातायन है। अंग्रेजी साहित्य अत्यन्त समृद्ध है। अंग्रेजी लेखकों का चिन्तन बहुत प्रखर है। नये-नये विषयों में अन्वेषण की प्रवृत्ति उनका स्वभाव है। फलतः उनके ज्ञान-विज्ञान के अपार कोश, साहित्य की अमूल्य कृतियाँ, कला की अनुपम उपलब्धियाँ विश्व-मानव के ज्ञान प्रदाता हैं। आज का मानव अंग्रेजी ज्ञान के बिना अधूरा है, अपग है। इसलिए अंग्रेजी के प्रति मोह स्वाभाविक है।

अंग्रेजी भाषा विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ तक कि संयुक्त-राष्ट्र-संघ की प्रमुख भाषा है। अतः विश्व के देशों से सम्पर्क और सम्बन्ध का माध्यम है। आज कोई भी देश विश्व से सम्बन्ध विच्छेद कर जीवित नहीं रह सकता। अतः विश्व-सम्बन्धों के लिए अंग्रेजी के प्रति मोह स्वाभाविक है।

भारत स्वतन्त्र हुआ। सोचा था—स्वतन्त्र देश में अपनी भाषा, भूषा, संस्कृति का वर्चस्व होगा। आत्मीयता के दर्शन भारत में होंगे, किन्तु आंग्ल सभ्यता और संस्कृति की चकाचौंध ने, अंग्रेजी के विचार-दर्शन, सोचने-समझने और सम्पर्क ने भारतीय आत्मा को झुचल दिया। परिणामतः भारतीयता लुप्त हो गई।

भारत में अंग्रेजी-मोह के चार प्रमुख कारण बने। एक, देश की राजकीय कार्य-प्रणाली अंग्रेजी में संचालित थी। अतः अंग्रेजी मानसिकता का वर्चस्व था। ये दैनिक व्यवहार में हिन्दी को अपनाने के लिए तैयार न थे। अभ्यस्त भाषा को

छोड़ने के लिए तत्पर न थे ।

दूसरे, देश-संचालन-के विशेष पदों और पद्धतियों पर अहिन्दी भाषी अधिकारियों का अधिकार था । उन्हें हिन्दी तथा उत्तर भारतीय जीवन-पद्धति से घृणा थी । अतः उन्होने छाती ठोककर हिन्दी से लोहा लिया, जिसमें वे सफल भी हो गए ।

तीसरे, राजनीतिज्ञों को हिन्दी-संचालन में उत्तर-दक्षिण का बंटवारा दिखाई देने लगा । उन्होने 'हिन्दी-लादने' जैसी गालियाँ देना शुरू कर दिया । उन्हें हिन्दी में साम्प्रदायिकता की बू आने लगी । इस मानसिकता ने हिन्दी के समर्थकों को अंग्रेजी के गुणगान गाने को बाध्य किया । अपने बच्चों को अर्थात् आगे आने वाली पीढ़ी को कॉन्वैण्ट की दीक्षा देकर उनमें अंग्रेजी के प्रति मोह-जन्म से ही उत्पन्न कर दिया ।

चौथे, रही-सही कसर पूरी कर दी लोकतन्त्र के देवता-पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने । पण्डित-नेहरू ने मृत्यु से पूर्व अंग्रेजी के सिंहासन की नींव सुदृढ़ कर दी । अंग्रेजी को यह 'पावर'-दे दी है कि भारत का एक भी राज्य जब तक हिन्दी को नहीं चाहेगा, वह राज्यभाषा नहीं बन सकती । लोकतन्त्र में बहुमत के सिद्धान्त की सरेआम हत्या कर दी गई ।

पाषाण पेट के लिए जीविका चाहिए । जीविका चाहिए, तो अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है-। राज-काज की भाषा अंग्रेजी है । अतः नौकरी के लिए इसका ज्ञान अनिवार्य शर्त है-। व्यापार-वर्धन करना है—अंग्रेजी जरूर चाहिए । नौकरी में तरक्की करनी है, अंग्रेजी चाहिए । अफसर से काम निकालना है, अंग्रेजी बोलिए-लिखिए । अतः अंग्रेजी भारत में उदरपूर्ति का साधन बनी, उन्नति का माध्यम बनी । मोह का कारण बनी ।

विश्रुतावश जीवन में अपनाई गई अंग्रेजी जीवन-और संस्कारों-पर छा गई । माता, पिता, चाचा का स्थान माम्मी, मामा, डैडी, अंकिल ने.के.लिया । पाठशालाओं और स्कूलों के भारतीय वातावरण में दमघोटू दुर्गन्ध आने लगी । एक क्लर्क का बच्चा भी कॉन्वैण्ट और पब्लिक स्कूल का द्वार खटखटाने लगा । मोक्षबलिदान (चिराग) बुझाकर जन्म-दिन मनाया जाने लगा । धोती-कुर्ता-पाजामा नाइट ड्रेस बन गए ।

अंग्रेजी का मोह नस-नस में व्याप्त हुआ, रग-रग में संचरित हुआ । अंग्रेजी शैली के नृत्य-संगीत तथा यौन-सम्बन्धों के पखों पर तैरते हुए आनन्द-लोक दिखाई

देने लगा, क्लब-सभ्यता में परमानन्द की प्राप्ति जान पड़ने लगी। फलतः अंग्रेजी का मोह सेक्स की असंतुष्टि का ज्वार-भाटा बनकर छा गया है, और देश की तरुणाई को अज्ञान, भ्रष्टता तथा दुःख के सागर में डूबो रहा है।

राजकीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रचार परोक्ष रूप में जनता को मोहग्रस्त कर रहा है। अंग्रेजी सीखने, बोलचाल की भाषा बनाने तथा जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। दूरदर्शन के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, ज्ञान-विज्ञान की ज्ञानवर्धक कर्ताओं विश्व की आश्चर्यजनक उपलब्धियों, नाटकों, प्रहसनों तथा खेलों का प्रसारण अंग्रेजी में ही होता है।

अंग्रेजी बोलने वाले में अहम् का विकास होता है। उसके व्यक्तित्व में प्रभावोत्पादकता आती है। गर्व उसके चेहरे से टपकता है। हीनता उसे छू नहीं पाती। वह 'इन्फोरिटी-कम्प्लेक्स' का शिकार नहीं होता। तब फिर अंग्रेजी-मोह स्वतन्त्र भारत में पल्लवित-पुष्पित हो, यह सहज ही है, स्वाभाविक ही है।



हिन्दी की प्रगति में अवरोधक तत्त्व

आज माँ भारती का रथ कच्छप गति से आगे बढ़ रहा है। संविधान ने उसका लक्ष्य क्षितिज के उस पार पहुँचा दिया है, जहाँ तक वह कभी पहुँच ही नहीं पाएगी। प्रांतीय भाषाओं ने उसे पगु धना दिया है। अंग्रेजी की मानसिकता ने हिन्दी-अभिरुचि का गला हा घोट दिया है। हिन्दी के पक्षपाती, उसके कर्णधार तथा उसके नाम पर व्यवसाय करने वाले इसे गंगा में समाधिस्थ करने पर तुले हुए हैं।

कहने को हिन्दी राष्ट्रभाषा है, पर उसकी स्थिति दासी से भी निकृष्ट है। संबैधानिक दृष्टि से राजनीतिज्ञों ने इस सदभ्रं में तीन भूलों की हैं—

- (१) यह निर्णय करना कि यदि भारत का एक भी प्रांत हिन्दी को राष्ट्रभाषा रूप में प्रतिष्ठापित नहीं करना चाहेगा, तो वह राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती।
- (२) हिन्दी के साथ अंग्रेजी की प्रतिष्ठा।
- (३) १४ प्रांतीय भाषाओं को राष्ट्रभाषा-पद देना।

भाषावार प्रांत-निर्माण के पञ्चात् देश के अहिन्दीभाषी राज्यों में प्रातवाद का विष तीव्र गति से फैला। प्रातवाद की वाहिका बनी प्रांतीय भाषाएँ। इन प्रांतों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं को शासकीय भाषा का पद प्रदान कर उसका अभिप्रेक किया। ऐसी स्थिति में हिन्दी उनकी आँखों में शूल बन गई। वे खुलकर हिन्दी-विरोधी हो गए। वे हिन्दी के वचस्व को ताल ठोककर नकारते हैं। प्रजातन्त्र राष्ट्र में प्रांतीय बीटो ने हिन्दी को सदा-सर्वदा के लिए राष्ट्र-मुकुट से वंचित कर दिया। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। न सारे प्रांत हिन्दी का समर्थन करेंगे, और न हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो सकेगी।

हिन्दी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग व्यावहारिक रूप में घातक सिद्ध हुआ। न्यायिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, औद्योगिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में अंग्रेजी का एकमात्र अधिकार हो गया। अहिन्दीभाषी प्रांत—आंध्र, तमिल, कर्नाटक,

केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, ओड़ीसा, असम, पंजाब, काश्मीर तथा नागालैंड प्रांतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी की छवजा फहराने लगे। हिन्दी की स्थिति दयनीय हो गई। इन क्षेत्रों में हिन्दी की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया गया। इनालिण उन्हें 'आकाशवाणी' शब्द में घृणा और 'ऑन इण्डिया रेडियो' से प्रेम है। हिन्दी महारानी से दासी बन गई।

हिन्दी-भाषा में तकनीकी शब्दों का अभाव, विधि, वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा प्रज्ञानानेक अभिव्यक्ति की अक्षमता, शब्द-कोषों, पारिभाषिक कोषों, अन्तर्राष्ट्रीय-कोषों का अभाव तथा असमृद्ध साहित्य का रोना रोकर हिन्दी के रथ का मार्ग-वरोध किया जा रहा है। फलतः हिन्दी का रथ मार्ग के कटकों को हटाने में ही लगा रहेगा और अंग्रेजी तथा प्रांतीय भाषाएँ विकसित होकर अपने रथों को तीव्रगति से दौड़ा रहेंगी। विश्व-हिन्दी-सम्मेलन में परम विदुषा महादेवी वर्मा ने हिन्दी की इस तथाकथित अक्षमता तथा अव्यावहारिकता के लिए पूर्णतः सत्ता को उन्नरदायी ठहराते हुए सटीक टिप्पणी की थी—'घोड़े को गाड़ा के पीछे बाँध दिया है।'

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन की परीक्षा-पद्धति हिन्दी के अध्ययन-अध्ययन को हतोत्साहित करने का केन्द्रीय पङ्कज है। ११वीं कक्षा में 'एक भाषा' की उत्तीर्णता की अनिवार्यता ने अंग्रेजी लेने को प्रोत्साहित किया और डॉक्टर, इंजीनियर, विधि-विशेषज्ञ, गणितज्ञ अथवा वैज्ञानिक बनने के इच्छुक छात्रों को हिन्दी त्यागने के लिए विवश कर दिया है। न होगा बाँस, न बजेगी वाँसुरी। ज्ञानार्थी न हिन्दी में उच्च शिक्षा लेगा, न हिन्दी-प्रेमी बनेगा।

ननोरंजन का प्रमुख साधन दूरदर्शन है। दिल्ली-दूरदर्शन ज्ञानवर्धन तथा सशक्त मनोरंजन के प्रायः समस्त कार्यक्रम अंग्रेजी में देता है। 'चार्ली चैम्पियन', 'लूमी', 'फादर, डीयर फादर' जैसे रोचक कार्यक्रम, वार्ताएँ तथा विश्व-ज्ञानकारी सम्बन्धी दृश्यावली का आनन्द लेने में हिन्दी-प्रेमी असमर्थ हैं। इस प्रकार दूरदर्शन अंग्रेजी को प्रिय बनाकर हिन्दी-हित पर कुठाराघात कर रहा है।

राजकीय नीति के कारण हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकों में उर्दू के कवि, कथाकार घुस गए हैं। हिन्दा-कवि-सम्मेलन सर्वभाषी बन गए हैं। विश्व पुस्तक मेले में 'हिन्दी मंडप' का स्थान 'भारतीय-भाषा-मंडप' ने ले लिया है। विश्व-हिन्दी-सम्मेलनों में प्रांतीय विद्वानों का सम्मान अनिवार्य बना दिया गया है। हिन्दी को

अपने पैरों पर खड़ा रहने ही नहीं दिया जाता। प्रांतीय बैसाखी का सहारा अनि-
वार्य कर दिया गया है। राजकीय सोपान पर चढ़ने के लिए प्रांतीय भाषाओं के
सहयोग की शर्त हिन्दी को अपमानित करने तथा पग-पग पर नीचा दिखाने एवं
अक्षमता, असमर्थता का बोध कराने की चाल है।

हिन्दी-रथ के रथी भी माँ भारती की प्रतिमा में दोषारोपण करने लगे हैं।
वे सरलता के नाम पर उर्दू-फारसी के शब्दों की बहुलता से माँ के आँचल को कल-
कित कर रहे हैं, हिन्दी की जननी संस्कृत से उसका सम्बन्ध-विच्छेद कर उसके
पीयूष-स्रोत को अवरुद्ध करने पर तुले हुए हैं। इतना ही नहीं, हिन्दी के नाम
पर आजीविका चलाने वाले हिन्दी के ये ठेकेदार, साहित्यकार, कर्णधार अपने
बच्चे को हिन्दी की छाया से भी दूर हटाते जा रहे हैं, कान्वेंट में शिक्षा दिला
रहे हैं। हिन्दी की जगली पीढ़ी को अग्ने-जी-भक्त बना रहे है।

पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने हिन्दी-परिवारों को मोहित कर लिया है।
अंग्रेजी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रातः, सायं तथा रात्रि का अभिवादन
'गुड मॉनिंग, गुड ईवनिंग, गुड नाइट' से होता है। माता-पिता 'मम्मी'-'डैडी' बन
गए हैं। बहन 'सिस्टर' और पत्नी 'वाइफ' बन गई है। अंकल-आंटी के दर्शन जहाँ
चाहे, हो जाते हैं। बातचीत में बिना अंग्रेजी शब्दों के व्यक्तित्व नहीं निखरता।
'कौन-सी पिक्चर देखनी है?' 'लंच का टाइम हो गया।' 'संडे का शो देखना है।'।
कहे बिना बात समझ नहीं आती। कहाँ है हिन्दी-संस्कार।

हिन्दी के सृजनात्मक-साहित्य के नाम पर साखी रूपए की राजकीय खरीद
होती है। हिन्दी के ये महारथी कितना सृजनात्मक-साहित्य खरीदते हैं? हिन्दी-
पुरस्कारों के नाम पर साखी रूपए बटि जाते हैं। 'महापुरुष निराला' को किसने
पूछा? महादेवीजी को पुरस्कार-पत्रिका में किस नम्बर पर रखा गया? तीसरे
विश्व-हिन्दी-सम्मेलन में प्रथम कोटि के साहित्यकारों को किसने पहचाना?

हिन्दी के रथ की गति प्रदान करने के लिए चाणक्य चाहिए, जो हिन्दी के
विरुद्ध किए जाने वाले शासकीय पद्धतियों का पर्दाफाश करके, हिन्दी को पनाका
पड़राने वालों की हिन्दी-विरोधी नीति को उजागर करके जन-मानस में हिन्दी-
संस्कार का अमृत पहुँचा सके। लोभ, मानच, ममता, स्वार्थ के कंटकों को हटा-
कर मार्ग में पुष्प बिखेर दे, ताकि माँ भारती का रथ सरलता से चलकर भारत-
भारती का भास विश्व-प्रांगण में उन्नत हो सके।

हिन्दी में साहित्यकार तो बहुत हैं, जो अपनी रचनाओं से हिन्दी की सेवा कर रहे हैं, किन्तु उसमें पदमावत, मानस, कामायनी जैसे महाकाव्य कितने लिखे गए हैं? गोदान और कर्मभूमि की टक्कर के कितने उपन्यास हैं? सच्चाई तो यह है प्रेमचन्द की मृत्यु के बाद कोई युग-प्रवर्तक पैदा ही नहीं हुआ। हिन्दी का इतिहास-लेखक १९३६ के बाद के साहित्य को किसी युग-प्रवर्तक से जोड़ ही नहीं पाया। इसलिए हिन्दी को युग-प्रवर्तक साहित्य चाहिए; विश्व में प्रतिष्ठा-योग्य रचनाएँ चाहिए।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार का एक शशवत् साधन चित्रपट भी है। हिन्दी-चित्रों न न केवल हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में, अपितु विश्व के प्रांगण में जो प्रतिष्ठा पाई, उससे हिन्दी का गौरव बढ़ा है। हिन्दी को जानने-पहचानने की उत्सुकता बढ़ी। चित्र-निर्माता सामाजिक दृष्टि से सार्थक, सांस्कृतिक दृष्टि से प्रामाणिक, कला की दृष्टि से सन्तोषजनक और शिल्प की दृष्टि से चमत्कारी हिन्दी-चित्र बनाकर हिन्दी के विकास में योगदान दे सकते हैं।

भारत-सरकार हिन्दी-विकास में अपने धर्म का पालन करे, तो हिन्दी का विकास 'खुश सम-सम' की जादुई श्रिया से हो सकता है। राजनीति के दौत खाने के आँर तथा दिखाने के और होते हैं। राजनीतिक नेता एक ओर हिन्दी घोषणे की बात कहकर भाँ भारती के मुँह पर चाँटा मारते हैं और दूसरी ओर प्रशासन में अग्रे जी के बचंम्ब को दिन-प्रति दिन बढ़सर कर रहे हैं। तीसरी ओर, उसने हिन्दी को राष्ट्रभाषा का मृशुट पहनाने के मामले में प्रत्येक प्रात को वीटो प्रदान करके हिन्दी के लिए सिंहासन-प्राप्ति असम्भव बना दी है। सजंनारामक हिन्दी-मुस्तकों की खरीद में लूट मची हुई है। हिन्दी-आयोजनों और सम्मेलनों में हिन्दी बासों की पूछ नहीं होती।

हिन्दी-विकास के लिए सरकार को चाहिए कि सम्पूर्ण भारत में हाई स्कूल तथा हायर-सेकेंडरी तक हिन्दी का पठन-पाठन अनिवार्य कर दे। उच्चशिक्षा में शिक्षा का माध्यम हिन्दी तथा प्रांतीय भाषाएँ ही कर दे।

षपरामी से लेकर उष्च अक्षिकारी तक के लिए हिन्दी-ज्ञान अनिवार्य कर देना चाहिए। पदोन्नति के लिए हिन्दी की परीक्षा:—रन, प्रभाषर, प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, विदुषी, बी० ए० या एम० ए० (हिन्दी) परीक्षाओं का प्रमाण-पत्र आवश्यक कर दिया जाए।

हिन्दी-भाषी राज्यों (उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल-प्रदेश एवं दिल्ली) का समस्त राज-काज, उच्च न्यायालयों सहित, हिन्दी में ही होना चाहिए। अंग्रेजी तो तहसीली भाषा बनाना भी अहितकर होगा।

अहिन्दी-भाषी प्रांतों में पत्र-व्यवहार मात्र हिन्दी में हो। अंग्रेजी या प्रांतीय भाषाओं की प्रति मलमल करना हिन्दी-हित के लिए त्यागना होगा।

कार्यालयों तथा अधिकारियों के नामसूची हिन्दी में होने चाहिए। विभाग, संस्थान तथा अभिकरणों (एजेन्सियों) के नाम हिन्दी में होने चाहिए। जैसे— 'टेलिविजन' नहीं, 'दूरदर्शन'; 'टेलीफोन' नहीं, 'दूरभाष' तथा 'रेडियो' नहीं, 'आकाशवाणी' नामकरण तत्काल प्रभावी होने चाहिए।

अहिन्दी-भाषी प्रांतों तथा विश्व के राष्ट्रों में महत्त्वपूर्ण हिन्दी-पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाएँ मेरठों की संख्या में निःशुल्क भेजनी चाहिए।

हिन्दी शोध-ग्रन्थों, सदर्भ-ग्रन्थों तथा विशिष्ट ज्ञानवर्धक पुस्तकों की एक-एक प्रति सरकारी अनुदान से विश्वविद्यालयों तथा शोध-मंस्थानों में पहुँचानी चाहिए। कविता, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, एकांकी, जीवनी आदि की शीघ्र खरीद बन्द करके उन नस्य तो जो ही अनुदान दे देना चाहिए, बिनके लिए ये खरीदी जाती हैं। इसमें भ्रष्टाचार समाप्त होगा, हिन्दी-हित होगा।

विश्वकोश, परिभाषिक कोष, संदर्भ-ग्रन्थ, औद्योगिक और वैज्ञानिक उच्च-कोटि के साहित्य का निर्माण सरकार स्वयं करे और सर्वे स्तर में जनता को उपलब्ध कराए। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग, साहित्य-अकादमी आदि राष्ट्रीय मंस्थाओं को बड़े दायित्व सौंपा जाए।

सरकार विशिष्ट साहित्यिक कृतिओं तथा साहित्यकारों को सम्मानित करे पुरस्कृत करे तथा कृति-वित्तोप के प्रकार-प्रकार में योग दे।

हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के 'दूरदर्शन' का हिन्दी-करण हो। ८० प्रतिशत हिन्दी में प्रस्तुत किए जाएँ। जनवर्द्धक कार्यक्रम हिन्दी में ही अन्य भाषाओं की विशिष्ट कार्यक्रमों का हिन्दी-अनुवाद होना चाहिए।

जनता और सत्ता, दोनों निरंतर एक हिन्दी में सच्चे जन-राजनीति के छन-छन में दूरदर्शन, जो निरंतर ही हिन्दी में से होगा और माँ-भारती का सुन्दर चित्रण होगा।

सच्चरित्रता का महत्त्व

(दिल्ली १९७८ : ५९)

चरित्र की श्रेष्ठता का नाम 'सच्चरित्रता' है। श्रेष्ठ और शुभाचरण का पर्याय सच्चरित्रता है। सत्यवादिता, दयालुता, निष्कपटता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सदाचार, निर्भयता, शौच, सन्तोष, तप और दान सच्चरित्रता के लक्षण हैं। सदाचारी जीवन की व्याख्या, उपयोगिता तथा अनिवार्यता सिद्ध करना सच्चरित्रता का महत्त्व है।

सच्चरित्रता ही मानव की श्रेष्ठता की कसौटी है। जीवन की शान्ति के लिए अमूल्य वस्तु है, सत्पुरुषों का भूषण है; दीर्घ आयु, मनोवांछित सन्तान तथा अक्षय धन प्राप्ति का माध्यम है, व्यक्ति के अमंगल की नाशक है।

सच्चरित्रता मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। संसार के अन्य सद्गुणों में सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। उसके सामने ऋद्धियाँ-सिद्धियाँ तुच्छ हैं।

सच्चरित्रता मनुष्य रूपी वृक्ष का सुन्दर सुगन्धित पुष्प है। सुन्दर सुगन्धित पुष्प के समान ही उदात्त चरित्र सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है और सबको प्रसन्नता प्रदान करता है। मर्यादापुरुषोत्तम राम, महर्षि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द के सुगन्धित जीवन-पुष्प सच्चरित्रता के प्रमाण हैं।

सच्चरित्रता मनुष्य की आत्मा को सुमंस्कृत करती है। विचारों, भावनाओं और सकल्प को दृढ़ एवं मंगलकारी बनाती है। सुख, सन्तोष और शान्ति प्रदान करती है। लोग सच्चरित्रता का अनुकरण करने के लिए लालायित होते हैं।

सच्चरित्रता से मानव में शूरता, वीरता, धीरता, निर्भयता आदि गुण स्वतः आ जाते हैं। सुन्दर स्वास्थ्य और सुबुद्धि का विकास होता है। कठिन से कठिन कार्य को करने में सरलता-मरसता का अनुभव होता है।

मनुस्मृति में मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक पापों से मुक्ति सच्चरित्रता के लक्षण बताए गए हैं। दस पाप ये हैं—(१) पराया धन अन्याय से लेने की चिन्ता, (२) मन से निषिद्ध कर्म करने का ध्यान, (३) 'परलोक नहीं है, यह शरीर ही आत्मा है', ऐसा मिथ्या भाषण, (४) अप्रिय बोलना, (५) असत्य भाषण करना,

(६) पीठ पीछे किसी की बुराई करना, (७) सत्य होने पर भी बिना प्रयोजन बोलना, (८) बिना दिया हुआ धन लेना, (९) विधि रहित हिंसा, (१०) पर-स्त्री-संग । इन पापों से रहित सदाचारी के चरणों में ससार की विभूति, बल, बुद्धि, वैभव लेटेंगे ।

उत्तम चरित्र निर्धन का धन है । कठिनाइयों को जीतने, वासनाओं का दमन करने और दुःखों को सहन करने से ही चरित्र उच्च, सुदृढ़ और निर्मल होता है, अन्य गुणों का विकास एकान्त में होता है, किन्तु सच्चरित्रता का निर्माण संसार के भीषण कोलाहल में होता है । चरित्र-शुद्धि ठोस शिक्षा की बुनियाद है । अतः वर्टन के शब्दों में, 'चरित्र एक ऐमा होरा है, जो हर किसी पत्थर को घिस सकता है ।' वोडर्मैन सच्चरित्रता का फल वर्णित करते हुए लिखते हैं—'कर्म को बोओ और आदत की फसल को काटो, आदत को बोओ और चरित्र को काटो, चरित्र को बोओ और भाग्य को काटो ।'

वज्रिल कहता है—'सद्गुण में भी चार चाँद नग जाते हैं, जब वह किसी सुन्दर व्यक्ति में होता है ।' चिलो एक पग बढ़ाते हुए सच्चरित्रता की महिमा का गुणगान इन शब्दों में करते हैं—'सद्गुण पृथ्वी पर मनुष्य को प्रसिद्धि प्रदान करता है, कब्र में प्रख्यात कर देता है और स्वर्ग में अमर बना देता है ।'

सद्गुण और प्रसन्नता माँ-मुत्री हैं । सम्मान सद्गुण का पुरस्कार है । घम्मपद के अनुसार 'पुष्पो की सुगन्ध वायु के विपरीत नहीं जाती, किन्तु सद्गुणों की सुगन्ध सभी दिशाओं में व्याप्त हो जाती है ।' अतः सद्गुण क्षणभर के लिए लज्जित किया जा सकता है, किन्तु मिटाया नहीं जा सकता ।'

महर्षि वाल्मीकि का कथन है, 'श्रेष्ठ पुरुष दूमरे पापाचारी प्राणिमों के पाप को ग्रहण नहीं करता । उन्हें अपराधी मानकर उनसे बदला नहीं लेना चाहता । इस उत्तम सदाचार की सदा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सदाचार ही मत्तुर्गो का भूषण है ।'

चरित्रवान् महापुरुषों की गाथाएँ इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं । चरित्र-बल के कारण प्रभु राम महाप्रतापी राक्षसराज रावण से लोहा लेने में समर्थ हुए । वन-वन भटकते पांडव मुषाठिन कौरव-सेना को लज्जकार मके । भीष्म पितामह चरित्रबल के कारण भगवान् कृष्ण को चुनौती देते हैं । भगवान् कृष्ण प्रतिज्ञा-भंग कर रथ का चक्र धारण करते हैं, तो भीष्म हँस देते हैं । वीर बंदा

बैरागी के सामने उसके पुत्र का घघ कर उसके कलेजे को उसके मुँह पर माग जाता है, पर वह आह तक नहीं भरता। कर्ण रणक्षेत्र में घायल पड़ा है, उसके कवच और कुण्डल अजेय हैं, उन्हीं से वह अमर है। कृष्ण विप्र-वेप में कवच-कुण्डल की भीख मांगते हैं। छद्मवेग को पहचानते हुए भी कर्ण कवच-कुण्डल उतारकर चरित्र की मर्यादा रखते हैं। छत्रपति शिवाजी लूट के माल में प्राप्त ध्वज-रमणी को ससम्मान लौटा देते हैं। महाराणा प्रताप ने जीवन में कष्ट और विपत्तियाँ सहन की, किन्तु मुगलों की दामता स्वीकार नहीं की। बालक बीर हकीकत राम और गुरु गोविन्दसिंह के दो पुत्रों ने हंस-हंसकर जीवन अर्पित कर दिया, किन्तु इस्लाम-धर्म स्वीकार नहीं किया। स्वातन्त्र्य-सचरित्र और आजातकाल में लाखों लोगों ने इन्दिरा-शासन का कहर बर्दाश्त किया, किन्तु असत्य के सम्मुख नत-मस्तक नहीं हुए।

सत्सगति सच्चरित्रता के निर्माण की वृष्टभूमि है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है—‘सठ सुधरहि सत्सगति पाई। पारस-परस कुधानु मुहाई।’ पारस के मर्म से लोहा स्वर्ण बन जाता है। सत्सगति से दुष्ट मनुष्य भी सुधर जाता है। साधारण कीड़ा भी फूलों की मगति से बड़े-बड़े देवताओं और महानुष्यों के मन्त्र पर चढ़ जाता है। महात्मा बुद्ध का सम्पर्क पाकर वैशाली की नगरवधू आम्बराणी का जीवन बदल गया, सुधर गया। महात्मा गाँधी के सम्पर्क से नेहरू-परिवार बदल गया, युवा शक्ति बदनी, राजनीति की दिशा बदली और बदला पराधीन भारत का भाग्य।

‘आचारः परमो धर्मः’ अर्थात् आचार ही सबसे बड़ा धर्म है। ‘आचारहीन न पुनन्ति वेदाः’—आचारहीन मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। अन्न जी की कहावत है, ‘अगर मनुष्य का धन नष्ट हो गया तो उनका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ और यदि चरित्र नष्ट हो गया तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया।’ चरित्रहीन साधु, मन्त, महात्मा तथा राजनीतिज्ञ के उपदेशों का मुफल नहीं होता। जैसे चमकहीन मोती का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार सच्चरित्रता के अभाव में मानव किसी काम का नहीं। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में—

‘खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग है।
भलों के लिए तो यही स्वर्ग है।
तुनों स्वर्ग क्या है? मदाचार है।
सदाचार ही गौरवागार है ॥’

समय ही सबसे बड़ा धन है

(अंल इण्डिया १९८३ : 'बी')

महापि वेदव्यास पुत्र-धन को मर्दश्रेष्ठ धन मानते हैं, तुलसी सन्तोष को मर्दाधिक मूल्यवान धन मानते हुए श्रेय धनों को धूल के समान मानते हैं— 'जब भावै सन्तोष धन सब धन धूरि ममान ।' किसी महापुरुष ने चरित्र को सर्वोत्तम धन माना है, किन्तु अंग्रेजी कहावत ने 'Time is Money' कहकर समय की महत्ता सर्वश्रेष्ठ धनों के शिखर पर स्थापित की है। 'का हानि।' (संसार में सबसे बड़ी हानि क्या है ?) इस प्रश्न का उत्तर 'ममयच्युति।' (समय को व्यर्थ नष्ट करना जोधन की सबसे बड़ी हानि है) इन शब्दों में दूर प्रकारान्तर से समय का ही महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। सच है, पुत्र न हानि पर दत्तक-पुत्र से भी काम चलाया जा सकता है, सन्तोष की रज्जु एक बार हाथ से छूट पर पुन प्राप्त की जा सकती है। चरित्र पतित होकर पुन. निर्मित हो सकता है, किन्तु समय ? 'गया वक्त फिर हाथ जाता नहीं।' अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत ।'

क्या समय धन है ? धन का अर्थ है—रूपया-पैसा, पूँजी, सम्पत्ति। धन की क्षति की पूर्ति सम्भव है। धन की हानि लाभ में परिवर्तित की जा सकती है, किन्तु समय की स्थिति इसके विपरीत है।

समय लौट कर नहीं आता। गुंड़ पीछे करके देखता भी नहीं। इसलिए तुलसी ने कहा—'का वर्षा जब कृपी मुखाने । समय चूकि पुनि का पछिताने।' फिर भी समय को धन कहा गया है ? कितना बड़ा विरोधाभास है ?

धन का साक्षात्कार अर्थ है—'मूल्यवान वस्तु', 'बहुमूल्य तत्व'। अतः मूल्य का अर्थ होगा—नमय बहुमूल्य एव मूल्यवान् तत्त्व है। समय ऐसा मूल्यवान तत्व है, जो कहे हुए शब्दों के नमान कभी वापिस नहीं लाता।

इस दृष्टि में समय जगती-नियन्ता में भी शक्तिशाली है। हठे हुए प्रश्न को आराधना, तप, भक्ति में पुन मनाया जा सकता है। गीता में श्रीकृष्ण हमारा समयन करत है, 'स्यकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव।'। अपने-अपने षण्

के द्वारा ईश्वर की पूजा करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। दूसरी ओर लूटा हुआ कल अर्थात् बीता हुआ समय कोटि उपाय करने पर भी नहीं बुलाया जा सकता, उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता।


डिकेन्स का कथन है, 'कोई ऐसी घड़ी नहीं बना सकता, जो मेरे बीते हुए घंटों को फिर से बजा दे।' समय की कीमत कौन आंक सकता है? हाँ, समय पर काम न करने की क्षति का अनुभव सबको कभी न कभी अवश्य होता है?

समय मानव की बहुमूल्य निधि है। समय हृदय पर लगी चोट को सहलाता है, मानव के आँसू पोखता है, दिल पर लगे घावों को भरता है—'Time is the best healer'. युद्ध की विभीषिकाएँ समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा, विद्रोह रूपी मगोविकार समय के साथ शान्त हो जाते हैं। समय की यष्ट महानता चुनौती-रहित कार्य है, जो 'समय ही सबसे बड़ा धन है', इस अटल सत्य को स्वीकार कराता है।

मानवीय तृष्णाएँ समाप्त नहीं होती, मानव समाप्त हो जाता है। मानव के पान इतना समय है कि वह बीतता नहीं, मानव ही बीत जाता है। कौसी विद्व-म्वना है? समय को नष्ट करने वालों को समय ही नष्ट कर देता है।

इहलोक का हर प्राणी किसी न किसी कारण चिन्तित है, किन्तु समय को किमी की चिन्ता नहीं। उसे किसी की प्रतीक्षा नहीं। वह तो तीव्र गति से अबाध बह रहा है। समय की गतिको पहचान कर कार्य करने वाला भाग्यशाली है, धनी है, सिद्ध पुरुष है। समय जब द्वार पर दस्तक देता है, उसकी आवाज को सुनने के लिए मनकं रहने वाले लाभ उठा गए, जो दैव-दैव पुकारते रहे, वे जीवन में पिछड़ गए। समय रूपी अश्व की दुलतियों ने उन्हें धूल चटा दी। समय की दस्तक को सुनने वाला भारत का विपक्ष १९७७ में सत्ताहठ हुआ, किन्तु वह जब समय की चाल को भूल गया, तो १९८० में उसे घोर निराशामयी पराजय का सामना करना पड़ा।

समय की अवहेलना करने वाला समय की मार में कब वना है? 'सूब्यग्रं नैव दाम्यामि' बहने वाले दुर्योधन को सम्पूर्ण राज्यगता और जीवन से हाथ धोना पड़ा। १८५७ के स्वातन्त्र्य-समर में पंजाब के अमहयोग के कारण भारत को आग्न-दामता स्वीकार करनी पड़ी। स्वतन्त्रता-पूर्व हिन्दू-दीर्घ्य ने भारत माता का विभाजन करवा दिया। समय की अवहेलना के कारण ही आज साम्प्रदायिकता



परिश्रम का महत्त्व

(ऑल इण्डिया १९८५ : बी; १९८३ : ए)

परिश्रम जीवन है। परिश्रम में स्वास्थ्य बनता है और स्वास्थ्य से सन्तोष उत्पन्न होता है। अतः 'परिश्रम एव जयते', परिश्रम की सदा विजय होती है। परिश्रम उज्ज्वल भविष्य का जनक है, परिश्रम देवता है।

ऋग्वेद का कथन है, 'न ऋतेन श्रुतस्य गढ्याय देवाः' बिना स्वयं परिश्रम किए देवों की मंत्री नहीं मिलती। सेफोकलीज का कहना है कि बिना परिश्रम के 'उन्नति नहीं होती। कहावत प्रसिद्ध है -- 'बिना परिश्रम के सुख नहीं मिलता।'

परिश्रम चम्बक है। सब प्रकार की सुख-समृद्धि उसके आकुर्यण में स्वयमेव खिचती चली आती है। 'न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।' (हिन्दो-देश) सोते हुए सिंह के मुँह में पशुगण स्वयमेव प्रवेश नहीं करते। इसीलिए त्रिकाल सत्य घोषित हुआ, कि 'परिश्रमी के घूरु के द्वार को भूख दूर से तारती है, नर भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। परिश्रम की पूजा करने वाला कदापि निराश नहीं होता।'

मूटि के आदि से अद्यतन रूप तक विकसित सभ्यता मानव के परिश्रम का ही परिणाम तो है। पाषाण युग से वर्तमान युग तक की वैभव-सम्पन्नता की लम्बी यात्रा परिश्रम की सार्थकता की एक ऐसी गाय है, जो विश्व को पग-पग पर श्रम-प्रेरणा की प्रसादी बाँट रही है।

अमरीका, रूस, चीन, जापान, इजरायल, फ्रांस, स्विटजरलैण्ड आदि देशों की उन्नति की नींव परिश्रम के स्वेद-बिन्दुओं से सिंचित है। वहाँ के नियातियों के सतत एव निष्ठापूर्ण परिश्रम ने ही उनके राष्ट्र को विश्व के शीर्षस्थ राष्ट्रों में ला विठाया है।

द्वितीय महायुद्ध में क्षतिग्रस्त रूस, ग्रेटब्रिटेन तथा जापान; आर्थिक और मान-सिद्धि रूप से जर्जर कल का चीन एवं स्थान-भ्रष्ट इजरायल पतक क्षणकाले विश्व की महान शक्ति कैसे बन गए? एक ही उत्तर है—परिश्रम की कृपा से; 'परिश्रम

ही पूजा है—परिश्रम ही परमेश्वर है' इस मिथ्यान्त को अपनाते से ।

विश्व के सात महान आश्चर्यं परिश्रम की महत्ता के द्योतक हैं । हजारो-लाखो श्रमिकों की निरन्तर सेवा, त्याग, बलिदान की अकथनीय असुप्त कहानी है, जो महान आश्चर्यों के सौन्दर्य-दर्पण में अन्तःचक्षुओं से देखी जा सकती है, अन्तरात्मा से सुनी जा सकती है ।

तप श्रम का पर्याप्त है । किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए श्रम को 'तप' कहते हैं । तप से नहुष इन्द्रासन का अधिकारी बना; रावण लकेश्वर बना; हर बार हारने वाला अब्राहिमलिनिकन अन्ततः अमेरिका का राष्ट्रपति बना; एक बार पदच्युत होने के बाद तीन वर्षों के अल्पकाल में ही इन्दिरा जी पुनः प्रधान-मंत्री बनी ।

तपबल सोइ प्रपचु विघाता । तपबल विष्णु सकल जग प्राता ॥

तपबल संभु करहि सघारा । तपबल सेपु धरहि महि भारा ॥

—तुलसी

परिश्रम से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । परिश्रमहीन, आलसी, भाग्यवादी, निराश्रम व्यक्ति से लक्ष्मी ऐसे ही दूर भागती है, जैसे युवा पत्नी वृद्ध पति से । और लक्ष्मी के बिना जगती का सुख दुर्लभ है । यदि जगती में ही स्वर्गसम आनन्द लेना है, तो परिश्रम का आलिंगन अनिवार्य है ।

जीवन की दौड़ में श्रम करने वाला विजयी रहा है । पढाई में परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में पाम होता है । सीढ़ी-दर-सीढ़ी माँ शारदा के मन्दिर की ओर अग्रसर होता है । नौकरी करने वाला कर्मचारी और व्यापार करने वाले व्यापारी की उन्नति का मूल उसके परिश्रम में निहित है । सफलता का रहस्य परिश्रम के रूप में है । ध्येय की दृढता में है । बिड़ला, टाटा का महान् उद्योग-संसार उनके परिश्रम की मुँहबोलती भूति है ।

परिश्रम से शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है, कार्य में दक्षता आती है; जीवन में आत्म-विश्वास जागृत होता है, जो सफलता का मुख्य रहस्य है, पराक्रम का सार है, भावी उन्नति का प्रथम सोपान है ।

परिश्रम से जो चुराना अर्थात् अकर्मण्यता विनाश की पगडंडी है, मृत्यु का द्वार है । महाभारत में वेदव्यास जी ने लिखा है, 'अकर्मण्य व्यक्ति सम्मान से भ्रष्ट

होकर घाव पर नमक छिड़कने के समान असह्य दुःख भोगता है।' गाँधा जी ने अकर्मण्य को चोर बताया है, 'जो कर्म किए बिना भोजन करते हैं, वे चोर हैं।'

परिश्रम का महत्त्व सतत कर्मशीलता में है, ध्येय के प्रति निष्ठापूर्ण साधना में है, मन-मस्तिष्क को एकाग्रचित्त करने में है। जीवन को पूर्णतः ध्येय के प्रति समर्पित करने में है।



स्वावलम्बन

(ऑल इण्डिया १९८५ : ए; १९८३ : बी)

स्वावलम्बन का अर्थ है आत्म-निर्भरता। आत्म-निर्भरता का अर्थ यह कदापि नही कि प्रत्येक कार्य स्वयमेव करो—झाड़ू-बुहारी से लेकर, रोटी पकाने तक, धोने से लेकर, दफ्तर की ड्यूटी भुगताने तक एक ही व्यक्ति मरे-पचे। न स्वावलम्बन का अर्थ पर-बुद्धि, योग, ज्ञान, बल शक्ति की उपेक्षा है। यह तो आत्म-विश्वाम का खंडन है, आत्मबल का दुरुपयोग है, आत्मनिर्भरता की अशुद्ध व्याख्या है। आत्म-विश्वास के बल पर कार्य को निरन्तर गति देना स्वावलम्बन है। निज, समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता उत्पन्न करना स्वावलम्बन है। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना स्वावलम्बन की प्रतीक है।

स्वावलम्बन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता-प्राप्ति का महामन्त्र है। जीवन का आभूषण है। कर्तव्यशृंखला की प्रथम कडी है। वीरो तथा कर्मयोगियों का इष्टदेव है। सर्वांगीण उन्नति का आधार है।

जीवन के प्रारम्भिक काल में शिशु हाथों का उपयोग नहीं जानता। माँ पर आश्रित होता है। ज्यों ही उसे हाथ की उपयोगिता पता लगी, वह कोई भी वस्तु उठाकर मुँह में डालने लगता है। इस प्रयोग-क्रिया में उसे परम आनन्द प्राप्त होता है। अबोध शिशु की यह प्रसन्नता स्वावलम्बन का आनन्द है।

मुँह और हाथ देने का प्रभु का तात्पर्य यह है—स्वावलम्बी बनो। अपना काम अपने हाथ से करो। अपने हाथ की कमाई खाओ। आत्म-निर्भर बनकर हार्दिक आनन्द की प्राप्ति करो।

पेड़-पौधे, पशु-पक्षी स्वावलम्बन के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। सूर्य से प्रकाश, चन्द्रमा से रस, आकाश में जल प्राप्त कर पेड़-पौधे स्वतः बढ़ते जाते हैं। वे प्रकाश, रस तथा जल के लिए सूर्य, चन्द्रमा तथा मेघ की दुशामट नहीं करते। उनके सामने दाँत नहीं निपोरते, बगलें नहीं झाँकते, गण्डा या ताबीज नहीं बाँधते।

पशु तथा पक्षी-शावक जरा से बड़े हुए नहीं कि निकल पड़े अपना चारा स्वयं खोजने। चीटी-जैमा-नन्हा-सा जीव का बच्चा भी स्वावलम्बन का महत्त्व समझता है। इसी से प्रेरित होकर एक शायर का हृदय परमुखापेक्षी मानव-समाज तथा राष्ट्र की मूर्खता पर रो उठा—

जो हुआ मोहलाज गैरो का, वो कब इन्सान है।

वो है हैवानो से बदतर, चूकि वो नादान है ॥

राजस्थानी में एक कहावत है—“काम सुधारो तो अंगे पधारो।” अर्थात् यदि अपना काम सुधारना है, तो किनी के अधीन न रहकर उसे स्वयं करो। दूसरे शब्दों में—‘स्वावलम्बी बनो।’ भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है—‘स्वे-स्वे कर्मण्यभिरत. संमिद्धि लभते नरः’। जो स्वावलम्बी व्यक्ति अपने कर्म के पालन में निम्ग्न रहता है, उसे ही सिद्धि (सफलता) प्राप्त होती है। कहावत प्रसिद्ध है—‘आग काज महाकाज’। एकलव्य स्वयं के प्रयास से धनुर्विद्या का पारखी बना, निपट दरिद्र बालक लालबहादुर भारत का प्रधानमंत्री बना, दीन-हीन जैल सिंह स्वावलम्बन के सहारे ही भारत का राष्ट्रपति बन गया।

अलगाव काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, सूक्ति भाषा को चमत्कृत करती है, गहने नार्गी के मॉन्दर्य को द्विगुणित करते हैं। इसी प्रकार स्वावलम्बन मानव में अनेक गुणों की प्रतिष्ठा करता है, उन्हें चमकाता है। आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा, महत्स, सन्तोष, धैर्य आदि गुण स्वावलम्बन के गहोदर हैं। महात्मा गाँधी स्वावलम्बन के जीवन्त उदाहरण हैं। आवश्यकता पटने पर वे किसी भी काम से क्षिप्त नही, हिचके नही। अपने हाथों से खाना बनाया, तो कपड़े भी धो लिए। यीमार का शौच भी साफ कर दिया, तो वमन-वन्ध भी बदल दिए।

स्वावलम्बन के महत्त्व से अपरिचित, अतः दूसरों का मुँह ताकने वाले अपने वर्तव्य का पालन नहीं कर पाते। ऐसे लोग मॉंह को बड़ाकर, तुष्णा को उत्पन्न कर अपनी दयनीय कृपण स्थिति बना लेते हैं। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहूत हो जाता है, उनकी दृष्टि म्लान हो जाती है। इम म्लान, अंधकारपूर्ण दृष्टि से भगवान् को भी भय लगता है। प्रभु तो उन्ही की सहायता करते हैं, जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। स्वावलम्बी को ही प्रभु का वरदान प्राप्त होता है।

आत्म-निर्भरता स्वावलम्बियों की आराध्य देवी है। देवी की उपासना में

उनका आलस्य अन्तर्धान हो जाता है, भय भयभीत होकर भाग जाता है, कायरता नष्ट हो जाती है, संकोच समाप्त हो जाता है, आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, है, आत्मगौरव जागृत होता है। स्वावलम्बी व्यक्ति कष्टों और बाधाओं को रौंदा हुआ कंटकाकीर्ण पथ पर निर्भीकतापूर्वक आगे बढ़ता है—

पर्वतों को काटकर सड़के बना देने है वह,
सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वह।
आज जो करना है कर देते हैं उसको आज ही,
सोचते, कहते हैं जो कुछ कर दियाते है वही।

—हरिऔध

टाटा, बिड़ला, सिघानियाँ, डालमियाँ, खेतान, मोदी—न जाने कितने स्वावलम्बियों ने न केवल स्वयं को समृद्ध किया, अपितु राष्ट्र को औद्योगिक सम्पन्नता प्रदान कर विश्व-प्रागण में भारत का भाल ऊँचा किया। महान वैज्ञानिकों ने अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) के रूप में भारत को विश्व के महान राष्ट्रों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। रूस और अमेरिका तो अन्य ग्रहों की खोज में निकल पड़े हैं। चन्द्रलोक, मंगललोक उनकी चरण-रज से पवित्र हो चुके हैं। ऐसे दुस्साहसी स्वावलम्बियों से विघाता भी भयभीत हो जाता है और उनकी भाग्यलिपि लिखने में पूर्व पूछ लेता है—‘बता तेरी रजा क्या है?’ डॉ० इकवाल ने इसी तथ्य को प्रस्तुत करते हुए कहा है—

खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले।
खुदा बन्दे से यह पूछे, बता तेरी राजा क्या है?

ऐसे महान प्रचण्ड शक्तिसम्पन्न स्वावलम्बी मनुष्य समाज तथा राष्ट्र का जीवन है। ‘वे प्राण ढाल देते हैं जिन्दगी में, मन ढाल देते हैं जीवन रस के उपकरणों में। कठोर भूतल को भेदकर, पाताल की छानी चीरकर अपना भोग्य संग्रह करते हैं; वायुमण्डल को चूसकर, अज्ञान-तूफान को झेलकर अपना प्राप्य वसूल करते हैं। आकाश को चूमकर, अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींचते हैं।’ ऐसे स्वावलम्बियों की एक झलक पाने को कवि का व्यथित हृदय लालायित हो उठा—‘स्वावलम्बन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कौष।’

स्वावलम्बन व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के लिए बल, गौरव एवं उन्नति का द्वार है। सुख, शान्ति तथा मफलता का प्रदाता है, आत्म-निर्भरता का परिचायक है; शौर्य, शक्ति तथा समृद्धि का साधन है।



मित्रता

(दिल्ली १९८४ : 'धो')

प्रसिद्ध विचारक वेनन ने मित्रता की परिभाषा इस प्रकार की है, 'जिसकी उपस्थिति में दुःख आघा हो जाए और सुख दुगुना हो जाए'। मित्र होने के भाव को 'मित्रता' कहते हैं। मित्रता मित्र का धर्म है।

मित्रता ससार की सबसे बड़ी नियामत है। संसार के अन्य सभी सम्बन्धी भाव—मातृत्व, पितृत्व, बन्धुत्व आदि जन्म से ही मिलते हैं, किन्तु मित्रता सदा प्रयत्नपूर्वक बनाई जाती है। श्री डिजरायली मित्रता को देवी देव स्वीकार करते हुए लिखते हैं—'मित्रता देवी देव है और मनुष्य के लिए अत्यन्त बहुमूल्य वरदान'। श्रीकृष्ण और सुदामा तथा श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता इतिहास-प्रसिद्ध है।

मित्रता को आँखों को ज्योतिष करने वाला रमायन और हृदय के आह्लाद का जनक कहा गया है। उसमें शिव के समान आत्म-त्याग तथा बोधिसत्व-सदृश सर्वस्व समर्पण की भावना निहित है। 'राजद्वारे श्मशाने च' वह स्थिर है, साय है।

मित्रता के बिना ससार शून्य है। यह मायावी ससार को प्रेमपूर्वक सहज भोगने का एक माध्यम है। घर में धन-धान्य और समस्त ऐश्वर्य विद्यमान हो, पर पति-पत्नी में मित्रता न हो तो वह ऐश्वर्य भी कष्टदायक बन जाता है। घोर गोपनीय बात, अत्यन्त कठिन संकटपूर्ण परिस्थिति और अपार प्रसन्नता में मनुष्य सगे-सम्बन्धियों का साथ छोड़ सकता है, किन्तु मित्र का नहीं।

आचार्य शुक्ल मानते हैं, 'सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम बँध को-सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का-सा धैर्य और कोमलता होती है।'

दोस्ती, सहृदयत्व, बन्धुत्व, सख्य, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, कामरेडशिप सभी मित्रता के पर्याय हैं। न्यूनाधिक सभी एक ही भाव को व्यक्त करते हैं।

कृत्रिम, घोखेबाज, स्वार्थी, अल्पकालिक मित्रता परिचित की कोटि में आती

है, मित्रता की नहीं। अप्रेजी में एक सूक्ति है, 'मित्र वही है जो आवश्यकता के समय काम आए।'।

प्रकारान्तर से कविकर रहीम मित्र की पहचान इन शब्दों में करते हैं—
'विपति कसौटी जे कसे, तेई सांचे भीत।' तुलसीदास जी इससे भी एक पग आगे बढ़कर कहते हैं, 'जे न मित्र दुःख होहि दुखारी, निनहि बिनोकत पातक भारी।' इसलिए उन्होंने मित्र बनाने के लिए चेतावनी दी—

निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना ।
जिन्ह के असि मति सहज न आई । ने सठ कत हठ करत मिताई ॥
कुषय निवारि मुपय चलावा । गुन प्रगटै अवगुनहि दुरावा ।
देत लेत मन संक न धरई । बल अनुमान सदा हित करई ॥
विपति काल कर मत गुन नेहा । श्रुति कह सत मित्र गुन एहा ।
आगे कह मृदु वचन बनाई । पीछे अनहित मन कुटिलाई ॥
जाकर चित अहि गति सम भाई । जस कुमित्र परिहरेहि भलाई ।

जो लोग मित्र के दुःख से दुःखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुःख को धूलि-कण के समान और मित्र के धूलि-कण के समान दुःख को सुमेरु पर्वत के समान जाने, जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक कर अच्छे मार्ग पर चलावे। उनके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। लेन-देन में मन में शका न रखे। अपनी शक्ति के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में सदा सौ गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के लगने से ही हैं, किन्तु दूसरी ओर जो सामने तो बना-बनाकर कोमल वचन कहता है और पीछे पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई! जिसका मन ज्ञान की चान के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है।

अप्रेजों ने इसीलिए 'श्वान' को मानव का घनिष्ठ मित्र माना है। वे मानव की मित्रता के विश्वासी नहीं। फ्रॉकलिन का कहना है कि जीवन में तीन मित्र ही सच्चे होते हैं—बुद्धावस्था में पत्नी, पुराना कुत्ता और हाथ का घन। गिरधर कविराय 'पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले', कहकर स्वार्थी मित्र की भर्त्सना करते हैं।

भर्तृहरि सज्जन और दुर्जन की मित्रता का अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—जैसे दिन के पूर्वाह्न में पहले छाया खूब घनी होती है और पीछे धीरे-धीरे क्षीण होती जाती है (चारों तरफ धूप का साम्राज्य हो जाता है), वैसे ही दुर्जनों की मंत्री होती है। परन्तु सज्जनों की मंत्री दिन के उत्तराह्न की छाया के समान होती है—पहले हल्की और विरल तथा पीछे बढ़ते-बढ़ते सघन। इतनी कि धूप का कहीं नाम भी दिखाई नहीं देता।

वस्तुतः मित्रता वह खेल है जो स्नेह, सहिष्णुता, सहायता और सहानुभूति का जल पाकर बढ़ती है और जिममें स्वर्गीय उल्लास के फूल लगते हैं। दीन-दुःखी-दरिद्र-दुर्बल विप्र मुदामा की मंत्री द्वारिकाधीश भगवान् श्रीकृष्ण के स्नेह, सहिष्णुता, सहृदयता एवं सहानुभूति के कारण कितनी पल्लवित हुई इसका वर्णन अवर्णनीय ही है।

'निज समान सो कीजिए, व्याह, बैर और प्रीति' कहकर किसी पंडित ने किसी समय में उपदेश दिया होगा, किन्तु वर्तमान काल में यह अव्यवहार्य है, असंगत है। राजनीति में तो यह सर्वथा असम्भव है। यहाँ दो परस्पर विरोधी विचारधारा के राष्ट्र रूस और अमेरिका मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं, तो साम्राज्यवाद के कट्टर शत्रु चीन के शासक 'निक्सन की जय' के गगनभेदी नारों से अपनी मित्रता प्रकट कर सकते हैं। वस्तुतः इस मंत्रों के लिए तुलसादास ने बहुत सुन्दर कहा है—'स्वार्थ लागि करै सब प्रीति'।

सच्चाई यह है कि 'पीनी पीजे छानकर, मित्र कीजे जान कर'। पहले परिचय, फिर घनिष्ठता, तत्पश्चात् मित्रता। जीवन में परिचय सहस्रो से हो सकता है, घनिष्ठता सैकड़ों से हो सकती है, किन्तु मित्रता दो-चार से ही सम्भव है। मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करने से पूर्व हम मानव का परिचय और घनिष्ठता को स्टेज पर परख चुके होते हैं। उसके गुणावगुण की परख कर चुके होते हैं। अतः मित्रता गाँठने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। बल्कि स्टेज बाई स्टेज चलने में ही कल्याण है। राजनीति के प्रकांड पंडित चाणक्य ने मित्रता की सुदृढ़ता के लिए चेतावनी देते हुए कहा है 'यदि दृढ़ मित्रता चाहते हो तो मित्र से बहस करना, उधार लेना-देना और उसकी स्त्री से बातचीत करना छोड़ दो। यही तीन बातें बिगाड़ पंदा करती हैं।' इसके विपरीत इयूमाज का कथन है कि मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाये और जो दूसरे से ले उसे सर्वदा याद रखे, मित्रता की यही जड़ है।

पररोपकार

(अंतर् इंडिया १८६४ : 'ए')

स्वार्थ-निरपेक्ष, किन्तु दूसरों के हितार्थ कार्य पररोपकार है; पर-बीड़ाहरण पररोपकार है, पारस्परिक विरोध की भावना घटाना, प्रेमभाव बढ़ाना पररोपकार है; दीन, दुःखी, दुर्बल की सहयोगिता पररोपकार है, आवश्यकता पडने पर निम्नार्थ भाव ने दूसरों को सहयोग देना, पररोपकार है; मन वचन, कर्म से पर-मंगल साधन पररोपकार है।

पररोपकार मे प्रवृत्त रहना जीवन की मफलता का लक्षण है। (जीवित मफल तस्य यः परार्थाद्यत सदा) व्यास जी के कथनानुसार 'पररोपकारः पुण्याय' अर्थात् पररोपकार से पुण्य होता है। पर-उपकार करने का पुण्य सौ यज्ञो से बढ़कर है। चाणक्य यह मानते हैं, 'जिनके हृदय मे सदा पररोपकार करने की भावना रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और पग-पग पर सम्पत्ति प्राप्त होती है। हर्षवर्त का विचार है कि 'पररोपकार करने की एक ब्रुगी से दुनिया की सारी खुशियां छोटी हैं।' एव डब्ल्यू वीवर एक पग और बढ़ने हुए कहते हैं, 'पररोपकार का प्रत्येक कार्य स्वर्ग की ओर एक कदम है।'

सूर्य की किरणें जगती को जीवन प्रदान करती हैं, चन्द्रमा अमृत को वष करता है; वृक्ष मानव-मात्र के लिए फल प्रदान करते हैं; पेनी अनाज देनी है, मरिचाएँ जल जलित करती हैं, वायु निरन्तर बहकर जीवन देती है, नमुद्र अपर्न सम्पूर्ण सम्पत्ति वर्षा रूप में जन-कल्याण के लिए समर्पित करता है। प्रकृति के सभी नत्व पर-हित के लिए समर्पित है, इनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं।

भगवान् शंकर ने देव-दानव कल्याणार्थ विप-दान किया। महर्षि दधीचि ने देवगण की रक्षार्थ अपनी हड्डियां दान कर दी। राजा कर्ण ने अपने कवच-कुडल विप्र रूप कृष्ण को दान दे दिए; राजा शिवि ने कबूतर की प्राण-रक्षा के लिए अपना भग-भंग काट दिया; ईशानमीह मूली पर चढ़े; मुकरात ने जहर पी लिया; डॉ. मुकेशी काश्मीर में जाकर बलि चढ़े; महात्मा गांधी जनहित के लिए मधयं

करते रहे; आचार्य विनोबा भावे दरिद्र-भारायण के लिए भूदान मांगते रहे। मदर टेरेसा ने दीन-दुर्खा की सेवा में अपने जीवन की बलि चढ़ा दी और बुढ़ापे को गला रही हैं। कहीं तक गिनाएँ परोपकारियों के प्रातःस्मरणीय नामों को।

तुलसी की आत्मा चीत्कार उठी, 'परहित सरिस धर्म नहिं भाई।' उन्होंने हिन्दू जाति, धर्म और सस्कृति के लिए सर्वस्व-न्यौछावर कर अपना धर्म निबाहा। उनका धर्म हिन्दू सस्कृति की व्याख्या बन गया। उनका मानस हिन्दू जाति का रक्षक कवच बन गया, धर्म-प्रेरक बन गया, मोक्ष-मार्ग का पथ-प्रदर्शक बन गया।

भगवान् राम परहित के लिए वन में रहकर, 'असुर विनाशाय' धर्म निबाहते रहे। योगेश्वर कृष्ण 'परित्राणाय साधूना' तथा 'विनाशाय च दुष्कृताम्' के लिए जीवन भर लड़ते रहे। चाणक्य ने परहित कूटनीति प्रयोग कर चन्द्रगुप्त को सम्राट् बनाया। सिख गुरुओं ने परहित धर्मार्थ जीवन की आहुति दी। महाराणा प्रताप जीवन भर जंगल की खाक छानते रहे। 'हिन्दुअन की राज' रखने के लिए शिवाजी जीवन भर मुगलों से टक्कर लेते रहे। क्रांतिकारी पर-हित शहीद हुए। धर्म समझ कर परहित करने वालों की शृंखला अटूट है।

परोपकार में कष्ट होता है, दुःख मिलता है बहुधा पीड़ा होती है, किन्तु यह दुःख, कष्ट, पीड़ा कल्याणमयी होती है। किरातार्जुनीय में कहा गया है, 'परोपकार में लगे हुए सज्जनों की प्रवृत्ति पीड़ा के समय भी कल्याणमयी होती है।' माँ कष्ट न उठाए, तो शिशु का कल्याण नहीं होगा। वृक्ष पुराने पत्तों का मोह त्यागें नहीं, तो नव पल्लव के दर्शन असम्भव हैं। पिता यदि दिन भर कष्ट सहकर धन-अर्जित न करे तो परिवार का पोषण कैसे होगा। पक्षी कष्ट सहकर भी अपने शिशुओं के लिए आहार इकट्ठा न करें, तो उनके बच्चे बचेगे कैसे? माता-पिता, वृक्ष, पक्षियों का कष्ट, कष्ट नहीं। कारण, वे तो पर-हित के लिए पीड़ित हैं। अतः पीड़ा में भी आनन्दमग्न है।

परोपकार करने पर आत्मा प्रसन्न होती है। परोपकारी दूसरों की सहानुभूति का पात्र बनता है; समाज के दीन-हीन पीड़ित वर्गों को जीवन का अवसर देकर समाज में सम्मान प्राप्त करता है; समाज के विभिन्न वर्गों में शत्रुता, कटुता और वैमनस्य दूर कर शांति दूत बनता है। धर्म के पथ पर समाज को प्रवृत्त कर 'मुक्तिदाता' कहलाता है; राष्ट्र-हित जनता में देशभक्ति की चिंगारी फूँकने वाला 'देश-रत्न' की उपाधि से अलंकृत होता है।

दहेज-प्रथा

(दिल्ली १९८३ : 'ए' तथा 'बी', ऑल इंडिया १९८४ : 'बी')

दहेज-प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। दो प्राणियों के नही, अपितु दो परिवारों के रोने, कराह-कराह कर विसूरने तथा वंशानुवंश शक्ता की जड़ है; मानवीय विपत्ति तथा अनिष्ट के लिए निमन्त्रण है; वशवर्द्धिनी गृह-नश्वी का अनादर है, अपमान है; अग्नि के सम्मुख शपथ लेकर पाणिग्रहण करते समय की गई प्रतिज्ञा का भंग है, विवाह को संस्कार न मानकर, 'लौकिक इकाररनामा-मात्र' मानने की दुर्भावना है।

दूसरी ओर, हिन्दू-संस्कार-विधि में विवाह की पाँच प्रक्रियाएँ हैं— वाग्दान, प्रदान (कन्यादान), वरण, पाणिपीडन (पाणिग्रहण) और सप्तपदी। वहाँ कहीं भी दहेज का उल्लेख नहीं है। वस्तुतः दहेज एक मान्दिक प्रथा थी। कन्या अपने घर में श्रीसम्बद्धि की वृद्धि करने जाती मिद्ध हो, उस भावना में उमका खाली हाथ पतिगृह में प्रवेश अपशकुन माना जाता है। फलतः वह अपने साथ वन्त्राभूषण, बर्तन, अलकरण आदि पदार्थ ले जाती है।

सामर्थ्यानुसार स्वेच्छा से दिया गया दहेज कालान्तर में समाज के लिए अभिशाप बन गया। अब न सामर्थ्य का प्रश्न रहा, न स्वेच्छा की पवित्र भावना। समाज में ज्यो-ज्यो विकृति आता गई, विवाह-सम्बन्धों पर उसका प्रभाव बढ़ता गया।

ऐसी स्थिति में पिता कन्या के हाथ पीले करने के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा—अपने दुर्भाग्य को दूसरे के मत्थे मढ़ने के लिए। परिणामतः पति जूला लगड़ा हो, काना-क्रूरूप ही, अधिक आयु का हो, पैर बन्न में जा रहे हों, अत्याचारी या व्यभिचारी हो, पिता ने कन्या के विवाह का नारियत उसके हाथ में धमा दिया। पण्डित और नाई विवाह-सम्बन्धों के माध्यम बने। महान उत्तरदायित्वपूर्ण संस्कार में अनुत्तरदायी माध्यम।

अंग्रेजी शासन में भारत अर्थ-प्रधान देश बन गया। सामाजिक, धार्मिक तथा

राजनीतिक भावनाएँ अर्थ को सीप दी गईं। अर्थ-प्रधान युग में विवाह भी अर्थ की कसौटी पर कसा जाने लगा। कन्या की श्रेष्ठता शील और सौन्दर्य से नहीं, बल्कि दहेज में आँकी जाने लगी। कन्या की कुरूपता और कुसस्कार दहेज के आवरण में आच्छादित हो गए। खुलेआम वर की बोली बुलने लगी। दहेज में प्राप्य राशि से परिवारों का मूल्यांकन होने लगा।

निराश माता-पिता दहेज के अभाव में कन्या का विवाह, अयोग्य, अपग, अशिक्षित, अर्द्धशिक्षित, अल्पआयु, ऋणी, दुश्चरित्र, दुहेजू, तिहेजू से करने लगे। विदुषी कन्या मंड्रिकुलेट की भेट होने लगी। अध्यापिकाएँ-प्राध्यापिकाएँ बलकों को मर्मपति होने लगी। स्वस्थ और सुन्दर कन्याएँ कुरूप और कुसंगी को मौपी जाने लगी। आयु-वैषम्य ने तो उस अभिशाप की सामाजिक कोड में खाज ही उत्पन्न कर दी, जहाँ कन्या को शारीरिक अतृप्ति और मानसिक असंतोष के अतिग्रस्त अन्य कुछ प्राप्य नहीं है। इस प्रकार के विवाह में कन्या जीवन भर दहेज व कोराती हुई अन्धकारपूर्ण जीवन व्यतीत करती है। कारण, यहाँ पति प्रेम की वस्तु नहीं, सम्माननीय पदार्थ होता है।

दूसरी ओर, योग्य वर-प्राप्ति के लिए गृह-माँगे दहेज का प्रश्न है। ऋण लेकर चल-अचल सम्पत्ति गिरवी रखकर वर खरीदे जाने लगे। उसमें ऋणी निन्हु-कुल जीवनभर के लिए राहु-केतु की छाया में ग्रस्त हो गया। वह तिल-निगावर अन्तर्दाह में फूँकने लगा।

कठोपनिषद् के अनुसार 'न दिनेन तर्पणीयो मनुष्यः' (धन में मनुष्य कभी तृप्त होने वाला नहीं है) और धन में धन की भूख बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती। अतः दहेज के लोभी वे धनुर पहले तो विवाह में ही छोटी-मोटी वानों को लेकर कन्यापक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई-कोई अन्यायी तो विवाह की प्रसन्नता को विषाद में परिणत कर देते हैं। फल यह होता है कि कन्यापक्ष के सभी सम्बन्धी और मित्रगण के चेहरे अकल्पित भय में मुरझा जाते हैं।

मानसिक वेदना दहेज-अभिशाप का दूसरा अनिवार्य पहलू है। दहेज न लाने पर बधू के साथ छोटी-छोटी वानों में गृह-कलह उत्पन्न किया जाता है। उन पर व्यंग्य-वाण मारे जाते हैं, कटुक्रियाओं का प्रहार किया जाता है, उन्हें भूखा मारा जाता है, तरसाया जाता है। पति में बोलने तक नहीं दिया जाता। मारा-जार पीटा जाता है। अदृश्य शारीरिक चोट पहुँचाई जाती है। अन्त में उमरांगे मारके

भेज दिया जाता है। वह पितृकुल से अपने जीवन और वंश के विकास एवं समृद्धि के लिए जहाँ गई थी, वहाँ से अन्धकारमय भविष्य को लेकर लौटती है। मानसिक चिन्ता से उस नव-यौवना का रूप, बल और ज्ञान शून्य हो जाता है। कारण, चिन्ता ऐसा ज्वर है, जो शीघ्र मृत्यु की घोषणा कर देता है।

शारीरिक कष्ट देना दहेजी-अभिशाप का अत्यन्त क्रूर पहलू है। मांग पूरी न होने पर वधू को बेतहाशा मारना-पीटना, उसका अंग-भंग कर देना आज भी अर्द्ध-शिक्षित या असभ्य समाज में बेरहमी से चलता है। इस मार-पीट से तग आकर या तो विवाहिता आत्महत्या का श्रेष्ठ मार्ग ढूँढती है अथवा घर की चारदीवारा की लक्ष्मणरेखा लाँघ कर समाज की ठोकरें खाने को निकल पड़ती है।

आज की शिक्षिता नारी दहेज की वेदी पर बलि चढ़ जाती है, किन्तु पिसना पसन्द नहीं करती। उसमें धैर्य है, साहस है, तेजस्विता है, अर्थोपार्जन की क्षमता है, स्वावलम्बी जीवन-संचालन की योग्यता है। अतः वह दहेज के लोभी पति को छोड़कर मातृगृह में चला आना पसन्द करती है। सम्बन्ध-विच्छेद (डाइवोर्स) लेना उपयुक्त समझती है, स्वतन्त्र और स्वावलम्बी जीवन जीना चाहती है।

दूसरी ओर, आज शिक्षित कन्याओं को अममान या अनिच्छित पुरुष को माँगना सरल नहीं रहा। नारी के स्वाभिमान ने उसमें आत्मविश्वास जागृत कर दिया है। अर्थोपार्जन की दृष्टि से स्वावलम्बी नारियाँ आजीवन कुंवारी रहना पसन्द करती हैं, अपेक्षा अनचाहे व्यक्ति को जीवन-संगी बनाने के।

तीसरी ओर, विवाह पूर्व प्रेम की मान्यता ने दहेजी-अभिशाप के दानव को दटित किया है। वहाँ जीवन का समर्पण दान है और भावनाओं का समर्पण दहेज।

दहेज-विरोधी लेख लिखने, समाज-सुधारकों द्वारा सभाएँ करके, मंच तैयार करने तथा भाषण-बाजी से बृष्ट नहीं होगा। आज अधिकांश समाज-सुधारक और राजनीतिज्ञ दुम्हें हैं। उनकी कथनी और करनी में ३६ का सम्बन्ध है। वह पुत्र के विवाह में स्वादलोक की भाँति सम्बन्धी का 'एक किलो मास' उतारने को उद्यत रहते हैं, किन्तु पुत्री के विवाह में आदर्शवादी बन जाते हैं।

युवक-युवतियों में दहेज-विरोधी मनोस्थिति तैयार करने पर ही दहेज के अभिशाप से मुक्ति होगी। इस अभिशाप की ज्वाला से उनके अन्तःकरण को प्रकाशित करना होगा। दहेजी प्रथाओं की कीचड़ से आत्मज्ञान रूपी कमल खिलाना होगा।



महगाई

सूखी में निरंतर वृद्धि उत्पन्न हो रही और मूल्य की दृष्टि में अतिसरिता की परिचायक है। जीवन-चालन के लिए अनिवार्य तत्वों (जपडा रोटी मगान) की बढ़ती हुई महगाई शरीर जनता के पेट पर दंत बंधती है मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं में बढ़ौती करती है, तो धनिक वर्ग के लिए आम से खेत उत्पन्न करती है।

देना ही तो बांध बांधने से भी मिल जाए तो मनीमत है वनरपति देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी घंटे मारन में खडा होना पडता है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल की मूल्य-वृद्धि ने दैनिक जीवन पर तेल छिडक कर देने मन्म करने का प्रयास किया है। तन बनने के लिए कपडा महगाई के मज पर मिकुड रहा है। सब्जी और फल, दाले और अचार गृहणियों को पुकार-पुकार कर कह रही है—'रूखी-सूखी घाय के ठंडा पानी पो।' रही मकानो की बात—अगर महगाई की यही स्थिति रही तो लोग जंगल में वास करने लगेंगे। दिल्ली की हासन यह है कि दो कमरे-रसोई का सैट छ-सात सौ रुपये किराए पर मिलता है। कंमे गुजारा होगा मध्यम वर्ग पर ?

बटती हुई महगाई भारत-सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता है। प्रकृति के रोप और प्रकोप का फल नहीं, शासकों की घदनीगती और भवद्वंतजाभी की मुंह बोलती तस्वीर है। मगरमच्छ के आंभू महादर शरीर और दलित वर्ग के उद्धार करने की माला जपने वाली सरकार द्वारा शरीर और दलित जनता को पिमने और तड़क-तड़क कर घुटने-मरने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है।

काला घन, तस्कर और जमाखोरी महगाई-वृद्धि के परम मित्र हैं। तीसो से सरकार और पार्टियां खूब चन्दा लेती है। तस्कर सुरोआम ग्यापार म पता है। काला घन जीवन का अनिवार्य अंग घन पुत्रा है, उसके बिना तपतर की फाइल नहीं सरकती, पुलिस हरकत में नहीं आती, साइंस गरी गिरता, फोर्ड

की तारीख नही भुगतती। जमाखोरी पुलिस और अधिकारी की मिलीभगत का कुफल है। बिना मिली-भगत भारत में जमाखोरी करना मुई के छिद्र में से मानव का निकल जाना है। जो पकड़े भी जाते हैं—वे अनाड़ी हैं।

कर रहा साजिश अंधेरा, नीट्रियो में बैठकर।

रोशनी के चेहरे पर, ज्यों कही हरकत नहीं ॥

महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अतुले ने स्वीकार किया कि बैंक में ऊपरी राशि लेकर सीमेट मंहगा विकवाया। मुख्यमंत्री मंहगाई का हिमायती !!! गजब हो गया। जहाँ बाड ही खेत को ग्याने लगे, वहाँ काँन रक्षा कर सकता है?

विदेशी कर्ज और उसके सेवा-शुल्क ने भारत की आर्थिक नीति को चौपट कर रखा है। ३१ मार्च, १९८१ को भारत पर ४०, ३२४ करोड़ ८४ लाख रुपये विदेशी ऋण था, जो बढ़कर ३१ मार्च, १९८२ तक ६७५ अरब १७ करोड़ रुपये हो गए हैं। इसमें ५ हजार करोड़ रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से सम्भावित ऋण सम्मिलित नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय नस्त्राओं की चेतावनी के बावजूद हमारा तो मिर्जा गालिव के शब्दों में एक ही कथन है—

कर्ज की पीते से बों, और कहते थे कि हाँ।

रग लाएगी हमारी, काकामस्ती एक दिन ॥

एक ओर विदेशी कर्ज बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर व्यापारिक संतुलन बिगड़ रहा है। आयात-निर्मात का अन्तर १९७६-८० में २२३३ करोड़ रुपये था, जो १९८०-८१ में बढ़कर ५२०५ करोड़ रुपये तक जा पहुँचा। दूसरी ओर १२०० करोड़ रुपये देश की बीमार मिलें और ३०० करोड़ रुपये बीस हजार लघु उद्योग नष्ट कर रहे हैं। तीसरी ओर राष्ट्रीयकृत उद्योग निरन्तर घाटे में जा रहे हैं। इनमें प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का घाटा भ्रष्ट राजनेताओं, नौकरशाही और बेईमान ठेकेदारों के घर में पहुँच कर जन-मामान्य को मंहगाई की ओर धकेल रहा है।

जहाँ उत्पादकता और उत्पादन न बढ़ने के लिए अयोग्य अधिकारी दोषी हैं, वहाँ कर्मचारी-आन्दोलन, हड़ताल एवं वेतनवृद्धि के कारण घाटा बढ़ता है, मंहगाई बढ़ती है। वंगलौर के सार्वजनिक उद्योगों में एक लाख श्रमिकों की ७७ दिन की हड़ताल ने लगभग डेढ़ अरब रुपये की क्षति पहुँचाई। कार्यकुशलता गिरी, अर्थ-संकट गहराया और मंहगाई ने सुरसा-सा मुँह फँलाया।

गरीब देश की वादशाही-सरकारों के अनाप-शनाप बढ़ते खर्च देश की आर्थिक

रोड़ को तोड़ने की कत्तम खाए हुए हैं। मंत्रियों की पलटन आयोगों की भरमार, शाही दौरे, योजनाओं की विवृति सब मिलकर गरीब करदाता का खून घूम रही है। देश में खपत होने वाले पेट्रोलियम-पदार्थों के कुल खर्च का लगभग ८५ प्रतिशत राजकीय कार्यों में खर्च होता है। छेप १५ प्रतिशत भारत की ६५ करोड़ जनता उपयोग करती है। १५ प्रतिशत के लिए प्रचार माध्यमों से बचत की किता दी जाती है—'तेल की एक-एक बूंद की बचन कीजिए।' और स्वयं—'पर उप-देश कुशल रहतेरे'।

मंहगाई बढ़ने का एक कारण युद्ध और प्राकृतिक प्रकोप भी होता है। सन् १९७१ में भारत-पाक युद्ध हुआ था—मंहगाई बढ़ रही है ८०-८१ में। सूखा और बाढ़ प्रतिवर्ष भारत के कुछ प्रांतों को राहु-बेतु बन प्रसने है, फिर भी देश में खाद्यान्न की कमी नहीं। इनका प्रभाव स्थानीय और क्षणिक तो हो सकता है—शाश्वत नहीं।

भारत का उद्योगपति जीवनोपयोगी वस्तु बनाने में दिलचस्पी नहीं लेता। कारण स्पष्ट है—आय की कमी। दूसरी ओर, फँसल सामग्री का बाजार भरपूर है—उसमें लाभ कई गुणा अधिक है। अतः जीवनोपयोगी चीजें मँगाने के अनुसार बाजार में नहीं पहुँच पाती। फलतः बाजार मंहगा हो जाता है।

अरबों रुपया लगाकर हम उपग्रह बना रहे हैं, वैज्ञानिक प्रगति में विश्व के महान् राष्ट्रों की गिनती में आना चाहते हैं, किन्तु गरीब भारत का जन भूला और नंगा है। आर्यभट्ट और रोहिणी उसकी भूग्न नहीं मिटा पाएंगे, न ही 'इंसेट' उनकी नग्नता को ढक पाएगा। यदि यह राया ईमानदारी से गरीबी दूर करने में लगता, तो निश्चित ही देश की कायापलट होती।

अधिक नोट छापने का गुर एवं विदेशी और स्वदेशी ऋण घाटे की खाई को पार करने के सेतु हैं, खाई भरने की विधि नहीं। जब घाटे की खाई भारी नहीं जाएगी, तो मुद्रास्फीति बढ़ती रहेगी। ज्यों-ज्यों मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मंहगाई छलंग मार-मारकर आगे कूदेगी। जनता मंहगाई की चक्की में और गिरती जाएगी। खाई भरने के तीन ही उपाय हैं—(१) कर-चोरी को रोकने का ईमानदारी से प्रयास। (२) राष्ट्रीयकृत उद्योगों के प्रवन्ध तथा गंचातन में तीव्र कुशलता। (३) सरकारी धर्चों में योजनाबद्ध रूप में कमी का आह्वान।

बेकारी की समस्या

(ऑल इंडिया १९८४ : बी : ८०, ८२ : ए)

बेकारी राष्ट्र के भाल पर कलक का टीका है; देश की गिरती आर्थिक स्थिति का सूचक है; सामाजिक अवनति का प्रतीक है; उद्योग-धंधों की राष्ट्र-व्यापी कमी का द्योतक है; भारत की दिवालिया अर्थव्यवस्था का परिचायक है; बढ़ती अराजकता का चिह्न है, देश, समाज, जाति तथा व्यक्ति के लिए घातक है।

बेकारी निठल्लेपन को जन्म देती है। निठल्लापन आलस्य का जनक है, आवारा-गर्दों का सहोदर है और है शैतानी की जननी। इससे चारित्रिक पतन होता है। सामाजिक अपराध बढ़ते हैं। मानसिक शिथिलता आती है और बढ़ती है शारीरिक क्षीणता।

जब काम की कमी और काम करने वालों की अधिकता हो, तब बेकारी की समस्या होती है। एक पद की पूर्ति के लिए सैकड़ों प्रार्थी 'ब्यू' लगाकर घड़े हो जाते हैं क्यों? क्योंकि वे बेकार हैं। अनार एक है, बीमार सौ हैं। किसको दें?

बेकारी का सर्वप्रथम कारण देश की बढ़ती जनसंख्या है। देश में प्रतिवर्ष एक करोड़ शिशु जन्म लेते हैं। सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या ५५ करोड़ ८० लाख थी। सन् १९८१ तक यह साढ़े ६५ करोड़ पहुँच गई है। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में रोजगार के साधन नहीं बढ़ रहे। फलतः बेकारी प्रतिफल-प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है।

बेकारी का दूसरा बड़ा कारण है—नौकरी के लिए होड़। हायर-सेकेण्डरी तक की थोड़ी-सी शिक्षा पाकर हर नवयुवक नौकरी की ओर भागता है, बाबूगिरी में ही जीवन का स्वर्ग देखता है। किसान का बेटा किसानी से मुँह मोड़ता है। चमार का बेटा चमारी से घृणा करता है तथा कर्मकाण्डी पण्डित का बेटा कर्मकांड को पाखण्ड मानता है। थम में पलायन की प्रवृत्ति के कारण बेकारी दूध के उबाल की भाँति उफन रही है। इसका मूल कारण वर्तमान शिक्षा-प्रणाली है।

बेकारी का तीसरा कारण है, देश की गलत औद्योगिक-योजना। देश ने पहली

पञ्चवर्षीय योजना में ही विशाल, विशालतर और विशालतम उद्योगों को बढ़ावा दिया, किन्तु छोटे उद्योग सिसकियाँ लेते रहे। 'बाटा' ने चमारों का धधा छीना, 'टाटा' ने लुहारों को चीपट किया, बिड़ला-भरतराम ने बुनकरों की रोजी पर लात मारी और तेल-मिलों ने तेलियों का रोजगार ठप्प किया, साबुन की बड़ी कम्पनियों ने लघुउद्योगों का गला घोंटा। फलतः कारीगर बेकार हुआ और लघु उद्योग हतोत्साहित हुए।

बेकारी का चौथा कारण है, सरकार की ओर से घरेलू उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन का अभाव। बड़ी मिल लगाने के लिए बैंक लाखों रुपए कर्ज दे देते हैं, किन्तु लघु उद्योगों के लिए वे तड़पा-तड़पाकर कर्ज देते हैं, तग करके कर्ज देते हैं। परिणामतः लघु उद्योग-धन्धे विकसित नहीं हो पा रहे। दूसरे, उनका दिक्की की मार्केट नहीं, उनके पास खपत का सुनियोजित माध्यम नहीं।

भारत में बेकारी के विविध रूप हैं—(१) ग्रामीण बेकारी—कृषक वर्ष में ६-७ मास बेकार रहता है। (२) शिक्षित बेकारी—उपाधिधारी डॉक्टर, इंजीनियर, टेकनीशियन, कृषि-पंडित, कला-विशेषज्ञ बेकार पड़े हैं। (३) अशिक्षित तथा अल्पशिक्षित बेकारी अर्थात् श्रमिक वर्ग की बेकारी। देश की सख्या का बहुत बड़ा भाग गरीबों की सीमा के स्तर से नीचे का जीवन जी रहा है, जिसे एक समय भरपेट रोटी खाने को नहीं मिलती।

भारत की सरकार 'गरीबों हटाओ' का नारा लगती है, गरीबों के लिए मगरमच्छ के आँसू बहाती है, उद्योगपतियों को दोष देती है, किन्तु आचरण इसके विपरीत करती है। वह बोती यबूल के पेड़ है और आकाशा आमों की करती है।

दरिद्रनारायण की सेवा का द्रत लेने वाली इन्दिरा-सरकार ने गरीबों की सहायता के लिए आपातकाल घोषित किया था, मोरारजी देसाई-सरकार ने अन्नयोदय तथा काम के बदले अनाज-योजना की घोषणा की थी और कामचलाऊ-संस्कार तो थी ही कामचलाऊ, उत्तर-दायित्व विहीन। पुनः सत्ताह्वे इन्दिरा-सरकार को बहुत दिन तक जनता-सरकार को कोसने में फुरमत नहीं मिली। मधुर, आकर्षक नारों के सम्बल पर सभी अपनी गद्दी की रक्षा करने में लगे रहे। वे गद्दी बचाने रहे—देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही। अमीर अमीर-तर होने गए, गरीब पाताल की ओर फिसलते रहे।

देश की बेकारी दूर करने के लिए दूरदर्शिता से काम लेना होगा। आप

लगने पर आग बुझाने वाले पहले आग को बढ़ने से रोकते हैं। इसी प्रकार बेकारी के विकास को अवरुद्ध करना होगा। उसके लिए सर्वप्रथम परिवार-नियोजन करना होगा। जो पालन-पोषण नहीं कर सकता, उममें प्रजनन का अधिकार छीनना होगा। आपातकाल की भाँति कठोर हृदय होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना होगा।

दूसरे, प्रत्येक तहसील में लघु उद्योग-धन्धे खोलने होंगे। लघु-उद्योगों के कुछ उत्पादन निश्चित करने होंगे, ताकि वे बड़े उद्योगों की स्पर्धा में हीन न हों।

तीसरे, शिक्षित युवकों को शारीरिक श्रम का महत्व समाप्तना होगा। श्रम के प्रति उनके मन में रुचि उत्पन्न करनी होगी, ताकि वे घरेलू उद्योग-धन्धों को अपनाएँ।

चौथे, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना होगा, जिससे युवकों को किसी विशेष कार्य में दक्षता मिले। नवीन शिक्षा-प्रणाली में ऐसे अनेक काम निर्धारित हैं, परन्तु अनुभवी अध्यापकों की कमी और धनाभाव ने यह योजना चौपट कर दी। पैट पर शिकन न पडने देने वाले अध्यापक और छात्र लघु-उद्योगों में रुचि क्यों लेगे? वे प्रयोगात्मक से बढकर पारिभाषिक पढ़ाई पर बल देते हैं।

पाँचवें, उद्योग राष्ट्र की प्रगति के प्रतीक होते हैं। आज राष्ट्र का उत्पादन गिर रहा है। इसे बढ़ाना होगा, नए-नए कारखाने खोलने होंगे। नए उद्योगों से राष्ट्र को आवश्यक चीजों की प्राप्ति होगी और रोजगार के साधन बढ़ेंगे।

छठे, भारत की अस्सी प्रतिशत जनता गाँवों में जीवनयापन करती है, और कृषि पर निर्भर रहती है। कृषकों का बहुत-सा समय बेकार जाता है। उन्हें खाली समय के लिए कुटीर-उद्योगों तथा घरेलू धन्धों द्वारा व्यस्त किया जाए। कुटीर-उद्योगों का जाल देश को बेरोजगारी दूर करेगा और सुख-समृद्धि लाएगा।

अतः उद्योग के नए अवसर प्रदान करते हुए, कुटीर-उद्योगों की स्थापना कर्ने हुए, लघु-उद्योगों को प्रोत्साहन देते हुए लाल फीताशाही से बचा जाए और औद्योगिक घरानों को सम्पत्ति-वृद्धि से बंचित रखा जाए तथा बेकारों को मुक्त हस्त से आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग दिया जाए, तो निश्चय ही बेकारी की समस्या में कमी होगी और वह आगे नहीं बढ़ने पाएगी।



भारत के निर्माण में अपूर्व योग दिया ।

धर्म और सस्कृति के प्रचार और प्रसार का श्रेय देशाटन को ही है । प्राचीन धर्म भिक्षु तो 'कर तल भिक्षा, तर तल वासः' का आदर्श सामने रखते थे । कबीर, बुद्ध, महावीर जीवन में घुमवकड रहे । शकराचार्य तो भारत के चारो कोनों की खाक छानते रहे और टे गये चार मठ । वास्कोडिगामा के भारत पहुँचने से बहुत पहले शकर के शिष्य भास्को तथा यूरोप में पहुँचे । नानक ने ईरान और अरब तक घावा बोला । स्वामी विवेकानन्द और उनके शिष्यों ने विश्व में वेदान्त का झंडा गाड़ा एवं महर्षि दयानन्द और उनके शिष्यों ने विश्व में वेदों की ध्वजा फहराई । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने 'भारतीय स्वयंसेवक संघ' तथा 'विश्व हिन्दू परिषद्' के माध्यम से विश्व में हिन्दुत्व को बल दिया । ईसाई धर्म प्रचारक तो विश्व में सेवा-भाव का मूर्तरूप लेकर अवतरित हुए । हिप्पियों ने विश्व के युवकों में Eat, Drink and be Marry (खाओ, पीओ और मौज मनाओ) का संदेश फूँका ।

मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं, जंगम प्राणी है । चलना उसका धर्म है । 'चरंवेति-चरंवेति' उसका नारा है । 'सँर कर दुनिया की गाफिल जिन्दगानी फिर कहाँ ?' इस्माइल मेरडी के ये शब्द देशाटन के प्रेरणा-स्रोत हैं । विभिन्न देशवासियों की प्रकृति-प्रवृत्ति के परिणाम; विशिष्ट विषय के अध्ययन; ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांख्यिक तथा वैज्ञानिक गवेषण; प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन; धर्म तथा सस्कृति के प्रचार; राष्ट्रीय मेलों और सम्मेलनों में सम्मिलन; तीर्थाटन; व्यापार-वृद्धि, राजकार्य; पंच-मागी कूटनीतिक तथा गुप्तचर कार्य; सर्वेक्षण; आयोग तथा शिष्ट मंडल; जीवको-पात्रन; आलेख; मनोरंजन; स्वास्थ्य सुधार; पर-राज्य में आर्थिक आज़ के देशाटन के प्रयोजन हैं ।

घर से बाहर कदम रखते ही कष्टों का श्रीगणेश होता है, फिर देशाटन तो महाकष्टप्रद है । यका देने वाली यात्रा, प्रतिकूल आहार-व्यवहार; विधाम की विकृत व्यवस्था; भाषा समझने की विवशता; परम्परा और सभ्यता के मानदण्ड की अनभिज्ञता, ठग और गिरहकटों का भय, विपरीत प्रकृति-प्रवृत्ति वाले अथवा दुष्ट लोगों का साथ तथा अत्यधिक आर्थिक बोझ देशाटन में बाधक हैं । डॉ. राहुल सांकृत्यायन की दलील है; 'घुमवकडी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए, जैसे भोजन में मिर्च । मिर्च में यदि कड़वाहट न हो तो क्या कोई मिर्च-

प्रेमी उसे हाथ भी सगाएगा ? वस्तुतः धुमकड़ी में कभी-कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है।'

देशाटन से अनुभव का विकास होता है। विभिन्न राष्ट्रीय स्थानों की भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का ज्ञान होता है। व्यापारिक स्पर्धा और उन्नत होने के भाव बलवान होते हैं। सहिष्णुता की शक्ति बढ़ती है। विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों से सम्पर्क पढ़ने के कारण मानव-मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि होती है। मेल-मिलाप मित्रता की सीमा फैलती है। प्रकृति से साहचर्य बढ़ता है। बातचीत करने का ढंग पता लगता है, व्यवहार कुशलता में वृद्धि होता है। कष्ट-सहिष्णुता का स्वभाव बनता है। मन में रजन होता है। आनन्द का स्रोत फटता है। जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। डॉ. जॉनसन के शब्दों में, 'देशाटन का लाभ कल्पना की वास्तविकता में व्यवस्था करना है।'

देशाटन ज्ञानार्जन द्वारा आत्मा का विकास है। सद्, चित्त और आनन्द की प्राप्ति का अजस्र स्रोत है। 'स्व' से 'पर' तक पहुँचने का पुण्य पथ है। इस भूतल में ही स्वर्ग की कल्पना का साकार रूप है। काल की कठोर शिला पर अपने पद-चिह्न छोड़ने का दुस्साहसी कर्म है।

देशाटन विश्व-बंधुत्व की भावना का उद्गम है। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सतु निरामयाः' की मंगलमयी भावना है। विश्व में शांति, सुख, सौन्दर्य और श्री वृद्धि का जनक है। कष्टों, विपत्तियों, प्राकृतिक विपदाओं, दुर्भावी युद्धों और विन.श-प्रवृत्तियों पर अंकुश है। विश्व को अधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला प्रकाश पुंज है।



बढ़ती हुई आबादी की समस्या

(ऑल इंडिया १९८४ : 'ए')

बढ़ती हुई आबादी की समस्या मानव की न्यूनतम आवश्यकताएँ—रोटी, कपड़ा और मकान—की कमी उत्पन्न करेगी; जीवन-स्तर को गिराएगी; देश में हो रहे विकास-कर्मों का लाभ जन-जन तक पहुँचाने में रोड़ा बटकाएगी; राष्ट्र की प्रगति पर प्रश्नचिह्न लगाएगी तथा असामाजिक तत्त्वों का निर्माण कर मर्यादित जीवन-मूल्यों को मलबे में दबा देगी।

वेदों में दस पुत्रों की कामना की गई है। सावित्री ने यमराज से अपने लिए शतक भाई और शतक पुत्रों का वरदान माँगा था। राजा सगर के साठ हजार पुत्र थे। कौरव सौ भाई थे। ये उन दिनों की बातें हैं, जब जनसंख्या इतनी कम थी कि समाज की समृद्धि, सुरक्षा और सम्यता के विकास के लिए जनसंख्या-वृद्धि की परम आवश्यकता थी। आज स्थिति विपरीत है। १९७१ की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी लगभग ५५ करोड़ ८० लाख थी। १९८१ के आरम्भ में यह साढ़े ६५ करोड़ तक पहुँच गई। भारत की जनसंख्या हर मास दस लाख बढ़ती है। इस दृष्टि से सन् २००० ई० में भारत की जनसंख्या सौ करोड़ हो जाएगी। अतः वर्तमान युग में बढ़ती हुई आबादी की समस्या चिन्तनीय है।

भारत में बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है कि आज भारत में गरीबी की रक्षा से नीचे जाने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। पापी पेट की आम बुझाने के लिए भोजन नहीं, गर्मी की लू और सर्दी की हडिडियाँ चीर देने वाली शीत हवाओं से बचने के लिए वस्त्र नहीं। खुले नौस गगन के नीचे फँती हुई भूमि ही उनकी आवासस्थल है।

'बुधुक्षितः किं न करोति पापम्' के अनुसार समाज में असामाजिक तत्त्वों का विकास होगा। चोरी, डाके, अपहरण, बलात्कार, धोंगमस्ती का प्रभुत्व व्यापेगा।

जीवन-मुल्यों का ह्रास होया । नैतिकता का पतन होया । सम्यता के विकास को बढ़ती जनसंख्या अपने मजबूत जबाबों में दबोच लेगी । सम्यता दहाड़ें मार-मार कर रोएगी, 'नाहियाम्' चिन्हाएगी ।

बढ़ती आबादी की समस्या महँगाई और नकली चीजों को प्रोत्साहित करेगी । कारण, माँग अधिक और सप्लाई कम होगी, तो महँगाई बढ़ेगी । माँग बढ़ती है गुणन-गणाली के अनुसार— $2 \times 2 = 4$, $4 \times 4 = 16$, $16 \times 16 = 256$, जबकि सप्लाई $2+2$, $4+4$, $16+16$ के अनुपात में बढ़ती है । महँगाई का बोझ नकली चीजों को प्रस्तुत कर दूर किया जाएगा । खाद्य पदार्थों में मिलावट, बस्त्र-निर्माण में हेरोफेरी एवं जीवनरक्षक औषधियों में मिलावट के कारण जन-स्वास्थ्य चौपट हो रहा है । सप्लाई की कमी महँगाई के साथ-साथ 'बोर-बाजारी' को बढ़ावा देती है, जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चौपट करता है ।

बढ़ती आबादी की समस्या ने रिस्वत को जन्म देकर काला बाजार को प्रेरणा दी, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नीब को हिला दिया । बच्चे का स्कूल-प्रवेश, नौकरी की प्राप्ति, प्रमाण-पत्र, लाइसेंस, कचहरी की ठारोमें, राजकीय कार्यालयों के काम बिना रिस्वत नहीं चलते ।

अधिक प्रजनन से जननी का स्वास्थ्य बिगड़ता है । अस्वस्थ जननी के बच्चों में स्वस्थता कैसे सम्भव है ? रोगी काया जीवन के सुखों के भोग में बाधक है । रोगी को जीते जी नरक भोगना पड़ता है ।

आबादी बढ़ने का अर्थ है परिवार का विस्तार । परिवार में कमाने वाला प्रायः एक होता है और खाने वाले ५-६ । अतः एक मध्यवर्ती परिवार का जीवन-स्तर उठ नहीं पाता, आर्थिक प्रश्नों पर चिन्ता, मलेद्य, क्षोभ, ग्लानि उत्पन्न होती हैं । घर में अशांति रहती है, जो पतन का कारण है ।

बढ़ती आबादी का सर्वाधिक हानिकर पक्ष है—विकास कार्यों पर प्रभाव । सरकार वर्तमान जनमणना के आधार पर जो भी विकास कार्य करती है, वह अपनी सम्पन्नता तक बढ़ती आबादी में खो जाता है । उदाहरणतः दिल्ली में हुए साल १०-१२ बरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नए खुलते हैं, फिर भी दिल्ली के स्कूल सम्पूर्ण शिक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दे पाते । बूसरी ओर एक-एक कक्षा में ५०-५० बच्चे बैठे होते हैं । क्या पढ़ाएगा अध्यापक, क्या ध्यान देगा विद्यार्थी की अक्षति पर । कमोबेश यही हाल रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार के,

नए साधन निर्माण का है, विक्रितता सुविधाएँ प्रदान करने का है, यातायात एवं संचार साधनों का है। सरकार एकतना भी विकास-योजनाओं को सम्पन्न करे, वे सब ऊँट के मूँद में जीरा साबित हो रही हैं। देश की गृहहाती, प्रगति, औद्योगिक विकास, आर्थिक प्रगति को बढ़ती हुई आबादी कभी मुक्त का मुस निगल जाता है, जुगासी तक नहीं करता।

बढ़ती हुई आबादी की समस्या के समाधान का सरल उपाय है—जन-दर गिराना और मृत्यु की दर बढ़ाना, जो अमानवीय है। इसके लिए हमें कुछ मानवीय उपाय अपनाने होंगे। जैसे—

सर्वप्रथम विवाह की आयु २१-१८ से बढ़ाकर २५ (सदका)-२१ (सड़की) कर देनी चाहिए। इसके कम आयु में विवाह दृष्टनीय अपराध माना जाए।

सरकारी सुविधाएँ—पदोन्नति, ऋण, रजिस्ट्रेशन, साइमेल, बेटा, परमिट, आदि की प्राप्ति के लिए नसबन्दी का प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर देना चाहिए।

जीवन-स्तर की रेखा से नीचे जिनकी आय है, ऐसे अभावपस्त जीवन-यापन करने वाले (शुग्गी-शोपड़ी, सड़क, पटरी पर रहने वाले) लोगों को प्रजनन-अधिकार से वंचित कर देना चाहिए।

पूरे भारत में 'एक पुरुष : एक पत्नी' का नियम लागू करना चाहिए। गर्भ-विशेष के आधार पर एक से अधिक पत्नी रखने के अधिकार को समाप्त कर देना चाहिए।

प्रजनन के समय दो बच्चों की जननी की नसबन्दी डॉक्टर का कर्तव्य समझा जाए, ताकि 'न होगा बॉस, न बजेगी बॉसुरी'।

विषय-वासना के सुस्तोपभोग के परमानन्द में कमी न लाते हुए भी प्रजनन-शक्ति की रोक (नसबन्दी, सुप-निवेशन, निरोध-प्रयोग, गर्भनिरोधक गोली-सेवन आदि) के उपायों को बढ़ावा दिया जाए, जन-जन को शिक्षित किया जाए।

दुखमय नारकीय जीवन से भारतवासियों को मुक्ति दिलाती होगी। उनके जीवन को विकसित देशों के जीवन-समान उन्नत करना होगा। स्वर्ग के सुख को भूतल पर लाना होगा। बढ़ती आबादी को रोकना होगा। जनसंख्या वृद्धि की दर आपातकाल स्तर पर नियन्त्रित करनी होगी।

महानगर की समस्याएं

(दिल्ली १९८४ : 'बी')

महानगर जटिल समस्याओं के संगम हैं। कभी न समाप्त होने वाली उत्सवों की प्रवृत्ति हैं। विकट प्रसंगों के ज्वालामुखी हैं, जिनका निराकरण सहज सम्भव नहीं। बरसात ने उफनती हुई नदी के प्रवाह के समान नवीन कठिनाइयों की उपतरो बाढ़ है, जो महानगरों को ही आत्मसात् कर लेना चाहती है।

महानगर रोजगार प्रदान करने के महान् केन्द्र हैं। नगर-निगम तथा राजकीय कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक केन्द्र, कल-कारखाने रोजगार प्रदान करने का आह्वान करते हैं। अतः ग्रामीण जनता इन महानगरों की ओर खिंची चली आती है। इनकी जनसंख्या मुरसा के मुख की तरह प्रतिषर्ष फैलती जाती है। महानगरों की बढ़ती आबादी महानगरों की प्रमुख समस्या है।

प्रदूषण महानगरों की विकट समस्या है। यहाँ के कल-कारखाने, मिसें तथा सड़क पर अर्हनिश दौड़ती बसें, ट्रक, कार, मोटर-साइकिल, स्कूटर, टैम्पों आदि पेट्रोल तथा डीजल से खलाने वाले वाहन जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उससे वहाँ की वायु विपाक्त हो चुकी है। साँस लेने में भी दम घुटता है। रूसी प्रतिनिधि-मंडल ने कलकत्ता के प्रदूषण के सम्बन्ध में यही राय व्यक्त की थी।

महानगरों की विभक्त शासन-प्रणाली में एकसूत्रता का अभाव उनकी जटिल उलझन है। दिल्ली को ही लीजिए—कानून, व्यवस्था और शिक्षा केन्द्र के ह्रास में, विकास का दायित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण पर, और बिजली, पानी, सफाई, स्वास्थ्य-रक्षा की जिम्मेवारी निभाते हैं नगर-निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका। यातायात व्यवस्था के लिए अलग 'दिल्ली परिवहन निगम' है। मजे की बात यह है कि इनमें परस्पर कोई ताल-मेल नहीं। एक द्रोपदी—पाँच पादक। पाँचों का क्षेत्र अलग। अंग्रेजों में कहावत है, 'प्रत्येक का दायित्व, दायित्व को नकारना है' (Every body's responsibility is no responsibility)।

पिसता है बेचारा महानगरवासी ।

बढ़ती आबादी को आश्रय देने के लिए विक्रम प्राधिकरण जितनी व्यवस्था करता है, वह कम पड़ जाती है । मकान की कमी, मकानों के किरायों में वृद्धि का कारण बनती है । आवास की कमी को पूरा करती हैं राजनीतिज्ञों और भू-स्वामियों की अपावन साँठ-गाँठ से निमित्त अनधिकृत बस्तियाँ तथा झुग्गी-झोंपड़ियाँ । झुग्गी-झोंपड़ियाँ महानगर के सुन्दर दारीर पर कोढ़ हैं, तो अनधिकृत बस्तियाँ स्वस्थ-विकास में बाधक ।

महानगरों का अभिर्यात, अनियमित, अमर्यादित विक्रम तथा प्राचीन नगर की रंगदिली, कल-कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों का कचरा नगर की घौमा के मुख पर बालिस फेर देता है । गंदी बस्तियाँ, रंग कटरे, भूमिगत मल-मूत्र निकासी के प्रबन्ध का अभाव, शहर के बीच से गुजरते विशालकाय लुले मुँह वाले आस-पास के निवासियों को अपनी स्वच्छ (?) समीर से तृप्त रखते हैं ।

महानगरों के स्वास्थ्य को चौपट करने का ठेका घुड़ जल प्रणाली ने ले रखा है । सभी महानगरों का मल-मूत्र उनकी समीपस्थ नदियों में मिलता है, जो नदियों के जल को दूषित कर देता है । इस दूषित जल को रासायनिक प्रक्रिया से स्वच्छ करके महानगरवासियों को पीने के लिए उपलब्ध कराया जाता है । महानगरों में महारोगों के जानलेवा प्रकीर्ण में बहुधा यहीं दूषित जल अपराधी होता है ।

महानगरों की यातायात व्यवस्था नगर-वासियों के लिए अपर्याप्त रहती है । बसों ही यातायात का मुख्य साधन हैं । बम्बई, दिल्ली जैसे महानगरों में लोकल ट्रेन की व्यवस्था भी है । बसों और ट्रेनों की अपार भीड़, घक्कम-घक्का अनियमित स्टैंडिंग, बस चालकों की मनमागी, तकरार सब मिलकर महानगरवासियों के लिए अभिशाप मिद्ध होते हैं । रहे टैक्सी और स्कूटर—ये तो यात्रियों के कपड़े उतारने के लिए संयार रहते हैं ।

महानगरों में विद्युत्-मप्लाई की कमी के कारण औद्योगिक संस्थान उत्पादन की कमी से परेशान हैं, तो कार्यालय के बाबू प्रकाश के अभाव में काम करने से इन्कार कर बैठते हैं । जनता गर्मी में पंखे और कूलर के बन्द होने से तथा सर्दी में हीटर की हीट सन्नप्त होने से विद्युत् प्राधिकरण को गालियाँ देती रहती है । फिर, महानगरों की बिजलीरानी कब और कितने समय के लिए रुठ जाए, कुछ कहा

नहीं जा सकता ।

महानगरों में शिक्षा-संस्थाएँ बहुत हैं, पर श्रेष्ठ संस्थाएँ बहुत कम हैं । भारत का भावी नागरिक स्कूलों के गंदे स्थान, अपर्याप्त सुविधा तथा विषाक्त वातावरण में अपनी शिक्षा ग्रहण करता है । विद्यालयों में फटे-पुराने तम्बुओं से बना विद्यालय-कक्षा विद्यार्थियों पर किस शिष्टता, सम्यता की छाप छोड़ेगा ? इतने पर भी मनचाहे विषयो में प्रवेश न मिल पाना कोढ़ में खाज सिद्ध होता है । अच्छे विद्यालयों में (फाला) प्रवेश-युक्त इतना अधिक है कि लगता है ये विद्या के घर नहीं, व्यापारिक संस्थान हैं ।

महानगरों की संचार-व्यवस्था का प्रमुख साधन है दूरभाष । दूरभाष व्यवस्था महानगरवासियों को जितना परेशान करती है तथा पीड़ा पहुँचाती है, वह अकथनीय है । 'रॉय नम्बर' महानगर दूरभाष का स्वभाव है । लाइनों का अनचाहा मेल कराकर बात न करने तथा दूसरो की बात सुनने का अवसर प्रदान करना उसकी नीति है । 'डेड' हो जाना उसका बहाना है । कम्पलेंट दर्ज करके टिकट नम्बर देकर महानिद्रा में सो जाना उसकी 'रूटीन' है । आप शिकायत पर शिकायत दर्ज कराते रहिए, कर्मचारी की महानिद्रा भंग होगी, तो आ जाएगा, अन्यथा झेलिए महानगर में रहने का अभिशाप ।

जिस प्रकार क्षेत्र की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से महानगर की महानता को कोई अस्वीकार कर नहीं सकता, उसी प्रकार महानगरों में चोरी, डाके, बलात्कार, अपहरण, गुण्डागर्दी, छीना-छपटी, हेरा-फेरी, घोखा-धड़ी की अधिकता को भी झुठला नहीं सकता । महानगरों में लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या सतत है, चिरन्तन है, अतः चिन्तनीय है । कारण, सम्पन्न महानगरों में ही अमामाजिक तत्वों का शान से निर्वाह सम्भव है ।

महानगर समस्याओं के मूल-भूत कारण नगर-पिताओं की नगर के विकास कार्यों के प्रति उदासीनता, अधिकारियों का भ्रष्ट आचरण, उच्च अधिकारियों का कर्तव्य के प्रति राजनीतिक दृष्टिकोण, कर्मचारियों की कर्म के प्रति उपेक्षा तथा अपर्याप्त राजकीय अनुदान हैं । जब तक ये कर्मियाँ रहेंगी, महानगर की समस्याएँ कम नहीं होंगी ।

सती-प्रथा

अपने पति के शव के साथ चिता में जल मरने को 'सती' होना कहते हैं। जाति या समाज द्वारा विधवा नारी के देह-दाह की प्रथा समाज की मान्यता प्राप्त होने पर 'सती-प्रथा' बन गई, एक आदर्श आचरण बन गया।

सती-प्रथा के पीछे नारी के सतीत्व की सुरक्षा की भावना रही होगी, उसके जीवन-यापन की समस्या रही होगी, उसकी छोटी-सी भूल में परिवार के तानों से दुःखी हृदय की कल्पना रही होगी। इसीलिए सती का देह-दाह पवित्र कर्म बन गया।

सुरपुर तक निभ जावसी, या जोड़ी या प्रीत।

सखी पिऊ रे देसडै, संग बलवा री रीत ॥

हे सखि ! मेरी और प्रीतम की यह जोड़ी और प्रेम स्वर्ग तक निभ जाएगा, क्योंकि मेरे पति के देश में साथ जलने (सती होने) की प्रथा है।

पति के रण में जाने के बाद वह मरने जाना पसन्द नहीं करती, पतिगृह में सतीत्व वरण को फूल चढाती है।

वैदिक-युग में सती-प्रथा के उदाहरण नगण्य है। हिन्दू नरेशों के युग में भी इस प्रकार की प्रथा नहीं थी। रामायण-काल में मेघनाथ की पत्नी सुलोचना के सती होने का उल्लेख है। इसके विपरीत इसी काल में वानर और दानव संस्कृति में बालि-पत्नी तारा और रावण-पत्नी मन्दोदरी अपने पति की मृत्यु के उपरांत अपनी देह को अग्नि-समर्पित नहीं करती, बल्कि अपने-अपने देवरो—सुग्रीव तथा विभीषण—से पुनर्विवाह कर लेती हैं।

सती-प्रथा मुस्लिम-काल की उपज है। परकीय, परदेशी, आततायी, विधर्मी, कामुक शत्रु के हाथों में जाकर नारियाँ जीवन के भोग भोगने की बजाए जीहर वरण करती थीं। दूसरी ओर पति की मृत्यु के पश्चात् कामुक पुरुषों के साथ विलासी, किन्तु दासी जीवन बिताने में अच्छा वे पति के साथ ही जीवन-त्याग को

महत्त्व देती थीं। वे अपने पति-शीश को अपनी गोद में लेकर उसके साथ ही अग्नि को समर्पित हो जाती थीं। यह युग-विशेष की परिस्थितियाँ थीं, विवशता थी।

मानव-मन कुसंस्कारों को शीघ्र ग्रहण करता है। विधवा देह-दहन निर्विवाद रूप से एक जघन्य कृत्य है, अमानुषिक कर्म है, घोर पाप है। इस पापमय दाह में समाज-मन ने प्रसन्नता प्रकट की और पुरुष-प्रधान समाज ने उसे स्वीकार कर लिया। विधवा देह-दहन 'सती-प्रथा' बन गई।

भारतीय मानस प्रथाओं-परम्पराओं के गुण-दोष विवेचन में विश्वास नहीं करता, उसके पालन में अन्ध श्रद्धा व्यक्त करने में अपने जीवन की महत्ता समझता है। प्रथाओं की विमुखता में, अपालन में उसे काल्पनिक भय सताता है। वह डरता है कि कहीं उस पर या उसके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ न ढह जाए। इसलिए सती-प्रथा भी अन्ध श्रद्धा का केन्द्र बन गई। विधवा को भय से, दण्ड से, शक्ति से, पति-शव के साथ दग्ध होने को बाध्य किया गया। उसकी पीस-पुकार, उसका रदन-द्विलाप ढोस-नगाड़ो या भक्ति गीतों के उच्च स्वर में नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गया। देखते-देखते पवित्र तीर्थ रूपी देह रास में बदल गई।

स्वेच्छा से किया गया कर्म मन की संकल्प शक्ति का प्रतीक है; ध्येय के प्रति जीवन के समर्पण का द्योतक है। इसके विपरीत विवशता-वश किया गया कर्म पाशाविक अत्याचार है, अमानवीय आचरण है। विधवा-देह-दहन सस्कार विवशता की सीढ़ियों से आत्मदाह की वेदी पर बढ़ने लगा, तो मानव-हृदय चीत्कार उठा। आग की लपटों में 'त्राहि माम्' की पुकार ने इस कुप्रथा को नंगा कर दिया और पत्थर-हृदय मानव का दिल भी पसीज उठा। राजा राममोहन राय जैसे समाज-सुधारक ने इस प्रथा के विरुद्ध जन-मानस को जागृत किया, विलियम बेंटिग की सरकार ने सन् १८२६ में कानून बनाकर सती-प्रथा पर रोक लगाई।

कानून विधान की स्याही का वह बिन्दु था, जिसने गिरकर विधवा-देह-दहन की भाग्यनिधि पर कालिमा चढ़ा दी। विधवा-देह-दहन रुक गया। प्रथा का अन्त हो गया। जिस प्रकार कानून की तोड़ने वाले समाजद्रोही तत्त्व समाज में ही फलते-फूलते हैं, उसी प्रकार सती-प्रथा को मान्यता प्रदान करने वाले शूरवीर, शानवीर समाज के नेता बने हुए हैं। सती-मन्दिरों का निर्माण, उसमें पूजा अर्चना

परोक्ष रूप में सती-महत्त्व का बढेन है। इसलिये भारत में प्रतिकर्ष दो-बार नारियाँ सती-प्रथा की सीक को पीठती रहती हैं।

२०वीं शताब्दी के अन्त में, जबकि विश्व २१वीं शताब्दी में प्रवेश करने को सन्नद्ध है, दिवराता जैसे कांड होना, रूपकंबर का सती होना निम्नित ही समझ के भाल पर कलंक है और समाज के पतन का परिषायक, किन्तु यह अपसृष्ट होते रहेंगे, जब तक समाज में इस प्रथा के विरुद्ध धूमा उत्पन्न नहीं की जाएगी।

२०वीं सदी के वैज्ञानिक युग में अपने सच्चे प्रेम की खातिर प्रेमी-प्रेमिका विष-पान कर एक साथ परलोक गमन करते हैं। पति के प्रेम में प्रवृत्त पत्नी पत्नी अन्य उपायों से देह-त्याग कर देती है, किन्तु पति-प्रव के साथ देह-दहन नहीं करती। पति की मृत्यु के उपरांत आर्थिक दृष्टि से परावलम्बित नारी बर-वर की ठोकरें खाती हुई एक दिन आत्म-हत्या तो कर लेती है, किन्तु अपने कामल शरीर को अग्नि-समर्पित नहीं करती। कारण, वह जानती है कि अग्नि के मामूली से ताप की भरदास्त करना भी मानव-देह के लिए पीड़ा-प्रव है। वष शरीर-न्याय के अत्यन्त-सुलभ साधन हैं, तो फिर पीड़ामय जीवन का बरष क्यों ?

विषवा-स्त्री ही देह-दहन का पालन करें, क्यों ? पत्नी की मृत्यु पर कितने पतियों ने स्त्री के शीश को अपनी मोद में लेकर आत्म-बाह किया है ? वैदिक-युग से अद्यतन काल तक शायद ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है कि पत्नी की मृत्यु के उपरांत पति दूसरा विवाह कर इहलोक के भोग-भोगे और पति के मरने पर पत्नी को आग की लपटों में धकेल दिया जाए। वह कहीं का न्याय है। अस्तुतः पुरुष-प्रधान समाज में 'सती-प्रथा' का समबंध अपनी प्रधानता को बनाए रखने का पड्यन्त्र है।

पुरुष भूल गया कि नारी उसकी जननी है, पालन-पोषण करने वाली माता है, सस्कार देकर संस्कृत करने वाली शिक्षिका है, अपने प्रेम से उसके जीवन में मधुरता उहेलने वाली प्रेमिका है। अंशभ देकर उसका पितु-श्रृण चुकाने वाली स्वाभिनी है। ऐसी नारी का देह-दहन पुरुष को मानव बनाने वाली नारी के प्रति कुतम्भता है, जघन्य अत्याचार है, और है गुरु-द्रोह।

जवाहरलाल नेहरू

“अगर मेरे बाद कुछ लोग मेरे बारे में सोचें तो मैं चाहूँगा कि वे कहे— यह एक ऐसा आदमी था, जो अपने पूरे दिल व दिमाग से हिन्दुस्तानियों से मुहब्बत करता था और हिन्दुस्तानी भी उसकी खामियों को भुलाकर उससे बेहद, अजहद मुहब्बत करते थे।” —जवाहरलाल नेहरू

पंडित जी के शब्दों को थोड़ा-सा बदलकर यदि यह कहे कि वे मानवमात्र से मुहब्बत करते थे, तो अतिशयोक्ति न होगी। उनके निधन पर विश्व के समस्त राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शोक मनाया जाना, हमारे इस कथन का परिचायक है।

भारत के कर्णधार, नवीन भारत के निर्माता, देश के प्रहरी, राजनीति के चाणक्य तथा बच्चों के चाचा एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।

१४ नवम्बर, १८८९ को प्रयाग में जवाहरलाल जी का जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू एक सुप्रसिद्ध एवं घनाढ्य वकील थे। कांग्रेस के एक नेता के रूप में भी आप प्रसिद्ध हुए।

जवाहरलाल जी की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही पढ़ाने के लिए एक अंग्रेज विद्वान् नियुक्त था। देश के शिक्षित वर्ग पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव होने के कारण पंडित मोतीलाल ने आपको १५ वर्ष की अल्पायु में शिक्षणार्थ इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ इन्हें हैरो स्कूल में प्रविष्ट करा दिया गया। तत्पश्चात् आपने केंम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। यहाँ आप इंग्लैंड के धनी परिवार के बच्चों के साथ शिक्षा पाते थे। सम्राट् एडवर्ड अष्टम आपके सहपाठी थे। कालेज में 'विज्ञान' में आपकी विशेष रुचि थी, परन्तु पिता की इच्छानुसार आप सन् १९१२ में बैरिस्ट्री की परीक्षा उत्तीर्ण कर भारत लौटे। १९१५ में आपका विवाह कपला जी के साथ हुआ।

स्वदेश सौटने पर पंडित जी ने वकालत आरम्भ की, परन्तु उसमें उनका मन नहीं लगा। लगता भी कैसे? इंग्लैंड जैसे स्वतन्त्र देश में भ्रमण किया हुआ जवाहर अपने देश को परतन्त्र कैसे देख सकता था? इधर देश में १९१६ से रीलेट एक्ट तथा पंजाब के मार्शल लॉ एवं जलियांवाला बाग के अमानुषिक अत्याचारों ने देश में जागृति उत्पन्न कर दी थी। इसी बीच प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। जवाहरलाल जी, लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनीबेसेण्ट की दो होमरूलों के सक्रिय सदस्य बन गए। जब श्रीमती एनीबेसेण्ट गिरफ्तार हुईं, तो जवाहरलाल जी ने अपने पिता मोतीलाल नेहरू, डाक्टर तेजब्रह्मादुर सप्रू और सर चिन्तामणि को उत्तरप्रदेशीय डिफेंस फोर्स का कार्य बन्द करने के लिए विवश कर अहिंसात्मक आंदोलन का सूत्रपात कर दिया। देश के नेता महात्मा गांधी के सन्देशानुसार आपने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। राजसी ठाठ-बाट छोड़ दिए और मोटा खट्टर का कुर्ता पहनकर एक सत्याग्रही सैनिक बन गए। इसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए राजनीति में पुला दिया। १९२० से लेकर १९४४ तक अनेक बार सत्याग्रह किया और कारावास गए। इस दीर्घकाल में उन्हें अनेक कष्ट तथा दुःख सहने पड़े। सत्याग्रह के दिनों में पत्नी तथा माता-पिता की मृत्यु से इन पर दुःखों को पहाड़ टूट पड़ा, परन्तु यह वीर सेनानी सब-कुछ हंसते-हंसते सह गया।

सन् १९२० में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, परन्तु अगले वर्ष लाहौर में जवाहरलाल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह जवाहरलाल जी के लिए गौरव की बात थी। एक ही वर्ष में उन्होंने पिता का स्थान प्राप्त कर लिया। इसी वर्ष नेहरू जी ने घोषणा की कि यदि हमें शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं दिया गया, तो हम पूर्ण स्वराज्य के लिए आन्दोलन करेंगे। अपनी महान् कार्य-क्षमता एवं नेतृत्व के कारण ही आप कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने।

पंडित जी ने अपनी अन्तिम जेल-यात्रा सन् १९४२ में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के अन्तर्गत की। इस बार आप तीन वर्ष तक कारावास में रहे। इसी बीच सन् १९४५ में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ब्रिटेन में चर्चित के स्थान पर एटली (मजदूर नेता) की सरकार सत्तारूढ़ हो गई। उसने यह देखा कि भारत के स्वतन्त्रता-संघर्ष को दबाना बठिन ही नहीं, असम्भव भी है।

दूसरे, ब्रिटेन की अपनी आर्थिक स्थिति डाँवाडोल हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर सन् १९४६ में अंग्रेजी-सरकार ने भारत को स्वतन्त्र करने का निर्णय किया। इसके अनुसार एक अन्तरिम सरकार बनाई गई, जिसके प्रधान-मन्त्री जवाहरलाल जी बने। सन् १९४७ में भारत विभाजन होने के साथ-साथ ब्रिटेन द्वारा भारत को एक औपनिवेशिक राज्य घोषित कर दिया गया। इस समय भी आप औपनिवेशिक राज्य के प्रधानमन्त्री बने। सन् १९५२ में प्रथम निर्वाचन हुआ। उसमें आप विजयी हुए और पुनः प्रधानमन्त्री बने। १९५७ के द्वितीय तथा १९६२ के तृतीय महानिर्वाचनों में भी आप विजयी हुए और प्रधानमन्त्री पद को मृत्यु-पर्यन्त सुशोभित करने रहे।

आपने अपने इस प्रधानमन्त्रित्व-काल में अनेक प्रशंसनीय कार्य किए। नव-जात स्वातन्त्र्य-शिशु की रक्षा, विभाजन से उत्पन्न अनेक कठिनाइयाँ, काश्मीर पर पाकिस्तानियों का आक्रमण, राज्यों की पुनर्गठन-समस्या, चीन की ओर से होने वाले आक्रमण और विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा आदि अनेक समस्याओं को आपने सुचारू रूप से हल कर देश को गौरवान्वित किया।

पण्डित जी ने व्यस्त राजनीतिक जीवन में 'बो साहित्य-सेवा' की, वह भी कभी भुलाई नहीं जा सकती। 'मेरी कहानी' आपका सर्वोत्तम तथा सर्वप्रिय ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त 'भारत की कहानी', 'पिता के पत्र पुत्री को' तथा 'विश्व-इतिहास की झलक' आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। ये सारे ग्रन्थ आपने कारावास की कोठरियों में बैठकर लिखे थे। इस कारण इनका महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

पण्डित नेहरू एक महान् दार्शनिक थे; जनता की आकांक्षाओं का निरन्तर गतिमान मानचित्र प्रस्तुत करने वाले इतिहासज्ञ थे, और वे विज्ञान के प्रेमी। उनमें राष्ट्र-प्रेम का बल था, संकल्प की शक्ति थी और साथ-ही-साथ कूट-नीतिज्ञता का सहारा था।

श्री मोरार जी देसाई के शब्दों में, "वह केवल गाँधीजी के राजनैतिक उत्तराधिकारी अथवा स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री ही नहीं थे, बल्कि इससे भी बढ़कर मानवीय गुणों से सम्पन्न इतिहास पुरुष थे। स्वाधीन भारत में श्रद्धा तथा जनतंत्र के पोषक के रूप में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।"

२७ मई, १९६४ को हृदय-रोग से आपकी मृत्यु हो गई।

हमारे प्रधानमंत्री : राजीव गांधी

राजीव गांधी विश्व के सर्वाधिक कम आयु के प्रधानमंत्री हैं। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की अध्यक्षता उन्हें विरासत में मिली थी। प्रधान-मंत्रित्व उन्हें 'भाम्बे' छसति सर्वत्र, न विद्या न च-पाठपम्' के आधार पर प्राप्त हुआ था।

३१ अक्टूबर, १९८४ को इन्दिरा गांधी की मृत्यु के कुछ ही घंटों के पश्चात् वे प्रधानमंत्री मनोनीत हुए। सातवें महाचुनाव के महासमुद्र में राजनीतिक क्षमता का अहसास कराते हुए वे सांसद निर्वाचित हुए और नववयं के प्रथम दिन से वे निर्वाचित प्रधानमंत्री बने।

३१ अक्टूबर, १९८४ को जब वे प्रधानमंत्री मनोनीत किए गए, तब वे 'राजनीति के छात्र थे। कूटनीति और प्रशासनिक अनुभव से शून्य थे। मंत्री और मंत्रालय के गलियारों से अनभिज्ञ थे। अफसरशाही, नौकरशाही और सातफीत-शाही की कूटनीतिज्ञो, पड्यंत्रों से बेखबर थे।

सुप्रसिद्ध पत्रकार उशयन शर्मा का कहना है कि 'राजीव गांधी शूकि राजनीति में एकदम नौसिखिए हैं, अतः हीनता की भावना से इतना त्रस्त रहते हैं कि पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से महीनों-महीनों नहीं मिलते। उनकी राजदार सिर्फ सोनिया गांधी हैं।'

राजीव प्रधानमंत्री बने। उनके कुछ घंटों पश्चात् ही सिख-संहार का ताण्डव शुरू हो गया। इन्ही दिनों रेल-दुर्घटनाओं का ताँता लग गया। ३ दिसम्बर, १९८४ को भोपाल की गैस त्रासदी के रूप में इतिहास की सबसे बड़ी विनाशनीला घटित हुई जिसमें दो सहस्र से अधिक लोग मारे गए और सहस्रों प्रभावित हुए।

दिसम्बर, १९८४ में महा-चुनाव हुआ। राजीव ने जमकर विरोधियों पर प्रहार किए। पंजाब प्रश्न को खूब उछाला। जनता को गुमराह किया। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया। परिणामतः न केवल राजीव जीते, उनके साथ

उनकी पार्टी ने अत्यधिक बहुमत प्राप्त किया। राजनीति के रण में राजीव गांधी की यह पहली विजय थी।

शरीर से स्वस्थ, रूप से सुन्दर, प्रकृति से शान्त श्री राजीव का जन्म २० अगस्त, १९४४ को बम्बई में हुआ था। माता थीं—भारत की सशक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और पिता थे श्री फिरोज गांधी।

राजीव की प्रारम्भिक शिक्षा जर्मन-महिला श्रीमती उषा भगत की देख-रेख में हुई। १९५४ में उन्होंने दून विद्यालय में प्रवेश किया। १९६० में यहाँ से सीनियर कॅम्ब्रिज की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की।

इसके बाद वे एक वर्ष तक लन्दन के इम्पीरियल कॉलेज में पढ़े और तदन्तर कॅम्ब्रिज के ट्रिनीटी कॉलेज में दाखिल हो गए। वहाँ उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स आरम्भ किया।

सौन्दर्य-प्रेम राजीव को अपने नाना, पिता तथा माता से वशानुगत रक्त में प्राप्त हुआ था। एक पार्टी में इटैलियन युवती सोनिया से उनकी मुलाकात हो गई। राजीव हृदय हार गए और उससे विवाह-सूत्र में बँध गए।

दिल्ली आने पर राजीव फ्लाइंग क्लब के सदस्य बने। प्रशिक्षण पूरा करने पर १९७० में एअर इण्डिया में विमान चालक बने। छोटे भाई सजय की मृत्यु के पश्चात् राजनीति से गुरेज करने वाले राजीव को राजनीतिक जीवन में प्रवेश करना पड़ा। १९८० में गांधी-जन्म दिवस (२ अक्टूबर) को उन्होंने विधिवत राजनीति का घोषा पहना।

१७ अगस्त, १९८१ को अमेठी की सीट से अनुज सजय की मृत्यु के कारण हुए उपचुनाव में जीतकर राजीव लोकसभा के सदस्य बने। २९ दिसम्बर, १९८१ को युवा कांग्रेस के बंगलौर अधिवेशन में उन्हें युवा कांग्रेस का नेता स्वीकार किया गया। १९८३ में अखिल भारतीय कांग्रेस के महा-सचिव नियुक्त हुए।

एक ओर वे कांग्रेस के सुगठन, विधिवत् कार्यसंचालन और युवा वर्ग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्नशील थे, तो दूसरी ओर भारत की राजनीति में निरन्तर प्रभावी होने का प्रयास कर रहे थे, तीसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री के ध्यापक दायित्वों के अध्ययन और प्रशिक्षण प्राप्त करने में भी रत थे।

इन्दिराजी चाहती थी कि उनके बाद उनका पुत्र प्रधानमंत्री-पद संभाले। अपन छोटे पुत्र सजय को उन्होंने इस रूप में तैयार भी किया, किन्तु विधि की

विट्ठलना ने संजय को इस दुनिया से उटाकर इन्दिराजी की इच्छाओं पर पानी फेर दिया। इन्दिराजी निराश नहीं हुईं; अब उनकी दृष्टि राजीव पर टिकी। वे राजीव को योजनावद्ध रूप से राजनीति के अछाड़े के दीव-पेच सिखाने लगी, किन्तु कुछ ही समय के बाद काल ने इन्दिरा जी को अपना ग्रास घना लिया। तत्पश्चात् भारतीय समद ने राजीव को प्रधानमंत्री पद प्रदान कर इन्दिराजी की आत्मा को गद्-गद् कर दिया।

राजीव गांधी विशाल भारत के संचालन में कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। उनका उनके युग में साम्प्रदायिकता का विष बहा है। पंजाब की समस्या बेकाबू हो रही है। आतंकवाद रूपी सर्प-भारत को डसाने पर उतारू है। त्रिपुरा नेग्रल वालियन्ट्स (TNV) पश्चिमी बंगाल में गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति-मोर्चा (GNLF), नक्सलवादी मगटन—पीपल्स वार ग्रुप बिहार और अंड्र में नक्सलवादी प्रभाव दिन-प्रतिदिन देश के वातावरण को विपाकत कर रहे हैं। नॉ एण्ट आइर जाट भर रहा है।

राजीव-काल में देश का आर्थिक ढाँचा चरमरा रहा है। बढ़ती हुईं कमर-नोड मेंहगार्ड, विदेशों की ऋण अदायगी की अपेक्षा तेजी में विदेशी मुद्रा-बोध में कमी, विकास दर में गिरावट, निर्यात की अपेक्षा आयात में लाखों का अन्तर देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ले डूबेगा, यह भविष्य ही बताएगा।

राजीव-काल में भारत-भाल का भयंकर कलंक बना कमिशन। हर सैनिक-खरीद में करोड़ों का कमिशन, विदेशों के बैंकों में करोड़ों रुपयों के कमिशन-खाते, विश्व प्राण में भारत की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं।

राजीव गांधी के शासन में पार्टी-अधिकारियों की बदल, मुख्य-मन्त्रियों का पञ्चतन और ४५ मास के स्वल्प काल में २४ बार केन्द्रीय मन्त्रिमंडल में भारी फेरबदल से मन्त्री-पद की महत्ता-का भारी अवमूल्यन हुआ है।

प्रभु से प्रार्थना है कि हमारे प्रधानमन्त्री को देश की समस्याओं में गम्भीरता-पूर्वक जूझने की शक्ति प्रदान करें ताकि वे भारत को आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक दल-दल में निकातने में समर्थ हो।

मेरा प्रिय खेल : कबड्डी

(ऑन इंडिया १९८८)

जीवन में, विशेषकर विद्यार्थी-जीवन में, खेलों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य की दृष्टि से खेलों की आवश्यकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना अनिवार्य है और खेल व्यायाम का एक लोकप्रिय अंग है। नियमित रूप से खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थी स्वस्थ, फुर्तीले और सदा प्रसन्न रहते हैं। खेल के मैदान में पहुँचते ही आलस्य छूमन्तर हो जाता है एवं शरीर में स्फूर्ति भर आती है।

खेल मनोरंजन का भी साधन है। जब बहुत मे साधी एरुत्र होकर कोई खेल खेलते हैं, तब खूब मनोरंजन होता है। खेलने वालों के अतिरिक्त देखने वाले साधी भी आनन्द उठाते हैं। खेल के मैदान में सारा वातावरण हँसी-मुसी में भरा होता है।

खेलों में हमारे जीवन में अनुशासन में रहने की प्रवृत्ति बढती है। प्रत्येक खेल के कुछ नियम होते हैं। उन्ही नियमों का पालन करते हुए खिलाड़ी खेलते हैं। नियमों का उल्लंघन होने पर खिलाड़ी को दोषी घोषित कर दिया जाता है और प्रतिद्वन्दी दल को उसका लाभ मिलता है। इस प्रकार नियमों के अधीन खेलने का अभ्यास होने पर हम सदा के लिए अनुशासनप्रिय हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त खेल में हम अपनी विजय और पराजय को हँसकर स्वीकार करते हैं। खिलाड़ी न तो विजय की मस्ती में दूसरो का अपमान करते हैं और न पराजय से शुब्ध होकर लडने पर उतारू होते हैं। खेल-भावना (Sportsman spirit) वाली उक्ति इसी भाव के लिए प्रसिद्ध है। जीवन में सफलता एवं शान्ति प्राप्त करण के लिए खेलों को यह देन बहुत ही मूल्यवान है। यदि सभी लोग 'खेल-भावना' को अपना लें, तो वर्तमान जीवन की अनेक विषमताएँ स्थतः दूर हो सकती हैं।

जीवन के लिए, विशेषकर विद्यार्थी-जीवन के लिए, खेलों का महत्त्व को स्वी-

कार करते हुए सेप्टल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन ने शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है। सभी विद्यालयों में व्यायाम-शिक्षक नियुक्त हैं, जो बच्चों को अनेक खेलों और विभिन्न प्रकार के व्यायाम का प्रशिक्षण देते हैं। हमारे विद्यालय में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी का प्रशिक्षण विशेष रूप से दिया जाता है।

मुझे क्रिकेट, हॉकी, बॉलीबाल, फुटबाल आदि खेलों की अपेक्षा कबड्डी एक सुन्दर, सस्ता और स्वास्थ्यप्रद खेल लगता है। क्रिकेट, हॉकी, बॉलीबाल तथा फुटबाल बड़े महंगे खेल हैं। दूसरे, उनमें शरीर पर कहीं भी चोट लग सकती है, जिससे आदमी निकम्मा हो सकता है। तीसरे, जब तक खिलाड़ियों की सहायता पर्याप्त मात्रा में न हो, ये खेल खेले नहीं जा सकते। चौथे, ये सारे खेल विदेशी हैं। कबड्डी में ऐसी बात नहीं। यह पूर्णतः भारतीय खेल है। अतः मैं कबड्डी का शौकीन भी हूँ और खिलाड़ी भी।

कबड्डी के लिए किसी स्थान-विशेष की आवश्यकता नहीं। यह कहीं भी और कभी भी खेला जा सकता है। अच्छा हो, यदि यह स्थान कंकरीला और पथरीला न हो। फिर उसमें चोट लगने का भय नहीं रहता। दूसरे, इसके लिए आठ-इन भी खिलाड़ी हों, तो खेल अच्छा जम जाता है। तीसरे, इसके सभी सदस्य सदा मश्रूम रहते हैं।

कबड्डी खेलने के स्थान के बीचों-बीच एक रेखा खींच दी जाती है, इस 'पाला' कहते हैं। इसके दोनों ओर खिलाड़ी खड़े होते हैं। दोनों ओर के खिलाड़ी संघर्ष में बराबर होने चाहिये। खेल आरम्भ होने पर एक ओर का खिलाड़ी दूसरी ओर कबड्डी-कबड्डी' कहता हुआ जाता है। वह यह प्रयत्न करता है कि जब तक उसके मुँह से 'कबड्डी' शब्द निकलना बन्द नहीं होता, वह दूसरी ओर के खिलाड़ी या खिलाड़ियों को छूकर पाले तक पहुँच जाए। दूसरी ओर के खिलाड़ियों का प्रयत्न होता है कि वे उसको ऐसे पकड़ें कि वह छूटकर पाले तक न पहुँच पाए और स्वयं भी सावधान रहे कि उन्हें पकड़ न सके, तो वह उन्हें छू भी न जाए। यदि वह छू गया तो जिन खिलाड़ियों को उतारने छूआ है, वे मंत्र खिलाड़ी 'आउट' हो जाएँगे अर्थात् बंट जाएँगे। दूसरी ओर में भी यही क्रिया होती है।

बँटा हुआ या 'आउट' खिलाड़ी तभी खेल में पुनः भाग ले सकता है, जब उम्मीदवादी दूसरी ओर के किसी खिलाड़ी को 'आउट' कर दे।

इस प्रकार जिस ओर के सब खिलाड़ी आउट हो जाएंगे, वह पार्टी हारी हुई समझी जाएगी। कई बार खिलाड़ियों को आउट करके बैठाने के बजाए 'प्वाइंट' गिन लिए जाते हैं। निर्धारित समय में जिसके 'प्वाइंट' ज्यादा होते हैं, वह पार्टी जीती हुई मानी जाती है।

इस खेल में चोट लगने का भय रहता है। जैसे—यदि कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को पकड़ने के लिए 'कैची' मारे, तो उससे टाँग में चोट लगने का बहुत डर रहता है। दूसरे, कभी-कभी एक खिलाड़ी को जब दूसरी पार्टी के सभी खिलाड़ी पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तब शरीर पर चोट लगने का भय रहता है। यदि पकड़ते समय किसी खिलाड़ी का वस्त्र हाथ में आ जाए, तो हार-जीत की चिन्ता किए बिना छोड़ देना चाहिए, अन्यथा वस्त्र फटने की सम्भावना रहती है।

यदि हम उक्त बातों का ध्यान रखेंगे, तो यह खेल इतना सुन्दर और रोचक बन जाएगा कि आपका मन यह गवाही नहीं देगा कि इसे छोड़कर कोई और खेल खेला जाए।



(क) समाज में नारी का स्थान

(ख) भारतीय नारी

(ऑल इण्डिया दिल्ली क्षेत्र १९८७)

भारतीय नारी मातृत्व की गरिमा से मडित है; पत्नीत्व के सौभाग्य से ऐश्वर्य-शालिनी है; धार्मिक अनुष्ठानों की सहधर्मिणी होने से धर्मपत्नी तथा अधांगिनी है; गृह की व्यवस्थापिका होने के कारण वह गृहलक्ष्मी है; सम्भोग-सुख निमित्त पत्नी प्रेयसी तथा रम्भा है; अर्ध-अर्जन में पुरुष की सहयोगिनी है ।

नारी के अभाव में समाज की कल्पना असम्भव है । नारी जननी है, इसलिए सृष्टि की निर्मात्री है । पुरुष को पुत्र प्रदान कर उसको पितृऋण में मुक्त करती है, पुत्री देकर ससार के अस्तित्व को स्थिरता प्रदान करती है । इस रूप में वह पूज्या है ।

पत्नी रूप में नारी ऐश्वर्यशालिनी है । इसलिए मनुस्मृति कहती है, 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' । नारी परामर्श में मन्त्री, गृह-कार्य में दासी, धर्मकार्य में पत्नी, सहिष्णुता में पृथ्वी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रम्भा तथा शीटा में मित्र का स्थान रखती है । प्रसाद जी ने नारी के इसी महान् रूप पर रोश कर कहा है —

नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में ।

पोयूप-स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में ॥

गृह की व्यवस्थापिका होने के कारण, नारी 'गृह-लक्ष्मी' के उच्च सिंहासन पर आरूढ है, किन्तु अर्थ-स्वातन्त्र्य के अधिकार में वंचित होने के कारण वह दीन है, रंक है । उसे प्रत्येक पग पर, प्रत्येक सांस के साथ पुरुष में सहायता की भिक्षा मांगते हुए चलना पड़ता है । उसका 'गृह-लक्ष्मी' का गौरवपूर्ण पद, उसका सम्पूर्ण त्याग, सारा स्नेह और आत्म-समर्पण बन्दी के विवश कर्तव्य के समान जान पड़ते हैं । अर्थ-परतंत्रता के कारण उसका सामाजिक व्यक्तित्व भूतयहीन हो गया; अर-

ज्ञान रह गया। मुस्लिम महिलाओं की दशा तो और भी शोचनीय है। मैथिली-शरण गुप्त का कथन मार्पक गिद्ध हो रहा है—

अबला जीवन, हाथ ! तुम्हारी यहो कहानी ।

आँधल में है बूध और आँसों में पानी ॥

अध-उपाजन, समाज-सेवा तथा राजनीतिक उत्कर्ष में नारी ने समाज में अपना स्थान प्रतिष्ठित किया, अर्थोपाजन कर अपने महत्त्व की दर्शाया और अहं की संतुष्टि की; नर्स और डॉक्टर बनकर उभने पीड़ित, घायल समाज को स्नेह दिया, सहानुभूति दी; अध्यापिका बनकर ज्ञान के नेत्र छोले, विवेक जागृत किया; वैज्ञानिक बनकर अधविश्वाम के तिमिर को ज्योति प्रदान की; ध्यापारी बन देश की अर्थ-व्यवस्था की सुदृढ़ता में हाथ बटाया; सैनिक बन राष्ट्र की रक्षा में योगदान दिया, लिपिक और टाइपिस्ट बन कार्यालय-व्यवस्था का संचालन किया; राजनीति में भाग लेकर राष्ट्र का भाग-दर्शन किया। जन-सेवा कार्य-क्षमता और दूरदर्शिता के कारण समाज में नारी का स्थान महत्त्वपूर्ण है, अक्षुण्ण है। उमकी उपेक्षा में समाज-संगु बन सकता है, हृदयहीन हो सकता है।

नारी जहाँ सृष्टि-मजंन की एकमात्र स्वामिनी है, वहाँ प्रणय-मुख और रति आनन्द की एकमात्र अधिकारिणी है। इस मुख और आनन्द की प्राप्ति के लिए पुरुष उसे अर्द्धांगिनी बनाता है, प्रेयमी रूप में उसकी अर्चना करता है, कालगर्ल और रग्मा रूप में उसके जीवन का धरीदार बनता है।

नारी का हृदय प्रेम का रंगमंच है। नारी का सौन्दर्य आकर्षण का केन्द्र-बिन्दु है। नारी के चञ्चल कटाक्ष पत्थर हृदय को भी घायल कर देते हैं। उसकी भाव-भंगिमा पुरुष को पागल बना देती है। उमकी मधुर मुस्कान पुरुष को पराजित कर देती है। उसे केवल नारी में सत्, चित् आनन्द का अनुभव होता है। सत्य, शिव और सुन्दर की अनुभूति होती है। वह अमृत पीकर भी तृप्त न हुआ, उसकी प्यास बुझी नहीं, बरू गई। नारी नाम सार्थक हुआ। स्वयम्भूदेव ने पउमचरित में लिखा 'नर उसमें रति में तृप्त नहीं होता, इसलिए उसे नारी कहते हैं।'

अर्थोपाजन और रति-मुख के लिए नारी ने उच्छ्वलता का चोला पहना। शारीरिक सौन्दर्य को प्रदर्शित किया। नग्नता को अपनाया। सहपाठी को चरित्र-हीन बनाया, बॉस को प्रमन्न किया, ब्रह्मचारी के तेज को खंडित किया। नारी के

सम्मान और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया। दिन दहाड़े अपहरण, बलात्कार होने लगे। नारी का चरित्र पतित हुआ, शालीनता भ्रष्ट हुई।

धर्म मृत्यु का प्रतिष्ठापक है, चरित्र का निर्माता है। मन की तामसिक वृत्तियों का अवरोधक है। सुख-शांति तथा समृद्धि का स्रोत है। धर्म पर नारी का अटल विश्वास है। पूजा, अचना, स्नान-ध्यान, व्रत-पर्व पर उसकी श्रद्धा है। नृप्रथाएँ, जादू-टोना, गंडे-ताबीज पर उसे अंधविश्वास है। इसी धर्माचरण के कारण समाज में कुकर्मों के प्रति भय है, भय के कारण समाज सदाचारण के लिए विवश है। सदाचार की इस प्रेरणा के लिए नारी समाज में पूज्य है, श्रद्धा की प्रतिमा है।

नारी के महत्त्व पर प्रकाश डालने हुए महादेवी जी लिखती हैं, 'आदिम काल से आज तक विकास-पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल बनाकर, उसके अभिशापो को क्षेपण और अपने धरदानों में जीवन में अक्षय शक्ति भरकर मानव ने जिस व्यक्तित्व-चेतना और हृदय का विकास किया है, उसी का पर्याय नारी है।'

नारी स्नेह और सौजन्य की देवी है। वह नर-पशु को मनुष्य बनाती है, वाणी से जीवन को अमृतमय बनाती है, उसके नेत्र में आनन्द का दर्शन होता है। वह संतप्त हृदय की शीतल छाया है, उसके हास्य में निराशा मिटाने की अपूर्व शक्ति है। उसकी करुणा अन्तर्जगत का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं।

नारी समाज की आधारशिला है। नारी से समाज का धर्म, मभ्यता, संस्कृति, परम्पराएँ टिके हैं; समाज का मौन्दर्य, समृद्धि और सौष्ठव स्थिर है। इसलिए समाज में नारी का स्थान अडिग है, अनुत्तनीय है, और है सबसे महान्।

(क) संगठन (ख) एकता में बल है

(ऑल इण्डिया १९८८)

किसी विशिष्ट वर्ग, क्षेत्र या राष्ट्र के लोगों का मिलकर एक इकाई का रूप धारण करना, जिसमें वे सामूहिक रूप में अपने हितों की रक्षा कर सकें, संगठन कहलाता है। विखरी शक्तियों का एकजुट होकर किसी कार्य के लिए तैयार होना संगठन है।

प्राचीन युग में शक्ति का केन्द्र कभी तपस्या, कभी ज्ञान और कभी त्याग रहा है। वर्तमान काल में शक्ति का केन्द्र सघ अर्थात् संगठन है। महाभारत में लिखा है, 'संघे शक्तिः कलौ युगे।' वैदिक सभ्यता ने ज्ञान दिया, 'मगच्छन्वं संवदन्वं' अर्थान् मिलकर चलें, मिलकर बोलें।

परिवार संगठित रहेगा, तो श्री और गिःवर्ष की वृद्धि होगी। समाज संगठित होगा, तो प्रगति-पथ पर अग्रसर होगा। राष्ट्र संगठित होगा, तो विश्व में अपना भाल गवं में उन्नत कर नसेगा। भारत में परिवारों के विकाम एवं व्यक्तियों की प्रगति' में परिवार का सहयोग तथा विघ्न-बाधाओं को मिल-जुलकर झेलने की प्रवृत्ति हमारी श्री-समृद्धि का कारण रही है। मुस्लिम और ईसाई समाज के मुद्दब संगठन ने ही उन्हें विश्व की महान शक्ति बना दिया है। जापान, चीन, जर्मनी, अमेरिका, रूस, ग्रैंट ब्रिटेन और फ्रांस की विश्व-शक्ति बनने के मूल में उनके राष्ट्र का संगठन ही है।

शरीर विभिन्न अवयवों का संगठित रूप है। क्या अद्भुत संगठन है। काँटा पैर में घुसना है, वेदना मस्तिष्क में होती है, और हाथ गन्धु कटक के मर्दन को तुरन्त दौड़ते हैं। मधुमक्खियाँ संगठन का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वे मिल-जुलकर मधु संचय करती हैं, जरूरत पड़ने पर गन्धु पर सामूहिक आक्रमण करती हैं। संगठन में अपूर्व शक्ति है। एक ओर एक मिलकर ग्यागूह

मामूली तिनको को मिलाकर रस्सा बन जाता है, जो मदमस्त हाथी को बाँधने में मशम होता है। पानी की एक बूँद अग्नि में पडकर स्वयं को नष्ट कर लेती है, किन्तु जल की धार प्रचंड अग्नि को भी शांत कर देती है। अग्नि की एक चिगारी को फूँक मारकर बुझा दिया जाता है, किन्तु उसकी संगठित ज्वाला से विशाल भवन स्वाहा हो जाते हैं।

जान डिकिन्स का कथन है, 'संगठन में हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विभाजन में हमारा पतन होता है।' इतिहास इस बात का साक्षी है। हिन्दू नरेशों की पृथक्वादी मानसिकता के कारण भारत मुगलों के दासों का गुलाम रहा। मुगलों की फूट के कारण मुगल सल्तनत डूबी और सात समुद्र पार के मुट्ठी भर अग्रज विशाल भारत पर राज्य कर गए। १८५७ के स्वातन्त्र्य-संघर्ष की विफलता विभाजित शक्ति का प्रमाण है। भारत-विभाजन भारतीयों में संगठन के अभाव की ही मुँहबोलती तम्बीर है। सन् १९८० में इन्दिरा जी के पुनः सत्तारूढ़ होने के लिए विपक्ष-विभाजन ही दोषी है।

संगठन के विभिन्न चार आधार हैं—जातीयता, भौगोलिक सीमाएँ, व्यावसायिक क्षेत्र तथा मानसिकता। विभिन्न राष्ट्रों और विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले यहूदी जातीयता के कारण एक सूत्र में बद्ध हैं। राष्ट्रों की एकता भौगोलिक सीमाओं के कारण है। व्यावसायिक एकता व्यापार-विशेष के हित-चिन्तन, समृद्धि आर प्रगति पर आधारित है। मानसिक एकता धार्मिकता की पृष्ठभूमि है। विश्व हिन्दू-परिषद्, विश्व मुस्लिम-सम्मेलन, विश्व ईसाई-एकता इनके प्रमाण हैं।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि में, संगठन के तीन आधार हैं—(१) आतंक (२) प्रलोभन (३) अहंकार। पीडित वर्ग, समाज या दल अपनी पीड़ा निवारणार्थ संगठित होते हैं। मुस्लिम आतंक के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ का जन्म हुआ, और वह प्रचण्ड शक्ति सिद्ध हुआ। इन्दिरा-आतंक के विरुद्ध १९७७ में अपनी-अपनी छपली बजाकर अपना-अपना राग सुनाने वाले विरोधी दल एकजुट हुए। इन संगठनों के मूल में आतंक था, अतः आतंक समाप्त हुआ और बिधराव शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ को लेकर जनता पार्टी के बिधराव की स्याही अभी सूखी नहीं है।

प्रलोभन संगठन का दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण है। व्यापारिक संगठन, कर्म-

चारों युनियने, सत्ता-मुद्य के लिए दल-बदल, सब प्रलोभन के संगठन हैं। जहाँ प्रलोभन को आँच आई, संगठन विभक्त हुआ। एक ही व्यापार को विभिन्न परिपदे, कर्मचारियों की अनेक युनियने इमका प्रमाण है।

राजनैतिक और धार्मिक संगठन अहंकार के प्रमाणित दम्तावेज है। इन्दिरा काँग्रेस श्रीमती इन्दिरा जी के अहंकार का पोषक है, तो 'जनता (ज)' श्री जगजोवन के अहं का रूप है। सभी धर्मों में विद्यमान पंथ, मठ, गढ़ियाँ किसी न किसी धार्मिक नेता के अहं का ही तो प्रतीक है।

शासन को दृष्टि में विश्व दो संगठनों में विभक्त है—(१) लोकतन्त्र (२) अधिनायकवाद। लोकतन्त्र का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है, तो अधिनायकवाद का रूस। लोकतन्त्र में विद्या, चरित्र प्रतिभा की आवश्यकता नहीं, वहाँ बहुमध्यक को संगठित करने में ही सिद्धि है। अधिनायकवाद में पाशविक चरित्र ही नेता बनता है। उमका संगठन आतक के सहारे जीवन-यापन करता है।

सच्चा संगठन त्याग की भूमि पर ही इम्पात की प्राचीर खड़ी कर सकता है और नेता के अहं को निरस्त करके ही फल-फूल सकता है, उपनेताओं के प्रलोभन को सकुचित कर सुख की साँस ले सकता है। सदस्यों के प्रति मंगल-कामना रखकर प्रगति-पथ पर अप्रसर ही सकता है। गीता में संगठन की रथ में उपमा देने हुए कृष्ण ममज्ञाते हैं—'इन्द्रियाँ घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथ का स्वामी है। घोड़ों को लगाम के अधीन रहना चाहिए; लगाम को सारथी के और सारथी को मालिक के। संगठन का यही मूल मन्त्र है।' संगठन 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का ममर्थक है।



(क) देश-भक्ति

(ख) देश-प्रेम

(ऑल इण्डिया दिल्ली क्षेत्र १९८८)

अपने देश की स्वतन्त्रता और उसके हितों को सर्वोपरि समझने का गुण या भाव 'देश-भक्ति' है। अपने देश के लिए मन, मन और धन से किया गया कार्य देश-भक्ति है। अपने देश को मातृभूमि-पुण्यभूमि मानना देशभक्ति है। देश की सुरक्षा, समृद्धि, सुख-शान्ति, गौरव-वर्धन और अभ्युत्थानार्थ ही प्रत्येक कार्य करना देश-भक्ति का लक्षण है।

हमारे पालन-पोषण में देश का प्रत्येक पदार्थ योग देता है। देश के अन्न और जल से हम बड़े होते हैं, देश की वायु और वातावरण हमें जीवनदान देते हैं। देश की सभ्यता और संस्कृति हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है। इसलिए देश को स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है। मैथिलीशरण गुप्त ने देश के गौरव से अनभिज्ञ अभिमान-शून्य व्यक्ति को 'वह नर नहीं नर-पशु निरा और मृतक समान' बताया है।

अप्रेम कवि स्कॉट ने कहा है— 'जिम व्यक्ति ने अपनी जननी जन्मभूमि में प्रेम प्रदर्शित नहीं किया, वह चाहे जितना धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान क्यों न हो, किन्तु वह अपनी जाति का आदर-भाजन, सम्मान-भाजन और प्रेम-भाजन नहीं बनता। अपने जीवन-काल में वह निजबंधुवर्ग के द्वारा अपमान की दृष्टि से देखा जाता है और मृत्यु के बाद उसकी इम लोक में निन्दा होती है और परलोक में भी उसकी आत्मा को शान्ति नहीं मिलती।'

राष्ट्र पर आई विपत्ति में प्राणोत्सर्ग करना ही देशभक्ति की कसौटी नहीं। हमारे दैनन्दिन कार्य देशभक्ति की मुहबोलती तरवीर हैं। ध्यापार में लोभ-वश जनहित-विह्वल कार्य देशभक्ति के विरुद्ध हैं। मिलावट करना, नकली तथा तस्करी की चीजें बनाना-बेचना देश के साथ द्रोह है। औद्योगिक संस्थान में कार्य से जी

चुराना, कम काम करना, हड़ताल करना देश-भक्ति नहीं। ध्रष्टाचार, बलात्कार, समाज-पीड़न देश-द्रोह हैं। कार्यालयों में लाल फीताशाही, जानबूझकर फाइलों को दबाना, कार्य में प्रमाद प्रकट करना देश के अहित में है। दल-बदल, पार्टी-भंजन जनता से विश्वासघात दंग-विरुद्ध कार्य है।

जो व्यक्ति राष्ट्र-विरुद्ध कार्य करता है, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है, इसी तथ्य को उपस्थित करते हुए राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण शुक्ल ने कहा है—'वह हृदय नहीं यह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।'

स्वर्णमयी लका को देखकर जब लक्ष्मण ने वही रहने की इच्छा प्रकट की, तो भगवान् श्री राम ने कितने मुन्दर शब्दों में उसे समझाया है, 'जननी जन्म-भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।' (जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान् है)। योगेश्वर कृष्ण ब्रज से जाने के बाद बार-बार ब्रज को स्मरण करते हैं, 'ऊधो ! मोहि ब्रज विसरत नाही।' मन् १९१९ में अमृतसर में जलियाँवाला बाग में वैशाखी के पावन दिन जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली-वर्षा कर दी। फलतः सहस्रों व्यक्ति मारे गए। लाला लाजपत राय उस समय विदेश में थे। उनका हृदय रो पड़ा और वे स्वदेश आगमन के लिए मचल उठे। यह है देश-भक्ति का उदाहरण।

देश-भक्ति के लिए शिवाजी आजन्म मुगलों में युद्ध करते रहे, महाराणा प्रताप जंगलों की खाक छानते रहे, रानी झाँसी युद्ध करते हुए वीरगति की प्राप्ति हुई; सहस्रों लाखों दिवाने गोलियाँ सीने पर झेलते हुए परलोक को प्राप्त हुए, सुभाषचन्द्र बोस ने विदेशों में जाकर नेता मुमज्जित की, भगतसिंह, सुब्रह्म-देव ने अमेम्बली में बम फेंका; सावरकर जल-यान से समुद्र में कूद पड़े।

देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असौम त्याग से विकसित।

जिसकी दिव्य राशेम्बाँ पाकर, मानवता होती है विकसित ॥

देश-द्रोही की स्थिति हमें मर्त्या विपरीत होती है। समाज में उसका क्या स्थान होता है, इस सम्बन्ध में अंग्रेजी के एक कवि ने लिखा है, 'कोई उसके लिए रोएगा नहीं, कोई उसके गीत नहीं गाएगा।' किन्तु बड़ा व्यर्थ है, देश-द्रोही के जीवन पर।

दुर्भाग्य से आज भारत में हर चीज राजनीति के कुचक्र में फिस रही है। देशभक्ति भी इससे नहीं बची है। गीत यहाँ राष्ट्र-भक्ति के गाए जाते हैं, कार्य

देश-द्रोह के होते हैं। देश का चरित्र रसातल को चला जा रहा है, स्वार्थ राष्ट्र पर हावी है।

दूसरी ओर, राज्य-भक्ति सदा देश-भक्ति नहीं हो सकती। गुलाम भारत में अंग्रेजी सत्ता के प्रति राज्य-भक्त लोगों को देश-भक्त नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार स्वराज्य में शासन के राष्ट्र-विरोधी कार्य के समर्थको को देश-भक्ति के गौरव से अलकृत नहीं किया जा सकता। आपातकाल के समर्थको, सत्ता में विद्यमान शासन की हों में हों मिलाने वाले चापलूसों, सत्ता स्वार्थ की छत्रछाया में पनपते अराष्ट्रीय कृत्यों के सहयोगियों को राज्य-भक्त कह सकते हैं, राष्ट्र-भक्त नहीं।

आज देश में शुद्ध देश-प्रेम, राष्ट्र-भक्ति तथा मातृ-वन्दना की अत्यन्त आवश्यकता है। केवल ऊँचे-ऊँचे नारों से 'भारत माता की जय' नहीं होगी। 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' गाने में और 'मुजला, मुफला मलयजशीतलाम् मातरम् चन्दे' के वाग्द्वार उच्चारण में देश-भक्ति प्रकट नहीं होगी। इसके लिए मकीर्ण स्वार्थ भाव को त्यागकर राष्ट्रहित के कार्य करने की आवश्यकता है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में देश-भक्ति का सच्चा स्वरूप यह है—

जिएँ तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष ।

निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष ॥

भ्रष्टाचार का रोग

(दिल्ली १९८८)

'भ्रष्टाचार का रोग' वर्तमान युग में मकाना का सर्वश्रेष्ठ साधन है, मकट-ग्रस्त मानव के प्राणों की रक्षा करने वाला अमृत है, काम निकालने तथा श्री-समृद्धि की रामबाण औषधि है, ऋद्धि-मिद्धि का प्रदाना है भाग्योदय का शर है, गणवर्ममय जीवन जीने का साधन है, माहस धैर्य और विवेक की जननी है।

स्वार्थ और कामना इस रोग के कारण हैं दूषित और निन्दनीय आचार-विचार इसके लक्षण हैं। कर्णजन, रिश्वत, धूम इस रोग के पर्याय हैं। मन की शुद्धता, आचार की पवित्रता तथा धन के प्रति विमोह इस रोग की औषधि है।

रोग का अर्थ 'बुरी आदत' या 'बुरी बात' लें, तो भी भ्रष्ट आचरण का रोग मानव और मानवता का शत्रु है। अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति उदासीनता का जनक है। कुतर्क, पड्यन्त्र तथा सही निर्णय न लेने की सौगन्ध उसका मित्र है। समाज की मान्यताओं, आस्थाओं को रौदना वह अपना कर्तव्य समझता है। बिना रिश्वत लिए फाइल पर निर्णय लेने में वह अपना अपमान समझता है। निर्वल-दुर्बल पर अन्याय करता है। नारी को छेड़ता है, उसकी इज्जत लूटता है, बन्धु-बान्धवों में पशुवन् व्यवहार करता है।

भ्रष्टाचार का रोग बीमारी होते हुए भी बहुत मीठा है, प्यारा है। कुछ अपवादों को छोड़कर हर नर-नारी, गृहस्थी-मन्यासी, राजनीतिक-सामाजिक इममें प्यार पाने का आकांक्षी हैं। इसके प्यार में आकूठ डूब जाने को सबका हृदय मचलना है। 'निराला' के जब्दों में आज का मानव भ्रष्टाचार ने बहना है—

मेरे प्राणों में आओ !

शत-शत शिथिल भावनाओं के

उर के तार गजा जाओ ।

क्यों ? वह जानता है कि जीवन के हर क्षण में उगीका आधिपत्य है। इसका

परमिट लिए बिना वही भी प्रवेश अमम्भव है। इमनिंग 'भ्रष्टाचार की सूट है, सूटी जाए सो सूट, अन्तःकाल पछताएगा, अब सत्ता जाएगी छूट।' 'पब्लिक डीनिंग' के हर कार्यालय, राजकीय प्रय के गद्द, टेंडर-रथीकृति की प्रक्रिया, सभी प्रकार के ठेके पब्लिक-सूनों डाक्टरों, इंजीनियरों तथा टेकनीकल कॉलेजों में प्रवेश. चपरामी मे लेकर उच्चपदों तक की नियुक्ति, परीक्षा के परिणाम और न्याय के निर्णय, पुलिस का आरक्षण इन्कमटैक्स तथा गेनटैक्स, विक्री जांच, चुनाव के टिकट, चुनाव-संग्राम के तौर-तरीके सभी भ्रष्टाचार के स्रोत हैं।

यही कारण है कि भ्रष्टाचारियों की आय वेतन में कई गुणा अधिक है। कोर्ट का चपरामी अहलमद, टाइपिस्ट और गीटर से उच्च स्तर का जीवन जीता है। दफ्तर का छोटा-सा अधिकारी लागों की सम्पत्ति का मालिक है। गवर्नमेंट-परचेज कमेटी के सदस्य लाखों-करोड़ों की इलाली पाते हैं। 'बोफोर्स' का हंगामा, पनडुब्बी त्रगद का तौर-तरावा, जापान तेल सौदे की कमीशन सदन में विपक्ष के प्रहा इस दलाली को नगा कर दे, पर उसके सौन्दर्य-मोह में बचे बचे भी नहीं है। कागण, राजनीतिज्ञों का लाखों रुपए का मासिक खचं इस भ्रष्टाचार की पाइप-लाइन में से ही प्रवाहित होकर उन तक पहुँचता है। जहाँ सरस्वती-आकर प्रणाम करती हो और लक्ष्मी आकर चरण दबाती हो, उस ऐश्वर्यमय जीवन की प्राप्ति के लिए भ्रष्टाचार के रोग में कौन प्रेम नहीं करेगा ?

भ्रष्टाचार का रोग मन का रोग है, मानसिक विकार है। चित्त-वृत्ति को विकृत करने के लिए अन्तःकरण की एक प्रवृत्ति है। मन का विलास है। आकार, सकेत गति, चेष्टा वचन, नत्र तथा मुख के विकारों से अन्तर्मन का ग्रहण हो जाता है। अतः इस रोग की चपेट में मानव शीघ्र आ जाता है। वह न्यू में लगकर अपनी वारी आनं की प्रतीक्षा नहीं करता, द्वारपाल को टिप दकर पहले अन्दर घुस जाता है। विद्यार्थी पढाई को ओर ध्यान नहीं देता, द्यूगन रखकर अधिक अंक पा जाता है। अपनरों को उपहार तथा वडे-वड़े ठेकों में सुरा-सुन्दरी का प्रयोग भ्रष्टाचार के ही दो तरीके हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचारी-दूसरों को भी अपन सम्मान नगा करन के लिए अपनी वित्तवृत्ति को विकृत करता है; दूसरों को भ्रष्ट कर उनके मन में रोग के कोटाणु घुसा देता है। इस मानसिक रोग के बारे में प्रसिद्ध है कि यह मृत्यु के साथ ही जाता है। इसी प्रकार भ्रष्टाचारी का भ्रष्ट आचरण भी बहु-विध दण्ड-सजा पान एवं उत्पीड़न, दमन सहने पर भी स्वच्छ नहीं

होता ; ललितमोहन मिश्रा तथा नागरवाला कांड का अन्त उनके देह-विसर्जन पर ही हुआ। भ्रष्ट आचरण में नजा पाए सेंट डालमिया कारावास भोगने के बाद और अधिक तत्परता से अपने व्यापार-साम्राज्य को बढाने में संलग्न रहें।

भ्रष्टाचार-रोग के रोगियों की एक विशेषता है—मनमा, वाचा, कर्मणा वे एक हैं। विविध तन होते हुए भी मन में एक है। उनका दुःख-सुख एक है। जैसे काँटा पैर में चुभता है, मन उसका दुःख दूर करने के लिए तुरंत चिंतित होता है और कर-कमल उसे सहयोग प्रदान करते हैं। उसी प्रकार रिश्वतखोर पकड़ा जाए, तो ऊपर से नीचे तक की मशीनरी उसको छुड़ाने के लिए तन, मन, धन से जुट जाएगी। अजिताभ बच्चन को तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप से बचाने के लिए अधिकारी और मन्त्रीगण किस प्रकार एकजुट है। सुप्रीमकोर्ट ने काश्मीर के राज्यपाल श्री जगमोहन के आचरण के विरुद्ध टिप्पणी की, तो क्या हुआ ? वे आज भी राज्यपाल हैं। विदेशी बैंको में देश का धन जमा करवाने वाली पर कौन हाथ डालने देता है ?

भ्रष्टाचार-रोग का एक ही निदान है—मन का नीरोग होना। मन तभी नीरोग होगा, जब हम बाहर और भीतर से मन को भ्रष्टाचार की ओर ले जाने वाली पशु-वृत्तियों को छोड़ देंगे एवं इन्द्रिय-संयमद्वारा जीवन में त्यागपूर्ण भोग—
'तेन त्यक्तेन भुजीथाः'—का आनन्द लेंगे।



छोटे परिवार के सुख-दुःख

(दिल्ली १९८८)

छोटा-परिवार ऐश्वर्य और सौभाग्य का प्रतीक है, सुख, शांति और समृद्धि का मूल है। जीवन में विकास और प्रगति का स्रोत है। नारी के स्वस्थ रहने का वरदान है। आज की परिस्थिति में मानवभूमि के प्रति उपकार है। राष्ट्र-हित की अनिवार्य शर्त है। भारत के भाग्य का पनटन का रहस्य है। इसलिए राष्ट्र-भक्ति का तमगा है।

दूसरी ओर, छोटा-परिवार मानवीय नीमा और ज्विन का अवरोधक है। वर्तमान जीवन जीने के लिए जीवन की भाग-दौड़ में पीछे पिछड़ने का अभिगाप है। छोटे-परिवार में केवल लड़के या लड़कियाँ होने पर जीवन-भर कुंठा हपी क्षय-रोग का रोगी बनना है। केवल लड़कियों की स्थिति में वंश-परम्परा पर फुल-स्टॉप लगाकर पितृ-ऋण में उऋण न होना का नाप है।

छोटा-परिवार अर्थात् चार-पाँच प्राणिनों का नौमिन परिवार। पति-पत्नी तथा दो या तीन बच्चे। दादा-दादी की संख्या बढ़ने में पारिवारिक जनो की संख्या बढ़ेगी, फिर भी वह छोटा-परिवार ही कहलाएगा। गजकीय व्याख्या के अनुसार छोटा-परिवार अर्थात् दो या तीन बच्चे।

दो या तीन बच्चों को जन्म देने वाली नारी का शरीर नीरोग रहेगा। प्रसव-कालीन रोग उसे आक्रान्त नहीं करेंगे, उसके शरीर को गिथिल नहीं करेंगे, अकमण्य नहीं होने देंगे। वह सुखपूर्वक नीरोग जीवन का आनन्द उठा सकेगी।

छोटे-परिवार में जननी शिशु की देख-रेख पर पूरा ध्यान दे सकेगी। उसके शारीरिक-मानसिक विकास में अपने दायित्व को निभा पाएगी; शारीरिक स्वस्थता के लिए पीछे छोड़ दे सकेगी; तल के रोग के लिए उचित इलाज करा पाएगी। मन के विकास के लिए शिक्षा की मुख्यवस्था करने में ममथ होगी।

छोटे-परिवार में सुख-शांति होगी। नौमित भाई-बहनों में प्यार होगा, ऐक्य

होगा; एक-दूमरे की मंगल-कामना होगी। उनके मन में ईर्ष्या-द्वेष, मार-पिट्टाई में उत्पन्न अगांति नहीं होगी। वे पारिवारिक दुःख में एक-दूमरे के साथी होंगे और बाहरी कष्ट या दैवी विपत्ति में कंधे में कंधा जुटाकर महयोग देंगे।

आर्थिक दृष्टि में छोटा-परिवार सुख का आधार है। सीमित आय में सीमित परिवार जीवन और जगत् की जरूरी पुशियाँ लेकर मजे में जी सकता है; जिन्दगी का लुफ उठा सकता है। खाने वाले कम, पहनने वाले कम, पढ़ने वाले कम हों, तो फिर आय का भाग प्रत्येक के हिस्से ज्यादा आएगा। उदाहरणतः आमदनी एक हजार रुपए मासिक हो और परिवार-जन चार हों, तो प्रत्येक के हिस्से ढाई सा रुपए आता है। यदि परिवार में छह प्राणी हों, तो यही राशि घटकर १६७ रुपए रह जाएगी। इसलिए छोटा-परिवार अच्छा खा सकता है और जीवन की खुशियों को लूट सकता है।

सामाजिक दृष्टि में छोटा-परिवार सम्मान का मूकक है तो बड़ा-परिवार अपमान का कारण। बड़े परिवार को बुलाते हुए भी अन्य परिवार-जन, मित्रगण डरते हैं। बड़े परिवार का अपमान 'फौज' कहकर किया जाता है— 'जीजाजी की फौज से डर लगता है।' दूसरी ओर छोटे परिवार में, तीज-त्यौहार, भात-छूछक, मित्रों की पार्टी निमन्त्रण सबका प्रेम-पूर्वक निर्वाह हो जाता है। वहाँ पारिवारिकता, सामाजिकता आनन्दपूर्वक निभ जाती है।

छोटा-परिवार भारत जैसे राष्ट्र पर महान् उपकार है। यहाँ बढ़ती जनसंख्या सारी विकाम-योजना को खा जाती है और डकार भी नहीं लेती। यहाँ आय के साधन कम हैं और बेकारों की फौज असीम है, जो राष्ट्रीय जीवन में अराजकता फैला रही है; जन-जीवन को विपाक्त कर रही है। परिणामतः भारत के बहुसंख्यक जन अशिक्षित हैं, अल्पशिक्षित है, निराश्रित हैं, गरीबी की सीमा-रेखा के भी नीचे का जीवन जीने के लिए विवश हैं। ऐसी स्थिति में छोटा-परिवार होगा, तो राष्ट्र की विकास-योजनाओं का लाभ जद-जन तक पहुँचेगा। अस्पतालों में बीमारों की दुर्दशा न होगी; स्कूल-कॉलिजो में उच्च-शिक्षा का द्वार प्रत्येक के लिए खुला होगा तथा रोजी-रोटी कमाने के लिए रोजगार सहज सभाव्य होगा। इस प्रकार वर्तमान भारत में छोटा-परिवार राष्ट्र-चिन्तन की धर्त है, देशभक्ति का तमगा है। कारण, छोटा-परिवार राष्ट्र की समस्याओं को बढ़ाएगा नहीं, उलटा राष्ट्रीय विकास में सहायक सिद्ध होगा।

वैज्ञानिक और कम्प्यूटराइज्ड युग में भी मानव-शक्ति की नितान्त आवश्यकता है; उसका अपना महत्त्व है। जीवन की समस्याएँ आज इतनी असीम और बहुमुखी हो गई हैं कि छोटा-परिवार उन्हें पूरा नहीं कर पाता। प्रातः-सायं दूध की लाइन, सब्जी-फल की खरीद, चूल्हा-चौका, कपड़े धोना, इस्त्री करना, घर की सफाई, दैनिक जरूरत की चीजों की मार्केटिंग, टैक्सों-बिलों के भुगतान के अतिरिक्त स्कूल-कॉलेजों की पढाई और दफ्तर। ऊपर से रिश्तेदारी तथा मित्र-गण में आना-जाना और शादी तथा त्योहार निवटाना। कहाँ है सम्भव? फिर कुछ काम ऐसे हैं, जहाँ बड़े-परिवार का महत्त्व है। खेती-बाड़ी और व्यापार-उद्योग में छोटा-परिवार का सिद्धान्त अनुपयुक्त है, प्रगति का अवरोधक है।

दूसरी ओर एक लड़का, एक लड़की के परिवार में माता-पिता का मन चिन्ता-ग्रस्त हो जाता है। उसे बालकों की सुरक्षा की चिन्ता सदा सताती रहती है। यदि कहीं दोनों लड़के हों या दोनों लड़कियाँ, तो माता-पिता का मन लड़की या लड़के की चाहना में तड़पता रहता है। पुत्र-पुत्री, दोनों का होना धार्मिक तथा पारिवारिक परम्पराओं के निर्वाह की अनिवार्य शर्त समझी जाती है। बहन न होगी, तो रक्षाबंधन पर राखी कौन बाँधेगा? भैयादूज पर टीका कौन करेगा? भाई नहीं होगा, तो बहन राखी किसको बाँधेगी? भैयादूज का टीका किसको करेगी?

छोटे-परिवार से दो महान हानियाँ देश को संकट-भँवर में फँसा देंगी—(१) देश को सैनिक और पुलिस-मैन मिलते हैं ग्राम-समाज से। ग्राम का युवक जान से प्यारी खेती को छोड़कर सेना या पुलिस में जाएगा, तो देश की उपज कम होगी, और खेती करेगा, तो सैन्यबल प्रभावित होगा।

दूसरी ओर, 'छोटा-परिवार' का घोर और आचरण केवल हिन्दुओं के लिए है। अल्पसंख्यक धर्मावलम्बियों (मुसलमान और इसाई) पर यह लागू नहीं होता। परिणामतः हर वर्ष देश में अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है और हिन्दुओं की घट रही है। कहीं २१वीं सदी के प्रवेश तक अल्पसंख्यक संख्या में इतने न बढ़ जाएँ कि एक और पाकिस्तान की माँग पैदा हो जाए।

सृष्टि सुख-दुःख का समन्वित रूप है। लाभ और हानि, हर्ष और रोदन, शांति और कलह सदा साथ-साथ चलते हैं। इसलिए देवों के साथ राशियों का अस्तित्व है, तो फूल के साथ काँटे भी हैं। छोटा-परिवार जहाँ जीवन में सुख-समृद्धि की कुंजी है, राष्ट्रीयता की पहचान है, वहाँ जीवन के गोरख-धंधों में उलझने का अभिशाप भी है, और है मानसिक तनाव का कारण।

स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता नहीं है

(दिल्ली १९८८)

स्वतन्त्रता का अर्थ इच्छा, मीज या रुचि के अनुसार अथवा मनक में आकर काम करना नहीं; स्वतन्त्रता का अर्थ किसी प्रकार के अंकुश, नियंत्रण या मर्यादा का ध्यान न रखते हुए मनमाने ढंग से आचरण या व्यवहार करना भी नहीं, स्वतन्त्रता का मतलब नैतिक और सामाजिक दृष्टि से अनुचित तथा निन्दनीय आचरण या व्यवहार करना भी नहीं, छ्रष्ट-आचरण भी स्वतन्त्रता नहीं; बिना किसी अड़-चन या बाधा के जहाँ चाहें, वहाँ विचरण करते फिरना भी स्वतन्त्रता नहीं।

स्वतन्त्रता मुख्यतः प्रशामनिक और गामाजिक क्षेत्रों का शब्द है। इसमें परकीय तन्त्र या शामन से मुक्त या रहित होने का भाव प्रधान है। इसके विपरीत स्वच्छन्दता मुख्यतः आचारिक और व्यावहारिक क्षेत्रों का शब्द है और इसमें शिष्ट-सम्मत नियमों और विधि-विधानों के बंधवों के प्रति अवज्ञा का भाव प्रधान रहता है।

स्वतन्त्रता का सीमातिक्रमण स्वच्छन्दता है, आजादी का दुरुपयोग स्वच्छन्दता है। स्वतन्त्रता के 'स्व' पर 'तन्त्र' की शिथिलता स्वच्छन्दता है; नियम-उपनियमों की अवहेलना स्वच्छन्दता है; अहं का विस्फोट स्वच्छन्दता है।

स्वयं अपने प्रति उत्तरदायी होने का संकल्प स्वतन्त्रता है। ज्ञान-दीप से मनुष्य का अन्तर्मम प्रकाशित हो जाना आत्मिक स्वतन्त्रता है। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शामन स्वतन्त्रता है। समूह में चरित्र-विकास का अवसर सतत प्राप्त होना सामाजिक स्वतन्त्रता है। अर्थ के उपाजन और उपभोग की आजादी आर्थिक स्वतन्त्रता है।

व्यक्ति जब स्वतन्त्रता के साथ स्वच्छन्दता का उपभोग अरे, तो वह प्रमादी बन जाता है, नारी स्वच्छन्दचारिणी बन जाए, तो वेश्या कहलाती है। मर्माज स्वच्छन्द हो जाए, तो उसमें गुंडा-गर्दी का वचस्व होता है। स्वच्छन्द राइट तो अपनी स्वतन्त्रता छोकर परतन्त्रता ओढ़ता है। आर्थिक स्वच्छन्दता ऐय्याशी है; ऐय्याशी अंधी होती है और मनुष्य को बिगाड़ देती है।

रावण ने सीता-हरण कर स्वच्छन्दता प्रकटकी, तो स्वर्णमयी सत्ता का विनाश हुआ। कौरवों ने द्रौपदी के चीरहरण का स्वच्छन्द कृत्य किया, तो महाभारत हुआ। मनु ने इडा से स्वच्छन्द आचरण करना चाहा, तो मनु आहत हुए। इन्द्रिया गांधी ने सत्ता में स्वच्छन्दता का भोग किया, तो न केवल वे, बल्कि उनकी पार्टी भी सत्ता-सुख से वंचित हो गई।

१५ अगस्त, १९४७ से पूर्व देश परतंत्र था। राजनीतिक परतंत्रता के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक और धार्मिक कृत्य विदेशियों के शासन में कैद थे। अंग्रेजों की इच्छा के बिना यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। भारत स्वतंत्र हुआ स्वतंत्रता का पहला वरदान(?) मिला धार्मिक स्वच्छन्दता। मुसलमान हिन्दुओं को गाजर-मूली की तरह काट रहा था, तो प्रतिक्रियाम्बु रूप हिन्दू मुसलमानों को मार रहा था। लाखों हिन्दू-मुसलमान इस धार्मिक स्वच्छन्दता पर बलि चढ़ गए।

देश ने घोर तपस्या करके आजादी ली थी। आजादी मिली, तो तपस्या विलाम में बदल गई। सत्ता के नशे ने हर कांग्रेसी के मन में स्वच्छन्दता जाग्रत की। देश को लूटने-चूसने की होड़ लग गई। सत्ता-भोग का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। शरित्र का घोर पतन हुआ। मान-मर्यादाएँ धूल में मिल गईं। नव श्रेणी-वर्ग उत्पन्न हुआ, जिसका उद्देश्य ही स्वतंत्रता को स्वच्छन्दता में भोगना था। फलतः देश भ्रष्टाचार में डूबने लगा। हर व्यक्ति बिकाऊ हो गया। अन्तर केवल व्यक्ति के मूल्य का था, स्तर का था।

देश में सामाजिक स्वच्छन्दता ने भी अपने पैर फैलाए। समाज स्वच्छन्दता की ओर बढ़ा, तो सर्वत्र गुंडा-गर्दी का साम्राज्य स्थापित हुआ। नर-नारी की स्वतंत्रता स्वच्छन्द समाज-द्रोही तत्त्वों के हाथों गिरवी हो गई। दुबल-वर्ग में मारपीट, नारी में बलात्कार और बच्चों को उठा ले जाना उनकी स्वच्छन्दता के प्रतीक हैं। दूसरी ओर समाज में दहेज के दानव ने पुरुष की स्वतंत्रता को स्वच्छन्दता में बदला और नारी-स्वतंत्रता घोर परतंत्रता में परिवर्तित हुई। परिणामतः यह पुण्य-स्वच्छन्दता के सम्मुख पैर की जूती बनी; मार-पीट, गाली-गलौज, अमान, भ्रूष और उपेक्षा की पीड़ा में उमकी अग्नि-परीक्षा होने लगी।

गंसद और विधान-गभाओ में पार्टी-बहुमत ने सत्ता को स्वच्छन्दता प्रदान कर दी। पार्श्विक बहुमत के आगे विपक्ष बीना बन गया। श्रीमती इन्द्रिया गांधी का १६ भाग का आपातकाल अर्थात् 'गुलामी' सत्ता की स्वच्छन्दता का ही तो

खुदा उपभोग था। 'इन्दिरा इज इन्डिया' का उद्घोष स्वच्छन्द अहम् की पराकाष्ठा ही तो थी।

राजनीतिक स्वच्छन्दता का मग्न रूप देखना हो तो राजीव-शासन को देखिए, जहाँ लॉ ऐन्ड आर्डर गुंडों और अराजकतावादी तत्त्वों का पानी भरता है। अराजकता की स्वतंत्रता ने उग्रवादी स्वच्छन्दता का बाना पहन लिया है। पंजाब, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र उग्रवाद से मानव-जीवन को मूल्यहीन बना रहे हैं, तो काश्मीर पाकिस्तान-समर्थकों का गढ़ बन चुका है। दूसरी ओर, विदेशी पूंजी की स्वतंत्रता ने भारत के उद्योगों को स्वायत्तता से स्वच्छन्द कर भारत-भू पर जन्म लेने वाले हर नवजात शिशु को विदेशों का ऋणी बना दिया है। और इस प्रकार भारत-वामी आर्थिक दृष्टि में विदेशों का गुलाम बनता जा रहा है, स्वतंत्र सत्ता की स्वच्छन्दता का यह अभिशाप है।

स्वतंत्रता में जिम राष्ट्र के मानव या समाज ने स्वच्छन्दता से गुरेज किया, वह ऊपर उठना चला गया। जापान और इजराइल का उदाहरण सामने है। इजराइल के सैन्य-बल और जापान के औद्योगिक साम्राज्य ने विश्व को चकाचौंध कर दिया है। मुस्लिम समाज और धर्म में स्वतंत्रता को स्थान है, स्वच्छन्दता को नहीं। किमी पीग-पैगम्बर पर उँगली तो उठाकर देखिए, पवित्र कुरान के विरुद्ध कुछ लिखकर देखिए, उसकी किननी कीमत चुकानी पड़ेगी विरोधी समाज को। इसलिए मुस्लिम धर्म विश्व का दूसरा धर्म बन गया है। तीसरी ओर, पाश्चात्य राष्ट्रों का नागरिक अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता का भोग करता है पर नियमानुसार। वह स्वच्छन्दता को राष्ट्र का शत्रु समझता है, इसलिए वह चरित्रवान है, राष्ट्रीय उन्नति-प्रगति का स्तम्भ है।

स्वतंत्रता का अर्थ स्व पर तंत्र रखकर जीवन में विकाम करना है, न कि स्व को तंत्र के बंधन में मुक्त रखकर जीना। स्वतंत्रता परमात्मा की देन है, तो मत्, और चिन् और आनन्द का स्रोत है। इसका उपयोग प्राणि-मात्र का अधिकार है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि उस स्रोत को अवरुद्ध कर दें या भ्रष्ट आचरण से मलिन कर दें।

स्वतंत्रता की अति स्वच्छन्दता है। अति की वर्जना में ही मानव-जीवन का मंगल है। अतः स्वतंत्रता को स्वच्छन्दता समझना विवेक का विनाश है; स्वतंत्रता रूपी मुखद यौवन को त्यागकर स्वच्छन्दता रूपी मृत्यु के प्रति आकृष्ट होना है। ●

आदर्श पड़ोसी

आदर्श पड़ोसी पारिवारिक सुख-शांति का प्रदाता है। दुःख, कष्ट और श्लेश को कम करने अथवा समाप्त करने का माथी है। उत्सव तथा मंगल-आयोजनों पर पारिवारिक सदस्यों में बढ़कर है। घर की देख-रेख करने वाला है, परिवार का संरक्षक है। सामाजिक चेतना का जीवन्त प्रमाण है। राजद्वारे श्मशाने 'घ' माप निभाने वाला मित्र है।

जिमका घर हमारे पड़ोस में हो, यह पड़ोसी है। प्रतिवासी, प्रतिवेशी, इन्-साया इनके पर्याय हैं। पञ्जाबी में एक कहावत है—'सम्बन्धी दूर, पड़ोसी नडे।' यह उक्ति अति-प्रतिशत सत्य है। घर में कोई चोर घुस गया है, असामाजिक व्यक्ति अपमान कर रहा है, अकस्मात् हाट-भटक जैसी भयंकर बीमारी में आक्रमण कर दिया है, उस समय पड़ोसी ही काम आएंगे। वे ही तन-मन और धन से सेवा करेंगे। इमीलिए वाइविल ने चेतावनी दी है—'अपने पड़ोसी के विरुद्ध कभी झूठी गवाही न दो।' हीरेम का कहना है कि, 'जब तुम्हारे पड़ोसी के घर में आग लगी हो, तो अपनी सम्पत्ति भी खतरे में नमसो।' सच्चाई तो यह है कि पड़ोसी में प्रेम करने वाला विपत्ति में भी सुखी रहता है, जबकि पड़ोसी से दूर ठानने वाला सम्पत्ति में भी दुःखी होता है।

आदर्श पड़ोसी अपने पड़ोसी की कभी चुगली नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा। वाइविल के उपदेश को मानते हुए उसके विरुद्ध कभी झूठी गवाही नहीं देगा। कारण, चुगली, बुराई, झूठी गवाही कलह की जड़ है, अकारण शत्रुता का उद्गम है।

आदर्श पड़ोसी सुख-शांति का प्रदाता है। उसमें पड़ोसी को सुख-शांति में रहने देने की भावना होती है। छोटी-छोटी बातों के मन-मुटाव से बह दूर रहता है। बच्चों के झगड़ों को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाता। औरतों की चण-चण को विष नहीं बनने देता। बहकावे में आकर पड़ोसी को ताना नहीं मारता, कटु शब्द नहीं कहता।

चार-पाँच पड़ोसी मिलकर प्रातः सैर को जाते हैं। सैर करते हैं, सेहत बनाते हैं और परस्पर हास्य-व्यंग्य के कव्वारे भी छोड़ते हैं। इस हँसी-ठठ्ठे में मन की मेल घुस जाती है। पड़ोसियों के बच्चे इकट्ठे खेलते हैं। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक के एक। दोपहर में पड़ोसिने इकट्ठी होती है। एक-दूसरे की निन्दा-स्तुति उनका धर्म है, पर वह होती ऊपरी है। मन का कालुष्य, घृणा या द्वेष उसमें नहीं होता।

व्यावहारिक सत्य है कि पड़ोसी से प्रेम करने वाला विपत्ति में भी सुखी रहता है, जबकि पड़ोसी में वैर ठानने वाला समृद्धि में भी दुःखी होता है। इसलिए आदर्श पड़ोसी दुःख, दर्द, कष्ट-क्लेश में भी साथी बनने में कभी नहीं हिचकता। वह तन, मन तथा धन से पड़ोसी की सेवा करने में कभी नहीं झिझकता। पीड़ा हरने, कष्ट दूर करने तथा दुःख-विपत्ति-निवारण में सामर्थ्यानुसार सदा तत्पर रहता है। आदर्श पड़ोसी सदा ध्यान रखता है अपने रेडियो, टेलीवीजन के स्वर को मंद रखने का, ताकि पड़ोसी डिस्टर्ब न हों। मांगी वस्तु लौटाने का भी ध्यान रखता है। वह हमारे दूरभाष को भी अनावश्यक कष्ट नहीं देता और न ही हमारा समय गंवाने के लिए-गपशप करने आता है। बच्चों का झगड़ा पहले तो होता ही नहीं, यदि हाँ भी जाय अच्छे पड़ोसी अपने बच्चों की गलती पर उनका पक्ष नहीं लेते। सड़ाई को टालने का प्रयास करते हैं।

हमारे पड़ोसी को ब्रह्ममूहर्त में अचानक हाटें-अटक हो गया। पड़ोस के डॉ० गुप्ता को बुलाया गया। मरीज की सीरियस कण्डोशन देखी, तो डॉक्टर साहब अपनी कार में उसे अस्पताल ले गए। अपने प्रभाव से डॉक्टरों द्वारा तुरन्त उपचार की तय्यारी करवाई, पर दुर्भाग्य से मरीज की जीवन-लीला समाप्त हो गई। डॉ० साहब ने शव को अपनी कार में रखा और घर वापिस। डॉ० गुप्ता ने यह सारा कार्य एक पड़ोसी के नाते ही किया था। अच्छे पड़ोसी की यही पहचान है।

उत्सव और मंगल-आयोजन परिवार का जीवन हैं। हर सौभाग्यशाली परिवार में ये शुभ दिन आते हैं। सुख और दुःख को व्यक्ति अकेला नहीं झेल सकता। साथी चाहिए। पड़ोस से बढ़कर कौन अच्छा साथी होगा। पुत्र-पुत्री का विवाह है, बच्चों के मुण्डन हैं, पुत्र जन्मोत्सव है, पड़ोसी हाथ बँटाते हैं। वे उसे अपना ही कार्य समझते हैं।

पड़ोसी पड़ोस का चौकीदार तो है ही, उसका संरक्षक भी है। अवांछित

व्यक्ति को घर में घुसते देख लेगा, तो उस पर निगाह रखेगा, यदि वह कोई गडबड करेगा तो उसका प्रतिकार करेगा। उसके बच्चे, उसकी स्त्री या परिवारजन गलती करेगे, तो उन्हें समझाएगा, अपनत्व में डाँटेगा भी।

पडोसिन ने देखा भरी दोपहर शर्मा जो के घर चार अपरिचित व्यक्ति घुस रहे हैं। दिल धक् से बैठ गया। दो क्षण बाद देखा उनका दरवाजा अन्दर से बन्द कर दिया गया। उसने साहस में काम लिया। गली में शोर मचा दिया। ओरतें इकट्ठी हो गईं। उन असामाजिक व्यक्तियों का साहस छूट गया शोर गुनकर दूसरे दरवाजे से भाग गए।

वस्तुत आदर्श पडोसी सामाजिक चेतना का जीवन्त प्रमाण है। चाहे राजद्वार की प्रमन्नता हो या इमशान का शोकाकुल वातावरण, वह साथ है—यथाशक्ति पडोसी के कर्त्तव्य को आदर्श रूप में निभाने के लिए।



भाग्य और पुरुषार्थ

अदृश्य की 'लिपि' भाग्य है और लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना ही 'पुरुषार्थ' है। भाग्य शरीर है, पुरुषार्थ शरीर में अन्तर्निहित शक्तितत्त्व है जो भाग्य को प्रत्यक्ष करता है। शेक्सपीयर के शब्दों में 'भाग्य वेश्या है' तो अथर्ववेद घोषणा करता है, 'पुरुषार्थ मेरे दायें हाथ में है और सफलता मेरे बायें हाथ में है।'

'अजगर करे न चाकरो, पछी करे न काम'—इस सिद्धांत की मानने वाले भाग्य को बलवान मानकर पुरुषार्थ को निरर्थक मानते हैं। वे कार्य में असफलता मिलने पर भाग्य को ही दोष देते हैं। उनका सिद्धांत वाक्य है, 'भाग्यहीन खेती करे, बँल मरे या सूखा पड़े।'

भर्तृहरि कहते हैं, कि "करील वृक्ष में यदि पत्ते नहीं हैं तो वसन्त का क्या दोष ? उल्लू यदि दिन में नहीं देख पाता, तो सूर्य का क्या दोष ? स्वाति नक्षत्र में वर्षा का जल यदि पपीहा के मुख में नहीं पड़ता, तो मेघ का क्या दोष ? विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है, उसे कौन मिटा सकता है ?"

भगवान शंकर की पत्नी पार्वती अन्नपूर्णा हैं, जो तीनों लोकों को अन्नदान कर सबका पालन करती हैं, फिर भी शंकर हाथ में कपाल लिए भिक्षा मागते फिरते हैं, यह भाग्य की ही तो विडम्बना है।

महाकवि तुलसी ने 'हंसि बोले रघुवंश कुमार । विधि का लिखा की मेटन-हारा' कहकर भाग्य को बलवान माना है।

भाग्यवादी 'भाग्यं फलति सर्वत्र, न हि विद्या न च पौरुषम्' का उद्धोष करते हुए प्रमाण रूप में समुद्रमंथन का दृष्टान्त देते हैं; जिसमें विष्णु को लक्ष्मी और शंकर को विष प्राप्त हुआ था। उनका यह भी तर्क है कि एक ही क्षेत्र में समान परिश्रम करने पर भी दो व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न फल क्यों प्राप्त होता है? एक भाग्य की अनुकूलता से लखपति बन जाता है, जबकि दूसरा दुःख-सागर में डूबा

रहता है। अतः जीवन की सफलता असफलता भाग्य पर ही निर्भर करती है।

भाग्यवादी तो मानव की शक्ति को धुनीती देते हुए यह भी कहते हैं कि 'स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानते, मानव क्या जानेगा?' इसीलिए करम (भाग्य) की गति टाले नहीं टसती। सत्यवादी हरिश्चंद्र को शमशान में दाह-सस्कार करवाने का श्रम करना पड़ा; मर्यादा पुरुषोत्तम राम को १४ वर्ष बनवास भोगना पड़ा; पाण्डवों को बनवास और अज्ञातवास की वेदना सहनी पड़ी। १९७७ में परम शक्ति सम्पन्न इन्दिरा जी को पराजय का मुख देखना पडा।

इसके विपरीत पुरुषार्थ के समर्थकों का दृष्टिकोण कुछ और ही है। उनका कहना है कि 'अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम' को उद्धृत करते समय भाग्यवादी यह भूल जाते हैं कि 'नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः', अजगर यदि शिकार को पकड़ने का उद्यम न करे और पक्षी गगन में घूमकर अपना आहार तलाश न करे तो भूखे मर जाए।

पुरुषार्थ का अर्थ है निरन्तर साहस और लगन से कार्य करने में कटिबद्ध रहना। पुरुषार्थ से ही मनुष्य ने पृथ्वी को पृथु की भाँति डुह डाला है, जिससे मानव ने पृथु की भाँति न केवल शस्य ही प्राप्त किया, अपितु तैल, कोयला, लौहा, टीन, एलमोनियम आदि धातुओं को भी प्राप्त किया है, जो शक्ति के महान् स्रोत हैं। सागर की छाती पर चक्कर लगाने वाले जलयान तथा आकाश में उड़ने वाले विमान पुरुषार्थ के बल के प्रतीक हैं। चंद्रलोक, शुक्रलोक और मंगललोक की खोज पुरुषार्थ का जीता-जागता पुरस्कार है। विज्ञान द्वारा प्रदत्त सुख, सम्पन्नता ऐश्वर्य मानवीय पुरुषार्थ का पुरस्कार ही तो है।

प्रभु राम पुरुषार्थ के बल पर रामेश्वरम् के समीप समुद्र पर पुल निर्माण कर सके। पुरुषार्थ के बल पर राजा मानसिंह ने उफनती नदी को पार कर लिया। नेपोलियन ने ऐल्प्स पर्वत को लाघ लिया। छत्रपति शिवाजी मुगल शाह-शाह औरंगजेब की कैद से भाग निकले। पुरुषार्थ के बल पर भारतीय जनता ने आपात्काल के सुष्टाओं की जीवन-भर याद रखने वाला पाठ पढ़ाया।

स्वामी शंकराचार्य पुरुषार्थहीन मानव को जीते जी मरा हुआ मानते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भारवि का कथन है, 'पुरुषार्थहीन पुरुष की विपत्तियाँ आक्रान्त कर लेती हैं। विपत्तियों से आक्रान्त होने पर उसकी भावी उन्नति

रुक जाती है, उसका गौरव नष्ट हो जाता है।' महाभारत की धारणा है कि 'जो पुरुषार्थ नहीं करते, वे धन, मित्र-वर्ग, ऐश्वर्य, उत्तम कुल तथा दुर्लभ लक्ष्मी का उपयोग नहीं कर सकते।' गीता का सार भी यह है, 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।' यहाँ कर्म का तात्पर्य पुरुषार्थ ही है।

पुरुषार्थ के बल पर जीव जीवन धारण करता है, जिससे संसार-चक्र चलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। महाभारत के अनुसार 'किया हुआ पुरुषार्थ ही भाग्य का अनुसरण करता है, किन्तु पुरुषार्थ न करने पर भाग्य किसी को कुछ नहीं दे पाता।' वस्तुतः पुरुषार्थ का सहारा पाकर भाग्य का बल विशेष बढ़ जाता है।

भारतीय मनीषी मानते हैं कि कर्म भी भाग्य का एक रूप है। मानव जो कर्म करता रहता है, वह कर्म का वह रूप है जिसको क्रियमाण कहा जाता है। यह संचित होता रहता है। ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार मनुष्य के कर्मों का कुछ अंश भाग्य बन जाता है। अतः महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में कहा, 'पूर्वजन्म मे किया हुआ कर्म ही भाग्य कहलाता है। इसीलिए पुरुषार्थ किए बिना भाग्य का निर्माण नहीं हो सकता।' महाकवि तुलसीदास ने इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा है—'कर्मप्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।'

संस्कृत में एक सुक्ति है, 'उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः।' सम्पत्ति और सफलता पुरुषार्थी के आँचल की वधू है। पसीने की कमाई का मूल्य पारितोषिक रूप में अवश्य मिलता है। खेत पुरुषार्थ है, भाग्य बीज है। जिस प्रकार खेत और बीज के संयोग से ही अनज पौदा होता है उसी प्रकार पुरुषार्थ और प्रारब्ध (भाग्य) के संयोग से ही जीवन सफल हो सकता है। योगवशिष्ठ चैतावनी देते हुए कहते हैं, 'बुद्धिमान् निमित्त का सम्बल लेकर पुरुषार्थ का त्याग न करें; क्योंकि नियति भी पुरुषार्थ रूप से ही नियामक होती है।'



अहिंसा

अहिंसा सत्य का प्राण है, स्वर्ग का द्वार है, जगत की माता है, आनन्द का अजस्र स्रोत है, उत्तम गति है, शाश्वत श्री है और है मानव-मात्र के लिए परम धर्म ।

शत-पथ ब्रह्मण के वचन 'तथा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह', मानस का उद्घोष 'परमधर्मं श्रुति विदित अहिंसा', योगदर्शन की उक्ति 'सर्वत्र सर्वदा सर्वभूतानाम नभिद्रोहः अहिंसा', पुराणो का सार 'पापाय परपीडनम्' वैदिक युग की मान्यता 'अहिंसा परमो धर्मः' अहिंसा के महत्त्व का समर्थन हैं ।

प्राचीन ग्रन्थों और महर्षियों के उद्घोष, 'सर्वं कल्याणेषु भूतेषु', 'आत्मवत् सर्वभूतेषु', 'सर्वं भूतेषु कल्याणेषु', 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' अहिंसा के प्रेरक हैं । इतना ही नहीं, महाभारत तो दुष्टो की हिंसा को अहिंसा मानता है, 'अहिंसाऽसाधुहिंसेति श्रेयान्धर्मं परिग्रहः ।'

अहिंसा है क्या ? संत ज्ञानेश्वर ने विस्तृत, सुस्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा, 'संसार को सुखी करने के एक मात्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया प्रत्येक शारीरिक, वाचिक, मानसिक कार्य ही अहिंसा कहलाता है ।'

प्रभु राम का असुर संहारार्थ युद्ध, योगेश्वर कृष्ण का 'विनापाय च दुष्कृतम्' महाभारत युद्ध, शिवाजी का हिन्दू रक्षार्थ मुगलों पर आक्रमण, आतिकारियों का स्वातन्त्र्य प्राप्ति के लिए सशस्त्र विद्रोह, पवित्र 'स्वर्ण मन्दिर' में सैनिक कार्यवाही, सब अहिंसा की सीमान्तर्गत है । जैन महामुनि उमा स्वाति जी के 'तत्त्वार्थ सूत्र' का प्रस्तुत सूत्र इसका समर्थन करता है । 'प्रमत्त योगात् प्राणव्यरोपणं हिंसा'— 'प्रमत्तयोग' हिंसा है । शात, सुविचारित, कल्याणार्थ हिंसा भी अहिंसा ही है ।

'प्रमत्त योग' के लक्षण देखिए—मुर्दाबाद के नारों में, सम्पत्ति को भस्म करने में, पुलिस सेना से टक्कर लेने में, बसों के अपहरण, टायर पेंचर तथा भस्म करने में, हड़ताल करने में, सूट-भार में पत्थर मार कर भवनों और मनुष्यों की आहत

करना 'प्रमत्तयोग' है। यह भस्मासुरीय आचरण स्मरणों का विनाशक है।

अहिंसा का अभाव, प्रवचन है, प्रवचन है। आततायी लोगों के अत्याचार सहन करना, प्रतिकार या प्रतिरोध न करना अहिंसा नहीं। धर्म विरोधी आचरण अहिंसा नहीं। अस्वामाजिक तत्त्वों के अत्याचार को सहना अहिंसा नहीं। भारत-विभाजन इसी प्रवचनामयी अहिंसा का दुष्परिणाम है। उग्रवाद के आगे अहिंसात्मक समर्पण अहिंसा का ढोंग ही तो है। दिनकर जी का यह कथन, 'क्षमा शोभती उम भुजंग को, जिसके पास गरल है,' सच्ची अहिंसा के लक्षण प्रस्तुत करता है। अतः अहिंसा वीरता का भूषण है, कायर के भाल का कलक।

दृष्ट्या-द्वेष से रहित, लोभ-लालच, स्वार्थ से ऊपर उठकर, सौम्य व्यवहार, मधुर तथा हितकर वचन, पर-पीड़ा हरण अहिंसा के विविध सोपान हैं। राज्य के स्थान पर वनवास मिलने पर विमाता कैंकेयी के प्रति श्रीराम का लेशमात्र भी मन में विपरीत न सोचना, द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण का दीन-दरिद्र मित्र मुदामा का सेवा-सत्कार, युधिष्ठिर के यज्ञ में कृष्ण का जूठी पत्तल उठाने का कर्म शत्रु वर्ग की नारों को भाँ कहकर, सुरक्षित लौटा देने वाले छत्रपति शिवाजी का कार्य 'अहिंसा' के जीवन्त रूप हैं।

इसके विपरीत 'पत्नी से कठोर व्यवहार करना, उससे अप्रामाणिक हो जाना, बच्चों में उपेक्षापूर्ण व्यवहार करना, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, शील आदि की चिन्ता न करना, भृत्यों (नौकरों) से तुच्छता का व्यवहार, पड़ोसी से लडाई, मित्रों से बचना, निधनों का उत्पीड़न, वृद्ध और रोगियों की सेवा न करना, अधिकार-पद का दुरुपयोग करना, किसी को झूठी आशा दिलाकर धोखा करना, ये सब हिंसा के विविध प्रकार हैं। विद्व-मुद्ध की अपेक्षा ये अधिक भयानक हैं।' (डॉ. प्र. ग. सहस्रबुद्धे : जीवन मूल्य; भाग १)

वैदिक युग की कामना 'सर्वं भवन्तु सुधिनः, सर्वं सन्तु निरामयाः' अहिंसा की सुदृढ नीति है। राम और कृष्ण-युग में 'विनाशाय च दुष्कृताम्' अहिंसा का बीजारोपण है। बौद्ध और जैन युग अहिंसा का यौवन काल था, जिसमें न केवल भारत, अपितु विदेश भी अहिंसा की दीक्षा में दीक्षित हुए। मुगलों की परतन्त्रता में संत युग का व्यापिर्भाव हुआ। सूर, तुलसी, नानक, मीरा आदि सत्तों ने अहिंसा

की ज्योति को प्रदीप्त रखा। आधुनिक युग में महात्मा गाँधी को अहिंसा का देवता माना गया। इस प्रकार भारत अहिंसा की जन्म भूमि; कर्म भूमि तथा प्रेरणा भूमि है।

गाँधी जी की अहिंसा विभिन्न रूपा थी, विरोधात्मक थी। इसमें सत्य का आग्रह था, आत्मा की आवाज थी, किन्तु देश को इस प्रयोग की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक ओर चोरा-चोरी सत्याग्रह के मामूली से अहिंसात्मक रूप में गाँधी जी ने आन्दोलन वापिस लेकर हिंसा के प्रति विरोध प्रकट किया, तो सन् १९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में कांग्रेसियों ने इतनी भयंकर हिंसा की कि बिहार का कोई स्टेशन भस्म होने से बचा नहीं, फिर भी वे मौन रहे। तीसरी ओर उन्होंने अली बन्धुओं के साथ मिलकर अफगानिस्तान को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। शायद इसीलिए गाँधी जी ने कहा, 'अहिंसा का मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है, जरा-सी गफलत हुई कि नीचे गिरा। देहधारी के लिए उसका सोलह आने पालन असम्भव है।'

अहिंसा मन में शान्ति, हृदय में उत्साह और जीवन में सफलता का पथ प्रशस्त करती है। राष्ट्र को सुखी-समृद्ध एवं विकासवान बनाती है। संसार में शान्ति, भौतिक उन्नति तथा मानवता की महानता को प्रेरित करती है। 'आत्मवत् सर्व भूतेषु' का चिन्तन जागृत कर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का स्वप्न साकार करती है एवं आनन्द के अजस्र स्रोत को प्रवहमान रखती है।



(११६) भारत में आतंकवाद

अपने प्रभुत्व से, शक्ति से, जन-मन में भय की भावना का निर्माण कर अपना उद्देश्य सिद्ध करने का सिद्धान्त आतंकवाद है। प्रत्यक्ष युद्ध के बिना जन-मन तथा सत्ता पर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भयप्रद वातावरण निर्माण करने का सिद्धान्त टैरिरीज्म है, आतंकवाद है।

भारत में आतंकवाद अपने नक्सलवादी रूप में १९६७ में शुरू हुआ था। बंगाल के उत्तरी छोर पर नक्सलवादी से शुरू हुए खूनी आंदोलन ने एक नये विचार, नई राजनीति का आरम्भ किया। गाँव के कुछ मंजोले किसानों के सिर काटकर क्रान्ति शुरू की गई। तेलंगाना में विकल कम्युनिस्ट-क्रान्ति की पीड़ा भोग रहे आंध्रप्रदेश के आदिवासी बहुल श्रीकाकुलम जिले में नक्सलवाद तेजी से फैला। बंगाल में नौजवानों की बेकारी, बिहार में जाति तथा भूमि के नाम पर कमजोरों का दमन तथा आंध्रप्रदेश के आदिवासियों के शोषण ने नक्सलवाद के लिए उर्वर भूमि दी।

१९७४ तक नक्सलवाद का इतिहास विनाश की कहानी है और है, बेगुनाह हिंसा के शिकार लोगों की अभिशप्त आत्मा की चीख-पुकार। आपातकाल की घोषणा से पूर्व तक देश के छः राज्य—आंध्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा नक्सलवादी क्षेत्र थे।

१९७५ में आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल की सीमा सम्पूर्ण भारत थी, अतः राष्ट्रव्यापी आपातकाल राष्ट्रव्यापी आतंकवाद के रूप में परिणत हुआ। १९ मास के आपातकालीन आतंक ने जन-जन से 'त्राहि माम्, त्राहि माम्' कहता कर छोड़ा। विरोधी नेता ही नहीं, परतन्त्र भारत में देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले देश-भक्त कांग्रेसी भी, जिन्होंने इन्दिरा जी की सत्ता का विरोध किया, जेल में डाल दिए गए।

१९७७ में आपातकाल समाप्त हुआ। जनता पार्टी की सरकार पदासीन हुई। देश ने सुख की सास ली है, किन्तु यह सरकार ढाई साल में ही धराशायी हो गई।

१९८० में इन्दिरा जी पुनः प्रधानमंत्री बनीं। सत्ता का मोह बड़ा विपाक्त

होता है। कांग्रेस-प्रांती में गुटबंदी थी। प्रांतीय गुटबंदी का पंजाब में भी बीजा-रोपण हुआ और कांग्रेसी गुटबंदी बीज से उत्पन्न हुए श्री भिंडरवाला। कांग्रेस की छत्रछाया और परोक्ष आशीर्ष से वे नेता बने। अपने पराक्रम और शौर्य से वे पंजाब के डिक्टेटर बने। जिसने उनके विरुद्ध आवाज उठाई, उसे पूरी तरह कुचल दिया गया। अनेक पत्रकार, पुलिस अफसर तथा सेनाधिकारी, राजनैतिक नेता उनके शिकार हुए। महाबली और महाशक्तिशाली सत्तासम्पन्न नेता और अधिकारी उनके द्वार पर जीवन की भीख मागने जाते थे।

स्वर्णमंदिर पर सैनिक बल-प्रयोग से श्री भिंडरवाला का अंत हुआ, पर पंजाब में निरीह जनता की मारकाट चल रही है। इन्दिरा जी ने क्योंकि स्वर्णमंदिर पर सैनिक बल प्रयोग किया था, इसलिए उनकी भी हत्या कर दी गई। पंजाब के आतंकवाद ने देश की सर्वोच्च बलि ली।

श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। वे समझौतावादी प्रवृत्ति के प्रवर्तक हैं। उन्होंने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए संत लोगोवाल से समझौता किया। आतंकवादियों ने संत लोगोवाल की हत्या कर अपने बचस्व का परिचय दिया। पंजाब में आतंकवाद निरन्तर निर्बाध रूप में चल रहा है। प्रतिदिन टी० वी० और आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार इसके प्रमाण हैं। इसलिए वहाँ लोकतन्त्रात्मक सरकार बन नहीं पाती। बन जाए तो वह जीवित रह नहीं पाती। केन्द्रीय सरकार आतंकवादियों के मनोबल और उनकी कमर टूटने की मृग-मरीचिका में भले ही रहे पर सच्चाई यह है कि पंजाब आतंकवाद की छाया में सांसे ले रहा है। अब तो दस आतंकवाद की ज्वाला से पड़ोसी राज्य हरियाणा भी झुलसने लगा है।

जब सत्ता स्वार्थ-द्वन्द्व से ग्रस्त हो, तो उसकी पराजित मनोवृत्ति पहचानकर आतंकवाद मिर उठाता है। सत्ता के वर्ग-विशेष के महयोग से वह चिरायु है और गर्व-गौरव में सिर उन्नत कर चलता है। आज भारत के अधिकांश प्रांत सत्ता-दुर्बलता की हीनता के कारण आतंकवाद के नखरे झेल रहे हैं। त्रिपुरा में टी० एन० वी० (त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स) बिहार और आंध्र में नक्सलवादी तथा मार्फिया गिरोह, पश्चिमी बंगाल में जी० एन० एल० एफ० (गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा), आसाम में बोडो आन्दोलन आतंकवाद के प्रांतीय रूप हैं। 'पीपुल्स वार' नामक आतंकवादी संगठन बंगाल तथा बिहार के भूमिहीन देहातियों में

'एन० सी० सी०' के नाम पर तथा आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में 'पी० वार' के नाम से आदिवासियों में सत्रिय है।

भारत में आतंकवाद के विप-बीज विविध रूपों में पुष्पित पल्लवित हैं। इनकी दुर्गंध से आम जनता भयभीत है, कर कुछ नहीं सकती। सत्ता राजनैतिक स्वार्थ में अंधी है। दलगत राजनीति से दबी है। अतः हवा में तलवार घुमाती है। वह आतंकवाद के विरुद्ध आक्रामक रख अपना नहीं पाती। सुरक्षात्मक उपायों (Defensive side) की बालू-रेत की दीवार पर आतंकवाद को पराजित करने के स्वप्न देखती है।

'डिफेंसिव साईड' (Defensive side) अपनाना सेना की पराजय का प्रतीक माना जाता है। आज भारत-सरकार आतंक के हमले से डरकर 'सुरक्षा-त्मक स्थिति' ढूँढ रही है। नेताओं के साथ बाँडीगाड़ देना, सरकारी भवनों पर आतंक-प्रबन्ध सुदृढ़ करना, स्थान-स्थान पर रेत की बोरियाँ इकट्ठी करके युद्ध-प्रस्ताव देना, बसों में सुरक्षात्मक उपाय ढूँढना, जनता को बमों से बचने के उपाय दिखाना, सब 'डिफेंसिव मैथड' हैं। निहत्थे, निरीह नागरिकों की हत्या पर निन्दा प्रस्ताव पास करना, स्वयं प्रहारियों के मध्य सुरक्षित रहकर उनके आक्रमण को कायरतापूर्ण हमला कहना, संसद की सुदृढ़ प्राचीन के अन्दर तीव्रतम वाक्-बमों से हमले करना सत्ता की नपुंसकता को प्रकट करते हैं। पाकिस्तान-भारत सीमा को सुरक्षा-पट्टी घोषित कर सेना के हवाले करना, पंजाब में सत्ता सेना को सौंपना, आतंक-गढ़ पर प्रहार करना ऑफेंसिव मैथड (Offensive Method) हैं। जिन्हें केन्द्रीय सत्ता प्रयुक्त नहीं करना चाहती।

आतंकवाद सत्ता के लिए खुली चुनौती है, साँ एण्ड आर्डर की शव-रूप में परिणति है। निरीह नागरिक के जीवन जीने के अधिकार का अपहरण है। धन-सम्पत्ति की अमरुक्षा की घंटी है। दमघोटू वातावरण में जीवन की विवशता है। लोकतन्त्र के मुँह पर चाँटा है। राष्ट्र को अस्थिर कर उसे परतन्त्र करने का दुश्चक्र है।

इस राष्ट्रघाती बाद को सत्ता के आतंक से दबाना होगा। मनोबल से इसके विरुद्ध आक्रामक रख अपनाना होगा। स्वार्थी, कूटनीति और आतंकवादियों के परीक्षे पक्षधर राजनीतियों को सबक सिखाना होगा। मैन्य-बल से आतंकवाद का मिर बुचलना होगा। तभी विजयश्री हमारे चरण चूमेंगी, तभी भारतीय जनता सुख और चैन की साँस लेगी; राष्ट्र फले-फूलेगा।

(११७) राष्ट्रीय-एकता

राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की सुख-शान्ति और समृद्धि की धोतक है, राष्ट्र की प्रगति का चिह्न है, राष्ट्र के विकास का सोपान है; राष्ट्रीय समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलभाने का साधन है, राष्ट्र पर आर्द्र विपदाओं का सामना करने के लिए लोह-प्राचीर है ।

राष्ट्रीय-एकता का मूलाधार है, राष्ट्रीयता, मातृभूमि के प्रति सच्चा प्रेम । राष्ट्रीयता राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करती है, देश को खंड-खंड होने से बचाती है । राष्ट्र का आह्वान जीवन की चुनौती है । सम्पूर्ण मोह-बन्धन छोड़कर धर्म, आति, सम्प्रदाय, पार्टी या दल का हित त्यागकर, राष्ट्र-प्रेम की पावन गंगा में अपने को निमग्न कर देना राष्ट्रीय एकता है ।

राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है—राष्ट्र को मातृभूमि के रूप में देखने की, उसके प्रति आस्था और श्रद्धा रखने की । दुर्भाग्य से भारत का देश-भक्त राजनीतिज्ञ भी क्षेत्रीयता से ऊपर नहीं उठ पा रहा । महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पंजाब जाकर राष्ट्रीय-एकता का उपदेश देकर आता है, किन्तु स्वयं कर्नाटक से कुछ भू-भाग को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार है । यही हाल पंजाब का है । भाखड़ा के निर्माण में हिमाचल का बहुत बड़ा भू-भाग पानी में डूबा । उसका लाभ हिमाचल के अतिरिक्त हरियाणा और राजस्थान को भी मिलना चाहिए था । पंजाब का राजभक्त राजनीतिज्ञ इतनी उदारता नहीं दिखा पाता कि भारतमाता के शरीर के हिस्से हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान से मिल बैठकर नदी-जल का बंटवारा कर लें । यही नदी-जल-समस्या दक्षिण के तीन राज्यों के बीच वर्षों से चल रही है और सैकड़ों बेगुनाह जानें इस पर न्यूछावर हो चुकी हैं । इस पर क्षेत्रीयता की भावना राष्ट्रीय एकता में बाधक है । अलगाववाद की जननी है ।

राष्ट्रीय एकता की दूसरी आवश्यकता है—धर्म-निरपेक्ष दृष्टि । भारत से हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई—ये चार धर्म प्रमुख रूप से हैं । जहाँ तक धार्मिक दृष्टि से पूजा-अर्चना और प्रभु-भक्ति में विश्वास की बात है, उससे

राष्ट्रीय एकता को कोई क्षति नहीं पहुँचती। राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुँचती है राजनीति से। राजनीति में आकर धर्म और धर्मावलम्बी अल्पसंख्यक और बहु-संख्यक में बँट जाते हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र की दृष्टि से हिन्दू बहुसंख्यक हैं और मुसलमान, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक। यदि प्रांतानुसार देखे तो मुसलमान जम्मू-कश्मीर राज्य में, सिख पंजाब प्रांत में तथा ईसाई नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल और मिजोरम में बहुसंख्या में है, 'यहाँ हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। राजनीतिक दृष्टि से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का बँटवारा राष्ट्रीय एकता का विरोधी है।

अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण हुआ। वह अल्पसंख्यकों की शिकायतों के निराकरण और उनकी समृद्धि के लिए बनाया गया है, किन्तु इस आयोग ने जिन प्रांतों में हिन्दू अल्पमत में हैं, उनकी सुनाई नहीं की। दूसरी ओर, अल्पसंख्यकों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री का १५ सूत्री कार्यक्रम भी प्रात विशेष के हिन्दू अल्पसंख्यकों को लाभ नहीं पहुँचाता।

हमारा संविधान स्वयं धर्म-निरपेक्षता को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बाँटता है। कोडविल हिन्दुओं तक सीमित है, मुसलमानों पर लागू नहीं होता। नारी-संरक्षण कानून भी अलग-अलग हैं—हिन्दू नारी के लिए अलग और मुस्लिम नारी के लिए अलग।

अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षण-संस्थाओं के प्रबन्ध में राजकीय हस्तक्षेप नगण्य है, जबकि बहुसंख्यकों की शिक्षण-संस्थाओं में सरकार का शत-प्रतिशत हस्तक्षेप है। जहाँ कानून ही धर्म-विशेष पर आधारित हो, वहाँ राष्ट्रीय-एकता को कार्यान्विति कल्पना मात्र है।

राजनीति ने हिन्दुओं को दो खंडों में बाँट दिया—एक मवर्ण और दूसरा हरिजन। हरिजन-उद्धार राष्ट्रहित में हैं, यह निर्विवाद है, पर राजनीतिक लाभ के लालच ने राष्ट्रीय-एकता में नागरिक-नागरिक में विभेद खड़ा कर दिया।

राज्य-कार्य-संचालन में नियुक्ति और पदोन्नति योग्यता के आधार पर न करके उसे कुछ विशिष्ट जातियों का जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया गया है। निर्वाचन के क्षेत्र में विभेद है। विशिष्ट क्षेत्रों की सीटें विशिष्ट वर्गों के लिए सुरक्षित हैं।

'अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार प्राप्त होने से समय-समय पर और स्थान-स्थान पर धर्म-निरपेक्ष भारत में हिन्दुओं को ऐसा भेदभाव व पक्षपात सहन करना पड़ता है, जिससे उसके मन में यह शोभ पैदा होता है कि 'क्या हिन्दुस्तान

में हिन्दू होना अपराध है'—डॉ० विजयकुमार मलहोत्रा । कर्नाटक के भू० पू० राज्यपाल श्री गोविन्द नारायण अल्पसंख्यकों के अत्यधिक तुष्टिकरण पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहते हैं, 'इस नीति के कारण बहुसंख्यक हिन्दुओं में धोम और कुपठा पैदा हो रही है, जो राष्ट्रीय-एकता के मार्ग में घतरनाक संकेत है !'

राजनीतिक दृष्टि से भारत में मजहबी अल्पसंख्यकों की समस्या विभाजन और अलगाववादी प्रवृत्ति के अनेक रूपों में से एक है । 'अल्प-संख्यकवाद एक ऐसी विक्षिप्त अवधारणा है, जो हमें अंधी गली में ले जाकर छोड़ देती है । यह अवधारणा स्वयं अल्पसंख्यकों के लिए एक विशाल एवं सम्पन्न राष्ट्र तक पहुँचने के मार्ग वन्द कर देती है ।'

राष्ट्रीय-एकता की बहुत बड़ी पहचान है—राष्ट्रभाषा । सम्पूर्ण राष्ट्र की एक राष्ट्रीय भाषा हो, यह अनिवार्य है । भारत की राष्ट्रभाषा अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी तक विशाल राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकती है । संविधान ने हिन्दी को राजभाषा माना । भारत की राजनीति ने राष्ट्रीय-एकता के इस सूत्र को अपमानित करके छोड़ दिया । श्री मस्तराम कपूर का कहना है, 'राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हिन्दी की बात करने वालों की संकीर्णतावादी कहकर गालियाँ दी जाती हैं और दो 'ढाई प्रतिशत जनसंख्या के कैरियर वाज तंबको को जोड़ने वाली तथा उनके हित को साधने वाली अंग्रेजी को वर्कालत करने वाले राष्ट्रीय एकता के पुजारों बने गए । इससे बढ़कर राष्ट्रीय-एकता की विडम्बना क्या हो सकती है ?'

राष्ट्रीय-एकता में प्रांतों का अपना महत्त्व है । इस महत्त्व को ठेस लगती है, जब प्रात-प्रात के संवैधानिक-अधिकारों में अन्तर किया जाता है । जम्मू-कश्मीर के विशेषाधिकार उसको राष्ट्रीय-एकता-धारा में मिलने ही नहीं देते । परिणामतः वहाँ राष्ट्र-विरोधी झगड़े अपनी चरम सीमा पर है ।

राष्ट्रीय-एकता को क्षति तब पहुँचती है, जब हम सभी संस्कृतियों के समन्वय का प्रयास करते हैं । लगता है हम एक नैसर्गिक सच्चाई को झुलाने पर आमदाँ हो गए हैं । संस्कृति मानव की आस्था का प्रकाश पुंज है । उनमें समन्वय का अर्थ है सांस्कृतिक झगड़े ।

भारत में 'राष्ट्रीय-एकता' के लिए जरूरी है कि एक समान कानून तथा एक राष्ट्र भाषा लागू करें । धर्म को राजनीति की तुला पर न तोलें ।'

(११८) साम्प्रदायिकतां

साम्प्रदायिकता का अभिशाप पड़ता है, तो जंत और धन, दोनों की हानि करता है, सम्पत्ति का विध्वंस करता है, नर-नारियों की हत्या करता है, दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की लूट होती है और होलों जलाई जाती है। मानव, मानव के रक्त का प्यासा ही जाता है।

सरकार कर्पूरु लगती है। जीवन्त नगर श्मशान की शान्ति में बदल जाता है। व्यापार ठप्प हो जाता है। दैनिक जीवन के लिए अनिवार्य चीजों के अभाव में जीवन रक्षा दुष्कर हो जाती है; बीमार दवाई के अभाव में मृत्यु की घड़ियाँ गिनते हैं, तो बच्चे दूध के लिए हाहाकार मचाते हैं।

साम्प्रदायिक दंगे भारत-माता के भाल पर भयंकर कलंक हैं, राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे बड़े बाधक हैं; कानून और व्यवस्था के शत्रु हैं, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए अभिशाप हैं।

राष्ट्र के लिये व्यापक निष्ठा के मुकाबले किन्ही भी क्षुद्र संकीर्ण निष्ठाओं के जगाने को 'साम्प्रदायिकता' का नाम दिया जा सकता है। ये संकीर्ण निष्ठाएँ हैं— धर्म पर आधारित सम्प्रदायों की समस्या, जाति-उपजाति की समस्या, भाषा या प्रदेश पर आधारित गुटों की समस्या।

भारत में विभिन्न धर्मावलम्बी लोग रहते हैं—सनातन धर्मी, आर्यममाजी, ब्रह्मसमाजी, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, कबीरपंथी, दाहूपंथी, निरंकारी, सिख, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि। ये धार्मिक सम्प्रदाय न केवल एक-दूसरे से लड़ते हैं, अपितु प्रत्येक सम्प्रदाय के अन्दर भी विभिन्न वर्ग हैं, जो परस्पर टकराते हैं। मुसलमानों में शिया और सुन्नियों का, ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों का, हिन्दुओं में सवर्ण और हरिजनों का झगड़ा इतिहास-प्रसिद्ध घटनाएँ हैं।

साम्प्रदायिक अभिशाप ने क्या-क्या गुंल नहीं खिलाए। भारत-विभाजन साम्प्रदायिक अभिशाप का अमिट कलंक है। पाकिस्तान का निर्माण साम्प्रदायिक अभिशाप का वरदान है। लाखों लोगों की हत्या और स्थानान्तरण साम्प्रदायिक अभिशाप का ऐतिहासिक प्रसाद है। मोपला-विद्रोह, मुस्लिम लीग का एक्शन-डे,

स्वर्ण-मन्दिर पर सैन्य-कार्यवाही, पंजाब में तिरोह हिन्दुओं का कत्ल; दिल्ली, उत्तर प्रदेश में सामूहिक सिख-संहार, सेना में सिख-विद्रोह, गणेशनकर विद्यार्थी, स्वामी श्रद्धानन्द तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या इतिहास के पन्नों पर अशु-धारा की अभिशप्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

क्या कारण है कि भारत में साम्प्रदायिकता की अग्नि शांत होने की बजाए दावानल बनती जा रही है? वर्णानुवर्ण साम्प्रदायिक दंगों को सख्या बढ़ती जा रही है। दंगों में उग्रता, तीव्रता और भीषणता प्रचण्डतर होनी जा रही है? धर्म के प्रति कट्टरता, दुराग्रही प्रवृत्ति दृढतर होती जा रही है? सच्चाई यह है कि १९४७ में जिस साम्प्रदायिकता की अन्वेषिणी के लिए भारत-विभाजन का कड़वा घूंट पिया था, कांग्रेस के ४० वर्षीय राज्य में वह भूत बनकर देश की शांति, समृद्धि तथा स्वातन्त्र्य को भयभीत कर रहा है। विपत्तियों से राष्ट्र की भावना और आत्मा को विपाकित कर रहा है। १९८६ तक पहुँच-पहुँचते 'भारत के कम-जोर धर्म-निरपेक्ष ढाँचे पर दबाव बढ़ता रहा है। जब भी कोई इस्लामी देश छीकता है तो भारत को साम्प्रदायिक जुकाम हो जाता है।' (इण्डिया टुडे)।

भारत का शासन साम्प्रदायिक दंगों का मूल कारण है। पंजाब का आतंकवाद, राम-जन्मभूमि विवाद, मुस्लिम और ईसाई-धर्म को प्रोत्साहन, शिव सेना, वजरग दल का निर्माण कांग्रेस राजनीति के कुफल हैं। पंजाब में भिडरावाला की उपज, प्रेरणा और प्रोत्साहन का कारण कांग्रेस है। रामजन्म विवाद में न्यायालय के हिन्दू-पक्ष के निर्णय को हाई-कोर्ट में चुनौती देने की बात कांग्रेस की सरकार ने की है। चुनाव में मुस्लिम लीग से गठबन्धन कांग्रेस करती है। मिजोरम में ईसा-इयत के सबर्द्धन की बात और ईसाई धर्म का चोगा कांग्रेस पहनती है, मध्य-प्रदेश की वर्णमाला पुस्तक में से 'गणेश' को हटाकर 'गधा' पढाया जाना कांग्रेस सरकार की कृपा है। १९८८ के इलाहाबाद संसदीय चुनाव में दूरदर्शन के लोकप्रिय सीरियल रामायण के नायक श्री अरुणगोविता को श्री राम के रूप में कांग्रेस ने ही अव-तरित किया था। 'परित्यक्ता मुस्लिम नारी' के 'भ्रत्ता अधिकार' पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ससद में ले जाकर शक्तिहीन कांग्रेस ने ही किया। जब शासन धर्म का आँचल पकड़कर राजनीति करता हो तो साम्प्रदायिकता समाप्त कैसे होगी? धर्म को राजनीति से अलग कैसे किया जा सकता है?

दूसरे, सत्ता के मोह-जाल में फँसकर शासन भयभीत है। शासन का भय

राष्ट्र का विनाश करेगा। विश्व के दो प्रमुख धर्म— मुस्लिम तथा ईसाई— विश्व राजनीति में अपना वर्चस्व रखते हैं। अरब के पास तेल है। तेल के बिना विश्व पगु है। ईसाई-राष्ट्र उन्नति के चरम शिखर पर हैं। उनकी भूकुटी पर पड़ा जरा-सा बल विश्व को केंपा देता है। ऐसी स्थिति में भारत की केन्द्रीय सरकार मुसलमानों तथा ईसाइयों से डरती है, उनके विरुद्ध कोई कठोर पग उठाते हुए शिक्षकती है। भारत में साम्प्रदायिक अभिशाप का यह भी एक प्रमुख कारण है।

राजनीतिज्ञों के द्वारा साम्प्रदायिक तुष्टिकरण साम्प्रदायिकता की अग्नि में घी डालने के समान है। दोषी साम्प्रदायिक तत्त्वों को दडित न करना साम्प्रदायिकता को धुली छूट देना है। साम्प्रदायिकता का सरक्षण जनता को राष्ट्रीय-धारा में समान रूप से प्रवाहित न होने देने का पड्यन्त्र है।

अल्पसंख्यक मतावलम्बी अपने-अपने धर्मों के प्रति आस्थावान है। कट्टरता उनकी नस-नस में है, धर्म-प्रचार उनका पावन कर्म है। स्वधर्म के प्रचार और प्रसार के लिए प्रत्येक बलिदान पर सिख, मुसलमान तथा ईसाई गर्व करता है। तर्क के लिए इन धर्मों में स्थान नहीं। धर्म के नाम पर वे टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते, समझीता नहीं कर सकते।

साम्प्रदायिकता के अभिशाप से राष्ट्र की मुक्ति तभी सम्भव है, जब शासन साम्प्रदायिक दंगों में बिना किसी दबाव के पक्षपात रहित रहकर दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड दे। दूसरे, देश के कानून धर्म-विशेष पर आधारित न हों। अंसे— हिन्दू तो बहु-विवाह-निषेध के कानून से बड्ड हैं, किन्तु मुसलमान नहीं। तीसरे, भारत के नागरिक होने के नाते सबमें भारत के मातृभूमि, पितृभूमि तथा पुण्यभूमि के रूप में श्रद्धा उत्पन्न की जाए। चौथे, सब लोगों में समान रूप से भारत की पुरातन सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय धारा में एकरूप होने की ललक जागृत की जाए। पाँचवे, अल्पसंख्यकों का राजनीतिक सरक्षण बन्द कर दिया जाए।

(११६) विश्व शांति और भारत

विश्व-शान्ति सप्ताह की ममृद्धि और प्रगति की सूचक है; मानव-कल्याण के लिए निरन्तर प्रति चिन्तन और अन्वेषण का उद्गम है; विश्व के राष्ट्रों में परस्पर प्रबल सहयोग की कामना है; विकसशील देशों के अपने पाँव पर खड़े होने की सहायता की शर्त है, नए-नए शस्त्रास्त्रों की खोज और निर्माण का कारण है; औद्योगिक प्रगति और हरित क्रांति का माध्यम है।

भारत वैदिककाल से ही 'मर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयाः' (सब सुखी हों तथा सब नीरोग हो) की कामना करता आया है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' उसका मिद्धान्त-वाक्य है। अहिंसा का वह प्रचारक है। त्याग और परोपकार उसकी घुट्टी में मिले हैं। 'बहुजनहिताय' उसकी कामना है तथा 'कृण्वन्तो विश्व-मायम्' उसका लक्ष्य है।

भारत विश्व-शान्ति का प्रबल समर्थक है। विश्व के किसी भी भाग में युद्ध-रत देशों के मध्य वह सन्धि करवाने के लिए सदा तत्पर रहता है। भारत राष्ट्रों के मतभेदों को बातों से निवटाने का हिमायती है, शीत-युद्ध तथा शस्त्र-युद्ध का प्रबल विरोधी है, संहारक शस्त्रास्त्र-निर्माण के विरुद्ध, वैज्ञानिक आविष्कारों को मानव-कल्याण के लिए प्रयोग का इच्छुक है।

किन्तु विश्व-शान्ति की कामना करने वाला भारत विश्व-युद्ध को रोक नहीं सकता। विश्व-युद्ध क्या, परस्पर राष्ट्रों के युद्ध अथवा शीत-युद्ध को रोकना भी भारत की शक्ति और सामर्थ्य के बाहर है। वह शान्ति-स्थापनार्थ शोर मचा सकता है, शान्तिमिशन भेज सकता है, निरर्थक दौड़-धूप कर सकता है, किन्तु अपने साहस और शक्ति के बल पर युद्धरत राष्ट्रों को धमकी नहीं दे सकता। न ही वह युद्धरत राष्ट्रों के बीच पडकर आत्माहुति दे सकता है। भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति केनेडी ने एक बार रूम को अल्टीमेटम दिया। उस अल्टीमेटम पर रूस सिहर उठा। उसने अपनी सेनाएं गंतव्य पर पहुँचने से पूर्व ही वापिस बुला लीं। यह है शान्ति-स्थापना के लिए सामर्थ्य का प्रमाण।

शांति की जोरदार अपील से, विदेश-मन्त्री-वार्ताओं से तथा राष्ट्राध्यक्षों की

कानाफूमी से विश्व शान्ति का अपहरण रूकने वाला नहीं। विश्व-शांति रूपी भगवती सीता का महाप्रतापी अमेरीका और महाबलशाली रूस रूपी रावण जब अपहरण करेगे तो भारत जैसा विकासशील देश जटायु की तरह अपने पंख कटवाकर सहूलुहान होते हुए अपनी स्वतन्त्रता भले ही छो दे, किन्तु विश्व-शांति रूपी सीता के अपहरण को रोक नहीं सकेगा। अमेरिका द्वारा सीबिया पर हमला, इस्राइल-अरब-युद्ध, उत्तर दक्षिणी वियतनाम युद्ध, दक्षिण अफ्रीका-नाम्बिया-युद्ध, तंजानिया-युगांडा-संघर्ष, वियतनाम-कम्बुजिया-संघर्ष रूस द्वारा हंगरी और और अफगानिस्तान में घुसपैठ तथा ईरान-ईराक एवं इस्राइल-फिलिस्तीनी युद्ध में भारत की स्थिति इस कथन का प्रमाण है।

विश्व-शांति में भारत की भूमिका पिटे हुए के आँसू पोछने तथा मरणासन्न को जीवित रखने की इच्छा तक सीमित रही है। राष्ट्र-संघ के तत्त्वावधान में उसने दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मिश्र और कांगों में अपनी सेना भेजकर युद्धधिराम को सफल बनाने का प्रयास किया, तो पाकिस्तान बंगलादेश-युद्ध में भागे हुए साठो बंगालियों को अपने यहाँ शरण दी। भारत ने उन शरणार्थियों पर एक ओर ३०० करोड़ रुपया वार्षिक खर्च कर अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत नाजुक बना लिया, तो दूसरी ओर अपने देश के एक भाग आसाम में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न कर ली थी।

शांति सबल का मित्र है, तो निर्वल-दुर्बल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। भारत विश्व-शांति की भूमिका तब निभाएगा, जब वह पहले अपने पड़ोसी राष्ट्रों से निवट ले। पाकिस्तान के शस्त्र-संग्रह पर भारत गला फाड़-फाड़कर चित्ला रहा है; पर कौन सुनता है? दूसरी ओर १९४७ के आक्रमण में पाकिस्तान ने कश्मीर का ३/८ भाग दबा लिया था, जिसे भारत आज तक हस्तगत नहीं कर सका।

हमारे द्वारा पाला-पोसा गया बंगलादेश आज हमें आँखें दिवाता है। गंगागंगा के बँटवारे का प्रश्न अनेक वर्षों से निवट नहीं पा रहा था कि उसने नयमूर द्वीप का झंझट खड़ा कर दिया। उधर, वह बिहारी मुसलमानों तथा बंगाली हिन्दुओं को भारत में भगा रहा है, उनकी सम्पत्ति जब्त कर रहा है। हमारे लिए तिरदर्द पैदा कर रहा है। अखधारी कांगज सम्बन्धी लिखित समझौते पर वह मुकर सकता है।

तीसरी ओर, हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका है। जिसने हमारे 'कप्पा टीबू' को हथिया लिया। तमिलों की नृशंस हत्या की और उन्हें अपने देश से

(१२०) २१वीं सदी का भारत

“२१वीं सदी का भारत विज्ञान की नई उपलब्धियों से पूर्ण होगा; कम्प्यूटर-राइज्ड मस्तिष्क भारत और भारतवासियों की सेवा में संलग्न होगा; यहाँ विविधता में एकता-एकात्मता के दर्शन होंगे; हम गरीबी से मुक्त होंगे। दुनिया के एक बड़े औद्योगिक राष्ट्र के रूप में भारत का भाल गर्व से दमक रहा होगा।” भारत के युवा प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी अपने इस स्वप्न को सत्य में प्रकट करने के लिए कटिबद्ध हैं।

प्रधानमन्त्री के स्वप्न पर जाएँ; तो मन को प्रसन्नता होती है। जगमगाते भविष्य की कल्पना से प्रत्येक भारतीय की आत्मा गद्गद् हो उठती है, किन्तु यदि उनकी मूरत पर नहीं, सीरत पर ध्यान देते हैं, रैली पर नहीं शैली पर ध्यान देते हैं, तो लगता है कि यह भारतीय जनता के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। ‘गरीबी हटाओ’ की तरह यह भी एक सम्मोहक नारा है जिमने इन्दिरा जी को सत्ता तो समर्पित की, किन्तु गरीबी न हटी। हाँ, गरीब और अधिक गरीब जरूर हो गए।

कम्प्यूटर अर्थात् मशीनी मस्तिष्क का प्रयत्न अभिशाप होगा—‘बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी’। यह बेरोजगारी इतनी भीषण होगी (अनुमानतः ४० करोड़ बेकार) कि इनकी तुलना में मौजूदा महंगाई और तीसरे दशक (सन् १९२२ से १९३० तक) का आर्थिक संकट एक सुखद परिहास प्रतीत होगा। कारण, श्रमिकों को फालतू और बेरोजगार बनाना स्वचालित मशीनों और तकनीकी-परिचलन की निपटि ही है।

इस पर प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी बुद्धिवादी प्राथमिकता को औसत भारतवासी, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी की रेखा के इर्द-गिर्द या इसकी निचली या ऊपरी सतह को छूता हुआ घिसटकर जा रहा है, से हटाकर पराश्रित और अंधी तकनीकी वैज्ञानिक प्रगति की चकाचौंध पर केन्द्रित करना चाहते हैं।

अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों के श्रमिक अत्यधिक कम्प्यूटराइजेशन के विरुद्ध हैं। वे कम्प्यूटर के सीमित प्रयोग के पक्ष में हैं, ताकि वह मानव की होड़

में न आ सके।

बीसवीं शताब्दी की समाप्ति पर सम्पूर्ण विश्व इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि अमीर और प्रभुता-सम्पन्न लोग २००१ में प्रवेश करेंगे तथा गरीब और पिछड़े वर्ग की जनता यहीं बनी रहेगी। समय का प्रवाह बाढ़ के पानी की तरह कूड़े-कचरे सहित आगे बढ़ता है। इस वैज्ञानिक सत्य को स्वीकार करने में क्यों हिचक है कि २००१ से मात्र बारह वर्ष पूर्व (१९८९) जो भारत शिक्षा, समाज, अर्थ, आकांक्षा सभी स्तरों पर वर्गों में विभाजित है, वह केवल १२ वर्ष में ही उस भारत के सारे निवासियों को 'दून-स्कूल' वालों की प्रतियोगिता में कैसे खड़ा किया जा सकेगा ?

श्री भानुप्रताप शुक्ल इस सन्दर्भ में विश्लेषणात्मक तथ्य प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं—'भारत की नब्बे प्रतिशत आबादी केवल अभाव एवं आतंक झेलने और कोरे आश्वासनों में आनन्दित होने के लिए बाध्य है। ७० फीसदी लोगो का इलाज नहीं हो पाता, ५५ प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे है। यदि उनको साथ लिए भारत का नेतृत्व इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करेगा तो वह स्वस्थ नहीं, विकलांग भारत होगा; शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और एकता-एकात्मकता की दृष्टि से पूरी तरह विकलांग और विभक्त भारत। प्रधानमंत्री जी ने केवल ७० लाख आयकर दाताओं और २० लाख सम्पत्ति-कर देने वालों को ही भारत मान लिया हो तो बात दूसरी है।'

इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश के समय देश औद्योगिक समृद्धि की ओर अग्रसर होगा, आर्थिक दृष्टि से उन्नत होगा। पर यह सब होगा विदेशी पूंजी और टेकनीक की बसाखी पर। आज का भारत दैनिक जरूरत की चीजों से लेकर विशाल वैज्ञानिक सुविधाओं तक बहुउद्योगीय विदेशों पर निर्भर है। २००१ में प्रवेश करते समय भारत औद्योगिक क्षेत्र में पूर्णतः पराश्रित होगा, विदेशों की दया और कृपा पर निर्भर होगा। जनसत्ता के सम्पादक प्रभाय जोशी के अनुसार, 'सम्पन्नता की इक्कीसवीं सदी में पहुँचते हुए हम बौद्धिक और मानसिक गुलामी की १८वीं शताब्दी में होंगे और हमारा आत्म-सम्मान धूल चाट रहा होगा।'

१९८९ का भारत धर्म के प्रति अधिक आस्थावान है। इसलिए साम्प्रदायिक झगड़ों की सध्या बढ़ रही है। पृथक्तावादी आंदोलन हिमक होते जा रहे हैं। उपवाद और आतंकवाद फैल रहा है। प्रायः प्रत्येक राज्य में धर्म, सम्प्रदाय या

अंचल-विशेष के नाम पर विभाजन की मांग बढ़ रही है। केन्द्रीय सत्ता पृथक्ता-वादी आन्दोलनों को दबाने में असमर्थ रही है, इसलिए २१वीं सदी में प्रवेश तक धर्मों की धर्म-ध्वजा के नीचे भारतवासी खून की होली ज्यादा खेलेंगे और वे आतंक की छाया में जीने के आदी हो जायेंगे।

२०वीं सदी की समाप्ति तक आर्थिक दृष्टि में भारतवासी अधिक सम्पन्न होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं। पर यह भी निर्विवाद सत्य होगा कि भारत-भू पर जन्म लेने वाला हर शिशु विदेशी कर्ज का पैदाइशी कर्जदार होगा। दूसरी ओर, महंगाई इतनी अधिक होगी कि रुपये की कीमत ५-१० पैसे ही रह जायेगी।

पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा भारत के प्रत्येक क्षेत्र में होन वाले महत्त्वपूर्ण विकास, उन्नति और समृद्धि की उपलब्धियों को जनसंख्या की वृद्धि नीचा दिखा रही है, हड़प कर डकार भी नहीं लेती, तो २०वीं सदी के अन्त में जब जनसंख्या १०० करोड़ होगी, तब विकाम-दर, समृद्धि की रेखा, उन्नति का चर्चभ्रम कहीं होगा, इस कल्पना में दिल-दहल उठता है।

लुभावने नारे देना हर प्रधानमन्त्री की नियति है, जनता को क्षितिज के उस पार के मुनहरे मयनों में सुलाना हर प्रधानमन्त्री की लाचारी है। सत्ता के शिखर पर सवार होकर अपनी छवि बनाने के लिए ज़रूरी भी है यह। प्रथम प्रधान-मन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने यही किया, मुरारजी और इन्दिराजी ने यही किया। अब यदि राजीव जी.ऐसा करें, '२१वीं सदी में भारत-प्रवेश की मुनहरी तस्वीर' प्रस्तुत करें, तो इसमें दोष ही क्या है? वे तो प्रधानमन्त्री परम्परा और संस्कृति का पालन कर रहे हैं, ताकि २००१ तक उनकी सत्ता स्थिर रहे। अन्यथा सच्चाई तो यह है कि 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में राजीव के २१वीं सदी के भारत के विषय में कुछ इम तरह लिखा जायेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश : भारत (जनसंख्या १.२ अरब), सर्वाधिक गरीब देश : भारत (प्रति व्यक्ति औसत आय ३०० रुपये) सर्वाधिक अनपढ़ों वाला देश : भारत (अनपढ़ों की संख्या ६० करोड़) सर्वाधिक बेरोजगारी वाला देश : भारत (बेरोजगारों की संख्या : ४० करोड़) सर्वाधिक बेपरो का देश : भारत (बेपरो की संख्या : ६० करोड़) —इण्डिया टुडे।

(१२१) (क) सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा
(ख) भारत देश महान

महाकवि इकबाल को ये काव्य-पंक्तियाँ देश-प्रेम की परिचायक हैं; विश्व में भारत की सर्वश्रेष्ठता, महानता को सिद्ध करती हैं; भारत की संस्कृति-सभ्यता की भव्यता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं।

महाकवि इकबाल ने पूर्वं संस्कृत और हिन्दी-साहित्य में भारत-भू का गुण-गान करने वालों की भरमार है। विष्णु पुराण ने कहा, 'भारत भूमि में जन्मे लोग देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं। नारद पुराण ने कहा, 'आज भी देवगण भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं।' श्रीधर पाठक ने 'जगत मुकुट जगदीश-दुलारा, शोभित सारा देश हमारा' कहकर भारत की यंदना की। मैथिलीशरण गुप्त पूछ ही बँठे, 'भूलोक का गौरव, प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है कहाँ?' फिर स्वयं उत्तर देते हुए वे कहते हैं, 'फैना मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ।'

महाकवि इकबाल का जन्म सन् १८३७ और मृत्यु १९३८ में हुई थी। उनके जीवनकाल में भारत अखण्ड था, परतन्त्र था। वर्तमान पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका भारत के अंग थे। उस अखण्ड भारत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए महाकवि इकबाल ने ये पंक्तियाँ लिखी थी, न कि आज के खण्डित भारत के प्रति। फिर भी भारत की श्रेष्ठता के आधारभूत तत्त्व संस्कृति और सभ्यता, हिमालय और गंगा-यमुना, आज भी भारत की धरोहर हैं, इसलिए यह काव्य-पंक्ति आज के भारत पर भी सटीक सही उतरती है।

महादेवी वर्मा कहती हैं, "संसार में इतना सुन्दर देश दूसरा नहीं है। जिन्होंने बाहर जाकर देखा है, वे भी यही कहेंगे कि वास्तव में ऐसी हरी-भरी भूमि जिसमें तुपारमण्डित हिमालय भी है, जिसमें सूर्य की किरणों केसर के फूलों की तरह शोभा बरसाती हैं, जिसके कंठ में गंगा-यमुना जैसी नदियों की माला पड़ी हुई—नदियाँ हैं, जिसके चरण तीन ओर से कन्याकुमारी में सागर धोता है। कितनी हरी-भरी है, कितनी सम-विपम है! ऐसी सुजला-सुफला भारत की ही धरती है।"

जलवायु की दृष्टि से भी भारत सारे जहाँ से अच्छा है। विश्व की जलवायु का ऐसा सन्तुलित विभाजन और कहाँ है? कोई देश ग्रीष्म में तप रहा है, तो कठोर शीत से संतप्त है। यह भारत ही है जहाँ प्रचण्ड गर्मी भी है तो प्रबल शीत और अधिक वर्षा भी। शुष्क पतझर भी है, तो हृदयहारी वसंत भी। गर्मी, वरसात और सर्दी अपने चातुर्मासीय काल में भारत को तृप्त करते हैं। पड़भ्रतुओं वसन्त, ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमन्त और शिशिर—वर्ष भर के वातावरण को भिन्न-भिन्न ऋतुओं में विभक्त कर भारतवासियों को सुख-शान्ति प्रदान करते हैं। भारत-भू को सुजला-सुफला, सुवर्णा, सुरला बनाते हैं।

भारत विश्व-सभ्यता का आदि-स्रोत है। इसने विश्व के नये और अनाश्रित मानव को सभ्यता का पाठ पढाया। जीवन जीने की शैली समझाई। मानव-मूल्या की पहचान करवाई। मानवता को विकसित करने का पथ-प्रशस्त किया। व्यक्ति और समाज का जो समन्वय प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था में मिलता है, उसका उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है।

विश्व की आदि पुस्तक वेद है। वेद ज्ञान के भण्डार हैं। सृष्टि में ज्ञान का उदय करने का और युगों-युगों से विश्व में ज्ञान की ज्योति जलाये रखने का पूर्ण दायित्व निर्वाह करने का श्रेय पूज्य वेदों को है। वेद संस्कृत में हैं। संस्कृत भारत की आदि भाषा है। वेद, उपनिषद्, गीता, छहो दर्शन तथा मानस के समान अध्यात्म का पाठ पढाने वाले धार्मिक ग्रंथ अन्य कहाँ?

भारत की प्राचीन वास्तुकला आज के वैज्ञानिकों को विस्मय में डाल देती है। ज्योतिष, गणित, राजनीति, चित्रकला, वस्त्र-निर्माण आदि सभी में प्राचीन भारत किसी समय बहुत उन्नत था। अजन्ता के रंगीन चित्र आकृतिक आघातों का सामना करते हुए आज तक सुरक्षित हैं। आध्यात्मिक तत्त्व-ज्ञान में तो संसार का कोई भी देश भारत का सामना कर ही नहीं सकता।

विश्व में तत्त्वज्ञान या आध्यात्मिकता का अभाव है। भारतीय सभ्यता और धर्म का आधार प्रायः ईश्वर रहा है। ईसा ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार अवश्य किया, किन्तु यूरोपीय सभ्यता प्रायः नास्तिकता-प्रधान रही है। गाँधी जी के शब्दों में यह 'ईश्वर-विहीन' संस्कृति है। विश्व भौतिक-सौन्दर्य में पीछे हटा, उसने भारत के आन्तरिक सौन्दर्य को अपनाया। भारत के उद्यान गुलाब, चमेली जूही के सौरभपूर्ण पुष्पों से मकरन्द बिखरते हैं, तो विदेशों में रूपव

सुगन्ध विहीन सौन्दर्य बिखेरते है। विश्व बाहरी बेप-भूषा तथा तड़क-भड़क की ओर गया, तो भारत आडम्बर घुन्यता की ओर, सादगी की ओर।

विश्व ने जीवन की समृद्धि के लिए एक ही उपाय स्वीकार किया— और यह है आवश्यकताओं की वृद्धि, किन्तु भारत ने अपरिग्रह का और आवश्यकताएँ घटाओ का उपदेश दिया, 'सादा जीवन उच्च विचार का संदेश मुनाया', 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मागूधः कम्यस्विदूधनम्' का आदर्श प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में समाज-कल्याण के लिए जीवन, समर्पण का पथ-प्रशस्त किया। विन्तन के इसी अन्तर के कारण पाश्चात्य नागरिकों का अन्तःकरण अशान्त है, अतृप्त है, विदुग्ध है। और इसीलिए नैराश्य-पूर्ण जीवन में वहाँ आत्म-हत्याओं की प्रमुद्यता है, विदिप्तता का प्राचुर्य है।

भौतिकवादी पाश्चात्य समाज अधिकार मात्र को महत्त्व देता है। अधिकार प्राप्ति-इच्छा ही उसके सघर्ष और असंतोष का मूल कारण है। मजदूर मालिक से, किसान जमींदार से, शासित-शासक से और इतना ही नहीं विद्यार्थी अपने अध्यापक से अधिकार-लिप्ता में संघर्षरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी करोड़ों रुपए व्यय कर, समय लगाकर मानवीय अधिकारों की ही व्याख्या की है। वहीं कर्तव्य-भावना का त्रिक नहीं। भारत में कर्तव्य सर्वोपरि है। 'कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फनेषु कदाचन' की शिक्षा माँ के दूध के माप दी जाती है। इसलिए अधिकार लिपित राष्ट्र एक दूसरे को नष्ट करने के लिए संहारकारी शस्त्रास्त्र निर्माण की होड़ में लगे हैं। मानव और मानवता को नष्ट करने पर लगे हैं और भारत 'सर्वेभवन्यु गुणिनः सर्वे मनु निरमयाः' की प्रार्थना करते हुए भौतिक उन्नति करने के माप-माप मानव और मानवता का संरक्षण कर रहा है। मानवीय मूल्यों के संरक्षण-संवर्द्धन के कारण भी 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' है।

मरुति, गण्यता, जीवन-मूल्य, जीवन-शैली, जीवन मुक्ति तथा भाग्य-विकार का ज्ञान भारत-भूमि के बच-बच में ब्याप्त है। इसी के ताप-ज्ञान के आवरण में जीवन का गण्यता गुण है और है परमोक्त की उन्नति। इसीलिए भाग्य मारे जद में खेप्ट है, अत्रर है, अमर है। 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' के तापक महाबलि इराबान ने इसी ताप-विपन्न की पृष्ठभूमि में कहा था, 'कुछ बात है कि हमी मिदनी नहीं हमारी।'

(१२२) हमारी सांस्कृतिक एकता

सांस्कृतिक-एकता राष्ट्र की एकात्मकता का प्रमाण है। मानव की जन्मजात उच्छुंखल प्रवृत्तियों पर प्रतिबन्ध का परिचायक है। व्यक्ति और राष्ट्र की उन्नति का सोपान है। विश्व के विशाल प्रांगण में व्यक्ति की पहचान का प्रतीक है।

सांस्कृतिक एकता का अर्थ भारत की दो, तीन या चार धार्मिक प्रवृत्तियों से जुड़ी संस्कृतियों का मिलन नहीं। न ही इसका अर्थ एक मिश्रित संस्कृति का उदय है। इसका सीधा-सा अर्थ है कि हिन्दू धर्म में विभिन्न मत-मतान्तरों के होते हुए भी, खान-पान, रहन-सहन, पूजा-उपासना में भेद रहते हुए भी विश्व का हिन्दू सांस्कृतिक दृष्टि से एक सूत्र में बंधा है, वह एक है।

हिन्दू-संस्कृति, मुस्लिम-संस्कृति तथा ईसाई या पाश्चात्य संस्कृति विश्व की तीन सशक्त संस्कृतियाँ हैं। विश्व के किसी भी राष्ट्र में इन संस्कृतियों के ऐक्य की बात नहीं उठती। कारण, मानव अपनी संस्कृति में ही विकास प्राप्त कर सकता है। दूसरी संस्कृति की ओर पलायन अपनी हीनता का द्योतक है, न कि संस्कृति में घटियापन का।

भारत में सांस्कृतिक-एकता का अर्थ हिन्दू मुस्लिम तथा पाश्चात्य संस्कृतियों के एकीकरण में है। परिणामस्वरूप हिन्दू-संस्कृति मुस्लिम और पाश्चात्य संस्कृति के सम्मुख समर्पण करती जाती है। इस समर्पण का प्रभाव हिन्दुओं की हीनता और राष्ट्र-विभाजन में प्रकट हो रहा है। भारत-विभाजन में इस विकृत सांस्कृतिक ऐक्य का प्रथम प्रसाद था, जो सारे राष्ट्र ने खखा। स्वतन्त्र भारत में यह नासूर बनकर साम्प्रदायिक दंगों के रूप में, रक्त-रंजित ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ता है। भारत और भारतीयों को तबाह कर देता है। कैसी है यह सांस्कृतिक-एकता ?

संस्कृति का निर्माण खुल सम-सम की भांति होता नहीं, सौ-पचास वर्षों में उसकी पताका फहराती नहीं। अनेक पीढ़ियों के संस्कार तथा सहस्रो वर्ष की तपस्या, चिन्तन से संस्कृति का भवन खड़ा होता है। परम्पराएँ, मान्यताएँ, अवस्थाएँ, जीवन मूल्य उसके इस्पाती स्तम्भ होते हैं। धार्मिक सिद्धान्त, सामाजिक-

पारिवारिक परम्पराएँ जीवन जीने का दृष्टिकोण तथा झंसी वह माँ के रतनपान के समय सीखता है, संस्कृति का उपासक बनता है।

अनेकरूपता किसी राष्ट्र की जीवन्तता, सम्पन्नता तथा समृद्धि की द्योतक है। भारत विभेदों का समुद्र है शायद इसीलिए इसे उपमहाद्वीप माना जाता है। यहाँ ढाई कोस पर बोली बदलती है, संविधान स्वीकृत १५ भाषाएँ हैं, सनातन धर्म, आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज, नायपंथी, कबीरपंथी, शैव, शाक्त, वैष्णव आदि उपासना-पद्धति के विविध भेद हैं। जैन, बौद्ध, सिक्ख हिन्दू-धर्म के परिवर्तित रूप हैं। परिधान की विविधता में सतरंगिता के दर्शन होते हैं। रचि की विविधता तथा जलवायु की आवश्यकता के अनुसार खान-पान में विभिन्नता है, पर ये विभिन्नताएँ भारतीय-संस्कृति की एकता की पोषक हैं।

भारत की बोलियाँ और भाषाएँ संस्कृत से सम्बन्ध हैं। सभी भाषाओं की वर्णमाला एक नहीं, तो एक-सी अवश्य है, केवल भेद लिपि का है। संस्कृति की परिनिष्ठित लिपि होने के कारण देवनागरी प्रायः भारतीयों द्वारा पहचानी जाती है। सबकी पृष्ठभूमि तथा व्याकरण एक से हैं। भाषाओं के भेद के बावजूद विचारों की एकरूपता कभी खडित नहीं हुई। आजादी की लड़ाई के लिए उत्तर और दक्षिण पूर्व और पश्चिम सभी ने बलिदान दिए। शोषण के विरुद्ध सभी ने आवाज बुलन्द की, विदेशी आक्रमण के समय सभी ने एक स्वर से प्रतिकार किया।

समस्त साहित्य में एकात्मता के दर्शन होते हैं। राम और कृष्ण पर सभी भारतीय भाषाओं में ग्रन्थ रचे गये। तुलसी के 'मानस' और सूर के पद अनेक भाषाओं में अनूदित हुए। बंगाल के 'बन्दे मातरम्' और 'जन-गण-मन' कोटि-कोटि भारतीयों के राष्ट्रगीत बने। विद्यापति हिन्दी, मैथिली और बंगला में सम्मानित हुए, तो मीरा हिन्दी और गुजराती में समान रूप से फवयित्री मानी जाती हैं। सन्तों की वाणी ने एकात्मता के दर्शन करवाए।

विभिन्न धार्मिक-उपासना पद्धतियों एवं मान्यताओं के बावजूद सबमें एक भावना है, एक दर्शन है। अयोध्या; मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काची, अवन्तिका (उज्जयिनी) तथा द्वारिका दर्शन किए बिना हिन्दू आज भी अपने को मोक्ष का अधिकारी नहीं समझता। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में शृंगेरीमठ, पूर्व में गोवर्धनमठ तथा पश्चिम में शारदामठ के दर्शन के लिए हिन्दू आत्मा

तड़पती है। शिव भक्त-ठेठ उत्तर की गंगोत्री से गंगाजल लेकर दक्षिण सीमा के रामेश्वरम् महादेव का अभिषेक कर आत्म-सन्तुष्टि अनुभव करता है।

पर्व और त्योहार हमारी सांस्कृतिक एकता की आधारशिला हैं तथा एकात्म-दर्शन के साक्षी हैं। होली का 'हुड़दंग', रक्षावन्धन की 'राखी', विजय दशमी का उल्लास तथा दीपावली का 'पूजन' हर हिन्दू स्वप्रेरणा से मनाता है। नवरात्र-पूजन, राम-नवमी और कृष्ण-जन्माष्टमी मनाने के लिए हिन्दू की आत्मा उद्वेलित होती है। कुंभ और महाकुंभ पर लाखों हिन्दुओं का अपनी गाँठ से पैसा खर्च करके, कष्ट सहकर भी एकत्र होना अटूट सांस्कृतिक-एकता का प्रमाण है।

जन्म से मृत्यु-पर्यन्त १६ संस्कारों में अटूट विश्वास हमारी सांस्कृतिक एकता का संस्कारित दस्तावेज है। अग्नि को साक्षी करके सप्तपदी के बिना हिन्दू-विवाह की कल्पना नहीं की जा सकती, तो शव को अग्नि में भस्म किए बिना शरीर की अन्त्येष्टि अपूर्ण रह जाती है।

जैन, सिख और बौद्ध सांस्कृतिक दृष्टि से हिन्दू-संस्कृति की ही प्रतिष्ठित मात्र हैं। सभी पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, सभी हिन्दू पर्वों तथा त्योहारों में श्रद्धा और आस्था रख कर उन्हें मनाते हैं। होली कौन नहीं खेलता? दीपावली में लक्ष्मी-पूजन कौन नहीं करता? ये सभी वर्ग हिन्दुओं से वैवाहिक सम्बन्ध के पावन-सूत्रों में भी आवद्ध हैं। भगवान बुद्ध को हिन्दुओं द्वारा अवतार माना गया। जैनियों के भगवान ऋषभदेव की श्रीमद्भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। सिख-धर्म का निर्माण ही 'हिन्दू रक्षा' के लिए हुआ था।

बाबू गुलाबराय का कहना है, 'मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिन्दू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। स्वस्तिक चिह्न और ओंकार हिन्दुओं और जैनो में समान रूप से मान्य है। कमल, हाथी तथा अश्व-स्थवृक्ष (पीपल) बौद्धों और हिन्दुओं द्वारा समान रूप में पूजनीय हैं। जैनो का अणुव्रत, हिन्दू-धर्म के योगशास्त्र में 'यम' और बौद्धों के 'पचशील' प्रायः एक ही हैं।'

इस सांस्कृतिक एकता के कारण सृष्टि के आदि से चली आती भारतीय संस्कृति आज भी गौरव और गर्व से विश्व के प्रांगण में उन्नत मस्तक है। मिस्र, रोम, असीरियों बेबीलोनिया, यूनान की संस्कृतियाँ काल के थपेड़ों से नष्ट हो गईं, किन्तु हमारी सांस्कृतिक एकता के कारण ही महाकवि इकबाल को कहना पड़ा, 'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।'

(१२३) भारत की सामाजिक समस्याएँ

भारतीय समाज विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों एवं जातियों का समूह है। यहाँ धार्मिक दृष्टि से हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान तथा ईसाई; साम्प्रदायिक दृष्टि से सनातन धर्म, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सिख, जैन, शिया, मुन्नी, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेण्ड रहते हैं। जातियाँ तो अनगिनत हैं। देश की सर्वाधिक जनसंख्या हिन्दू-धर्मावलम्बियों की है, अतः भारतीय शब्द 'हिन्दू' का पर्यायवाची बन गया है।

बीसवीं सदी का भारतीय समाज असाध्य रोगों से ग्रस्त, कुप्रथाओं से पीड़ित, अन्धविश्वासों से दलित और प्राचीन परम्पराओं से प्रताड़ित है। आज के वैज्ञानिक युग में भी वह अपने कुसस्कारों तथा कुप्रथाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अन्य देश चन्द्र, मंगल ग्रह तक पहुँच गए हैं और भारतीय-समाज का रास्ता आज भी विल्ली काट जाती है।

समाज में फैले अन्ध-विश्वासों को ही लीजिए। यदि किसी ने झीक दिया या विल्ली रास्ता काट गई तो यात्रा के लिए अपशकुन हो गया। पानी भरा लोटा हाथ से गिर गया या पीछे से किसी ने आवाज दे दी, तो समझिए कार्य नहीं होगा। मार्ग में यदि काना मिल गया और दुर्भाग्य से वह ब्राह्मण हो तो समझिए अशुभ हो गया—'प्राण जाहि बस संशय नाही।'

जादू टोना की तो और भी भयंकर स्थिति है। बीमारों में ओझो, गुनिधो एवं मन्त्र फूँकने वाले को बुलाना, गंडे ताबीज पर आस्था और पोए-पीर पूजा में श्रद्धा वैज्ञानिक प्रगति का घोर अपमान है। इनसे लाखों पाखण्डियों को आश्रय मिलता है, जिनमें साधना का बल नहीं, ज्ञान की ज्योति नहीं, ब्रह्मचर्य की सात्विकता नहीं।

'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता' का उद्घोष करने वाला भारतीय समाज नारी पर भिन्न-भिन्न रूपों में अत्याचार कर रहा है। पर्दा-प्रथा, अनमेल विवाह, बाल-विवाह, विधवा-विवाह का निषेध, रुढ़िवादिता तथा बहु-विवाह के आक्रमण नारी की निरीहता और विवशता को प्रकट करते हैं। सहिष्णुता की साक्षात् प्रतिमा कर्तव्यशीलता की वेदी पर चढ़ रही है। शारदा ऐक्ट के वादजूद

उत्तर-प्रदेश, राजस्थान और बिहार में बाल-विवाह घड़ल्ले से हो रहे हैं। आर्थिक परतन्त्रता के कारण नारी नर की कारा में आजीवन बन्द रहती है। भोग-विलास की प्रतिमा और घर की नौकरानी से अधिक उसका मूल्य नहीं। मुस्लिम समाज में नारी का और भी बुरा हाल है। बहु-विवाह, बाल विवाह, पर्दा-प्रथा तथा तलाक-पद्धति ने मुस्लिम नारी की स्थिति अस्यन्त शोचनीय बना दी है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने तलाकशुदा मुस्लिम नारी को पूर्व पति से जीवन-भत्ता दिलाने का मानवीय निर्णय दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने उनका यह अधिकार छीनकर उनको दर-दर की ठोकरे खाने को विवश कर दिया। शायद, वे नारी को सम्मान से जीने देना ही नहीं चाहते।

शिक्षा के क्षेत्र में नारी ने जो प्रगति की है, उसने नारी की रुढ़ि-कारा को तो तोड़ा, किन्तु उच्छृंखलता की अग्नि में शोक दिया। फैशन की मारी, धन के नशे में अपने आपको विस्मरण करने वाली तथा भोग-विलास को चरम छयेय मानने वाली नारी भारतीय समाज के लिए गर्व की वस्तु नहीं।

दहेज प्रथा भारतीय समाज पर कोढ़ है, जो समाज को कुरूप कर रहा है। दहेज जुटाने में कन्या के माता-पिता का आत्म-पीड़न, उचित दहेज न मिलने पर लालची सास-ससुर तथा पति के अत्याचार निरीह नवविवाहिता को जीवित ही नरक में धकेल देते हैं। वर पक्ष को उसके जीने से धूणा होने लगती है, तो आग लगाकर, मकान की छत से गिराकर या नदी में धक्का देकर उसकी हत्या करने में भी नहीं हिंजकते। अनेक समाज-सुधारक, दहेज-प्रथा पर शोर तो खूब मचाते हैं, किन्तु अपने वेदों को वह भी बेचते हैं। ऐसे अत्याचारी समाज का भला तभी होगा, जब कोई चाणक्य अपनी शिखा खोलकर दूढ़ प्रतिज्ञा करके इसके पीछे पड़ जाएगा।

इस शताब्दी का भारतीय समाज वैयक्तिकता, स्वार्थ और भ्रष्टाचार की ओर रॉकेट की तीव्र गति से बढ़ रहा है। गुण्डा किसी सज्जन को पीट रहा है, उसकी हत्या कर रहा है, जेब-कतरा किमी की जेब काट रहा है, किसी नारी का आभूषण क्षपट रहा है, किन्तु साथ में खड़ा समाज सम्पूर्ण कुकृत्य को देखते हुए भी उस पीड़ित का साथ नहीं देता। आज का समाज इतना स्वार्थी है कि अपने तुच्छ लाभ के लिए दूसरों को बड़ी-से-बड़ी हानि पहुँचा सकता है। भ्रष्टाचार तो भारतीय समाज में इतना पुल-मिल गया है कि जीवित रहने के लिए भी उसका

सहारा अनिवार्य है।

यह भारतीय समाज है जहाँ दिन-दहाड़े चोरी होती है, छाती ठोककर डाके डाले जाते हैं, नारी की अस्मत् और आभूषण लूटे जाते हैं; रेलों, बसों और कारों को लूटा जाता है, ठोक-पीटकर वेश्या और भिखारी बनाये जाते हैं, झूठे मुकद्दमे गढ़े जाते हैं, सदाचारी को जीवन का अधिकार प्राप्त नहीं है।

जातिवाद भारतीय समाज का रक्षक भी है और नाशक भी। कर्म के आधार पर कभी जातिवाद रहा होगा, किन्तु आज जन्मतः है। जातियों में उपजाति, उपजाति में उप-श्रेणी, उप-शृंखलाएँ, विभाजन और विशृंखलता की सीमा नहीं। इसी प्रकार धर्म के विविध अंगों, शाखा-प्रशाखाओं की भी गिनती नहीं की जा सकती। फिर भी, जिस प्रकार वृक्ष में फूल और पत्तियों का विकास उसका विभेदक नहीं, उसी प्रकार हिन्दू समाज की विविधाएँ भी विघटन की सूचक नहीं हैं। हाँ, कट्टरता अवश्य कष्टप्रद है। शूद्रों से दुर्व्यवहार सामाजिक खोखलेपन को प्रकट करता है। उन्हे प्यास बुझाने के लिए पानी न देना, देवदर्शन से वंचित रखना, उनसे स्पर्श होने पर आत्मग्लानि उत्पन्न होना समाज-पतन का परिचायक है। गाँवों में तो हरिजनों का इससे बदतर हाल है। वहाँ वे सवर्ण हिन्दुओं के रहमो-करम पर जीते हैं। उच्च-शिक्षा और विदेशी-सम्पर्क सम्भवतः हरिजनों को इस दिशा से छुटकारा दिला दे।

भारतीय समाज कु-शिक्षा और अ-शिक्षा से पीड़ित है। अ-शिक्षा के कारण वह भले-बुरे, कायदे-कानून और जीवन के विकास से वंचित है, कु-शिक्षा के कारण वह भारतीय-सभ्यता और संस्कृति से दूर भाग रहा है। जीवनोपयोगी न होने के कारण आधुनिक शिक्षा ने भारतीय समाज में बेरोजगारों की पलटन खड़ी कर दी है।

सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए समाज-सुधारकों की भी समाज में कमी नहीं। वे दिन रात-भाषण देकर, लेख लिखकर, सस्थाएँ खड़ी करके समाज उद्धार का बीड़ा उठाए हैं, फिर भी निकट भविष्य में सामाजिक परिवर्तन की कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती। इस दिशा में अत्यन्त क्रान्तिकारी प्रयत्नों की आवश्यकता है।

पत्र-लेखन

पत्र आरम्भ करने की विधि

१. सबसे पहले कागज के दाएँ भिरे पर अपना पूरा पता लिखना चाहिए। दिनांक वाली पंक्ति के नीचे की ओर थोड़ा-सा स्थान छोड़कर पत्र की प्रशस्ति आरम्भ करनी चाहिए। जैसे—

परीक्षा-भवन,
१२ मार्च, १९८८

परम पूज्य पिताजी,
सादर प्रणाम।

२. व्यावसायिक पत्रों में जिप्टाचार के लिए नमस्ते आदि लिखना ठीक नहीं।

पत्र की समाप्ति से पूर्व लिखे जाने योग्य कुछ वाक्य

(१) शेष फिर, (२) शेष मिलने पर, (३) धन्यवाद नहीं (४) पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, (५) बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को प्यार, (६) कष्ट के लिए क्षमा कीजिए, (७) विशेष कृपा बनाए रखिए, (८) योग्य सेवा से सूचित करते रहे, आदि।

पत्र की समाप्ति

पत्र की समाप्ति के कितने ही ढंग हैं। पत्र जिसके लिए लिखा जाता है, समाप्त करते समय उसके साथ कुछ सम्बन्ध-सूचक शब्द या किसी अन्य प्रकार के औपचारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लेखक अपने हस्ताक्षर करता है। जैसे—

यदि पत्र पिता को लिखा गया हो तो—

आपका आज्ञाकारी पुत्र,
या
आपका आज्ञाकारी,
अ. व. स.

परीक्षा में पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य दो बातें

(१) पत्र के आदि में स्थान की जगह केवल 'परीक्षा-भवन' लिखें तथा नीचे तारीख डाल दें। किसी शहर का नाम तथा अन्य कोई पता न लिखें।

(२) पत्र के अन्त में अपना रोल नम्बर अथवा नाम कदापि न लिखें। उसके लिए अ, ब; क, ख आदि का प्रयोग सर्वोत्तम है।

पत्र-प्रारम्भ तथा समाप्ति के शब्दों की तालिका

प्रशस्ति (प्रारम्भ)

समाप्ति

(१) आदरणीय सम्बन्धियों को
(माता, पिता, गुरु, ज्येष्ठ भाई, बहन आदि)

परम पूज्य, पूजनीय, आदरणीय,
परमादरणीय, श्रद्धास्पद, परम श्रद्धेय।

आपका आज्ञाकारी,
स्नेहपात्र, कृपाभाजन।

(२) प्रतिष्ठित व्यक्ति को

माननीय, परम माननीय,
आदरणीय, श्रद्धेय, महामान्य।

आपका सेवक,
कृपाभाजन, विनीत।

(३) मित्र को

प्रिय मित्र, प्रिय मित्रवर, प्रिय,
प्रिय बन्धु, प्रिय मिशन।

आपका, आपका अभिन्न,
आपका मित्र, सदा आपका।

(४) छोटों को

प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर,
प्रिय दर्शन।

तुम्हारा शुभचिन्तक, हितैषी,
शुभाकांक्षी, शुभेच्छु।

(५) व्यावसायिक पत्रों में

श्रीमान् महोदय, श्रीमान्,
महोदय, प्रिय महोदय, महाशय।

भवदीय, आपका,
निवेदक।

(१) आपके विद्यालय में वृक्षारोपण समारोह सम्पन्न हुआ। उसका विवरण बेते हुए किसी समाचार-पत्र के सम्पादक को पत्र लिखिए। (दिल्ली १९८८)

रा० व० मा० विद्यालय,
नई-दिल्ली-११०००२
२५ अप्रैल, १९८८

सम्पादक,
जनमता,
नई दिल्ली-२

मान्यवर,

अपने विद्यालय में सम्पन्न हुए वृक्षारोपण-समारोह का विवरण आपकी सेवा में भेज रहा हूँ। छात्रों के उत्साह-वर्द्धन के लिए इसे अपने लोकप्रिय पत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें !

भवदीय.
अ० व० स०

विद्यालय में वृक्षारोपण-समारोह

शुक्रवार २४-७-८८ को रा० व० मा० विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम मोन्लाम सम्पन्न हुआ। केन्द्रीय कृषि मन्त्री श्री भजनलालजी मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों एवं प्रबन्धकृत-समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अनुमानतः तीन सहस्र जन उपस्थित होगे।

मुख्य अतिथि श्री भजनलाल जी के आगमन पर स्कूल के अध्यक्ष, महामन्त्री तथा प्रिंसिपल ने उनका स्वागत किया, तो स्कूल-बैड ने उनका अभिनन्दन किया तथा एन० सी० सी० के केडिटों ने सलामी देकर उनका सम्मान किया।

श्री भजनलाल ने अपने संक्षिप्त भाषण में आज के युग में फैलते पर्यावरण-प्रदूषण में उत्पन्न रोगों की चर्चा की और बताया कि इसका हल वृक्षारोपण है। वृक्ष पर्यावरण-प्रदूषण के नाशक हैं। आपका विद्यालय वृक्षारोपण करके राष्ट्रहित का एक बड़ा कार्य कर रहा है. अतः बधाई का पात्र है।

मन्त्री-महोदय ने स्कूल-प्रांगण में एक पौधा रोपा। गड्डे को मिट्टी से भरा, उसमें पानी डालकर उन्हें खूब पुष्पित-यल्लवित होने का आशीर्वाद मुख्य अतिथि के पौधा रोपने के बाद सौ विद्यार्थियों ने पहले में खोदे गए में पौधे रोपे। इस प्रकार तानियों की गड़गड़ाहट में यह समारोह

(२) आपका छोटा भाई परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया ।
इस आदत के दुष्परिणामों को समझाते हुए उसे एक पत्र
लिखिए । (दिल्ली १९८८)

परीक्षा-भवन,

१८-३-८८

प्रियवर अजय,

माताजी के पत्र से पता चला कि तुम परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए हो, इसलिए सुपरिन्टेण्डेंट ने तुम्हारी कॉपी कैंसिल कर दी है । यह बहुत बुरा हुआ ।

नकल करने का पहला दुष्परिणाम यह हुआ कि तुम भरे हाल में अपराधी घोषित हुए, अपमानित हुए । यह चारित्रिक कलंक जीवनभर नहीं मिटेगा । दूसरे, तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे । यदि किसी तरह पास हो भी गए, तो, तृतीय श्रेणी में । तृतीय श्रेणी में पास होने का अर्थ है पढ़ाई का अध्याय बन्द कर देना, ज्ञान का द्वार बन्द कर देना, जो भविष्य के उन्नति-मार्ग को अवरुद्ध करेगा ।

नकल एक अभिशाप है, जो सोचने-विचारने में रोकता है, मन-मस्तिष्क को कुंठित करता है, विवेक पर पर्दा डालता है ।

'बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले ।' भविष्य में नकल न करने की शपथ लेना ही इसका प्रायश्चित्त है ।

महिन अलका को आशीष । माताजी को चरण-बंदना ।

तुम्हारा अजय,

अ. व. ज.

(३) अपने विदेशी-मित्र को अपनी बहिन के विवाह पर निमन्त्रण-पत्र लिखिए ।
(ऑन इण्डिया १९८८)

परीक्षा-भवन,
५ मार्च, १९८८

मित्रवर यासीन,

नमस्कार ।

प्रभु-कृपा मे मेरी बड़ी बहिन ऋचा का विवाह ११ मार्च, १९८८ को हो रहा है । विवाह-म्यल है--नेशनल क्लब, फतेहपुरी, दिल्ली । समय है--साय ७ बजे । हमारे होने वाले जीजाजी हैं--श्रीयुत् श्रीप्रकाश जी, एक वायुसेना-अधिकारी ।

आप शादी के समारोह में सम्मिलित होकर मुझे उपकृत कीजिए, समारोह की शोभा बढ़ाइए और दो-चार दिन दिल्ली मे रहकर-धूमकर भारत और पाकिस्तान के जन-जीवन का अन्तर समझने की चेष्टा कीजिए ।

तुम्हारा अभिन्न,
क न्व ग.

श्री यासीन,

५०३, अनारकली बाजार,

लाहौर ।

(पाकिस्तान)

(४) अपने प्रधानाचार्य को खेल का सामान उपलब्ध कराने की प्रार्थना करते हुए आवेदन-पत्र लिखिए।

(अंत इण्डिया १९८८)

प्रधानाचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय,
जोरहाट।

मान्यवर,

ध्यायाम-शिक्षक श्री सक्सेना जी खेल-पीरियड में हमें खेलने का सामान— हॉकी और बाल; जाल और वॉलीबाल— नहीं देते। उनका कहना है कि तुम लोग सामान को तोड़ देते हो, तुम्हें खेलना नहीं आता।

श्रीमन् ! खेलना आएगा कैसे, जब सामान 'अंदर लॉक एण्ड की' रखा हो। रही तोड़ने की बात, उपयोग में आने वाली हर वस्तु क्षीण होती है, घराब होती है, टूटती है।

श्रद्धेय ! हमारी यह प्रार्थना है, शिकायत नहीं। इसे स्वीकार कर सक्सेना जी को हमें खेल-उपकरण देने का निर्देश दीजिए।

केन्द्रीय विद्यालय,
जोरहाट।

१५ जनवरी, १९८९

भावदीय,
१० वी 'ए' कक्षा के विद्यार्थी

(५) अपनी आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन करते हुए, फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए।

(अ० इ० दिल्ली क्षेत्र १९८८)

प्रधानाचार्य,
राजकीय व० मा० बालिका-विद्यालय,
तीमारपुर, दिल्ली।

मान्य महोदया,

अपनी स्कूल फीस माफ करवाने के लिए निवेदन कर रही हूँ। पिताजी की आय आठ सौ रूपए मासिक है। आज की महंगाई के युग में हम येन-केन प्रकारेण गुजारा कर पाते हैं।

परिवार में पाँच प्राणी हैं। माता-पिता और तीन भाई-बहन। सभी भाई-बहन पढ़ने वाले हैं। पढ़ाई का खर्च पिताजी की सामर्थ्य से बाहर है।

जीवन-यापन के लिए अनिवार्य हर वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है, जिससे गरीबों के जीने पर प्रश्न-चिन्ह लग गया है। मुझे डर है कि कहीं धनाभाव के कारण मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़े।

अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी स्कूल-फीस माफ करने की कृपा करें, ताकि मैं पढ़-लिखकर अपना भविष्य संवार सकूँ।

५ अप्रैल, १९८८

निवेदिका,
ऋतम्भरा ऋणी
१० वी 'बी'

(६) वैदिक पद्य के सम्पादन की पद्य : अपने शोध में विजयी-
संस्कृत से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन ।

(प्रति ६० दिनों से १९८९ तक ८८)

सम्पादन,

जनसत्ता,

नई दिल्ली ।

मान्यवर,

आपके सुसंगठित पत्र के माध्यम से, विजयी-संस्कृत से उत्पन्न कठिनाइयों की
और प्रमाणी और अहरे विद्युत्-विद्युत्-संस्कृत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

विजयी-संस्कृत होने पर सम्पादकी-प्रदुर्गम्पादकी सम्पादकी ध्यानात्मिक प्रतिक्रियाओं
और वैदिक-कर्मपारी-वर्णों की वादंभीनता पर एन.एन.एन. विद्युत्-संस्कृत
औद्योगिक प्रतिक्रियाओं का परिष्कार प्राप्त हो जाता है । वास्तुशून्यता का वर्णन
हो जाता है । जीवन की गति अत्यन्त हो जाती है । वर्णों की आधिक्य गति में
मानसिक तनाव की वृद्धि में मात्र उत्पन्न करता है ।

यदि विद्युत्-संस्कृत की पद्यी निश्चित हो तो उत्तरे समय के लिए मात्र विद्या
का भवता है, किन्तु जब पाठ्य तब की अनिश्चितता में जीवन दूधर हो जाता है ।
जरा कल्पना कीजिए माय ७ अत्रे 'पीक-आय-नं' में विजयी पद्यी जाय्, जो लक्ष्मी-
डेटम् की वितनी सम्पादना है । माय ९, ०० में ९,३० अत्रे तब विजयी का जाना
दूरदर्शन के विद्युत्-संस्कृत में अक्षमात्-वर्जित कर देता है । वितनी शुद्ध है,
दर्शकों पर ।

बार-बार विजयी संद होने में समाज-विरोधी तत्त्वों को प्रोत्साहन मिलता
है । उन्हें महिलाओं में छेड़छाड़ करने, मृट-मात्र करने तथा आभूषण सज्जने का
अवसर मिलता है । कितना महान पाप होता है विद्युत्-व्यवस्था की अनिश्चितता
से ।

भवदीय,

१५ नवम्बर, १९८८

भारतभूषण अग्रवाल

III / ३२७, आर० के० गुरुम्

नई दिल्ली

(७) नगर-निगम के स्वास्थ्य-अधिकारी को पत्र : मोहल्ला-सफाई-कर्मचारी की शिकायत ।

(दिल्ली १९८०, ८२, ८४, ८६ : 'ए', ऑल इंडिया १९८२ 'ए')

क्षेत्रीय स्वास्थ्याधिकारी,
शहादरा जोन,
नगर-निगम कार्यालय,
दिल्ली-३२

मान्य महोदय,

गत पन्द्रह दिनों से नन्दनगरी क्षेत्र की गन्दगी देखकर लगता है कि हम भारत की राजधानी की आधुनिक कॉलोनी में नहीं, बल्कि किमी गाँव के सड़े-गले वातावरण में दिन बिता रहे हैं। गन्दगी और बदबू के भारे गली में निकलना दूभर हो जाता है। सबको पर कूड़ा-करकट तो बिखरा मिलेगा ही, स्थान-स्थान पर कूड़े के ढेर भी दुर्गन्ध में नागरिकों की नाक को भरकर अपने अस्तित्व का परिचय देते रहते हैं।

कारण है, गली के सफाई-कर्मचारी। अमरीकन कार्य-पद्धति के अनुसार सप्ताह में दो दिन का अवकाश जैसे उनका अधिकार है। शेष पाँच दिन में कभी केवल भंगी आता है और कभी केवल भगिन। और जिस दिन दोनों आ जाएँ, उस दिन गली की शामत आ जाती है। सफाई के नाम पर वे इधर-उधर झाड़ू मारकर किसी के भी मकान के सामने कूड़े का ढेर इकट्ठा कर देते हैं और दोपहर तक उसे उठाते ही नहीं। इस पर उस मकान के रहने वालों से उनका झगड़ा होता है, जिसमें सारी गली वालों को सुननी पड़ती है—'कर्ण-कटु सूक्तियाँ'।

यदि आप 'झाड़ू-लगी' गली को देख लें, तो आपका मन सफाई-कर्मचारी को पुरस्कृत (?) करने को अवश्य करेगा। रही सफाई दरोगा की बात—नन्दनगरी चौराहे पर आकर हाजिरी ली और घर वापिस। उनसे शिकायत की, तो लगा कि भ्रम के आगे बोन बजा रहे हैं। आपको पत्र लिखे, वे कूड़ेदान की गोद में समा गए। गंदगी रग लाई। नन्दनगरी वासी हैजे के शिकार हुए। काल के प्राप्त बने, परन्तु आपके अधिकारियों ने ५-७ दिन उछल-कूद दिखाकर नन्दनगरी वासियों को फिर यमराज के भरोसे छोड़ दिया है।

अब हम पुनः प्रार्थना कर रहे हैं कि मफार्ड की समुचित मुख्यवस्था करके हमें जीवन जीने का अधिकार प्रदान करें।

२१ जून, १९८८

भवदीय,
बाबूराम गुप्ता
अध्यक्ष,
नन्दनगरी मुद्यार-समिति

(८) पिताजी को पत्र : जिसमें उनकी बीमारी के प्रति चिन्ता व्यक्त की गई हो। (दिल्ली १९८६)

परीक्षा-भवन,
१८ मार्च, १९८८

पूज्य पिताजी,

मादर चरणस्पर्श।

अग्रज 'अ' का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आपकी बीमारी की खर्चा थी। पढ़कर बहुत दुःख हुआ। उसमें लिखा है कि आप अत्यधिक दुर्बलता के कारण चल-फिर भी नहीं सकते। प्रायः लेटे रहते हैं। उठते-बैठते तीव्र वेदना अनुभव कर कराहते हैं। पढ़कर चित्त चिन्ता में डूब गया है। भविष्य अन्धकारमय नजर आता है।

पुनः पिता परमेश्वर में प्रार्थना है कि आप शीघ्र स्वस्थ हो और हमें आशो-वदि प्रदान करते हुए हमारा पथ-प्रदर्शन करते रहे।

आजकल मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही है। परीक्षा समाप्त होते ही मैं घर लौट आऊँगा और आपको मेवा करूँगा।

माताजी को चरण-स्पर्श। भाई-भाभी को प्रणाम।

आपका पुत्र,
य. र. ल.

(६) दिल्ली परिवहन-निगम के मुख्य प्रबन्धक को पत्र : जिसमें एक बस-चालक के प्रशंसनीय व्यवहार की सूचना देते हुए उसे सम्मानित करने का आग्रह हो। (ऑल इण्डिया १९८६)

मुख्य प्रबन्धक,
दिल्ली परिवहन निगम,
महात्मा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-११०००२

मान्यवर,

मार्ग नं० १०, बस क्रमांक ६५४ के बस-चालक के प्रशंसनीय व्यवहार से गद्गद होकर मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ।

बस को निर्धारित समय पर चलाना, प्रत्येक स्टॉप पर टहराना, यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना, आगे में किसी को बस में न चढ़ने देना, यात्रियों को चलती बस से न उतरने देना, स्टॉप पर यात्रियों के उतर जाने पर ही बस को चलाना, दुराग्रही यात्रियों में भी नम्रता का व्यवहार एवं कण्डक्टर की घटी का पालन उनकी व्यवहारगत विशेषताएँ हैं, जो प्रायः इस वर्ग में नगण्य हैं।

इसलिए मेरा आग्रह है कि ऐसे कर्तव्यपरायण एवं व्यवहार-कुशल बस-चालक को पुरस्कार आदि से सम्मानित करके प्रोत्साहित कीजिए। इसके सम्मान में दूसरे बस-चालक मद्दव्यवहार के लिए प्रेरित होंगे।

१५ मार्च, १९८६
अणोवकुमार एण्ड कम्पनी,
मानीवाड़ा, दिल्ली-६

भवदीय,
अ. व. स.

(१०) प्रधानाचार्य को पत्र : खेल-सम्बन्धी कठिनाइयों की सूचना तथा उन्हें दूर करने की प्रार्थना। (ऑल इण्डिया १९८६)

प्रधानाचार्य महोदय,
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय,
मोती नगर, नई दिल्ली।

मान्यवर,

मे विद्यालय में खेल सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान खीचना चाहता हूँ। जिनके कारण खेलने में व्यवधान पड़ता है।

स्कूल का खेल-मैदान प्रायः गंदा रहता है। उसमें स्थान-स्थान पर पत्थर निकले हुए हैं, जिनमें ठोंकर लगती है। आपसे प्रार्थना है कि मजदूर सगवा कर इन पत्थरों को कुटवा दे, ताकि मैदान ममत्तल हो जाए। दूसरी ओर, भंगी को आदेश दे कि वह खेल-मैदान को नित्य-प्रति माफ किया करे।

आशा है, प्रार्थना स्वीकार कर खेल-प्रेमी विद्यार्थियों के खेलने में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर कृतार्थ करेंगे।

३ मितम्बर, १९८६

आपका,
क. ए. ग.
१०वीं 'ए'

(११) छोटे भाई को पत्र : कुसंगति से बचने की शिक्षा ।

(आ० इ० दिल्ली क्षेत्र १९८६)

परीक्षा भवन,

१० मार्च, १९८६,

प्रिय अनुज अरुण,
शुभाशीष ।

माता जी के पत्र से पता चला कि तुम दसवी कक्षा में फेल हो गए हो। पढ़कर दुःख हुआ। उससे भी अधिक दुःख तब हुआ, जब उन्होंने तुम्हारे फेल होने का कारण तुम्हारी कुसंगति बताया।

प्रिय अरुण ! याद रखो, यह कुसंगति न केवल बर्तमान जीवन को ही चौपट करेगी, अपितु भविष्य को भी अन्धकारमय बना देगी। आवारा-गर्दी करना गुण्डा-गर्दी की ओर कदम बढ़ाना, दादाओं की तरह अपने को प्रभुत करना मित्रों के साथ पड़्यन्त्र रच कर चोरी करना—इन सबके परिणामों को भोगोगे, तब पछताओगे। इस वर्ष परीक्षा में अनुतीर्ण होना, इसका प्रथम परिणाम है, जो वर्ष भर के लिए अभिशाप बनकर तुम्हें अन्तर्दाह की ज्वाला में जलाएगा।

‘मारी मरै कुसंग की केरा के ढिग बेर’ की चेतावनी कबीर देते हैं, तो बृन्द सावधान करते हुए कहते हैं—‘पाँव कुल्हाड़ा देत है, मूरख अपने हाथ।’ और तुलसी ने तो निष्कर्ष ही निकाल दिया, “बह भल वास नरक कर त्राता, दुष्ट-सग जनि देह विधाता।”

प्रिय अरुण ! तुम्हें पता है कि पिता जी का साया अब हमारे सिर पर नहीं है। मात्र मेरी आय से परिवार का पोषण हो रहा है। तुम्हें पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, किन्तु पढ़ना, परीक्षा में सफल होना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, तो मैं भी अपने कर्तव्य में विमुख हो सकता हूँ। यह मेरी चेतावनी है। मेरा कहा मानकर कुसंगी साथियों का साथ छोड़कर आदर्श विद्यार्थी-जीवन अपनाओ।

माता जी को चरण-स्पर्श ।

तुम्हारा बड़ा भाई,

च. छ. ज.

(१२) विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, जिसमें विद्यालय में अध्यापक पद के लिए आवेदन किया गया हो।

(ऑन इण्डिया १९८५)

प्रधानाध्यापिका,

लक्ष्मीदेवी जैन गलसं मीनियर सेकेण्डरी स्कूल,

पहाड़ी धीरज, दिल्ली-६

मान्य महोदया,

१०-८-१९८८ के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित विज्ञापित में ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय के लिए 'हिन्दी-अध्यापिका' की आवश्यकता है। इस पद के लिए मैं एक प्रत्यागी हूँ। मेरा विवरण निम्नलिखित है—

(१) मैंने १९८४ में दिल्ली विश्वविद्यालय से ६० प्रतिशत अंक प्राप्त कर एम० ए० (हिन्दी) की उपाधि प्राप्त की है।

(२) १९८५ में जामामिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में बी० एड० परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(३) मुझे कहानी लिखने का शौक है। मेरी कहानियाँ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में छपती रहती हैं।

(४) मैं २५ वर्षीया स्वस्थ, सुन्दर, चुस्त नवयुवती हूँ।

विश्वास दिलाती हूँ कि नियुक्त होने पर मैं अपनी योग्यता और तल्लीनता से अध्यापन-कार्य करूँगी।

विश्वास है, सेवा का अवसर प्रदान कर कृतार्थ करूँगी।

भवदीय,

निर्मल गुप्ता,

सुपुत्री—श्री जयदीश गुप्त

जटवाड़ा, सेतीवाड़ा, दिल्ली-६

दिनांक १६ अगस्त, १९८८

(१३) मित्र को उसके जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में बधाई-पत्र ।

(ऑल इण्डिया १९७८, ८१, ८५)

५, सन्तनगर,
करोलबाग, नई दिल्ली-५
२० मार्च, १९८६

मित्रवर हरिकृष्ण,

नमस्कार ।

जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में तुम्हारा जलपान का निमन्त्रण प्राप्त हुआ । पढ़कर बहुत खुशी हुई । आप मेरी ओर से बधाई स्वीकार करें । परमपिता से प्रार्थना है कि तुम्हें कम-से-कम सौ वर्ष की आयु प्रदान करें ।

आज तुम्हारा जन्म-दिन है । कितना सौभाग्यशाली दिन है यह ! चाचा नेहरू बचपन में सोचा करते थे कि जन्म-दिन साल में एक ही बार क्यों आता है ? नए-नए कपड़े, अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ, मित्रों के उपहार और बुजुर्गों के आशीर्ष, सब कुछ जो मिलते हैं इस दिन ।

एक बात का ध्यान रखना, मेरे हिस्से की मिठाइयाँ स्वयं न खा जाना । तुम जानते ही हो, आज मेरी हिन्दी 'ए' की परीक्षा है । कल तुम्हें मितलूंगा और अपने हिस्से की मिठाई भी खाऊंगा ।

बधाई तुम्हें आज भेज रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जन्म-दिन आज है । आशा है, बधाई स्वीकार करोगे ।

तुम्हारा प्रिय मित्र,
क. घ. ग.

(१४) समाचार-पत्र के सम्पादक को पत्र : मुहल्ले में लाउड-स्पीकरों के शोर के कष्ट के निवारणार्थ ।

(दिल्ली १६८१, ८५)

सम्पादक,
नवभारत टाइम्स,
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-११०००२

मान्यवर,

हमारे मुहल्ले में, लाउड-स्पीकरों ने मुहल्ला-निवासियों का जीना हराम कर रखा है। जैसा नाम वैसा गुण। 'लाउड-स्पीकर' अर्थात् जोर-जोर में बोलने वाला। इनके शोर से समाचार-पत्र पढ़ने में बाधा पड़ती है, विद्यार्थी पढ़-लिख नहीं सकते, स्नानोपरात भजन-पूजन में एकाग्रचित्तता नहीं आ पाती, परम्पर बातचीत में व्यवधान पड़ता है, विषय-विशेष पर चिन्तन नहीं हो पाता, बीमार आदमी को सरदर हो जाता है, वह चारपाई पर पड़ा-पड़ा शोर करने वालों को कोमता रहता है। खाना-पीना हराम, मुफ्त में सिरदर्दी। अनचाहा क्रोध, और क्रोध से शरीर की हानि।

आपके पत्र के माध्यम से दिल्ली के कर्णधारों के कामों तक पहुँचाने के लिए यह कष्टपूर्ण अनुभूति व्यक्त कर रहा हूँ, ताकि दिल्ली सरकार लाउड-स्पीकरों के 'लाउड' के कान भाँड़कर 'स्तो' बना दे।

दिनांक १६ मार्च, १९८६

भवदीय,

क. ख. ग.

कृचा नटवा, चाँदनी चौक, दिल्ली-६

(१५) अपने क्षेत्र के पोस्टमास्टर को पत्र : क्षेत्र में डाक-वितरण की अव्यवस्था की शिकायत । (ऑल इण्डिया १९८३, ८५)

क्षेत्रीय पोस्टमास्टर महोदय,
क्षेत्र क्रमांक ५,
करोलबाग, नई दिल्ली-५

मान्यवर,

हमारे क्षेत्र में सुबह और शाम को डाक-वितरण के लिए दो डाकियों की नियुक्ति आपने की हुई है, इसके लिए धन्यवाद ।

ये डाकिए एक मकान की मभी चिट्ठियाँ नीचे की मंजिल में एक ही स्थान पर फेंक जाते हैं । अब यह पड़ोसियों की कृपा पर निर्भर है कि वे चिट्ठियाँ ठीक-ठीक बाँट दें, या न बाँटें ।

१६-सी की चिट्ठियाँ १६-डी में या १६ वी में डाल देना तो इनका स्वभाव बन गया है । इतना ही नहीं, ये हजरत १६-सी की चिट्ठियाँ १७-सी में भी डाल देते हैं ।

सचित्र पत्र-पत्रिकाओं को उड़ा लेना उनका धर्म है । दीपावली, होली तथा किसी शुभ सूचना कार्ड पर इनाम लेना उनका अधिकार है तथा इनाम न मिलने पर डाक गायब कर देना उनका कर्तव्य है ।

कृपया इस राहु-केतु-युगल को समझाइए । न समझें, तो इन्हें दण्डित कीजिए ।

दिनांक २५ मार्च, १९८८

भवदीय.

तिलकराज शर्मा,

प्रधान

गवर्नमेंट इबलस्टोरी क्वाटर्स कल्याण-समिति,

करोलबाग, नई दिल्ली ।

(१६) अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। (दिल्ली १९८६)

मित्रवर पवन,

नमस्कार।

नवभारत टाइम्स में दगवी के परीक्षा-परिणाम का विवरण पढ़ते हुए आँखें विमिश्रित हो गईं, हृदय गद्-गद् हो गया, जब मैंने पढ़ा कि मेरा प्रिय मित्र अर्थात् तुम सेंट्रल बोर्ड में प्रथम आए हो।

इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। मेरी हार्दिक कामना है कि प्रभु तुम्हें इसी प्रकार जीवन में शानदार सफलता प्रदान करता रहे।

माता-पिता को चरण-वन्दना। अगले मास दिल्ली आकर इस उपलक्ष्य में तुमसे मुँह मीठा कल्लेगा।

दिनांक २१ जून, १९८८

तुम्हारा अभिन्न,
य. र. ल. व.

(१७) अपने विद्यालय में एक नए शिक्षक आए हैं। उनकी दो-तीन विशेषताओं का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए।

(ऑल इण्डिया दिल्ली क्षेत्र १९८७)

मित्र सतीश,

नमस्कार।

आशा है सपरिवार स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। परीक्षा का भूत अवश्य सिर पर सवार होगा। दिन को 'घोटे' और रात्रि को अध्ययन द्वारा औषध-उपचार चल रहा होगा।

हमारी कक्षा के सहपाठी भातृभापा हिन्दी की पढाई के मम्बन्ध में चिंतित थे, किन्तु मौभाग्य से एक नए हिन्दी-शिक्षक आए हैं। नियमितता, समय की पाबन्दी तथा मनोयोग से अध्यापन उनकी विशेषताएँ हैं। उनकी पढाने की शैली की अनुपमता और छात्रों द्वारा किए हुए कार्य के पूरी तरह निरीक्षण के स्वभाव ने हमारी हिन्दी की कमी को दूर कर दिया है।

उनका विस्तृत परिचय क्या दूँ? निश्चित ही वे अध्यवसायी है, श्रेष्ठ अध्यापक हैं।

माताजी को चरण-स्पर्श। मेरे योग्य मेवा ?

दिनांक २ जनवरी, १९८६

आपका मित्र,

अ. आ. ई.

(१८) पुस्तक-विक्रेता को पुस्तकों मँगवाने के लिए एक पत्र लिखिए।

(ऑल इण्डिया १९८७)

व्यवस्थापक,
सूर्य-प्रकाशन,
नई सड़क, दिल्ली-६

मान्य महोदय,

निम्नलिखित पुस्तकों की एक-एक प्रति बी० पी० पी० से शीघ्र भेजकर इतार्थ करें। भेजने से पहले देख लीजिए कि कोई पुस्तक कटी-फटी न हो।

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| (१) हिन्दू धर्म का क. ख. ग. | तनमुखराम गुप्त |
| (२) सुदामा-चरित | डॉ० सुपमा गुप्ता |

१० मई, १९८८
केन्द्रीय विद्यालय,
सेक्टर ४७, चण्डीगढ़,

भावदीय,
नाभिनन्दन जैन,
कक्षा १० बी 'बी'

(१६) अपनी दिनचर्या बताते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए।
(ऑल इण्डिया १९८७)

पूज्य पिताजी,

सादर चरण-स्पर्श।

आपका पत्र मिला। सुख और सन्तोष की अनुभूति हुई।

आपने मेरी दिनचर्या जाननी चाही है। मेरी दिनचर्या इस प्रकार है—

ब्राह्ममुहूर्त में चार बजे उठकर अध्ययन करता हूँ। ६ से ७ बजे तक का समय व्यायाम तथा स्नानादि के लिए निर्धारित है। फिर होता हूँ विद्यालय-गमन।

२ बजे विद्यालय से लाटता हूँ। भोजन करके विश्राम करता हूँ। पाँच बजे से साढ़े छः बजे तक स्कूल का गृह-कार्य करता हूँ। साढ़े छः से साढ़े सात बजे तक का समय खेल के मैदान में कटता है। खेल से लौटने पर भोजनोपरान्त दूरदर्शन के दर्शन। साढ़े नौ से साढ़े दस बजे तक पढ़ाई और फिर निन्द्रा देवी की गोद में विश्रान्ति।

दिनचर्या नियमित है। व्यवधान-रहित है। अतः पढ़ाई पूरी हो जाता है और खेल-कूद से शारीरिक शक्ति भी पूरी हो जाती है। मन संतुष्ट और प्रसन्न रहता है।

माताजी को चरण-वन्दना। भाई-बहनों को आशीष।

२५ अगस्त, १९८८

आपका प्रिय पुत्र,
श. प. स. ह.

(२०) आवश्यक विवरण देते हुए छात्रवृत्ति के लिए 'छात्र-कल्याण परिषद्' के अध्यक्ष को एक आवेदन-पत्र लिखिए।

(ऑल इण्डिया दिल्ली क्षेत्र १९८७)

अध्यक्ष,

छात्र-कल्याण-परिषद्,

रामजम सी० से० स्कूल क्रमांक १,

दरियागज, नई दिल्ली-२

मान्यवर,

मैं कक्षा १० वी 'ए' का छात्र हूँ। गरीब माता-पिता की संतान हूँ। पिता जी के मात मौ रूपए के वेतन में पाँच प्राणियों का येन-केन प्रकारेण गुजारा चलता है। विद्यालय की फीस, स्कूल ड्रेस, स्टेशनरी तथा पुस्तकों का खर्चा परिवार की रोह तोडने वाला सिद्ध हो रहा है।

आर्थिक कठिनाई के कारण मेरी पढ़ाई में कठिनाई आ रही है। अब तक मैं प्रत्येक कक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होता रहा हूँ। आपसे नम्र-निवेदन है कि छात्र-कल्याण-परिषद् की ओर से मुझे छात्र-वृत्ति प्रदान करने की कृपा करे, जिससे मैं सुचारु रूप से अध्ययन करके बोर्ड की परीक्षा दे सकूँ।

भवदीय,

प. फ. ब. भ.

दिनांक १६ जुलाई, १९८८



(२१) प्रधानाचार्य को प्रार्थना-पत्र : अंग्रेजी की पढ़ाई न होने के कारण उत्पन्न कठिनाई का वर्णन।

प्रधानाचार्य,
राजकीय बाल उच्च० मा० विद्यालय,
तिलकनगर,
नई दिल्ली।

गान्धिवर,

गत तीन मास से हमारी अंग्रेजी की पढ़ाई बन्द-सी पड़ी है। नियमित रूप से न अध्ययन करवाया जाता है, न होमवर्क दिया जाता है, और जो कुछ हम लिखते हैं, उसकी चेकिंग भी नहीं की जाती है।

अंग्रेजी अध्यापक अस्वस्थता के कारण दो मास छुट्टी पर रह रहे हैं। उनके पीरियड में आने वाले अध्यापकों ने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। वे कहते थे, 'बस्तास में शोर न भजे, इसलिए हमारा पीरियड सभा है। पढ़ाई करवाना हमारा काम नहीं।'।

दो महीने के अवकाश के बाद स्कूल में आने पर भी अंग्रेजी शिक्षक हमारी कक्षा के लिए ईद का चाँद बन गए हैं। सप्ताह में एक-आध दिन आते हैं। कभी कहीं से, कभी कहीं से, १५-२० मिनिट पढ़ा कर 'याद करो' का आर्डर देकर स्वयं कोई पुस्तक पढ़ने बैठ जाते हैं। गत एक मास में एक 'ऐसे' तथा दो 'सैंटर' लिखने के लिए दिए हैं, तो आज तक हमारी कापी देखने का अवकाश उन्हें नहीं मिला।

एक करेला, दूजे नीम चढ़ा। एक तो विदेशी भाषा और ऊपर से नियमित पढ़ाई का अभाव, परिणाम होगा—असफलता; हमारे एक वर्ष की बरबादी और माता-पिता के खून-पसीने की कमाई की हानि।

आपसे प्रार्थना है कि इन महापुरुष के स्थान पर दूसरे अध्यापक को नियुक्त कर हम पर उपकार करें एवं स्कूल का 'रिजल्ट' श्रेष्ठतर बनवाने की व्यवस्था करके यश के भागी बनें।

२४ नवम्बर, १९८६

भवदीय,

कक्षा १० वा 'ए' के विद्यार्थी।

